चतुर्दश माला, खंड 14, अंक 05

मंगलवार, 29 नवम्बर, 2005
8 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc No .....55.....
Dated ..... 14/11/06....

(खण्ड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी. के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)

अंक 5, मंगलवार, 29 नवम्बर, 2005/8 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	82 और 83	1-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	84 से 101	29-68
अतारांकित प्रश्न संख्या	856 से 1080	68-460
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		
पिछले सप्ताह के दौरान सदन में किए गए कार्य		461
सभा पटल पर रखे गए पत्र		461-470
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति		
तेरहवां प्रतिवेदन		470
समितियों के लिए निर्वाचन		471-472
(एक)	भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर	471
(दो)	राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	471-472
(तीन)	राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड	472
तमिलनाडु और पांडिचेरी में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में		474-481
सदस्यों द्वारा निवेदन		481-502
(एक)	अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन के एक कर्मचारी की तालिबान आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के बारे में	481-484
(दो)	इंडियन ऑयल कारपोरेशन के एक अधिकारी की अपने कर्तव्य पालन के समय हुई हत्या के बारे में	484-492
(तीन)	बेलगांव के कर्नाटक का एक भाग होने संबंधी महाजन रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में	492-498
(चार)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41 और 6 को चार लेनों का बनाने का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने के अलावा इसे छह लेनों तक स्तरोन्नत किए जाने के बारे में	498-502

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले		503-513
(एक)	जम्मू और कश्मीर में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	चौधरी लाल सिंह	503
(दो)	तमिलनाडु के इरोड जिले के महान किसान "कलिंगारा गौंडर" के सम्मान में 14.1.2006 को स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस. के. खारवेनथन	503-504
(तीन)	वर्ष 2004-05 के लिए गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लंबित बीमा दावों के भुगतान को जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वी. के. तुम्मर	504-505
(चार)	ट्रेन नं. 4041-4042 देहरादून–दिल्ली एक्सप्रेस को राजस्थान के महत्वपूर्ण स्टेशनों अलवर, खैरताल और राजगढ़ पर ठहराव दिए जाने और उसे जयपुर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	डा. करण सिंह यादव	505
(पांच)	18 दिसम्बर को संत बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस को देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पुन्नू लाल मोहले	505-506
(छह)	रेवाड़ी–सदुलपुर और सदुलपुर–हिसार मार्गों पर आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सिंह कस्वां	506-507
(सात)	शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में धर्म/समुदाय के आधार पर उपलब्ध आरक्षण को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
	योगी आदित्यनाथ	507
(आठ)	उड़ीसा के केबीके जिलों के किसानों से धान खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	507-508
(नौ)	उत्तरांचल के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चम्पावत जिलों को "सम विकास योजना" के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बची सिंह रावत "बचदा"	508-509
(दस)	पर्यटकों की सुविधा के लिए मदुरै–कोडाईकनाल सड़क को छह लेनों वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. मोहन	509

विषय — कॉलम

(ग्यारह) विदेशों में नियोक्ताओं और प्रायोजकों द्वारा नौकरियों के लिए भर्ती किए जाने के समय उम्मीदवारों के पासपोर्ट न रखवा लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय अपनाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी 510

(बारह) चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की अति गंभीर समस्या हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार . . 510

(तेरह) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक "कृषि विज्ञान केन्द्र" खोले जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया 510-511

(चौदह) बिहार के पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दियारा में गंगा नदी द्वारा हुए भू–क्षरण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 511

(पंद्रह) गोरखपुर, बस्ती और लखनऊ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत और रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री लालमणि प्रसाद 511

(सोलह) झारखंड में विस्थापित व्यक्तियों को भूमि और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ववर्ती नीति को कायम रखे जाने की आवश्यकता

श्री टेक लाल महतो 512

(सत्रह) सुंदरवन क्षेत्र के दर्शकों के लाभ के लिए दक्षिण 24 परगना जिले में बासंती लो पावर ट्रांसमीशन (एल.पी.टी.) को हाई पावर ट्रांसमीशन (एच.पी.टी.) में बदले जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 512-513

(अठारह) गुजरात के जूनागढ़, अमरेली और पोरबन्दर जिलों में "ज्योति ग्राम योजना" के अन्तर्गत बिजली के तारों और जल की आपूर्ति के लिए पाइप लाइनें बिछाने के लिए रेल प्राधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ 513

पंजाब साधारण विक्रय कर (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त) निरसन विधेयक, 2005 514-526

विचार करने के लिए प्रस्ताव 514

श्री एस. रघुपति 514, 525-526

श्री अविनाश राय खन्ना 514-515

श्री पवन कुमार बंसल 515-521

श्री लक्ष्मण सेठ 521-523

श्री ब्रह्मानन्द पंडा 523-524

विषय	कॉलम
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	524-525
खंड 2 और 1	526
पारित करने के लिए प्रस्ताव	526
राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2004	527-589
विचार करने के लिए प्रस्ताव	527
श्री हंस राज भारद्वाज	527-529, 546-547, 581-587
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	529-531
श्री के. एस. राव	531-541
श्री वरकला राधाकृष्णन	541-545
श्री शैलेन्द्र कुमार	547-549
श्री राम कृपाल यादव	549-551
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	551-557
श्री भर्तृहरि महताब	557-562
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	562-564
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	564-570
श्री एस. के. खारवेनथन	570-573
प्रो. एम. रामदास	573-576
श्री पी. एस. गढ़वी	576-578
श्री खारबेल स्वाईं	578-580
श्री पी. सी. थामस	580-581
खंड 2 से 30 और 1	587-588
पारित करने के लिए प्रस्ताव	588-589
अनुबंध-I	594-602
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	594-595
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	595-602
अनुबंध-II	603-604
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	603-604
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	603-604

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शांह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी. डी. टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 29 नवम्बर, 2005/8 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. करूणाकरन, प्रश्न संख्या 82।

[अनुवाद]

दिल्ली में बम विस्फोट

+

*82. **श्री पी. करूणाकरन :**

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 2005 के दौरान दिल्ली में एक के बाद एक कई बम विस्फोट हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इन बम विस्फोटों में हताहत और लापता हुए लोगों की संख्या कितनी है और संपत्ति को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आसूचना एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को ऐसी गतिविधियों की पूर्व सूचना दी थी;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में पुलिस की विफलता के क्या कारण हैं;

(च) क्या इन बम विस्फोटों की कोई जांच कराई गई है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ज) देश में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : (क) से (ज) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 29 अक्तूबर, 2005 को राजधानी में हुए तीन बम विस्फोटों में 59 व्यक्ति मारे गए तथा 224 घायल हुए। बाद में, सात और व्यक्तियों की मृत्यु हुई और इस तरह आज तक मृतकों की संख्या 66 हो गई है। इसके अतिरिक्त, 10 व्यक्ति गुम हुए बताए गए हैं तथा पहाड़गंज और सरोजनी नगर में 36 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति नष्ट होने का अनुमान है। ओखला बस डिपो पर हुए बम विस्फोट में सम्पत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अभी तक निम्नलिखित धनराशि वितरित की है :

क्र.सं.	क्षतिपूर्ति/राहत का स्वरूप	मामलों की संख्या	भुगतान की गई कुल राशि
1.	केन्द्र सरकार द्वारा मृत्यु क्षतिपूर्ति	वयस्क–24 अवयस्क–09	48,00,000/– रु. 9,00,000/– रु.
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	वयस्क–24 अवयस्क–09	48,00,000/– रु. 9,00,000/– रु.
	कुल		1,14,00,000/– रु.
	गंभीर रूप से घायल लोग	92	46,50,000/– रु.
	मामूली रूप से घायल लोग	58	2,90,000/– रु.
3.	वाणिज्यिक सम्पत्ति की हानि	11	4,67,000/– रु.
	कुल योग		1,68,07,000/– रु.

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि बम विस्फोटों के बारे में कोई विशिष्ट (संकट–सूचना) नहीं थी, उन्होंने दिवाली से पहले दिन शहर में सुरक्षा इन्तजाम किए थे। सभी जिलों की बैठक में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई थी।

(च) और (छ) दिल्ली पुलिस ने अभी तक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है नामतः तारिक अहमद डार, 10.11.2005 को गिरफ्तार किया गया तथा मोहम्मद हुसैन फजली और मोहम्मद

रफीक शाह 22.11.2005 को गिरफ्तार किए गए। तारिक अहमद डार से पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि वह इन विस्फोटों का मुख्य संयोजक और मददगार था। मामले की जांच–पड़ताल के दौरान यह पता चला है कि इन बम विस्फोटों का षड़यंत्र विदेश स्थित एक आतंकवादी संगठन द्वारा रचा गया था। आगे जांच चल रही है।

(ज) आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें, घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को चुस्त–दुरुस्त करना, केन्द्र और राज्यों, दोनों में, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार तथा उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा आतंकवादी राष्ट्र–विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के वैश्विक आयामों को देखते हुए आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने हेतु भी कदम उठाए गए हैं।

भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं, बाजारों के प्रवेश स्थलों पर विशेष जांच करना और रोक लगाना; परित्यक्त वाहनों की जांच करना; बाजार क्षेत्रों में विशेषकर साइबर कैफे के स्टाफ की जांच करना और उन्हें ब्रीफ करना; मेहमानों और उनके सामान तथा उन वाहनों जिनसे वे आते हैं के बारे में पूर्ण ब्यौरे रखने को सुनिश्चित करने के लिए होटलों के प्रवेश द्वार पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरों की स्थापना सुनिश्चित करने के बारे में होटलों/गेस्ट हाउसों के प्रबन्धक और स्टाफ को ब्रीफ करना; किरायेदारों का सत्यापन; पुराने वाहनों के खरीददारों के पूर्ण ब्यौरे रखने के लिए ऑटो डीलरों को ब्रीफ करना; एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ स्वामियों/परिचालकों की नियमित जांच करना; ऑटो–स्टैण्ड और टैक्सी स्टैण्डों की जांच करना; बाजार कल्याण संघों और आवास कल्याण संघों के साथ बैठकें करना; मेट्रो रेल कामगारों/स्टाफ को ब्रीफ करना; गगनचुम्बी इमारतों, सरकारी भवनों के सुरक्षा कार्मिकों को सुग्राही बनाना; आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की नियमित रूप से जांच करना जिन्होंने विगत में आतंकवादियों तथा जेल से जमानत पर रिहा आतंकवादियों आदि को शरण दी हो।

श्री पी. करुणाकरन : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में यह बताया गया है कि 66 निर्दोष व्यक्तियों की जानें गईं, दस लापता हो गए तथा मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को भुगतान किए गए मुआवजे के अतिरिक्त 36 लाख रुपये की हानि हुई, यह भी बताया गया है कि इन बम धमाकों में विदेश स्थित आतंकवादी संगठनों का हाथ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन बम धमाकों के लिए कौन से विदेश स्थित संगठन जिम्मेदार हैं तथा उनका उद्देश्य क्या था? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनसे संपर्क किया है? क्या माननीय मंत्री इन सब बातों की जानकारी देंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, जैसा कि हम सबको मालूम है कुछ देश हमारे लिए समस्या खड़ी करना चाहते हैं। हमने इन देशों का नाम न लेकर बहुत सावधानी बरती है परन्तु भारत सरकार इन देशों के संपर्क में है तथा उनसे यह सुनिश्चित करने को कह रही है कि आतंकवादी उनके देश से भारत में आकर कार्यवाही न करें। हमने उनसे आतंकवादियों को प्राप्त होने वाली धनराशि और हथियारों को भारत में लाने पर रोक लगाने के लिए कहा है। इसके साथ ही हम लोगों को समझाने तथा विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंसा से कोई भी उद्देश्य हासिल नहीं होता है। जब युद्ध से कोई सफलता नहीं मिली तो आतंकवादी गतिविधियों से भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उन्हें हिंसा को रोकने के लिए समझ से काम लेना होगा।

महोदय, हम सब जानते हैं कि हिंसा को बढावा देने के पीछे किस देश का हाथ है। परन्तु सभा में उस देश का नाम लेना उचित नहीं होगा।

श्री पी. करुणाकरन : माननीय मंत्री द्वारा बताए गए कारणों को मैं समझ सकता हूं। परन्तु इसके साथ ही अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं और दिल्ली में आतंकवादी हमले हो चुके हैं। हमारे व्यापक अनुभवों को देखते हुए विशेषकर दिल्ली, जो हमारी राजधानी है, इसको देखते हुए हमारे सुरक्षा बलों और आसूचना बलों को अक्तूबर में हुए इन धमाकों की पहले से ही जानकारी क्यों नहीं थी? इस बारे में पूर्व में संसद भवन में हुए हमले का भी हमारे पास अनुभव था।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं स्वीकार करता हूं कि जो कुछ भी हुआ वह हमारी खामी को दर्शाता है। परन्तु सही स्थिति का आकलन करने हेतु हमें यह जानना होगा कि यहां की जनसंख्या कितनी है, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है, विगत वर्षों की तुलना में आज कैसी स्थिति है तथा दिल्ली की स्थिति देश तथा विश्व के अन्य शहरों की तुलना में कैसी है? हमें यह समझना होगा कि यहां अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं। यहां अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, अनेकों संस्थापन हैं तथा भिन्न–भिन्न गतिविधियां चल रही हैं।

जब ऐसी गतिविधियां चल रही हैं तो पुलिस उनकी उचित निगरानी कर रही है तथा देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कोई लापरवाही नहीं हुई। परन्तु हमें अधिक सजग रहना होगा। हमें पुलिस को बेहतर उपस्करों से सुसज्जित करना होगा तथा बेहतर आसूचना प्रदान करनी होगी। ऐसा किया जा रहा है परन्तु मैं यह भी कहूंगा कि हमें अपने प्रयासों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें पहले की तुलना में बेहतर कार्य करना होगा। हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम और अधिक बटालियनों का गठन करके पुलिस को और सुदृढ़ कर रहे हैं। हम उन्हें और बेहतर उपकरण दे रहे हैं। यहां की स्थिति से निपटने हेतु हम उन्हें प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। हमें आशा है कि इसके बेहतर परिणाम निकलेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री जी उस देश का नाम नहीं लेना चाहते तो न लें, लेकिन जब तक वह देश आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है, उनको मदद पहुंचा रहा है, तब तक क्या आप उससे वार्ता बंद करेंगे और कड़ाई के साथ पेश आएंगे? यदि एक तरफ वह आतंकवादी गतिविधियां चलाता रहेगा और दूसरी तरफ भारत सरकार उसके साथ दोस्ती करती रहेगी तो उससे आतंकवादी गतिविधियां रोज बढ़ती रहेंगी।

दूसरी बात है कि जो 10 लोग लापता हुए हैं, उनका एक महीने बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। जो मुआवजा दिया गया है, वह राशि बहुत कम है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि करीब 36 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और क्षतिपूर्ति का मुआवजा केवल 11 लोगों को 4,67,000 रुपये दिया गया है। दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि कोई जानकारी इनको पहले से नहीं दी गई कि आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं लेकिन त्यौहारों के कारण पुलिस पहले से ही चौकसी कर रही थी। मेरी जानकारी है कि इनको जानकारी दी गई थी फिर भी पुलिस विफल रही। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी पूरा जवाब दें और सदन को गुमराह न करें।

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, जो 10 लोग लापता हुए हैं, उनका पता नहीं लग रहा है। वे शायद दिल्ली से निकलकर अपने गांव चले गए होंगे। वे किस गांव के थे और कहां गए हैं, इसका भी कुछ पता नहीं है। इसलिए यह बताना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जिन भाइयों, बहनों तथा बच्चों की मृत्यु हुई है, उस घर के लोगों को पैसे दिए गए हैं। दूसरे लोग जब पैसे मांगने के लिए आते हैं, तो किसके हाथ में यह पैसा देना है, यह सवाल भी खड़ा होता है ताकि वह पैसा जिसके पास पहुंचना चाहिए, उसी के पास ही पहुंचे। पैसे की या इच्छाशक्ति की कमी नहीं है मगर जो प्रोसीजर फॉलो करना है जिसकी वजह से पैसा सही हाथ में जाए, वह देखना है। हमने बताया है कि प्रापर्टी वगैरह का कितना नुकसान हुआ है। उसमें सरकारी प्रापर्टी का भी नुकसान हुआ है तथा दूसरे लोगों का भी नुकसान हुआ है। जो लोग सामने आए हैं, हम नियमों के मुताबिक उनको सहायता दे रहे हैं। जहां तक लोगों को आगे आकर सहायता और राहत देने का सवाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के अन्दर पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि क्या हम वार्ता बन्द करेंगे। हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारी शक्ति भी बड़ी है। हमें कोई किसी प्रकार से डरा नहीं सकता है। कोई अपनी बात हमारे ऊपर थोप नहीं सकता है, यह बात हमने साफ जाहिर की है। मगर इसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि एक अच्छा समझदारी का माहौल दोनों देशों के लोगों में हो और दोनों देशों की सरकारें मिलकर इसे कर सकें तो उससे फायदा हो सकता है। जिनको आतंकवाद चलाना है, उसे बढ़ाना है, उसके बलबूते पर जीना है, उनकी बात और है, मगर लोगों को सहानुभूति अगर हम दे सकें और ले सकें तो उससे फायदा हो सकता है और सरकार में अगर समझदारी बना सकें तो उससे भी फायदा हो सकता है। इस नीति के द्वारा हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय माकन : दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण इसको लक्षित किया जाना स्वाभाविक है। दिल्ली में भारी संख्या में अति विशिष्ट व्यक्ति तथा विदेशी अधिकारी रहते हैं। अक्सर पुलिस अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा विदेशी अधिकारियों की सुरक्षा में तैनात की जाती है। क्या दिल्ली में पुलिस की संख्या पर्याप्त है तथा क्या ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए वे तकनीकी रूप से सुसज्जित हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : दिल्ली में पुलिस की संख्या लगभग साठ हजार है। हमने दिल्ली पुलिस को कुछ और बटालियन गठित करने की अनुमति दी है जिससे कि वे इन बटालियनों का उपयोग कर सकें। हमारे पास केन्द्रीय बल भी हैं और केन्द्रीय बलों की सेवाएं दिल्ली पुलिस को दी जाती हैं। जहां तक संख्या का संबंध है इस बारे में कोई परेशानी नहीं है। यदि अधिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

जहां तक उपकरणों का सवाल है, हमने उन्हें कुछ उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं और हमने उन्हें और उपकरण प्राप्त करने के लिए भी कहा है। उदाहरण के तौर पर यदि आधुनिक विस्फोटक

उपयोग किए जाते हैं तो उनका पता कैसे लगाया जाए? कार बम का कैसे पता लगाय जाए? यह प्रश्न उठता है। संचार सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। मुख्यालय से सभी पुलिस स्टेशनों तथा उस क्षेत्र के सभी पुलिस कर्मियों के साथ एक साथ बात करना संभव है, और अधिक प्रयास किए जाएंगे। हम ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। हम दिल्ली पुलिस को बहुत सुदृढ़ करना चाहेंगे। इसके साथ ही हम महानगरों की पुलिस व्यवस्था पर समग्र रूप से ध्यान दे रहे हैं। महानगरों की पुलिस व्यवस्था के लिए अपेक्षित सिद्धान्तों तथा उपकरण दिल्ली पुलिस को भी निश्चित रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। अन्य शहरों के लिए किए जाने वाले प्रयासों की तुलना में दिल्ली पुलिस के लिए और अन्य प्रयास भी किए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस को पहले से सूचना हो या न हो, भारत की राजधानी होने के नाते आतंकवादी तत्वों के निशाने पर दिल्ली शहर, हमारी राजधानी हमेशा रहती है। खास तौर से जब त्यौहार हों या उसके आस–पास का समय हो तथा जब लाल किले का मुकदमा फाइनल स्टेज पर था, ऐसी स्थिति में इस तरह की घटना का होना स्वाभाविक था। ऐसी घटनाओं को हम अपनी सावधानी से ही रोक सकते हैं। यदि आस–पास के देशों को हम बहुत ज्यादा चुनौती न दें, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि वे देश भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं और बिना राजकीय सहायता के उन देशों में भी आतंकवाद पुष्पित–पल्लवित हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी इस समस्या से हम लड़ सकते हैं। हमारी सीमाएं खुली हैं। ऐसी हालत में कम पुलिस फोर्स के होते हुए भी, पुलिस को आधुनिक और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराकर इन चीजों को रोका जा सकता है, आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यकतानुसार आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे?

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि जरूरत हो, तो विदेशों में इस तरह के जो आधुनिक शहर हैं, जहां ऐसी घटनाओं पर काबू पाया गया है, वहां अपनी पुलिस को भेज कर प्रशिक्षित किया जा सकता है, खास तौर से लंदन में हमने देखा कि उन्होंने ऐसे डिवाइस लगाए हुए हैं कि भूमिगत रेलवे के ऊपर जब आक्रमण हुआ, वहां लगाए गए कैमरों के जरिए, बिना देर किए, अपराधियों को पकड़ लिया गया। हालांकि यह व्यवस्था अपने देश के लिए बहुत महंगी और एक मुश्किल काम होगा, लेकिन फिर भी अपनी पुलिस को यदि आवश्यकता हो, तो ऐसी जगहों पर भेज कर प्रशिक्षित करने की क्या सरकार की कोई योजना है?

श्री शिवराज वि. पाटील : आपके द्वारा बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और मैं कहना चाहूंगा कि उसी दिशा में यहां की पुलिस काम कर रही है। हम यहां की पुलिस की संख्या बढ़ा रहे हैं। यहां की पुलिस को नए उपकरण और नए हथियार दे रहे हैं और प्रशिक्षण केन्द्रों पर नए प्रकार का प्रशिक्षण पुलिस को दे रहे हैं। यहां की पुलिस को बाहर के देशों में भेज कर भी प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। जैसे लंदन में सबट्रेनियन रेलवे को प्रोटेक्शन देने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, जिन कैमरों की मदद से अपराधियों को तुरन्त पकड़ लिया गया, उस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी दिल्ली में भी रेलवे के लिए वैसे ही कैमरे लगाए गए हैं तथा और ज्यादा कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे चौराहों पर और बहुत से रास्तों पर भी कैमरे लगाए गए हैं। उनकी इन्फर्मेशन कंट्रोल रूम में आती है। जितने सी.सी.टी. वी. और कैमरे हमने लगाए हुए हैं, उन्हें और ज्यादा लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

हर होटल के अन्दर, जहां बाहर के लोग आकर रहते हैं, उन लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए भी एक प्रकार के नियम बनाए गए हैं। उनका हमें उपयोग करना है। कैमरे की मदद से करना है और लोगों की मदद से भी करना है। रास्तों पर जो गाड़ियां आ रही हैं, उनके माध्यम से भी, चैक पोस्ट पर जहां एक्सप्लोसिव्स आ सकते हैं, यह खतरा भी है। इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं।

महोदय, हमारी मुश्किल यह है कि इतने बड़े शहर में जब कोई हादसा होता है, तो वे जानते हैं कि यहां पुलिस की प्रजेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसी घटनाओं की जो कांस्पीरेसी होती है, वह सिटी के अन्दर नहीं होती, सिटी के बाहर होती है। दिल्ली में जो हादसा हुआ, उसकी कांस्पीरेसी दिल्ली में नहीं हुई, दूसरे प्रान्तों में और दूसरे देशों में हुई। इसलिए हमें इन्फर्मेशन नहीं मिल सकी।

इन्फर्मेशन देने का काम रॉ की तरफ से, आई.बी. की तरफ से, स्टेट इंटैलीजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से और पुलिस की तरफ से होता है। जहां तक आई.बी. और रॉ का मामला है, वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय इंटैलीजेंस को कलैक्ट करके हमें देते हैं। जहां तक लोकल इंटैलीजेंस का सवाल है, वह स्टेट पुलिस को और पुलिस थानों में जो काम करते हैं, उनको देनी होती है। बदकिस्मती से यहां जो कांस्पीरेसी हुई, फैसिलिटेशन हुआ, वह बाहर से हुआ है, दूसरे प्रान्तों से हुआ। करीब–करीब 1000 मील दूर से हुआ है और दो–तीन देशों से हुआ है। इसी वजह से हमें इसकी मालूमात नहीं मिल सकी।

महोदय, माननीय सदस्य, सही कह रहे हैं कि अगर टैरेरिज्म

का मुकाबला करना है, तो उसका एक ही इंतजाम हो सकता है और वह ऑपरेशनल इंटैलीजेंस है। इसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं। ऐसी मालूमात हासिल करने के ऊपर भी हम लगे हुए हैं। उस दृष्टि से हमारे प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : राजधानी दिल्ली में एक गंभीर और अप्रिय घटना घटी है। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि क्या आसूचना ब्यूरो और पुलिस बल आतंकवादियों को रोकने और इस घटना को रोकने में असफल रहे हैं? यदि हां, तो आसूचना ब्यूरो और पुलिस बलों के ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री शिवराज वि. पाटील : जी हां, मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। परन्तु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मैं किसी के दोष को कम नहीं कर रहा हूं। यदि कोई गलती हुई है तो निश्चित तौर पर हम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। परन्तु साथ ही हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने हमारी जान की रक्षा करते हुए अपना जीवन गवां दिया। हमें उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उनका मनोबल प्रभावित नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, दिल्ली में यह पहली घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। गृह मंत्री जी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि क्या उनके पास इस बारे में पहले से कोई जानकारी थी, क्योंकि सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि पुलिस के पास इस प्रकार की जानकारी थी। यदि जानकारी थी, तो ऐसी भीड़–भाड़ वाली जगह पर एक भी पुलिस मैन क्यों नहीं था, यदि था, तो वह केवल लाठी लिए हुए था? वहां पुलिस का कोई प्रबंध नहीं था। दिल्ली में इतनी घटनाएं हुई हैं और इतना आर.डी.एक्स. पकड़ा गया, फिर पुलिस का प्रबंध क्यों नहीं किया गया?

महोदय, दिल्ली में पिछले दिनों पुलिस ने साजिश करते हुए 200 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मंत्री महोदय ने कहा कि मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी किसी देश का नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं? उन्होंने अपने उत्तर में स्वयं लिखा है कि

[अनुवाद]

"तारिक अहमद डार से की गई पूछताछ में यह पता चला है कि इसकी साजिश एक विदेश स्थित आतंकवादी संगठन द्वारा की गई थी।"

[हिन्दी]

मंत्री महोदय जानते हैं कि यह काम पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी संगठन ने किया है, फिर भी वे कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा। पाकिस्तान विश्वभर में और हिन्दुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है, जब आप अपने देश में पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो विश्व में जाकर विश्व स्तर पर उसका नाम कैसे लेंगे? दिल्ली में 70 लोग मारे गए हैं, फिर आप क्यों नहीं इस बात को कहते कि पाकिस्तान बेस्ड लश्करे तैयबा ने यह काम किया है? दिल्ली में फिर से ऐसी घटना हुई और उसमें 70 आदमी मारे गए हैं। क्या इसकी मॉरेल रेस्पांसिबिलिटी आप नहीं समझते? क्या गृह मंत्री के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप इसको रोकते, आपको सूचना थी, तो आप कार्रवाई करते?

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, मैं इस प्रकार के पोलिटीकल प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि नहीं रखता हूं। अगर पोलिटीकल प्रश्न किए गए तो उनके उत्तर भी पोलिटीकल दिए जा सकते हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पोलिटीकल प्रश्न कैसे है?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : वह ऐसा नहीं कह सकते कि यह एक राजनीतिक मामला है और वह इसका उत्तर नहीं दे सकते। यह सही तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सभी राजनीतिज्ञ हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह सकते हैं वह कहिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : अगर मैं यह कहूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में गाड़ी में बैठ कर गए थे तो क्या वे इस विचार से नहीं गए थे कि दोनों देशों के संबंध अच्छे बनें।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उसे कौन मना कर रहा है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए। यह अति संवेदनशील मामला है। आप उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : उसके बाद कारगिल हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है और मैं यह भी पूछूंगा कि जब इस पार्लियामेंट में हम लोग बैठे हुए थे, जब यहां हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी?...*(व्यवधान)* इस प्रकार से चर्चा करने से कोई हल नहीं निकलता है।...*(व्यवधान)* हम सिर्फ दोष लगाने के लिए नहीं बैठे हैं और अगर दोष लगाना जरूरी है तो वह भी हम करेंगे, लेकिन सिर्फ दोष लगाने के लिए नहीं, जो सही प्रश्न है उसे समझ कर, उससे कुछ हल निकलता है क्या, यह देखने के लिए बैठे हैं। हमारे जो साथी उधर बैठे हैं, उन्हें हमें समझाने की ताकत है कि किस प्रकार से इस काम को किया जाए और वह अगर करें तो उसका हम तहेदिल से स्वागत करेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आपके पास सूचना थी, या नहीं थी, यह मैंने पूछा था कि

[अनुवाद]

क्या आपको इसकी जानकारी थी कि वे दिल्ली पर हमला करेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां तक इस घटना का संबंध है हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। प्रश्न का जवाब देते समय मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जब अन्य राज्यों, अन्य देशों में षड़यंत्र रचा जाता है तो कभी-कभी उसकी जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। जहां तक अन्य राज्यों में अन्य घटनाओं का संबंध है, हमें उसकी जानकारी थी, हमने यह जानकारी उन्हें भेज दी थी। जहां तक इस घटना का संबंध है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : आप यह पहले ही बता चुके हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आम लोगों का जिस तरह जीना हराम है, उसे मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी कांस्टीट्यूएंसी मिलिटेंसी का डेन है। हम आज तक भी वहां नहीं जा सके।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न दिल्ली के बारे में है, आप उस बारे में पूछिए।

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि दिल्ली हो या पूरा हिन्दुस्तान हो, अगर कहीं भी अटैक होता है तो वह देश के लिए घातक एवं बुरा है। हमारे पास इंतजाम हैं—तोपे, टैंक, पैरा मिलिट्री फोर्सेस आदि सब कुछ हमारे पास है और हर बार कहा जाता है कि दीपावली और ईद के पर्व पर अटैक होंगे—यह इन्फोर्मेशन पहले आ जाती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, जो लोग इन्फोर्मेशन देते हैं उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि तुमने कहां से इन्फोर्मेशन ली और कौन से लोग कहां से पकड़ने हैं—यह मैं जानना चाहता हूं। इसे हम खत्म करें। यह टेररिज्म टोटली कब खत्म होगा? चाहे कोई भी देश हो, जो भी देश हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा, उसके साथ सख्ती से निबटने की कोशिश करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही हेतु सुझाव है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए कि आप सजेशन कंसीडर करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने दुख की बात जो कही है, उसके साथ मैं सिर्फ सहमत ही हो सकता हूं। हमें जितनी कोशिश करनी है, वह हम कर सकते हैं। यह बात मनुष्य के मस्तिष्क में है और जब तक मस्तिष्क में है वह चलती रहेगी। उसे कम करने की हमें कोशिश करनी है।

नक्सली गतिविधियां

+

***83. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**

श्री ए. साई प्रताप :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में विभिन्न राज्यों में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005 के दौरान आज तक राज्यवार ऐसी कितनी घटनाएं घटित हुई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न नक्सली गतिविधियों में

कितने अर्ध–सैनिक बलों के कर्मी/नागरिक मारे गए/घायल हुए हैं और सम्पत्ति की कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावित राज्यों को शामिल करते हुए कोई संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए आगे क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) अक्तूबर, 2005 के अन्त तक नक्सली हिंसा की घटनाओं की संख्या, गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के लगभग बराबर ही रही। तथापि, इसी अवधि के दौरान, इसके परिणामस्वरूप हताहतों में वृद्धि हुई है। 31 अक्तूबर, 2005 तक राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	घटनाएं	मारे गए पुलिस कार्मिक	मारे गए सिविलियन	घायल	संपत्ति को नुकसान
आंध्र प्रदेश	448	15	163	97	2,82,79,600
झारखंड	271	21	82	49	1,10,40,000
छत्तीसगढ़	317	44	95	80	5,64,000
बिहार	161	19	52	73	44,35,000
महाराष्ट्र	76	22	27	38	8,61,500
उड़ीसा	38	1	13	26	1,00,00,000
उत्तर प्रदेश	8	–	1	–	–
मध्य प्रदेश	16	1	1	–	14,45,000
पश्चिम बंगाल	9	1	4	33	–
कर्नाटक	7	6	2	8	–
हरियाणा	2	–	–	–	–
कुल	1353	130	440	404	5,66,25,100

(घ) और (ङ) राज्य, आवश्यकता पर आधारित संयुक्त अभियान चला रहे हैं। तथापि, अंतर–राज्य संयुक्त अभियानों को संस्थागत बनाने के लिए प्रभावित राज्यों के साथ परामर्श करके 29.10.2005 को स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाया गया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक व्यवस्था करें ताकि जमीनी स्तर पर एसओपी को कार्यरूप दिया जा सके।

(च) सरकार, नक्सलवाद के खतरे के प्रति सजग है और नक्सली हिंसा के विवेकहीन कृत्यों में संलिप्त लोगों के साथ सख्ती से पेश आएगी। सरकार, राजनैतिक, सुरक्षा और विकास मोर्चों पर एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपना कर इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार, प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करती रही है ताकि सुरक्षा और विकास की वृद्धि से इस समस्या से निपटने के लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जा सके। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे नक्सलियों और उनके आधारभूत ढांचे के विरुद्ध आसूचना आधारित अभियानों पर अधिक ध्यान दें, सतत आधार पर अभियान चलाएं और इन्हें तेज करें।

[हिन्दी]

श्री कृष्णा मुरारी मोघे : माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद देश के अन्दर एक विकराल समस्या के रूप में खड़ा हुआ है। मैं यह जानना चाहता था कि पिछले वर्ष भर में इन घटनाओं में कमी हुई है या बढ़ोत्तरी हुई है? हमें जो लिखित उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें मंत्री जी ने बताया है कि लगभग घटनाएं उतनी की उतनी हुई हैं, किन्तु उतनी की उतनी घटनाएं होने के बाद भी, जो उसमें अन्तर आया है, जहानाबाद उस घटना की पराकाष्ठा है। शायद ऐसी घटना इसके पूर्व कभी नहीं हुई। इसलिए नक्सलवाद को रोकने की दृष्टि से भारत सरकार क्या कदम उठा रही है और जो कदम पिछले वर्षों के अन्दर उठाए गए हैं, उन प्रयासों से क्या हम संतुष्ट हैं? यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, हम इस मुद्दे पर एक पूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। तथापि, यह प्रश्न है और इसलिए आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस मुद्दे पर पूर्ण चर्चा होगी और आप इस चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या इस पर कल चर्चा की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा गुरुवार को होगी।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, घटनाओं की संख्या कम हुई है, मगर इन घटनाओं में जो एक्सप्लोसिव्ज उपयोग में लाए गए हैं, उनकी वजह से जो हत्याएं हुई हैं, उससे संख्या बढ़ी हुई नजर आती है। यह बात सही है कि जम्मू–कश्मीर और नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो आतंकवाद हो रहा था, उसे कम करने में बहुत–बहुत हद तक हमें यश प्राप्त हुआ है, नक्सलवादी घटनाओं को कंट्रोल करने में उतना यश हमें प्राप्त नहीं हुई है। सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। यह काम स्टेट गवर्नमेंट को करना है और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को हमने करीब 26 बटालियन यानी 26 हजार आफिसर्स और मैन दिए हैं। उसके साथ–साथ उनको यह भी कहा है कि पुलिस के लोग जब कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो उनके प्रोटैक्शन के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स दिए हैं, जिनको आसानी से नहीं उड़ाया जा सकता या जिनमें बैठकर कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद जिस एरिया में इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, वहां की रैकी करने के लिए, वहां की जांच–पड़ताल करने के लिए हवाई जहाज का, हैलीकॉप्टर का भी उनके लिए इन्तजाम किया है। स्टेट में पुलिस को बढ़ाने के लिए हमने हजारों करोड़ रुपये उनको दिए हैं और करीब तीन हजार करोड़ रुपये स्टेट पुलिस के माडर्नाइजेशन के लिए दिए गए हैं। उसके साथ–साथ उनको ट्रेनिंग देने के लिए नए–नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाकर दिए हैं। उनको जो मालूमात, जो इंटेलीजेंस चाहिए, वह भी हम दे रहे हैं और हर एरिया को कनैक्ट करने के लिए पोलनैट जिसे हम कहते हैं, हर पुलिस स्टेशन को डिस्ट्रिक्ट से और हर डिस्ट्रिक्ट को स्टेट गवर्नमेंट से और हर स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जोड़ने के लिए पोलनैट का इन्तजाम भी हमने किया है। लेकिन हम यह जानते हैं कि नक्सलिज्म का सवाल क्या सिर्फ पुलिस की ताकत से हल कर पाएंगे, यह सवाल हमारे सामने आ जाता है। हम यह जानते हैं कि पुलिस की ताकत जहां इस्तेमाल करना जरूरी है, वहां हम जरूर करेंगे, मगर सिर्फ पुलिस की ताकत से नहीं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से वहां के लोगों के जो जमीन के प्रश्न हैं, बेकारी के प्रश्न हैं, किसी पर अन्याय होता है तो उसके प्रश्न होते हैं, ऐसे राजकीय प्रश्नों को हल करने के लिए भी हमने कहा है। तीसरी बात जो हमने की है, वह यह है कि जिन स्टेट्स में ये घटनाएं हो रही हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप अपना प्लान बनाएंगे तो हम भी आपको अपनी राय दे देंगे। आप आजू–बाजू के स्टेट्स के साथ तुलना करके एक आखिरी प्लान बनाइए और नक्सली लोगों के खिलाफ इसमें जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनके खिलाफ काम करने के लिए आप जोइंट एक्शंस ले लीजिए और वह जोइंट एक्शन लेने के लिए 10–15 जगह पर यह व्यवस्था कराई गई है। इस काम को देखने के लिए हमारे मंत्रालय में जो सैक्रेटरी सिक्योरिटी है, वह हर महीने मीटिंग करते हैं, और सैक्रेटरीज की हर तीन महीने में मीटिंग करते हैं और होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात करते हैं। ये सारी बातें करके हमने जो नीतियां बनाई हैं, हमेशा यह कहा जाता है कि कोई नीति नहीं है, मैं यह चाहता हूं कि उस नीति को लिखित रूप में सदन के सामने रख दूं और सबको बता दूं कि यह हमारी नीति है। उसके बाद भी अगर कोई दूसरी नीति सरकार को अपनाना जरूरी है, आपको ऐसा लगता है तो उस प्रकार की सूचनाएं अगर आपकी तरफ से हमारे पास आईं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। हम बताएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के लेविल पर, यूनियन गवर्नमेंट के लेविल पर स्टेट पुलिस की मदद से, पैरा–मिलिट्री फोर्सेज की मदद से और जम्मू–कश्मीर में कुछ जगहों पर मिलिट्री की मदद से, नक्सलाइट की जगह पर नहीं, हम यह काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक अति विस्तृत उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

श्री कृष्णा मुरारी मोघे : सारा उल्लेख यहां किया गया, परन्तु कुछ प्रान्तों के अन्दर सामाजिक स्तर पर उनका विरोध जनता ने किया, किन्तु ऐसी घटनाओं के बाद ऐसा ध्यान में आया कि जो लोग उनके सामने आए, उनको सरकार संरक्षण देने में असमर्थ रही। क्या यह योजना भी हम आगे बनाने वाले हैं, जिसमें इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए जो सामाजिक संगठन सामने आते हैं, लोग सामने आते हैं, उनमें एक विश्वास पैदा किया जा सके। यदि हम यह काम करेंगे तो सरकार की तरफ से पूरा संरक्षण हमें प्राप्त होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : यह अच्छी सूचना है और उसके ऊपर अमल भी किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उनकी जान और माल को भी धोखा निर्माण हो जाता है, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटैक्शन देना जरूरी है। वह हम जरूर करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, इसके ऊपर हमने विचार किया है, उसे हम अमल में लाएंगे और उससे ज्यादा अगर करने की जरूरत है तो वह भी हम करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्री जी ने एक विस्तृत उत्तर दिया है। हम अगले गुरुवार को इस पर पूर्ण चर्चा करेंगे।

श्री ए. साई प्रताप : मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नक्सलवाद की समस्या पर राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार किया जाना चाहिए। हमारे देश में लगभग सात या आठ राज्य इस समस्या से बुरी तरह से प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी ने पहल की और नक्सली नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाने और सामान्य और शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके। हाल ही में, आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री श्री जावा रेड्डी ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के समक्ष बताया था कि उनकी समस्याओं का कोई ठोस हल निकालने के लिए शांतिपूर्ण चर्चा करने के लिए अभी भी काफी गुंजाइश है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या प्रश्न है?

श्री ए. साई प्रताप : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। केन्द्रीय समिति सभी दल के सदस्यों को शामिल करके राष्ट्र के दबे–कुचले और पददलित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए बेहतर और शान्तिपूर्ण आजीविका के बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिए पुर्नवास कार्यक्रमों हेतु अधिक वित्तीय सहायता की मंजूरी देकर पुनर्वास कार्यक्रम पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने प्रत्येक बात का उत्तर दे दिया है।

श्री ए. साई प्रताप : मेरा प्रश्न मुख्यतः इस संबंध में है कि क्या सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया गया है, यहि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। उन्होंने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है। आप वह सब दोहरा सकते हैं जो आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने माननीय सदस्यों को यह सब बातें स्पष्ट कर दी हैं। वास्तव में, हम सबको यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि यह काम राज्य पुलिस का है। कुछ राज्य सरकारों के अपने पुलिस अधिनियम हैं और कुछ अन्य राज्य पुलिस अधिनियम, 1861 के अन्तर्गत आते हैं। कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है फिर भी यदि संघ सरकार कहती है कि इस मामले में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो यह गलत होगा। इसलिए हम राज्य सरकारों को सहयोग कर रहे हैं और राज्य सरकारें इससे खुश हैं। हमने उन्हें सेना की लगभग 26 बटालियन दी हैं। विगत में हम एक बटालियन हेतु एक वर्ष के लिए 13 करोड़ रुपये देते थे। अब, हमने कहा है कि ये बटालियन तीन वर्षों तक राज्य सरकार के पास रहेंगी और उन्हें कोई धनराशि नहीं देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं हमने आधुनिकीकरण और उन सभी चीजों के लिए उन्हें पैसा भी दिया है।

जहां तक आत्मसमर्पण करने वालों का संबंध है, हमारे पास एक नीति है और एक योजना है तथा इस नीति और योजना को सुनियोजित ढंग से बनाया गया है। इसे उस नीति से लिया गया है जिसे जम्मू और कश्मीर में आत्मसपर्मण करने वालों के संबंध में उपयोग किया जाता है और हम उसी नीति का उपयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अत्यन्त विस्तार से उत्तर दे दिया गया है। मेरे पास केवल 26 सदस्यों के नाम हैं। अब मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा। मेरे विचार में आप इससे संतुष्ट होंगे।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : आप वाद–विवाद में हिस्सा लेंगे। मैं आपको विशिष्ट प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : बिहार के जहानाबाद में नक्सलियों का हमला हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : उत्तर में आया एस.ओ.पी. क्या है, यह बताइए।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : यह मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. महादेवराव शिवनकर : महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में भी समस्या है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक कि आप थक नहीं जाते मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठें। आप एक प्रोफेसर हैं। आपके विद्यार्थी क्या शिक्षा लेंगे? मैंने कहा है कि अपने आप में पूर्ण एवं इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस विषय पर गुरुवार का विस्तृत चर्चा होगी। मैंने पहले ही इसके लिए 4–5 घंटे नियत कर दिए हैं। मैं कह रहा हूं कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। मैं सभी 26 माननीय सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकता हूं।

इसलिए, मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग करने की अपील कर रहा हूं। मैं आपको पूरा मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनके उत्तर नहीं आए हैं। उन सवालों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मौका दिया जाएगा। आपको परसों, यानी वीरवार को मौका दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार इन घटनाओं से प्रभावित है।...*(व्यवधान)*

प्रो. महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी मरे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी समय दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा जिन्होंने सभा की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डाला है। मैं आपके दल के सदस्यों को बुलाऊंगा परन्तु आपको नहीं।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार का भी है। नक्सलवाद की समस्या कई जगह मौजूद है। यदि वहां अशान्ति है तथा कानून और व्यवस्था की समस्या है। केन्द्र सरकार ऐसी नीति बनाती है जो राज्य को प्रभावित करती है। इस समस्या को सुलझाने का दायित्व राज्य का है। केन्द्र सरकार ऐसी नीति बनाती है जो कृषि, कृषि उत्पाद मूल्य, ऋण दायित्व इत्यादि को प्रभावित करती है। परन्तु जब आप एफटीए तथा इस तरह की अन्य नीतियां बनाते हैं, तब आप राज्य से परामर्श नहीं करते हैं। जब तक कि राज्यों के साथ समन्वय तथा परामर्श नहीं किया जाता है, तब तक राज्य को हो रही समस्याओं को सुलझाने के लिए किस प्रकार बहुआयामी उपाय किए जा सकते हैं? मेरा यही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि राज्यों के साथ पूरा परामर्श किया जाना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि ऐसे मंच हैं जहां परामर्श किया जाता है। ऐसे दो मंच लोक सभा तथा राज्य सभा जहां देश के सभी हिस्सों के सदस्यों की भागीदारी होती है। उसके बाद अंतर–राज्यीय परिषदें हैं जिनमें मुख्यमंत्री भाग लेते हैं तथा हम उनसे परामर्श करते हैं। तत्पश्चात्, क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होती हैं। हमने हाल ही में एक समिति का गठन किया है जिसमें गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तथा राज्यों के गृह मंत्री साथ मिल–बैठ कर चर्चा करते हैं। सचिव तथा विशेष सचिव, प्रमुख सचिव, गृह सचिव तथा राज्यों के डीआईजी के साथ चर्चा करते हैं। इसलिए, कई मंच हैं जहां इस प्रकार की चर्चा होती है। हम केवल कार्य योजना की ही चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि बृहद योजनाओं और नीतियों पर भी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार राज्यों के बीच, राज्यों तथा संघ के बीच, देश तथा अन्य देशों के बीच सहयोग तथा समन्वय हो सकता है। इन मुद्दों पर कार्यवाही की जा रही है। बात केवल यह है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। इसलिए, कभी–कभी ऐसा महसूस होता है कि ऐसा केवल एकतरफा ढंग से किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसे लोगों के ध्यान में नहीं लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया है। वह इसे दोहरा रहे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 26 माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। अब 40 मिनट बीत चुके हैं और दूसरा प्रश्न भी समाप्त नहीं हुआ है।

अब डा. पी. पी. कोया प्रश्न पूछेंगे और वह भी आपके दल के सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह सही नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। यह हमारे राज्य से जुड़ा हुआ मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह भी एक माननीय सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमने समय के लिए स्लिप दी हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह समय पर पर्ची देने का प्रश्न नहीं है। यह ध्यान आकर्षित करने का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : तब बुरा नहीं मानिएगा।...*(व्यवधान)* हम इसका विरोध करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका विरोध कार्यवाही वृत्तान्त में दर्ज किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : ठीक है, हम इसका विरोध करते हैं और दिनभर के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं।

पूर्वाह्न 11.40 बजे

तत्पश्चात्, श्री प्रभुनाथ सिंह सभा से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

डा. पी. पी. कोया : महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या 82, विदेशों से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों, जिसे इन देशों द्वारा प्रेरित किया जा रहा है तथा सहायता दी जा रही है, से संबंधित है। अब, तारांकित प्रश्न संख्या 83, नक्सलवादी आन्दोलन, जो हमारे अपने ही देश में शुरू हुई है, से संबंधित है। माननीय गृह मंत्री ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया है तथा कई माननीय सदस्य दिए गए उत्तर से खुश हैं, साथ ही आपके द्वारा दिए गए उत्तर से अध्यक्ष महोदय भी संतुष्ट हैं। मुझे इसकी खुशी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं कहा है कि मैं खुश हूं। कृपया मुझसे अपनी बात कहलवाने की कोशिश न करें। आप इतनी चतुराई न दिखाएं।

डा. पी. पी. कोया : महोदय, मैं अपना बयान वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको उचित व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा है कि यह एक व्यापक उत्तर था। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उत्तर से संतुष्ट हूं। कृपया चतुर बनने की कोशिश न करें।

डा. पी. पी. कोया : महोदय, मैं अपना बयान वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपको वापस लेना चाहिए।

डा. पी. पी. कोया : हालांकि माननीय सदस्यगण माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से प्रसन्न हैं किन्तु जहानाबाद घटना ने हमारी सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को आगे आना चाहिए तथा एक और समिति के गठन का विचार करना चाहिए जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, सेना तथा सामाजिक क्षेत्र दोनों के ही लोग शामिल हों, और ऐसा समाधान ढूंढ़ना चाहिए जो दोनों ही अर्थात् केन्द्र तथा राज्य सरकारों को स्वीकार्य हो।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव हमें स्वीकार्य है। वस्तुतः सेना, अर्ध सैन्य बल तथा राज्य पुलिस के बीच समन्वय के लिए हमारे पास एक तंत्र मौजूद है। जम्मू–कश्मीर राज्य में हमने एक तंत्र अपनाया है जिसके तहत एक एकीकृत कमांड कार्य कर रही है और जम्मू–कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री इस कमांड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। असम में तथा मणिपुर में भी हमारे पास इस प्रकार का तंत्र मौजूद है।

परन्तु मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं की सशस्त्र बलों तथा बाहरी विशेषज्ञ, जिन्हें देश के आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास की योजना में शामिल किया गया है, भी इसमें भाग ले रहे हैं। हम कई बैठकें आयोजित कर रहे हैं तथा कभी–कभी ऐसा भी महसूस होता है कि हमारे पास अनेक समस्याएं हैं, परन्तु यदि ऐसी कई योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो वे सभी समस्याएं निष्फल हो जाती हैं। इसलिए, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह ठीक है और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न काल का क्या प्रयोजन है? मैं माननीय सदस्यों से इस पहलू पर ईमानदारी से विचार करने का अनुरोध करता हूं। यह सभा का बहुमूल्य समय है तथा माननीय सदस्यों को इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। मंत्री महोदय विस्तार से उत्तर दे रहे हैं, परन्तु इसी तरह के समान अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मंत्री केवल उत्तर दोहरा रहे हैं।

अब, मैं एक प्रश्न के लिए 26 अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति कैसे दे सकता हूं? जो भी अध्यक्षपीठ पर आसीन हो उसे इसके लिए समय निकालना होगा। जिस भी सदस्य को अवसर नहीं मिलता है वह असंतुष्ट हो जाता है। मैं सभी दलों के सदस्यों को अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री लक्ष्मण सेठ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या नक्सली संगठनों ने अपने आपको माओवादियों के रूप में पुनः संगठित कर लिया है और क्या उन्होंने नेपाल में माओवादियों से संबंध स्थापित कर लिए हैं? यह समझा जाता है कि उन्होंने इसी तरह बंगलादेश में आतंकवादी संगठनों के साथ भी संबंध स्थापित कर लिए हैं।

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई गतिविधियां हुई हैं और क्या वे माओवादी समूह पश्चिम बंगाल और बिहार के विभिन्न भागों में पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, जो कुछ कहा गया है उसमें सच्चाई है। देश में आतंकवादी संगठन आपस में गठजोड़ कर रहे हैं, पड़ोसी देशों में तथा पूरे विश्व में आतंकवादी संगठन गठजोड़ कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि देश के अलग-अलग भागों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी नहीं हैं तो निःसन्देह उतनी ही हैं। मैं विशेष रूप से इस सभा का ध्यान उड़ीसा में घटी घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। राज्य सरकार तथा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से राज्य को अर्ध सैन्य बलों की और कंपनियां देने का अनुरोध किया है। साथ ही राज्य सरकार ने केन्द्र से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहतर संचार व्यवस्था विकसित करने का भी अनुरोध किया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने उड़ीसा राज्य को अर्ध सैन्य बलों की और कंपनियां उपलब्ध कराई हैं और उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचार व्यवस्था विकसित करने की भी सहमति दी है?

श्री शिवराज वि. पाटील : जहां तक सड़क का संबंध है, इस पर योजना मंत्रालय और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है और इस पर शीघ्र कार्य किए जाने की संभावना है।

जहां तक राज्य को और अधिक कंपनियां तथा बटालियन उपलब्ध कराने का प्रश्न है, हम उनकी सहायता कर रहे हैं और मुझे आशा है कि राज्य सरकार को जो भी सहायता दी गई है उससे वह संतुष्ट है। यदि वे कुछ और चाहते हैं, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। इसके साथ ही, राज्य सकरार भी अपने पुलिस बलों की संख्या बढ़ाए।

श्री बी. विनोद कुमार : महोदय, मैंने सभा में दिए गए उत्तर का अध्ययन कर लिया है। दुर्भाग्यवश, नक्सली हिंसा से आंध्र प्रदेश सबसे अधिक पीड़ित है। तेलंगाना, अपने पिछड़ेपन के कारण उनकी हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। मंत्री महोदय पहले ही विकास कार्यों का उल्लेख कर चुके हैं। परन्तु मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा नक्सली गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए किसी विशेष पैकेज पर विचार किया गया है?

श्री शिवराज वि. पाटील : यह बात समझनी चाहिए कि सभी संभव कार्य किए जा रहे हैं। परन्तु, साथ ही, इन कार्यों को राज्य सरकार को देखना है। यदि कुछ क्षेत्रों में उनके सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें उस क्षेत्र के लिए और धन देना होगा। केन्द्र सरकार की ओर से हम नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु प्रत्येक जिले के लिए लगभग 36 करोड़ रुपये दे रहे हैं। हम उनसे उन क्षेत्रों में पहले रोजगार गारंटी योजना आरम्भ करने के लिए भी कह रहे हैं। हमने उनसे यह भी कहा है कि उन स्थानों पर चयन करके पुलिस अधिकारियों को भेजा जाए ताकि वे स्थिति को नियंत्रित कर सकें। प्रश्न यह है कि एक ओर राज्य सरकार है और दूसरी ओर केन्द्र सरकार। दोनों को एक-दूसरे के सहयोग से कार्य करना होगा। परन्तु इसके लिए राज्य सरकार मूलतः उत्तरदायी है और पहले उसे ही लोगों की सहायता करनी है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले दक्षिण बिहार के आठ जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन आज की तिथि में पूरा बिहार नक्सलवाद से प्रभावित हो गया है। नेपाल के माओवादी तथा आंध्र प्रदेश के नक्सलाइट्स भी बिहार से आपरेट करते हैं। जो लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने इन सारी चीजों को रिवील किया है। भारत सरकार का एसएसबी नेपाल की सीमा पर लगा हुआ है लेकिन भारत-नेपाल सीमा पर एक भी रोड नहीं है। छह महीने, यानी बरसात के समय से नेपाल का बॉर्डर खुला होने के कारण काफी संख्या में लोग इधर से उधर चले जाते हैं। वहां कई सामानों तथा हथियारों की तस्करी होती है। ये लोग, घटना करके, नेपाल चले जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इसी तरह की एक भयानक घटना जहानाबाद की जेल में हुई थी जो हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी घटना है। क्या भारत सरकार उस इलाके में इन्फ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि करके बॉर्डर रोड बनाना चाहती है ताकि नक्सली गतिविधियों को रोका जा सके? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस संबंध में कौन से कदम उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इन सभी मुद्दों पर वक्तव्य दे चुके हैं। हम इस विषय पर परसों पूरी चर्चा करेंगे। इस पर भी आप सभा का इतना समय ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष जी, मैंने जो अभी पहले सवाल का जवाब दिया था, वही जवाब इस प्रश्न का भी हो सकता है। जहां तक मदद करने की जरूरत है, जो 36 करोड़ रुपये हर जिले के विकास के लिए दिए गए हैं, अगर उतने ही इस्तेमाल किए जाएं तो इससे भी काफी मदद हो सकती है।

प्रो. राम गोपाल यादव : अध्यक्ष जी, नक्सेलाइट मूवमेंट पैरा मिलिट्री फोर्सेज, पुलिस और आर्मी के बल पर दबाया नहीं जा सकता। इसका कारण क्या है, वह जानने के लिए हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। जो लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जमीन कुछ लोग बाप–दादा के समय से जोतते चले जा रहे हैं, जबकि वह नाम किसी और के है, जिससे निराश होकर वे हथियार उठाते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ऐसी घटना सामने आई। अगर दिल्ली की सरकार इतनी मदद कर दे कि हम यदि प्रस्ताव भेजते हैं कि जो जमीन जोत रहा है, वही मालिक हो जाए, इसकी वह इजाजत दे दे तो सारी समस्या ही हल हो जाए, लेकिन जाने कौन सी कानूनी पेचीदगी आ जाती है जिससे वे निराश होकर हथियार उठा लेते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह के प्रस्ताव किसी राज्य से आते हैं, जिनमें केन्द्र के सहयोग की जरूरत हो तो जमीन संबंधी मामलों के सैटलमेंट के संबंध में क्या केन्द्र सरकार मदद करेगी?

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे बहुत खेद है कि मुझे यह बात कहनी पड़ रही है। 'काश्तकारी' विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। इस संबंध में संबंधित राज्य की विधायिका को कानून बनाना होगा।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : सारी जमीन जंगलात की है और इसीलिए राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : हम क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार को 'काश्तकारी' कानून पारित करना होगा। राज्य सरकार को फालतू भूमि की घोषणा करके उस फालतू भूमि का वितरण करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : वह वन भूमि की बात कर रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : जहां तक वन भूमि का संबंध है यह मामला सरकार के समक्ष है और हम इस पर कार्यवाही करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों की संतुष्टि के लिए आज मैं केवल दो प्रश्नों की अनुमति दूंगा।

श्री हरिन पाठक : मैं आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको आभारी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सभा का सारा समय लेने का अधिकार है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री हरिन पाठक : यदि आप नाराज हैं तो मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं अपने भाग्य से नाराज हूं, यद्यपि, मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

मैं जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने 29 अक्तूबर, 2005 को विकसित किए नए तंत्र का उल्लेख किया। इसे एसओपी अर्थात स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रासिजर कहते हैं। चूंकि यह एक नया तंत्र है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि एसओपी क्या है? इस तंत्र से नक्सली गतिविधियों से कैसे निपटा जाएगा?

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा है, जब इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, तब मैं इसका ब्यौरा दूंगा क्योंकि तब हमारे पास अधिक समय होगा। अब मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को एक–दूसरे के साथ सहयोग करना होगा। उनके बलों को मिलकर कार्यवाही करनी होगी। इसका निर्णय वे ही करेंगे कि वे कहां पर कार्यवाही करेंगे। एक राज्य द्वारा दूसरे को प्रदान की गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए वे योजनाएं बनाएंगे, योजनाओं का आदान–प्रदान करेंगे और तत्पश्चात् अपनी योजनाओं में सुधार करेंगे। संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के लिए उन्होंने विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

श्री निखिल कुमार : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। परन्तु मैं आपके निर्णय को स्वीकार करूंगा और परसों चर्चा में भाग लेते समय मैं अपने सुझाव दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा आप उन्हें माननीय मंत्री महोदय को

भेज सकते हैं। तब वह उत्तर के साथ तैयार रहेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया है, उसमें राज्यवार ब्यौरा दिया हुआ है। जो नक्सेलाइट एक्टिविटीज के कारण घटनाएं हुई हैं, ऐसे कई राज्य हैं, महाराष्ट्र से लेकर उन सभी राज्यों में जितने सिविलियन्स मारे गए, लगभग उतने ही पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। जो पुलिसकर्मी मारे गए हैं, वे नक्सेलाइट गतिविधियां करने वाले जिन राज्यों के हैं, इससे उनकी मानसिकता प्रकट होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पुलिसकर्मियों के बड़ी संख्या में मारे जाने से पुलिस का भी मनोबल टूटता है और साथ-साथ वहां की जनता तथा वहां के नागरिकों का विश्वास भी पुलिस के ऊपर से उठ जाता है।

महोदय, आज महाराष्ट्र का जो नक्सलाइट एरिया है, विदर्भ के गढ़चिरौली, चन्द्रपुर और आस-पास का क्षेत्र, वहां बार-बार पुलिस पर हमले हो रहे हैं। इसलिए पुलिस का मनोबल बनाए रखने के लिए और पुलिस पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए क्या भारत सरकार की ओर से कोई विशेष योजना चलाई जाएगी?

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे खेद है। मुझे वह सब दोहराना पड़ेगा जो मैं पहले ही कह चुका हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना है कि आप दोहरा रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : आपने भी सुझाव दिया है, इस मामले पर चर्चा करते समय मैं आपको दोबारा उसका ब्यौरा दूंगा।

महोदय, हम उन्हें धनराशि, उपकरण, बख्तरबन्द वाहन और हैलीकाप्टर दे रहे हैं। हम विकास के लिए उन्हें धन दे रहे हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां पर कल से कोई अन्य अध्यक्ष होगा। मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या नक्सलवाद की सारी समस्या का समाधान किया जा सकता है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब हमने सुना है। यह मामला किसी क्षेत्र और राज्य विशेष का नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और विशेषकर झारखंड का है। नया राज्य बनने के समय तक, झारखंड राज्य में उग्रवाद नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन राज्य बनने के बाद, विकास में असमानता के कारण आज वहां तेज रफ्तार से उग्रवाद बढ़ रहा है। वहां मिलिटरी और पुलिस द्वारा आज तक उग्रवादियों को नहीं पकड़ा गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लांगो गांव की आम जनता ने करीब 20-25 उग्रवादियों को मार गिराया। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है, लेकिन आज तक उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने कोई पहल की है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इतने बड़े मामले को केवल राज्य सरकार पर न छोड़कर केन्द्र सरकार को वहां डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहिए। वहां पर खदानें और जो भी रोजगार के संसाधन थे, वे सभी बन्द हो चुके हैं। उनको सुधारने के लिए और आर्थिक रूप से आम लोगों से जोड़ने के लिए भी प्रयास होना चाहिए। इसके लिए केवल राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और केन्द्र सरकार को वहां डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : यदि सभा तथा कानून ऐसा करने की अनुमति दें तो मैं ऐसा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं?

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मैं एक विशेष प्रश्न पूछूंगा।

[हिन्दी]

महोदय, महाराष्ट्र में भण्डारा, चन्द्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया, इन चार जिलों में विशेष रूप से नक्सलाइट एक्टीविटीज हो रही हैं और उनमें कुल मारे जाने वाले लोगों में पुलिसकर्मियों की संख्या दूसरे नम्बर पर है। क्या हम यह मानें कि वहां की पुलिस सक्षम नहीं है इसलिए क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र के इन चार जिलों में पुलिस की भर्ती करते समय वहां के स्थानीय लोगों को प्राधान्य देगी? क्या इस प्रकार का कोई निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दिया जा सकता है, या दिया जाने वाला है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं उन्हें वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : दूसरी बात यह है कि इन चार जिलों के जो पुलिस आर्गेनाइजेशन्स हैं, क्या विशेष रूप से उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि पुलिसकर्मियों की ज्यादा मृत्यु न हो? क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान केन्द्र सरकार करने वाली है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार के विषय में मत पूछिए। वह राज्य सरकार के विषय में किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं?

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या पुलिसकर्मियों की विशेष ट्रेनिंग के लिए केन्द्र सरकार कोई प्रावधान करने वाली है?

[अनुवाद]

मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, यह ध्यान में लेना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र का अपना पुलिस एक्ट है और उस पुलिस एक्ट के अन्तर्गत वहां की पुलिस की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग होती है। दूसरे राज्यों में जहां कोई पुलिस एक्ट नहीं है, वहां पुलिस एक्ट, 1861 का उपयोग होता है। ये सारी चीजें वहां की सरकार को, वहां के प्रतिनिधियों को बैठकर तय करनी हैं। इसमें उनको जिस मदद की जरूरत होगी, हम देंगे। हम उनको ट्रेनिंग के लिए मदद देंगे, हथियार के लिए देंगे, नई कल्पना के लिए देंगे, इंटेलीजेंस के लिए भी उनको मदद देंगे। मगर इस सदन को, दूसरे सदन को और हम सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि इस क्षेत्र में राज्य सरकार की अनुमति के बगैर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यहां पर पूछा गया है कि हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मैं बार-बार यही उत्तर दूं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वह भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्राइमैरिली यह उनकी रिस्पांसिबिल्टी है और हम भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस विषय पर वहां चर्चा होना ज्यादा उपयुक्त होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, 30 माननीय सदस्यों के प्रश्न सूचीबद्ध किए गए। मैं उन सबको समय नहीं दे सका। आप जानते हैं कि मैं उन्हें समय क्यों नहीं दे सका।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पुलिस बलों को अधिकार

*84. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिस बलों को अधिक अधिकारों का आश्वासन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या देश में पुलिस बलों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के कारण हिरासत में हुई मौतों की बड़ी संख्या में रिपोर्ट/मामले सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अधिकारों के दुरुपयोग के ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) "पुलिस" संविधान की राज्य सूची का विषय है। अतः राज्य पुलिस बलों के अधिकारों की व्युत्पत्ति राज्य पुलिस अधिनियमों से हुई है। अधिकांश राज्यों में पुलिस अधिनियम, 1861 अभी भी प्रचलन में है। तथापि, पुलिस के कार्यकरण में अधिक जिम्मेवारी और पारदर्शिता लाने और पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए एक नए पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा 20.9.2005 को विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2002-03 से 2004-05 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित, पुलिस हिरासत में हुई मौतें निम्नानुसार हैं :

2002-03	2003-04	2004-05
183	162	136

(ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, जब कभी जांच के बाद उनका दोष सिद्ध हो जाता है, तो हिरासत में हुई मौतों में शामिल दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन सहित अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिशें की हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने के संबंध में पुलिस कार्मिकों को दिशानिर्देशों के विषय में, डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य तथा जोगीन्दर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देश राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं।

आतंकवादी घटनाएं

*85. **श्री भर्तृहरि महताब** :

श्री स्वदेश चक्रवर्ती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005 के दौरान देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं में राज्यवार कितने नागरिक और सुरक्षा बलों के कार्मिक मारे गए हैं/घायल हुए हैं;

(घ) आतंकवाद प्रभावित राज्यों से अन्य राज्यों को पलायन कर गए लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विभिन्न राज्यों को आतंकवादी गतिविधियां रोकने और पलायनकर्ताओं के पुनर्वास हेतु प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में ऐसी घटनाओं में संलिप्त कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं; और

(छ) सरकार देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर के अन्त तक आतंकवादी हिंसा की घटनाओं, जम्मू और कश्मीर में की संख्या के संदर्भ में निश्चित रूप से कमी आई है। हालांकि, उत्तर–पूर्व में आतंकवादी गतिविधियों में थोड़ी–बहुत वृद्धि हुई है, मारे गए सिविलियनों और सुरक्षा बलों की संख्या में कमी आई है। नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली हिंसा का स्तर लगभग उसी स्तर पर रहा हालांकि उसकी तीव्रता में वृद्धि हुई है। इस स्थिति को जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित राज्यों में नीचे दिए गए तुलनात्मक आंकड़ों में दर्शाया गया है।

जम्मू और कश्मीर

	2004 (31.10.2004 तक)	2005 (31.10.2005 तक)
घटनाओं की संख्या	2223	1736
मारे गए सिविलियनों की संख्या	624	490
मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या	239	170

पूर्वोत्तर

(2004 (31.10.2004) की इसी अवधि की तुलना में 2005 में 31.10.2005 तक)*

राज्य	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल
असम	343(226)	154(188)	5(14)
मेघालय	31(42)	17(12)	–(8)
त्रिपुरा	95(178)	24(57)	8(32)
अरुणाचल प्रदेश	29(36)	3(4)	1(–)
नागालैंड	164(160)	24(38)	1(–)
मिजोरम	4(2)	2(–)	–(–)
मणिपुर	292(261)	107(42)	36(28)
कुल	958(905)	315(341)	51(82)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31.10.2004 की स्थिति दर्शाते हैं।

नक्सल प्रभावित राज्य

2004 (31.10.2004) की इसी अवधि की तुलना में 2005 में 31.10.2005 तक*

राज्य	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	448(294)	163(68)	15(6)
बिहार	161(282)	52(135)	19(5)
छत्तीसगढ़	317(305)	95(57)	44(8)
झारखंड	271(327)	82(111)	21(39)
मध्य प्रदेश	16(10)	1(3)	1(–)
महाराष्ट्र	76(74)	27(7)	22(6)
उड़ीसा	38(32)	13(3)	1(4)
उत्तर प्रदेश	8(8)	1(5)	–(–)
पश्चिम बंगाल	9(7)	4(1)	1(13)

1	2	3	4
कर्नाटक	7(5)	2(1)	6(–)
केरल	–(5)	–(–)	–(–)
हरियाणा	2(–)	–(–)	–(–)
कुल	1353(1349)	440(391)	130(81)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31.10.2004 की स्थिति दर्शाते हैं।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आतंकवादी हिंसा की चार प्रमुख घटनाएं हुईं। ये हैं :

(i) थोड़े–थोड़े समय के अन्तर में 22 मई, 2005 को दिल्ली के दो अलग–अलग सिनेमाघरों में दो बम धमाके हुए जिसमें 1 व्यक्ति मारा गया तथा 72 घायल हुए। 8 आतंकवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

(ii) अयोध्या में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद परिसर में 5.7.2005 को हुए आतंकवादी हमले को सीआरपीएफ/स्थानीय पुलिस द्वारा विफल कर दिया गया। इस घटना में, 1 सिविलियन और 5 आतंकवादी मारे गए तथा 4 सुरक्षा कार्मिक और एक सिविलियन सहित 5 व्यक्ति घायल हुए। बाद में सिविलियन की मृत्यु हो गई। इस घटना में 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

(iii) 28.7.2005 को हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग (जौनपुर और सुल्तानपुर के बीच) जौनपुर सेक्शन में गाड़ी संख्या 2391 अप श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम धमाका हुआ। इस बम धमाके में 14 व्यक्ति मारे गए तथा 62 व्यक्ति घायल हुए।

(iv) 29.10.2005 को दिल्ली में, पहाड़गंज, सरोजिनी नगर मार्किट तथा ओखला बस स्टाप कालका जी के निकट, तीन बम धमाके हुए। इन बम धमाकों के फलस्वरूप 66 व्यक्ति मारे गए तथा 224 व्यक्ति घायल हुए इन धमाकों के सिलसिले में अभी तक तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा कहीं और से किसी ऐसे पलायन की रिपोर्ट नहीं मिली है। 55476 कश्मीरी प्रवासी परिवारों में 19338 परिवार दिल्ली आए तथा जम्मू और कश्मीर के 2050 प्रवासी परिवार अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात् हिमाचल प्रदेश (11), हरियाणा (924), चंडीगढ़ (114), पंजाब (374), उत्तर प्रदेश (222), उत्तरांचल (57), मध्य प्रदेश (43), तमिलनाडु (1), कर्नाटक (38), महाराष्ट्र (208) तथा राजस्थान (58) में प्रवास कर गए। जम्मू और कश्मीर जहां यह केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है, के अलावा इस संबंध में हुआ व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(च) इस समय मुख्य आतंकवादी गुट नामतः, जम्मू और कश्मीर में लश्कर–ए तैयबा (एलईटी), हिज्ब–उल–मुजाहिदीन (एचएम) तथा जैश–ए मोहम्मद (जेईएम), पूर्वोत्तर में यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी), आल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स (एटीटीएफ) तथा पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) तथा नक्सल प्रभावित राज्यों में सीपीआई (माओवादी)/तत्कालीन सीपीएमएल–पीडब्ल्यू और एमसीसीआई आतंक और हिंसा के कार्यों में संलिप्त हैं। चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर के अन्त तक, जम्मू और कश्मीर में 283 आतंकवादियों, पूर्वोत्तर राज्यों में 912 आतंकवादियों तथा नक्सल प्रभावित राज्यों में 1711 नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

(छ) सरकार की नीति आतंकवाद के खतरे से राजनैतिक, विकास और सुरक्षा फ्रंटों पर समग्र रूप से निपटने की है। आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने उपाय किए हैं जिनमें, घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को चुस्त–दुरुस्त करना, केन्द्र और राज्यों, दोनों, में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार तथा उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा आतंकवादी राष्ट्र–विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के वैश्विक आयामों को देखते हुए आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने हेतु भी कदम उठाए गए हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आरक्षण

*86. **श्री राजेन गोहेन :**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में कोई निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ ने अपने दिनांक 4 अक्तूबर, 2005 के आदेश में अन्य बातों के साथ–साथ कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अर्थ में एक अल्पसंख्यक संस्था नहीं है और उसने अखिल भारतीय स्तर पर स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में भारतीय मुसलमानों हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण करने संबंधी विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के निर्णय तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की गई "अनापत्ति" को निरस्त कर दिया है। सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर की है और मामला खंड न्यायपीठ के विचाराधीन है।

पाठ्य-पुस्तक विनियामक परिषद् की स्थापना

*87. **श्री सर्वे सत्यनारायण :**

श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतन्त्र शैक्षणिक बोर्ड/एजेंसियों द्वारा निर्धारित पाठ्य–पुस्तकों की समीक्षा करने के लिए एक पाठ्य–पुस्तक विनियामक परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जैसा कि 20 अक्तूबर, 2005 के "द हिन्दुस्तान" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समूचे देश के विद्यालयों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इस संबंध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 को हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1–10 तक के पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे को ध्यान में रखते हुए अपनी पाठ्यचर्या तैयार करें।

यद्यपि, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा से संबंधित मानदंडों का निर्धारण तथा समन्वयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है, परन्तु इन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्धारण अलग–अलग विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है।

भूकम्प पीड़ितों को राहत

*88. **श्री अजय चक्रवर्ती :**

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उत्तरी भाग में हाल ही में आए भूकम्प के कारण जान–माल की हुई हानि के सन्दर्भ में कोई सर्वेक्षण/आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दलों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे दौरों के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी रिपोर्टों के आधार पर सरकार द्वारा अब तक पीड़ितों को उपलब्ध कराई गई सहायता/राहत का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) 8 अक्तूबर, 2005 को 0920 बजे रिक्टर पैमाने पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप का केन्द्र बिन्दु पाकिस्तान में 34.6 उत्तर अक्षांतर और 73.0 पूर्व देशांतर, मुजफ्फाराबाद के 55 कि.मी. पश्चिम–उत्तर–पश्चिम में था। इस भूकंप के झटके उत्तर भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए जिनमें अन्य राज्यों के साथ–साथ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरांचल राज्य शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त अनंतिम सूचना के अनुसार 1216 व्यक्तियों की जानें गईं। इसके अतिरिक्त, बताया गया है कि रक्षा और केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों के 120 कार्मिक भी मारे गए हैं। संपत्ति को हुए नुकसान के सन्दर्भ में बताया गया है

कि 39,182 मकानों को पूरी तरह से नुकसान हुआ है और लगभग 71,078 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है।

पंजाब राज्य सरकार ने भी भूकम्प के कारण दो व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना दी है। उत्तर भारत के किसी अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र ने भूकम्प के कारण किसी व्यक्ति के मारे जाने की सूचना नहीं दी है।

(ग) से (ङ) गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने स्थिति का मौके पर और राज्य सरकार द्वारा राहत अभियानों के लिए अपेक्षित निधियों का आकलन करने हेतु 11–14 अक्तूबर, 2005 तक अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय दल जम्मू और कश्मीर भेजा था। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत अभियानों के लिए वित्तीय सहायता की राशि पर विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों के एक दल ने भी जम्मू और कश्मीर में भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और विनाशकारी भूकम्प से उत्पन्न आपदा का अपनी ओर से संज्ञान लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(i) माल के रूप में राहत का सामान वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह वांछनीय है कि राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में कई स्थानों पर केन्द्रीकृत संग्रहण और वितरण केन्द्र स्थापित करने पर विचार करे, ताकि वहां पर गैर–सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी और अन्य निजी एजेंसियों से राहत सामग्री प्राप्त की जा सके। इस प्रकार प्राप्त सामग्री को, बाद में सभी प्रभावित परिवारों में समान रूप से वितरित किया जा सकता है।

(ii) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शीत ऋतु पहले ही आरम्भ हो चुकी है, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि शीत ऋतु के कारण इन क्षेत्रों तक पहुंचने के रास्ते बन्द होने से पहले ही क्षतिग्रस्त संपत्ति की मरम्मत करने या नुकसान हुई संपत्ति का पुनर्निर्माण करने के लिए अपेक्षित भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध हो जाए। इससे संपत्ति के निर्माण/पुनर्निर्माण का कार्य यथाशीघ्र शुरू किया जा सकेगा।

(iii) चूंकि टैंटों की अपेक्षित संख्या, केन्द्र और राज्य सरकारों के पूरे प्रयासों के बावजूद प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध या तत्काल प्राप्त किए जाने वाले टैंटों की संख्या से अधिक है, यह वांछनीय है कि जहां टैंट उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं वहां उन प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या को अस्थाई आश्रय स्थल प्रदान किए जाएं ताकि उन्हें वर्षा, और ठंड से राहत मिल सके। ये अस्थाई आश्रय स्थल वहां पर उस समय तक रहेंगे जब तक क्षतिग्रस्त या नुकसान हुए मकानों का पुनर्निर्माण नहीं कर दिया जाता है। इन अस्थाई आश्रय स्थलों में स्थानीय जनसंख्या को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।

(iv) केन्द्र और राज्य सरकारें, प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व–निर्मित भवन निर्माण सामग्री से मकानों का निर्माण करने की व्यवहार्यता पर विचार करें जिससे भूकम्प से पीड़ित लोगों को स्थाई आश्रय प्रदान करने के कार्य में निश्चित रूप से तेजी आएगी।

(v) आयोग का यह अनुभव रहा है कि ऐसी सभी महाविपत्तियों में बच्चे और महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों, जो अनाथ हो गए हैं, महिलाएं, जो विधवा हो गई हैं और युवतियों की कम्प्यूटरीकृत सूची तैयार करें ताकि न केवल उन्हें पुनर्वास प्रदान किया जा सके बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि मुसीबत में पड़े होने की वजह से कोई उनका शोषण न कर सके। इस कम्प्यूटरीकृत सूची से सरकार और उन अन्य एजेंसियों को सहायता मिल सकती है जो अनाथों, विधवाओं/युवतियों के पुनर्वास के कार्य में उनकी सहायता करती हैं और

(vi) इसी प्रकार, मृत और गुमशुदा लोगों की कम्प्यूटरीकृत सूची भी तैयार की जाए ताकि उनके नजदीकी रिश्तेदार उचित राहत का दावा कर सकें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को उचित कार्रवाई हेतु जम्मू और कश्मीर सरकार को भेजा गया है।

संबंधित राज्य, सरकार आपदा आने पर सबसे पहले कार्रवाई करती है और प्राकृतिक आपदा पर आवश्यक राहत उपाय करने और जमीनी स्तर पर राहत का वितरण करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस प्रयोजनार्थ, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक आवंटित राशि के साथ प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत निधि (सीआरएफ) गठित की गई है। भारत सरकार, जहां कहीं

आवश्यक होता है, राज्य सरकार को वित्तीय और संभारकीय सहायता प्रदान कर उसके प्रयासों को पूरा करने में सहायता करती है। यदि आपदा भयंकर किस्म की है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से भी अतिरिक्त सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

भारत सरकार, सशस्त्र बलों और केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों ने तत्काल ही स्थिति के अनुसार कार्रवाई की और बचाव तथा राहत अभियानों में जम्मू और कश्मीर राज्य प्रशासन को सभी आवश्यक संभारकीय सहायता प्रदान की। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के लिए राहत सामग्री का संग्रहण और प्रेषण करने के लिए संभारकीय सहायता का समन्वय किया। जो केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग, आपात सहायता कार्य कर रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेय जल आपूर्ति, दूर संचार, महिला और बाल विकास, बिजली, नागर विमानन, रेलवे आदि मंत्रालयों/विभागों ने भी राज्य सरकार के अपने–अपने सदृश्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया और उन सभी ने अपने–अपने क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान की।

भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में वर्ष 2005–06 के लिए आपदा राहत निधि (सीआरएफ) के केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त अर्थात 32.42 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से जारी की गई 100 करोड़ रुपये की तदर्थ राशि के साथ 10 अक्तूबर, 2005 को अग्रिम में जारी किए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री ने 11 अक्तूबर, 2005 को राज्य के अपने दौरे के दौरान 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा की थी जिसमें से वित्त मंत्रालय ने सामान्य केन्द्रीय सहायता से अग्रिम/केन्द्रीय कर/शुल्कों के राज्य हिस्से की अग्रिम अदायगी के रूप में 200.28 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

राहत सामग्री के सन्दर्भ में, भारत सरकार, ने जम्मू और कश्मीर, राज्य सरकार को कई राहत मदें अर्थात टैंट, तारपोलीन शीटें, स्लीपिंग बैग, गद्दे, कंबल, गर्म कपड़े, दवाइयां, पेय जल आदि उपलब्ध कराए हैं।

प्रभावित व्यक्तियों को शीत ऋतु शुरू होने से पहले आश्रय प्रदान करने की प्रक्रिया को सुकर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने टैंट प्रदान करने के अतिरिक्त, प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 1.00 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है ताकि वे अपने मकानों का स्वयं निर्माण कर सकें। उक्त राशि का 40 प्रतिशत अर्थात 40,000 रुपये की पहली किस्त को ऐसे लाभार्थी परिवार में 19.10.2005 से वितरण शुरू कर दिया गया था। राज्य सरकार ने उन परिवारों, जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, के लिए 22000 अस्थाई आश्रय इकाइयों के निर्माण का भी निर्णय लिया है। इन बेसहारा परिवारों के लिए कुछ आश्रय स्थलों का निर्माण, राज्य सरकार और भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाएगा जबकि अन्यों का निर्माण प्रभावित परिवारों द्वारा किया जाएगा। इस निर्माण कार्य को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रति परिवार 30,000 रुपये प्रदान किए हैं और उन परिवारों को 5,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है जो 30 नवम्बर, 2005 से पहले अपने अस्थाई आश्रय स्थलों का निर्माण कर लेते हैं। भारत सरकार ने इस अस्थाई आश्रय इकाइयों का निर्माण करने के लिए सीजीआई की 8000 एमटी शीटें प्राप्त करके राज्य सरकार को दे दीं।

केन्द्रीय शहरी मंत्रालय ने 130 स्थानों (अर्थात उरी–66, तंगधार–38 और पुंछ–26) में 130 सामुदायिक हालों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। इन सामुदायिक हालों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है।

भारत सरकार की कई एजेंसियों ने राहत प्रदान करने और पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 22 गांव अपनाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, आश्रयों का निर्माण करना और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है ताकि वे अपनी अल्पावधिक और दीर्घावधिक जरूरतों को पूरा कर सकें। भारतीय जैन संघ (बीजेएस), पुणे जैसे गैर–सरकारी संगठनों ने उरी और तंगधार में निर्माण के लिए 870 पूर्व निर्मित ढांचे दान किए हैं जबकि सीड्स, एक अन्य गैर–सरकारी संगठन ने भूकम्प प्रभावित लोगों के लिए पुंछ में 400 मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है।

विश्व व्यापार संगठन की हांगकांग मंत्रीस्तरीय बैठक

*89. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री पी. सी. थामस :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार दिसम्बर, 2005 में हांगकांग में होने वाले विश्व व्यापार संगठन की मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग लेने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक की कार्य–सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने व्यापार संबंधी मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सहमति के लिए जनता के विभिन्न वर्गों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैठक में भारतीय कृषि के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रीस्तरीय सम्मेलन की कार्यसूची में कृषि सेवाओं, गैर–कृषि (औद्योगिक वस्तुएं) बाजार पहुंच, व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार, व्यापार और पर्यावरण, व्यापार सुविधा और दोहा मंत्रीस्तरीय अधिदेश में शामिल किए गए अन्य मुद्दों पर वार्ताएं शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने समय–समय पर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों, राजनैतिक दलों, कृषकों के संघों, अन्य गैर–सरकारी निकायों, उद्योग और व्यापार निकायों के प्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और अनुसंधान संस्थानों और कृषि, सेवाओं, एनएएमए, पर्यावरण, व्यापार सुविधा आदि के विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार–विमर्श किए हैं। सरकार ने पणधारकों के अनेक सम्मेलन भी प्रायोजित किए हैं। चल रही वार्ताओं में भारत की स्थिति इन विचार–विमर्शों के आधार पर तैयार की जा रही है।

(ङ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कृषि के संबंध में चल रही वार्ताओं में भारत की कृषि के हितों की सुरक्षा करने के लिए जी–20, जिसका भारत एक सदस्य है, ने एक विश्वसनीय अन्तिम तारीख तक सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियां समाप्त करने और विकसित देशों द्वारा मुख्यतः अपने कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की व्यापार विकृतिकारी सहायता में पर्याप्त कमी करने की मांग की है। इसी के साथ भारत ने विशेष उत्पादों से संबंधित जी–20 और जी–33 गठबंधन और नए विशेष रक्षोपाय तंत्र के जरिए विकासशील देशों द्वारा प्रदान की जा रही न्यूनतम सहायता जिसमें जीविका और संसाधनहीन किसानों को ऐसी सभी सहायता का आवंटन शामिल है, में कमी करने से छूट प्राप्त करने की मांग की है। बाजार पहुंच के संबंध में जी:20 ने यह प्रस्ताव किया है कि विकासशील देशों द्वारा टैरिफ में कमी करने की वचनबद्धताएं विकसित देशों की वचनबद्धताओं के दो–तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए और वार्ता के सभी पहलुओं में विकासशील देशों के लिए अभिन्न, विशेष और अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास आवश्यकताओं की रक्षा करने के लिए जी–33 ने उन उत्पादों के संबंध में जिन्हें विशेष उत्पादों के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिक लचीला टैरिफ कटौती व्यवहार और मात्रा आधारित आयात वृद्धियों की कीमतों में गिरावट होने पर अतिरिक्त शुल्कों का सहारा लेने का प्रस्ताव किया है।

बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा

*90. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विद्यालयों को इकलौती बालिका सन्तानों की फीस माफ करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संभावित लाभ क्या हैं;

(ग) इकलौती बालिका सन्तानों को ही यह लाभ देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे लाभ उच्च शिक्षा के लिए भी प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिनांक 18.10.2005 के अपने परिपत्र के जरिए सभी राजकीय तथा सम्बद्ध विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे उन प्रत्येक बालिका को, जो अपने माता–पिता की "एकमात्र सन्तान" हैं, कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्कों (भोजन तथा परिवहन शुल्क को छोड़कर ट्यूशन शुल्क तथा किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत कोई अन्य शुल्क) को तत्काल प्रभाव से अथवा अगले शैक्षिक सत्र से समाप्त कर दे। बोर्ड के सम्बद्धन उप–नियमों में भी तदनुसार संशोधन किया गया है। उम्मीद की जाती है कि इस स्कीम के लागू होने से सामान्य तौर पर बालिकाओं तथा विशेषतः एकमात्र बालिका संतान की स्थिति में सुधार होगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(एफ) तथा 12(बी) के तहत शामिल विषयों में मास्टर्स डिग्री का अध्ययन करने वाली उन

बालिकाओं, जो अपने माता–पिता की एकमात्र संतान है, से किसी प्रकार का कोई शुल्क न लिया जाए।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अन्तर्गत धनराशि जारी करना

*91. **श्री धावरचन्द गेहलोत :**

श्री अशोक अर्गल :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में किन–किन राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) में उनकी जमा धनराशि से अधिक धनराशि जारी की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 2004–05 में किन–किन राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि की कम धनराशि जारी की गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में भी सीआरएफ योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनमें से स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) शेष प्रस्तावों को अस्वीकृत किए जाने/लंबित रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(च) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) में उनकी जमा धनराशि से अधिक धनराशि जारी की गई, उनके नाम इस प्रकार हैं :

वर्ष	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिन्हें उनकी जमा धनराशि से अधिक धनराशि जारी की गई
1	2
2002–03	आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और चंडीगढ़
2003–04	उड़ीसा
2004–05	कोई नहीं
2005–06	31.10.2005 की स्थिति के अनुसार कोई नहीं

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 2004–05 में जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सड़क निधि से उनकी जमा धनराशि से कम धनराशि जारी की गई वे हैं–आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली और पांडिचेरी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सड़क निधि से कम धनराशि जारी किए जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(i) संबंधित राज्यों द्वारा कार्यों का धीमी गति से कार्यान्वयन।

(ii) 2004–05 में राज्यीय सड़कों के लिए कुल उपलब्ध धनराशि पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उपलब्ध धनराशि से कम थी।

(iii) देश में और कुछ राज्यों में वर्ष 2004–05 में आम चुनाव जिससे नई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रभावित हुई।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान क्रमशः सीआरएफ के अन्तर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I तथा II में दिए गए हैं।

(ङ) स्वीकृति की उपलब्ध मात्रा, जारी की गई धनराशि का उपयोग न किया जाना/उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाना, निर्धारित दिशा–निर्देशों को पूरा न करने वाले प्रस्ताव और राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शित निम्न प्राथमिकता कुछ राज्यों के शेष प्रस्तावों के लंबित होने/अस्वीकृत किए जाने के मुख्य कारण हैं।

(च) सीआरएफ प्रस्तावों का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। यह अनुमोदन निर्धारित दिशा–निर्देशों को पूरा करने, धनराशि के उपयोग और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करता है।

विवरण-I

वर्ष 2002–03 और 2003–04 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सीआरएफ के अन्तर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002–03 प्रस्तावों के ब्यौरे				2003–04 प्रस्तावों के ब्यौरे			
		प्राप्त		अनुमोदित		प्राप्त		अनुमोदित	
		संख्या	राशि (करोड़ रु.)	संख्या	राशि (करोड़ रु.)	संख्या	राशि (करोड़ रु.)	संख्या	राशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0	0.00	90	211.77	90	211.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	25.07	11	25.07	4	15.46	4	15.46
3.	असम	15	33.77	15	33.77	10	14.56	10	14.56
4.	बिहार	49	398.00	14	78.38	34	388.45	3	17.70
5.	छत्तीसगढ़	14	69.15	1	8.75	5	13.90	5	28.94
6.	गोवा	0	0.00	0	0.00	2	7.01	0	0.00
7.	गुजरात	116	82.86	116	82.86	95	96.51	95	96.51
8.	हरियाणा	6	57.44	6	30.83	7	42.31	7	42.31
9.	हिमाचल प्रदेश	6	9.88	4	8.62	15	29.66	8	14.51
10.	जम्मू और कश्मीर	3	4.60	0	0.00	16	38.00	12	31.40
11.	झारखंड	0	0.00	0	0.00	2	22.23	2	22.23
12.	कर्नाटक	77	52.35	62	39.85	187	143.00	129	94.36
13.	केरल	2	16.18	2	16.18	8	45.15	8	45.15
14.	मध्य प्रदेश	15	45.87	4	11.01	37	180.96	26	138.92
15.	महाराष्ट्र	36	70.52	49	79.12	59	130.17	89	158.20
16.	मणिपुर	5	10.07	2	4.11	3	12.46	1	3.99
17.	मेघालय	5	9.32	5	9.32	3	7.87	3	7.87
18.	मिजोरम	2	7.66	2	7.66	0	0.00	0	0.00
19.	नागालैंड	1	2.44	1	2.44	4	9.65	4	9.65
20.	उड़ीसा	123	140.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब	19	57.49	1	3.93	35	86.07	0	0.00
22.	राजस्थान	82	110.83	82	110.83	62	96.26	62	96.26
23.	सिक्किम	1	3.66	1	3.66	1	1.12	1	1.12
24.	तमिलनाडु	77	70.43	77	70.43	113	82.00	113	82.00
25.	त्रिपुरा	2	3.56	2	3.56	2	6.12	2	6.12
26.	उत्तरांचल	15	79.36	2	6.50	31	95.12	26	47.27
27.	उत्तर प्रदेश	64	468.74	10	29.98	0	0.00	15	118.41
28.	पश्चिम बंगाल	10	118.56	0	0.00	3	38.69	3	35.81
	उप जोड़	756	1948.02	469	665.86	828	1814.50	718	1340.52
	संघ राज्य क्षेत्र								
29.	अंडमान और निकोबार	1	2.43	1	2.43	1	5.15	1	5.15
30.	चंडीगढ़	2	4.61	2	4.61	2	1.99	2	1.99
31.	दादरा व नगर हवेली	1	0.38	1	0.38	0	0.00	0	0.00
32.	दमन व दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33.	दिल्ली	3	8.94	3	8.94	37	85.80	33	52.37
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35.	पांडिचेरी	0	0.00	0	0.00	1	1.27	1	1.27
	उप जोड़	7	16.36	7	16.36	41	94.21	37	60.78
	कुल जोड़	763	1964.38	476	682.22	869	1908.71	755	1401.3

विवरण-II

वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सीआरएफ के अन्तर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004–05 प्रस्तावों के ब्यौरे				2005–06 प्रस्तावों के ब्यौरे			
		प्राप्त		अनुमोदित		प्राप्त		अनुमोदित	
		संख्या	राशि (करोड़ रु.)	संख्या	राशि (करोड़ रु.)	संख्या	राशि (करोड़ रु.)	संख्या	राशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11	11.22	11	11.22	66	171.37	66	171.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	16.22	4	16.22	12	39.34	0	0.00
3.	असम	12	40.58	12	40.58	9	28.08	1	3.55
4.	बिहार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	2	33.56	2	21.25	6	47.66	0	0.00
6.	गोवा	0	0.00	1	2.14	1	2.05	0	0.00
7.	गुजरात	15	23.26	15	23.26	80	138.31	80	137.99
8.	हरियाणा	8	49.40	8	49.40	11	101.05	6	45.75
9.	हिमाचल प्रदेश	2	4.80	5	7.77	4	20.77	8	25.71
10.	जम्मू और कश्मीर	29	142.79	2	27.00	11	94.90	8	51.43
11.	झारखंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12.	कर्नाटक	241	145.98	241	145.98	57	41.40	57	41.40
13.	केरल	3	10.21	3	10.21	14	74.46	11	63.70
14.	मध्य प्रदेश	29	219.06	4	8.52	29	150.53	15	54.60
15.	महाराष्ट्र	47	125.58	39	71.39	106	295.93	44	108.59
16.	मणिपुर	1	3.47	1	3.47	3	9.12	1	2.96
17.	मेघालय	1	4.60	1	4.60	13	50.74	1	3.60
18.	मिजोरम	1	0.51	1	0.51	0	0.00	0	0.00
19.	नागालैंड	2	8.14	2	8.14	2	8.06	1	3.60
20.	उड़ीसा	34	73.21	10	31.30	35	115.79	11	53.60
21.	पंजाब	9	31.83	12	34.76	13	65.15	5	11.83
22.	राजस्थान	45	64.08	45	64.08	112	143.40	112	143.40
23.	सिक्किम	3	4.24	3	4.24	0	0.00	0	0.00
24.	तमिलनाडु	107	140.62	107	140.62	266	529.64	1	2.22
25.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	1	2.06	0	0.00
26.	उत्तरांचल	7	23.35	1	6.00	3	23.75	0	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	45	440.07	23	234.81	14	153.50	20	202.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिम बंगाल	3	95.67	3	36.83	9	137.81	9	137.81
	उप जोड़	661	1712.45	556	1004.30	877	2444.87	457	1265.45
	संघ राज्य क्षेत्र								
29.	दिल्ली	1	1.60	1	1.60	8	15.87	0	0.00
30.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31.	पांडिचेरी	1	2.57	1	2.57	1	2.88	1	2.88
	उप जोड़	2	4.17	2	4.17	9	18.75	1	2.88
	कुल जोड़	663	1716.62	558	1008.47	886	2463.62	458	1266.33

[अनुवाद]

गोदियों और पत्तनों पर भीड़-भाड़

*92. **श्री जुएल ओराम :**

श्री मोहन रावले :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय डाक और पत्तन अत्यधिक भीड़-भाड़ के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भीड़-भाड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार द्वारा किसी राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में पत्तनों और गोदियों से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं;

(च) उक्त विकास कार्यक्रम कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(छ) राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु निवेश के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) अत्यधिक भीड़-भाड़ के कारण किसी भी प्रमुख पत्तन द्वारा किसी समस्या का सामना नहीं किया जा रहा है। फिर भी, जलयानों के समूहन (उनकी बंचिंग) अथवा प्रतिकूल मौसम आदि जैसी समस्याओं के कारण कभी-कभार जलयानों को घाट पर लगाए जाने में देर हो जाती है। कभी-कभी जहाजी माल की निकासी में बाधाओं के परिणामस्वरूप भी भीड़-भाड़ हो जाती है।

(ग) समग्र रूप से, महापत्तन, समुद्र के रास्ते जाने वाला यातायात संभालने की दृष्टि से उपस्करों से भली-भांति सम्पन्न हैं। फिर भी, समुद्री व्यापार की मांगों को ध्यान में रखते हुए, क्षमता में वृद्धि किया जाना एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बड़े जलयानों को घाट पर लगाया जाना सुकर बनाए जाने की दृष्टि से, जलमार्गों का गहरा किया जाना, नए तटों का निर्माण किया जाना, मौजूदा घाटों का उन्नयन/विस्तार किया जाना, जहाजी माल संभालने के उपस्करों का आधुनिकीकरण किया जाना, भंडारण-क्षमता में सुधार, पत्तन-क्षेत्र के भीतर जहाजी माल के किसी भी रुकावट के बिना संचलन के लिए आंतरिक संचरण का उन्नयन और पश्चभूमि के रेल और सड़क से संपर्क में सुधार जैसे कदम उठाए जाते हैं।

(घ) से (छ) सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम तैयार करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें, वर्ष 2011 से वर्ष 2012 तक की अवधि में शुरू की जाने वाली विनिर्दिष्ट योजनाएं और परियोजनाएं शामिल की जाएंगी। उपर्युक्त प्रस्तावित कार्यक्रम में कुल 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने का अनुमान है, जिसमें से पत्तन-क्षेत्र में लगभग 60,000 करोड़ रुपये तक का निवेश किए जाने की प्रत्याशा है। उपर्युक्त कार्यक्रम, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक निवेश, बुनियादी रूप से सामान्य प्रयोक्ता से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं सृजित करने पर किए जाने की योजना बनाई गई है। निजी निवेश उन क्षेत्रों में किए जाने की प्रत्याशा है, जिनमें बुनियादी रूप से वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य–कलाप संचालित किए जाते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

*93. **श्री एम. शिवन्ना :**
श्री संतोष गंगवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत चार महीनों के दौरान आज तक दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, विशेषकर बलात्कार के कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) इन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) हाल के वर्षों में दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुछ शीर्षों, विशेषकर बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई है। 2003, 2004 और 2005 में बलात्कार के मामलों से संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि 97 प्रतिशत से अधिक मामलों में पड़ोसी, परिवार के सदस्य, गहरे दोस्त, रिश्तेदार और अन्य जान–पहचान वाले व्यक्ति बलात्कार में शामिल थे। 1 जुलाई से 15 नवम्बर, 2005 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में सूचित महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराध, इन मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके विरुद्ध मामलों की स्थिति नीचे दी गई है :

(i)	1 जुलाई से 15 नवम्बर, 2005 तक की अवधि के दौरान महिलाओं के विरुद्ध सूचित अपराध के मामलों की संख्या	2120 (234 बलात्कार के मामलों सहित)
(ii)	उपर्युक्त मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	2495
(iii)	चालान किए गए व्यक्तियों की संख्या	1307
(iv)	दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	358
(v)	दोषमुक्त व्यक्तियों की संख्या	4
(vi)	अभियोजनाधीन व्यक्तियों की संख्या	945
(vii)	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध जांच लम्बित है।	1188

असम में हिंसा

*94. **श्री गुरूदास दासगुप्त :**
श्री मोहन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से असम से जनजातीय लोगों की हत्या के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं में किन लोगों को लिप्त पाया गया है;

(घ) ऐसी घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए और इनमें हुए संपत्ति के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रभावित व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) असम सरकार से, कर्बी एंगलांग जिले में दो विभिन्न जनजातियों नामतः कर्बी और दिमासा के बीच हिंसा की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ग) संदेह है कि हिंसा की गतिविधियां भड़काने में जनजाति विशेषकर उग्रवादी ग्रुपों का हाथ है।

(घ) अभी तक 92 व्यक्तियों की जानें गई हैं और 2000 से ज्यादा मकान नष्ट किए गए हैं।

(ङ) राज्य सरकार ने पुनर्वास संबंधी उपाय किए हैं जिनमें पीड़ित के निकटतम संबंधी को अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में 3 लाख रुपये मंजूर करना; प्रभावित परिवारों को मुफ्त राहत प्रदान करना; और मकानों के निर्माण हेतु पुनर्वास सहायता शामिल हैं। केन्द्र सरकार निर्धारित स्केल पर राज्य सरकार को व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(च) सरकार द्वारा स्थिति का गहराई से प्रबोधन किया जा

रहा है। हिंसा को नियंत्रित करने हेतु कर्बी एंगलांग जिले में अतिरिक्त केन्द्रीय पुलिस बलों और राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। राज्य सरकार को अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों की स्थापना करके क्षेत्र में पुलिस को सुदृढ़ करने तथा जिले में सड़क नेटवर्क में वृद्धि करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार को, उग्रवादी गुटों के साथ हस्ताक्षरित संघर्ष–विराम संबंधी नियमों को केन्द्रीय पुलिस बलों के सहयोग से कड़ाई से लागू करने की भी सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

संयुक्त प्रवेश परीक्षा में संशोधन

*95. **श्री अशोक कुमार रावत :**

श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकृति दी है या वह स्वीकृति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए नियमों के अन्तर्गत अपात्र होने वाले छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक योजना शुरू होने जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्वायत्त निकाय हैं तथा वे शैक्षिक मामले में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने उद्देश्य में इस स्वायत्तता का उपयोग करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सुधार हेतु एक विशेष कार्य बल गठित किया था। विशेष कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की स्थायी समिति ने, परिषद के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के मानकों में परिवर्तन कर दिया है। संशोधित मानकों के अनुसार, केवल वे विद्यार्थी ही, जो बारहवीं में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वर्ष 2006 से किसी भी छात्र या छात्रा को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने के केवल दो ही अवसर दिए जाएंगे। पहला अवसर 12वीं स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष में तथा/अथवा दूसरा अनुवर्ती वर्ष में दिए जाएंगे। वे अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हता परीक्षा वर्ष 2005 अथवा उससे पहले उत्तीर्ण की हो, को वर्ष 2006 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर प्रदान किया जाएगा चाहे उन्होंने बारहवीं में कितने भी अंक प्राप्त किए हों अथवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पहले कितनी ही बार बैठ चुके हों बशर्ते कि वे निर्धारित उम्र सीमा से बाहर न हों। वे अभ्यर्थी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईटी–बीएचयू, वाराणसी तथा आईएसएम, धनबाद में प्रवेश ले लेते हैं, उन्हें भविष्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन संशोधनों ने स्क्रीनिंग टेस्ट को समाप्त करते हुए तथा बोर्ड के परिणामों के अपेक्षित महत्व प्रदान करते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा को सरल बना दिया है। इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होने की संभावना है तथा कोचिंग संस्थानों के प्रचुरोद्भाव पर रोक लगेगी।

[अनुवाद]

भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार

*96. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**

श्री शिशुपाल पटले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के 25 सदस्य देशों के बीच हुए व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूरोपीय संघ देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें जिस एजेंडे पर चर्चा हुई उसका ब्यौरा क्या है और इससे व्यापार में किस प्रकार के सुधार आने की आशा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 2005–06 के पहले चार महीनों के दौरान भारत के यूरोपीय संघ

को निर्यात 6.49 बिलियन अम. डा. के थे और यूरोपीय संघ से भारत को आयात 6.92 बिलियन अम. डा. के हुए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2005–06 के पहले चार महीनों के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले व्यापार में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग का 15वां सत्र वाणिज्य सचिव और उप महानिदेशक, विदेश संबंध महानिदेशालय, यूरोपीय आयोग की सह–अध्यक्षता में नई दिल्ली में 24–25 अक्तूबर, 2005 को आयोजित किया गया था।

बैठक की कार्यसूची में भारत यूरोपीय आयोग, व्यापार संबंधी उप–आयोगों की रिपोर्टें, आर्थिक सहयोग और विकास सहयोग, कृषि और समुद्री उत्पादों के क्षेत्रों में संयुक्त कार्यदल, सीमाशुल्क सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस्पात और सूचना सोसायटी तथा 7 सितम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित छठे भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में पारित संयुक्त कार्ययोजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे आदि शामिल थे।

भारत और यूरोपीय संघ सहित इसके व्यापारिक भागीदारों के बीच व्यापार में सुधार करना एक सतत प्रयास है। पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार में वृद्धि की औसत दर लगभग 20 प्रतिशत रही है।

बांग्लादेश से घुसपैठ

*97. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :**

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में घुसपैठियों/अवैध अप्रवासियों ने देश में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों से घुसपैठ कर रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितने घुसपैठिए/अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया;

(घ) क्या ऐसे घुसपैठिए/अवैध अप्रवासियों को देश में वोट डालने और राशन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को घुसपैठियों के प्रवेश से संबंधित रिपोर्टें की हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को देश से वापस भेजने के लिए कोई निर्देश दिए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) देश में अवैध अप्रवासियों/घुसपैठियों की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (च) सरकार अवैध प्रवासियों/भारत में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ से अवगत है। तथापि, ये गतिविधियां गुप्त रूप से होती हैं इसलिए भारत में होने वाली इस अवैध घुसपैठ की संख्या के संबंध में कोई विशेष ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2002 से भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ–साथ सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	पश्चिम बंगाल	असम	मेघालय	त्रिपुरा	मिजोरम	कुल
2002	5959	32	145	406	91	6633
2003	7621	18	242	721	33	8635
2004	9217	20	538	1160	70	11005
2005 (31 अक्तूबर तक)	5887	15	566	852	111	7431
कुल	28684	85	1491	3139	305	33704

घुसपैठियों/अवैध प्रवासी न तो वोट देने का अधिकार रखते हैं और न ही वे देश में राशन कार्ड के पात्र हैं। जब कभी भी राज्य सरकारों या किसी अन्य एजेंसी द्वारा केन्द्रीय सरकार को घुसपैठ के बारे में सूचित किया जाता है तब सरकार सीमा सुरक्षा बल को सीमा के साथ विशेष रूप से सुभेद्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से निगरानी रखने तथा गश्त लगाने का निदेश देती है। राज्य सरकारों को अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ रोकने हेतु उचित उपाय करने के भी अधिकार दिए गए हैं।

(छ) और (ज) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैसर्स चेतन दत्त बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से अवैध बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने और उन्हें वापिस उनके देश भेजने का निदेश दिया।

(झ) अवैध प्रवासियों को रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- पूरी भारत–बांग्लोदश सीमा के साथ–साथ गश्त, नाकाबंदी और प्रेक्षण चौकियां तैनात करके सीमा की चौबीसों घंटे निगरानी करना;
- आसूचना तंत्र का उन्नयन करना;
- विशेष अभियान चलाना;
- नाईट विजन डिवाईसिज सहित निगरानी संबंधी आधुनिक उपकरणों की शुरूआत करना;
- सीमा पर बाड़ लगाना और सड़कों का निर्माण करना; तथा नावों और जलयानों की तैनाती करके नदी तटीय भागों में गश्त लगाना।

अल्पसंख्यकों पर हमला

*98. **श्रीमती सी. एस. सुजाता :**

श्री जोवाकिम बखला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन घटनाओं की जानकारी है जिनमें अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों पर हमले हुए;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर केरल में, अल्पसंख्यकों पर हमलों की राज्यवार कितनी घटनाएं हुईं;

(ग) ऐसी घटनाओं में इस समुदाय के कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए और इनकी कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई;

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसी घटनाओं को रोकने और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों अर्थात 2002, 2003 और 2004 के दौरान ऐसी घटनाओं की संख्या और मारे गए व्यक्तियों और जख्मी व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच–पड़ताल तथा मुकदमा चलाना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। अतः नष्ट/क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति, प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों इत्यादि के संबंध में ब्यौरे भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं और वे तुरन्त सुलभ नहीं हैं। प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भिन्न–भिन्न राज्य सरकारें अपने–अपने मानदंड निर्धारित करती हैं।

देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु स्थापित विभिन्न संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के साथ–साथ अनेक संस्थागत तंत्रों के अलावा, संघ सरकार ने भी इस संबंध में कई प्रशासनिक उपाय और बढ़ावा देने संबंधी प्रयास किए हैं। इनमें, देश में सांप्रदायिक स्थिति की निरन्तर समीक्षा करना, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रभाव डालने वाले संगठनों की गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखना, सूचना का आदान–प्रदान करना, संबंधित राज्य सरकार(रों) के विशेष अनुरोध पर राज्यों को केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बल भेजना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता करना इत्यादि शामिल हैं। संघ सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने हेतु व्यापक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में, सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम के संबंध में उठाए जाने वाले कदम, पीड़ितों के लिए राहत/पुनर्वास हेतु प्रावधान, सांप्रदायिक तनाव दूर करने में शांति

समिति संबंधी तंत्रों का प्रभावकारी ढंग से इस्तेमाल करना, प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य हालात की बहाली करना इत्यादि शामिल हैं। बढ़ावा देने संबंधी प्रयासों में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों में कार्यरत संगठनों को अनुदान प्रदान करना, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द संबंधी पुरस्कार और कबीर पुरस्कार प्रदान करना तथा कौमी एकता सप्ताह मनाना शामिल हैं। सरकार के राष्ट्रीय सांझे न्यूनतम कार्यक्रम में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक कानून अधिनियम बनाने पर भी विचार किया गया है।

विवरण

वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान सांप्रदायिक घटनाओं तथा उसमें मारे गए/जख्मी व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	2002 में			2003 में			2004 में		
	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	16	3	20	18	8	71	13	1	54
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	2	0	0	2	2	0	2	0	1
बिहार	50	22	72	63	32	144	43	24	108
चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	4	1	2	1	0	0
दिल्ली	5	0	23	3	1	11	3	0	9
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	1	0	0	0	0	0
गुजरात	135	977	2378	133	20	392	93	15	218
हरियाणा	2	0	4	1	0	0	1	0	0
हिमाचल प्रदेश	2	0	0	1	0	7	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	0	0	1	0	12	0	0	0
झारखंड	14	6	69	14	10	41	16	3	52
कर्नाटक	103	13	331	64	9	260	72	7	274
केरल	16	6	48	32	11	71	25	2	59
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	39	10	59	56	18	142	94	19	322
महाराष्ट्र	95	42	752	125	12	578	109	17	352
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	36	3	75	26	4	73	17	1	35
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1	0	0	1	0	0	1	0	4
राजस्थान	61	11	253	34	9	62	32	4	105
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	42	5	54	22	3	30	15	0	31
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरांचल	1	0	5	7	4	4	1	0	0
उत्तर प्रदेश	85	29	176	91	47	331	127	40	426
पश्चिम बंगाल	14	3	56	12	2	30	11	1	82
कुल	722	1130	4375	711	193	2261	677	134	2132

स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा

*99. **श्री निखिल कुमार :**

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के स्तर में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में ऐसे स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गिरावट के सही कारणों का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में 115 करोड़ रुपये के परिव्यय की एक संशोधित योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों का विषय है तथा स्कूल

शिक्षा की गुणवत्ता भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग है। तथापि, ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षा-स्तर में काफी गिरावट आई है। निजी प्रबंधन द्वारा संचालित स्कूलों की अपेक्षा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में वर्ष 2004 तथा 2005 में उत्तीर्णता की प्रतिशतता काफी अधिक रही।

(घ) से (च) "स्कूलों में गुणवत्ता सुधार" नामक एक समेकित योजना हाल ही में अनुमोदित की गई है जिसमें निम्नलिखित मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है :

(i) स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार;

(ii) स्कूल शिक्षा का पर्यावरणीय प्रबोधन;

(iii) राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना;

(iv) स्कूलों में योग शिक्षा का आरम्भ;

(v) गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा सूचना विज्ञान में अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड।

10वीं योजना अवधि के लिए उक्त समेकित योजना के लिए 115 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी) के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति

*100. **श्री अरुण कुमार शर्मा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी) की प्रगति से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 38 से आगे स्टीलवेल रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 153) पर किए गए सुधार और इसे पूरा करने के लिए वार्षिक आवंटन, निष्पादनकारी एजेंसी और निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मंत्रालय म्यांमार से होकर चीन तक की सड़क को पुनः खोलने के लिए चीन और भारत द्वारा कराए जा रहे संयुक्त सर्वेक्षण से जुड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी) के चरण 'क' के कार्यान्वयन और चरण 'ख' के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु 22.9.2005 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कार्यक्रम के चरण 'क' के अन्तर्गत 46.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1310 कि.मी. सड़कें कवर की गई हैं। कार्यक्रम के चरण 'ख' के अन्तर्गत 5920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5122 कि.मी. लंबी सड़कों का सुधार किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसियों से उक्त कार्यक्रम के चरण 'क' कार्यान्वयन और चरण 'ख' के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इस कार्यक्रम के चरण 'ग' को सरकार द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

(ग) और (घ) रा.रा. 52 के 345 से 360 कि.मी. और 365 से 382 कि.मी. के सुधार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें हाल ही में प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

(ङ) गत चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 153 (स्टिलवैल रोड) के सुधार, असम में इसकी संपूर्ण 24 कि.मी. लम्बाई में 7.85 करोड़ रुपये के दो सुधार कार्य और अरुणाचल प्रदेश में इसकी सम्पूर्ण 32.5 कि.मी. लम्बाई में 20.63 करोड़ रुपये के चार सुधार कार्य स्वीकृत किए गए हैं। असम लोक निर्माण विभाग द्वारा असम भाग में ये कार्य पहले ही पूरे कर लिए गए हैं और अरुणाचल लोक निर्माण विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इन कार्यों को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। धनराशि राज्यवार आवंटित की जाती है न कि राष्ट्रीय राजमार्गवार। इसके अतिरिक्त, असम में सम्पूर्ण रा.रा. 153 को चौड़ा करके पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' में शामिल किया गया है जिसका कार्यान्वयन असम लोक निर्माण द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के चरण 'क' को मार्च, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास

*101. **श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या शेष देश की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल इत्यादि जैसी अवसंरचनाएं अपर्याप्त तथा घटिया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना विकास की गति को तेज करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में त्वरित गति से सामाजिक–आर्थिक विकास करने की इच्छुक है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. खिन्डिया) : (क) से (च) चूंकि जनजातीय क्षेत्र सामान्यतः दूरस्थ, अगम्य होते हैं और पहाड़ी और कठिन भूभाग इनकी विशेषज्ञता होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में सड़क, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल आदि जैसी अवसंरचना देशभर के बाकी क्षेत्रों की तुलना में समान नहीं होती।

जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, पुल, सिंचाई, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि जैसे अवसंरचना में महत्वपूर्ण अन्तर को दूर करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करती हैं। वर्ष 2000–01 से अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पता लगाए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अब राज्यों को अनुदान दिए जा रहे हैं। विकास की गति को बढ़ाने के लिए वर्ष 2002 में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सिंचाई, सड़क, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार सहयोजन के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए भारत निर्माण शुरू किया है और उसमें जनजातीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

भारत सरकार आय/रोजगार पैदा करने और उसकी अवसंरचनात्मक प्रासंगिकता के लिए जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के अधीन और देशभर में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों के त्वरित सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए जनजातीय क्षेत्रों की अवसंरचना में महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन भी राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करती है।

चमड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

856. श्री समत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि जारी करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) 10वीं योजना अवधि (वर्ष 2002–2007) के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली योजनागत स्कीम "चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस)" 3 नवम्बर, 2005 से लागू कर दी गई है। चमड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु यह एक व्यापक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 30 प्रतिशत तक एवं दूसरे एककों (गैर लघु इकाइयों) के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 20 प्रतिशत तक अलग–अलग एककों को 50 लाख की सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है न कि राज्य सरकारों को।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

महिलाओं की स्वतन्त्र पहचान

857. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में महिलाएं परिवार और समाज में स्वतन्त्र पहचान नहीं पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सभी मंत्रालयों और विभागों ने सभी प्रमाणपत्रों और सरकारी दस्तावेजों में माता का नाम शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) सरकार महिलाओं की परिवार एवं समाज में स्वतन्त्र पहचान की जरूरत से अवगत है। समाज में महिलाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए महिलाओं के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

(ग) और (घ) 18 अगस्त, 2005 को श्री के. रामा मोहन राव, सांसद द्वारा राज्य सभा में उठाए गए तात्कालिक सार्वजनिक महत्व (विशेष उल्लेख) के मामले के अनुसरण में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनके कार्यक्षेत्रों में आने वाले सभी प्रमाण–पत्रो तथा अन्य दस्तावेजों में मां का नाम शामिल करने के लिए उपयुक्त सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग को अब तक प्राप्त प्रत्युत्तरों से पता चला है कि उठाए गए मामले को उनके द्वारा उपयुक्त कार्रवाई हेतु व्यापक रूप से परिचालित किया जा रहा है।

उम्र कैद

858. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने निर्णय में कहा है कि उम्र कैदी को जेल में 14 या 20 वर्ष की कैद नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे सजायाफ्ता की सारी उम्र की कैद माना जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जनता को इस विषय में सजग बनाने के लिए इस निर्णय के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होगा।

विदेशियों विषयक अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण

859. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा 'अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम' को रद्द किए जाने के पश्चात् असम सरकार ने केन्द्र सरकार के पास हाल ही में विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायधिकरणों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी है और वे कहां–कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) असम सरकार ने, विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 के प्रावधानों के तहत मौजूदा 11 अधिकरणों के अलावा, अतिरिक्त अधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने इन अधिकरणों की स्थापना की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

आर्थिक विकास हेतु प्रतिस्पर्धा आयोग

860. डा. राजेश मिश्रा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक विकास हेतु प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलँगोवन) : (क) और (ख) भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों को रोकने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे प्रोत्साहन देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और बाजार में सहभागियों द्वारा किए जा रहे व्यापार की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने तथा इनके साथ संबद्ध अथवा इनके प्रासंगिक मुद्दों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना दिनांक 14 अक्तूबर, 2003 को की गई थी। तथापि, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को वैधानिक चुनौती दिए जाने के कारण, आयोग का कार्य अभी पूरी तरह से आरंभ नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने, श्री ब्रह्म दत्त द्वारा दायर की गई रिट याचिका, जिसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के कतिपय उपबंधों को चुनौती दी गई थी, रिट याचिका का निपटान करते हुए, दिनांक 20.01.2005 को अपने

निर्णय में केन्द्र सरकार को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करने की अनुमति दी थी ताकि संवैधानिक उपबंधों के साथ अनुरूपता बनाई रखी जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर वैधानिक मुद्दों पर विचार करने और आयोग की पूर्ण कार्यप्रणाली की सुविधा हेतु प्रतिस्पर्धा अधिनियम में उचित संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा

861. श्री रघुनाथ झा :

श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, आज की तिथि तक वर्ष–वार दिल्ली में कितने वरिष्ठ नागरिकों की हत्या की गई;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और आज की तिथि तक अनसुलझे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों को धमकी देने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली में जोन–वार कुल कितने वरिष्ठ नागरिक निवास कर रहे हैं;

(च) क्या पुलिस कार्मिक वरिष्ठ नागरिकों के यहां दौरा करते हैं;

(छ) यदि हां, तो उन वरिष्ठ नागरिकों का ब्यौरा क्या है जिनके पास दिल्ली पुलिस के कार्मिकों ने कभी भी दौरा नहीं किया है;

(ज) क्या सरकार के पास वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	सूचित मामलों की संख्या	मारे गए बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या	हल किए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जांच–पड़ताल के लिए लम्बित मामलों की संख्या
2002	20	21	20	28	–
2003	17	18	17	26	–
2004	17	20	15	29	2
2005 (15 नवम्बर तक)	15	16	8	18	7

(ग) और (घ) वर्ष 2005 (15 नवम्बर, 2005) के दौरान दिल्ली पुलिस को वरिष्ठ नागरिक से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उसके पड़ोसियों और बेटों द्वारा उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। उनके आरोपों की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच करवाई गई और उन्हें पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध करवाया गया जिसमें बीट स्टाफ द्वारा नियमित रूप से उनके घर जाना शामिल था।

(ङ) दिल्ली पुलिस के पास दर्ज वरिष्ठ नागरिकों की जिलेवार संख्या नीचे दी गई है :

जिले का नाम	पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों की संख्या
1	2
नई दिल्ली	85
पूर्व	491
उत्तर–पूर्व	74
मध्य	305
उत्तर	173
उत्तर–पश्चिम	421
दक्षिण	1662
दक्षिण–पश्चिम	1000
पश्चिम	713
कुल	4924

(घ) और (छ) संबंधित क्षेत्र के पुलिस कार्मिक दिल्ली पुलिस के पास पंजीकृत सभी वरिष्ठ नागरिकों के पास जाते हैं तथा नियमित रूप से टेलीफोन पर भी उनसे सम्पर्क करते हैं।

(ज) और (झ) दिल्ली पुलिस मुख्यालय में 21.6.2004 से एक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ पहले से ही स्थापित किया हुआ है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

862. श्री सुनील खां : क्या गृह मंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद के बारे में 19 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त रिक्तियां भरी जा चुकी हैं;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाया जाना

863. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते के अन्तर्गत राजमार्गों की कितनी लम्बाई का निर्माण किया गया है;

(घ) उक्त समझौते की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समझौते के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में निर्माण, प्रचालन तथा हस्तांतरण आधार पर तीन परियोजनाओं के करारों पर हस्ताक्षर किए हैं :

क्र.सं.	परियोजना	रा.रा. सं.	कि.मी.	लागत (करोड़ रुपये)
1.	वडापे–गोंडे खंड	3	100	579.00
2.	पिंपलगांव–धुले	3	118	556.00
3.	सतारा–कागल	4	133	603.43

(ग) महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (सतारा–कागल खंड) के 132.76 कि.मी. को चार लेन का बनाने का कार्य बीओटी के अन्तर्गत पूरा कर लिया गया है।

(घ) इसकी निबंधन एवं शर्तें विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ङ) करारों के अनुसार वडापे–गोंडे और पिंपलगांव–धुले खंडों के कार्यों को रियायत ग्राहियों द्वारा और वित्तीय समापन (फाइनेंसियल क्लोजर) प्राप्त कर लिए जाने के बाद शुरू करने का कार्यक्रम है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में उन सड़क खंडों जिनके रियायत करार बीओटी आधार पर हस्ताक्षरित किए गए हैं, के ब्यौरे

(क) रा.रा. 4 का सतारा-कागल खंड (लम्बाई 133 कि.मी.)

1. रियायत अवधि 20 वर्ष है।

2. रियायतग्राही के करार के अनुसार परियोजना की कुल निर्माण लागत का 40 प्रतिशत राशि जो कि 603.43 करोड़ रुपये बैठती है, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को अनुदान के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

3. ऋण सेवा, प्रचालन और अनुरक्षण और कर जैसे खर्चों की

कटौती के पश्चात अभिशेष पथकर राजस्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा समान रूप से बांट लिया जाएगा।

(ख) रा.रा. 3 का पिंपलगांव-धुले खंड (लम्बाई 118 कि.मी.)

1. निर्माण की 36 महीनों की अवधि सहित रियायत अवधि 20 वर्ष कम है।

2. परियोजना की अनुमानित लागत 556 करोड़ रुपये है। शुद्ध वर्तमान आधार पर 58.85 करोड़ रुपये का नेगेटिव ग्रांट है।

(ग) रा.रा. 3 का वडापे-गोंडे खंड (लम्बाई 100 कि.मी.)

1. निर्माण की 36 महीनों की अवधि सहित रियायत अवधि 20 वर्ष है।

2. परियोजना की अनुमानित लागत 579 करोड़ रुपये है। शुद्ध वर्तमान मूल्य आधार पर 80.04 करोड़ रुपये का नेगेटिव ग्रांट है।

मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट को बदलना

864. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की ओर से वर्तमान मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट (एमसीए) को बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) सड़क परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए वर्तमान आदर्श रियायत करार (एमसीए) के स्थान पर नया आदर्श रियायत करार लाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन

865. श्री गणेश सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय कल्याण और विकास हेतु राज्यवार बजट आवंटन कितना है और इस आवंटन हेतु मानदंड क्या हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के लिए चालू वित्तीय वर्ष में किन कार्यों के लिए बजट आवंटन किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस करती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) से (ङ) जनजातीय लोगों के कल्याणार्थ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार मुख्यतः वहां की जनजातीय आबादी तथा संबंधित योजना के अधीन अन्य मापदंडों यथा कम साक्षरता वाले जिले, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र आदि के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2005–06 के दौरान मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजनावार अनंतिम आवंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

वर्ष 2004–05 के दौरान मंत्रालय की योजना बजट राशि 1146.00 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2005–06 के दौरान बढ़ाकर 1498.82 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो कि 30.78 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। योजना आयोग विभिन्न सेक्टरों की प्रतियोगी मांगों को ध्यान में रखकर, सम्पूर्ण उपलब्ध संसाधनों की सीमा के भीतर आवंटन करता है।

विवरण

2005–06 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनंतिम आवंटन को दर्शाता विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योजना का नाम													
		अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	कोचिंग एवं संबद्ध तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान$		जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र		$कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर**	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास निगमों (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान#	आदिम जनजातीय समूहों का विकास$	अनु.जन.जा. छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना		अनु. एवं प्रशि.****	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान	कुल
			स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान*	कोचिंग एवं सम्बद्ध*	राज्य	$गै.स.सं.***				मैट्रिकोत्तर छात्र–वृत्ति****	अनु.ज.जा. छात्रों की प्रतिभा उन्नयन^				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	6.12	131.00	6.00	22.00	14.00	91.00	76.00	293.00	2700.00	5.85	14.00	2459.52	1688.50	7500.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.80	20.00	1.00	4.00	0.00	11.00	11.00	0.00	300.00	0.90	0.00	0.00	220.00	567.90
3.	असम	4.19	86.00	4.00	16.00	3.00	0.00	43.00	0.00	1500.00	4.50	9.00	2753.09	1155.00	5573.59
4.	बिहार	0.83	20.00	1.00	4.00	0.00	54.00	10.00	0.00	30.00	0.90	0.00	500.90	229.90	850.70
5.	छत्तीसगढ़	8.33	172.00	8.00	30.00	10.00	6.00	86.00	230.00	2000.00	7.50	19.00	4163.56	2297.90	9029.96
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	3.15
8.	गुजरात	8.98	194.00	9.00	35.00	12.00	11.00	97.00	132.00	2000.00	9.00	21.00	3537.82	2475.00	8532.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	हिमाचल प्रदेश	0.32	6.00	1.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.30	1.00	579.18	88.00	698.48
10.	जम्मू और कश्मीर	1.28	30.00	1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.50	3.00	874.75	348.70	1468.95
11.	झारखंड	8.81	185.00	9.00	34.00	14.00	43.00	97.00	380.00	1600.00	7.95	20.00	5283.22	2428.80	10101.97
12.	कर्नाटक	2.79	91.00	4.00	17.00	6.00	11.00	0.00	47.00	1500.00	4.65	10.00	694.19	770.00	3154.84
13.	केरल	0.47	9.00	1.00	3.00	0.00	0.00	11.00	19.00	150.00	0.45	1.00	246.33	129.80	570.58
14.	मध्य प्रदेश	14.11	318.00	15.00	56.00	20.00	153.00	162.00	461.00	1000.00	13.50	35.00	7049.90	3889.60	13173.00
15.	महाराष्ट्र	10.66	224.00	11.00	40.00	14.00	0.00	119.00	359.00	700.00	11.00	24.00	3351.45	2939.20	7792.65
16.	मणिपुर	0.92	19.00	1.00	4.00	0.00	0.00	11.00	9.00	1500.00	0.90	2.00	685.76	253.00	2485.66
17.	मेघालय	2.21	52.00	2.00	9.00	3.00	0.00	32.00	0.00	1900.00	3.00	0.00	0.00	610.50	2611.50
18.	मिजोरम	0.95	22.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1.05	0.00	0.00	264.00	1192.05
19.	नागालैंड	1.55	46.00	2.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	1.50	0.00	0.00	425.70	2486.20
20.	उड़ीसा	10.25	212.00	10.00	35.00	13.00	54.00	130.00	60.00	85.00	9.00	23.00	5845.77	2827.00	9303.77
21.	राजस्थान	7.98	185.00	9.00	31.00	12.00	112.00	97.00	62.00	2000.00	7.80	20.00	3284.60	2200.00	8020.40
22.	सिक्किम	0.13	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.15	0.00	97.22	36.30	159.67
23.	तमिलनाडु	0.84	17.00	1.00	3.00	0.00	11.00	0.00	200.00	50.00	0.90	2.00	290.99	231.00	806.89
24.	त्रिपुरा	1.24	26.00	1.00	4.00	0.00	0.00	22.00	114.00	200.00	1.50	3.00	936.93	344.30	1652.73
25.	उत्तर प्रदेश	0.11	3.00	0.00	3.00	0	11.00	0.00	0.00	100.00	0.15	1.00	28.89	29.70	176.74
26.	उत्तरांचल	0.31	7.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	37.00	150.00	0.30	0.00	83.62	85.80	367.72
27.	पश्चिम बंगाल	5.55	116.00	6.00	21.00	6.00	32.00	76.00	71.00	300.00	5.00	12.00	1982.31	1532.30	4159.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#1.00	20.00	0.15	0.00	0.00	0.00	21.15
29.	दादरा व नगर हवेली	0.18	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.15	0.00	0.00	0.00	14.15
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.15	0.00	0.00	0.00	10.15
31.	लक्षद्वीप	0.07	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.15	0.00	0.00	0.00	12.15
	कुल	100.00	2200.00	105.00	400.00	140.00	600.00	1080.00	2475.00	22965.00	100.00	220.00	^^44730.00	^^^27500.00	102515.00

कुल बजट अनुमान 1498.82 करोड़ रुपये। केवल 1025.15 करोड़ रुपये राज्यों को आवंटित किए गए। शेष अविभाज्य हैं।

$आवंटन, संबंधित योजनाओं के अधीन मौजूदा परियोजनाओं की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार किए बिना केवल जनसंख्या पर आधारित है।

*राज्यों को देय 1 लाख रुपये से कम के अनुदानों को अन्य राज्यों के समक्ष आवंटित एवं समायोजित नहीं किया गया है। आंकड़ों को लाख रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

**राज्यों में कम साक्षरता वाले जिलों की संख्या पर विचार करके आवंटन किए गए हैं। आंकड़ों को लाख रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

***राज्यों को देय 2.40 लाख रुपये से कम के अनुदानों को अन्य राज्यों के समक्ष आवंटित और समायोजित नहीं किया गया है। आंकड़ों को लाख रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

****निधियां, राज्यों में अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में जनजातीय अनुसंधान संस्थान रखने वाले राज्यों (16) को अनंतिम रूप से आवंटित की गई हैं।

****आवंटन, पिछले वर्षों में प्रतिबद्ध दायित्वों के अतिरिक्त, जारी किए अनुदानों पर आधारित है।

^आवंटन, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित 1480 पुरस्कारों के आधार पर किए गए हैं।

^^इसमें 497.00 करोड़ रुपये का 10 प्रतिशत शामिल नहीं है, जिसे संशोधित मानदंड के आधार पर जारी करने के लिए अलग रखा गया है।

^^^इसमें अभिनव परियोजनाओं के लिए चिह्नित 330.00 करोड़ रुपये का 10 प्रतिशत शामिल नहीं है, 22 करोड़ रुपये चालू 90 परियोजनाओं के लिए चिह्नित हैं।

#जनसंख्या एवं निष्पादन आधार पर।

[अनुवाद]

मसालों का निर्यात

866. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दक्षिणी राज्य मसालों के निर्यात हेतु प्रमुख मसाला आपूर्तिकर्ता राज्य हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन राज्यों द्वारा राज्यवार विशेषतः कर्नाटक द्वारा मसालों के निर्यात में कितना योगदान किया गया है; और

(ग) दक्षिणी राज्यों में मसालों के उत्पादन तथा उनके द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मसाला बोर्ड और केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत से मसालों के निर्यात के राज्य–वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) दक्षिणी राज्यों सहित भारत में मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार, प्रौद्योगिकीय प्रसारण और समेकित कीट प्रबंधन के जरिए मसालों के उत्पादन का संवर्धन किया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी बहुवर्षीय मसालों की वाणिज्यिक कृषि के लिए बैक एंडेड पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करता है। मसाला बोर्ड भी अनेक मसालों की कृषि का संवर्धन करने के लिए अनेक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

दक्षिणी राज्यों सहित भारत से मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं : प्रशिक्षण और अवसंरचना विकास के जरिए फसलोत्तर सुधार, व्यापार संवर्धन, प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए सहायता देना, उच्च तकनीक मसाला प्रसंस्करण को शुरू करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, उत्तम विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी)/खतरा मूल्यांकन में इकाइयों का प्रत्यायन और नाजुक नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी)/अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ), पैकेजिंग विकास, व्यावसायिक ब्रोशरों का मुद्रण, विदेशों में व्यावसायिक दौरे, विदेशों में व्यावसायिक नमूने भेजना, मसालों की जैविक खेती के लिए सहायता, उत्तम विनिर्माण प्रथाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए मसाला घराना प्रमाण पत्र और भारतीय मसाला लोगो प्रदान करना, उत्तम स्वस्थ प्रथाएं तथा ब्रांडयुक्त मसाला उत्पाद।

सरकारिया आयोग रिपोर्ट

867. श्री आलोक कुमार मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1984 की सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों और अन्य विभिन्न वर्गों से कई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारिया आयोग की सिफारिशों, जो दो दशक पुरानी हो गई हैं, की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में एक नए आयोग का गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच व्यवस्थाओं के कार्यकरण की जांच और समीक्षा करने तथा यथा उपयुक्त परिवर्तनों अथवा अन्य उपायों की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून, 1983 में एक आयोग का गठन किया था। 1988 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने 247 सिफारिशें की थीं। अन्तर–राज्य परिषद, जिसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के क्रमशः सभी मुख्यमंत्री और प्रशासक शामिल हैं, ने विचार किया तथा सभी सिफारिशों पर सर्वसम्मति से अन्तिम निर्णय लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) दो दशक पहले सरकारिया आयोग द्वारा इन मुद्दों पर पिछली बार जांच किए जाने से अब तक भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में हुए भारी परिवर्तनों के मद्देनजर केन्द्र–राज्य संबंधों पर सरकार ने एक आयोग के गठन के संबंध

में 30 सितम्बर, 2005 को अधिसूचना जारी की है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिनकी अभी नियुक्ति की जानी है। इस संबंध में कोई समय सीमा बताना सम्भव नहीं है कि आयोग का पूरी तरह गठन कब तक कर दिया जाएगा।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रवास

868. **श्री अधीर चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अन्य देशों हेतु प्रवास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों में आज की तिथि तक कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) ऐसे अवैध प्रवास को रोकने के लिए प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के लिए यात्रा संबंधी दस्तावेजों में जालसाजी के पता लगाए गए मामलों और पांच प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में निवेश से विवासित भारतीय व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	भारत में पासपोर्ट/वीजा में जालसाजी के पता लगाए मामले	विदेश से विवासित भारतीयों की संख्या
2002	1344	4808
2003	1079	5214
2004	1072	5423
2005 (जून तक)	852	3148

(ग) प्रणाली में खामियों को दूर करने तथा अवैध प्रवासन को रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) ज्यादा सुरक्षित मशीन रीडेबल पासपोर्ट जारी करना।

(ii) प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में पासपोर्ट रीडिंग मशीनें (पीआरएम) और क्वेसचनेबल डॉक्यूमेंट इग्जामिनर (क्यूडीएक्स) स्थापित करना।

(iii) आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) में अल्ट्रा वाइलिट लैम्प्स और मैगनिफाइंग ग्लासिस उपलब्ध कराना।

(iv) पररूपधारण (इम्परसोनेशन) संबंधी मामलों का पता लगाने के लिए आप्रवासन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देना।

मध्याह्न भोजन योजना

869. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 14.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2117 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) 4 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र (असम, नागालैंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप) से सूचना की अभी प्रतीक्षा है। इसके अलावा 6 अन्य राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय और पश्चिम बंगाल) ने अधूरी सूचना दी है।

(घ) अपेक्षित सूचना देने के लिए चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लगातार आग्रह किया जा रहा है ताकि दिनांक 14.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2117 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 का विकास

870. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** :

श्री कैलाश मेघवाल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पश्चिमी गलियारे के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 पर किए जा रहे विकास कार्य की प्रगति रिपोर्ट क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कोटा (राजस्थान) में चंबल

नदी पर बनाए जाने वाले पुल के संबंध में डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया, निविदा, अनुमानित लागत और कार्य शुरू होने तथा पूरा होने की तारीखों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त पुल के निर्माण के संबंध में सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो सुलझा लिए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना के अन्तर्गत किन–किन शहरों में इस राजमार्ग पर बाइपास बनाए जाएंगे और उपरिलिखित योजना के अन्तर्गत बाइपास की लम्बाई, निर्माण लागत तथा कार्य की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) पूर्व पश्चिम महामार्ग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के विकास कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) टर्नकी आधार (डिजाइन और निर्माण) पर निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। कार्य पूरा होने की अवधि, कार्य शुरू होने की तारीख से 40 माह होने की संभावना है। अनुमानित लागत लगभग 300 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) पुल के निर्माण से संबंधित मामलों के समाधान के लिए सभी उपाय किए गए हैं। वन संबंधी स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में चंबल पक्षी विहार से गुजरने वाले संरेखण के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड के सदस्यों ने दिनांक 21.11.2005 को कार्य स्थल का दौरा किया।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

रा.रा. 76 पर पूर्व पश्चिम महामार्ग के अन्तर्गत सिविल कार्यों की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	रा.रा. सं.	खंड	चैनेज (से तक)	कुल लंबाई (कि.मी.)	सिविल ठेका राशि (करोड़ रु.)	पूरा करने का लक्ष्य	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य : मध्य प्रदेश							
1.	25 व 76	शिवपुरी बाइपास और मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा तक	15.00 से 0 कि.मी. (रा.रा. 25) और 609 से 579 कि.मी. (रा.रा. 76) (एमपी–1)	54	294.98	फरवरी, 2008	
राज्य : राजस्थान							
2.	76	मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से कोटा	579 से 509 कि.मी. (आरजे–11)	70	278.09	मार्च, 2008	कार्य सौंप दिया गया है। ठेकेदार सामग्री जुटा रहा है।
3.	76	मध्य प्रदेश/राजस्थान	509 से 449.15 कि.मी. (आरजे–10)	60	347.36	अप्रैल, 2008	
4.	76	मध्य प्रदेश/राजस्थान	449.15 से 406 कि.मी. (आरजे–9)	43	286.65	अप्रैल, 2008	
5.	76	कोटा से चित्तौड़गढ़	381 से 316 कि.मी. (आरजे–8)	65	397.44	अप्रैल, 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	76	कोटा से चित्तौड़गढ़	316 से 253 कि.मी. (आरजे–7)	63	375.98	अप्रैल, 2008	कार्य सौंप दिया गया है। ठेकेदार सामग्री जुटा रहा है।
7.	76	कोटा से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ बाइपास	253 से 213 कि.मी. (आरजे–6)	40	314.4	अप्रैल, 2008	
8.	76	कोटा बाइपास	381 से 406 कि.मी. (आरजे–4)	25	205.51	जुलाई, 2008	स्वीकृति पत्र जारी किया गया। ठेके पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
9.	76	चंबल नदी पुल	(आरजे–5)	–	300 अनुमानित लागत	सौंपा जाना है। पूर्व अर्हता कार्य किया गया है। टर्नकी आधार पर निविदाएं मांगी गईं।	
10.	76	गोगुंडा से उदयपुर (आरजे–3)	73.00 से 104.74 कि.मी	31.74	208.08	अप्रैल, 2008	
11.	76	बेकरिया से गोगुंडा (आरजे–2)	29.00 से 73.00 कि.मी.	44	411.6	अप्रैल, 2008	
12.	76 व 14	पिंडवाड़ा से बेकरिया (आरजे–1)	0.00 से 29.90 (रा.रा. 76) व 264.00 से 249.70 (रा.रा. 14)	43.3	173.35	अप्रैल, 2008	कार्य सौंप दिया गया है। ठेकेदार सामग्री जुटा रहा है।

विवरण-II

क्र.सं	राज्य	रा.रा. 76 पर शहर/ कस्बे का नाम जिसे बाइपास किया जाना है	लम्बाई (कि.मी.)	निर्माण लागत	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्थान	पिंडवाड़ा	5.45	ये बाइपास एक दीर्घ निर्माण पैकेज का हिस्सा हैं और इनकी लागत की अलग से गणना नहीं की गई है।	कार्य सौंप दिया गया है और अप्रैल, 2008 तक इसके पूरे होने की संभावना है।
2.	राजस्थान	जसवंतगढ़	3.5		
3.	राजस्थान	उदयपुर	19.724		
4.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	17.3		
5.	राजस्थान	कोटा	25	205.51 करोड़ रु.	कार्य सौंप दिया गया है और जुलाई, 2008 तक इसके पूरे होने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6
6.	राजस्थान	आंटा	4.9	ये बाइपास एक दीर्घ निर्माण पैकेज का हिस्सा हैं और इनकी लागत की अलग से गणना नहीं की गई है।	कार्य सौंप दिया गया है और अप्रैल, 2008 तक इसके पूरे होने की संभावना है।
7.	राजस्थान	बारन	15.5		
8.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी	23.5	ये बाइपास एक दीर्घ निर्माण पैकेज का हिस्सा हैं और इनकी लागत की अलग से गणना नहीं की गई है।	कार्य सौंप दिया गया है और फरवरी, 2008 तक इसके पूरे होने की संभावना है।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

871. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :
श्री रशीद मसूद :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री दिनांक 2.8.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, हां। विशेष छूट के अन्तर्गत प्रवेश की अंतिम तारीख 16 अगस्त, 2005 थी जिसे बाद में 30 सितम्बर, 2005 तक बढ़ा दिया गया था। सिफारिशों के आधार पर किए गए दाखिलों का विवरण निम्नवत है :

1.	संसद सदस्य (लोक सभा) :	683
2.	संसद सदस्य (राज्य सभा)	390
3.	मानव संसाधन विकास मंत्री	1814
4.	मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री	149
5.	महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री	82
6.	विभिन्न विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष	1848
7.	सचिव और अन्य अधिकारी :	शून्य
		4964

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

शरणार्थियों को राहत/पुनर्वास

872. श्री नारायण चन्द बरकटकी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत के शरणार्थियों को राहत देने और उनका पुनर्वास करने के मुद्दे का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए पद 'शरणार्थी' की परिभाषा क्या है; और

(ख) भारत में किन-किन देशों के शरणार्थी रहते हैं उनकी संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) ऐसे तिब्बती जो तिब्बत पर चीन के कब्जे के कारण 1959 तक भारत में आ गए तथा उनके जन्मे बच्चे, भारत में अस्थाई शरणार्थियों के रूप में पुनर्वास लाभों के हकदार हैं।

(ख) राहत और पुनर्वास के प्रयोजनार्थ 31.12.2004 को भारत में शरणार्थियों की देश-वार संख्या नीचे सारणी में दी गई है :

देश	शरणार्थी
श्रीलंका	69,226
राष्ट्रीयता विहीन	60,520

काली मिर्च

873. श्री धनुषकोडी आर. अदित्यन :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन बंदरगाह के माध्यम से काली मिर्च के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में काली मिर्च का श्रेणीवार और देशवार कितना निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हुए काली मिर्च के निर्यातों का मूल्य (श्रेणीवार और देशवार) संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है।

विवरण-I

बिना कुटी हुई तथा बिना पिसी हुई काली मिर्च

निर्यात वस्तु : 090411 (मूल्य लाख रु. में)

देश	2002–2003	2003–2004	2004–2005	अप्रैल, 05–जून, 05
1	2	3	4	5
यूएसए	5993.73	2538.31	2320.57	117.65
जर्मनी	988.32	1026.56	1088.72	155.44
यूके	492.87	532.53	649.83	34.82
कनाडा	1476.62	604.43	620.68	31.40
इटली	1138.94	698.14	555.29	2290.26
जापान	370.06	498.04	411.22	340.55
बेल्जियम	305.53	190.84	398.02	88.19
स्वीडन	395.04	305	273.54	
फ्रांस	284.06	178.19	229.77	138.48
नीदरलैंड	914.3	307.75	205.56	22.34
आस्ट्रेलिया	362.34	397.02	200.81	165.49
डेनमार्क	51.2	295.05	179.57	
रूस	292.22	191.05	174.58	386.41
सं. अरब अमीरात	115.57	118.8	139.51	294.83
स्पेन	258.93	159.69	135.86	247.31
स्विटजरलैंड	19.71	107.26	96.1	200.92
मलेशिया	125.19	107.89	89.97	
सऊदी अरब	61.14	88.54	84.32	90.71
नार्वे	96.04	56.52	84.03	23.20
न्यूजीलैंड	45.88	35.86	82.8	29.27
पोलैंड	283.26	123.49	82.75	
नेपाल	226.79	223.2	59.17	
अन्य	683.68	713.92	578.81	706.93
योग	14981.42	9498.08	8741.48	5364.20

विवरण-II

कुटी हुई अथवा पिसी हुई काली मिर्च

निर्यात वस्तु : 090412 (मूल्य लाख रु. में)

देश	2002–2003	2003–2004	2004–2005	अप्रैल, 05–जून, 05
1	2	3	4	5
यूएसए	1334.60	2167.42	1654.32	
यूके	361.86	439.59	504.31	
आस्ट्रेलिया	103.86	76.4	211.88	
फ्रांस	2.39	1.28	149.99	
स्वीडन	14.11	38.57	147.29	
बेल्जियम	8.94	100.03	122.44	195.28

1	2	3	4	5
कनाडा	259.57	73.31	92.51	
जर्मनी	20.8	3.58	74.97	224.77
इटली	74.61	45.04	70.62	31.44
जापान	16.44	25.5	54.86	82.96
थाईलैंड	28.48	19.57	49.11	
फिनलैंड	2.3	8.33	36.44	
न्यूजीलैंड	34.9	19.23	32.99	
सऊदी अरब	48.1	51.13	31.24	5.99
मैक्सिको	7.7	17.82	19.68	
स्पेन	18.13	21.51	19.11	
रूस	1.8	4.63	17.9	
नार्वे	17.67	55.17	14.55	8.51
मलेशिया	0.7	6.91	13.48	
फिलिपींस	2.8	0.02	13.15	
अन्य	115.58	93.30	60.74	154.90
योग	2475.34	3268.34	3391.58	703.86

मध्याह्न भोजन योजना

874. श्री परशुराम माझी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों/जिलों विशेषकर उड़ीसा के केबीके जिलों में मध्याह्न भोजन योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन जिलों विशेषकर उड़ीसा में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यकरण को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार व पश्चिम बंगाल को छोड़कर पके-पकाए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें उड़ीसा के केबीके जिले भी शामिल हैं, द्वारा सर्वसुलभीकरण कर दिया गया है। चूंकि मध्याह्न भोजन योजना राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, अतः उनसे बराबर अनुरोध किया जा रहा है कि वे प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करें।

औद्योगिक विकास के अन्तर्गत सहायता

875. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दसवीं योजना के दौरान उद्योगों के विकास हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र द्वारा अभी तक राज्यवार कितनी धनराशि जारी और प्रयोग की गई है; और

(ग) उद्योगों के विकास के संबंध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और अभी तक क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) और विकास केन्द्र योजना के तहत समूह/विकास केन्द्र-वार निधियां जारी की जाती हैं। दसवीं योजना के दौरान आईआईयू योजना के तहत 675 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसमें से भी अभी तक 280 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। विकास केन्द्र योजना के तहत 151.35 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, चमड़ा क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रुपये के आवंटन वाली एक विशिष्ट योजना, नामतः भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) कार्यान्वयन के अधीन है। आईएलडीपी के तहत अभी तक राज्यों को कोई निधियां आवंटित नहीं की गई हैं।

(ख) जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई राशि संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) योजना के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। विकास केन्द्र की भौतिक और वित्तीय प्रगति विवरण III में दी गई है।

विवरण-I

10वीं योजना में जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विकास केन्द्र का नाम (राज्य–वार)	2002–03	2003–04	2004–05	योग	उपयोग की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	I आंध्र प्रदेश					
1.	हिन्दुपुर अनन्तपुर			50		उपयोग में लाई गई
2.	जेडचरेला			195		उपयोग में लाई गई
3.	विजयनगरम–बोबिली			50		उपयोग में लाई गई
4.	अंगोले	110	100			उपयोग में लाई गई
	योग	110	100	295	505	उपयोग में लाई गई
	II अरुणाचल प्रदेश					
5.	निकलोंग मगोरलंग	320	200			उपयोग में लाई गई
	योग	320	200		520	उपयोग में लाई गई
	III असम					
6.	चारिद्वार	450	66	200		200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
7.	मटिया	450				उपयोग में लाई गई
8.	छायागांव		500			उपयोग में लाई गई
	योग	900	566	200	1666	उपयोग में लाई गई
	IV बिहार					
9.	बेगुसराय	200			200	
10.	भागलपुर					
11.	छपरा					
12.	दरभंगा					
13.	मुजफ्फरपुर					
	योग	200			200	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
	V छत्तीसगढ़					
14.	बोराई	100	107			

1	2	3	4	5	6	7
15.	सिलतारा					
	योग	100	107		207	उपयोग में लाई गई
	VI गोवा					
16.	इलेक्ट्रानिक सिटी		176			
	योग		176		176	176.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
	VII गुजरात					
17.	गांधीधाम	200				
18.	पालनपुर	100				
19.	वागरा					
	योग	300			300	300.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
	VIII हरियाणा					
20.	वावल					
21.	साह	450				
	योग	450			450	उपयोग में लाई गई
	IX हिमाचल प्रदेश					
22.	कांगड़ा	153	500			
	योग	153	500		653	उपयोग में लाई गई
	X जम्मू और कश्मीर					
23.	लस्सीपोरा	175	500			
24.	साम्बा	100	500			
	योग	275	1000		1275	उपयोग में लाई गई
	XI झारखंड					
25.	हजारीबाग		200			
	योग		200		200	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
	XII कर्नाटक					
26.	धारवाड़					

1	2	3	4	5	6	7
27.	रायचूर					
28.	हसन					
	योग					
	XIII केरल					
29.	अलपुज्झा–मालापुरम					
30.	कन्नूर–कोजिकोड़					
	योग					
	XIV मध्य प्रदेश					
31.	चैनपुरा	150		300		
32.	घिरोंगी					
33.	खेड़ा					
34.	सतलापुर	100	365			उपयोग में लाई गई
	योग	250	365	300	915	125.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
	XV महाराष्ट्र					
35.	अकोला					
36.	चन्द्रपुर					
37.	धूले		200			
38.	नानदेड़		90			
39.	रत्नागिरि					
	योग		290		290	उपयोग में लाई गई
	XVI मणिपुर					
40.	लांगलेई–नाफेट					
	योग					
	XVII मेघालय					
41.	मेंदीपथर		500			
	योग		500		500	500.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित

1	2	3	4	5	6	7
	XVIII मिजोरम					
42.	लोंगमाल	180	400			
	योग	180	400		580	उपयोग में लाई गई
	XIX नागालैंड					
43.	गणेशनगर					
	योग					शून्य
	XX उड़ीसा					
44.	छतरपुर					
45.	कलिंगनगर–डुबुरी	240	160			उपयोग में लाई गई
46.	झारसुगुड़ा		68	100		उपयोग में लाई गई
47.	केसिंगा			50		
	योग	240	228	150	618	उपयोग में लाई गई
	XXI पांडिचेरी					
48.	पोलागाम	250				
	योग	250			250	उपयोग में लाई गई
	XXII पंजाब					
49.	भटिण्डा					
50.	पठानकोट					
	योग					
	XXIII राजस्थान					
51.	आबू रोड					
52.	खाड़ा	170		200		
53.	भीलवाड़ा			300		
54.	धौलपुर	680				
55.	झालावाड़			300		
	योग	850		800	1650	उपयोग में लाई गई
	XXIV सिक्किम					
56.	सामलिक मार्चक		500			
	योग		500		500	उपयोग में लाई गई

1	2	3	4	5	6	7
	XXV तमिलनाडु					
57.	इरोड़					
58.	तिरूनेलवेली					
59.	ओरागादम					
	योग					
	XXVI त्रिपुरा					
60.	बोधजंग नगर	500	430			
	योग	500	430		930	500.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
	XXVII उत्तरांचल					
61.	सिगड्डी		1000			
	योग		1000		1000	500.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
	XXVIII उत्तर प्रदेश					
62.	बिजौली			100		उपयोग में लाई गई
63.	जमौर					उपयोग में लाई गई
64.	पाकवाड़ा	50	150			उपयोग में लाई गई
65.	डिबियापुर			200		उपयोग में लाई गई
66.	जैनपुर			350		उपयोग में लाई गई
67.	सातरिया	200				
68.	सहजनवा					
	योग	250	150	650	1050	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
	XXIX पश्चिम बंगाल					
69.	बोलपुर	100		200		
70.	जलपाईगुड़ी	100		200		
71.	मालदा	100				
	योग	300		400	700	उपयोग में लाई गई
	कुल योग	5628	6712	2795	15135	

विवरण-II

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान अनुमोदित और स्वीकृत किए गए समूह प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	समूह (कलस्टर) का नाम	राज्य	परियोजना लागत	केन्द्रीय अनुदान	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
		2003-04			
1.	वस्त्र समूह	त्रिपुर, तमिलनाडु	143.50	50.00	25.00
2.	रसायन समूह	वापी, गुजरात	54.31	40.49	12.50
		2004-05			
3.	आटो समूह	विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	31.08	23.50	7.80
4.	धातुकर्मी उद्योग	जाजपुर, उड़ीसा	62.50	47.00	15.66
5.	आटो एंसिलरी समूह	चेन्नई, तमिलनाडु	47.20	35.00	11.70
6.	रसायन समूह	अंकलेश्वर, गुजरात	152.83	50.00	33.40
7.	आटो कंपोनेन्ट्स समूह	पुणे, महाराष्ट्र	59.99	44.99	15.00
8.	सीरियल्स, पल्सेज तथा स्टेपल्स समूह	मदुरई, तमिलनाडु	39.96	29.97	10.00
9.	वस्त्र समूह	लुधियाना, पंजाब	17.19	12.69	4.21
10.	मार्बल समूह	किशनगढ़, राजस्थान	36.80	27.60	9.20
11.	आटो समूह	पीतमपुरा, मध्य प्रदेश	73.29	49.94	16.65
12.	फाउण्ड्री समूह	बेलगाम, कर्नाटक	24.78	18.54	6.19
13.	मशीन टूल समूह	बंगलौर, कर्नाटक	135.55	49.12	16.37
14.	कॅयर समूह	केरल	56.80	42.60	14.20
15.	वस्त्र समूह, पानीपत	हरियाणा	54.53	40.90	13.63
16.	जेम तथा ज्वेलरी समूह	सूरत, गुजरात	85.80	50.00	16.70
17.	फार्मा समूह	हैदराबाद	66.16	49.62	शून्य
18.	इस्पात भूमि समूह	रायपुर, छत्तीसगढ़	54.11	29.87	शून्य
19.	चमड़ा समूह	कानपुर, उत्तर प्रदेश	27.34	97.47	1.95
20.	फाउण्ड्री पार्क	हावड़ा, पश्चिम बंगाल	119.74	40.40	8.48
21.	मल्टी उद्योग समूह	हावड़ा, पश्चिम बंगाल	67.25	36.97	7.39
22.	रबड़ समूह	हावड़ा, पश्चिम बंगाल	29.74	15.72	3.14

1	2	3	4	5	6
23.	वस्त्र समूह	आइचलकरंजी, महाराष्ट्र	65.07	32.70	6.54
24.	रसायन समूह	अहमदाबाद, गुजरात	69.86	41.39	8.30
25.	चमड़ा समूह	अम्बूर, तमिलनाडु	67.34	43.49	8.70
26.	पम्प, मोटर तथा फाउण्ड्री समूह	कोयम्बटूर, तमिलनाडु	66.39	39.22	8.00

विवरण-III

30.9.2004 की स्थिति के अनुसार विकास केन्द्रों की भौतिक प्रगति

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य विकास केन्द्र/ जिले का नाम	अनुमोदन की तिथि	अधिग्रहीत भूमि	विकसित प्लाट/शैड	आवंटित प्लाट/शैड	स्थापित एककों की संख्या	एककों द्वारा निवेशित पूंजी	सृजित रोजगार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आंध्र प्रदेश (बी)								
1.	हिन्दुपुर (अनन्तपुर)	30.3.92	712.52 एकड़	231/12	130/10	36	1570.08	938	
2.	जेडचरेला (मेहबूबनगर)	23.7.92	308.46 एकड़	—	—	—	—	—	
3.	बोबिली (विजयनगरम)	30.3.92	1239.33 एकड़	388	18	2	333.20	271	
4.	अंगोले (प्रकासम)	30.3.92	1320.00 एकड़	220	5	1	—	—	
	अरुणाचल प्रदेश (ए)								
5.	निकलोंग नगोरलंग (पूर्वी सियांग)	8.4.97	582.15 एकड़	—	—	—	—	—	
	असम (ए)								
6.	मटिया (गोलपाड़ा)	31.10.97	1672 बीघा	—	—	—	—	—	
7.	चारिद्वार (सोनितपुर)	8.4.97	1500 बीघा	—	—	—	—	—	
8.	छायागांव–पटगांव (कामरूप)	9.12.03	—	—	—	—	—	—	
	बिहार (बी)								
9.	बेगुसराय (बेगुसराय)	3.5.95	392.141 एकड़	—	—	—	—	—	
10.	भागलपुर (भागलपुर)	30.9.96	424.25 एकड़	—	—	—	—	—	
11.	छपरा (छपरा)	30.9.96	—	—	—	—	—	—	
12.	दरभंगा (दरभंगा)	13.2.98	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	30.9.96	—	—	—	—	—	—	
	छत्तीसगढ़ (ए)								
14.	बोराई (दुर्ग)	27.3.91	436.84 हे.	192.43 हे.	102.709 हे.	37	12937	1399	
15.	सिलतारा (रायपुर)	11.3.92	1259.286 हे.	911.27 हे.	664.627 हे.	21	63766	1779	
	गोवा (ए)								
16.	इलेक्ट्रानिक सिटी (वर्ना प्लेट्यू)	12.2.93	2917182 स्क्वा.मी.	398	319	82	31163.67	7723	
	गुजरात (ए)								
17.	गांधीधाम (कच्छ)	23.7.92	131 हे.	387	—	—	—	—	
18.	पालनपुर (बनासकांठा)	23.7.92	75 हे.	136 हे.	—	—	—	—	
19.	वागरा (भरूच)	23.7.92	200 हे.	300	—	—	—	—	
	हरियाणा (ए)								
20.	वावल (रेवाड़ी)	31.3.92	1212 एकड़	556	212	23	100000.00	925	
21.	साह (अम्बाला)	31.10.97	301 एकड़ 5 कनाल	916	114	—	—	—	
	हिमाचल प्रदेश (ए)								
22.	कांगड़ा (कांगड़ा)	20.2.97	196–69–62 हे.	320/30	139/29	51	1499.00	574	
	जम्मू और कश्मीर (ए)								
23.	लस्सीपोरा (पुलवामा)	11.12.97	5167 कनाल 02 मरलास	12	6	—	—	—	
24.	साम्बा (जम्मू)	27.1.92	1742 कनाल	241	33	—	—	—	
	झारखंड (सी)								
25.	हजारीबाग (हजारीबाग)	3.5.95	525.34 एकड़	—	—	—	—	—	
	कर्नाटक (ए)								
26.	धारवाड़ (धारवाड़)	27.1.92	2205 एकड़	2205 एकड़	1333 एकड़	88	72400	573	
27.	रायचूर (रायचूर)	27.1.92	1000 एकड़	430 एकड़	3	—	—	—	
28.	हसन (हसन)	27.1.92	1825 एकड़	1825 एकड़	514 एकड़	75	435300	2023	
	केरल (ए)								
29.	कन्नूर–कोजिकोड़ (कोजिकोड़)	28.2.94	572 एकड़	88	37	3	2057	266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	अलपुज्झा–मालापुरम (अलपुज्झा–मालापुरम)	28.2.94	523 एकड़	55 एकड़/ 7 एकड़	7 एकड़	–	600	100	
	मध्य प्रदेश (ए)								
31.	चैनपुरा (गुना)	27.3.91	334.81 हे.	400 हे.	180 हे.	–	–	–	
32.	घिरोंगी (भिण्ड)	27.3.91	716 हे.	441.032 हे.	143.987 हे.	42	121778.25	7296	
33.	खेड़ा (धार)	27.3.91	240.770 हे.	98	11	6	66252.64	1755	
34.	सतलापुर (रायसेन)	23.3.93	321.190 हे.	–	–	–	–	–	
	महाराष्ट्र (बी)								
35.	अकोला (अकोला)	30.3.92	625.05 हे.	261+279	216+279–495	56	8882	712	
36.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	30.3.92	723.49 हे.	31	11	–	–	–	
37.	धूले (धूले)	30.3.92	707 हे.	60	3	–	–	–	
38.	नानदेड़ (नानदेड़)	11.12.97	645.81 हे.	197	26	1	42710	52	
39.	रत्नागिरि (रत्नागिरि)	30.3.92	–	–	–	–	–	–	
	मणिपुर (सी)								
40.	लांगलेई–नाफेट (इम्फाल)	2.3.98	–	–	–	–	–	–	
	मेघालय (सी)								
41.	मेंदीपथर (ईस्ट गारो हिल्स)	24.10.97	36 हे.	–	–	–	–	–	
	मिजोरम (सी)								
42.	लोंगमाल (एजल)	24.10.97	311 एकड़	30/6	–	–	–	–	
	नागालैंड (सी)								
43.	गणेशनगर (कोहिमा)	12.2.98	1000 एकड़	23	–	–	–	–	
	उड़ीसा (सी)								
44.	छतरपुर (गंजम)	12.2.97	–	–	–	–	–	–	
45.	कलिंगनगर–डुबुरी (कटक)	12.2.97	1500 एकड़	150 एकड़	150 एकड़	–	–	–	
46.	झारसुगुड़ा (झारसुगुड़ा)	12.2.98	122 एकड़	71.30 एकड़	71.30 एकड़	–	–	–	
47.	केसिंगा (कालाहांडी)	9.2.99	126.72 एकड़	4	4	1	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	पांडिचेरी (सी)								
48.	पोलागाम करायकल (करायकल)	31.10.97	592 एकड़	74	12	–	–	–	
	पंजाब (ए)								
49.	भटिण्डा (भटिण्डा)	27.3.91	389.79 एकड़	401/17	198	17	–	–	
50.	पठानकोट (गुरदासपुर)	6.1.92	409.86 एकड़	432/205	187	0	–	–	
	राजस्थान (ए)								
51.	आबू रोड (सिरोही)	31.3.92	914.00 एकड़	297	53	27	1000.00	300	
52.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	18.12.97	1159 बीघा	4	4	–	–	–	
53.	खाड़ा (बीकानेर)	31.3.92	1162 बीघा 21 बिस्वा	461	260	75	948	680	
54.	धौलपुर (धौलपुर)	23.3.93	332.22 एकड़	211	102	53	1500.00	240	
55.	झालावाड़ (झालावाड़)	23.7.92	438 एकड़	238	118	78	900.00	450	
	सिक्किम								
56.	स्मालघारी सामलिक मार्चक	7.11.03	–	–	–	–	–	–	–
	तमिलनाडु (ए)								
57.	इरोड़ (पेरियार)	23.7.92	2440.19 एकड़	72/23	72	22	5286.86	1048	
58.	ओरागादम (कांचिपुरम)	12.5.99	1540.79 एकड़	–	–	–	–	–	
59.	तिरूनेलवेली गंगे कोनडान (तिरूनेलवेली–कट्टाबोम्मन)	30.3.92	2032.00 एकड़	2	2	–	–	–	
	त्रिपुरा (ए)								
60.	बोधजंग नगर (त्रिपुरा–पश्चिमी)	7.11.97	242 एकड़	41/8	8/1	1	–	–	
	उत्तरांचल								
61.	सिगड्डी (पौड़ी गढ़वाल)	16.12.03	–	–	–	–	–	–	
	उत्तर प्रदेश (ए)								
62.	बिजौली (झांसी)	23.3.93	385.04 एकड़	441	357	–	–	–	
63.	जमौर (शाहजहांपुर)	17.2.93	302 एकड़	47/4	41	4	4500.00	560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	पाकवाड़ा (मुरादाबाद)	17.2.93	419.34 एकड़	158/1	45	2	–	–	
65.	डिबियापुर (औरेया)	3.3.98	331.58	–	–	–	–	–	
66.	जैनपुर (कानपुर देहात)	23.3.93	316.43 एकड़	399	350	–	–	–	
67.	सातरिया (जौनपुर)	17.2.93	508.45 एकड़	465	337	86	3954.50	1402	
68.	सहजनवा (गोरखपुर)	16.2.93	525.27 एकड़	1298/30	999/25	89	5065.55	1941	
	पश्चिम बंगाल (बी)								
69.	बोलपुर (बीरभूम)	20.2.97	50 एकड़	–	–	–	–	–	
70.	जलपाईगुड़ी (जलपाईगुड़ी)	20.2.97	105 एकड़	–	–	–	–	–	
71.	मालदा (मालदा)	20.2.97	164 एकड़	140 एकड़	125 एकड़	4	4116.25	52	
	योग					983	988520.00	33059	

(क) श्रेणी 'क' राज्य दर्शाते हैं जहां कार्यशील/कुल विकास केन्द्र का प्रतिशत 66 प्रतिशत और इससे अधिक है।

(ख) श्रेणी 'ख' राज्य दर्शाते हैं जहां कार्यशील/कुल विकास केन्द्र का प्रतिशत 33 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक है।

(ग) श्रेणी 'ग' राज्य दर्शाते हैं जहां कार्यशील/कुल विकास केन्द्र का प्रतिशत 33 प्रतिशत से कम है।

स्रोत : राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट।

[हिन्दी]

फलों/सब्जियों का निर्यात

876. श्री बीर सिंह महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष कृषि उपज योजना के अन्तर्गत फलों, सब्जियों और फूलों के निर्यात के लिए शुल्क में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार इन उत्पादों के निर्यात से कितनी आय हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल से निर्यात की गई फलों और सब्जियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल का फलों और सब्जियों के उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान है;

(ङ) क्या अनुमानित उत्पादन की तुलना में निर्यात प्रतिशत संतोषजनक नहीं है; और

(च) सरकार द्वारा एक विशेष योजना बनाकर निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) विदेश व्यापार नीति, 2004–09 में सरकार ने अन्य मदों के साथ–साथ फलों, सब्जियों, फूलों और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों का संवर्धन करने के उद्देश्य से विशेष कृषि उपज योजना शुरू की है। ऐसे उत्पादों के निर्यातक 1 अप्रैल, 2004 से शुरू हुए प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के लिए निर्यातों के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत के शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार हैं। वाणिज्य विभाग द्वारा रखे गए निर्यात–आयात आंकड़ा बैंक के अनुसार वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 की अवधि के दौरान ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात का कुल मूल्य क्रमशः 1090 करोड़ रुपये, 1737 करोड़ रुपये तथा 1625 करोड़ रुपये रहा था। इसी प्रकार इन अवधियों के लिए पुष्पोत्पादों का निर्यात क्रमशः 180 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये और 205 करोड़ रुपये का हुआ था।

(ग) से (ङ) भारत सरकार द्वारा फलों एवं सब्जियों के निर्यात तथा उत्पादन के राज्य–वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) में उल्लेख किया गया है, इन उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु विशेष कृषि उपज योजना को लागू किया जा चुका है।

जनजातीय क्षेत्रों में भुखमरी और कुपोषण

877. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण और भुखमरी के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कुपोषण और भुखमरी की स्थिति पर काबू पाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों सहित, देश के लक्षित क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन करती रही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ अंत्योदय अन्न योजना की स्कीम का कार्यान्वयन करता रहा है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 2 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है, जिन्हें गेहूं के लिए 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3.00 प्रति किलोग्राम की अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीटीडीएस) सुदृढ़ करने के लिए 2004 में हुए राज्य के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लघु स्तरीय योजनाओं के प्रबंधन के लिए महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी-समितियों को शामिल किया जाए। उसी प्रकार महिला और बाल विकास विभाग भी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) का कार्यान्वयन करता रहा है, जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना है। इस स्कीम के अधीन, एकीकृत सेवाएं, जिसमें अनुपूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य-जांच, संदर्भ सेवाएं, स्कूल-पूर्व शिक्षा और पोषण तथा स्वास्थ्य-शिक्षा शामिल है, अनुसूचित जनजातियों सहित सभी लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 117 को चार लेन का बनाना

878. श्री समिक लाहिरी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 117 को चार लेन का बनाने संबंधी परियोजना पर कार्य करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है,

(ग) यदि नहीं, तो क्या आगामी वित्त वर्ष में परियोजना पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) कोलकाता पत्तन की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तक संपर्कता के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 117 की लगभग 10 कि.मी. लंबी सड़क, जो कि पहले ही 4 लेन की है, को राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप सुधारने का प्रस्ताव है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस कार्य के लिए साध्यता अध्ययन करने के लिए कहा गया है। इस कार्य को आरंभ करने/इसके पूरा होने की तारीख के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

औद्योगिक उत्पादन

879. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) देश में औद्योगिक उत्पादन को आधार वर्ष 1993-94 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आंका जाता है। वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने वर्ष 2003-2004 में 7.0 प्रतिशत और वर्ष 2004-2005 में 8.4 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन

880. श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात सरकार से स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन देने हेतु राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ङ) सभी अनुरोधों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(च) देश में इस समय राज्यवार कुल कितनी विधवाओं को स्वतंत्रता पेंशन मिल रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) मृतक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगियों के पात्र आश्रितों (विधवा/विधुर, अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियों और माता/पिता) के नाम पर परिवार पेंशन अंतरित करने की क्रियाविधि 01.05.1992 से विकेन्द्रीकृत कर दी गई है। पेंशन संवितरण अधिकारियों (बैंक प्रबंधकों, जिला ट्रीजरी अधिकारियों, वेतन एवं लेखा अधिकारियों) को अपने स्तर पर उनके नाम पर परिवार पेंशन अंतरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जो व्यक्ति अभी भी परिवार पेंशन अंतरित करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पेंशन संवितरण अधिकारियों से संपर्क करें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

महिला लिंग अनुपात में कमी

881. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2001 की जनगणना में देश के कतिपय भागों में महिला लिंग अनुपात में कमी, कन्या भ्रूणहत्या के दुष्प्रभावों से निपट रही केन्द्र सरकार के लिए चिंता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा पूरे देश को उसकी शाखाओं के माध्यम से देशव्यापी मानवी संरक्षण अभियान आरंभ किया है; और

(घ) सरकार को इस अभियान द्वारा क्या परिणाम प्राप्त हुए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1994 का कार्यान्वयन कर रही है। जिन क्लिनिकों में प्रसव–पूर्व नैदानिक सुविधाएं हैं, उन सभी को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है तथा भ्रूण के लिंग का निर्धारण करना और इसकी जानकारी किसी को देना इस अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत 27,399 क्लिनिकों का पंजीकरण किया गया है तथा इसके विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए 330 मामले न्यायालयों में दायर किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जनसामान्य में मादा भ्रूण हत्या के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2003–04 में इस अभियान के अंतर्गत 31.45 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

882. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवाहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उड़ीसा में कितने राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया और आज की तारीख तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है; और

(ख) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के राजमार्गों के उन्नयन और रखरखाव हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) उड़ीसा राज्य में नौवीं योजना के दौरान 6 सड़कों और दसवीं योजना के दौरान 4 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है; उड़ीसा में इस समय राष्ट्रीय राजामार्गों की कुल लंबाई 3603.33 कि.मी. है।

(ख) पश्चिम बंगाल में नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और रखरखाव के लिए

क्रमशः 697.60 करोड़ रु. और 372.69 करोड़ रु. (मार्च, 2006 तक) आवंटित किए गए।

[अनुवाद]

राजमार्गों की खराब स्थिति

883. श्री वीरचन्द्र पासवान : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमार्गों की अपर्याप्त क्षमता और घटिया स्थिति के कारण देश को एक वर्ष में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में ट्रकों की औसत माइलेज 250–300 किलोमीटर प्रतिदिन है जबकि विश्व भर में यह 600–800 किलोमीटर प्रतिदिन है;

(घ) यदि हां, तो क्या हमारे 50 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग खराब स्थिति में हैं और 30 प्रतिशत राजमार्ग एकल–लेन वाले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राजमार्गों की अपर्याप्त क्षमता और घटिया किस्म के कारण आर्थिक नुकसान होता है। तथापि, ऐसे नुकसान की सही–सही गणना कर पाना कठिन है।

(ग) सड़क द्वारा माल प्रचालन लगभग पूरी तरह से निजी क्षेत्र के हाथों में है और भारत में वाहन बेड़े में विभिन्न श्रेणी के वाहन होते हैं जिनका माइलेज स्तर भिन्न–भिन्न होता है। यद्यपि, देश में ट्रकों की माइलेज के कोई प्रमाणित ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, यह स्पष्ट है कि सड़क माल वाहकों द्वारा तय की जाने वाली दूरी सड़कों की क्षमता और गुणता की कमियों के कारण विकसित देशों की तुलना में कम है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। देश में इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 65,569 कि.मी. है। इसमें से सड़कों की लगभग 18% लंबाई इकहरी लेन की है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार/विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जैसे विभिन्न उपाय/कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिसमें विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेने का बनाना शामिल है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार

884. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार देने हेतु केन्द्रीय दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वीकृत किए गए ऋण और वास्तव में वितरित किए गए ऋण में भारी अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है, जो अन्य बातों के साथ–साथ आवेदकों की पात्रता के मानदण्ड, वित्तीय निबंधन एवं शर्तें, प्रचालनात्मक विवरण, आदि से संबद्ध हैं।

(ग) पीएमआरवाई के तहत, बैंकों द्वारा संस्वीकृत एवं वास्तव में ऋण की राशि में कुछ अंतर है।

(घ) पीएमआरवाई के तहत, 2002–03, 2002–04 और 2004–05 के दौरान, बैंकों द्वारा संस्वीकृत एवं संवितरित ऋणों के मामलों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है। अंतर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में, निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त आवेदनों के निपटान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सियों/बैंकों को दिशानिर्देश, बैंक शाखाओं को संवितरण पूर्व की औपचारिकताएं पूरी करने में आवेदकों की सहायता करने के लिए संबंधित जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) को भी आवेदकों को ऋण स्वीकृत दर्शाने वाले पत्र की एक प्रति पृष्ठांकित करने के निर्देश, पीएमआरवाई लाभार्थियों के कार्यस्थल के आवंटन, विद्युत, पानी के कनेक्शन में प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों से संवितरण की समाप्ति के लिए कट आफ डेट निर्धारित करना, ऋणों की संस्वीकृति और संवितरण की प्रगति की आवधिक समीक्षा, आदि शामिल है।

विवरण

पीएमआरवाई के तहत संस्वीकृत एवं संवितरित ऋण का ब्यौरा

वर्ष	स्व–सहायता इकाइयां		
	लक्ष्य (सं.)	संस्वीकृत ऋण (सं.)	संवितरित ऋण (सं.)
2002–2003	220000	228031	190521
2003–2004	220000	262680	217743
2004–2005*	250000	296606	237046

*अनंतिम। आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए हैं। अंतिम आंकड़े सामान्यतः ऊंचे हैं।

अनुदान में वृद्धि

885. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूडी : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अव्यवहार्य सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य करने हेतु कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकारी अनुदान को 40 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने के बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के विचारों में कोई अंतर है जैसाकि दिनांक 5 सितंबर, 2005 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है और अभी इसके ब्यौरे दे पाना संभव नहीं है।

स्कूली पाठ्यक्रम में नशीली दवाओं के विषय में शिक्षा

886. श्री के. सी. सिंह 'बाबा' : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्कूलों के पाठ्यक्रम में नशीली दवाओं के विषय में अनिवार्य शिक्षा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्कूली पाठ्यक्रम में नशीली दवाओं के विषय में शिक्षा को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर जहां भी प्रासंगिक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में नशे तथा नशाखोरी से संबंधित दुष्प्रभावों को शामिल किया गया है।

राजमार्ग परियोजना के विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता

887. श्री अनन्त नायक : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक उड़ीसा में और अधिक सड़क तथा राजमार्ग परियोजना के विकास हेतु वित्त पोषण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पहचान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सड़क विकास परियोजना में भद्रक से जाशीपुर वाया आनन्दपुर और करंजिया तक की 142 कि.मी. सड़क को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस परियोजना के लिए विश्व बैंक की कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) यह मंत्रालय मूल रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। उड़ीसा में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जा रही/की जाने वाली कोई चालू/अपेक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना नहीं है। राज्यीय सड़कों का विकास और अनुरक्षण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

(ग) और (घ) यह एक राज्यीय सड़क है और राज्य सरकार ने विश्व बैंक से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए इस मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है।

समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग

888. श्री सुरेश कुरूप : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात उद्योग की समस्या के अध्ययन हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन का स्तर क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग के लिए पुनर्वास पैकेज पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा

889. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में हाल में हुए बम विस्फोटों के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने 290 कार्मिक तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भी 3 कम्पनियां तैनात की गई है। मेट्रो रेल की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में जांच/जामा–तलाशी; मेटल डिटेक्टर्स का प्रयोग; स्नाईफर श्वानों का प्रयोग; पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच; रेल के अन्दर स्टाफ की तैनाती; छोड़ी गई वस्तुओं के बारे में यात्रियों को शिक्षित करना इत्यादि, शामिल है।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति

890. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गरीब लोगों के लिए मकान

891. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल पटले :
श्री मुन्नी राम :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ती निर्माण सामग्री से निर्मित मकान उपलब्ध कराने का है जैसा कि दिनांक 23 सितम्बर, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को विचार भवनों के निर्माण हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने के मद्देनजर एक एकल खिड़की प्रणाली शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों को नई नीति का पालन करने का निदेश भी दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस निजी क्षेत्र की संभावित भागीदारी कितनी होगी;

(ज) क्या पूर्ववर्ती आवास नीति को पूरी तरह लागू किया गया है;

(झ) यदि नहीं, तो अब तक कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है और अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का राज्यवार प्रतिशत कितना है;

(ञ) क्या बायोमास आधारित सामग्री से मकान बनाने का प्रस्ताव है; और

(ट) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी को कब तक प्रयोग में लाए जाने की संभावना है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 1998 को संशोधित करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय शहर आवास और पर्यावास नीति, 2005 का प्रारूप तैयार किया गया है। प्रारूप नीति में कृषि और औद्योगिक कचरे तथा अन्य सामग्री पर आधारित भवन निर्माण सामग्रियों और घटकों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है जिससे कि गरीब लोगों को किफायती आश्रय दिया जा सके।

(ग) और (घ) प्रारूप नीति में यह भी सुझाव दिया गया है कि भवन नक्शे स्वीकृत करने की प्रक्रियाओं को विलम्ब से बचने के लिए सरल बनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, प्रारूप में सिंगल विन्डो एप्रोच का सुझाव दिया गया है।

(ङ) और (च) प्रस्तावित शहरी आवास और पर्यावास नीति का प्रारूप सभी राज्य सरकारों को उनके सुझाव हेतु परिचालित कर दिया गया है। चूंकि यह एक राज्य विषय है, राज्य सरकारें स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्क कार्रवाई कर सकती हैं।

(छ) प्रारूप नीति में, निजी क्षेत्र की भूमिका का भी सुझाव दिया गया है।

(ज) और (झ) आवास और पर्यावास नीति, 1998 पर मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई है तथा इसकी समीक्षा करने तथा इसे संशोधित करने का सुझाव दिया गया था ताकि देश में पर्यावास के सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके तथा किफायती दरों पर आश्रय और सेवायें मुहैया करायी जा सकें। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का राज्य–वार प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ञ) और (ट) राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति के प्रारूप में यह सुझाव दिया गया है कि आश्रय की आयु और क्वालिटी में वृद्धि करने के लिए बायोमास आवासों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

विवरण

शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का राज्य–वार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लोगों का प्रतिशत
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.47
3.	असम	7.47
4.	बिहार	32.91
5.	गोवा	7.52
6.	गुजरात	15.59
7.	हरियाणा	9.99
8.	हिमाचल प्रदेश	4.63
9.	जम्मू और कश्मीर	1.98
10.	कर्नाटक	25.25
11.	केरल	20.27
12.	मध्य प्रदेश	38.44
13.	महाराष्ट्र	26.81
14.	मणिपुर	7.47
15.	मेघालय	7.47
16.	मिजोरम	7.47
17.	नागालैंड	7.47
18.	उड़ीसा	42.83
19.	पंजाव	5.75
20.	राजस्थान	19.85
21.	सिक्किम	7.47
22.	तमिलनाडु	22.11
23.	त्रिपुरा	7.47
24.	उत्तर प्रदेश	30.89
25.	पश्चिम बंगाल	14.86
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप	22.11
27.	चण्डीगढ़	5.75

1	2	3
28.	दादरा व नगर हवेली	13.52
29.	दमन और दीव	7.52
30.	दिल्ली	9.42
31.	लक्षद्वीप	20.27
32.	पांडिचेरी	22.11
	अखिल भारत	23.62

[अनुवाद]

अशोक पेपर मिल का पुनरुद्धार

892. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम समझौते, 1985 के अनुसार असम स्थित अशोक पेपर मिल के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) वर्ष 1985 में हस्ताक्षर किये गये असम समझौते के अनुसरण में अशोक पेपर मिल (असम) को पुनरूज्जीवित करने हेतु असम सरकार के प्रयासों में उसको सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज में इस प्रयोजनार्थ 67.08 करोड़ रुपये का पूरे अनुदान की परिकल्पना की गई थी। भारत सरकार ने अब तक 62.08 करोड़ रुपये जारी किये है।

अशोक पेपर मिल (असम) लिमिटेड की जोगीघोपा यूनिट को दिनांक 3 अगस्त, 2000 से 25 वर्ष के दीर्घावधि पट्टे (लीज) पर मैसर्स नार्थ ईस्ट पेपर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (एनईपीआईएल) के सुपुर्द किया गया था। तत्पश्चात् इसके पुनरूज्जीवन, प्रबंधन तथा संचालन के लिए 10 जनवरी, 2001 को एक पट्टा (लीज) समझौता दर्ज किया गया था। चूंकि मैसर्स नार्थ ईसट पेपर एंड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पट्टा (लीज) समझौते के अनुसार मिल को शुरू करने के लिए पुनरूज्जीवित करने संबंधी लक्षित कार्य को पूरा करने में असफल रहा। अतः असम सरकार ने पट्टा (लीज) समझौते को समाप्त करने सहित पट्टाधारी के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही करने पर विचार किया। यह मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में है। इस बीच, असम सरकार को अशोक पेपर मिल के पुनरुद्धार हेतु पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी गई है।

मैला ढोने का उन्मूलन

893. श्री गणेश प्रसाद सिंह :

श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मैला ढोने का उन्मूलन करने के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों से इस नीतिगत निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी इस नीति को क्रियान्वित करना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2007 तक मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतया समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।

(ख) वित्त वर्ष 2005–06 के लिए बजट अनुमान (बी–ई) में राष्ट्रीय कार्य योजना के एक घटक के रूप में मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस स्कीम में शुष्क शौचालयों को दोहरे गर्त वाले जलवाही शौचालयों में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है ताकि मैला ढोने वालों को मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति दिलायी जा सके।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

एस.जे.एस.आर.वाई के अंतर्गत लक्ष्य

894. डा. सत्यनारायण जटिया :

श्री जोयाकिम बखला :

श्री रनेन बर्मन :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एस.जे.एस.आर.आई. के अंतर्गत परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित किए गए लोगों से संबंधित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ प्रदान करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के लाभार्थियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और उन्हें दिए गए बैंक ऋणों सहित कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) देश में दिनांक 1.12.1997 से कार्यान्वित की जा रही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) देश के शहरी गरीबी परिदृश्य में एक बदलाव लाने में सफल रही है। एसजेएसआरवाई के तहत दसवीं योजनावधि में वर्ष 2002–03 से स्वरोजगार के लिए लघु उद्यमों की स्थापना हेतु 80,000 शहरी गरीबों की सहयता करने तथा 1,00,000 शहरी गरीबों को क्षमता प्रशिक्षण देने का अखिल भारतीय वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्स/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को तदनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी गई थी ताकि अखिल भारतीय लक्ष्य हासिल किए जा सकें। गत तीन वर्षों अर्थात 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों तथा क्षमता प्रशिक्षण पाने वाले शहरी गरीबों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) एसजेएसआरवाई के दिशा–निर्देशों के अनुसार शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) घटक के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को कम से कम स्थानीय आबादी में उनकी संख्या के अनुपात में लाभ अवश्य मिलना चाहिए। स्कीम की शुरूआत से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या, एसजेएसआरवाई के यूएसईपी (सब्सिडी) घटक के तहत उन्हें दी गई सब्सिडी की राशि के साथ–साथ बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के संचयी ब्यौरे (राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए 30.9.2005 तक यथा सूचित) निम्नलिखित हैं :

श्रेणी	लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों को जारी कुल सब्सिडी (केन्द्र + राज्य) (लाख रु. में)	बैंकों द्वारा दिया गया कुल ऋण (लाख रु. में)
अनुसूचित जाति	115885	4663.62	22567.89
अनुसूचित जनजाति	28576	1374.25	5790.64
कुल	144461	6037.87	28358.53

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान एसजेएसआरवाई के तहत लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त व्यक्तियों तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे (आंकड़े 30.9.2005 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002–03		2003–04		2004–05	
		लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सं.	क्षमता प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सं.	क्षमता प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सं.	क्षमता प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	16996	8611	33719	5635	29413	4376

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	374	62	39	149	40	0
3.	असम	84	633	3067	548	1150	4638
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	5515	2634	36	0	3235	4559
6.	गोवा	35	0	0	0	189	345
7.	गुजरात	7584	6679	2014	4547	5952	7606
8.	हरियाणा	1780	1827	2965	3231	2379	4171
9.	हिमाचल प्रदेश	221	168	175	629	382	1201
10.	जम्मू व कश्मीर	3150	3939	681	838	1265	1748
11.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	5898	2658	8386	19200	4685	2709
13.	केरल	3784	1789	2198	5112	2968	4736
14.	मध्य प्रदेश	17387	6249	4799	8575	6404	7524
15.	महाराष्ट्र	13908	31737	13605	39357	23314	40866
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	2506
17.	मेघालय	1297	406	0	939	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	379
19.	नागालैण्ड	1472	510	1132	100	0	0
20.	उड़ीसा	2828	2602	8225	3439	1114	2911
21.	पंजाब	970	1605	724	1302	726	2613
22.	राजस्थान	7579	1408	4008	1696	4083	1957
23.	सिक्किम	109	210	47	0	90	273
24.	तमिलनाडु	15628	1742	3920	3033	2356	5016
25.	त्रिपुरा	549	485	347	765	598	4783
26.	उत्तरांचल	829	202	0	0	153	763
27.	उत्तर प्रदेश	11852	3993	6868	14452	8239	39538

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	पश्चिम बंगाल	7000	18606	2760	5880	4182	13649
29.	अडमान निकोबार द्वीपसमूह	2	0	1	0	3	0
30.	चंडीगढ़	53	205	45	242	68	1083
31.	दादरा व नगर हवेली	20	86	0	0	10	98
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	324	325	72	155	267	200
34.	पांडिचेरी	652	43	1070	1774	107	0
	कुल	127880	99411	100903	121594	103372	160248

जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक केन्द्र

895. श्री महावीर भगोरा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय क्षेत्रों जहां साक्षरता दर बहुत कम है, में शैक्षिक केन्द्रों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे शैक्षिक केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कोई समय अवधि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) मंत्रालय कम साक्षरता वाले जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु "शैक्षिक परिसर" योजना चलाता है, जिसके अंतर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार चिह्नित जनजातीय जिलों में जहां महिला साक्षरता 10% से कम है, महिलाओं की साक्षरता वृद्धि तथा आदिम जनजातीय समूहों की लड़कियों हेतु शैक्षिक परिसरों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण हेतु गैर–सरकारी संगठनों को निधियाँ निर्मुक्त की जाती हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर राज्य सरकारों के माध्यम से "स्वयंसेवी प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति" की सिफारिशें प्राप्त होने पर उपरोक्त परियोजना हेतु गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त करता है।

[अनुवाद]

डेयरी उत्पाद

896. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान डेयरी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है जबकि भारत अपने देश में दुग्धडेयरी उत्पादों की मांग की कमी को पूरा नहीं कर पाता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अविध के दौरान डेयरी उत्पादों का वर्षवार कितना निर्यात किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए डेयरी उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) जी, हां। डेयरी उत्पादों के निर्यात में पिछले तीन वर्ष के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार वृद्धि हुई है :

वर्ष	मूल्य लाख रु. में
2002–03	17644.76
2003–04	16155.54
2004–05	41354.51

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

तथापि, दुग्ध/डेयरी उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने में कमी की कोई रिपोर्ट भारत सरकार के ध्यान में नहीं आयी है। मौजूदा एग्जिम नीति के अनुसार सभी डेयरी उत्पादों का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है।

प्रतिभा पलायन

897. श्री राम कृपाल यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही आई.आई.टी. और चिकित्सा महाविद्यालयों से निकलने वाली प्रतिभाओं के पश्चिमी देशों में पलायन करने के परिणामस्वरूप देश अपनी प्रतिभाएं खोता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की ऐसी संस्थाओं में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा राष्ट्र को हुई ऐसी क्षति का आकलन कराया गया है जब एक भारतीय प्रतिभा विदेश में कार्य करने चली जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मेडिकल कॉलेजों के छात्र उच्च अध्ययन/रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। तथापि, देश छोडकर जाने वाले छात्रों का रिकॉर्ड इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता। भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के वर्तमान परिदृश्य में तकनीकी कार्मिकों का राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाना न केवल अपरिहार्य है अपितु कई मामलों में यह देश को सकारात्मक लाभ भी पहुँचा सकता है। योग्य इंजीनियरों और प्रविधिज्ञों को दूसरे देशों में चले जाने से रोकने हेतु कोई नियामक संरचना तैयार करने को न तो व्यवहार्य और न ही वांछनीय समझा गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिकों के बहिर्गमन को कम करने और विदेशों में बस चुके वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए भी सरकार द्वारा समय-समय पर कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :

(i) विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थाओं में उत्कृष्टता/उच्च अध्ययन के और अधिक केन्द्रों की स्थापना।

(ii) उद्यम विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी और उभरते क्षेत्रों में सहायता के लिए विदेशों में बसे हुए भारतीय मूल के ख्यातनाम पुरुष एवं महिलाओं को अल्पकालीन तकनीकी समनुदेशन के लिए निमंत्रण।

(iv) एम.टेक कार्यक्रम के लिए अध्येतावृत्तियों की संख्या और राशि में बढ़ोतरी जिसके फलस्वरूप एम.टेक कार्यक्रमों से अधिक छात्र जुड़ने लगते हैं।

(v) समय-पूर्व संकाय प्रवेश कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/स्थापत्य आदि के प्रतिभाशाली और युवा पूर्व-स्नातकों को शिक्षण को अपने कैरियर के रूप में चुनने के लिए आकर्षित करना है।

(vi) प्रवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थायी संकाय पदों पर नियुक्ति।

(vii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने नवाचार एवं उद्भवन केंद्र भी स्थापित किए हैं जो छात्रों को स्नातक होने के बाद अपना स्वयं का उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्सहित करते हैं।

(viii) विभिन्न एजेंसियों द्वारा निधियन प्राप्त प्रयोजित अनुसंधान परियोजनाओं पर काम जारी रखने के लिए स्नातक छात्रों को प्रोत्साहित करना।

(ix) छात्रों के कैरियर विकल्पों के लिए परामर्श सेवा सत्र संचालित करना और भारतीय उद्योगों तथा भारत में पंजीकृत संगठनों में छात्रों की भर्ती हेतु आवश्यक कदम उठाना।

विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना

898. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री खारवेल स्वाईं :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री शिशुपाल पटले :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

मोहम्मद शाहिद :

प्रो. एम. रामदास :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हैं;

(ख) इन संस्थानों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मूल विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने का है;

(घ) किन–किन राज्यों में इन प्रस्तावित संस्थानों की स्थानवार स्थापना की जानी है;

(ङ) क्या सरकार का इन संस्थानों की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र को भुवनेश्वर से कोलकाता में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) यदि नहीं, तो इस विज्ञान केंद्र का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) वर्तमान में देश में कोई भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल और पुणे, महाराष्ट्र में दो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया है।

(ङ) और (च) निजी क्षेत्र में विशेषज्ञता का उपयोग किए जाने के मुद्दे पर निर्णय संबंधित संस्थानों के शासी बोर्ड द्वारा किया जाना होता है।

(छ) भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र स्थापित करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था, अतः केन्द्र के स्थान परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) प्रश्न नहीं उठते।

बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता

899. श्री कमला प्रसाद रावत :

श्री टेक लाल महतो :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा देने और उनका पुनर्वास करने के लिए एक राष्ट्रीय पीड़ित सहायता कोष की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बलात्कार पीडितों को मुआवजा देने और उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ङ) प्रत्येक बलात्कार पीड़ित को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(च) क्या राज्य सरकार भी बलात्कार पीड़ित के पक्ष में वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना के माध्यम से धनराशि आहरित करने के लिए प्राधिकृत है; और

(छ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (छ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास के बारे में एक स्कीम का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग को अग्रेषित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह इस प्रारूप में कतिपय कमियों को दूर कर स्कीम को संशोधित करें। तत्पश्चात्, इस स्कीम के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचार मांगे जायेंगे।

गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले

900. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री 7.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1146 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने गुर्दा प्रत्यारोपण के मामलों में संलिप्त अस्पतालों के विरुद्ध अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जांच में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने इंद्रप्रस्थ अपोलो, अस्पताल, नई दिल्ली और सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली में किडनी प्रत्यारोपण में अवैध रूप से शामिल होने के संबंध में तीन मामले दर्ज किए थे। इन तीन मामलों में से, एक मामला न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है। दूसरा मामला पता न चला सका के रूप में भेज दिया गया है क्योंकि रिकार्ड में किसी के विरुद्ध भी कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, और तीसरे मामले में जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है और दिल्ली पुलिस आरोप-पत्र फाइल करने की प्रक्रिया में है।

यात्री पोत सेवा

901. श्री एल. गणेशन : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पत्तनों से श्रीलंका पत्तनों के लिए फेरी सेवा सहित मलेशिया और सिंगापुर के लिए यात्री पोत सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार के पास सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की पोत-परिवहन कंपनियों दोनों से प्राप्त ऐसे कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) क्या कार्गो मूवर्स और टूरिस्ट ऑपरेटरों ने इस संबंध में कोई मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस यात्री पोत सेवा के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र की नौवहन कंपनियों का कोई भी प्रस्ताव, सरकार के पास लंबित नहीं है।

(घ) से (च) हंटर शिपिंग एण्ड ट्रेडिंग, चेन्नई ने पोर्ट केलॉंग, मलेशिया और चेन्नई के बीच यात्री/क्रूज लाइनर सेवा चलाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है। उपर्युक्त प्रस्ताव की जॉंच की जा रही है।

[हिन्दी]

कागज का उत्पादन/खपत

902. श्री तूफानी सरोज : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान और तत्पश्चात् कागज का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या देश में कागज की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में कितने कागज की खपत हुई;

(घ) क्या दक्षिण-पश्चिम राज्यों में भारी और लगातार वर्षा के कारण वर्ष 2005-06 में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कागज के उत्पादन में कमी आने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा देश में कागज की मांग को पूरा करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगावेन) : (क) कागज और गत्ते का उत्पादन वर्ष 2004-05 में 58 लाख टन और अप्रैल से अगसत, 2005 के दौरान 25 लाख टन था।

(ख) और (ग) कागज और गत्ते की खपत वर्ष 2002-03 में 52 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 56 लाख टन और आगे वर्ष 2004-05 में 57 लाख टन हो गई है।

(घ) और (ङ) इस वर्ष अप्रैल-अगस्त के दौरान कागज और गत्ते का उत्पादन पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 24 लाख टन की तुलना में 25 लाख टन रहा है।

(च) कागज और गत्ते का उत्पादन लाइसेंस-मुक्त है। उदारीकृत आर्थिक परिदृश्य में निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा उनके वाणिज्यिक अनुमानों के आधार पर लिए जाते हैं। बढ़ती हुई

मांग को पूरा करने के लिए अच्छे किस्म के कागज के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार कच्चे माल और प्रक्रिया अनुसंधान, गुणवत्ता उन्नयन, ऊर्जा एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन, रासायनिक रिकवरी आदि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं को सहयोग प्रदान कर रही है।

आंतरिक सुरक्षा केन्द्र

903. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.आई.टी. कानपुर से देश में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक आंतरिक सुरक्षा केन्द्र की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को यह प्रस्ताव किस तारीख को और किस समय प्राप्त हुआ था;

(ग) क्या सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव को लागू करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय (एम एच ए) को, महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मुद्दों, विशेष रूप से जिन पर वैज्ञानिक, तकनीकी और विश्लेषणात्मक सुविज्ञता की आवश्यकता है, पर विचार करने में गृह मंत्रालय की सहायता करने के लिए आई.आई.टी. कानपुर से होमलैण्ड सुरक्षा केन्द्र का सृजन करने संबंधी एक प्रस्ताव 11.5.2005 का प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ङ) इस प्रस्ताव की गृह मंत्रालय में संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके जांच की गई है। आई.आई.टी. कानपुर से उनके पहले के प्रस्ताव पर हुए विचार–विमर्श को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।

हुर्रियत से वार्ता

904. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 2005 के दौन हुर्रियत का एक शिष्टमंडल जम्मू और कश्मीर में शांति प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए सरकार से मिला था;

(ख) यदि हां, तो हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हुर्रियत के नेताओं ने सरकार से शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाने का अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पोटा और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत बंद किए लोगों के मामलों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) घाटी में शांति बहाली के लिए बैठक में क्या रणनीति तैयार की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (छ) जी, हां। प्रधानमंत्री ने 5 सितम्बर, 2005 को मिरवाइज उमर फारुख के नेतृत्व में ऑल पार्टी हुरियत कांफ्रेंस (ए.पी.एच.सी.) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित सभी मुद्दों के शान्तिपूर्ण हल में पुनः विश्वास जताया तथा सरकार के इस दृष्टिकोण को पुनः दोहराया कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई भूमिका नहीं है। ए.पी.एच.सी. प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर बल दिया कि बातचीत के जरिए सम्मानजनक और स्थायी हल ढूँढा जाना चाहिए। इस पर सहमति हुई कि आगे एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्तरों पर सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त किया जाए। बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने पर भी सहमति हुई ताकि इसमें जम्मू और कश्मीर में सभी क्षेत्रों और राजनैतिक विचारधारा के सभी मतों को शामिल किया जा सके।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ए.पी.एच.सी. के साथ आयोजित वार्ताओं के अनुसरण में 3.10.2005 को श्रीनगर में संयुक्त छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई थी तथा जम्मू और कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा की गई थी। समिति ने चालीस (44) निरुद्ध व्यक्तियों को रिहा करने की सिफारिश की। राज्य सरकार ने

सिफारिश को स्वीकार कर लिया तथा समिति द्वारा संस्तुत व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

सरकार इसे एक अच्छी शुरूआत मानती है और आशा करती है कि राज्य में सभी ग्रुपों के साथ वार्ता से जम्मू और कश्मीर के सभी मुद्दों का सम्मानजनक हल ढूँढ़ा जा सकेगा।

[अनुवाद]

मृत्युदंड को समाप्त करना

905. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

श्रीमती जयाप्रदा :

श्री ब्रजेश पाठक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान आज की तारीख तक राज्यवार कितने लोगों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया गया है;

(ख) इनमें से अब तक कितने लोगों को फांसी दी जा चुकी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने लोगों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदला गया है;

(घ) क्या सरकार मृत्युदंड के संबंध में एक व्यापक नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) गत 10 वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा दी गई और जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे देने वाला विवरण I और II संलग्न है।

(ग) वर्ष 2001 में 2004 तक मृत्युदण्ड की सजा के आजीवन कारावास में परिवर्तित मामलों की कुल संख्या दशाने वाला विवरण III संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। मृत्युदण्ड के संबंध में एक व्यापक नीति पहले से ही उपलब्ध है और इसमें संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 1994 से 2004 के दौरान मृत्यु दंड दिए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0	2	1	4	0	0	0	1	3	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.	असम	3	0	1	2	1	0	1	3	1	1	2
4.	बिहार	17	6	20	16	12	13	18	13	20	25	16
5.	छत्तीसगढ़	*	*	*	*	*	*	उ.न.	1	5	2	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	1	0	1	5	3	0	5	19
8.	हरियाणा	0	0	6	2	0	3	5	8	2	3	उ.न.
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	उ.न.
10	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
11	झारखंड	*	*	*	*	*	*	उ.न.	0	4	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	कर्नाटक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.
13.	केरल	3	2	6	1	1	0	0	2	0	11	1
14.	मध्य प्रदेश	0	13	7	5	2	उ.न.	15	4	4	4	6
15.	महाराष्ट्र	2	5	14	8	8	0	10	7	13	14	4
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	5
21.	पंजाब	10	6	4	0	8	6	7	11	0	0	उ.न.
22.	राजस्थान	5	3	0	19	6	13	उ.न.	1	0	11	2
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	8	15	16	24	2	1
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	14	29	4	38	34	उ.न.	उ.न.	19	34	35	उ.न.
27.	उत्तरांचल	*	*	*	*	*	*	उ.न.	0	0	2	उ.न.
28.	पश्चिम बंगाल	3	7	14	1	9	उ.न.	उ.न.	6	3	0	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	1	उ.न.	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	1	0	1	3	2	8	5	7
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	60	73	77	103	81	46	87	106	126	142	66

नोट : 1. उ.न. का अभिप्राय है आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2. तमिलनाडु राज्य में वर्ष 1989 से 1998 के दौरान कुल 65 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया।

3. *वर्ष 2000 में सृजित राज्य।

4. वर्ष 2004 के लिए आंकडे अनन्तिम हैं।

विवरण-II

वर्ष 1994 से 2004 के दौरान (कैलेंडर वर्ष के दौरान) फांसी पर चढ़ाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	*	*	*	*	*	*	उ.न.	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	*	*	*	*	*	*	उ.न.	0	0	0	उ.न.
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	1	2	0	उ.न.	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उडीसा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.
22.	राजस्थान	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	0	0	0	उ.न.
27.	उत्तरांचल	*	*	*	*	*	*	उ.न.	0	0	0	उ.न.
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	0	0	0	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1

स्रोत : जेल के आंकडे

नोट : 1. उ.न. का अभिप्राय है आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

2. तमिलनाडु राज्य में वर्ष 1989 से 1998 के दौरान कुल 7 व्यक्तियों को फांसी दी गई (वर्ष–वार आंकडे उपलब्ध नहीं हैं)।

3. *वर्ष 2000 में सृजित राज्य।

4. वर्ष 2004 के लिए आंकडे अनन्तिम हैं।

विवरण-III

वर्ष 2001, 2002, 2003 एवं 2004 के दौरान आजीवन कारावास में परिवर्तित सजा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	2	1	3	8
4.	बिहार	50	89	73	6
5.	छत्तीसगढ़	21	0	2	0
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	1	0	0	0
8.	हरियाणा	2	8	0	उ.न.
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	उ.न.
10.	जम्मू और कश्मीर	1	0	5	5
11.	झारखंड	0	1	उ.न.	उ.न.
12.	कर्नाटक	0	0	0	उ.न.
13.	केरल	0	0	1	9
14.	मध्य प्रदेश	3	17	1	3

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	1	126	12	16
16.	मणिपुर	0	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0
19.	नागालैंड	6	4	5	0
20.	उड़ीसा	53	0	0	0
21.	पजाब	24	0	0	उ.न.
22.	राजस्थान	13	0	3	2
23.	सिक्किम	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	6	6	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	120	45	18	उ.न.
27.	उत्तरांचल	0	0	9	उ.न.
28.	पश्चिम बंगाल	2	0	0	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	2	3	0
34.	लक्षद्वीप	0	1	0	उ.न.
35.	पांडिचेरी	1	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	303	301	142	50

नोट : 1 उ.न. का अभिप्राय है आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

2. वर्ष 2004 के लिए आंकडे अनंतिम हैं।

स्रोत : वर्ष 2001, 2002, 2003 एवं 2004 के जेल के आंकडे।

सेतुसमुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट

906. श्री पी. मोहन :

श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने सेतुसमुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय लोगों को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस चैनल की गहराई प्रस्तावित गहराई की तुलना में कम कर दी गई है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) उक्त परियोजना किस वर्ष पूरी होगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त नहर से संबंधित कार्य संचालित करने हेतु सरकारी नियमों के अनुसार, स्थायी कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन और उससे संबंधित कार्य–संचालन के दौरान, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ कामगार ठेके के आधार पर, स्थानीय रूप से काम पर रख लिए जाएंगे।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) वर्ष, 2008।

[हिन्दी]

दलितों पर अत्याचार

907. श्री मुन्शी राम :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री शिशुपाल पटले :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री अशोक कुमार रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दलितों पर आक्रमणों, अत्याचारों की घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त घटनाओं के संबंध में ऐसे राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा दलितों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में आंकड़े वार्षिक आधार पर संकलित करता है। वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के लिए संकलित आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध के सूचित मामलों की संख्या क्रमशः 33507, 26252 तथा 25914 थी। इसी तरह 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध के सूचित मामलों की संख्या क्रमशः 6774, 5889 तथा 5534 थी। वर्ष 2002 से 2004 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति किए गए अपराधों तथा 2003 की तुलना में 2004 में प्रतिशत विभिन्नता को दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमशः विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अन्तर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य विषय हैं और इसलिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने, ऐसे अपराधों की रोकथाम करने तथा कमजोर वर्गों को रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। संघ सरकार ने उक्त अधिनियम के उपबंधों को कड़ाई से कार्यान्वित करने के संबंध में सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को कई सलाह जारी की हैं।

विवरण-I

2000 से 2004 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों की घटनाएं तथा 2000 और 2003 की तुलना में 2004 में प्रतिशत विभिन्नता

क्र.सं.	राज्स/संघ शासित क्षेत्र	घटनाएं			2003 की तुलना में 2004 में प्रतिशत विभिन्नता
		2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3385	3559	3255	–8.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	–
3.	असम	47	67	20	–70.1
4.	बिहार	1579	1747	1607	–4.6
5.	छत्तीसगढ़	443	709	698	–1.6
6.	गोवा	2	2	0	–100.0
7.	गुजरात	1370	1165	1309	12.4
8.	हरियाणा	243	195	217	11.3
9.	हिमाचल प्रदेश	97	107	89	–16.8
10.	जम्मू व कश्मीर	13	5	4	–20.0
11.	झारखण्ड	125	76	126	65.8
12.	कर्नाटक	1787	1844	1643	–10.9
13.	केरल	524	439	438	–0.2
14.	मध्य प्रदेश	7217	5507	4699	–14.7
15.	महाराष्ट्र	634	697	715	2.6
16.	मणिपुर	0	0	0	–
17.	मेघालय	0	0	0	0
18.	मिजोरम	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6
19.	नागालैण्ड	17	27	0	100.0
20.	उड़ीसा	1195	1157	1398	20.8
21.	पंजाब	131	127	134	5.5
22.	राजस्थान	4535	4329	4360	0.7
23.	सिक्किम	1	7	15	128.6
24.	तमिलनाडु	2097	1495	1156	–22.7
25.	त्रिपुरा	0	0	1	–
26.	उत्तरांचल	7927	2821	3785	34.2
27.	उत्तर प्रदेश	99	129	137	6.2
28.	प. बंगाल	4	5	14	180.0
	कुल (राज्य)	33473	26216	25881	–1.3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	
30.	चंडीगढ़	0	1	0	–100.0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	
32.	दमन व दीव	0	0	0	
33.	दिल्ली	16	13	10	–23.1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	
35.	पांडिचेरी	18	22	23	4.5
	कुल (संघ शासित)	34	36	33	–8.3
	कुल (समस्त भारत)	33507	26252	25914	–1.3

टिप्पणी : भारत में अपराध–04 आंकड़ों में उपलब्ध न होने के कारण बिहार के आंकडे मासिक अपराध आंकडों पर आधारित हैं।

एन ए : आकडे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-II

2000 से 2004 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों की घटनाएं तथा 2000 और 2003 की तुलना में 2004 में प्रतिशत विभिन्नता

क्र.सं.	राज्स/संघ शासित क्षेत्र	घटनाएं			2003 की तुलना में 2004 में प्रतिशत विभिन्नता
		2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	525	571	566	–0.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	87	66	75	13.6
3.	असम	39	20	12	–40.0
4.	बिहार	29	52	43	–17.3
5.	छत्तीसगढ़	508	774	676	–12.7
6.	गोवा	0	0	0	
7.	गुजरात	340	241	241	0.0
8.	हरियाणा	5	0	0	–
9.	हिमाचल प्रदेश	3	12	11	–8.3
10.	जम्मू व कश्मीर	6	1	1	0.0
11.	झारखण्ड	124	108	123	13.9
12.	कर्नाटक	240	167	173	3.6
13.	केरल	102	65	82	26.2
14.	मध्य प्रदेश	2504	1779	1667	–6.3
15.	महाराष्ट्र	271	217	231	6.5
16.	मणिपुर	0	4	0	–100.0
17.	मेघालय	2	0	0	–
18.	मिजोरम	40	0	0	–
19.	नागालैण्ड	371	263	0	–100.0
20.	उड़ीसा	480	484	519	–

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	0	0	0	
22.	राजस्थान	930	912	1031	13.0
23.	सिक्किम	10	6	32	433.3
24.	तमिलनाडु	77	67	27	–59.7
25.	त्रिपुरा	0	0	0	
26.	उत्तर प्रदेश	61	47	5	–89.4
27.	उत्तरांचल	3	5	3	–40.0
28.	पश्चिम बंगाल	12	3	9	200.0
	कुल (राज्य)	6769	5864	5527	–5.7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	0.0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	–
31.	दादरा और नगर हवेली	0	23	4	–82.6
32.	दमन व दीव	0	1	1	0.0
33.	दिल्ली	0	0	1	–
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	–
35.	पांडिचेरी	0	0	0	–
	कुल (संघ शासित)	5	25	7	–72.0
	कुल (समस्त भारत)	6774	5889	5534	–6.9

टिप्पणी : भारत में अपराध–04 आंकड़ों में उपलब्ध न होने के कारण बिहार के आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं।

[अनुवाद]

अपहरण के मामले

908. श्री जे. एम. आरून रशीद :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुवार उत्तर प्रदेश में अपहरण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं जैसा कि दिनांक 9 नवम्बर, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को अपहरण और इस जैसे अन्य जघन्य अपराधों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) 9 नवंबर, 2005 को दैनिक जागरण में उल्लिखित अपहरण एवं व्यपहरण के ब्यौरे, सितंबर, 2005 में "भारत में अपराध 2004 (भाग–I) शीर्षक में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) के प्रकाशन पर आधारित थे। इसके अनुसार, अपहरण एवं व्यपहरण के सबसे अधिक मामलों उत्तर प्रदेश (3337) और उसके बाद बिहार (2922) में दर्ज किए गए। एन सी आर बी के अनुसार, वार्षिक आंकड़े प्राप्त न होने के कारण बिहार के लिए मासिक अपराध आंकड़ों से 12 महीने के संकलित आंकड़े इस्तेमाल किए गए। इस तथ्य का उल्लेख रिपोर्ट का एक सीमाबन्धन के रूप में किया गया था। चूंकि बिहार के आंकड़े अनंतिम थे।

एनसीआरबी ने अब सूचित किया है कि बिहार से प्राप्त वार्षिक अपराध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004 के दौरान बिहार में अपहरण एवं व्यपहरण के सबसे ज्यादा मामले (3413) दर्ज किए गए हैं।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध दर्ज करने, उसकी जांच–पड़ताल करने, पता लगाने तथा उसका निवारण करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार, राज्य सरकारों को उनकी दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने हेतु संयुक्त प्रयास करने तथा राज्यों में अपराध को नियंत्रित करने हेतु कारगर उपाय करने के लिए समय–समय पर सलाह जारी करती रही है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में शिक्षा परिसर

909. श्री अजीत जोगी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में उन जिलों के क्या–क्या नाम हैं, जहां पर जनजातीय महिला साक्षरता हेतु शिक्षा परिसर चलाए जा रहे हैं;

(ख) उन संस्थाओं के क्या–क्या नाम हैं, जिनके संबंध में कलैक्टरों और राज्य सरकारों की सिफारिशों के बावजूद अभी तक उनका अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार उक्त संस्थाओं को शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुदान स्वीकृति हेतु क्या मानदंड हैं;

(ङ) क्या इन अनुदानों को स्वीकृति हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों के कम साक्षरता वाले इलाकों में महिला साक्षरता बढ़ाने हेतु "शैक्षिक परिसर" योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शैक्षिक परिसर चलाने तथा उसके अनुरक्षण हेतु विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विस (विश्वास) द्वारा संचालित कन्या शैक्षिक परिसर मां शारदा विद्यामंदिर ओरछा (अबुझमाद) को अनुदान स्वीकृत करता रहा है।

(ख) मंत्रालय राज्यों की "स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति" की अनुशंसा पर स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त करता है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की राज्य समिति ने मात्र उपरोक्त संगठन की अनुशंसा की है, जिसके लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005–06 के लिए अनुदान की प्रथम किस्त पहले ही स्वीकृत कर दी है।

(ग) और (घ) जी, हां। मंत्रालय, गैर–सरकारी संगठनों को शैक्षिक परिसरों को चलाने तथा उनके रखरखाव के लिए पांच वर्षों के लिए प्रति छात्र 1000 रुपये अनावर्ती तथा प्रति छात्र प्रत्येक वर्ष 9000 रुपये की आवर्ती अनुदान राशि निर्मुक्त करता है।

(ङ) और (च) मंत्रालय वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर राज्य सरकारों के माध्यम से राज्य समिति द्वारा दी गई सिफारिशें प्राप्त होने तथा योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की शर्त पर सहायता अनुदान स्वीकृत करता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 को चौड़ा करना

910. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 भरतपुर–जयपुर–रिंगस–सिकर–मार्ग को चौड़ा करने, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर–टोंक–कोटा–झालावाड़ मार्ग को मध्य प्रदेश की सीमा तक बढ़ाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 बनवाड़–पाली–सिरोही मार्ग को चार लाइनों का बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने से संबंधित कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 का संबंध है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III क के अंतर्गत भरतपुर–जयपुर खंड के लिए चार लेन बनाने का कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर दो पैकेजों में सौंपा गया है और इस कार्य को पूरा करने की संभावित तारीख मार्च, 2009 है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने बी ओ टी आधार पर एनएचडीपी चरण–III ख के अंतर्गत निम्नलिखित खंडों के उन्नयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य अनुमोदित कर दिया है जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

(i) रा.रा. 11 का जयपुर–रिंगुस खंड

(ii) रा.रा. का जयपुर–टोंक खंड

(iii) रा.रा. 14 का व्यावर पाली खंड

रा.रा. 11 के रिंगुस–सीकर खंड और रा.रा. 12 के टोंक–कोटा–झालावाड़ खंड को चौड़ा करने के लिए इन खंडों को एन एच डी पी चरण–III के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

शिक्षकों के रिक्त पद

911. श्री के. एस. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षकों के पदों को भरने के संबंध में लागू किए गए प्रतिबंधों को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) अधिकतर स्कूल राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जहां तक ऐसे स्कूलों का संबंध है, यह संबंधित राज्य सरकारों पर है कि वे इस पर निर्णय लें। जहां तक केन्द्र सरकार के अधीन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का संबंध है वह निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के आधार पर की गई है।

(ग) और (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की हिस्सेदारी वर्ष 1993–94 में 15.17 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2001–02 में बढ़कर 23.56 प्रतिशत हो गई। शिक्षा में और अधिक निजी भागीदारी की काफी गुंजाइश है।

जनजातीय विकास निधि का अन्यत्र उपयोग

912. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्या सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए स्वीकृत निधियों का भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग कियाजा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय विकास निधि के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है, जिसमें राज्य सरकारें स्वीकृत उद्देश्यों के इतर अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों का उपयोग कर रही हों।

(ग) राज्य सरकारें उनके द्वारा स्वीकृत की गई निधियों की उपयोगिता को मानीटर करती हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मंत्रालय द्वारा जनजातीय कल्याण योजनाओं के अधीन निर्मुक्त की गई निधियां उपयुक्त रूप से प्रयुक्त की जाती हैं, इस मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) निधियों की अगली निर्मुक्ति के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना।

(2) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में आवधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करना।

(3) केन्द्र सरकार के अधिकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण दौरा करते हैं।

(4) प्रस्तावों को समय से प्रस्तुत करने, योजनाओं का कार्यान्वयन तीव्र करने तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र स्तर पर जनजातीय राज्य के कल्याण विभाग के सचिवों की बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

(5) राज्य क्षेत्र स्तर पर जनजातीय सलाहकार समिति, आईटीडीपी की परियोजना कार्यान्वयन समिति और पंचायत समितियों जैसी एजेंसियां भी निधियों के समय से व्यय और योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं।

(6) लाइन विभागों/कार्यकारी एजेंसियों को राज्य योजना/वित्त और जनजातीय विकास विभागों द्वारा निधियों के वितरण में विलंब को रोकने के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन और उपयोगिता के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया गया है, जिसमें आईटीडीए/आईटीडीपी वार विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों को निर्धारित करने का प्रावधान है। दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था की गई है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईटीडीपी, एमएडीए क्लस्टरों, पीटीजी, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत आने वाली जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों संबंधी टीएसपी के अधीन कार्यान्वित वास्तविक कार्यक्रमों/योजनाओं का मूल्यांकन विशिष्ट रूप से किया जाए।

(7) गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं

के मामले में निधियों की निर्मुक्ति गैर–सरकारी संगठन की प्रतिष्ठा, विगत निष्पादन आदि के मूल्यांकन के बाद की जाती है। आवधिक प्रगति रिपोर्टों के अतिरिक्त, गैर–सरकारी संगठनों से वार्षिक लेखे तथा अंकेक्षित रिपोर्टें एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा की जाती है जिनके आधार पर निधियों की आगे निर्मुक्ति की जाती है। गैर–सरकारी संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकारणों एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु गैर-सरकारी संगठन

913. श्रीमती मेनका गांधी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004–2005 के दौरान देश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु गैर–सरकारी संगठनों को कौन–कौन से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय आवंटित किए गए और इनके लिए राज्य–वार अब तक किए गए वास्तविक प्रावधान और वित्तीय आवंटन क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इन विद्यालयों को मंजूरी देने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. खिन्डिया) : (क) जातीय कार्य मंत्रालय गैर–सरकारी संगठनों को, सहायता अनुदान की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। जिसका एक अवयव आवासीय/गैर–आवासीय विद्यालयों की स्थापना है। वर्ष 2004–2005 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2004–05 के दौरान प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु गैर–सरकारी संगठनों के नाम तथा उनको निर्मुक्त निधियों का विवरण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2004–05 में दिया गया है, जिसे संसद के समक्ष पहले ही रखा जा चुका है।

(ख) और (ग) उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने वर्तमान वित्त वर्ष से विद्यालयों सहित गैर–सरकारी संगठनों के सभी प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, जांच तथा स्वीकृति हेतु एक विकेन्द्रीकृत कार्यविधि बनाई है। इस कार्यविधि के अनुसार *जनजातीय आबादी वाले राज्यों को एक "स्वयंसेवी प्रयासों को समर्थन देने हेतु राज्य समिति" का गठन करना होगा, जो राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के पक्ष में इस योजना के अंतर्गत आवंटित राशि* के भीतर सेवा न्यून क्षेत्रों में अत्यावश्यक परियोजनाओं की जांच करेगी, प्राथमिकता निर्धारित करेगी तथा उसकी सिफारिश करेगी। मंत्रालय संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की समितियों से सिफारिशें प्राप्त होने के उपरांत उस पर कार्रवाई करता है।

विवरण

गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत वर्ष 2004–05 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार वित्तीय आवंटन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटित धनराशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	184.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.00
3.	असम	126.00
4.	बिहार	24.00
5.	छत्तीसगढ़	200.00
6.	दादरा और नगर हवेली	5.00
7.	दिल्ली	126.00
8.	गुजरात	269.00
9.	हिमाचल प्रदेश	10.00
10.	जम्मू व कश्मीर	38.00
11.	झारखण्ड	240.00
12.	कर्नाटक	84.00
13.	केरल	14.00
14.	मध्य प्रदेश	400.00
15.	महाराष्ट्र	320.00
16.	मणिपुर	28.00

1	2	3
17.	मेघालय	66.00
18.	मिजोरम	28.00
19.	नागालैण्ड	46.00
20.	उड़ीसा	289.00
21.	राजस्थान	243.00
22.	सिक्किम	4.00
23.	तमिलनाडु	25.00
24.	त्रिपुरा	36.00
25.	उत्तर प्रदेश	4.00
26.	उत्तरांचल	9.00
27.	पश्चिम बंगाल	167.00
	कुल	3000.00

जेनेवा में डब्ल्यूटीओ की बैठक

914. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **वाणिजय और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेवा में हुई डब्ल्यूटीओ की मंत्रियों की बैठक में कृषि क्षेत्र के आयात शुल्क के मुद्दे पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या भारतीय कृषकों के हितों की रक्षा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवेन) : (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कृषि करार संबंधी चल रही वार्ताओं के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ–साथ कृषि उत्पादों के आयातों पर कम वचनबद्ध शुल्कों के जरिए बाजार पहुंच वचनबद्धताओं पर जनवरी, 2000 में शुरू की गई वार्ताओं से विचार विमर्श चल रहा है, जिनके संबंध में वार्ताकारी अधिदेश 14 नवम्बर, 2001 की दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा के जरिए तैयार किया गया था। 1 अगस्त, 2004 के महापरिषद के निर्णय (कार्यढांचा करार) के जरिए यह भी सहमति हुई थी कि बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधारों के उद्देश्य को अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे चरणबद्ध टैरिफ कटौती फार्मूले के जरिए प्राप्त किया जाएगा कि अधिक ऊंचे स्तर पर वचनबद्ध उत्पाद के अधिक कटौतियों के अध्यधीन होंगे। विकासशील देशों के लिए विशेष और अलग व्यवहार व्यापार के सभी पहलुओं का अभिन्न हिस्सा होगा। 13–18 दिसम्बर, 2005 तक हांगकांग, चीन में आयोजित की जाने वाली डब्ल्यू टी ओ की मंत्रिस्तरीय बैठक में अन्य मुद्दों के साथ साथ आयात शुल्क में कमी किए जाने सहित कृषि वार्ताओं में शामिल मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। जी–33 सहित विभिन्न गठबंधनों में मंत्रिस्तरयी बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसकी अंतिम बैठक 12 अक्टूबर, 2005 को हुई थीं, जी–20 की बैठकें 12 अक्टूबर और 7 नवम्बर, 2005 को हुई थी तथा जी–4 की बैठक जेनेवा में 22 नवम्बर, 2005 को हुई थी तथापि टैरिफों में कटौती की मात्रा सहित बाजार पहुंच वचनबद्धताओं के विभिन्न पहलुओं पर मतभेद बना हुआ है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत ने डब्ल्यू टी ओ के समान हित और चिंताओं वाले अन्य सदस्यों के साथ यह मांग की है कि सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियां एक विश्वसनीय अंतिम तारीख तक अवश्य समाप्त कर दी जानी चाहिए और विकसित देशों द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की व्यापार विकृतिकारी सहायता में पर्याप्त रूप से कमी की जानी चाहिए। भारत ने यह रुख भी अपनाया है कि एक चरणबद्ध फार्मूले के आधार पर वचनबद्ध दरों से टैरिफ कटौतियां की जानी चाहिए जैसा कि कार्यढांचा करार में प्रावधान किया गया है। जी–20, जिसका भारत सदस्य है, विकसित सदस्यों द्वारा की गई वचनबद्धताओं की तुलना में विकासशील देशों द्वारा आनुपातिक रूप से कम वचनबद्धताओं के साथ टैरिफ कटौती फार्मूले, प्रत्येक चरण पर सीधी रेखीय कटौतियां करने के पक्ष में है। भारत ने यह रुख भी अपनाया है कि विकासशील देशों के लिए सार्थक और प्रचालनात्मक विशेष और अलग व्यवहार, विशेष उत्पादों और नए विशेष रक्षोपाय तंत्र के उपकरणों सहित वार्ताओं के सभी पहलुओं का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, ताकि खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा तथा विकासशील देशों में गरीब किसानों की ग्रामीण विकास आवश्यकताओं के समाधान को सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी योजना का विस्तार और आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या

915. श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राजस्थान सहित राज्यवार कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार देश में आंगनवाड़ी योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) राजस्थान सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 31.7.2005 तक संस्वीकृत एवं परिचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की राज्य–वार संख्या विवरण–I में दर्शायी गई है।

(ख) और (ग) सकरार ने हाल ही में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का विस्तार किया है। अतिरिक्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य–वार संख्या विवरण–II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.7.2005 की स्थिति के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		संस्वीकृत	परिचालित
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	56204	54870
2.	अरुणाचल प्रदेश	2359	2359
3.	असम#	25416	25302
4.	बिहार	60813	57486
5.	छत्तीसगढ़	20289	20289
6.	गोवा	1012	1012
7.	गुजरात	37961	37400
8.	हरियाणा	13546	13546
9.	हिमाचल प्रदेश	7354	7354
10.	जम्मू व कश्मीर##	18772	10398
11.	झारखण्ड	24171	22170
12.	कर्नाटक	40301	40301
13.	केरल	25393	25361
14.	मध्य प्रदेश	49787	49710
15.	महाराष्ट्र	63716	62679
16.	मणिपुर	4501	4500
17.	मेघालय	2218	2218
18.	मिजोरम	1361	1361
19.	नागालैण्ड	2770	2770
20.	उड़ीसा	34201	34201
21.	पंजाब	14730	14730
22.	राजस्थान	35821	35804
23.	सिक्किम	500	500
24.	तमिलनाडु	42677	42677
25.	त्रिपुरा	3874	3768
26.	उत्तर प्रदेश	106059	101352
27.	उत्तरांचल	6658	6609
28.	पश्चिम बंगाल	57540	54666
29.	अंडमान व निकोबार	527	527
30.	चंडीगढ़	300	300
31.	दिल्ली	3902	3842
32.	दादरा व नगर हवेली	138	138

1	2	3	4
33.	दमन व दीव	87	87
34.	लक्षद्वीप	74	74
35.	पांडिचेरी	677	677
अखिल भारत		764709	741038

#31.7.2004 तक की स्थिति

##आई.सी.डी.एस. स्कीम के विस्तार के भाग के रूप में 2 दिसम्बर, 2004 को जम्मू व कश्मीर में 19 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं तथा 6817 आंगनवाडी केन्द्र स्वीकृत किए गए।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अतिरिक्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केंन्द्रों की संख्या	
		आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं	आंगनवाड़ी केन्द्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	9562
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	678
3.	असम	23	6659
4.	बिहार	139	19602
5.	छत्तीसगढ़	6	9148
6.	गोवा	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	गुजरात	33	3523
8.	हरियाणा	12	2813
9.	हिमाचल प्रदेश	4	10894
10.	जम्मू व कश्मीर	19	6817
11.	झारखण्ड	कोई नहीं	6683
12.	कर्नाटक	कोई नहीं	11313
13.	केरल	कोई नहीं	3256
14.	मध्य प्रदेश	31	9537
15.	महाराष्ट्र	44	12864
16.	मणिपुर	कोई नहीं	कोई नहीं
17.	मेघालय	7	961
18.	मिजोरम	2	231
19.	नागालैण्ड	2	265
20.	उड़ीसा	कोई नहीं	3279
21.	पंजाब	6	2691
22.	राजस्थान	17	11041
23.	सिक्किम	6	488
24.	तमिलनाडु	कोई नहीं	3049
25.	त्रिपुरा	11	2220
26.	उत्तर प्रदेश	1	31498
27.	उत्तरांचल	कोई नहीं	1134
28.	पश्चिम बंगाल	58	17100
29.	अंडमान व निकोबार	कोई नहीं	94
30.	चंडीगढ़	कोई नहीं	29
31.	दिल्ली	कोई नहीं	526
32.	दादरा व नगर हवेली	1	77
33.	दमन व दीव	कोई नहीं	10
34.	लक्षद्वीप	कोई नहीं	कोई नहीं
35.	पांडिचेरी	कोई नहीं	11
	कुल	456	188055

शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद

916. डा. चिन्ता मोहन :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में यह खर्च 3–3.5 प्रतिशत है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत खर्च करने के निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई थी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा उससे आगे शिक्षा संबंधी कुल परिव्यय में वृद्धि की जाएगी ताकि उसे राष्ट्रीय आय के 6% भाग से अधिक बढ़ाया जा सके। तथापि, संसाधन संबंधी दिक्कतों तथा अन्य प्रतियोगी प्राथमिकताओं के कारण इस लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका। सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6% तक चरणबद्ध रूप से बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, जिसमें कम से कम आधी राशि प्राथमिक तथा माध्यमिक क्षेत्रों पर व्यय की जाएगी। अनंतिम आकलन के अनुसार वर्ष 2004–05 में सरकार (केन्द्र तथा राज्य) द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.49% है।

राजमार्गों के निर्माण हेतु विदेशी सहायता

917. श्री ब्रजेश पाठक : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में राजमार्गों के निर्माण हेतु रोड एवं हाइवे कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी ऑफ इटली सहित विदेश से सहायता लेने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते के अंतर्गत विदेशी एजेंसियों से किस प्रकार की सहायता ली जाएगी और देश में राजमार्गों के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) सहायता प्राप्त करने के बजाय समानता, पारस्परिकता, पारस्परिक लाभ के आधार पर सहकार और सहयोग के आशय से पिछले 10 वर्षों के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/सहयोग ज्ञापनों/आशय ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(i) सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और कार्यान्वयन में सहयोग के लिए मलेशिया सरकार और भारत सरकार के बीच सन् 1995 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ii) फ्रांस सरकार के लोक निर्माण, परिवहन और आवास मंत्रालय और भारत गणराज्य के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच सड़क क्षेत्र के संबंध में 20 जून, 2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावित होगा। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य औद्योगिक सहयोग करार और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए सड़क तकनीक और अवसंरचना रियायतों को अंतिम रूप देने और उनके प्रबंधन, उद्यमियों (सड़कों, उपस्कर सामग्री और इस क्षेत्र के लिए उपभोज्य उत्पादों के विनिर्माण के क्षेत्र में परामर्शी और इंजीनियरी कंपनियों) के बीच संबंधों को बढ़ाने और इनके विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच सूचना के आदान–प्रदान की अनुमति प्रदान करना था। यह समझौता ज्ञापन 19 जून, 2005 को समाप्त हो गया था।

(iii) समानता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर परिवहन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग और सहकार के लिए परिवहन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के संबंध में इस मंत्रालय के सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग तथा संयुक्त राज्य अमरीका के परिवहन विभाग के बीच 14 अप्रैल, 2005 को एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सहयोग और सहकार में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हो सकते हैं :

- भूतल परिवहन
- अंतर–माडल परिवहन
- सुरक्षा परिवहन
- अक्षम व्यक्तियों के लिए परिवहन

- कुशल परिवहन प्रणाली
- पारस्परिक हित के लिए अन्य क्षेत्र

(iv) अनुभव, अनुसंधान परिणाम और जानकारी तथा पारस्परिक हित के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त विकास कार्यक्रम और परियोजनाओं को शुरू करने के प्राथमिक उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और ए.एन.ए.एस., एस.पी.ए., इटली के बीच 5 अक्टूबर, 2005 को सहयोग कार्यक्रम संबंधी आशय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- पथकर सड़कों के निर्माण और प्रबंधन से संबंधित इटली और भारत के तकनीकी नियम और विधायी दस्तावेज।
- सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए सार्वजनिक/निजी भागीदारी के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के स्वरूप की परिभाषा।
- राजमार्ग प्रचालन और अनुरक्षण।

[अनुवाद]

जी-20 देशों की बैठक

918. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत और 20 विकासशील देशों के समूह ने इस वर्ष सितम्बर में भुर्बन (पाकिस्तान) में बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) विकसित देशों द्वारा कौन-कौन सी मुख्य व्यापार विकारी राजसहायताएं व्यवहार में लाई जाती हैं जिनसे विकासशील राष्ट्रों का अहित होता है; और

(घ) इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन और विकसित राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तीनों स्तंभों–घरेलू सहायता, निर्यात प्रतिस्पर्धा एवं बाजार पहुंच को शामिल करते हुए कृषि संबंधित वार्ताओं, समूह की भावी कार्यनीति का जायजा लेने और उस पर विचार–विमर्श करने के उद्देश्य से जी–20 के मंत्रियों की बैठक 9 एवं 10 दिसम्बर, 2005 को भुर्बन (पाकिस्तान) में आयोजित की गई थी। जी–20 द्वारा विचार–विमर्श के अन्य क्षेत्रों पर भी संक्षिप्त बातचीत की गयी जिसमें दोहा कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर–कृषि उत्पादों को बाजार पहुंच, सेवाएं, व्यापार सुविधा एवं नियमावलियां शामिल थीं।

(ग) घरेलू सहायता उपायों को उनके व्यापार विकृतिकारी प्रभावों अथवा उत्पादन पर होने वाले प्रभावों के आधार पर एम्बर बॉक्स, ब्ल्यू बॉक्स अथवा ग्रीन बॉक्स में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रीन बॉक्स उपायों के व्यापार विकृतिकारी प्रभाव अथवा उत्पादन पर प्रभाव नहीं होते अथवा न्यूनतम होते हैं और उन्हें कटौती से छूट दे दी गई और इसमें विशिष्ट रूप से अनुसंधान संबंधी सरकारी सामान्य सेवा कार्यक्रम, कीट एवं रोग नियंत्रण, प्रशिक्षण, विस्तार तथा परामर्श सेवाएं, निरीक्षण सेवाएं विपणन एवं संवर्धन सेवाएं तथा अवसंरचना सेवाएं व खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक स्टॉक रखना, घरेलू खाद्य सहायता तथा प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए तथा उत्पादकों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष भुगतान शामिल हैं। एम्बर बॉक्स उपायों, जिन्हें सर्वाधिक व्यापार विकृतिकारक माना जाता है, में बाजार कीमत सहायता, उर्वरकों, विद्युत, सिंचाई आदि पर सरकारी व्यय के रूप में प्रदत्त गैर उत्पाद विशिष्ट सहायता, तथा उत्पादकों को किए जाने वाले गैर–छूट भुगतान शामिल हैं और ये डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी करार में यथा उल्लिखित वचनबद्धताओं को कम करने एवं अन्य विषयों के अध्ययधीन हैं। ऐसी घरेलू सहायता के अलावा सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियों को व्यापार विकृतिकारक माना जाता है।

(घ) डब्ल्यूटीओ में चल रही वार्ताओं के अन्तर्गत डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियां किसी विश्वसनीय अंतिम तिथि तक समाप्त कर दी जानी चाहिए तथा व्यापार विकृतिकारक घरेलू सहायता में कटौतियों, नियमों एवं निगरानी के मिले–जुले माध्यम से पर्याप्त कमियां की जानी चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई है कि जिन सदस्यों की घरेलू सहायता का स्तर अधिक है, वे घरेलू सहायता पात्रताओं में सुमेलीकरण करने के लिए अधिक कटौतियां करेंगे और ब्ल्यू बॉक्स भुगतानों की अधिकतम सीमा वार्षिक कृषि उत्पादन मूल्य के 5 प्रतिशत पर रखेंगे। विकसित एवं विकासशील दोनों सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के तौर तरीकों पर विचार–विमर्श किया जा रहा है। कमी की मात्रा तथा ब्ल्यू बॉक्स व ग्रीन बॉक्स में वर्गीकृत की जाने योग्य घरेलू सहायता उपायों के मानदण्डों एवं नियमों सहित तौर–तरीकों के विभिन्न पहलुओं पर सदस्यों में मतभेद है। वार्ताएं 2006 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है।

लघु उद्योगों का मझौले उद्योगों के साथ समूहीकरण

919. श्री राम सिंह कस्वां : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों का मझौले उद्योगों के साथ समूहीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार लघु उद्योगों को मझौले उद्योगों में बदलने के लिए प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) सरकार ने लघु तथा मध्यम उद्यम विकास (एस एम ई डी) बिल, 2005 को लोक सभा में 12 मई, 2005 को प्रस्तुत कर दिया है। विश्वव्यापी व्यवहार्यों के अनुरूप तथा वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2002–05 एवं वर्ष 2005–06 के बजट भाषणों के इस संदर्भ में की गई घोषणाओं के अनुसार इस बिल में लघु तथा मध्यम उद्यमों दोनों के वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है तथा इसमें ऐसे प्रावधान हैं, जो लघु उद्योगों को मध्यम उद्योगों में विकसित होने को प्रोत्साहित करेंगे।

बांग्लादेश के साथ महानिदेशक स्तर की वार्ता

920. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल स्तर की वार्ता सितंबर, 2005 में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वार्ता के दौरान संयुक्त गश्त और विश्वास बढ़ाने के उपायों संबंधी मुद्दे पर चर्चा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस पर बांग्लादेश की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने बांग्लादेश में चल रहे उग्रवादी प्रशिक्षण शिविरों की एक सूची सौंपी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर बांग्लादेश से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जी, हां। नई दिल्ली में सितम्बर, 2005 में महानिदेशक स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन हुआ था जिसमें महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल ने, एक साथ समन्वित गश्त लगाने, खेल–कूद, संस्कृति और प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में आदान–प्रदान को शामिल कर विश्वास निर्माण संबंधी उपाय बढ़ाने पर जोर दिया। बांग्लादेश राइफल्स (बी. डी.आर.) ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। तथापि, साथ–साथ समन्वित गश्त लगाने संबंधी परस्पर सहमत मसौदे के तौर तरीकों को सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स द्वारा अभी संयुक्त रूप से औपचारिक रूप दिया जाना है।

(घ) और (ङ) विभिन्न भारत विद्रोही गुपों (आई.आई.जी.) जिनके बारे में बताया गया है कि ये बांग्लादेश की जमीन पर विद्यमान हैं, के 172 शिविरों की सूची, सीमा सुरक्षाबल ने सितम्बर, 2005 को हुए पिछले महानिदेशक स्तर के सीमा समन्वय सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश राइफल्स को सौंपी थी। तथापि, बांग्लादेश राइफल्स ने बांग्लादेश की जमीन पर किसी भी आई.आई.जी. शिविर के होने से इंकार कर दिया। बांग्लादेश राइफल्स ने यह भी दोहराया कि वे किसी दूसरे देश के हितों के विरुद्ध काम करने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति को कोई आश्रय या सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 को चार लेन वाला बनाना

921. श्री देविदास पिंगले : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाडापे–गोंडे से धुलिया तक के राजमार्ग–3 को चार लेन वाला बनाने हेतु एक प्रस्ताव केंद्र सरकार की अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे संबंधित पर्यावरणीय और अन्य संबंधित स्वीकृति कतिपय शर्तों के अध्यधीन दो वर्ष पूर्व दे दी गई थी परंतु असंगत विचारों से रोक दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) क्या इस परियोजना को बी.ओ.टी. सिस्टम के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो रुचि रखने वाले पक्षों के नाम क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) रा.रा. 3 के वडापे–धुले खंड को चार लेन का बनाने का कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण–III के अंतर्गत अनुमोदित कर दिया गया है। वडापे–गोंदे और पिंपलगांव–धुले खंड एन.एच.डी.पी. चरण–IIIक के अंतर्गत चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है और यह कार्य बी. ओ.टी. आधार पर चार लेन का बनाने के लिए सौंप दिया गया है। रा.रा. 3 के गोंडे–नासिक–पिंपलगांव खंड एनएचडीपी चरण–III ख के अंतर्गत चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) धुले–पिंपलगांव खंड के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अनापत्ति–पत्र प्रदान कर दिया है। वडापे–गोंडे खंड के लिए पर्यावरण अनापत्ति–पत्र प्राप्त किया जा रहा है। गोंडे–नासिक–पिंपलगाव के लिए पर्यावरण अनापत्ति–पत्र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा।

(ङ) और (च) यह परियोजनाएं निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू की गई हैं। वडापे–गोंडे खंड (100 कि. मी. लंबाई) मैं. गेमन–सदभाव विलमोरिया (संयुक्त उद्यम) को सौंपा गया और पिंपलगांव–धुले खंड (118 कि.मी. लंबाई) मै. इरकॉन सोमा (संयुक्त उद्यम) को सौंपा है।

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार समझौता

922. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार समझौता करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन–किन क्षेत्रों में भारत–दक्षिण कोरिया समझौता किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

जम्मू कश्मीर में लेह तक वैकल्पिक मार्ग

923. श्री रूपचन्द मुर्मू :

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने मनाली से जम्मू–कश्मीर में लेह तक एक वैकल्पिक मार्ग बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) नए मार्ग की लंबाई कितनी है और इसकी संभावित लागत कितनी है;

(घ) इस वैकल्पिक मार्ग के निर्माण से क्या लाभ प्राप्त होंगे;

(ङ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(च) क्या वैकल्पिक नए मार्ग के बाद श्रीनगर–लेह राष्ट्रीय राजमार्ग–1ए को बंद कर दिया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। सरकार ने मनाली दारचा–शिनकुनला–पदमा–निमू–लेह तक एक वैकल्पिक मार्ग बनाने का निर्णय लिया है जो हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों से गुजरेगा।

(ख) वैकल्पिक मार्ग दारचा (मनाली–लेह सड़क पर 144 कि.मी. पर स्थित) से प्रारंभ होगा और शिनकुनला और पदमा से गुजरेगा तथा निमू (श्रीनगर–लेह सड़क पर) को जोड़ेगा जिसमें रोहतांग दर्रे को बाइपास करने के लिए एक सुरंग का निर्माण शामिल है।

(ग) वाया रोहतांग सुरंग और दारचा–परमा–निमू सड़क की कुल लंबाई मनाली से लेह तक 427 कि.मी. होगी और इसकी संभावित लागत 1355.82 करोड़ रु. है।

(घ) यह रूट विद्यमान रूट पर तीन ऊंचे पर्वतीय दर्रों अर्थात् बारलचा, लचूंगला और तगलंगला को बाइपास करेगा। इससे लेह के लिए बारहमासी मार्ग उपलब्ध होगा। इस पर बर्फ हटाने के लिए न्यूनतम प्रयास करने होंगे। वैकल्पिक मार्ग से यात्रा दूरी में लगभग 40 से 45 कि.मी. की कमी आएगी जिससे यात्रा समय और

प्रचालन लागत की बचत होगी। यह रूट नियंत्रण रेखा से दूर होगा और इसलिए यह अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होगा।

(ङ) सुरंग जिसे 2014 में पूरा किया जाएगा को छोड़कर इस सडक को मार्च, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(च) और (छ) जी, नहीं। श्रीनगर–लेह रूट का उपयोग किया जाता रहेगा।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम

924. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :**

श्री अनन्त नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने कोयला खान व्यवसाय में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम विदेशों में कोयला खानों का अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कम्पनी के रूप में मै. एमएसटीसी लगातार नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगा रहा है।

हिमालयन हाइवे

925. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले हिमालयी हाइवे पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो हिमालयन हाइवे द्वारा कौन–कौन से पर्यटन स्थल जुड़ेंगे और इस परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) तुनी, चकराता, मसूरी, धनोल्टी, चम्बा, नई टिहरी, श्रीनगर, कर्ण प्रयाग, गैर सैण, रानीखेत, अल्मोड़ा, लोहाघाट पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए उत्तरांचल में एक हिमालयन राजमार्ग के निर्माण के लिए उत्तरांचल सरकार से एक प्रस्ताव पारित हुआ है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तरांचल में हिमालयन राजमार्ग में 409 किलोमीटर राज्यीय सड़क और 251 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। राष्ट्रीय सड़क खंड के सुधार के लिए उत्तरांचल राज्य सरकार जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों, जिनके लिए यह मंत्रालय जिम्मेदार है, सुधार के लिए साध्यता रिपोर्ट हेतु प्राक्कलन की जांच की जा रही है। मंत्रालय द्वारा 409 किलोमीटर राज्यीय सड़क के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु उत्तरांचल सरकार से प्राप्त प्राक्कलन अनुमोदित कर लिया गया है। साध्यता रिपोर्ट पूरी होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सकती है और इसलिए परियोजना के चालू होने की तारीख के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत

926. **श्री अर्जुन सेठी : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाने और मध्याह्न भोजन में पौष्टिक खाना देने की केंद्र सरकार योजना के दोहरे लक्ष्य के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। सितम्बर, 2004 से प्रभावी संशोधित मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों को 8–12 ग्राम प्रोटीन के साथ कम से कम 300 कैलोरी का पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। संशोधित योजना के लागू होने से शामिल बच्चों की संख्या वर्ष 2004–05 के 11.20 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2005–06 में करीब 12 करोड़ हो गई है।

ऋण का पुनर्भुगतान

927. श्री वाई. जी. महाजन :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं लघु उद्योगों को समय पर भुगतान नहीं करते हैं जिसके कारण लघु उद्योगों को ऋणों आदि का पुनर्भुगतान रोकने के लिए बाध्य होना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योग (एस.एस.आई.) संघ समय-समय पर अन्य के साथ-साथ, राज्य सरकारों तथा राज्य स्वामित्व वाले उपक्रमों के विरुद्ध विलम्बित अदायगियों के संबंध में शिकायत करते रहे हैं। लघु उद्योगों को विलम्बित अदायगियों के मद्देनजर संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने लघु तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित अदायगियों पर ब्याज अधिनियम, 1993 (1988 में यथा संशोधित) लागू किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित की गई उद्योग सुविधा परिषदें विलम्बित अदायगी के मामलों में राज्य सरकारों तथा राज्य स्वामित्व वाले उपक्रमों सहित लघु उद्योगों एवं क्रेताओं के बीच मध्यस्थों अथवा सुलहकर्ताओं के रूप में कार्य करती हैं।

[हिन्दी]

अंतर्राज्यीय पुलों तथा सड़कों का निर्माण

928. श्री रामदास आठवले : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तीन वर्षों के दौरान आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय पुलों और सड़कों का निर्माण करने के लिए गुजरात तथा अन्य राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में चालू वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित आयोजनागत स्कीम के अन्तर्गत अतर्राज्यीय सड़कों और पुलों के सुधार/निर्माण के लिए गुजरात और अन्य राज्यों को धनराशि प्रदान कर रही है। इस स्कीम में उन राज्यीय सड़कों का सुधार शामिल है जो अंतर्राज्यीय संपर्क प्रदान करती हैं और आर्थिक महत्व की हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को प्रदान की गई धनराशि के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान गोवा और झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों के लिए धनराशि निर्धारित की गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई धनराशि के ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रदान की गई धनराशि		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.16	6.00	2.57
2.	असम	0.15	0.00	6.50
3.	छत्तीसगढ़	3.22	4.23	0.00
4.	गोवा	0.33	0.00	0.00
5.	गुजरात	0.00	7.82	0.00
6.	जम्मू व कश्मीर	0.14	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	0.00	2.00	2.00
8.	महाराष्ट्र	1.06	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4.81	2.66	2.50
10.	मिजोरम	8.45	4.00	1.75
11.	उड़ीसा	0.00	0.49	2.60
12.	राजस्थान	1.90	0.00	0.00
13.	सिक्किम	1.79	1.15	0.50

1	2	3	4	5
14.	तमिलनाडु	0.00	1.15	1.07
15.	त्रिपुरा	0.00	0.00	1.63
16.	उत्तरांचल	2.00	23.07	0.00
17.	उत्तर प्रदेश	0.00	11.95	0.00

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

929. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के टूटे-फूटे तथा मरम्मत न किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से पश्चिम बंगाल तथा झारखंड सहित देश के प्रत्येक राज्य में अक्तूबर, 2005 तक गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल कितनी किलोमीटर सड़क की मम्मत की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई;

(ङ) क्या फरक्का पश्चिम बंगाल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पिछले कई वर्षों से टूटा है तथा वाहन आपरेटरों से स्थानीय प्राधिकारी और असामाजिक तत्व काफी पैसा ले रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत कार्य एक सतत प्रक्रिया है और प्रतिवर्ष क्षति का आकलन किया जाता है तथा सड़क की स्थिति और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर अपेक्षानुसार विभिन्न मरम्मत कार्य किए जाते हैं।

(घ) आवंटित धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) रा.रा. 80 की लगभग 10 कि.मी. लंबाई पश्चिम बंगाल में है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ हिस्सा नहर के किनारे स्थित है और खराब स्थिति में है। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड के पुनर्संरेखण की आवश्यकता है और विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस मंत्रालय को स्थानीय प्राधिकारियों और असामाजिक तत्वों द्वारा प्रचालकों से वसूल की जा रही किसी राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, यह कानून व्यवस्था की समस्या है और राज्य का विषय है। इस राजमार्ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नहीं सौंपा गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आवंटित/जारी की गई धनराशि के ब्यौरे

क्र.स.	राज्य	मरम्मत के लिए आवंटित/जारी की गई धनराशि (करोड़ रु.)			
		2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.44	37.42	35.13	34.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.31	0.41	0.37
3.	असम	26.92	23.27	26.59	28.86
4.	बिहार	30.46	29.48	46.28	37.57
5.	दिल्ली	0.12	0.42	0.75	0.42
6.	छत्तीसगढ़	25.60	15.35	26.99	19.53

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	4.15	5.03	2.80	3.3566
8.	गुजरात	10.51	22.47	34.86	30.66
9.	हरियाणा	10.30	11.19	11.80	11.59
10.	हिमाचल प्रदेश	12.51	13.45	17.75	18.70
11.	जम्मू और कश्मीर	0.88	0.54	0.44	0.42
12.	झारखण्ड	16.97	15.46	23.28	18.96
13.	कर्नाटक	45.82	38.73	34.40	36.60
14.	केरल	23.74	20.81	13.20	19.45
15.	मध्य प्रदेश	48.03	57.50	59.49	55.14
16.	महाराष्ट्र	47.39	49.85	48.48	50.50
17.	मणिपुर	6.01	6.96	8.79	11.03
18.	मेघालय	8.70	9.41	14.63	10.18
19.	मिजोरम	6.20	5.55	4.87	4.58
20.	नागालैण्ड	1.86	1.98	3.79	3.64
21.	उड़ीसा	42.37	42.51	37.24	37.36
22.	पांडिचेरी	0.76	0.83	0.84	0.80
23.	पंजाब	17.59	20.09	20.26	19.18
24.	राजस्थान	33.86	27.93	53.09	45.54
25.	तमिलनाडु	41.62	41.36	37.99	34.78
26.	उत्तरांचल	5.84	3.66	14.60	12.60
27.	उत्तर प्रदेश	39.85	55.68	53.87	50.04
28.	पश्चिम बंगाल	20.69	23.57	24.95	23.17

[हिन्दी]

सिक्किम से दार्जिलिंग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोध

930. श्री रशीद मसूद : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम से दार्जिलिंग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजामार्ग पर अवरोध से पर्यटन पर काफी बुरा असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रशासनिक तथा निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं,

(ग) क्या सिक्किम सरकार द्वारा केंद्र सरकार को एक

वैकल्पिक सड़क का निर्माण करने के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा गया है ताकि दार्जिलिंग–सिक्किम राजमार्ग से न जाना पड़े; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) वाया तीस्ता सिक्किम को सिबोक से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ए कभी–कभी अवरुद्ध हो जाता है जिससे पर्यटन प्रभावित होता है। मेली और रंगपो (सिक्किम की ओर) के बीच एक वैकल्पिक राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) जैसा कि उल्लेख किया गया है सिक्किम में मेली से रंगपो वैकल्पिक राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव एस.ए.आर. डी.पी–इन.ई. में शामिल किया गया है। सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिनांक 22.9.2005 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सीमा सड़क संगठन से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके कार्यान्वयन की समय सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

स्व-सहायता समूहों द्वारा केवीआईसी को बढ़ावा देना

931. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्व–सहायता समूहों की महिला सदस्यों की सहायता करने हेतु उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उनकी विपणन नीतियों में सहायता करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार स्व सहायता समूहों, जिसमें महिला उद्यमियों द्वारा सृजित समूह शामिल हैं, को ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए केवीआईसी के माध्यम से मार्जिन मनी और सार्वजनिक क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकों आदि के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवा कर 1 अप्रैल, 2002 से सहायता दी जा रही है। 31 मार्च, 2005 तक आरईजीपी के अन्तर्गत महिला स्व सहायता समूहों की 127 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ग) और (घ) केवीआईसी ऐसे स्व–सहायता समूहों को प्रदर्शनियों में भाग लेने और केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के आउटलेट्स तथा केवीआईसी/राज्य केवीआईबी से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से उनके उत्पादों की बिक्री द्वारा उन्हें विपणन सहयोग उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं सहित ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को, केवीआईसी/राज्य केवीआईबी के प्रशिक्षण केंद्रों और केवीआईसी/राज्य केवीआईबी से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

लश्कर-ए-तोएबा की गतिविधियां

932. श्री उदय सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31.10.05 को 'द स्टेट्समैन' में 'एल ई टी टर्निंग दिल्ली इन्दु आप्रेशनल बेस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सराकर को इस बात की जानकारी है कि राजधानी लश्कर–ए–तोएबा (एल ई टी) संगठन के संचालन के केन्द्र के रूप में तेजी से उभर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस तथा विभिन्न आसूचना एजेन्सियां राजधानी में एल ई टी की गतिविधियों को रोकने में असफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एल ई टी की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त आतंकवादियों/व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावपूर्ण कार्रवाई की है। अभी तक इस वर्ष के दौरान 45 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी हमलों की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा

उठाए गए कदमों में शामिल हैं—बाजारों के प्रवेश स्थलों पर विशेष जांच करना और रोक लगाना; परित्यक्त वाहनों की जांच करना; बाजार क्षेत्रों में विशेषकर साइबर कैफे के स्टाफ की जांच करना और उन्हें ब्रीफ करना; मेहमानों और उनके सामान तथा उन वाहनों जिनसे वे आते है के बारे में पूर्ण ब्यौरे रखने को सुनिश्चित करने के लिए होटलों में प्रवेश द्वार पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरों की स्थापना सुनिश्चित करने के बारे में होटलो/गैस्ट हाउस के प्रबंधक और स्टाफ को ब्रीफ करना; किरायेदारों का सत्यापन; पुराने वाहनों के खरीददारों के पूर्ण ब्यौरे रखने के लिए ऑटो डीलरों को ब्रीफ करना; एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ स्वामियों/परिचालकों की नियमित जांच करना; सैलुलर फोन और सिम कार्ड विक्रेताओं की जांच करना; ऑटो–स्टैन्ड और टैक्सी स्टैन्डों की जांच करना; बाजार कल्याण संघों और आवास कल्याण संघों के साथ बैठकें करना; मेट्रो रेल कामगारों/स्टाफ को ब्रीफ करना; सरकारी भवनों के सुरक्षा कार्मिकों को सुग्राही बनाना, आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की नियमित रूप से जांच करना जिन्होंने विगत में आतंकवादियों तथा जेल से रिहा आतंकवादियों आदि को शरण दी हो; आई ईडी, आदि का पता लगाने के लिए वाहनों की जांच करने हेतु उनके परिचालकों तथा चालकों, को ब्रीफ करने के लिए डी.टी.सी. डिपो प्रबन्धकों और निजी ऑपरेटरों को सुग्राही बनाना आदि।

[हिन्दी]

तम्बाकू का उत्पादन और निर्यात

933. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश–वार तम्बाकू का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तम्बाकू के उत्पादन में चीन और ब्राजील के बाद भारत का स्थान तीसरा है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में अच्छी गुणवत्ता वाले तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 (सितम्बर तक) के दौरान भारत से अविनिर्मित तम्बाकू के निर्यात का एक देश–वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2004–05 के दौरान अविनिर्मित तम्बाकू का निर्यात मात्रा के अनुसार 8 प्रतिशत और कीमत के अनुसार 17 प्रतिशत बढ़ा है। वर्तमान वर्ष 2005–06 (सितम्बर, 2005 तक) के दौरान वृद्धि क्रमशः 13 प्रतिशत और 11 प्रतिशत रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) तम्बाकू बोर्ड कई विस्तार और विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है—जैसे मॉडल परियोजना क्षेत्र, समेकित कीट प्रबन्धन आदि ताकि परिवर्तनशील अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए तम्बाकू की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की चिन्ताओं का निराकरण वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए उपजकर्ताओं को प्रशिक्षित और शिक्षित करने पर ध्यान केन्द्रित करके किया जाता है।

विवरण

अविनिर्मित तम्बाकू का निर्यात निष्पादन

(मात्रा टन में, मूल्य लाख रुपये में)

क्र.सं.	देश	अप्रैल, 2003–मार्च, 2004		अप्रैल, 2004–मार्च, 2005		अप्रैल, 2005–सितम्बर, 2006	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. पश्चिमी देश						
1.	आस्ट्रेलिया	825	533.08	1688	1019.26	236	102.79
2.	बेल्जियम	12843	8543.51	12906	11737.90	10486	9653.77

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	डेनमार्क	327	365.87	416	429.34	238	294.08
4.	फिनलैंड	—	—	—	—	—	—
5.	फ्रांस	4512	2414.66	4054	2094.35	3056	1302.27
6.	जर्मनी	13163	11872.41	5926	5559.26	1816	1645.58
7.	यूनान	1344	1057.71	—	—	—	—
8.	आयरलैंड	40	42.33	385	330.08		
9.	आयरिश गणराज्य	—	—	—	—	—	—
10.	इटली	806	396.85	315	237.04	217	151.32
11.	नीदरलैंड	6715	6167.46	4128	3499.25	3003	2766.65
12.	नार्वे	1416	859.67	655	380.68	—	—
13.	पुर्तगाल	139	156.93	—	—	58	73.66
14.	स्पेन	263	200.56	62	36.32	59	59.86
15.	स्वीडन	1092	329.26	2225	609.53	123	30.11
16.	स्विट्जरलैंड	38	51.84	225	219.07	79	41.76
17.	यू.के.	5892	5347.86	8149	7913.28	4781	3807.33
	उप जोड़	49415	38340.00	41134	34065.36	24152	19939.18
	II. पूर्वी यूरोप						
1.	आर्मेनिया	220	172.82	40	31.20	—	—
2.	अजरबैजान	560	501.78	40	34.35	160	138.12
3.	बेलारूस	909	406.90	554	333.56	220	123.01
4.	बुल्गारिया	1194	1011.82	1431	1273.56	160	126.56
5.	क्रोएशिया	107	111.89	107	105.85	—	—
6.	चेक/स्लोवाकिया	883	660.42	174	113.43	1	2.10
7.	एस्टोनिया	—	—	—	—	—	—
8.	जार्जिया	84	68.43	76	51.65	—	—
9.	हंगरी	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कजाकिस्तान	970	660.51	1372	940.75	302	195.59
11.	लाटविया	465	332.75	238	166.02	303	224.40
12.	लिथुआनिया	137	55.45	20	15.56	—	—
13.	मसीडोनिया	278	247.63				
14.	मॉण्टेनेग्रो	—	—	692	380.99	—	—
15.	पोलैंड	752	563.1	2652	1982.97	1837	1175.48
16.	रोमानिया	—	—	479	307.55	130	92.60
17.	रूस	23312	10820.45	27674	16242.49	13904	9090.92
18.	सर्बिया	218	270.28	—	—	198	36.63
19.	स्लोवेनिया	—	—	—	—	—	—
20.	यूक्रेन	4131	1734.5	6796	3513.27	3171	1884.89
21.	उज्बेकिस्तान	—	—	—	—	—	—
22.	युगोस्लाविया	—	—	—	—	—	—
	उप जोड़	34220	17618.73	42345	25493.50	20386	13090.30
	III. मध्य पूर्व						
1.	बहरीन	—	—	—	—	10	8.89
2.	साइप्रस	—	—	—	—	—	—
3.	ईरान	—	—	—	—	—	—
4.	इराक	1674	1191.00	—	—	—	—
5.	इजराइल	259	150.19	27	19.40	32	22.5
6.	जार्डन	1743	1272.54	1721	1260.24	683	657.02
7.	कुवैत	—	—	1	1.41	—	—
8.	ओमान	—	—	—	—	—	—
9.	कतर	—	—	—	—	—	—
10.	सउदी अरब	—	—	33	9.21	—	—
11.	तुर्की	565	477.25	377	362.09	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	यूएई	573	552.05	560	262.81	27	13.6
13.	यमन	7281	2362.58	7785	2611.96	3916	1666.73
	उप जोड़	12095	6005.61	10504	4527.12	4888	2388.74
	IV. दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया						
1.	बांग्लादेश	1420	1224.65	2170	1874.98	1410	1204.81
2.	कम्बोडिया	20	21.91	29	29.88	–	–
3.	चीन	–	–	–	–	–	–
4.	डीपीआर कोरिया	5726	562.29	4473	1341.77	1967	180.30
5.	हांगकांग	99	90.29	140	143.59	–	–
6.	इंडोनेशिया	780	819.89	64	20.91	–	–
7.	जापान	196	216.33	114	109.39	–	–
8.	मलेशिया	554	611.39	353	420.25	320	307.03
9.	मालदीव	40	11.73	60	17.80	12	3.31
10.	म्यांमार	–	–	–	–	–	–
11.	नेपाल	4819	3072.96	5372	3342.38	2723	1601.77
12.	फिलीपींस	354	445.5	2040	2480.17	1868	1829.02
13.	सिंगापुर	2330	2401.32	3092	3244	2750	2466.21
14.	श्रीलंका	956	240.46	767	201.52	427	163.96
15.	वियतनाम	78	63.30	3297	2513.83	4913	3473.47
	उप जोड़	17372	9782.02	21971	15720.45	16380	11229.86
	V. आफ्रीका						
1.	अल्जीरिया	–	–	298	116.45	–	–
2.	अंगोला	20	13.02	–	–	–	–
3.	कामरून	211	249.68	177	203.06	29	33.4
4.	कनारी द्वीप	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	कांगो	–	–	–	–	–	–
6.	जिबूती	176	49.31	175	73.11	75	25.98
7.	मिस्र	2721	1976.49	9107	7407.91	1156	975.85
8.	इथोपिया	336	268.51	–	–	269	164.15
9.	गोम्बिया	–	–	10	2.35	–	–
10.	केन्या	–	–	225	247.41	59	73.69
11.	लीबिया	100	114.47	96	104.54	–	–
12.	मलावी	–	–	–	–	–	–
13.	मोरीटेनिया	20	2.28	–	–	–	–
14.	मारीशस	44	21.76	29	16.06	–	–
15.	मोरक्को	730	317.35	915	744.02	429	359.29
16.	मोजाम्बिक	–	–	–	–	–	–
17.	नाइजीरिया	668	549.8	811	965.16	294	362.11
18.	रवान्डा	–	–	–	–	–	–
19.	दक्षिण अफ्रीका	3816	3118.13	3497	2416.19	522	294.51
20.	सेनेगल	15	4.6	40	6.75	100	46.82
21.	सोमालिया	–	–	49	15.52	25	10.19
22.	सूडान	–	–	–	–	40	29.06
23.	तंजानिया	–	–	14	14.22	–	–
24.	ट्यूनीशिया	1000	427.78	1150	746.14	150	67.03
25.	जायरे	–	–	–	–	–	–
26.	जिम्बाब्वे	213	148.07	509	321.13	156	160.13
	उप जोड़	10070	7261.25	17102	13400.02	3304	2602.21
	VI. उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका						
1.	अर्जेंटीना	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ब्राजील	1266	1201.31	613	734.33	–	–
3.	कनाडा	154	91.97	169	119.65	256	169.86
4.	चिली	–	–	–	–	–	–
5.	कोलम्बिया	–	–	20	15.45	–	–
6.	डोमिनिकन गण.	18	7.97	–	–	18	9.35
7.	गुयाना	–	–	–	–	–	–
8.	हैती	–	–	–	–	–	–
9.	जमैका	–	–	–	–	–	–
10.	पराग्वे	492	135.88	277	116.63	389	310.46
11.	पेरू	–	–	–	–	–	–
12.	सूरीनाम	–	–	–	–	–	–
13.	त्रिनिडाड एवं टोबेगो	–	–	–	–	–	–
14.	यू.एस.ए.	1863	649.55	2797	1321.70	2094	715.99
15.	उरूग्वे	59	28.00	80	45.80	71	25.13
	उप जोड़	3852	2114.68	3956	2353.56	2828	1220.79
	VII. आस्ट्रेलिया						
1.	आस्ट्रेलिया	885	1081.46	788	903.88	526	558.87
2.	न्यूजीलैंड	248	309.25	369	426.67	29	35.92
3.	पी.एन. गिनी	–	–	–	–	–	–
4.	सालोमन द्वीप	29	35.03	–	–	–	–
	उप जोड़	1162	1425.74	1147	1329.55	555	594.79
	महायोग	128186	82548.03	138159	96889.56	72283	51045.89

[अनुवाद]

मारीशस के साथ व्यापार समझौता

934. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मारीशस के बीच हाल ही में एक व्यापार समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित होने/की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

तथापि भारत और मारीशस एक व्यापक आर्थिक सहयोग और सहभागिता करार (सी.ई.सी.पी.ए.) के साथ इसके एक हिस्से के रूप में अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) पर वार्ताएं कर रहे हैं।

(ग) करार के साथ–साथ कार्यान्वयन अनुसूची पर भी बातचीत चल रही है और संबंधित समय सीमा इसको अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही स्पष्ट होगी।

फुटकर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

935. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री वाडिगा रामकृष्णा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकरार द्वारा फुटकर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) मौजूदा नीति खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) की अनुमति नहीं देती है। एफ.डी.आई. हेतु खोले जाने वाले नये क्षेत्रों सहित एफ.डी.आई. नीति की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। खुदरा व्यापार क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति नहीं देने संबंधी मामले पर शेयर धारकों के बीच विचार–विमर्श किया जा रहा है और इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु निधियों का आवंटन

936. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु राजस्थान राज्य को कितनी निधियां आवंटित की गईं;

(ख) क्या केन्द्रीय सड़क निधि हेतु राजस्थान के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु राजस्थान में 2296.09 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। चालू वर्ष 2005–06 के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उसे राज्य में सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए खर्च किए गए 40.36 करोड़ रु. (अक्तूबर, 2005 तक) के अलावा राजस्थान सरकार को 75.36 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 143.36 करोड़ रु. के 112 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

कॉल गर्ल्स तथा वेश्याओं की गिरफ्तारी

937. श्री सुबोध मोहिते : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में कुछ कॉल गर्ल्स/वेश्याओं को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये अधिकांश युवा लड़कियां मुम्बई से हैं और पहले, बार गर्ल्स के रूप में काम करती थीं; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली पुलिस ने हाल में दो लड़कियों को गिरफ्तार किया है जो पहले मुम्बई बार बाला के रूप में कार्य करती थीं।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा इस समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, इस तरह के अपराधों में शामिल संदिग्ध असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखने के लिए पुलिस कार्मिकों को ब्रीफ करना, ऐसे अपराधों में संलिप्त और संदेहास्पद होटलों/गेस्ट हाऊसों की लगातार जांच करना; स्थानीय स्तर पर आसूचना

एकत्र करना और सेक्स रैकेट में संलिप्त संदिग्ध लोगों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करना; और इन गतिविधियों पर सूचना लेने के लिए सार्वजनिक और सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करना शामिल है।

लघु वन उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

938. प्रो. एम. रामदास : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का अभाव वाणिज्य संचालन में ट्राइबल को–आपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन के सामने एक प्रमुख बाधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लघु वन उत्पादों के लिए एमएसपी निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा इस मामले पर पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ बात की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रमुख लघु वनोत्पादों के मूल्यों को स्थिर करने तथा जनजातीय लोगों को लाभप्रद मूल्य देना सुनिश्चित करने के लिए एक अलग निधि स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) से (घ) मल्टी–स्टेट कॉपरेटिव सोसायटिज एक्ट, 2002 के संदर्भ में, जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) एक मल्टी कॉपरेटिव सोसायटी है;

ट्राइफेड ने उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उपनियमों में अप्रैल, 2003 में संशोधन किया है। संशोधित जनजातीय उत्पादों के विपणन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सेवा मुहैया कराने की है। परिणामतः ट्राइफेड जनजातीय लोगों से लघु वन उत्पादों एवं कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष प्रापण जैसे कार्यों में संलग्न नहीं है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के विषय को इससे पहले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ उठाया गया है। परंतु, उस मंत्रालय का विचार था कि समर्थन मूल्य निर्धारण करना प्रत्यक्षतः राज्य सरकार का कार्य है।

पांच प्रमुख लघु वन उत्पादों, नामः–महुआ फूल, शहद, महुआ बीज, इमली तथा साल बीज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का विषय कृषि एवं सहकारी विभाग के कृषि मूल्य एवं दाम आयोग (कमीशन फार एग्रीकल्चरल कोस्ट्स एंड प्राइसेस) के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दहेज के कारण मौत

939. श्री नवीन जिन्दल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आज की तिथि तक दिल्ली में दहेज के कारण कुल कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दहेज संबंधी कानूनों को और सख्त बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005 (15 नवम्बर तक) के दौरान दिल्ली में सूचित दहेज के कारण हुई कुल मौतों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या
2002	136
2003	132
2004	126
2005 (15 नवंबर तक)	103

(ख) प्रत्येक दहेज संबंधी मृत्यु के मामले में सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट जांच कार्यवाही करते हैं और उनकी सिफारिश के आधार पर दहेज संबंधी मृत्यु का मामला दर्ज किया जाता है। दहेज संबंधी मृत्यु और महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित अन्य सभी मामलों की जांच या तो महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाती है या उन्हें जांच–पड़ताल प्रक्रिया से सम्बद्ध किया जाता है। इन मामलों का डी सी पी द्वारा गहन रूप से प्रबोधन किया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिनियम/कानूनों को

और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उचित संशोधन सुझाने के उद्देश्य से दहेज निषेध अधिनियम 1961 संबंधित कानूनों के मौजूदा उपबंधों की समीक्षा कर रहा है।

हथियार और गोला-बारूद जब्त करना

940. श्रीमती जयाप्रदा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 2005 में किडरपुर डॉक के गोदाम के एक कन्टेनर में भारी मात्रा में हथियार और गोला–बारूद मिला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सितम्बर, 2003 में ए के–47 हथियारों से भरा एक ट्रक कोलकाता पत्तन में पार्क किया हुआ मिला था;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) 30 अगस्त, 2005 को कोलकाता बंदरगाह में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा होंडुरास एक जहाज को रोका गया था। जहाज की माल सूची के अनुसार 20 एम एम (200 नग)–गोली बारूद के लिए फ्यूज, 76 एम एम (200 नग) गोली बारूद के फ्यूज, मोटार शैल (80 नग) के लिए फ्यूज, 30 एम एम (4200 नग)–गोली बारूद के राउंद और 40 एम राउंद और 40 एम एम बोफोर्स (6519 नग) के लिए गोली बारूद का माल था। 31 अगस्त, 2005 को जहाज की माल सूची का नौसेना और सेना द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया और अपने गंतव्य स्थान इंडोनेशिया जाने वाले उस जहाज की माल–सूची को सही पाया गया। सीमा शुल्क प्राधिकारियों को जकार्ता स्थित दूतावास से इस आशय की पुष्टि प्राप्त होने पर कि यह माल इंडोनेशिया की नौ सेना के लिए था, भारतीय नौसेना के जहाजों के मार्ग रक्षण में इस जहाज को 25 सितम्बर, 2005 को इंडोनेशिया जाने दिया।

(ग) और (घ) कोलकाता पुलिस ने 3 सितम्बर, 2003 को धोबी तालाब क्षेत्र, गार्डन रीच, कोलकाता (पत्तन क्षेत्र) के पार्किंग स्थल में एक ट्रक से ए के–47 असॉल्ट राइफलों के 7.62 क्षमता वाले गोली–बारूद के 25,485 राउंद बरामद किए थे।

(ङ) छह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और गोली–बारूद जब्त कर लिया गया। शस्त्र अधिनियम की धारा 25/26 के तहत कोलकाता पुलिस ने उनके विरुद्ध आरोप–पत्र दायर किया है।

(च) सुरक्षा एजेंसियां, आवश्यक सतर्कता बनाए रखती हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करती हैं।

आंगनवाड़ी में श्रेणी देने संबंधी प्रणाली

941. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों में कुपोषण से लड़ने में आंगनवाड़ी के निष्पादन के आधार पर उन्हें श्रेणी देने की प्रणाली शुरू करने का है जैसा कि 10 अक्तूबर, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में सभी सामुदायिक विकास खण्डों को शामिल करने के लिए आई.सी.डी.एस. का विस्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस विस्तार के बाद बढ़ा हुआ अतिरिक्त व्यय कितना है; और

(ङ) इस प्रकार श्रेणी प्रणाली से योजना की गुणवत्ता में किस सीमा तक सुधार होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग ने सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा है कि वे आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के संबंध में आंगनवाड़ियों के निष्पादन के आधार पर उनका मूल्यांकन करने तथा उन्हें यथोचित मान्यता देने की प्रणाली विकसित करें। राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन निष्पादन के मूल्यांकन के लिए अपनी–अपनी आवश्यकतानुसार प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस स्कीम के विस्तार पर प्रति वर्ष 476.00 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(ङ) आंगनवाड़ी केन्द्रों के निष्पादन के आधार पर उनका वर्गीकरण किए जाने से जहां एक ओर कार्यकर्त्रियों को अच्छे से

अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर इस स्कीम के लाभर्थियों को भी बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी।

सड़क उपरि पुलों का निर्माण

942. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :**
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे कितने समपार हैं जहां शीघ्रातिशीघ्र सड़क उपरि पुलों के निर्माण की आवश्यकता है;

(ख) क्या स्थलों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सड़क उपरि पुलों के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) चालू वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(च) क्या इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त आवंटन किया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या केंद्र सकरार का विचार आवंटन को बढ़ाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) पंजाब में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे 42 लेवल क्रासिंग हैं जहां सड़क उपरि पुलों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इनमें से दो सड़क उपरि पुलों का निर्माण चल रहा है, (एक कुराली में रा. रा. 21 पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर और दूसरा मोरिंडा बाइपास पर रा.रा. 95 पर) तथा 12 सड़क उपरि पुलों का निर्माण और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) जी, हां। एन एच ए आई द्वारा निष्पादित किए जा रहे सड़क उपरि पुल सहित सड़क उपरि पुलों के स्थानों की पहचान कर ली गई है।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही सड़क उपरि पुलों के निर्माण की लागत बताई जा सकती है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए 47.00 करोड़ रु., आवधिक नवीकरण के 13.08 करोड रु. और राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 5.82 करोड़ रु. केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब को उसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित किए गए हैं। जहां तक एन एच ए आई को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, प्राधिकरण द्वारा राज्यवार कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(च) से (ज) विभिन्न राज्यों को आवंटन धनराशि की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और कार्यों की प्रगति के आधार पर किया जाता है। संशोधित प्राक्कलन के समय धनराशि की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण/पुरुद्धार

943. **श्री विजय कृष्ण** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और पुनरूद्धार किया गया;

(ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सड़कों के निर्माण हेतु बिहार को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बिहार में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	निर्मित लंबाई (कि.मी. में)
2002-03	–	–
2003-04	2	12
2004-05	2	92
जोड़		104

(ख) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कें राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य धनराशि की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 3629 कि.मी. लंबाई में से 799 कि.मी. लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है और शेष 2830 कि.मी. लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग पक्ष, सड़क निर्माण विभाग पर रा.रा. पक्ष आर सी डी, बिहार के पास है। सन् 2003 से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जो रा.रा. पक्ष आर सी डी बिहार के पास है, सड़कों के सुधार और पुलों के पुनर्निर्माण/मरम्मत विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 245.06 करोड़ रु. की लागत से कुल 799 कि.मी. लंबाई में सुधार कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रूटीन मेंटेन्स पर 121.63 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और II के अंतर्गत रा.रा. 2 पर स्वर्णिम चतुर्भुज और रा.रा. 28, 31 और 57 पर पूर्व–पश्चिम महामार्ग के तौर पर एन एच ए आई द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की 719 किलोमीटर लंबाई में उन्नयन कार्य शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, एन एच डी पी चरण–III के अंतर्गत उन्नयन के लिए 890 किलोमीटर लंबाई अभिनिर्धारित की गई है जिसमें रा.रा. 28 ए और रा.रा. 57ए की 80 कि.मी. लंबाई उन्नयन के लिए एन एच ए आई को सौंपी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के भिन्न सड़कों के सुधार के लिए सन् 2002–2003 से केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बिहार राज्य के लिए 96.08 करोड़ रु. के पहुंच मार्गों सहित 17 सड़क और पुल सुधार कार्य स्वीकृत किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान अंतर्राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत 4.55 करोड़ रु. की लागत से राज्यीय सड़क हेतु एक सुधार कार्य स्वीकृत किया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस मंत्रालय द्वारा बिहार के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों के सुधार हेतु विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटित/व्यय की गई धनराशि इस प्रकार है :

(करोड़ रु.)

आवंटन	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए	281.23	308.81	477.69	361.46
अन्य सड़कें (सी आर एफ/ अंतर्राज्यीय संपर्क/आर्थिक महत्व)	33.90	24.49	25.91	46.28

[अनुवाद]

मदरसा शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता

944. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी 15 सूत्रीय कार्यक्रम में मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण सम्मिलित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मदरसा अध्यापकों को वेतन का भुगतान न करने के लिए संबद्ध राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इन अध्यापकों को समय पर उनका वेतन दिलाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याण से सम्बन्धित प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में यह उल्लेख किया गया है कि "यह देखने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभों को अल्पसंख्यक स्पष्ट और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं।" यह मंत्रालय 'क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम' की केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। शिक्षा अल्पसंख्यकों को अधिकार सम्पन्न बनाकर उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने को सुविधाजनक बनाती है। सरकार ने किसी भी राज्य सरकार को मदरसा शिक्षकों के वेतन का भुगतान न करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस उद्देश्यार्थ अपनी अपेक्षित निधियों को तथा अपने पास बची हुई राशि के सम्बन्ध में सूचना भेद दें ताकि जहां आवश्यकता हो वहां अतिरिक्त निधियां प्रदान की जा सकें। राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निधियां प्रदान कर दी गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 53 की मरम्मत

945. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुरघाट तथा धालेश्वर के बीच राष्ट्रीय

राजमार्ग–53 का 4 कि.मी. हिस्सा काफी खराब तथा जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है और काफी समय से इसकी मरम्मत नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा सड़क संगठन द्वारा मरम्मत कार्य तेजी से पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इसकी समय सीमा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) बदरपुरघाट (28.46 किलोमीटर) से धालेश्वर (25.15 किलोमीटर) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–53 का सड़क खंड वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा तीव्र तात्कालिक मरम्मत कार्य किए गए हैं। पुनः स्थापन के भावी कार्य के लिए 2.52 करोड़ रु. की धनराशि मंजूर की गई है। पुनः स्थापन कार्यों के मई, 2006 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

नाबालिग लड़कियों का विवाह

946. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यायालय द्वारा 15 साल से कम आयु की लड़की के विवाह को एक विशेष मामला करार देकर सही माना गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए नाबालिगों की विवाह करने की उम्र को कम करने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में रिट–याचिका दायर करने की कार्रवाई कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव

947. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला और बाल विकास योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों के किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान गैर–सरकारी संगठनों से वर्ष–वार तथा राज्य–वार प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे गैर–सरकारी संगठनों की कुल संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके प्रस्ताव स्वीकृत/रद्द किए गए हैं तथा आज की तिथि तक लम्बित पड़े हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त एवं संस्वीकृत प्रस्तावों की वर्ष–वार एवं राज्य–वार संख्या विवरण–I में दर्शाई गई है।

गत तीन वर्षों के दौरान जिन गैर–सरकारी संगठनों को राशियां निर्मुक्त की गईं, उनका राज्य–वार एवं स्कीम–वार विवरण विभाग की संबंधित वार्षिक रिपोर्टों में तथा विभाग की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बजट प्राक्कलनों एवं संशोधित प्राक्कलनों में किया गया स्कीम–वार तथा वर्ष–वार आवंटन और वास्तविक व्यय विवरण–II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)

प्राप्त और अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव			अनुमोदित प्रस्ताव		
		2002	2003	2004	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	10	4	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	8	12	–	–	–
3.	असम	16	33	6	3	3	1
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	1	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	3	3	34	–	–	–
8.	हरियाणा	1	2	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	3	4	15	–	–	–
10.	जम्मू व कश्मीर	2	1	–	–	–	–
11.	झारखण्ड	–	–	1	–	–	–
12.	कर्नाटक	2	5	36	1	2	–
13.	केरल	4	4	33	1	–	1
14.	मध्य प्रदेश	2	2	9	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	7	3	4	1	3	1
16.	मणिपुर	8	25	43	–	1	2
17.	मेघालय	–	–	1	–	–	–
18.	मिजोरम	1	7	1	1	–	–
19.	नागालैण्ड	8	13	78	1	2	–
20.	उड़ीसा	7	3	5	3	–	–
21.	पंजाब	3	2	3	2	–	–
22.	राजस्थान	1	10	33	2	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	1	1	2	–	–	–
24.	तमिलनाडु	4	1	6	–	–	–
25.	त्रिपुरा	7	4	2	–	–	–
26.	उत्तरांचल	3	5	5	1	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	10	2	2	3	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	5	21	1	–	–
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–			
2.	चंडीगढ	–	–	–			
3.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–			
4.	दमन व दीव	–	–	–			
5.	दिल्ली	3	–	–			
6	लक्षद्वीप	–	–	–			
7	पांडिचेरी	–	–	–			
	कुल	104	153	356	21	12	5

स्वावलम्बन स्कीम

वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान प्राप्त/अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों की राज्य–वार संख्या

क्र.स.	राज्य का नाम	2002		2003		2004	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	190	190	6	2	141	4
2.	असम	96	19	102	18	117	5
3.	मणिपुर	55	31	95	22	327	15
4.	केरल	15	12	35	14	124	5
5.	कर्नाटक	6	1	25	10	240	8
6.	नागालैण्ड	5	5	2	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	पश्चिम बंगाल	88	70	26	13	289	25
8.	महाराष्ट्र	21	9	83	25	147	12
9.	उड़ीसा	17	14	16	9	57	32
10.	गुजरात	–	–	16	3	81	2
11.	जम्मू व कश्मीर	22	1	79	15	–	–
12.	तमिलनाडु	26	14	62	10	57	4
13.	बिहार	–	–	–	–	19	–
14.	हरियाणा	18	2	28	17	46	12
15.	हिमाचल प्रदेश	–	–	4	–	4	1
16.	मध्य प्रदेश	181	37	10	–	89	14
17.	राजस्थान	–	–	46	5	110	–
18.	पंजाब	17	–	17	6	12	2
19.	दिल्ली	–	–	–	–	12	1
20.	उत्तर प्रदेश	519	137	208	69	5	1
21.	उत्तरांचल	17	1	38	17	63	10
22.	चण्डीगढ़	–	–	6	2	–	–
23.	मेघालय	–	–	11	1	–	–
24.	मिजोरम	–	–	44	–	–	–
25.	त्रिपुरा	–	–	34	–	8	–
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	10	–	6	–
27.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	23	–	23	–
28.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	4	–
29.	झारखण्ड	–	–	–	–	1	1
30.	गोवा	–	–	–	–	1	–
31.	सिक्किम	–	–	–	–	4	–
	कुल	1293	543	1026	259	2027	153

स्वाधार स्कीम

वर्ष 2002–03 से 2004–05 के दौरान प्राप्त एवं संस्वीकृत प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002–03		2003–04		2004–05	
		प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	1	4		21	10
2.	असम	12		3		13	2
3.	दिल्ली	1	3	3	1		
4.	गुजरात	6	4	3	1	2	2
5.	हरियाणा	3	1	6			
6.	हिमाचल प्रदेश					3	
7.	जम्मू व कश्मीर	2	2	1			
8.	कर्नाटक	6	1	16	3	7	12
9.	केरल	3				1	
10.	मध्य प्रदेश	2		1		2	
11.	महाराष्ट्र	13	1	16			5
12.	मिजोरम	2			1		
13.	मणिपुर	7		18	1	10	9
14.	मेघालय			1		1	
15.	नागालैण्ड			2		1	
16.	उड़ीसा	10		10	1	30	20
17.	राजस्थान	2	1	3	1		
18.	तमिलनाडु	30	5	2		14	11
19.	त्रिपुरा	1				1	
20.	उत्तर प्रदेश	2				2	1
21.	उत्तरांचल	3	1				
22.	पश्चिम बंगाल	8	1	4	2	1	
23.	चण्डीगढ़	1					
	कुल	117	21	93	11	109	72

कामकाजी महिला होस्टल स्कीम

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002–03		2003–04		2004–05	
		प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	1	1		
2.	असम					10	
3.	चण्डीगढ़			1	1		
4.	हरियाणा			1	1	1	
5.	कर्नाटक	2	2	2	2	2	
6.	केरल	4	3	3	3	8	
7.	मध्य प्रदेश	1	1			2	1
8.	महाराष्ट्र	4	4	2	1	1	
9.	मणिपुर					11	
10.	मिजोरम			1	1		
11.	नागालैण्ड					29	
12.	उड़ीसा					1	
13.	पंजाब	1	1				
14.	तमिलनाडु	4	3	3	3	1	1
15.	उत्तर प्रदेश	3	3			2	1
16.	उत्तरांचल	2	1				
17.	पश्चिम बंगाल	2	2				
	कुल	24	21	14	13	68	3

कुल प्राप्त प्रस्ताव : 106 कुल अनुमोदित प्रस्ताव : 37

अल्पावास गृह

क्र.सं.	राज्य	2002–03		2003–04		2004–05	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	1	24	1	35	6

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	14	1	4	1	53	2
3.	मणिपुर	1	0	3	0	19	2
4.	केरल	0	0	0	0	0	0
5.	कर्नाटक	3	0	13	3	25	5
6.	नागालैण्ड	2	1	1	0	8	0
7.	पश्चिम बंगाल	3	0	7	5	10	0
8.	महाराष्ट्र	17	2	26	5	1	1
9.	उड़ीसा	5	1	4	0	10	2
10.	गुजरात	0	0	0	0	5	0
11.	जम्मू व कश्मीर	2	0	2	0	2	0
12.	तमिलनाडु	22	12	27	11	8	2
13.	बिहार	47	9	0	0	0	0
14.	हरियाणा	0	1	3	0	0	0
15.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	1	0
16.	मध्य प्रदेश	18	6	15	5	0	0
17.	राजस्थान	4	0	12	0	22	1
18.	दिल्ली	2	0	0	0	0	0
19.	उत्तर प्रदेश	62	5	4	0	3	1
20.	उत्तरांचल	0	0	0	1	0	0
21.	मिजोरम	1	1	2	0	3	0
22.	त्रिपुरा	1	0	1	0	0	0
23.	चण्डीगढ़	0	0	1	0	0	0
24.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0	2	0
	कुल	220	41	149	32	207	22

शिशुगृह

क्र.सं	राज्य का नाम	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	32	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	2	–
3.	असम	16	15	5
4.	बिहार	0	2	–
5.	छत्तीसगढ़	0	9	–
6.	गोवा	0	0	–
7.	गुजरात	1	2	2
8.	हरियाणा	4	8	16
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1	–
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	–
11.	झारखण्ड	0	0	1
12.	कर्नाटक	0	11	4
13.	केरल	0	0	–
14.	मध्य प्रदेश	1	4	1
15.	महाराष्ट्र	7	9	3
16.	मणिपुर	0	2	15
17.	मेघालय	0	0	–
18.	मिजोरम	0	0	–
19.	नागालैण्ड	0	0	–
20.	उड़ीसा	0	2	–
21.	पंजाब	0	0	–
22.	राजस्थान	0	0	–
23.	सिक्किम	0	0	–
24.	तमिलनाडु	4	25	7
25.	त्रिपुरा	0	3	–
26.	उत्तर प्रदेश	3	12	–
27.	उत्तरांचल	1	0	2
28.	पश्चिम बंगाल	4	25	8
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	–
30.	चंडीगढ़	0	2	5
31.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	0	0	–
32.	दादरा व नगर हवेली	0	0	–
33.	दमन व दीव	0	2	–
34.	लक्षद्वीप	0	0	–
35.	पांडिचेरी	0	0	–
	कुल	56	174	96

महिलाओं एवं बच्चों का अवैध देह–व्यापार रोकने के लिए सहायतानुदान स्कीम

2002–03 से 2004–05 के दौरान प्राप्त एवं संस्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा

(क) व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों का अवैध देह-व्यापार

राज्य का नाम	प्रस्तावों की संख्या					
	2002–03		2003–04		2004–05	
	प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	3	2	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7
असम	0	0	0	0	6	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	2	0
गोवा	1	0	0	0	0	0
हरियाणा	1	1	1	0	0	0
कर्नाटक	1	1	0	0	0	0
महाराष्ट्र	11	1	7	0	4	5
तमिलनाडु	1	1	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	2	0
पश्चिम बंगाल	1	1	0	0	1	0
दिल्ली	1	1	0	0	0	0
मणिपुर	0	0	1	0	0	0
पाण्डिचेरी	1	1	0	0	0	0
कुल	21	9	9	1	15	5

(ख) बाल कल्याणार्थ अभिनव परियोजनाएं

राज्य	2002–03		2003–04		2004–05	
	प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत
कर्नाटक	1	1	–	–	–	–
आन्ध्र प्रदेश	3	1	–	–	–	–
महाराष्ट्र	1	1	–	–	–	1
असम	–	–	2	1	1	–
दिल्ली	–	–	3	2	3	1
पश्चिम बंगाल	–	–	2	–	–	–
उड़ीसा	–	–	1	–	–	–
मणिपुर	–	–	4	–	6	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	1
कुल	5	3	12	3	10	3

विवरण-II

महिला एवं बाल विकास विभाग

विभिन्न स्कीमों हेतु वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 के बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं	स्कीम	2002–03			2003–04			2004–05		
		ब.प्रा.	संशो.प्रा.	व्यय	ब.प्रा.	संशो.प्रा.	व्यय	ब.प्रा.	संशो.प्रा.	व्यय
1.	स्टेप	25.00	25.00	21.12	25.00	11.50	13.78	25.00	18.09	17.82
2.	स्वावलम्बन	25.00	25.00	24.50	25.00	20.00	19.35	25.00	25.00	7.18
3.	स्वाधार	15.00	10.00	4.04	15.00	1.00	1.12	3.00	3.99	4.21
4.	कामकाजी महिला होस्टल	15.00	8.00	6.00	10.00	5.00	5.14	10.00	7.00	4.82
5.	(i) अल्पावास गृह (योजना)	15.00	11.00	10.42	15.00	34.35	13.69	15.00	14.40	13.76
	(ii) अल्पावास गृह (गैर–योजना)	2.84	2.84	2.84	2.50	2050	2.00	1.50	1.50	1.50
6.	(i) शिशुगृह (योजना)	12.00	8.00	8.00	20.00	8.00	6.03	30.00	16.92	10.49
	(ii) शिशुगृह (गैर–योजना)	15.00	15.00	14.67	14.50	14.40	13.19	14.00	13.33	9.81
7.	सामाजिक सुरक्षा									
	(i) व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों का अवैध देह–व्यापार तथा (ii) बाल कल्याणार्थ अभिनव परियोजनाए	1.50	1.10	0.49	1.50	0.55	0.47	4.00	0.80	0.37

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव हेतु वित्तीय आवंटन

948. श्री पी. एस. गढवी : क्या **पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004–2005 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की देख–रेख के लिए किए गए वित्तीय आवटनों का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2004–2005 के दौरान गुजरात का हिस्सा कितना है; और

(ख) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा यह धनराशि कैसे प्रयोग में लाई गई तथा कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) वर्ष 2004–2005 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 745.56 करोड़ रु. की धनराशि की निधियां आवंटित की गई थीं जिनमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उन्हें सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित निधियां शामिल हैं। गुजरात सरकार को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए वर्ष 2004–2005 के दौरान गुजरात राज्य को 34.86 करोड़ रु. आवंटित किए थे। विभिन्न राज्यों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए वर्ष 2004–05 के दौरान उन्हें आवंटित की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सामान्य मरम्मत के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों, पैचों, कच्चे शोल्डरों, पुलियों और पुलों की छोटी–मोटी मरम्मत, ऊंचे तटबंधों के संरक्षण कार्य आदि जैसे अनुरक्षण कार्य किए हैं और वर्ष 2004–05 के दौरान 8.87 करोड़ रु. खर्च किए गए।

आवधिक नवीकरण कार्यों के अंतर्गत 142.70 किलोमीटर लंबाई की 10 परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं और वर्ष 2004–05 के दौरान 16.83 करोड़ रु. खर्च किए गए।

विशेष मरम्मत के अंतर्गत रा.रा. 8 पर जदेश्वर के निकट नर्मदा नदी पर पुराने सरदार पुल की मरम्मत और पुनरुद्धार कार्य किया गया है और वर्ष 2004–05 के दौरान 0.70 करोड़ रु. का व्यय किया गया। यह कार्य प्रगति पर है और इसे 31.3.2006 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

बाढ़ और भारी वर्षा के कारण विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क खंडों को हुई क्षति की मरम्मत बाढ़ क्षति मरम्मत (एफ.डी.आर.) के अंतर्गत की गई है और वर्ष 2004–05 के दौरान 6.46 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

विवरण

(करोड रु.)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटन
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	35.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.41
3.	असम	26.59
4.	बिहार	46.28
5.	छत्तीसगढ़	26.99
6.	गोवा	2.80
7.	गुजरात	34.86
8.	हरियाणा	11.80
9.	हिमाचल प्रदेश	17.75
10.	जम्मू व कश्मीर	0.44
11.	झारखण्ड	23.28
12.	कर्नाटक	34.40
13.	केरल	13.20
14.	मध्य प्रदेश	59.49
15.	महाराष्ट्र	48.48
16.	मणिपुर	8.79
17.	मेघालय	14.63
18.	मिजोरम	4.87
19.	नागालैण्ड	3.79
20.	उड़ीसा	37.24
21.	पंजाब	20.26
22.	राजस्थान	53.09
23.	सिक्किम	0.00
24.	तमिलनाडु	37.99
25.	त्रिपुरा	0.00
26.	उत्तरांचल	14.60
27.	उत्तर प्रदेश	53.87
28.	पश्चिम बंगाल	24.95
	उप जोड़ (राज्य)	655.98
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00
2.	चंडीगढ़	0.93
3.	दादरा व नगर हवेली	0.00
4.	दमन व दीव	0.00
5.	दिल्ली	0.75
6.	लक्षद्वीप	0.00
7.	पांडिचेरी	0.84
	कुल जोड़ (संघ शासित)	2.52
	कुल जोड़	658.50

केरल में नौका मार्गों को गहरा बनाना

949. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नौका मार्गों को गहरा बनाने के कार्य को समय पर न करने के कारण अधिकांश मार्ग कम गहरे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केरल में नौका मार्गों को गहरा करने का कार्य इन्लैण्ड वॉटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपने के लिए क्या योजनाएं बनाई गईं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) केवल उन्हीं अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित किया जाना केन्द्र–सरकार के दायरे में आता है, जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित कर दिया जाता है। केरल में ऐसा केवल एक ही जलमार्ग अर्थात् राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 है, जो कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है। जहां तक केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 का संबंध है, अलापुझा के दक्षिण में कोच्चि और थकाझी जेटी तथा उद्योगमंडल और चम्पाकारा–नहरों के बीच बड़े पैमाने पर निकर्षण से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। इन खंडों में 2 मीटर की गहराई उपलब्ध है। कोच्चि–कोट्टापुरम खंड में गैर सरकारी ठेकेदारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर निकर्षण से संबंधित कार्य चल रहा है। शेष खंड अर्थात् 50 किलोमीटर तक के थकाझी जेटी से कोल्लम–खंड में भी निकर्षण से संबंधित कार्य पूरा करवा लिए जाने के प्रबंध कर लिए गए हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग–प्राधिकरण ने इडापल्लिकोटा–कोल्लम खंड पर निकर्षण से संबंधित कार्य के संचालन हेतु अपने निकर्षकों में से एक निकर्षक भी लगा दिया है। केन्द्र सरकार/भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को केरल में नौका–चालन के उन मार्गों को गहरा किए जाने का कार्य सौंपने की योजना तैयार करनी है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के अन्तर्गत नहीं आते।

खाद्यान्नों का निर्यात

950. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री धनुषकोडी आर. अदित्यन :

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गेहूं तथा चावल की देश–वार कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या निर्यात में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में लाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मामले की कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(च) क्या सरकार द्वारा खाद्यान्न निर्यातकों के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इन निर्यातों से देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो खाद्यान्नों के निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था किस सीमा तक प्रभावित होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान निर्यातित गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा टन में)

वर्ष	बासमती चावल	गैर–बासमती चावल	गेहूं
2002–2003	708793	4259077	3671254
2003–2004	771491	2640572	4093084
2004–2005	1126125	3645873	1995997

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

निर्यातों के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) कोलकाता द्वारा संकलित भारत के विदेश व्यापार आंकड़ों में उपलब्ध हैं।

(ख) से (ङ) जी, हां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) ने अपनी वर्ष 2004 की रिपोर्ट सं. 3 में यह बताया है कि भारतीय खाद्य निगम को चावल की अतिरिक्त आपूर्ति के कारण "ब्रोकन अलाउंस" के रूप में 133.13 करोड़ रुपये का परिहार्य घाटा हुआ था। इस मामले की जांच की गई थी और यह

मालूम हुआ था कि निर्यातों में कोई अनियमितता नहीं हुई थी और सी एण्ड एजी को इस पैरे को छोड़ देने के साथ तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

खाद्यान्नों के निर्यात की स्कीम आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम के साथ शुरू की गई थी और बाद में निजी निर्यातकों के लिए खोल दी गई थी। कतिपय ऐसे मामले हुए थे जिनमें निर्यातकों को गेहूं और चावल के निर्यात के लिए जाली दस्तावेज प्रयोग करते हुए पाया गया था। सरकार ने चूककर्ता निर्यातकों के विरुद्ध इन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की है/शुरू कर दी है।

(च) और (छ) सरकार प्रचार अभियानों, व्यापार शिष्टमंडल, विदेश भेजने, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, क्रेता–विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए खाद्यान्नों के निर्यातकों सहित भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है और गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग उत्पादों के ब्रांड संवर्धन बाजार सर्वेक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और विपणन तथा परिवहन की डब्ल्यूटीओ की कुछ स्वीकार्य लागतों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

(ञ) खाद्यान्नों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात से भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित होती है तथा भारतीय किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी कीमतें प्राप्त करना भी सुलभ हो जाता है जिसके फलस्वरूप उनका आर्थिक उत्थान होता है।

राज्यों को और अधिक अधिकार

951. श्री सुनील खां : क्या गृह मंत्री राज्य सरकारों को और अधिक अधिकार के बारे में अतारंकित प्रश्न 2079 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की शेष 6 सिफारिशों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय (आईएससीएस) की मुंगों पर निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) सरकारिया आयोग की 6 सिफारिशों, जो 14.12.2004 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2079 का उत्तर देते समय लंबित थीं, में से तीन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है और अब आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। बाकी तीन सिफारिशें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के विचाराधीन हैं। अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय, इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नजदीकी नजर रखे हुए है।

खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र का विकास और संवर्धन

952. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए कोई योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान में राज्य–वार स्थिति क्या है तथा इस क्षेत्र के लिए यह पैकेज किस सीमा तक सहायक है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों सहित देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों तथा साथ ही साथ 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में ग्रामोद्योगों की स्थापना के संवर्धन द्वारा और अधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। खादी एवं ग्रोमोद्योगों (केवीआई) के संवर्धन और रोजगार में बढ़ोतरी के लिए केवीआईसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही कुछ अन्य योजनाओं में शामिल हैं, सब्सिडाइज्ड ब्याज की दरों पर केवीआई इकाइयों को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम (आईएसईसी), खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट, केवीआई इकाइयों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी), उत्पाद विकास, सुधरे हुए डिजाइनों और पैकेजिंग के लिए डिजाइन इण्टरवेंशन और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) स्कीम, आदि। कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों में इन योजनाओं के तहत 2005–06 के लिए लक्ष्य और 30 सितम्बर, 2005 तक उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों में 2005–06 के लिए योजना–वार लक्ष्य और 30 सितम्बर, 2005 तक उपलब्धियां

I. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी)

(करोड़ रुपये)

राज्य	लक्ष्य	प्राप्त बैंक वित्त (अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2005 तक)
आंध्र प्रदेश	5.41	2.30
कर्नाटक	3.68	2.32
केरल	21.99	6.37
तमिलनाडु	64.27	45.19

II. खादी छूट योजना

राज्य	लक्ष्य	केवीआईसी के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा जारी छूट राशि (अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2005 तक)
आंध्र प्रदेश	छूट की राशि खादी उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करती है। अतः पहले से ही कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं।	0.79
कर्नाटक		1.75
केरल		1.87
तमिलनाडु		5.81

III. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)

राज्य	लक्ष्य		उपलब्धि (अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2005 तक)	
	परियोजनाओं की स.	रोजगार	परियोजनाओं की सं.	रोजगार
आंध्र प्रदेश	3097	46761	671	17663
कर्नाटक	1819	36383	145	2386
केरल	1151	25119	158	2870
तमिलनाडु	1096	21918	54	983

IV. ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) स्कीम

राज्य	लक्ष्य		उपलब्धि (अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2005 तक)	
	परियोजनाओं की सं.	आवंटित राशि (लाख रु.)	परियोजनाओं की सं.	जारी राशि (लाख रु.)
आंध्र प्रदेश	5	18.75	2	5.07
कर्नाटक	4	15.00	–	–
केरल	4	15.00	–	–
तमिलनाडु	5	18.75	–	–

V. उत्पाद विकास डिजाइन इंटरवेंशन एवं पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) स्कीम

राज्य	लक्ष्य		उपलब्धि (अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2005 तक)	
	परियोजनाओं की सं.	आवंटित राशि (लाख रु.)	परियोजनाओं की सं.	जारी राशि (लाख रु.)
आंध्र प्रदेश	10	15.00	10	7.50
कर्नाटक	20	27.00	20	13.50
केरल	14	17.50	14	8.75
तमिलनाडु	24	35.00	24	17.50

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम

953. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण–1 तथा चरण–2 के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों, खर्च की गई धनराशि तथा पूरे कर लिए गए निर्माण कार्य की प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सड़क अवसंरचना सुधारने का उक्त कार्य सरकारी निजी सहयोग के अन्तर्गत किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और चरण II के अन्तर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और II पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

एनएचडीपी चरण–I – 28186.47 करोड़ रु.

एनएचडीपी चरण–II – 770.46 करोड़ रु.

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I का 82.90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II के अन्तर्गत कोई परियोजना पूरी नहीं हुई है क्योंकि ठेके हाल ही में सौंपे गए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और II के अन्तर्गत कुछ परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से पूरी की गई हैं। ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

31 अक्तूबर, 2005 के अनुसार स्थिति

सभी आंकड़े कि.मी. हैं

क्र.सं.	राज्य	स्व. चतु.	उत्तर–दक्षिण	पूर्व–पश्चिम	पत्तन	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	37.28	124.9		12		174.18
2.	अरुणाचल प्रदेश						
3.	असम			541		10	551
4.	बिहार	45.59		326.08			371.67
5.	चंडीगढ़						
6.	छत्तीसगढ़						0
7.	दिल्ली		21			10	31
8.	गोवा						
9.	गुजरात	3		504.3			507.3
10.	हरियाणा		32			18	50
11.	हिमाचल प्रदेश		11				11
12.	जम्मू और कश्मीर		133.3				133.3
13.	झारखंड	43.71					43.71
14.	कर्नाटक	137.24	15		37		189.24
15.	केरल		40		10		50

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मध्य प्रदेश		1	118.4			119.4
17.	महाराष्ट्र	15.25	140		14		169.25
18.	मणिपुर						
19.	मेघालय						
20.	मिजोरम						
21.	नागालैंड						
22.	उड़ीसा	187.49			77		264.49
23.	पांडिचेरी						
24.	पंजाब		73				73
25.	राजस्थान	0.52	0	484			484.52
26.	सिक्किम						
27.	तमिलनाडु	7.5	630		47.2	161.5	846.2
28.	त्रिपुरा						
29.	उत्तर प्रदेश	303	0	503.3		91	897.3
30.	उत्तरांचल						
31.	पश्चिम बंगाल	13		89	53		155
	जोड़	793.58	1221.2	2566.08	250.2	290.5	5121.56

विवरण-II

क्र.सं.	स्टेशन से स्टेशन तक	श्रेणी	रा.रा. सं.	लंबाई	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति	राज्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	पथकर आधारित परियोजनाएं						
	एनएचडीपी चरण-I						
1.	विवेकानंद पुल और पहुंच मार्ग	जीक्यू	2	6	641	कार्यान्वयनाधीन	पश्चिम बंगाल
2.	महापुरा (जयपुर के निकट)–किशनगढ़ (6 लेन)	जीक्यू	8	90.38	644	4 लेन	राजस्थान
3	किशनगढ पर आरओबी	जीक्यू	8	1	18	4 लेन	राजस्थान

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	नेल्लोर–टाडा	जीक्यू	5	110.517	621.35	4 लेन	आंध्र प्रदेश
5.	सतारा–कागल	जीक्यू	4	133	600	कार्यान्वयनाधीन	महाराष्ट्र
6.	तुमकुर–नीलमंगला	जीक्यू	4	32.5	155	4 लेन	कर्नाटक
7.	दुर्ग बाइपास	अन्य	6	18	70	2 लेन	छत्तीसगढ़
8.	दिल्ली गुड़गांव खंड (एक्सेस नियंत्रित 8/6 लेन)	अन्य	8	27.7	555	कार्यान्वयनाधीन	दिल्ली (9.7)/ हरियाणा (18)
9.	नंदीग्राम–विजयवाड़ा	अन्य	9	35	138.65	4 लेन	आंध्र प्रदेश
	जोड़			454.10	3443.00		
	एनएचडीपी चरण-II						
1.	राजकोट बाइपास और गोंडल जैतपुर	पूर्व–पश्चिम	8बी	36	265	कार्यान्वयनाधीन	गुजरात
2.	सलेम–केरल सीमा खंड	उत्तर–दक्षिण	7 व 4	53.525	469.8	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
3.	सलेम–केरल सीमा खंड	उत्तर–दक्षिण	7	48.51	379.8	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
4.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग	उत्तर–दक्षिण	1	10	270	कार्यान्वयनाधीन	हरियाणा
5.	फाराखनगर से कोट्टाकाता	उत्तर–दक्षिण	7	46.162	267.2	कार्यान्वयनाधीन	आंध्र प्रदेश
6.	फाराखनगर से कोटाकाता	उत्तर–दक्षिण	7	55.74	313.7	कार्यान्वयनाधीन	आंध्र प्रदेश
7.	कृष्णागिरि से थोपुरघाट	उत्तर–दक्षिण	7	62.5	372.7	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
8.	सलेम से करूर	उत्तर–दक्षिण	7	41.55	253.5	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
9.	सलेम से करूर	उत्तर–दक्षिण	7	33.48	205.6	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
10.	करूर से मदुरै	उत्तर–दक्षिण	7	68.125	327.2	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
11.	करूर से मदुरै	उत्तर–दक्षिण	7	53.025	283.5	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
12.	त्रिसूर से अंगमाली	उत्तर–दक्षिण	47	40	312.5	कार्यान्वयनाधीन	केरल
	जोड़			548.62	3720.50		
	कुल जोड़			2005.43	14327.00		
	वार्षिकी आधारित परियोजनाएं						
1.	पानागढ़–पलसित	जीक्यू	2	64.457	350	4 लेन	पश्चिम बंगाल
2.	पलसित–दनकुनी	जीक्यू	2	65	432.4	4 लेन	पश्चिम बंगाल
3.	अंकापल्ली–तुनी	जीक्यू	5	58.947	283.2	4 लेन	आंध्र प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	तुनी–धर्मावरम (एपी–16)	जीक्यू	5	47	231.9	4 लेन	आंध्र प्रदेश
5.	धर्मावरम–राजमुंदरी (एपी–15)	जीक्यू	5	53	206	4 लेन	आंध्र प्रदेश
6.	नेल्लोर बाइपास	जीक्यू	5	17.166	143.2	4 लेन	आंध्र प्रदेश
7.	महाराष्ट्र सीमा–बेलगाम	जीक्यू	4	77	332	4 लेन	कर्नाटक
8.	ताम्बरम–टिंडीवनम	अन्य	45	93	375	4 लेन	तमिलनाडु
	जोड़			475.57	2253.70		

[अनुवाद]

श्रीलंका से आयात

954. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार समझौते में विनिर्दिष्ट उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समझौते के अनुसार श्रीलंका से किस्म–वार कितनी मात्रा में वनस्पति तेल का आयात किया गया;

(ग) क्या श्रीलंका से आयात में मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे आयातों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान श्रीलंका से आयातों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 2004–05 के दौरान 19906.92 हजार किग्रा. वनस्पति वसा और 7872.17 लाख रुपये मूल्य के उनके उत्पाद श्रीलंका से आयात किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए) में निर्धारित उद्गम के नियमों (आरओओ) के अनुसार आयातित वस्तुओं को चार अंकीय स्तर (एचएस कोड) पर टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) के परिवर्तन और 35 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन का दोहरा मानदंड पूरा करना होता है। ये दोनों मानदंड पूरे किए जा रहे हैं।

विवरण

वाणिज्य विभाग
निर्यात आयात डाटा बैंक
आयात श्रीलंका से

दिनांक 26.11.2005 : मूल्य लाख रुपये में : एचएस कूट में छांटे गए

क्र.सं	एचएस कोड	वस्तु	2003–2004	2004–2005	प्रतिशत वृद्धि श्रीलंका डीएसआर
1	2	3	4	5	6
1.	0304	मछली के मांस के कतले तथा अन्य मत्स्य मांस (कीमा किए हुए अथवा न किए हुए), ताजे, प्रशीतित अथवा हिमीभूत		0.04	

1	2	3	4	5	6
2.	0306	क्रस्टेशियन्स छिलके सहित अथवा नहीं, जीवित, ताजे, प्रशीतित, हिमीभूत शुष्क लवणीकृत/नमकीन; क्रस्टेशियन्स, छिलके में, भाप से अथवा उबालकर पकाए; प्रशीतित, हिमीभूत, शुष्क लवणीकृत/नमकीन अथवा सादी	0.06	67.62	108,090.19
3.	0307	मोलस्का छिलके सहित अथवा सादे, जीवित, ताजे, प्रशीतित, हिमीभूत, शुष्क, लवणीकृत/नकमीन; सीएलसीआरएसटीसीएनएस तथा मोलस्का–जीवित, ताजे, प्रशीतित हिमीभूत आदि को छोड़कर जलीय कशेरूकीय	13.86		
4.	0402	दुग्ध एवं क्रीम सान्द्रण/चीनी सहित/स्वटिंग मेंटर	24.91		
5.	0405	दुग्ध से व्युत्पन्न मक्खन तथा अन्य वसा एवं तेल; डेयरी स्प्रैड्स		1.62	
6.	0506	एसीडेड/डीजीएलआईटीएनएसडी बोन्स तथा एचआरएन/कोर्स, आकार नहीं दिए गए, डेफ्टेड, अनवर्क्ड, साधारण रूप से निर्मित, चूर्णीकृत एवं उसके अपशिष्ट	14.10	0.04	–99.73
7.	0508	मूंगा, मोलस्का, क्रस्टेशियन्स/इकाइनोडर्म्स तथा कटल बोन के कवच, साधारण रूप से निर्मित, आकार नहीं दिए गए, चूर्ण अपशिष्ट	339.84	226.93	–33.22
8.	0602	अन्य जीवित पौधे (जड़ सहित) कटिंग्स तथा स्लिप्स; मशरूम स्पान	0.32	0.07	–78.27
9.	0603	कटे फूल तथा फूलों की कलियां, बुके/सजावटी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त; ताजे, शुष्क, रंगे हुए, ब्लीचड, अनुप्राणित/अन्यथा निर्मित		0.08	
10.	0604	पत्तियां, शाखाएं तथा अन्य पादप हिस्से बुके/सजावटी उद्देश्यों के लिए ग्रेस, मोजेज तथा लिचन ताजे, शुष्क, रंगे हुए, ब्लीचड, अनुप्राणित/अन्यथा निर्मित	0.10		
11.	0801	नारियल, ब्राजील गिरी तथा काजूगिरी, ताजी या शुष्क छिलका सहित अथवा छीले गए अथवा सादे	824.74	2,934.23	255.78
12.	0802	अन्य गिरी ताजी अथवा शुष्क छिलका सहित अथवा छीले गए अथवा सादे	100.26	158.86	58.45
13.	0810	अन्य फल, ताजे	0.35		
14.	0813	शीर्ष सं. 08.01 से 08.06 को छोड़कर शुष्क फल, गिरी या शुष्क फलों का मिश्रण	5.02	275.92	5,398.91
15.	0902	चाय	316.87	483.63	52.63
16.	0903	मेट	15.95		
17.	0904	जीनस काली मिर्च, काली मिर्च, शुष्क/कुटी हुई/जीनस केप्सियन के पिसे हुए फल/जीनस पिमेण्टा	3,525.73	3,412.56	–3.21
18.	0906	सिनेमान एवं सिनेमान ट्री फूल	179.32	211.16	17.76
19.	0907	लौंग (पूरा फल, लौंग एवं तना)	2,353,.52	8,826.37	275.03
20.	0908	जायफल, जावित्री तथा इलायची	1044,.67	1,269.05	21.48

1	2	3	4	5	6
21.	0909	सौंफ, बेडियन, फेनेल, धनिया, जीरा, काला जीरा अथवा हपुषा के बीज	11.04		
22.	1105	आलू का आटा, खाद्य तथा फ्लैक्स	0.06		
23.	1106	शीर्ष सं. 0713 के शुष्क लेगुमिनस वनस्पतियों का आटा एवं खाद्य/शीर्ष सं. 0714 का सागो/जड़/ट्यूबर्स; अध्याय 8 के उत्पादों का एमएल तथा पावडर	107.58	10.90	–89.87
24.	1203	कोपरा	37.22	37.81	1.60
25.	1208	सरसों को छोड़कर तिलहनों अथवा ओलियाजीन्स फलों का आटा तथा खाद्य	2.34	1.05	–55.14
26.	1211	परफ्यूमरी फार्मेसी/इंसेक्टीसाइडल अथवा ऐसे ही प्रयोजनों में प्रयुक्त बीजों एवं फलों सहित पौधे तथा पौधों के भाग ताजे/शुष्क, कटे हुए, पिसे हुए अथवा चूर्ण रूप में हों अथवा नहीं	856.12	91.42	–89.32
27.	1212	लोकस्ट बीन्स सीवीड्स शुगर बीट एवं शुकरकेन फ्रेश/शुष्क, ग्राउंड अथवा नहीं, फ्रूट स्टोंस तथा गिरी और मानव उपभोग हेतु अन्य वनस्पति उत्पाद, अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं		0.56	
28.	1301	लाख; प्राकृतिक, गोंद रेजिन, गोंद रेजिन एवं ओलियोरेजिन	476.93	362.79	–23.93
29.	1302	वनस्पति सत्व तथा निस्सारण; पीईसीटीसी पदार्थ, पीईसीटीएनएटीएसपीईसीटीटीएस; अगर–अगर एवं अन्य म्यूसीलिंग्स तथा थिकनर्स वनस्पति उत्पादों से प्राप्त आशोधित हों अथवा नहीं	16.10	36.88	129.09
30.	1404	वनस्पति उत्पाद अन्यत्र विनिर्दिष्ट अथवा शामिल नहीं		0.28	
31.	1507	सोयाबीन तेल तथा उसके घटक, शोधित हों अथवा नहीं किन्तु जिन्हें रासायनिक रूप से आशोधित न किया गया हो	5.00		
32.	1511	पामतेल तथा उसके घटक, शोधित हों अथवा नहीं किन्तु जिन्हें रासायनिक रूप से आशोधित न किया गया हो	832.26	1247.04	49.84
33.	1513	नारियल (कोपरा) पामगिरी/बाबसू तेल तथा उसके घटक, शोधित हों अथवा नहीं किन्तु जिन्हें रासायनिक रूप से आशोधित न किया गया हो	102.82	219.30	113.29
34.	1515	अन्य जमा हुआ वनस्पति वसा तेल (जोजोबा तेल सहित) तथा उसके घटक, शोधित हों अथवा नहीं किन्तु जिन्हें रासायनिक रूप से आशोधित न किया गया हो	9.07	17.53	93.17
35.	1516	पशु/वनस्पति वसा तथा तेल उसके घटक, आंशिक अथवा पूर्णतः हाइड्रोजनेटेड इंटर–एस्ट्रीफाइड रि–एस्ट्रीफाइड एलेडीनाइज्ड, शोधित हो अथवा नहीं किन्तु आगे तैयार किया गया न हो		7,872.17	
36.	1517	पशु/वनस्पति वसा के मंगरीन खाद्य मिश्रण/विनिर्मितियां इस अध्याय की विभिन्न वसाओं/तेलों के टुकड़े शीर्ष सं. 1516 से इतर	429.79	360.20	–16.19
37.	1518	पशु, वनस्पति वसा और तेल एवं उनके अन्य उबले आक्सीकृत, सुखाए गए सल्फराइज्ड ब्लोन पोलीमराइज्ड शीर्ष 1516 को छोड़कर; अखाद्य मिश्रण	76.04		

1	2	3	4	5	6
38.	1520	ग्लाईसीरोल, अपरिष्कृत; ग्लाइसीरोल वाटर एवं लाइज	956.30	613.83	–35.81
39.	1521	वनस्पति मोम, बी–वैक्स, अन्य कीट वैक्स और स्पर्मसेटी चाहे परिष्कृत या रंजित हो अथवा नहीं	2.95		
40.	1601	मांस की चटनी एवं समान उत्पाद इन उत्पादों पर आधारित मांस के छीछड़ एवं रक्त खाद्य विनिर्मितियां	20.50	60.04	192.92
41.	1602	मांस के अन्य तैयार/परिरक्षित उत्पाद मांस के छीछड़े/खून	5.38		
42.	1604	मछली के अण्डों से तैयार फिश केवियर और केवियर स्थानापन्न तैयार/परिरक्षित		0.01	
43.	1702	ठोस रूप में अन्य चीनी रासायनिक रूप से शुद्ध लेक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज समेत, चीनी का शरबत बिना शुद्धिकरण/क्लियरिंग पदार्थ, वाला कृत्रिम शहद, केरामल	0.01		
44.	1703	चीनी बनाने/शुद्ध करने में प्राप्त शीरा		42.85	
45.	1704	चीनी की कन्फेक्शनरी (व्हाइट चाकलेट सहित) कोकोआ रहित	27.56	9.53	–65.43
46.	1801	कोकोआ दाने साबुत/टूटे हुए कच्चे/भुने हुए		11.61	
47.	1803	कोकोआ पेस्ट चाहे वसारहित हो अथवा नहीं	8.01		
48.	1805	कोकोआ पाउडर जिसमें चीनी/मिठास वाली सामग्री न हो	10.94	5.85	–46.48
49.	1806	चाकलेट और अन्य खाद्य विनिर्मितियां जिनमें कोकोआ हो	17.47	13.50	–22.73
50.	1901	जौ सत्व; आटे की खाद्य विनिर्मितियां, स्टार्च आदि बिना कोकोआ पाउडर या भार अनुसार 50 प्रतिशत से कम कोकोआ पाउडर की मात्रा वाले एनईएस		0.13	
51.	1902	पास्टा पकाया/भरा हो अथवा नहीं (मांस या अन्य पदार्थों से) या स्पेघटी मकरनी नूडल्स लेसजीन नोसी आदि काउस्कस चाहे तैयार हो अथवा नहीं	2.45		
52.	1905	डबलरोटी, पेस्ट्री एवं अन्य बेकरी वेफर्स कोकोआयुक्त अथवा नहीं; कम्यूनियन वेफर्स, फार्माक्टलूज सेलिंग वेफर्स राइस पेपर और छोटे उत्पादों के लिए खाली केसेज	121.73	82.64	–32.11
53.	2007	जैम फ्रूट जैली मारमाल्ड्स फ्रूट/नट प्यूरी और फ्रूट/नट पेस्ट पकाए गए उत्पाद चाहे उनमें चीनी हो या नहीं	1.97	1.73	–12.08
54.	2008	फल, गिरी और पौधों के अन्य खाद्य हिस्से अन्यत्र तैयार/परिरक्षित मीठे हों अथवा नहीं एनईएस	1.79	3.28	82.93
55.	2103	चटनी एवं इसके लिए मिश्रित मसाले और मिश्रित सीसोंग्स, मस्टर्ड फलोर और खाद्य, तैयार मस्टर्ड	0.31	0.50	61.05
56.	2106	अन्य खाद्य विनिर्मितियां एनईएस	9.19		

1	2	3	4	5	6
57.	2202	जल, मिनरल वाटर एवं एयरेटेड वाटर सहित जिनमें अतिरिक्त चीनी/अन्य मिठासकारी पदार्थ हो/फ्लेवर्ड और अन्य नोमस अल्कोहलिक पेय शीर्ष सं. 2009 के जूसों को छोड़कर	2.17	8.87	309.56
58.	2203	जौ से बनी बियर	2.11		
59.	2204	ताजे अंगूरों की शराब फोर्टिफाइड वाइन्सग्रेप सहित शीर्ष सं. 2009 से इतर		3.82	
60.	2208	अनडनेटर्ड इथाइल अल्कोहल 80 प्रतिशत से कम अल्कोहल युक्त; स्पिरीट, शराब और अन्य स्परूट्स पेय; पेय के विनिर्माण में यौगिक अल्कोहलिक विनिमिर्तियां	8.94	17.60	96.89
61.	2209	सिरका एवं एसेटिक एसिड से निकाले गए सिरके के स्थानापन्न	5.11	2.27	–55.69
62.	2302	ब्रान साप्र्स एवं अन्य अवशिष्ट चाहे पैलेट रूप में हों अथवा नहीं सिर्पिटग मिलिंग/अन्य कार्यप्रणाली से प्राप्त, अनाज/लेगुमिनस पौधों के	50.48	253.52	402.25
63.	2306	तेल जमा हुआ और अन्य ठोस अवशिष्ट चाहे वनस्पति वसा के सत्तव से पेलेंट के जीआरएनडी हो अथवा नहीं/शीर्ष सं. 2304/2305 के तेलों को छोड़कर	42.55	653.18	1,435.10
64.	2308	जानवरों को खिलाने के लिए वनस्पति, वनस्पति सामग्री, अपशिष्ट/अवशिष्ट	2.68	27.96	942.20
65.	2309	पशु चारे में प्रयुक्त एक प्रकार की सामग्री	9.22	23.58	155.82
66.	2402	तम्बाकू या तम्बाकू स्थानापन्न के सिंगापुर, चुरुट सिगारिलोस और सिगरेट		1.14	
67.	2504	प्राकृतिक ग्रेफाइट	22.72	12.07	–46.89
68.	2515	संगमरमर, ट्रेवर टाईन, एकाउसाईन एवं अन्य स्मारक/भवन निर्माण पत्थर >=2.5 विशिष्ट गुरुत्व का और अल्बास्ट रफल टीआरएमडी/एमआरएलवाई ब्लाक/स्लैबों में कटा हुआ	5.66		
69.	2518	डोलोमाइट डब्ल्यू/एन केल्सिनाइड जो लगभग ट्रीम/ब्लाकों अथवा स्लेबों में आयताकार (वर्गाकार सहित) कटा हो, एग्लोमोरेटेड डोलोमाइट (टार्ड डोलोमाइट सहित)		0.08	
70.	2520	जिप्सम एनहाइड्राइट प्लास्टर (कैल्शियम जिप्सम अथवा कैल्शियम सल्फेट युक्त) डब्ल्यू/एन एक्सेलेरेटर/रिटार्डर की अल्प मात्रा सहित/रहित	1.21		
71.	2521	लाइम स्टोन फ्लक्स : लाइम स्टोन तथा अन्य कल्केरियस स्टोन जो लाइम/सीमेंट के विनिर्माण में प्रयुक्त होता है	1.33		
72.	2525	स्पिलीटिंग माइका अवशिष्ट सहित अभ्रक	7.96	0.94	–88.16
73.	2607	सीसे के अयस्क एवं सांद्रित पदार्थ	9.29	9.69	4.33
74.	2614	टाइटेनियम के अयस्क एवं सांद्रित पदार्थ	12.43		
75.	2615	नियोबियम टैंटेलम वेनेडियम अथवा जिरकोनियम के अयस्क एवं सांद्रित पदार्थ	43.12	240.35	457.41
76.	2620	लोहे अथवा इस्पात के एमएनएफआर से प्राप्त राख एवं अवशिष्ट जिसमें आर्सेनिक धातु/ धातु युक्त यौगिक उपस्थित हैं	407.97	285.66	–29.98

1	2	3	4	5	6
77.	2707	कोलटार डिस्टिलेशन से प्राप्त तेल एवं अन्य उत्पाद जिनमें एआरएमटीसी का भार गैर एआरएमटीसी से अधिक हो	20.39		
78.	2714	बिटुमिन तथा एस्फाल्ट प्राकृतिक बिटुमिन/तेल सेल तथा टारसेंड्स एस्फेलाइट एवं एस्फाल्टिक रॉक		9.16	
79.	2715	बिटुमिनस मिश्रण जो प्राकृतिक एस्फाल्ट पर आधारित हो और प्राकृतिक बिटुमिन अथवा पेट्रोलियम बिटुमिन/मिनरल टार/मिनरल टार पिच (उदाहरणार्थ : बिटुमिनस मैस्टिक कट बैक्स)		14.64	
80.	2801	फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन		1.19	
81.	2803	कार्बन (कार्बन के काले तथा अन्य रूप)	5.44	0.30	–94.40
82.	2807	सल्फ्यूरिक अम्ल : ओलियम	0.08		
83.	2817	जिंक ऑक्साइड; जिंक पेरॉक्साइड	10.49	128.36	1,123.07
84.	2823	टाइटेनियम ऑक्साइड	0.45		
85.	2824	लेड ऑक्साइड; रेड लेड एवं ऑरेंज लेड	1,546.21	1,746.29	12.94
86.	2827	क्लोराइड, क्लोराइड ऑक्साइड एवं क्लोराइड हाइड्रॉक्साइड; ब्रोमाइड एवं ब्रोमाइड ऑक्साइड; आयोडाइड एवं आयोडाइड ऑक्साइड	1.34		
87.	2831	डिथोनाइट एवं सल्फोजाइलेट	10.79		
88.	2835	फोस्टिनेट (हाइड्रोफोस्फोइट) फॉस्फिनेट (फॉस्फाइट), फॉस्फेट एवं पॉलीफॉस्फेट	3.74		
89.	2840	बोरेट्स पेरॉक्सोबोरेट्स (परबोरेट)	6.31		
90.	2849	कार्बाइड्स डब्ल्यू/एन रासायनिक रूप से परिभाषित		0.96	
91.	2851	अन्य अकार्बनिक यौगिक (डिस्टिल्ड वाटर सहित) द्रवीकृत वायु (डब्ल्यू/एन दुर्लभ गैसों को हटाकर) संपीड़ित वायु, अमलगम, इसके अलावा बहुमूल्य धातुओं के अमलगम	0.03		
92.	2903	हाइड्रोकार्बन के हैलोजन युक्त व्युत्पन्न		4.86	
93.	2905	एसाइक्लिक अल्कोहल एवं अन्य हैलोजन युक्त सल्फोनेटेड नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसरेटेड व्युत्पन्न	9.09	20.63	126.81
94.	2914	काइनेटिक एवं क्वीनोन, डब्ल्यू/एन अन्य ऑक्सीजन एफएनसीटीएन युक्त, अन्य हैलोजन युक्त सल्फोनेटेड नाइट्रेटेड/नाइट्रोसरेटेड व्युत्पन्न	1.03		
95.	29.15	सेचुरेटेड एसाइक्लिक मोनो कार्बोऑक्जेलिक एसिड एवं उनके एनहाइड्राइड, हैलाइड पेरॉक्साइड एवं परऑक्सी अम्ल; उनके हैलोजन युक्त सल्फोनेटेड नाइट्रेटेड/नाइट्रोससरेटेड व्युत्पन्न		2.98	

1	2	3	4	5	6
96.	2916	असंतृप्त एसाइक्लिक मोनोकार्बोक्जीलिक अम्ल, साइक्लिक मोनोकार्बोक्जीलिक अम्ल, उनके एनहाइड्राइड, हेलाइड आदि, उनके हैलोजन युक्त सल्फोनेटेड नाइट्रेटेड/ नाइट्रोसरेटेड व्युत्पन्न	0.52		
97.	2917	पोलीकार्बोक्जीलिक अम्ल, उनके एनहाइड्राइड, हैलाइड, परॉक्साइड एवं परॉक्सी अम्ल, अन्य हैलोजन युक्त सल्फोनेटेड नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसरेटेड व्युत्पन्न	124.33		
98.	2918	कार्बोक्सीलिक एसिड, अतिरिक्त ऑक्सीजन कार्य सहित, एनहाइड्राइड्स हेलाइड्स परॉक्साइड्स एवं परॉक्सी अम्ल उनके हैलोजनेटेड सल्फोनेटेड नाइट्रेटेड/नाइट्रोसरेटेड व्युत्पन्न	44.37		
99.	2921	एमीन–कार्यात्मक यौगिक	0.38		
100.	2922	ऑक्सीजीन–कार्यात्मक अमीनो यौगिक	0.85	25.01	2,842.98
		योग	89,484.88	163,725.72	82.96

बसों में इलेक्ट्रॉनिक गति निर्धारक

955. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने गति सीमा पर नियंत्रण रखने के लिए बसों में इलेक्ट्रॉनिक गति निर्धारक स्थापित करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये आदेश क्रियान्वित कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सड़क पर आढ़े–तिरछे (जिग–जेग) वाहन चलाने से रोकने तथा न्यायालय के निर्देशों को लागू कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय ने एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य शीर्षक से 1985 की सिविल रिट याचिका सं. 13029 में दिनांक 20.11.1997 के अपने आदेश के तहत निदेश दिया था कि "चार पहिए वाले भारी और मध्यम परिवहन वाहनों और हल्के माल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर चलने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उन वाहनों में उचित गति नियंत्रण उपकरण नहीं लग जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा से अधिक गति से न चलें। यह अन्तर–राज्य परमिटों और राष्ट्रीय माल परमिटों पर चलने वाले परिवहन वाहनों पर लागू नहीं होगा।"

इन निदेशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की निरीक्षण यूनिट (बुराड़ी) द्वारा बसों को फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान और नवीकरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके इलैक्ट्रानिक गति नियंत्रण उपकरण, एआईएस–018 मानकों के अनुरूप लगा हो। परिवहन विभाग का प्रवर्तन विंग उन बसों के विरुद्ध समय–समय पर विशेष अभियान चलाता है जो बसें इलैक्ट्रानिक स्पीड गवर्नरों के बिना/ छेड़छाड़ किए हुए स्पीड गर्वनरों के साथ चल रही हैं। चालू वर्ष के दौरान परिवहन विभाग ने 9013 वाहनों की जांच की जिनमें से 95 वाहनों की जब्ती सहित 115 वाहनों पर मुकदमा चलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी चालू वर्ष के दौरान (15 नवम्बर, 2005 तक) 1856 मामलों में तेज रफ्तार से चलने, 2107 मामलों में बिना स्पीड गवर्नरों या दोषपूर्ण स्पीड गवर्नरों के साथ वाहन चलाने और 12484 मामलों में खतरनाक/लापरवाही से ड्राइविंग करने के लिए चालान जारी किए हैं।

सागर द्वीप में गहरा समुद्री पत्तन स्थापित किया जाना

956. श्री समिक लाहिरी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में गहरा समुद्री पत्तन स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर बालू) : (क) और (ख) सागर द्वीप पर जहाजी माल संभालने की सर्वथा परिपूर्ण सुविधाएं कायम करने की दृष्टि से जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (जापान इन्टरनेशनल कोऑपरेशन) की तकनीकी सहायता से, व्यवहार्यता का अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव, कोलकाता पत्तन न्यास से मिल गया है। उपर्युक्त प्रस्ताव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के माध्यम से जापान के प्राधिकारियों से उठाया गया है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की समीक्षा

957. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न महिला संगठनों से दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों को अधिक कड़े एवं प्रभावी बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) दहेज प्रतिषेध अधिनियम की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने 22.11.2005 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अनेक महिला संगठनों ने भाग लिया।

(ग) महिलाओं के समग्र स्तर को ऊपर उठाने के लिए तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल उपाय इस प्रकार हैं :

(i) समी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति, विकास एवं सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001 का अंगीकरण;

(ii) स्वयंसिद्धा, स्व–शक्ति, राष्ट्रीय महिला कोष, प्रशिक्षण स्व–रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, (स्टेप), स्वावलम्बन, जागरूकता विकास कार्यक्रम, महिलाओं हेतु शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, कामकाजी महिला, होस्टल, स्वाधार, महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु अल्पावास गृह आदि जैसी महिला सशक्तिकरण तथा सहायता सेवा स्कीमों का क्रियान्वयन;

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से संस्थागत सहायता; और

(iv) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का अधिनियमन तथा महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए महिलाओं को उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1959 में संशोधन जैसे महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन करने जैसे विधायी उपाय। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में प्रावधान किया गया है कि कम से कम एक–तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी, जिन्होंने इस अधिनियम के तहत कार्य हेतु अनुरोध एवं पंजीकरण कराया है।

समुद्री व्यापार पद्धति अधिनियम

958. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्री व्यापार पद्धति अधिनियम का मसौदा टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु पोत परिवहन कंपनियों को परिचालित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो, मसौदे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मसौदे पर अब तक पोत–परिवहन कंपनियों से क्या प्रतिक्रिया मिली है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) पोत परिवहन व्यापार पद्धति अधिनियम का आरंभिक प्रारूप, विभिन्न हिस्सेदारों की राय जानने के लिए परिचालित कर दिया गया है। उपर्युक्त मसला, प्रारंभिक अवस्था में है और उससे संबंधित विवरण अभी भी तैयार किया जा रहा है।

स्वीकृति के लिए लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

959. श्री मोहन रावले : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जुलाई, 2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के पास देश के पश्चिम क्षेत्र की कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित हैं;

(ख) उनकी स्वीकृति में हो रही देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) 31 जुलाई, 2005 की स्थिति के अनुसार, देश के पश्चिमी क्षेत्र जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्य शामिल हैं, से प्राप्त 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित थीं।

(ख) और (ग) 12 परियोजनाओं में से, 31 जुलाई, 2005 के बाद से अभी तक 3 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। शेष प्रस्तावों के अनुमोदन अथवा अन्यथा के लिए कोई समय सीमा बताना अभी संभव नहीं हैं क्योंकि ये परियोजनाएं जांच–पड़ताल के विभिन्न चरणों में हैं।

उल्फा के साथ बातचीत

960. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उल्फा के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) की ओर से पीपुल्स कंसलटेटिव ग्रुप ने 26.10.2005 को सरकार के साथ बातचीत की। उसी दिन जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार की नीति, बातचीत करने, सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रम जारी रखने, पुलिस/सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण करना और निर्दोष लोगों की जान–माल की रक्षा के लिए बलों की सहायता से उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने की है।

विवरण

प्रेस विज्ञप्ति

प्रधानमंत्री की असम के पीपुल्स कंसलटेटिव ग्रुप के साथ मुलाकात

26 अक्तूबर, 2005

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने आज यहां असम से आए पीपुल्स कंसलटेटिव ग्रुप (पीसीजी) के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने स्थाई हल ढूंढ़ने में सहायता करने के लिए डा. इंदिरा गोस्वामी के प्रयासों की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा "अब समय आ गया है जब हमें हिंसा त्याग देनी चाहिए। आओ हम सब मिल कर असम के लोगों के लिए शानदार अध्याय की शुरूआत करें।"

डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि वे हमारे लोगों को परेशान करने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा करने के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी जो भी परेशानी है मैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने संविधान का सेवक हूं। आपको जटिल राजनीति की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए।

असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई ने भी बैठक में भाग लिया।

नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वाला गिरोह

961. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) चेन्नई ने हाल ही में बेंगलोर में 11 किलो हेरोइन जब्त कर नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और

(ख) 29.9.2005 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चेन्नई जोनल इकाई के अधिकारियों ने बेंगलोर–तुमकुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक को रोका और 11.355 कि.ग्रा. हेरोइन पकड़ी। इस मामले में चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

नए विनियामक निकाय का गठन

962. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नए विनियामक निकाय को स्थापित करने की सरकार की योजना है जैसा कि दिनांक 10 अक्तूबर, 2005 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विनियामक निकाय का व्यापक चार्टर क्या है;

(घ) क्या विनियामक निकाय का गठन हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस निकाय के कार्मिकों के नाम क्या हैं;

(च) क्या इस निकाय को राष्ट्रीय राजमार्गों पर कानून एवं व्यवस्था के अनुवीक्षण के सुरक्षा पहलू भी दिए जाने की योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) श्री एस. सुन्दर, वरिष्ठ फेलो, ऊर्जा अनुसंधान संस्थान और तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा और यातायात विनियमों पर एक समर्पित निकाय के गठन पर विचार–विमर्श करने और परामर्श देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। इस समिति से अपनी सिफारिशें 31 जनवरी, 2006 तक प्रस्तुत करने को कहा गया है ताकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आधारभूत संरचना संबंधी समिति में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

(ग) से (छ) उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

पूरब की ओर देखो नीति

963. डॉ. अरूण कुमार शर्मा : क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की "पूरब की ओर देखो नीति" की पृष्ठभूमि तथा अवधारणा क्या है;

(ख) क्या यह नीति सरकार द्वारा पूर्व में उठाए गए अन्य कदमों से पूर्णतया भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ध्यान दिए जाने हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार "पूरब की ओर देखो नीति" दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्व एशिया के देशों के साथ सभी प्रकार के संबंध सुदृढ़ करने के लिए नब्बे के दशक के आरम्भ में शुरू की गई थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के साथ आरम्भिक संबंधों की रचना, साम्राज्यवाद के साझा अनुभवों और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित, एशियाई भाईचारे की आदर्श संकल्पना पर की गई थी। तथापि, आसियान के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना एकल पहल ही नहीं है। हम मेकांग–गंगा सहकारिता (एमजीसी) से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, जो भारत और पांच आसियान देशों को करीब लाती है। "पूरब की ओर देखो नीति" का एक अन्य महत्वपूर्ण स्तम्भ, कुछ सार्क और आसियान देशों को करीब लाकर बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल के लिए हमारी सदस्यता है।

(घ) वृहद एशिया प्रशान्त क्षेत्र में आसियान का आर्थिक, राजनीतिक और नीतिगत महत्व और व्यापार और निवेश में भारत का प्रमुख भागीदार बनने की इसकी सम्भाव्यता हमारी "पूरब की ओर देखो नीति" का एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत और आसियान अपने सुरक्षा मामलों में भी अभिमुख रहे हैं। 1996 से भारत, आसियान क्षेत्रीय फोरम (एआरएफ) में सक्रिय भागीदार रहा है। 8 अक्तूबर, 2003 को बाली, इन्डोनेशिया में दूसरे आसियान–भारत सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और आसियान के सदस्य देशों/सरकारों के प्रमुखों द्वारा एक व्यापक आर्थिक सहयोग के

ढांचागत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश के क्षेत्र में मुक्त व्यापार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं और इसमें आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई है। 29–30 नवम्बर, 2004 को विनटियाने में हुए तीसरे आसियान–भारत सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने "शान्ति, प्रगति और साझा उन्नति के लिए भारत–आसियान भागीदारी" समझौते पर हस्ताक्षर किए।

जनजातीय क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

964. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9वीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के बहुत से परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या खर्च न की गई धनराशि को 10वीं योजना के लिए आवंटित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा किन–किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. खिन्डिया) : (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों वाली राज्य सरकारों को कृषि, उद्यान, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिता, मत्स्यपालन, ग्रामीण एवं लघु क्षेत्र के उद्योगों एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के क्षेत्रों में परिवारोन्मुख आय सृजन की योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को नौवीं योजना अवधि में दी गई वित्तीय सहायता और राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) नौवीं योजना के अन्त में 1316.11 लाख रुपये की अव्ययित धनराशि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में 10वीं योजना अवधि में उपयोग की गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश

9वीं और 10वीं योजना के दौरान वर्ष–वार निर्मुक्त जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का सूचित व्यय एवं अव्ययित राशि

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

वर्ष	निर्मुक्त धनराशि	सूचित व्यय	अव्ययित राशि	संचयी अव्ययित धनराशि
9वीं योजना				
1997–1998	9207.83	7139.01	2068.82	4640.08
1998–1999	9476.17	9647.23	–171.06	4469.02
1999–2000	9797.15	12026.47	–2229.32	2239.7
2000–2001	6257.12	8789.15	–2532.03	–292.33
2001–2002	7833.22	6224.78	1608.44	1316.11
कुल	42571.49	43826.64	–1255.15	
10वीं योजना				
2002–2003	7833.22	8793.98	–960.76	355.35
2003–2004	7458.93	7814.28	–355.35	0.00
2004–2005	9139.70	6268.91	2870.79	2870.79
2005–2006	3524.95	0.00	3524.95	6395.74

अनुपूरक पोषाहार लागत

965. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुपूरक पोषाहार लागत प्रति बालक 95 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये कर एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) हेतु सहायता अनुदान के लिए संशोधित मानदंडों का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में केन्द्र की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) वर्ष 2005–06 के लिए कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) वर्ष 2006–07 के लिए कुल कितनी धनराशि अनुमानित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार पूरक पोषण की लागत के वित्तीय मानकों का 50 प्रतिशत अथवा राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक खर्च का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, वहन करेगी।

(ग) वर्ष 2005–06 के लिए केन्द्रीय अंशदान 1508.00 करोड़ रुपये आंका गया है।

(घ) वर्ष 2006–07 के लिए केन्द्रीय अंशदान की आवश्यकता का प्राक्कलन 1700.00 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

पुलिस बलों को अनुदान

966. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

श्री सर्बानन्द सोनोवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों को केन्द्रीय अनुदान में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए राज्यों द्वारा लिए गए अनुदान में से राज्य–वार कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राज्य पुलिस बलों को आधुनिकीकरण की योजना 2005–06 में संशोधित की गई है। इस संशोधित योजना के अन्तर्गत राज्यों को 100 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निधिकरण के साथ क्रमशः श्रेणी "क" और श्रेणी "ख" में वर्गीकृत किया गया है। पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय वार्षिक आवंटन को 1645.00 करोड़ रु. तक बढ़ा दिया गया है।

100 प्रतिशत केन्द्रीय निधिकरण के साथ असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम को श्रेणी "क" में वर्गीकृत किया गया है और इस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय निधियों का स्तर बढ़ गया है। 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधिकरण के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य पहले से ही श्रेणी "क" राज्य है।

75 प्रतिशत केन्द्रीय निधिकरण के साथ शेष राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल को श्रेणी "ख" में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक की अवधि के दौरान जारी की गई केन्द्रीय निधियों और उनके उपयोग के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(रु. करोड़ में)

वर्ष	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	उपयोग की गई केन्द्रीय निधियां
2000–01	1000.00	913.81
2001–02	1000.00	863.18
2002–03	695.00	628.61
2003–04	705.27	625.97
2004–05	960.00	689.36

वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि के लिए जारी की गई केन्द्रीय निधियों और उनके उपयोग के राज्य–वार ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना–वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक–जारी की गई निधियां/उपयोगिता स्थिति (23.11.2005 की स्थिति)

(रु. करोड़ में)

राज्य का नाम	2000–01			2001–02			2002–03			2003–04			2004–05		
	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	व्यय की गई केन्द्रीय निधियां	अव्ययित शेष निधियां	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	व्यय की गई केन्द्रीय निधियां	अव्ययित शेष निधियां	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	व्यय की गई केन्द्रीय निधियां	अव्ययित शेष निधियां	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	व्यय की गई केन्द्रीय निधियां	अव्ययित शेष निधियां	जारी की गई केन्द्रीय निधियां	व्यय की गई केन्द्रीय निधियां	अव्ययित शेष निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	72.02	72.02	00.00	77.20	77.20	00.00	81.32	80.64	00.68	69.46	65.38	04.08	79.73	34.21	45.52
अरुणाचल प्रदेश	01.15	00.69	00.46	04.45	03.94	00.51	5.20	01.40	03.80	7.24	1.72	05.52	9.13	6.15	2.98
असम	36.58	18.29	18.29	38.59	19.60	18.99	16.50	07.57	08.93	36.52	34.21	02.31	41.17	41.17	00.00
बिहार	57.58	50.40	07.18	54.00	20.70	33.30	11.50	11.50	00.00	0.43	0.43	00.00	45.00	45.00	00.00
छत्तीसगढ़	20.58	20.58	00.00	21.97	21.13	00.84	16.70	15.77	00.93	17.47	13.58	03.89	32.72	12.75	19.97
गोवा	02.02	1.77	00.25	02.00	01.25	00.75	2.00	01.10	00.90	1.40	01.25	00.15	0.28	0.28	00.00
गुजरात	59.76	55.78	03.98	50.00	48.15	01.85	50.00	49.09	00.91	42.21	42.21	00.00	39.04	23.30	15.74
हरियाणा	28.32	28.32	00.00	24.46	24.46	00.00	22.10	22.10	00.00	20.00	20.00	00.00	22.13	22.13	00.00
हिमाचल प्रदेश	01.34	01.34	00.00	06.38	03.16	03.22	6.20	01.01	05.19	0.69	0.69	00.00	2.57	2.57	00.00
जम्मू और कश्मीर	30.82	30.82	00.00	28.50	28.50	00.00	28.50	28.50	00.00	25.00	24.00	01.00	110.69	110.67	00.02
झारखंड	40.15	33.43	06.72	28.93	27.74	01.19	12.73	12.42	00.31	8.50	5.72	02.78	22.23	1.63	20.60
कर्नाटक	82.85	82.85	00.00	76.90	76.89	00.01	75.00	69.02	05.98	69.31	67.45	01.86	58.87	53.61	05.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
केरल	29.28	28.24	01.04	31.16	29.96	01.20	25.13	25.13	00.00	22.00	22.00	00.00	26.45	17.74	08.71
मध्य प्रदेश	54.49	54.49	00.00	53.00	52.64	00.36	51.33	46.79	04.54	48.24	44.73	03.51	42.07	25.78	16.29
महाराष्ट्र	83.10	73.38	09.72	92.10	92.10	00.00	67.94	67.41	00.53	62.84	56.13	06.71	71.00	56.90	14.10
मणिपुर	04.10	2.05	02.05	04.95	02.45	02.50	0.73	0.30	00.43	11.50	4.84	06.66	15.24	12.25	02.99
मेघालय	01.54	01.09	00.45	05.19	03.55	01.64	0.55	00.55	00.00	5.29	2.63	02.69	7.58	2.62	04.96
मिजोरम	04.95	4.95	00.00	05.50	05.50	00.00	5.50	2.75	02.75	8.47	1.76	06.71	7.45	1.49	05.96
नागालैंड	02.84	2.84	00.00	13.46	13.46	00.00	9.95	9.95	00.00	21.00	19.34	01.66	13.09	9.03	04.06
उड़ीसा	30.58	29.94	00.64	30.50	28.40	02.10	16.76	15.37	01.39	21.91	16.03	05.88	27.66	15.43	12.23
पंजाब	35.76	35.31	00.45	32.10	15.01	17.09	32.10	9.99	22.11	19.34	08.04	11.30	22.89	11.06	11.83
राजस्थान	45.52	45.52	00.00	61.10	57.37	3.73	16.17	16.17	00.00	43.10	40.12	02.98	42.42	11.62	30.80
सिक्किम	01.83	00.11	01.72	2.87	00.89	01.98	0.09*	00.09	00.00	00.94	0.69	00.25	5.90	4.90	01.00
तमिलनाडु	76.50	76.47	00.03	68.10	68.10	00.00	68.10	68.10	00.00	54.98	50.50	04.48	56.78	30.88	25.90
त्रिपुरा	06.39	6.39	00.00	05.60	5.60	00.00	5.60	5.60	00.00	12.83	9.74	3.09	12.44	8.13	04.31
उत्तर प्रदेश	123.97	117.49	06.48	116.05	105.96	10.09	60.39	53.38	07.01	65.02	65.02	00.00	108.33	97.36	10.97
उत्तरांचल	05.50	5.46	00.04	08.44	08.44	00.00	6.58	6.58	00.00	7.41	5.77	01.64	7.99	3.55	04.44
पश्चिम बंगाल	60.48	33.79	26.69	56.50	21.03	35.47	0.33*	00.33	00.00	2.17	1.99	00.18	29.15	27.15	02.00
कुल	1000.00	913.81	86.19	1000.00	863.18	136.82	695.00@	628.61	66.39	705.27	625.97	79.30	960.00	689.36	270.64

*सिक्किम और पश्चिम बंगाल के सामने दर्शाई गई राशि केवल पोलनेट परियोजना के लिए है।

@इसमें सभी राज्यों के पोलनेट परियोजना हेतु 878 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

[अनुवाद]

दूरस्थ शिक्षा

967. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विचार बी.एड./जे.बी.टी. तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बिना प्रवेश परीक्षा के आयोजन तथा बिना न्यूनतम प्रतिशतता योग्यता मानदंड के निर्धारण के भी दूरस्थ शिक्षा प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक प्रारंभ कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जो देश की शिक्षक शिक्षा पद्धति में मानक और मानदंडों के रखरखाव से संबंधित एक सांविधिक निकाय है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यद्यपि परिषद दूरस्थ प्रणाली के जरिए शिक्षक शिक्षा में प्रथम डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के पक्ष में नहीं है, तथापि, इसने स्नातक डिग्री और कम से कम दो वर्ष के अनुभव सहित मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्य कर रहे सेवारत शिक्षकों को दोहरी प्रणाली के विश्वविद्यालयों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा संस्थान निदेशालय और मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बी.एड. (कार्यक्रम) के लिए मानक एवं मानदंड निर्धारित किए हैं।

समुद्री पत्तनों पर कार्गो सम्भलाई क्षमता

968. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के समुद्री पत्तनों पर कार्गो सम्भलाई क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक पत्तन पर क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) महापत्तनों में अतिरिक्त क्षमता कायम किए जाने की परियोजनाएं, महापत्तनों के विकास की लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया के अंग के रूप में, समुद्री व्यापार की मांगें ध्यान में रखकर, चलाई जानी आरंभ की जाती हैं। 12 महापत्तनों में दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति पर, 31.3.2002 को रही 343.95 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता, 31.3.2005 को बढ़कर 397.50 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है। वर्ष, 2002 से वर्ष, 2007 तक दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, 12 महापत्तनों में क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से चलाई जानी आरंभ की गई/चलाए जाने को योजनाबद्ध प्रमुख योजनाओं की सूची, विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

10वीं योजना अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रारम्भ की जाने वाली/प्रारम्भ किए जाने को नियोजित प्रमुख परियोजनाएं

क्र.सं.	पत्तन/परियोजना का नाम	क्षमता वृद्धि (मिलियन टन में)	
		नौवीं योजना से जारी योजनाएं	नई योजनाएं
1	2	3	4
	I कोलकाता/हल्दिया		
1.	बहुउद्देशीय घाट 4ए का निर्माण	1.50	
2.	घाट सं. 13 का निर्माण 13	0.50	
	जोड़	2.00	
	II पाराद्वीप		
1.	आगमन सुविधाओं सहित तेल घाट का निर्माण	6.00	

1	2	3	4
2.	स्वच्छ जहाजी माल के लिए घाट का निर्माण		0.60
3.	बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर गहरे ड्राफ्ट वाले लौह अयस्क घाट का निर्माण		10.60
	जोड़	6.00	10.50
	III विशाखापट्टनम		
1.	बंधक आधार पर डब्ल्यू क्यू–6 का निर्माण		1.00
2.	अंदरूनी बंदरगाह के उत्तरी भाग में डब्ल्यू क्यू–7 में चार बहुउद्देशीय घाटों का निर्माण	1.00	
3.	बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर ई क्यू–8 और ई क्यू–9 का निर्माण	2.00	
4.	अयस्क संभालने के परिसर का उन्नयन		6.00
	जोड़	3.00	7.00
	IV चेन्नई		
1.	कंटेनर संभालने के अतिरिक्त उपस्करों का प्रावधान	2.50	
2.	कंटेनर टर्मिनल का 290 मीटर तक और विस्तार–सिविल कार्य	0.50	
3.	पश्चिम क्वे घाटों का आधुनिकीकरण	1.00	
4.	एस क्यू–III और पूर्व क्वे घाटों का आधुनिकीकरण	0.70	
	जोड़	4.70	
	V नव मंगलूर		
1.	रिफाइनरी के विस्तार के लिए पत्तन सुविधाएं (एमआरपीएल)	5.20	
2.	बहुउद्देशीय घाट का निर्माण	3.00	
3.	सामान्य जहाजी माल के लिए अतिरिक्त घाट	4.00	
4.	कंटेनर यानांतरण टर्मिनल		5.00
5.	एनपीसीएल के लए कैप्टिव कोयला जेट्टी का निर्माण		3.00
	जोड़	12.20	8.00
	VI जवाहर लाल नेहरू		
1.	समुद्री रसायन टर्मिनल (2 घाट)		5.00
2.	उथले जल वाले घाट का निर्माण	1.20	
3.	बल्क टर्मिनल का कंटेनर टर्मिनल में रूपांतरण		9.00
	जोड़	1.20	14.00

1	2	3	4
	VII कोचीन		
1.	पुत्तुविपीन में एलएनजी/एलपीजी सुविधाएं		2.50
2.	वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल		5.00
3.	क्रूड संभालने की सुविधाएं		6.00
4.	बंकरिंग टर्मिनल		1.00
	जोड़		14.50
	VIII तूतीकोरिन		
1.	पीएसएएसआईसीएएल कंटेनर टर्मिनल द्वारा घाट संख्या 7 पर उपस्कर उपलब्ध कराए जाने के माध्यम से प्रत्याशित अतिरिक्त क्षमता	0.85	
2.	उत्तरी जहाजी माल के घाट का निर्माण		1.00
3.	कैप्टिव कोयले का घाट	1.50	
4.	तूतीकोरिन पत्तन पर घाट सं. 8 के सामने निकर्षण	1.00	
	जोड़	3.35	1.00
	IX मुरगांव		
1.	घाट सं. 5ए और 6ए का निर्माण	5.00	
2.	वास्को बे पर घाट का गहरा किया जाना		2.00
	जोड़	5.00	2.00
	X मुम्बई		
1.	1, 2, 3 जेट्टीयों का आधुनिकीकरण	4.00	
2.	पीर पाउ में तरल रसायन का दूसरा घाट	2.00	
3.	पीर पाउ में कोयले के घाट का निर्माण	1.50	
4.	कंटेनर के समुद्र में स्थित घाट का निर्माण		4.00
	जोड	7.50	4.00
	XI कांडला		
1.	सामान्य जहाजी माल घाट 9 (11वें जहाजी माल घाट के रूप में पुनः नामकरण)	0.80	
2.	कंटेनर संभालने की सुविधाएं	3.40	0.50
3.	मैसर्स एस्सार रिफाइनरी द्वारा वादिनार में पत्तन से संबंधित सुविधाओं की स्थापना	15.00	
4.	अपेडा को नामांकन के आधार पर घाट सं. 5 का आवंटन	0.35	

1	2	3	4
5.	10वें जहाजी माल घाट का निर्माण (12वें जहाजी माल घाट के रूप में पुनः नामकरण)		0.80
	जोड़	19.55	1.30
	XII इन्नौर पत्तन लिमिटेड		
1.	मल्लीसर कोयला टर्मिनल		8.00
2.	रसायन और एलएनजी के लिए दो घाट		5.00
3.	वीएलसीसी के लिए बराबर जेट्टी का निर्माण		9.50
4.	लौह अयस्क घाट का निर्माण		12.00
5.	एलएनजी जेट्टी		2.50
6.	बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर इन्नौर पत्तन पर कंटेनर टर्मिनल		12.00
	जोड़		49.00
	कुल जोड़	64.50	111.40

शैक्षिक संस्थाओं में आत्महत्याओं के मामले

969. श्री राजेन गोहेन :

श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक संस्थाओं में भारी संख्या में आत्महत्या के मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के मूल कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया जा रहा है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, नहीं। शैक्षिक संस्थाओं में छात्रों द्वारा आत्महत्या की केवल छुटपुट घटनाएं ही सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ग) और (घ) उच्चतर तथा तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं में तनाव रहित शैक्षिक वातावरण सृजित करने पर बल देने के अलावा सरकार ने सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी स्कूल स्तर के दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) परीक्षा शुरू होने तथा परिणाम घोषित होने से एक माह पहले 'हेल्पलाइन' शुरू करना।

(ii) प्रश्नों के स्वरूप और प्रश्न पत्रों के बारे में छात्रों और शिक्षकों को परिचित कराने के लिए प्रश्न पत्रों के नमूनों और अंक प्रणाली का प्रकाशन।

(iii) छात्रों में अनुपयुक्त प्रतियोगिता को कम करने के लिए अंकों की समग्र औसत को समाप्त करना।

(iv) व्यापक और निरन्तर स्कूल आधारित मूल्यांकन शुरू करना।

(v) कक्षा X में दो विषयों में और कक्षा XII में एक विषय में कम्पार्टमेंट परीक्षा की सुविधा प्रदान करना।

(vi) कक्षा X और XII के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा के तीन अवसर प्रदान करना।

(vii) प्रश्नों की अधिक आन्तरिक चयन व्यवस्था के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों में प्रश्न पत्रों को सरल बनाना।

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कुटीर उद्योग का विकास

970. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में कुटीर उद्योगों के विकास तथा विकासात्मक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों का वित्त पोषण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा राज्य–वार, संगठन–वार, कार्यक्रम–वार कितनी धनराशि जारी की गई/खर्च की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं से लाभान्वितों की कुल संख्या कितनी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से (i) कुटीर उद्योगों सहित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और (ii) इकाइयों को आधारभूत संरचना सहयोग और सेवाएं प्रदान करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) योजना और (iii) परिष्कृत डिजाइनों और ग्रामोद्योग उत्पादों की पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना को कार्यान्वित करती है। जबकि आरईजीपी के तहत किसी गैर सरकारी संगठन को सहायता नहीं दी गई है, पिछले तीन वर्षों के दौरान आरआईएससी और पीआरओडीआईपी योजनाओं के तहत परियोजनाएं चला रहे गैर सरकारी संगठनों और उन्हें जारी किए गए फंड का ब्यौरा क्रमशः विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) आरआईएससी और पीआरओडीआईपी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त संस्थान/संगठन प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं जिनका ब्यौरा उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंधों में दिया गया है। ये संस्थागत लाभार्थी बदले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यक्तियों को रोजगार अवसर प्रदान करने में मदद करते हैं।

विवरण-I

2004–05 के दौरान आरआईएससी योजना के तहत स्थापित सीएफसी का राज्य–वार, संगठन–वार ब्यौरा

(लाख रुपये)

संस्थान का नाम	उद्योग	गतिविधि	जारी कोष
1	2	3	4
	वर्ष 2004-05		
झारखंड			
रामकृष्ण मिशन, रांची	मधुमक्खी पालन	शहद उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण	1.87
छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान, रांची	मधुमक्खी पालन	शहद प्रसंस्करण प्लांट के लिए बॉटलिंग और सीलिंग इकाई	1.87
पश्चिम बंगाल			
मैसर्स गौर रेशम शिल्पी संस्थान, रांची	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	आम का प्रसंस्करण	1.87
तमिलनाडु			
इरोड सर्वोदय संघ, इरोड	पॉलिमर तथा रसान आधारित उद्योग	चमड़ा (फुटवियर इकाई)	1.87

1	2	3	4
इंदिरा प्रियदर्शिनी सोसाइटी, 177/254, कोनापुल्ला, मेडु, पल्लीपलायन रोड, कुमारअप्पलायम–638183 नामक्कल जिला तमिलनाडु	जैव प्रौद्योगिकी	जैव–खाद/वर्म कंपोस्ट	1.87
कार्ड–ट्रस्ट, थाप्पू, कांडु, 2–थेनी, मदुरई	जैव प्रौद्योगिकी	जैव–खाद परीक्षण प्रयोगशाला	2.625
केरल			
ब्रह्मगिरि देव सोसाइटी, वायनाडु	जैव प्रौद्योगिकी	प्रयोगशाला, प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि की स्थापना	1.875
केरल गांधी स्मारक निधि	खनिज आधारित उद्योग	पॉटरी क्लस्टर	1.875
आंध्र प्रदेश			
वालविलाल खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, वालविलाल, करीम नगर जिला	खादी	पोस्ट वीविंग प्रोसेसिंग लि.	1.87
द नीलगिरि एजुकेशनल सोसाइटी, अटमकुर, मंगलागिरि (एम) गुंटूर जिला	जैव प्रौद्योगिकी	प्रौद्योगिकी उन्नयन और वर्मी कंपोस्ट इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण	1.87
उत्तर प्रदेश			
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूपी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ (डिपार्टमेंटल सेंटर एट टिकर माफी, सुल्तानपुर)	खादी	ऊनी खादी का उत्पादन	1.875
क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, गोरखपुर	खादी	ऊनी खादी का उत्पादन	1.875
कर्नाटक			
कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग समिति, बेंगारी, हुबली	खादी	खादी टेक्सटाइल परीक्षण प्रयोगशाला	1.87
श्री क्षेत्र धर्मशाला, ग्रामीण विकास परियोजना, धर्मशाला, डी के जिला	विपणन	अचारों की ब्रांडिंग और विपणन	3.75
कुल			28.835

टिप्पणी : ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) योजना का कार्यान्वयन 2004–05 के दौरान ही आरम्भ हुआ।

विवरण-II

2003–04 और 2004–05 के दौरान पीआरओडीआईपी योजना के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं का राज्य–वार, संगठन–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी फंड (रु.)
1	2	3	4	5
		वर्ष 2003-04		
1.	उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय श्रीगांधी आश्रम, मुरादाबाद, उ.प्र.	शैंपू की पैकेजिंग	115000

1	2	3	4	5
2.	उत्तर प्रदेश	राघव ग्रामोद्योग संस्थान, 10/12 राजपुरा रोड, मेरठ, उ.प्र.	लकड़ी एवं स्टील फर्नीचर दोनों सामग्रियों का उत्पाद डिजाइन	30000
3.	उत्तर प्रदेश	गांधी आश्रम, बरेली, उ.प्र.	फर्नीचर सामग्रियों में उत्पाद डिजाइन	33300
4.	उत्तर प्रदेश	तरूण ग्राम्य विकास समिति, 86/416 देव नगर, कानपुर उ.प्र.	चर्म में समकालीन डिजाइन	45900
5.	कर्नाटक	खादी ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादकता संघ लि., हुगली–591148, बेलगाम (जिला)	अगरबत्ती और साबुन के लिए पैकेजिंग	34875
6.	कर्नाटक	खादी ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादकता संघ लि., हुगली–591148, बेलगाम (जिला)	अचार और आम के गूदे के लिए पैकेजिंग	34875
7.	तमिलनाडु	श्रीमती आर रामथिलिंगम, मैसर्स बालाजी इन्सटैन्ट साम्बीरानी वर्क्स, थिरूनगर, मदुरै	धूप स्टिक्स और धूप कोन्स में उत्पाद विकास और पैकेजिंग सुधार	76750
8.	तमिलनाडु	अम्बसमुद्रम सर्वोदय संघ, तिरूनेलवेली जिला	अगरबत्ती में उत्पाद विकास और पैकेजिंग सुधार	137665
9.	तमिलनाडु	गांधीग्राम केवीआई पी सी ट्रस्ट	टॉयलेट साबुन और हर्बल शैंपू में उत्पाद विकास और पैकेजिंग सुधार	105000
10.	तमिलनाडु	श्रीमती कृष्णा देवी, गांधी ग्रामोद्योग, चेन्नै–44	पेपर बोर्ड के बैगों का डिजाइन और प्रिंटिंग	16785
11.	केरल	सी. पेडियान, साजी एजेन्सीज	विद्यमान उत्पादों के लिए मूल्यवर्धन सहित बेंत और बांस के फर्नीचर में आधुनिकीकरण	27600
12.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंग राज्य तलगुर शिल्पी समाबया मल्लसंघ	नीर प्राश (सॉफ्टड्रिंक्स)	60000
13.	आंध्र प्रदेश	शैनोजू टिम्बर्स एंड फर्नीचर, हैदराबाद	लकड़ी का फर्नीचर	22500
	कुल			740250
		वर्ष 2004-05		
14.	उत्तर प्रदेश	रवि ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 368/111, लकड़मंडी, सादतगंज, लखनऊ–226017	अचार के लिए ब्लिस्टर पैकेजिंग	28500
	कुल			28500

टिप्पणी : ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) योजना का कार्यान्वयन 2003-04 में ही आरम्भ हुआ है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन

971. **श्रीमती मेनका गांधी :**
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन :

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने के लिए नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003–04, 2004–05 के दौरान देश में राज्य–वार कितनी नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान किए गए;

(ग) इसके फलस्वरूप अनुमानतः कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए गए;

(घ) चालू वित्तीय वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रोत्साहन देने के बाद कितनी नई इकाइयां स्थापित किए जाने का लक्ष्य है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर सृजित करने के लिए नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन करती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत, एक उद्यमी केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, आदि से ऋण प्राप्त करके, 25 लाख रुपये की अधिकतम लागत से परियोजना स्थापित कर सकता है।

(ख) से (घ) 2003–04 और 2004–05 के दौरान, आरईजीपी के तहत स्थापित नई परियोजनाएं और सृजित रोजगार की राज्य–वार संख्या तथा 2005–06 के लिए लक्ष्य विवरण–I और विवरण–II पर संलग्न हैं।

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में प्रत्येक राज्य में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, जागरूकता कैम्प आयोजित करना शामिल है। केवीआईसी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए आरईजीपी के तहत संभाव्य पात्र उद्यमियों द्वारा फाइल किए गए आवेदनों की सहायता के लिए ग्रामीण उद्योग परामर्श सेवा (आरआईसीएस) स्थापित किए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित नई परियोजनाओं और 2005–06 के लिए लक्ष्य की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या		
		2003–04	2004–05	2005–06 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5
	I उत्तरी क्षेत्र			
1.	चंडीगढ़	8	8	4
2.	दिल्ली	7	9	29
3.	हरियाणा	923	1140	1078
4.	हिमाचल प्रदेश	141	469	689
5.	जम्मू और कश्मीर	775	922	550
6.	पंजाब	882	864	1351
7.	राजस्थान	2496	1537	2085
	II पूर्वी क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार	58	6	138
2.	बिहार	88	254	450
3.	झारखंड	323	240	875
4.	उड़ीसा	1031	991	801
5.	पश्चिम बंगाल	3348	2584	2052
	III उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
1.	अरुणाचल प्रदेश	32	43	94
2.	असम	1223	1658	1381
3.	मणिपुर	36	102	275
4.	मेघालय	210	146	275
5.	मिजोरम	33	162	411
6.	नागालैंड	61	151	157
7.	सिक्किम	113	233	198
8.	त्रिपुरा	244	139	98

1	2	3	4	5
	IV दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आंध्र प्रदेश	1097	1988	3097
2.	कर्नाटक	1422	934	1819
3.	केरल	2046	914	1151
4.	लक्षद्वीप	9	0	01
5.	पांडिचेरी	47	7	56
6.	तमिलनाडु	1568	925	1096
	V पश्चिमी क्षेत्र			
1.	दादरा व नगर हवेली	2	0	0
2.	दमन व दीव	0	0	0
3.	गोवा	0	138	275
4.	गुजरात	290	376	554
5.	महाराष्ट्र	857	1773	1726
	VI केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	छत्तीसगढ़	697	656	826
2.	मध्य प्रदेश	1041	1361	1167
3.	उत्तरांचल	1106	513	550
4.	उत्तर प्रदेश	2134	2210	3614
	कुल योग	24747	23453	28923

विवरण-II

वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान आरईजीपी के तहत सृजित रोजगार और 2005–06 के लिए लक्ष्य की राज्य–वार संख्या

(रोजगार : व्यक्तियों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003–04	2004–05	2005–06 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5
	I उत्तरी क्षेत्र			
1.	चंडीगढ़	162	188	83
2.	दिल्ली	231	144	275
3.	हरियाणा	33201	35691	21588
4.	हिमाचल प्रदेश	13485	12256	13750
5.	जम्मू और कश्मीर	6845	9406	13101
6.	पंजाब	13600	30665	25005
7.	राजस्थान	51337	38287	50095
	II पूर्वी क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार	504	93	2750
2.	बिहार	3818	5049	11537
3.	झारखंड	3968	6855	13468
4.	उड़ीसा	13431	15241	16005
5.	पश्चिम बंगाल	27350	36581	41030
	III उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
1.	अरुणाचल प्रदेश	864	1219	1870
2.	असम	15548	25768	27610
3.	मणिपुर	682	1313	3355
4.	मेघालय	2171	3789	5500
5.	मिजोरम	1174	5180	8223
6.	नागालैंड	2332	3851	3135
7.	सिक्किम	4316	3994	3960
8.	त्रिपुरा	2140	3227	1953
	IV दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आंध्र प्रदेश	31996	66463	46761
2.	कर्नाटक	29958	19478	36383
3.	केरल	50291	16434	25119
4.	लक्षद्वीप	127	0	28

1	2	3	4	5
5.	पांडिचेरी	219	146	1160
6.	तमिलनाडु	24028	19159	21918
	V पश्चिमी क्षेत्र			
1.	दादरा व नगर हवेली	61	0	0
2.	गोवा	1715	1670	3500
3.	गुजरात	2236	8581	11083
4.	महाराष्ट्र	15498	25040	34513
	VI केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	छत्तीसगढ़	19815	18347	16528
2.	मध्य प्रदेश	23683	40539	23348
3.	उत्तरांचल	16825	10471	11000
4.	उत्तर प्रदेश	57847	64889	60396
	कुल योग	471458	530025	556030

[हिन्दी]

बीडीआर की गतिविधियां

972. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगलादेश राइफल्स के जवान भारतीय सीमा पर बसे पश्चिम बंगाल के गांव में घुस आए थे और गांव को लूट कर ले गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जी, हां। 14 अक्तूबर, 2005 को बीडीआरबीओपी भाईघर, ईएक्स–15 आर बटालियन से बांगलादेश राइफल्स (बीडीआर) के जवान वर्दी में पश्चिम बंगाल में जिला दक्षिण दीनाजपुर के धीमपुर गांव में भारतीय राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से घुसे और गोलीबारी और घरों में तलाशी ली और लूटपाट की तथा भारतीय नागरिकों पर हमला किया। वे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, सोने के आभूषण और नगदी सहित अन्य वस्तुएं भी साथ ले गए। सूचना मिलने पर, बीएसएफ के जवान तुरन्त मौके पर पहुंचे और कुछ वस्तुएं बरामद कर लीं। बीएसएफ ने ध्वज बैठकें आयोजित कीं तथा बीडीआर के पास विरोध नोट दर्ज किया। विदेश मंत्रालय ने भी घटना के संबंध में बांगलादेश जन गणराज्य के उच्चायोग में विरोध नोट दर्ज किया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

बाह्य छात्रों की सुरक्षा

973. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों और अन्य राज्यों से शिक्षा प्राप्ति हेतु दिल्ली आने वाले छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास उपलब्ध प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था की आवधिक समीक्षा करने की कोई पद्धति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछली समीक्षा के क्या परिणाम निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) स्थानीय प्रशासन, अन्य राज्यों तथा विदेशों से दिल्ली आने वाले विद्यार्थियों एवं अन्य सभी नागरिकों की अपराधों से सुरक्षा करना एवं कानून और व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करता है।

(ख) केन्द्र सरकार के स्तर पर ऐसी कोई समीक्षा नहीं रखी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एक ही व्यवस्था के अन्तर्गत महाविद्यालय

974. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूजीसी का विचार समान उद्देश्यों वाले महा–विद्यालयों को एक समूह में लाने की योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या छात्रों के हितों और शैक्षिक संस्थानों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित योजना की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को समय पर क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस योजना को आयोग ने अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

औद्योगिक मंदी

975. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश वर्तमान में औद्योगिक मंदी के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस औद्योगिक मंदी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान औद्योगिक मंदी के फलस्वरूप राज्य-वार कितने उद्योग बन्द हुए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) आधार वर्ष 1993-94 के सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा आंका गया औद्योगिक उत्पादन यह नहीं दर्शाता कि देश मंदी के दौर से गुजर रहा है। उत्पादन में वर्ष 2002-03 में 5.7 प्रतिशत, वर्ष 2003-04 में 7.0 प्रतिशत और वर्ष 2004-05 में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल-सितम्बर, 2005-06 के दौरान औद्योगिक विकास 8.8 प्रतिशत तक बढ़ गया जो कि वर्ष 2004-05 की इसी अवधि की तुलना में 8.3 प्रतिशत था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ की भर्ती

976. श्री जुएल ओराम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीआरपीएफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से विशेषतः उड़ीसा से जवानों की भर्ती कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य-वार कितने स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान किन-किन पदों पर भर्ती की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) युवाओं को लाभप्रद रोजगार प्रदान करके उन्हें हिंसा के मार्ग से अलग करने के उद्देश्य से सरकार ने केन्द्रीय पुलिस बलों (सीपीएफ) में रिक्तियों का कुछ कोटा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से भरे जाने के लिए निर्धारित किया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में चालू वर्ष (2005-06) में भर्ती के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों को आवंटित कांस्टेबल (जीडी) की रिक्तियों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ग) पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा, जिसके लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भर्ती की गई थी, विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्यों का नाम	रिक्तियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2,943
2.	बिहार	2,805
3.	झारखंड	1,780
4.	मध्य प्रदेश	1,128
5.	छत्तीसगढ़	865
6.	महाराष्ट्र	1,956
7.	उड़ीसा	1,282
8.	उत्तर प्रदेश	3,066
9.	पश्चिम बंगाल	2,416
	कुल	18,241

विवरण-II

पदों की श्रेणी	वर्ष–वार भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या		
	2002	2003	2004
समूह "क"	88	45	77
समूह "ख"	शून्य	शून्य	शून्य
समूह "ग"	22,361	1,302	28,233
समूह "घ"	36	30	39

कर्नाटक में पारंपरिक विश्वविद्यालय

977. **श्री एम. शिवन्ना** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में गुलबर्ग, मंगलौर और कुवेन्यू पारंपरिक विश्वविद्यालयों को कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय नियम, 2000 के अनुसार मुफ्त और दूरवर्ती शिक्षा में उद्यम शुरू न करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अनुसार, कर्नाटक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ने 17 अगस्त, 2005 को निदेश दिया है कि गुलबर्गा, मंगलौर और कुवेम्पु विश्वविद्यालयों सहित राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालय अगले आदेशों तक मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति के अन्तर्गत आने वाले किसी भी पाठ्यक्रम में कोई नया दाखिला नहीं करेंगे। राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधानों के तहत कार्य करते हैं और केन्द्र सरकार की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं है।

भूमिगत मार्ग और अंडरपास

978. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग–2 और राष्ट्रीय राजमार्ग–6 पर पचपन किलोमीटर के खंड में महत्वपूर्ण और व्यस्त क्रासिंगों पर कोई भूमिगत पैदल पार–पथ और अंडरपास नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन क्रासिंगों पर भूमिगत पैदल पार–पथ और अंडरपास का निर्माण करने के लिए कोई पहल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्माण कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) हावड़ा जिले में रा.रा. 6 के 54.4 किमी. सड़क खंड पर अर्थात् दनकुनी से कोलाघाट तक, 66.573 किमी. पर आनन्द निकेतन हाई स्कूल, बेगनान के सामने एक भूमिगत मार्ग मुहैया कराया गया है। रा.रा. 6 के 24.6 किमी. (सलाप मोड़) पर दो तरफा सीढ़ियों की सुविधा की व्यवस्था और पैदल यात्रियों के उपयोग के लिए फुटपाथों सहित एक फ्लाई ओवर पूरा होने के अन्तिम चरण में है। हावड़ा जिले में रा.रा. 2 के लगभग 3 किमी. सड़क खंड पर अर्थात् दनकुनी से बाली पुल तक 666.60 किमी., 667.910 किमी., 668.207 किमी., 668.336 किमी., 668.950 किमी. और 669.170 किमी. पर 6 भूमिगत मार्ग मुहैया कराए गए हैं। इस समय इन सड़क खंडों पर अन्य कोई सबवे अथवा भूमिगत मार्ग निर्मित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

काली मिर्च और इलायची का निर्यात

979. **श्री पी. सी. थामस** :

श्री एन. एन. कृष्णदास :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार मसला बोर्ड और अन्य संबंधित संगठनों द्वारा मसालों, विशेष रूप से काली मिर्च और इलायची का निर्यात बढ़ाने के लिए हाल ही में कोई सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) काली मिर्च एवं इलायची के उन्नयन, आंतरिक परिवहन तथा उनके निर्यात में अन्तर्राष्ट्रीय भाड़े की लागत को कवर करने हेतु सब्सिडी प्रदान करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग) भारत सरकार ने भारत से काली मिर्च के 20,000 मी. टन के निर्यात पर अन्तर्राष्ट्रीय भाड़े के लिए 5.00 रुपये प्रति किलोग्राम (अथवा व्यय की गई वास्तविक लागत, जो भी कम हो) तथा आंतरिक परिवहन हेतु 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए डब्ल्यूटीओ सुसंगत सब्सिडी की मंजूरी

हेतु एक स्कीम की हाल ही में घोषणा की है। इस स्कीम को एकबारगी उपाय के रूप में कार्यान्वित किया जाता है और यह 31 मार्च, 2006 को समाप्त हो जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हिंसा

980. **श्री अशोक कुमार रावत :**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :
श्री मुन्नी राम :
श्री शिशुपाल पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जिले में हुई हिंसा की घटना की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भी उक्त हिंसा की घटना की जांच कराने हेतु कोई केन्द्रीय दल भेजा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस दल द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। रामलीला समिति, मऊ शहर द्वारा 14.10 2005 को प्रस्तावित भरत मिलाप कार्यक्रम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शहर में 13 अक्तूबर, 2005 की रात को लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर सांप्रदायिक तनाव शुरू हुआ था। इसके बाद, 14 अक्तूबर और बाद के दिनों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं में 8 व्यक्ति मारे गए, 37 व्यक्ति घायल हुए, 227 मकान/दुकानें, 13 औद्योगिक प्रतिष्ठान और 12 हथकरघा/पावरलूम क्षतिग्रस्त हुए। संपत्तियों को हुए नुकसान के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने हानि का अनुमान 8.55 करोड़ रुपये लगाया है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में डेरा डाल दिया और राज्य सरकार ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने, बलों की तैनाती करने और गश्त लगाने आदि जैसे उपाय किए। कुल 440 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए तथा कुल 57 अपराध दर्ज किए गए हैं। स्थिति को काबू करने में विफल रहने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन घटनाओं की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने एक जांच समिति का भी गठन किया है। राज्य सरकार द्वारा इन घटनाओं में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के आश्रितों को दो लाख रुपये और घायल हुए व्यक्तियों को 25000/– रुपये की राशि मंजूर की गई है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और मामले दर्ज करने, उनकी जांच–पड़ताल करने तथा मुकदमा चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। संघ सरकार ने समय–समय पर राज्य सरकारों को सलाह भी जारी की है और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रशासनिक उपाय और प्रोत्साहन संबंधी प्रयास भी किए हैं। इनमें देश में सांप्रदायिक स्थिति की निरन्तर समीक्षा करना, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रभाव डालने वाले संगठनों के क्रियाकलापों पर निरन्तर नजर रखना, सतर्कता संदेश भेजना, सूचना का आदान–प्रदान करना, संबंधित राज्य सरकार(रों) के विशेष अनुरोध पर केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बल भेजना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता करना आदि शामिल हैं। संघ सरकार ने सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत दिशा–निर्देश भी जारी किए हैं। प्रोत्साहन संबंधी प्रयासों में, उन संगठनों को अनुदान प्रदान करना जो सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के कार्य में लगे हैं, वार्षिक सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार और कबीर पुरस्कार तथा कौमी एकता दिवस मनाना शामिल हैं। सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए कानून बनाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

परम्परागत चाय पर राजसहायता

981. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परम्परागत चाय के विनिर्माण पर राजसहायता की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछेक चाय उत्पादक संघों विशेष रूप से नीलगिरि के उत्पादकों ने सरकार को यह प्रतिवेदन दिया है कि यह राजसहायता हरी पत्तियों को खरीदने वाले विनिर्माताओं पर लागू नहीं होती;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कच्ची सामग्री की कीमतों के न बढ़ने की स्थिति में छोटे उत्पादकों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) छोटे उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत स्कीम में 1 जनवरी, 2005 से 31 मार्च, 2007 तक पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धिकारी मात्रा के लिए 2 रुपये प्रति किग्रा. की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ परम्परागत चाय के उत्पादन के मौजूदा स्तर के लिए लीफ ग्रेड हेतु 3 रुपये प्रति किग्रा. तथा डस्ट ग्रेड हेतु 2 रुपये प्रति किग्रा. की सब्सिडी की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के लिए अनुमानित परिव्यय 65 करोड़ रुपये है और इसे चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वसूली से सृजित विशेष निधि से वित्त पोषित किया जाएगा।

(ग) और (घ) नीलगिरि लघु चाय उत्पादक एसोसिएशन ने बताया है कि चूंकि क्रीत पत्ती कारखानों में से किसी के भी पास परम्परागत चाय के विनिर्माण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए परम्परागत सब्सिडी से चाय के लघु उत्पादकों को मदद नहीं मिल रही है।

(ङ) जी, हां।

(च) चाय की कीमतों में गिरावट का आंशिक कारण प्रसंस्करण कारखानों को अपेक्षाकृत घटिया गुणवत्ता की हरी पत्तियों की आपूर्ति तथा कुछ कारखानों द्वारा अपनाई गई विनिर्माण की घटिया पद्धतियों को माना जा सकता है। औसत कीमत में गिरावट के बावजूद अच्छी गुणवत्ता की पत्ती की यथोचित अच्छी कीमत मिल रही है और बेहतर गुणवत्ता-युक्त निर्मित चाय की कीमत भी अच्छी मिलती है। चाय बोर्ड द्वारा किए गए विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के परिणामस्वरूप हाल ही में दक्षिण भारत में चाय की कीमतों में कुछ सुधार हुआ है।

(छ) चाय के लघु उत्पादकों की सहायता के लिए सरकार एवं चाय बोर्ड ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें विनिर्माता को निर्मित चाय की प्राप्त कीमत में चाय के लघु उत्पादकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चाय के लघु उत्पादकों तथा चाय विनिर्माताओं के बीच दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से कीमत भागीदारी फार्मूले का कार्यान्वयन तथा एक विशेष चाय आवधिक ऋण (एसटीटीएल) का कार्यान्वयन शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चाय के लघु उत्पादकों को रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक कार्यशील पूंजी स्वीकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना भी की है, जिसका लाभ 4 हेक्टेयर तक की जोत रखने वाले चाय के लघु उत्पादकों को उपलब्ध है। इसके अलावा, विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों जैसे नव रोपण, पुनः रोपण, पुनरुद्धार, कटाई-छंटाई तथा रिक्त स्थानों की भराई, सिंचाई सुविधाओं के सृजन, स्व-सहायता समूहों के रूप में स्वयं को संगठित करने, अध्ययन दौरों में सहभागिता आदि के लिए चाय के लघु उत्पादकों को सब्सिडी तथा सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। चाय बोर्ड ने लघु उत्पादकों के बीच गुणवत्ता जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

पुलिस बल के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन

982. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पुलिस बल के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) देश में पुलिस बल के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन और संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। आपरेशनल आवश्यकताओं, नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत, फील्ड स्थितियों में नई चुनौतियों, फील्ड में कार्मिकों से मिली जानकारी, निरीक्षण रिपोर्टें और महत्वपूर्ण घटनाओं के मामलों के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु संशोधित की जाती है और विशेष पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण

983. श्री निखिल कुमार :

श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निजी शैक्षणिक संस्थान समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण दिलवाने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार का उन विदेशी विश्वविद्यालयों जिनकी शाखाएं देश में हैं, की शुल्क संरचना को विनियमित करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करने के उद्देश्य से विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पी.ए. ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) में दिए गए निर्णय के आधार पर यह तय किया है कि गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं में राज्य को आरक्षण की नीति कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं है।

(ग) सरकार ने विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के प्रवेश और प्रचालन के संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों का निर्यात

984. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार :

श्री ई. जी. चुगावनम :

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :

श्री मित्रसेन यादव :

श्री रनेन बर्मन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा विभिन्न देशों से निर्यात/आयात किए गए कृषि उत्पादों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में भारत से कौन-कौन से कृषि उत्पाद निर्यात किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और अन्य उत्पादों से उपकर हटा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषि उत्पादों में स्व-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों का आयात करने वाले प्रमुख देशों के साथ कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में कृषि सलाहकार नियुक्त किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) भारत से निर्यात किए जा रहे मुख्य कृषि उत्पाद चावल, गेहूं, मांस, कुक्कुट उत्पाद तथा डेयरी उत्पाद, फल और सब्जियां, गिरीदार फल और बीज, तम्बाकू और इसके उत्पाद, मसाले, तेल खाद्य, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि हैं। देश में आयात की जा रही कुछ मुख्य कृषि मदें वनस्पति तेल (खाद्य), चीनी, गिरीदार फल और बीज तथा कच्ची काजू गिरियां, दालें आदि हैं।

निर्यातों/आयातों का उत्पादवार/देशवार ब्यौरा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) कोलकाता द्वारा संकलित "भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी" में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस नीतिगत परिप्रेक्ष्य के साथ कृषि वस्तुओं से निर्यात उपकर को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पहले ही अनुमोदित कर दिया है कि करों और शुल्कों को निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में वाणिज्य विभाग द्वारा प्रशासित कुछ अधिनियमों/नियमों को संशोधित करने/समाप्त करने के लिए एक विधेयक लोक सभा में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

भारतीय कृषि में 1951 से तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। खाद्यान्न उत्पादन 1951 में 50.82 मिलियन टन से बढ़कर 2003-04 में 212 मिलियन टन से अधिक हो गया है। देश खाद्यान्न की कमी और आयातों से उभरकर खाद्यान्नों और इनके निर्यातों में आत्मनिर्भर हो चुका है।

(ङ) और (च) व्यापार का संवर्धन करने तथा खाद्य और कृषि संगठन, यूरोपीय आयोग, डब्ल्यूटीओ आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों

के साथ सम्पर्क बनाने के लिए भारत सरकार सलाहकार, मंत्री, अनुसंधान अधिकारी आदि के रूप में पदनामित विदेशों में अपने प्रतिनिधि/अधिकारी नियुक्त करती है। विदेशों में सभी भारतीय मिशनों/दूतावासों में भी वाणिज्यिक स्कंध होते हैं जिन्हें कृषि उत्पादों सहित भारतीय उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

[हिन्दी]

चंबल नदी पर चार लेन वाले पुल का निर्माण

985. श्री अशोक अर्गल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 में चंबल नदी पर एक चार लेन वाले पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पुल का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। उत्तर–दक्षिण महामार्ग परियोजना के भाग के रूप में आगरा–ग्वालियर खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर 59–60 किलोमीटर पर चंबल नदी पर दो लेन का पुल बनाने का प्रस्ताव है ताकि समीप ही मौजूदा दो लेन के पुल को चार लेन का बनाया जा सके।

(ख) सर्वेक्षण और जांच–पड़ताल कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त पुल का निर्माण कार्य सितम्बर, 2006 में शुरू किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

दुकानदारों को एनडीएमसी द्वारा नोटिस जारी करना

986. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनडीएमसी ने हाल ही में उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बाजार में बरामदों को खाली करने हेतु दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनडीएमसी द्वारा अक्तूबर, 2005 में घटित ऐसी घटना, जिसमें अनेक लोगों की जाने गई थीं, को टालने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि उसने सरोजनी नगर मार्केट के दुकानदारों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 247 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का त्यौहारों के दौरान किसी भी अस्थायी तहबाजारी को अनुमति न देने और भीड़–भाड़ वाली मार्केटों से तहबाजारी को बदलने और पुनः बसाने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

राजमार्गों की मरम्मत और पुनर्निर्माण

987. श्री गणेश सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मौजूद राजमार्गों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और ये सड़कें कौन–कौन सी हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा सतना (एमपी) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7, 75 और 78 की मरम्मत और पुनर्निर्माण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और पुनर्निर्माण (विकास) कार्य यातायात, सड़क/पुलों की स्थिति, लोकेशन और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधि का आवंटन राज्य–वार किया जाता है न कि राष्ट्रीय

राजमार्ग–वार। मौजूदा वित्त वर्ष (2005–06) के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण कार्यों के लिए 99.03 करोड़ रुपये और 55.14 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य लोक निर्माण विभाग से प्राप्त 25 प्रस्तावों में से योजना और योजनोत्तर शीर्ष के अन्तर्गत अभी तक 23.24 करोड़ रुपये की धनराशि के 19 प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

बच्चों के विरुद्ध अपराध

988. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बच्चों को पर्याप्त संरक्षण और सुरक्षा देने के लिए एक प्रणाली बनाकर इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के अनेक कारण हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य।

(ग) बच्चों की देख–रेख और संरक्षण संबंधी कानूनों जैसे भारतीय दंड संहिता, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, बाल विवाह (अवरोध) अधिनियम, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन द्वारा बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

तम्बाकू उत्पादकों को देय राशि का भुगतान

989. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों को उनके वर्जीनिया तम्बाकू उत्पाद के लिए अंतिम भुगतान मिलना अभी बाकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने तम्बाकू बोर्ड और तम्बाकू उत्पादकों द्वारा अपने बैंक ऋणों को लौटाने की असमर्थता और आत्महत्या करने के कारणों का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामले में तीव्र कार्रवाई करने और तम्बाकू उत्पादकों को तत्काल राहत उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलँगोवन) : (क) और (ख) वर्ष 2001 सत्र के फसल अवकाश के उल्लंघनकर्ताओं की बिक्री से प्राप्त राशियों के लगभग 20 प्रतिशत को छोड़कर आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उपजकर्ताओं को उनके एफसीवी तम्बाकू के उत्पाद के लिए सभी भुगतान कर दिए गए हैं। उक्त राशि इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर रोकी गई है।

(ग) और (घ) अभी तक ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई शुरू करते ही फसल अवकाश उल्लंघनकर्ताओं के साथ न्यायालय से बाहर कोई समझौता हो जाएगा।

चार लेन वाली सड़कों का
छः लेन में विस्तार

990. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री मोहन सिंह :

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण 'गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क' को छः लेनों वाला बनाने हेतु 'बिल्ड आपरेट ट्रांस्फर' (बीओटी) आधार पर तत्संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए जल्द ही एक मेगा 175,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करने का है,

जैसा कि 'द हिन्दु' के दिनांक 22 अक्तूबर, 2005 संस्करण में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने सड़क के खंडों का चयन किया है;

(च) यदि हां, तो राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(छ) चार लेन वाले राजमार्गों का छः लेन में विस्तार करने संबंधी कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ज) क्या उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकारी–निजी भागीदारी की आवश्यकता महसूस की गई है; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (झ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण–V) के अन्तर्गत 22,750 करोड़ रुपये की लागत पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों को 6500 किलोमीटर लम्बाई को चौड़ा करके 6 लेन का बनाने का प्रस्ताव है। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज की 5846 किलोमीटर की संपूर्ण लम्बाई और कुछ अन्य चयनित सड़क खंड शामिल किए जाएंगे। इसके ब्यौरों के बारे में बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि इस संपूर्ण मामले पर योजना आयोग से विचार–विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लाल बत्ती वाले वाहनों का चालान

991. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस को लाल बत्ती वाले वाहनों का दुरुपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस द्वारा वाहन पर अनधिकृत रूप से लाल बत्ती का उपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या दिल्ली में वाहन पर लाल बत्तियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) दिल्ली पुलिस को मोटर वाहनों के ऊपर बत्तियां लगाने के अनधिकृत इस्तेमाल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और दिल्ली मोटर नियम, 1993 के अन्तर्गत पहले ही अधिकार मिले हुए हैं।

(ख) से (घ) दिल्ली पुलिस ने वाहनों पर लाल बत्तियों के अनधिकृत इस्तेमाल के लिए वर्ष 2005 (15 नवम्बर, 2005 तक) के दौरान 44 चालान जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस लाल बत्तियों के अनधिकृत इस्तेमाल के विरुद्ध केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के उपबंधों को कड़ाई से लागू कर रही है और जब कभी कोई वाहन संगत नियमों का उल्लंघन करके लाल बत्तियों का इस्तेमाल करते हुए ध्यान में आते हैं, तो उनका चालान किया जाता है।

आंगनवाड़ी केन्द्र का कार्य निष्पादन

992. श्री मुन्शी राम :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में खोले गए 'आंगनवाड़ी' केन्द्रों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है, जैसा कि दिनांक 24 सितम्बर, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक पता लगाए नकली आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सभी केन्द्रों में चिकित्सा किट उपलब्ध हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने सभी राज्यों के सभी केन्द्रों में चिकित्सा किटें उपलब्ध कराने के लिए निधियां मुहैया कराई हैं;

(ङ) यदि हां, तो किन–किन राज्यों ने ऐसी निधियां खर्च नहीं की हैं;

(च) ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) आईसीडीएस स्कीम के क्रियान्वयन की समीक्षा समय-समय पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ की जाती है। ऐसी एक समीक्षा बैठक का आयोजन 14.9.2005 को किया गया, जिसमें स्वीकृत परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रचालन, पूरक पोषण की आपूर्ति, औषधियों तथा शाला-पूर्व किटों की खरीद आदि जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। उक्त बैठक में जाली आंगनवाड़ी केन्द्रों के किसी मामले की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारत सरकार आईसीडीएस स्कीम के अन्तर्गत औषधि किटों सहित विभिन्न घटकों के लिए सहायता अनुदान अनुमोदित पद्धति के अनुसार ही प्रदान करती है। तथापि, किसी घटक विशेष पर व्यय न किए जाने की स्थिति में अनुवर्ती किस्तों में सहायतानुदान का समायोजन किया जाता है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार गोवा, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तरांचल, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली, मणिपुर तथा सिक्किम राज्य सरकारों ने 2004-05 के दौरान औषधि किटों पर व्यय नहीं किया।

(च) और (छ) भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निरन्तर यह कहती रही है कि वे नियमित रूप से आईसीडीएस स्कीम के दिशा-निर्देश के अनुसार औषधि किटें खरीदें तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों को उनकी आपूर्ति करें।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

993. श्री मोहन सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष उन्नयन/निर्माण हेतु नए राष्ट्रीय राजमार्गों का चयन करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में उन्नयित निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों का किलोमीटर में ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के चयन हेतु प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव हेतु कुल कितनी प्रतिशत धनराशि दी जा रही है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसे प्रत्येक वर्ष यातायात, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 20178.17 किलोमीटर लम्बाई को विकसित किया गया था और जिसमें से उत्तरांचल में 271.86 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग और उत्तर प्रदेश में 1567.35 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए गए थे। विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित धनराशि और लम्बाई सहित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विकास और उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का चयन यातायात और इसकी वृद्धि, राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर आधारित होता है।

(घ) केन्द्र सरकार निधियों की उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए राज्यों को समग्र निधियां उपलब्ध कराती है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आवंटन

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान उन्नत/ विकसित कुल लंबाई (कि.मी.)	गत तीन वर्षों के दौरान कुल आवंटन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2063.40	325.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	401.26	10.55
3.	असम	918.02	252.76

1	2	3	4
4.	बिहार	754.65	239.11
5.	चंडीगढ़	1.00	6.20
6.	छत्तीसगढ़	802.74	158.46
7.	दिल्ली	14.50	22.00
8.	गोवा	70.80	37.00
9.	गुजरात	802.19	246.35
10.	हरियाणा	698.55	164.50
11.	हिमाचल प्रदेश	392.03	107.00
12.	जम्मू और कश्मीर	40.52	8.00
13.	झारखंड	491.80	103.70
14.	कर्नाटक	1126.86	320.61
15.	केरल	663.60	251.50
16.	मध्य प्रदेश	1315.80	269.00
17.	महाराष्ट्र	1660.88	375.56
18.	मणिपुर	186.00	41.60
19.	मेघालय	279.25	88.13
20.	मिजोरम	205.74	75.00
21.	नागालैंड	99.75	37.50
22.	उड़ीसा	889.80	205.09
23.	पांडिचेरी	0.00	7.20
24.	पंजाब	539.16	149.55
25.	राजस्थान	1861.26	234.61
26.	तमिलनाडु	1299.82	283.07
27.	त्रिपुरा	127.46	राष्ट्रीय राजमार्ग सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए
28.	उत्तर प्रदेश	1567.35	393.74
29.	उत्तरांचल	271.86	66.23
30.	पश्चिम बंगाल	746.70	314.10
31.	एनएचएआई*	एनएचएआई और बीआरओ द्वारा विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई संबंधित राज्यों में जोड़ दी गई है।	21601.31
32.	सीमा सड़क संगठन*		776.00

*एनएचएआई और बीआरओ के लिए निधियों के आवंटन राज्य–वार नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

जनजातीय संस्कृति का संरक्षण

994. श्री अजीत जोगी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय विकास संबंधी वर्तमान नीति का प्रमुख और जनजातीय लोगों को मुख्यधारा में लाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें उनकी सदियों पुरानी संस्कृति समाप्त हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करने और साथ ही उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) से (घ) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए पांच मार्गदर्शी सिद्धान्त मौजूद हैं, जो नेहरू के पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये पांच सिद्धान्त हैं :

(1) जनजातियों को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकसित होने देना चाहिए।

(2) जनजातियों के भूमि और वन अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।

(3) प्रशासन और विकास कार्यों के लिए जनजातीय दलों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिनमें बहुत ज्यादा बाहरी लोग न हों।

(4) जनजातियों का विकास, जनजातियों की सामाजिक और

सांस्कृतिक संस्थाओं में दखल दिए बिना किया जाना चाहिए।

(5) जनजातीय विकास सूचकांक उनके जीवन की गुणवत्ता होनी चाहिए, व्यय किया गया धन नहीं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण सहित एक समग्र राष्ट्रीय जनजातीय नीति तैयार कर रहा है। यह नीति अभी प्रारूप स्तर पर है, जिसे स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

995. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछेक खंडों का निर्माण अधूरा रह गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इन अधूरे खंडों के निर्माण के लिए कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग एकल और मध्यवर्ती लेन वाले हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन्हें चौड़ा करने तथा दो लेनों में विस्तार करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और इसको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(च) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान मोटाई आईआरसी मानदंडों के हिसाब से काफी कम है;

(छ) यदि हां, तो आईआरसी मानदंडों के अनुसार मोटाई बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ज) इसको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(झ) क्या आवधिक पुनर्नवीकरण और साधारण मरम्मत कार्य के लिए आवंटित धनराशि से ज्यादा धनराशि की आवश्यकता है; और

(ञ) यदि हां, तो शेष धनराशि को जारी करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) राजस्थान राज्य से 18 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जिनकी कुल लम्बाई 5656 किलोमीटर है जिसमें से 1926 किलोमीटर लम्बाई 2 लेन से कम है, 2887 किलोमीटर लम्बाई दो लेन की है और 843 किलोमीटर लम्बाई चार लेन की है। 9वीं और 10वीं योजना के दौरान राज्यीय सड़कों की 2766 किलोमीटर लम्बाई की नए राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर घोषणा की गई थी। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002–03, 2003–04, 2004–05 और मौजूदा वर्ष 2005–06 (10/05 तक) के दौरान राज्य लोक निर्माण विभाग सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की 1188 किलोमीटर लम्बाई को कवर करते हुए 303.80 करोड़ रुपये की धनाराशि के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुधार और सड़क गुणता इत्यादि संबंधी विकास कार्य मंजूर किए गए हैं।

इसमें से 1054 किलोमीटर लम्बाई के कार्य पूरे कर लिए गए हैं और शेष लम्बाई के कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, 992 किलोमीटर लम्बाई में आवधिक नवीकरण कार्य हाथ में लिए गए थे, इसमें से 670 किलोमीटर लम्बाई पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की 1464 किलोमीटर लम्बाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 4/6 लेन सुविधा युक्त बनाने के लिए चयनित किया गया था। इसमें से 744 किलोमीटर लम्बाई को 4/6 लेन सुविधा तक विकसित कर लिया गया है, 649 किलोमीटर लम्बाई पर कार्य चल रहा है और 74 किलोमीटर लम्बाई पर कार्य सौंपे जाने के बाद कार्य शुरू किए जाने हैं।

(च) से (ज) ये नए अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग कई दृष्टिकोणों से त्रुटिपूर्ण हैं जैसे कि सतह की मोटाई (क्रस्ट थिकनेस), सडक ज्यामितियां, लेन चौड़ाई, कमजोर और संकरे पुल इत्यादि क्योंकि ये मूल रूप से राज्यीय सड़कें थीं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें त्रुटिपूर्ण सतह का सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, सड़क गुणता में सुधार, कमजोर और संकरे पुलों का निर्माण, बाईपासों का निर्माण आदि कार्य शामिल होते हैं जो यातायात की मात्रा, सड़कों की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

(झ) और (ञ) जी, हां। निधियां सामान्यतः उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आवंटित की जाती हैं। सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

फिंगर प्रिंट की सहायता से अपराधी का पता लगाने की प्रणाली

996. श्री अधीर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न पुलिस मुख्यालयों में फिंगर प्रिंट की सहायता से अपराधी का पता लगाने वाली प्रणाली स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली को देश के प्रत्येक पुलिस थाने में लगाए जाने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के केन्द्रीय अंगुल छाप ब्यूरो में अंगुल छाप की सहायता से अपराधी का पता लगाने की स्वचालित प्रणाली स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, अभी तक 19 राज्यों ने अपने-अपने संबंधित पुलिस मुख्यालयों में अंगुल छाप की सहायता से अपराधी का पता लगाने की प्रणाली स्थापित की है।

(ग) और (घ) सरकार, राज्य सरकारों के सम्पर्क में है तथा राज्यों में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में इस प्रणाली के विस्तारण और प्रसारण की आवश्यकता पर बल दे रही है।

सड़क के किनारे हॉकरों के कार्यकलाप

997. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय में शहरों में सड़कों के किनारे हॉकर्स के कार्य करने को अवैध ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आदेश के मुख्य आधार क्या हैं;

(ग) ऐसे निर्णय से अनुमानतः कितने गरीब हॉकरों के प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) क्या 1989 और 1992 के पूर्व निर्णयों के माध्यम से कामगारों के जीविका अर्जित करने की बाध्यता को मूल अधिकार घोषित किया गया था और न्यायालय ने ज्यादातर हॉकरों को कार्य करने की जगह देने के लिए कहा था;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस नवीनतम आदेश में उन निर्णयों पर विचार किया गया था; और

(च) सड़क के किनारे काम करने वाले गरीब कामगारों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है और उनकी जीविका के लिए कार्य करना बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 9.12.2003 को मुंबई हॉकर्स यूनियन बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में आर्थिक केन्द्रों में "हॉकिंग एवं नॉन-हॉकिंग" जोनों को पहचानने के लिए तथा साथ ही यह निर्णय लेने के लिए कि यदि हॉकिंग जोन है तो सड़क/गली पर कितने हॉकर होने चाहिए, एक समिति गठित करने का आदेश दिया था। मामला अभी भी न्यायाधीन है।

(घ) और (ङ) दिनांक 30.8.1989 के निर्णय के अनुसार सोदान सिंह इत्यादि बनाम एनडीएमसी एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूंकि "स्ट्रीट ट्रेडिंग एक मौलिक अधिकार है, यह संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अध्यधीन नागरिकों को मिलना चाहिए। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह आम जनता के हित में यथोचित प्रतिबंध लगाकर कोई कानून बनाए। अधिनियम बनाकर अथवा संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अन्तर्गत अनुज्ञेय अन्य कानून द्वारा ऐसा किया जा सकता है। चूंकि किसी नागरिक को ट्रेडिंग के लिए किसी गली में किसी स्थान विशेष का चयन करने का कोई अधिकार नहीं होता है इसलिए यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह गलियां निर्धारित करें और ऐसे स्थान निर्धारित करें, जहां से स्ट्रीट ट्रेडिंग की जा सके।

दिनांक 13.3.1992 के निर्णय के तहत, सौदान सिंह एवं अन्य बनाम एनडीएमसी तथा अन्य इत्यादि के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि जहां तक बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका तथा भरण-पोषण का संबंध है, इसके लिए एक अनुकंपा की अवधारणा अपनाकर न्यायोचित बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तकनीकियों में फेरबदल को लेकर वास्तविक स्क्वेटरों/हॉकरों को उनकी दैनिक रोजी-रोटी से वंचित न किया जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग कानूनी प्रक्रिया का अनुचित लाभ उठाते हैं व उसका दुरुपयोग करते हैं, वे सफल न हों।

उच्चतम न्यायालय ने मुंबई हॉकर्स यूनियन बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 9.12.2003 के निर्णय के अनुसार आर्थिक केन्द्रों में हॉकिंग एवं नॉन-हॉकिंग जोनों की पहचान करने तथा साथ ही यह भी निर्णय लेने के लिए कि यदि यह हॉकिंग जोन है तो सड़क/गली पर कितने हॉकर होने चाहिए, एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। मामला अभी न्यायाधीन है।

(च) मंत्रालय द्वारा तैयार की गई फेरी वालों संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2004 में फेरी वालों को उनकी आजीविका के लिए अधिक सहायक पर्यावरण मुहैया कराने तथा उनकी आजीविका के लिए हॉकिंग गतिविधियां जारी रखने हेतु फेरी वालों के समग्र हित मे कार्य करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 19 अक्तूबर, 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में शहरी फेरी वालों से संबंधित व्यापक मुद्दों के साथ-साथ उनको कानूनी दर्जा देने, सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने, स्वावलम्बी बनाने, वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुलभ कराने, उनके पुनर्वास, प्रशिक्षण व कौशल विकास की जरूरत तथा राज्यों में डाटाबेस तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में स्टेकहोल्डरों के बीच सहमति बनी कि फेरी वालों को उनकी आजीविका कमाने के लिए एक अधिक सहायक वातावरण मुहैया कराया जाएगा और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यशाला में लिए गए प्रमुख निर्णयों में अन्य के साथ-साथ एक मानीटरिंग तंत्र हर राज्य में रखे जाने की जरूरत है ताकि शहरी फेरी वालों पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके; राज्य नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की जरूरत; विभिन्न राज्यों में फेरी लगाने/फेरी संबंधी नीति के संबंध में सर्वश्रेष्ठ कार्य पद्धतियों पर दस्तावेज तैयार करने तथा उसका प्रचार-प्रसार करने की जरूरत; नगरपालिका प्राधिकरणों/स्थानीय पुलिस के संबंधित अधिकारियों को सुग्राही बनाने की जरूरत; राज्यों/शहरों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा फेरी वालों के लिए मास्टर प्लान और जोनिंग प्लानों में ही भू स्थल निर्धारित करने की जरूरत; राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा फेरी वालों का पंजीकरण सरल बनाने की जरूरत; सरकार द्वारा उन्हें सामाजिक सुरक्षा (चिकित्सा/बीमा इत्यादि) मुहैया कराने तथा उन्हें ऋण सुलभ कराने की जरूरत; शहरी फेरी वालों की राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य के फेरी वालों की नीतियां बनाए जाने की जरूरत तथा राज्यों द्वारा राष्ट्रीय नीति के अनुरूप उनके फेरी वालों संबंधी अधिनियम, यदि कोई हो, तैयार करने/संशोधन करने पर ध्यान दिए जाने की जरूरत शामिल है।

[हिन्दी]

दिल्ली से उत्तरांचल तक दो लेन वाली सड़क का निर्माण

998. डा. राजेश मिश्रा : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से उत्तरांचल तक बरास्ता गाजियाबाद-मेरठ-मुजफ्फरनगर-रुड़की-हरिद्वार-देहरादून दो लेन वाली सड़क का जल्दी निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उद्देश्य के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की आशा है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) दिल्ली से उत्तरांचल तक वाया गाजियाबाद-मेरठ-मुजफ्फरनगर-रुड़की-हरिद्वार-देहरादून पहले से ही दो लेन का राजमार्ग है। तथापि, दिल्ली-देहरादून खंड को चार लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण-IIIक में शामिल कर लिया गया है। एनएचडीपी चरण-IIIक को पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसम्बर, 2009 है।

कम्प्यूटर पर एफआईआर दर्ज किया जाना

999. श्री पंकज चौधरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'सिपा' नामक ऐसी बहुआयामी योजना शुरू करने का है जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरों और पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना किन-किन राज्यों में शुरू की जानी प्रस्तावित है;

(घ) क्या पुलिस कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) पुलिस स्टेशनों के स्वचलन (ऑटोमेशन) हेतु, सरकार द्वारा वर्तमान में "सीआईपीए" (कॉमन इंटेग्रेटड पुलिस एप्लीकेशन) नामक बहुआयामी स्कीम कार्यान्वयनाधीन है, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत तथा प्रिन्ट की जाएगी। उक्त स्कीम का लक्ष्य पुलिस स्टेशनों द्वारा रखे जा रहे सभी महत्वपूर्ण फार्मों, रिकार्डों तथा अपराध आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण करना है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए गए चयन के अनुसार 2005–06 में इस स्कीम को प्रारम्भ में सभी राज्यों में 10 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों में शुरू किया जा रहा है। अगले तीन वर्षों में बाकी पुलिस स्टेशनों को कवर किया जाएगा।

(घ) और (ङ) पुलिस कार्मिकों को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण तीन स्तरों का होगा, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) प्रथमतः "केन्द्रीय विकास टीम" राज्य स्तरीय "सीआईपीए विकास टीमों" को सीआईपीए साफ्टवेयर प्रशिक्षण प्रदान करेंगी।

(ii) जिला स्तर पर तैनात, पर्यवेक्षक स्तरीय व्यक्तियों को सीआईपीए साफ्टवेयर पर "राज्य विकास टीम" द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो उसके बाद प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर एजेंसी द्वारा निर्धारित अवधि के लिए रखे गए हैंड होल्डिंग व्यक्तियों को सीआईपीए साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

(iii) प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर रखे गए हैंड होल्डिंग व्यक्ति, तब पहचान किए गए आपरेशनल स्टाफ और पुलिस स्टेशनों के पर्यवेक्षीय अधिकारियों को आफिस ऑटोमेशन साफ्टवेयर तथा सीआईपीए साफ्टवेयर दोनों पर मौके पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

[अनुवाद]

शहरी गलियों के वैण्डरों पर राष्ट्रीय कार्यशाला

1000. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी गलियों के वैण्डरों पर राष्ट्रीय कार्यशाला हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यशाला में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनका ब्यौरा क्या है और इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) जी, हां। शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 19 अक्तूबर, 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शहरी फेरी वालों के संबंध में एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुछ चुनिन्दा नगरों के आयुक्तों सहित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा केन्द्र सरकार के विभागों के स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला के दौरान शहरी फेरी वालों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। कुछ मुद्दे, जिन पर विचार–विमर्श किया गया, उनमें सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय संस्थानों से उन्हें ऋण उपलब्ध कराना, उनके पुनर्वास, प्रशिक्षण व दक्षता का डाटा–बेस तैयार करने जैसे मुद्दे शामिल थे। कार्यशाला में स्टेकहोल्डरों के बीच इस बात पर सहमति थी कि फेरी वालों को अपनी आजीविका कमाने के लिए अधिक सहायक वातावरण उपलब्ध कराया जाए और उसे प्रोत्साहित किया जाए।

डेंगू के मामले

1001. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक बड़ी संख्या में डेंगू के मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में डेंगू से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ग) क्या वर्ष के दौरान एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए लार्वा रोधी उपाय देर से किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) डेंगू मच्छर प्रजनन हेतु लापरवाही बरतने वाले गृहस्वामियों से कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है; और

(च) दिल्ली में डेंगू के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) वर्ष 2003, 2004 और 2005 (16 नवम्बर, 2005 तक) के दौरान दिल्ली में सूचित डेंगू के मामलों और मौतों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	मामलों की संख्या	मौतों की संख्या 2003
2003	2828	35
2004	606	3
2005	850	9

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 46,87,050/– रुपये।

(च) संबंधित प्राधिकारियों ने डेंगू मामलों की घटनाओं की रोकथाम हेतु घर–घर जाकर जांच करने के लिए गहन लार्वा–रोधी कार्रवाई जैसे फोकल स्प्रे तथा फोगिंग आप्रेशन, गहन स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामुदायिक भागीदारी जैसे कदम उठाए हैं। महामारी की रोकथाम और नियंत्रण हेतु रणनीति में पूर्व रोग निदान, त्वरित उपचार, मामले का उपयुक्त प्रबंधन, समेकित रोगवाहक नियंत्रण महामारी तैयारी तथा पूर्व कार्रवाई शामिल है।

नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक

1002. श्री सर्बानन्द सोनोवाल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो नक्सलवाद के खतरे को रोकने के लिए की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नक्सलवाद से निपटने के लिए कोई संयुक्त कृतिक बल गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्यों को सभी वित्तीय हथियारों संबंधी और अन्य सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या बैठक में कोई विशेष रणनीति बनाई गई थी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्थाई समिति की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 19 सितम्बर, 2005 को आयोजित की गई थी। स्थाई समिति में नक्सलवाद संबंधी स्थिति और इस समस्या का सामना करने के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई तथा नक्सलवाद से और अधिक कारगर ढंग से निपटने हेतु आगे किए जाने वाले उपाय निर्धारित करने पर विचार किया गया।

(ग) और (घ) यह निर्णय लिया गया कि राज्य सीमाओं के पार समन्वित और सहक्रियात्मक नक्सलवाद विरोधी अभियानों को सुकर बनाने हेतु अंतर–राज्यीय संयुक्त कार्य बलों को तत्काल क्रियाशील बनाया जाएगा।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार राज्यों को उनके बीच बेहतर समन्वय हेतु और उनके प्रयासों में भी मदद करने तथा सुरक्षा और विकास संबंधी, दोनों मोर्चों पर नक्सलवाद की चुनौती से निपटने में उनके प्रयासों और संसाधनों में हर संभव सहायता प्रदान करती रही है।

(छ) और (ज) राज्य, नक्सलवाद की समस्या से कारगर ढंग से निपटने हेतु सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने तथा समन्वित कार्रवाई करने पर सहमत हुए। केन्द्र सरकार ने इस चुनौती से कारगर रूप से निपटने हेतु सुरक्षा और विकास संबंधी मोर्चों पर राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

व्यापार बाधाएं

1003. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष का नई दिल्ली की हाल की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाले गैर–प्रशुल्क बाधाओं को हटाने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत द्वारा किन–किन व्यापार बाधाओं को हटाने की मांग की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 7 सितम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित भारत–ईयू व्यापार शिखर सम्मेलन को अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने खासकर कृषि में ईयू की गैर–टैरिफ बाधाओं को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया था। संयुक्त कार्य योजना में इस बात पर सहमति हुई थी कि व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं

(टीबीटी)/स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता (एसपीएस) के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए संयुक्त कार्य दल का गठन किया जाए।

ग्रेडिंग प्रणाली

1004. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों से चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) प्रस्तावित प्रणाली को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कामकाजी महिला हॉस्टलों की कमी

1005. श्री देविदास पिंगले : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कामकाजी महिला हॉस्टलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में राज्य–वार कुल कितने कामकाजी महिला हॉस्टल कार्य कर रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कुल कितने कामकाजी महिला हॉस्टल निर्मित किए गए हैं;

(ङ) इन हॉस्टलों में महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान ऐसे हॉस्टलों के निर्माण हेतु कितना अनुदान दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हो रहे प्रस्तावों से पता चलता है कि देश के विभिन्न भागों में और अधिक कामकाजी महिला हॉस्टलों की आवश्यकता है।

(ग) 31.3.2005 तक इस विभाग द्वारा स्वीकृत कामकाजी महिला हॉस्टलों की कुल संख्या 917 थी। राज्य–वार सूची विवरण–I में दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 24 हॉस्टल भवनों का निर्माण किया गया है। राज्य–वार सूची विवरण–II में दी गई है।

(ङ) इन हॉस्टलों में प्रदान की जा रही सुविधाओं में आवास के अलावा रसोई, भोजन–कक्ष, बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र, भण्डार, मनोरंजन कक्ष और पुस्तकालय आदि शामिल हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के दौरान इस प्रकार के होस्टलों के निर्माण के लिए प्रदत्त अनुदान की राशि क्रमशः 6.00 करोड़ रुपये, 5.16 करोड़ रुपये और 4.82 करोड़ रुपये है।

विवरण-I

31.3.2005 तक स्वीकृत बच्चों हेतु दिवस देखभाल केन्द्रों सहित कामकाजी महिला हॉस्टलों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हॉस्टलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	52
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	15
4.	बिहार	8
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	26
7.	हरियाणा	19
8.	हिमाचल प्रदेश	14

1	2	3
9.	जम्मू व कश्मीर	5
10.	कर्नाटक	83
11.	केरल	148
12.	मध्य प्रदेश	70
13.	महाराष्ट्र	129
14.	मणिपुर	12
15.	मेघालय	3
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	15
18.	उड़ीसा	29
19.	पंजाब	16
20.	राजस्थान	37
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	98
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	45
25.	उत्तरांचल	3
26.	पश्चिम बंगाल	41
27.	छत्तीसगढ़	1
	कुल (राज्य)	885
	संघ राज्य क्षेत्र	
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
29.	चंडीगढ़	7
30.	दिल्ली	20
31.	पांडिचेरी	4
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	32
	कुल (अखिल भारत)	917

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित कामकाजी महिला हॉस्टलों की संख्या (निर्माण कार्य पूरा होने की रिपोर्ट प्राप्त)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002–2003	2003–2004	2004–2005	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	–	2
2.	असम	–	1	–	1
3.	छत्तीसगढ़	–	–	1	1
4.	कर्नाटक	1	1	–	2
5.	केरल	–	5	–	5
6.	महाराष्ट्र	2	1	–	3
7.	मणिपुर	1	–	1	2
8.	नागालैंड	–	1	–	1
9.	राजस्थान	1	1	–	2
10.	तमिलनाडु	1	2	–	3
11.	उत्तर प्रदेश	–	–	1	1
12.	पश्चिम बंगाल	–	–	1	1
	कुल	7	13	4	24

राज्यों के महिला और बाल विकास मंत्रियों और सचिवों की बैठक

1006. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में "राज्यों के महिला और बाल विकास मंत्रियों और सचिवों" संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो बैठक में जिन मामलों पर चर्चा हुई उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु केन्द्र और राज्य किस सीमा तक इच्छुक हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां। 6–7 जुलाई, 2005 को राज्य महिला

एवं बाल विकास मंत्रियों तथा सचिवों की राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) राष्ट्रीय परामर्श बैठक में विचारित मुद्दों में अन्य बातों के साथ–साथ गुणवत्ता के साथ समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को सर्वसुलभ बनाना; समस्त लम्बित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं तथा आंगनवाडी केन्द्रों का परिचालन; पूरक पोषण सहायता का सुदृढ़ीकरण; गुणवत्ता में सुधार; तीन वर्षों से कम आयु के बच्चों तक सुविधाओं को पहुंचाना; बालानुकूल आंगनवाड़ी केन्द्र; प्रबोधन तथा मूल्यांकन तंत्र आदि को शामिल किया गया।

(ग) केन्द्र तथा राज्यों, दोनों ने आईसीडीएस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग

1007. श्री रामदास आठवले : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव हेतु राज्य–वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार के संबंध में कुछ प्रस्ताव/अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच मुनियप्पा) : (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और उनकी लम्बाई के राज्य–वार ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास देश की जनसांख्यिकीय पैटर्न के आधार पर नहीं किया जाता है और इसीलिए जनजातीय क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण व मरम्मत के लिए आवंटित कुल धनराशि के राज्य–वार ब्यौरे विवरण–II पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त केवल उन्हीं प्रस्तावों पर स्वीकृति अथवा अन्यथा के लिए जांच की जाती है जो वर्ष की वार्षिक योजना में शामिल होते हैं। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष की स्वीकृतियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु.)
गत तीन वर्ष	2213	5293.43
चालू वर्ष	256	711.56

विवरण-I

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य–वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63 202, 205, 214, 214ए, 219, 221 और 222	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836

1	2	3	4
4.	बिहार	2, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3537
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 111, 200, 202, 216, 217 और 221	2184
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और एन ई–1	2871
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 71बी, 72, 73 और 73ए	1468
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 73ए और 88	1208
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी और 1सी	823
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 और 218	3843
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 79, 86, 86ए और 92	5269
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4176
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 112, 113, 114 और 116	5585
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	4183
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400

1	2	3	4
29.	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 119, 121, 123 और 125	1991
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97 और 119	5599
31.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2325
32.	अडमान निकोबार द्वीपसमूह	223	300

विवरण-II

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	35.44	37.42	35.13	45.76
अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.31	0.41	0.37
असम	26.92	23.27	26.59	28.86
बिहार	30.46	29.48	46.28	37.57
चंडीगढ़	0.74	0.28	0.93	0.50
छत्तीसगढ़	25.60	15.35	26.99	19.53
दिल्ली	0.12	0.42	0.75	0.42
गोवा	4.15	5.03	2.80	3.36
गुजरात	10.51	22.47	34.86	30.66
हरियाणा	10.30	11.19	11.80	11.59
हिमाचल प्रदेश	12.51	13.45	17.75	18.70
जम्मू और कश्मीर	0.88	0.54	0.44	0.42
झारखंड	16.97	15.46	23.28	18.96
कर्नाटक	45.82	38.73	34.40	36.60
केरल	23.74	20.81	13.20	32.79
मध्य प्रदेश	48.03	57.50	59.49	55.14
महाराष्ट्र	47.39	49.85	48.48	50.50
मणिपुर	6.01	6.96	8.79	10.38
मेघालय	8.70	9.41	14.63	9.68
मिजोरम	6.20	5.55	4.87	4.58
नागालैंड	1.86	1.98	3.79	3.64
उड़ीसा	42.37	42.51	37.24	37.36
पांडिचेरी	0.76	0.83	0.84	0.80
पंजाब	17.59	20.09	20.26	19.18
राजस्थान	33.86	27.93	53.09	45.54
तमिलनाडु	41.62	41.36	37.99	60.92
उत्तर प्रदेश	39.85	55.68	53.87	50.04
उत्तरांचल	5.84	3.66	44.60	12.60
पश्चिम बंगाल	20.69	23.57	24.95	23.17

[अनुवाद]

परमाणु खतरे के विरुद्ध दिल्ली का सुरक्षा कवच

1006. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईटीबीपी द्वारा परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले के विरुद्ध दिल्ली का सुरक्षा कवच शीघ्र पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य शहरों को भी इस कवच के अन्तर्गत लाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) सरकार ने परमाणु, जैविक और रासायनिक आपदाओं सहित आपदा की सभी स्थितियों में विशेषज्ञ कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों की आठ बटालियनों को मिला कर राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) का गठन कर दिया है। उस बल में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) प्रत्येक की दो–दो बटालियनें हैं। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की आठ बटालियनों में से चार को देश में परमाणु, जैविक और रासायनिक आपदाओं पर कार्रवाई करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और सज्जित किया जा रहा है। इन बटालियनों को प्रशिक्षण देने और साजो–सामान से लैस करने की प्रक्रिया चल रही है। इन चार बटालियनों को चार मुख्य शहरों, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नै में तैनात किया जाएगा ताकि बटालियनों की देश के सभी भागों में शीघ्रता से तैनाती को सुकर बनाया जा सके।

सड़कों के रख-रखाव हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी

1009. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में नई सड़कों के रख–रखाव व निर्माण हेतु निजी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन–किन सड़कों और क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इस संबंध में क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच मुनियप्पा) : (क) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग नामतः रा.रा. 223 है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 25.8.2005 से सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के रख–रखाव और निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी संबधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1010. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में शत–प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति देने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या प्रत्येक राष्ट्रीय जलमार्ग के जलमार्ग विकास और रख–रखाव योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अन्तर्देशीय जल परिवहन को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किए जाने की अनुमति पहले से ही है।

(ग) और (घ) तीन राष्ट्रीय जलमार्गों पर अन्तर्देशीय जल परिवहन की बुनियादी अवसरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने और उनका रख–रखाव करने की विभिन्न परियोजनाएं तैयार कर ली गई हैं और चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में, सुपथ जलमार्ग को विकसित किए जाने तथा उसका रख–रखाव किए जाने, पाक्षिक रूप से मध्यधारा का सर्वेक्षण किए जाने तथा नदी–नोटिस जारी किए जाने, पायलटों की सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने, वर्ष भर कार्य संचालन के लिए दिवस के दौरान नौचालन से संबंधित संकेत दर्शाए जाने, चरणबद्ध रूप से रात्रि के दौरान नौचालन की सुविधा सुलभ करवाए जाने, विभिन्न स्थलों पर फ्लोटिंग अथवा स्थाई टर्मिनल सुविधाएं सुलभ करवाए जाने, मशीनों से जहाजी माल की ढुलाई से संबंधित सुविधाएं सुलभ करवाए जाने, जलमार्ग की नौगम्यता के प्रदर्शन और जहाजी माल के संचलन की दृष्टि से जलयानों के अर्जन आदि की परियोजनाएं शामिल हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) विभिन्न स्थानों अर्थात् नई दिल्ली, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी तथा कोच्चि में समय-समय पर पारस्परिक बातचीत से युक्त सेमीनार/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इनमें अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र से जुड़े संभावित जहाजी माल के मालिकों, अंतर्देशीय जल परिवहन के संचालकों, पोत-निर्माताओं, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के विभिन्न हिस्सेदारों, राज्य सरकारों, चैम्बर ऑव कॉमर्स के प्रतिनिधियों जैसे लोगों ने भली-भांति हिस्सा लिया। जलमार्गों की नौगम्यता तथा जहाजी माल के परिवहन की व्यवहार्यता के प्रदर्शन के लिए जहाजी माल की ढुलाई हेतु प्रयुक्त जलयानों की समुद्री यात्राएं भी आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 पर, हल्दिया-पटना के बीच, पाक्षिक रूप से, पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार सेवाएं, जनवरी, 2004 से सुलभ करवाई जा रही हैं। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने, राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान तथा अन्य राज्यों को 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

ट्राइफेड कार्यालयों को खोला जाना

1011. प्रो. एम. रामदास : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राइबल कापरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ने आदिवासियों को कृषि उत्पादों हेतु लाभप्रद मूल्य दिलाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों को वहां से हटाकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों या जिलों के समीप ले जाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सिलीगुड़ी और ईटानगर में नए कार्यालयों को खोलने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड आदिवासी बहुल राज्यों में ट्राइफेड के कार्यालय खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) मल्टी स्टेट कापरेटिव सोसायटिज एक्ट, 2002 के सन्दर्भ में, जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) एक मल्टी स्टेट कापरेटिव सोसायटी है।

ट्राइफेड ने उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उपनियमों में अप्रैल, 2003 में संशोधन किया है। संशोधित उपनियमों के अनुसार, ट्राइफेड की मुख्य भूमिका जनजातीय उत्पादों के विपणन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं सेवा मुहैया कराने की है। परिणामतः ट्राइफेड जनजातीय लोगों से लघु वन उत्पादों एवं कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष प्रापण जैसे कार्यों में संलग्न नहीं है।

(ग) से (च) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ज्ञान दर्शन में शिक्षा कार्यक्रम

1012. श्री सुरेश कुरूप : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'इग्नू' ज्ञान दर्शन पर किन-किन भाषाओं में अपने शिक्षा कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण करता है;

(ख) क्या चैनल पर मलयालम कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रसारण हेतु भाषाओं के चयन के मानदंड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में अपने शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है और संस्कृत और उर्दू के शिक्षण पर पाठ प्रदान करने के अतिरिक्त, धीरे-धीरे सभी राज भाषाओं को ज्ञान दर्शन में शामिल करने की एक योजना है।

(घ) विशिष्ट भाषा कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया में समय लगेगा और यह स्थानीय स्टेकहोल्डरों की प्रेरणा पर निर्भर करता है।

1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा

1013. श्री असादूद्दीन ओवेसी :

श्री राजेन गोहेन :

श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री रशीद मसूद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की शिकायतों की जांच हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा अब तक कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात दंगों के मुआवजे के मामलों को भी उक्त समिति को सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सरकार ने दो सरकारी समितियों का गठन किया था, एक समिति गृह मंत्रालय में डॉ. डी. के. शंकरन, सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में राहत/पुनर्वास की पर्याप्तता और अन्य सहायता जैसें पीड़ितों की विधवाओं/परिवारों को दिए गए रोजगार की जांच करने के लिए और दूसरी समिति गृह मंत्रालय के श्री के. पी. सिंह, तत्कालीन विशेष सचिव (गृह) की अध्यक्षता में, मृत्यु और जख्मी होने संबंधी मामलों में दिए गए मुआवजे की पर्याप्तता और एकसमानता की जांच करने के लिए की गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

भवन के संबंध में नए उप-नियमों का बनाया जाना

1014. श्री वीरचन्द पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने भवनों के संबंध में नए उप-नियमों को बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें कड़ाई से लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने भवनों के संबंध में नए उप-नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

एनएच-44 पर निर्माण

1015. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात संबंधी भीड़भाड़ और असुविधा को समाप्त करने के लिए असम के करीमगंज कस्बे के बाहर एनएच-44 पर लगभग 2 किलोमीटर दूरी तक विपणन संबंधी निर्माण कार्य काफी सयम से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विपणन प्वाइंट पर उपरिपुल और लोंगई नदी पर पुल के निर्माण कार्य में शीघ्रता किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाईपास बनाने और उक्त पुलों के निर्माण को पूरा करने को प्राथमिकता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी संभावित समय-सीमा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच मुनियप्पा) : (क) से (ङ) 14.68 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सीमा सड़क संगठन द्वारा रा.रा. 44 पर 3.84 कि.मी. लंबा करीमगंज बाईपास निर्मित किया जा रहा है। अभी तक 71 प्रतिशत कार्य कर लिया गया है और इस कार्य को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लोंगई नदी पर एक बड़ा पुल तथा दो सड़क उपरि पुल इसी बाईपास कार्य के हिस्से हैं जिनका वर्ष 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर

1016. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान गुजरात सहित क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) यह अनुमान है कि 1993–94 से 2005–06 तक (30 सितम्बर, 2005 तक) योजना के आरम्भ से प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत 34.61 लाख रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं। इनमें से लगभग 49.9 प्रतिशत अर्थात् लगभग 17.27 लाख रोजगार अवसर ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र में सृजित किए जाने का अनुमान है। पीएमआरवाई के तहत, विगत दो वर्षों अर्थात् 2003–04 और 2004–05 के दौरान सम्पूर्ण भारत और गुजरात के लिए लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पीएमआरवाई के तहत सम्पूर्ण भारत और गुजरात–लक्ष्य एवं उपलब्धियां

अखिल भारत

वर्ष	स्व–रोजगार इकाइयां (सं.)		सृजित रोजगार (सं.)		
	लक्ष्य	उपलब्धि (संवितरित ऋण)	लक्ष्य*	उपलब्धि*	ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र में सृजित रोजगार**
2003–04	220000	217743	330000	326615	162981
2004–05^	250000	237046	375000	355569	177429

गुजरात

वर्ष	स्व–रोजगार इकाइयां (सं.)		सृजित रोजगार (सं.)		
	लक्ष्य	उपलब्धि (संवितरित ऋण)	लक्ष्य*	उपलब्धि*	ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र में सृजित रोजगार**
2003–04	8650	6743	12975	10115	5047
2004–05^	10000	6450	15000	9675	4828

^2004–05 के लिए अंतिम आंकडे अभी भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए जाने हैं और इनके ऊंचे होने की आशा है।

*यह अनुमान है कि सृजित रोजगार 1.5 की दर से प्रति इकाई संवितरित ऋण है।

**पीएमआरवाई पर मूल्यांकन अध्ययन के दूसरे दौर के निष्कर्षों के अनुसार, कुल लाभार्थियों का 49.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। अतः यह अनुमान है कि सृजित कुल रोजगार अवसरों का 49.9 प्रतिशत ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र में सृजित रोजगार है।

राजसहायता प्राप्त उच्च और तकनीकी शिक्षा

1017. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजूकेशन ने शिकायत की है कि जिन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में राजसहायता प्राप्त उच्च और तकनीकी शिक्षा हेतु विकल्प चुना है, को ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में न्यूनतम अवधि हेतु कार्य करना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उक्त सिफारिशों पर क्या रुख है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) "उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के वित्तपोषण" पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिश की है कि "राज्य द्वारा प्रदान की गई व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की लागत वसूली हेतु एक ठोस पद्धति के तहत स्नातकों के लिए एक न्यूनतम अवधि तक सार्वजनिक क्षेत्र तथा ग्रामीण, जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करना अनिवार्य है"। तथापि, इस समय सरकार की अनिवार्य रोजगार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

राजमार्गों की मरम्मत

1018. श्री एस. के खारवेनथन : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर एनएच–68 और एनएच–48 की स्थिति बहुत ही जीर्ण–शीर्ण है जिससे सड़क प्रयोक्ताओं को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजमार्गों की मरम्मत हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों को कब तक पूर्णतः प्रचालनात्मक बनाए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच मुनियप्पा) : (क) से (घ) तमिलनाडु से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को उपलब्ध संसाधनों के अन्दर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर सड़क प्रयोक्ताओं को चालू निर्माण कार्य के कारण असुविधा हो सकती है। रा.रा. 48 तमिलनाडु से नहीं गुजरता है।

मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार हेतु विदेशी सहायता

1019. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार हेतु विदेशी सहायता से बड़ी संख्या में परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और किन–किन परियोजनाओं में अभी वास्तविक कार्य शुरू किया जाना है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों में उक्त प्रयोजनार्थ प्राप्त विदेशी सहायता के समान वितरण हेतु क्या–क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) वर्तमान में विदेशी सहायता से शहरी स्लम क्षेत्रों में निम्नलिखित दो पर्यावरणीय सुधार परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) गरीबों के लिए आंध्र प्रदेश शहरी सेवा (एपीयूएसपी)

(ii) गरीबों के लिए कोलकाता शहरी सेवा (केयूपीएस)

ऐसी कोई परियोजना नहीं है जहां वास्तविक कार्य अभी शुरू किया जाना है।

(ग) जब कभी, विदेशी डोनर एजेंसी से सहायता का कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार को मिलता है तो उसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परिचालित किया जाता है और सहायता का लाभ लेने के लिए परियोजना प्रस्ताव मांगे जाते हैं। यह मंत्रालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की जांच करता है और आर्थिक कार्य विभाग को अपनी सिफारिशें भेजता है ताकि संबंधित डोनर एजेंसी के साथ मामला उठाया जा सके। तथापि, अंततः यह संबंधित डोनर एजेंसी पर निर्भर करता है कि वह अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार किन परियोजना प्रस्तावों को चुनती/अनुमोदित करती है।

पारादीप पत्तन के विकास के लिए निवेश

1020. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पारादीप पत्तन के विकास के लिए 2300 करोड़ रुपये निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन अलग–अलग वर्षों के दौरान तमिलनाडु के विभिन्न पत्तनों के विकास के लिए सरकार ने कितनी राशि का निवेश किया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) पारादीप पत्तन द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना परिकल्पित है। उपर्युक्त कार्यक्रम में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

(i) 1,25,000 कुल टन भार (डीडब्ल्यूटी) की क्षमता से युक्त जलयान संभालने के लिए 154.842 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जलमार्ग को और अधिक गहरा किया जाना।

(ii) 350.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर

हरिदासपुर से पारादीप तक रेल से संपर्क का बढ़ाया जाना।

(iii) 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कंटेनर टर्मिनल को विकसित किया जाना।

(iv) 430 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चंडीकोल से पारादीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5क तक की सड़क को चार लेनों का बनाए जाने से युक्त रेल और सड़क से संपर्क से संबंधित निर्माण कार्य।

(v) 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कटक से पारादीप राज्य राजमार्ग सं. 12 तक की सड़क को चार लेनों का बनाया जाना।

(vi) 328.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर, गहरे ड्राबाव से युक्त लौह अयस्क घाट का निर्माण।

(vii) 138.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर, स्वच्छ जहाजी माल के लिए घाटों का निर्माण।

(ग) जहां तक तमिलनाडु में चेन्नई, तूतीकोरिन और इन्नौर में अवस्थित महापत्तनों का संबंध है, उनके विकास की योजनाओं से संबंधित खर्च, संबंधित महापत्तनों के आंतरिक संसाधनों से उठाया जा रहा है। सरकार, वित्तीय वर्ष के दौरान चलाई जानी/आरंभ की जाने वाली विभिन्न आयोजनागत योजनाओं के संबंध में अनुमोदन प्रदान करती है।

दक्षेस देशों के साथ व्यापार संबंध

1021. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दक्षेस देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार व देश–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षेस देशों के साथ व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(आंकड़े मिलि. अम. डालर में)

देश	2002–03		2003–04		2004–05	
	निर्यात	आयात	निर्यात एवं प्रतिशत वृद्धि	आयात एवं प्रतिशत वृद्धि	निर्यात एवं प्रतिशत वृद्धि	आयात एवं प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
बांग्लादेश	1176.00	62.05	1740.75	77.63	1586.18	54.88
			(48.02)	(25.10)	(–8.88)	(–29.30)
श्रीलंका	920.98	90.83	1319.20	194.74	1353.75	364.25
			(43.24)	(114.41)	(2.62)	(87.05)
नेपाल	350.36	281.76	669.36	286.04	728.46	340.02
			(91.05)	(1.52)	(8.83)	(18.87)
पाकिस्तान	206.16	44.85	286.94	57.65	505.44	95.33
			(39.18)	(28.54)	(76.15)	(65.36)
भूटान	39.05	32.15	89.49	52.37	84.03	50.14
			(129.20)	(62.88)	(–6.10)	(–4.26)

1	2	3	4	5	6	7
मालदीव	31.59	0.33	42.34	0.37	42.51	0.58
			(34.03)	(12.12)	(0.40)	(56.25)
कुल	2724.14	511.97	4148.08	668.80	4300.37	905.20
सार्क देशों के साथ कुल व्यापार	3236.11		4816.88		5205.57	

आंकड़ों का स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता (एनआईसी, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदत्त)।

सार्क देशों के साथ भारत का कुल व्यापार वर्ष 2003–04 में हुए 4816.88 मिलियन अम. डा. से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 5205.07 मिलियन अम. डा. का हो गया है जिसमें 8.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) पाकिस्तान को छोड़कर सार्क सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार करार मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने की कार्ययोजना के एक भाग के रूप में वाणिज्यिक सचिव स्तर पर एक संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) का गठन किया है और इसकी पहली बैठक 22–23 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में हुई थी।

दिनांक 4–6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार में चरणबद्ध टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम का प्रावधान है और यह 1 जनवरी, 2006 से लागू होगा।

साफ्टा के कार्यान्वयन से सार्क देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों के आगे और सुदृढ़ होने की आशा है।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां

1022. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री खारवेल स्वाईं :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के भूकम्प के पश्चात जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने से बहुत बड़ी संख्या में आदमी मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में एक समुदाय विशेष आतंकवादियों द्वारा मारे जाने की निरंतर आशंका में जी रहा है; और

(घ) यदि हां, तो लोगों के इस सुभेद्य वर्ग के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सूचना के अनुसार हाल ही के भूकम्प के पश्चात राज्य में आतंकवादी गतिविधियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

9 अक्तूबर, 2005 से 15 नवम्बर, 2005 (भूकम्प के पश्चात) की अवधि के दौरान 167 आतंकवादी संबंधी घटनाएं हुईं जिसमें 62 सिविलियन मारे गए जबकि 1 सितम्बर, 2005 से 8 अक्तूबर, 2005 (भूकम्प पूर्व) की अवधि के दौरान 219 घटनाएं हुई थीं जिसमें 70 सिविलियन मारे गए थे।

(ग) किसी विशेष समुदाय को ऐसा कोई विशिष्ट खतरा नहीं है। तथापि, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों के सिविलियन राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हुए हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें आतंकवादियों ने किसी निश्चित समुदाय के सदस्यों को विशेष रूप से निशाना बनाया है।

(घ) जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की जान और माल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के गांवों/बस्तियों में सुरक्षा बलों की पिकटें स्थापित की गई हैं।

(ii) इन पिकटों में पर्याप्त हथियार और संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और साथ–साथ क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त करने का कार्य पास की सुरक्षा बल यूनिटों को सौंपा गया है।

(iii) जम्मू प्रान्त में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से बसे दूर–दराज के क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समितियां (वीडीसी) स्थापित की गई हैं।

(iv) भीतरी प्रदेश और इन स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की आबादी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बल प्रायः गश्त लगाते हैं।

(v) इन स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के सुरक्षित रहने के लिए कश्मीर घाटी के शेखपुरा बडगाम मट्टान अनंतनाग तथा खीर भवानी श्रीनगर में आवासीय घरों के समूहों का निर्माण किया गया है।

[हिन्दी]

केवीआईसी के तहत रोजगार अवसर

1023. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी एवं ग्राम उद्योगों के अध्यक्ष की नियुक्ति न होने से इसके सुचारु कार्यकरण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी कार्रवाई योजना के तहत कितने रोजगार अवसर पैदा किए गए हैं; और

(ग) केवीआईसी के तहत रोजगार पैदा करने के लिए नियम लक्ष्यों को प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) अक्तूबर, 2004 में आयोग का विघटन करते हुए सरकार ने एक अथॉरिटी की स्थापना की जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कहा गया ताकि वह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की शक्तियों का प्रयोग कर सके, जिससे आयोग के सुचारु कार्यकरण का सुनिश्चय किया जा सके।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर में सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा निम्नोक्त है :

वर्ष	रोजगार (लाखों में)		
	खादी	ग्रामोद्योग	कुल
2002–03	8.58	57.87	66.45
2003–04	8.61	62.58	71.19
2004–05	8.64	67.89	76.53

(ग) ग्रामोद्योग सेक्टर में रोजगार सृजन के लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कमी नहीं आई है। खादी सेक्टर में मुख्यतः निम्नोक्त कारणों के कारण रोजगार लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ कमी आई है :

(i) अनेक खादी संस्थानों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले चरखे और लूम मरम्मत योग्य नहीं रहे हैं तथा पुराने हो गए हैं, जिससे उत्पादकता में कमी आयी। इसके अलावा, बहुत से संस्थानों का उत्पादन मार्किट की मांग के साथ गति नहीं बना सका है।

(ii) कई खादी संस्थान बिक्री के अयोग्य वस्तु सूची के कारण केवीआईसी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की सीमा तक ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) योजना के तहत कार्यशील पूंजी जुटाने में अक्षम हैं।

(iii) कुछेक राज्य सरकारों द्वारा खादी संस्थानों के छूट दावों का निपटान शीघ्र नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रत्नों तथा जेवरात डिजाइन में कलाकारों का प्रशिक्षण

1024. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निश्चित समयावधि में विभिन्न रत्नों और जेवरातों के डिजाइन में ग्राम स्तरीय शिल्पकारों के प्रशिक्षण के लिए सभी राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे स्थानों के चयन के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार के पास (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) रत्नों और जेवरातों के डिजाइन में राज्यों में ग्राम स्तर पर कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सीआरपीएफ में अवसंरचना सुविधाएं

1025. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से सीआरपीएफ कार्मिक अनिवार्य चक्रानुक्रमिक प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी के कारण 'लड़ाई के लिए फिट' नहीं हैं जैसा कि 20 सितम्बर, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सीआरपीएफ कार्मिकों की अनुमानित संख्या क्या है तथा उसके कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक कदम प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या सीआरपीएफ को अपना स्वयं का आसूचना स्कंध स्थापित करने की अनुमति देकर अवसंरचनात्मक रूप से और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कार्मिक अपनी ड्यूटियों के निर्वाहन के लिए फिट स्थिति में हैं। बल की तैनाती की मांगों के कारण सीआरपीएफ के सभी कार्मिक फिलहाल चक्रानुक्रमिक प्रशिक्षण पर नहीं भेजे जा सकते हैं। स्थिति अगले दो वर्षों में सामान्य हो जाएगी जब सीआरपीएफ के लिए स्वीकृत नई भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी।

(घ) और (ङ) सीआरपीएफ को अपना आसूचना विंग गठित करने की अनुमति दी गई है और कुछ अतिरिक्त स्टाफ भी स्वीकृत किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

1026. श्री जुएल ओराम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-06 में स्थापना के लिए प्रस्तावित नए केन्द्रों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) देश में 16 राज्य स्तरीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं। इस मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल की राज्य सरकारों से क्रमशः हिमाचल प्रदेश में एक जनजातीय अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान (आईटीआरएस) तथा उत्तरांचल में एक जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (टीआरडीआई) स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने इन प्रस्तावों की जांच की और चूंकि ये प्रस्ताव पूर्ण नहीं थे, अतः राज्य सरकारों से और स्पष्टीकरण मांगा है।

प्राकृतिक आपदाएं

1027. श्री एम. शिवन्ना :

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

डा. के. धनराजू :

श्री बाडिगा रामकृष्णा :

श्री ए. साई प्रताप :

श्री सी. कुप्पुसामी :

श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री वी. के दुग्मर :

श्री काशीराम राणा :

श्री मुन्शी राम :

श्रीमती अर्चना नायक :

श्री जे. एमं. आरुन रशीद :

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन :

श्री थावरचन्द गेहलोत :

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

श्री चंद्रकांत खैरे :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

श्री ई. जी. सुगावनम :

श्री पी. मोहन :

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह हाल में देश में बाढ़, भारी वर्षा और तूफानों के कारण जीवन, संपत्ति तथा फसलों को हुई हानि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा सहायता तथा पुनर्वास के लिए मांगी गई राशि कितनी है;

(घ) क्या केन्द्रीय दल ने प्रभावित राज्यों का दौरा किया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता तथा ऐसे दलों की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक प्रदान की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) पच्चीस राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र ने वर्ष 2005 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और कम दबाव के चक्रवात के कारण अलग–अलग मात्रा में नुकसान की सूचना दी है। जान–माल और फसल की हानि के संबंध में इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्राप्त अनंतिम सूचना विवरण–I में दी गई है।

(ग) से (च) राहत व्यय के वित्त पोषण की वर्तमान योजना के अनुसार राज्य सरकारों को आपदा की स्थिति में सबसे पहले कार्रवाई करनी होती है और वे बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। जमीनी स्तर पर राहत वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत निधि का गठन किया गया है जिसमें 3 : 1 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकारों का अंशदान होता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति को, अनुमोदित मदों और सीआरएफ/एनसीसीएफ से सहायता के मानदंडों के अनुसार सीआरएफ को ऑपरेट करने की शक्ति प्राप्त है।

भयंकर किस्म की आपदा आने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है।

भारत सरकार को वर्ष 2005 में आई भारी वर्षा, बाढ़ और कम दबाव के चक्रवात के पहले दौर के दौरान गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त हुए थे जिनमें एनसीसीएफ से वित्तीय सहायता की मांग की गई थी। तत्काल हीं अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय दलों का गठन किया गया था और उन्होंने मौके पर ही हानि और आवश्यक निधियों का आकलन करने के लिए उपरिलिखित सभी राज्यों का दौरा किया था। उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 5 अक्तूबर, 2005 को हुई अपनी बैठक में उपरिलिखित सभी राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विचार किया और केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों, उन पर अन्तर मंत्रालयी ग्रुप (आईएमजी) की सिफारिशों और सहायता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की जिसका ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

बाद में, भारत सरकार को आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल, कर्नाटक, (सितम्बर–अक्तूबर की बाढ़ के लिए) तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी की राज्य सरकारों से एनसीसीएफ से वित्तीय सहायता के लिए ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इन सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए अन्तर–मंत्रालयी केन्द्रीय टीमें गठित की गई हैं। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रें में से केन्द्रीय दल ने पहले ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल, कर्नाटक (सितम्बर–अक्तूबर की बाढ़ के लिए), तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी का क्षति और धनराशि की आवश्यकता का स्थल पर ही आकलन करने के लिए दौरा कर लिया है। केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों पर यथानिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है तथा, यदि आवश्यक हो, तो एनसीसीएफ से राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के मामले में संघ शासित क्षेत्रों के बजट से सहायता उपलब्ध की जाती है।

बाढ़ प्रभावित राज्यों के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान सीआरएफ से आवंटित और जारी की गई धनराशि और एनसीसीएफ से जारी धनराशि दर्शाने वाला विवरण विवरण–III पर दिया गया है।

विवरण-I

देश में 2005 के दौरान बाढ़, भारी वर्षा और चक्रवाती दबाव के कारण क्षति के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(25.11.2005 को अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	असम	27	0.33	735
2.	आंध्र प्रदेश	83	3.34	9085
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	0.12	6572
4.	बिहार	51	0.56	4266
5.	छत्तीसगढ़	17	1.50	376
6.	गोवा	16	नेग	226
7.	गुजरात	213	3.66	161628
8.	हरियाणा	11	0.12	3647
9.	हिमाचल प्रदेश	15	0.58	2872
10.	जम्मू और कश्मीर	3	0.01	357
11.	कर्नाटक	160	1.96	108665
12.	केरल	131	0.60	20527
13.	मध्य प्रदेश	86	0.05	223022
14.	महाराष्ट्र	1108	5.5	449145
15.	मेघालय	1	एनआर	67
16.	मिजोरम	2	0.08	27
17.	नागालैंड	15	नेग	214
18.	उड़ीसा	12	2.32	5871
19.	पंजाब	25	1.04	268
20.	राजस्थान	79	0.34	12690
21.	सिक्किम	10	0.26	390
22.	तमिलनाडु	73	0.50	374852
23.	उत्तर प्रदेश	203	3.67	72729
24.	उत्तरांचल	113	नेग	1712
25.	पश्चिम बंगाल	7	नेग	461
26.	पांडिचेरी	नेग	0.07	4700
	कुल	2471	26.61	1465104

नोट : एनआर-सूचित नहीं किए गए।

नेग-शून्य

विवरण-II

वर्ष 2005 के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों के संबंध में एचएलसी द्वारा 5.10.2005 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे

(i) नागालैंड (बादलों के फटने/तेज बाढ़/भूस्खलन)

(क) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से 81.14 लाख रुपये बशर्ते कि आसन्न आपदा हेतु राज्य में सीआरएफ खाते में शेष राशि के 75 प्रतिशत का समायोजन किया जाए।

(ख) राहत रोजगार हेतु एसजीआरवाई के विशेष घटक के अन्तर्गत 351 मीट्रिक टन खाद्यान्न

(ग) पेयजल आपूर्ति हेतु एआरडब्ल्यूएसपी के विशेष घटक से 6.56 लाख रुपये।

(ii) गुजरात (बाढ़)

(क) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से 413.32 करोड़ रुपये बशर्ते कि आसन्न आपदा हेतु राज्य के सीआरएफ खाते में शेष राशि के 75 प्रतिशत का और एनसीसीएफ से जारी की गई तदर्थ निधियों का समायोजन किया जाए।

(ख) राहत रोजगार हेतु एसजीआरवाई के विशेष घटक के अन्तर्गत फिलहाल 32300 मीट्रिक टन खाद्यान्न।

(ग) बिलों के प्राप्त होने के पश्चात बचाव और राहत

अभियानों के लिए आईएएफ हेलिकॉप्टरों की वास्तविक आधार पर तैनाती की लागत।

(iii) महाराष्ट्र में बाढ़

(क) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से 697.45 करोड़ रुपये बशर्ते कि आसन्न आपदा हेतु राज्य में सीआरएफ खाते में शेष राशि और एनसीसीएफ से जारी की गई तदर्थ निधियों के 75 प्रतिशत का समायोजन किया जाए।

(ख) पेयजल की आपूर्ति हेतु एआरडब्ल्यूएसपी के विशेष घटक से 8.75 करोड़ रुपये।

(ग) बिलों के प्राप्त होने के पश्चात बचाव और राहत अभियानों के लिए आईएएफ हेलिकॉप्टरों की वास्तविक आधार पर तैनाती की लागत।

(iv) कर्नाटक-बाढ़

(क) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से 252.05 करोड़ रुपये बशर्ते कि आसन्न आपदा हेतु राज्य में सीआरएफ खाते में शेष राशि और एनसीसीएफ से जारी की गई तदर्थ निधियों के 75 प्रतिशत का समायोजन किया जाए।

(ख) राहत रोजगार हेतु एसजीआरवाई के विशेष घटक के अन्तर्गत फिलहाल 0.72 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न

(v) हिमाचल प्रदेश (बाढ़/तेज बाढ़)

(क) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से 74.86 करोड़ रुपये बशर्ते कि आसन्न आपदा हेतु राज्य में सीआरएफ खाते में शेष राशि और एनसीसीएफ से जारी की गई तदर्थ निधियों के 75 प्रतिशत का समायोजन किया जाए।

(ख) बिलों से प्राप्त होने के पश्चात वर्ष 2005 में आई तेज बाढ़/बाढ़ के दौरान बचाव और राहत अभियानों के लिए आईएएफ/बीएसएफ/राज्य के हेलिकॉप्टरों की वास्तविक आधार पर तैनाती की लागत।

(ग) एचएलसी ने वर्ष 2000 में आई तेज बाढ़ के दौरान बाढ़ संबंधी राहत अभियान के लिए हेलिकॉप्टरों की सेवाएं प्रदान करने हेतु वायु सेना मुख्यालय को इस राशि की प्रतिपूर्ति करने में समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकार को एनसीसीएफ से 38,11,38,250 रुपये जारी करने के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

(vi) मध्य प्रदेश-बाढ़

(क) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से 70.83 करोड़ रुपये बशर्ते कि आसन्न आपदा हेतु राज्य में सीआरएफ खाते में शेष राशि के 75 प्रतिशत का समायोजन किया जाए।

विवरण-III

2005-06 के दौरान सीआरएफ/एनसीसीएफ से निधियों का आवंटन और धनराशि जारी करना

21.11.2005 के अनुसार

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सीआरएफ का आवंटन			सीआरएफ से जारी				एनसीसीएफ से जारी	
		केन्द्रीय अंशदान	राज्य का अंशदान	कुल	पहली किस्त		दूसरी किस्त		राशि	जारी करने
					राशि	जारी करने की तिथि	राशि	जारी करने की तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	258.06	86.02	344.08	129.03	8.6.05	129.03	8.11.05	100.00***	
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.23	7.08	28.30	10.62	8.6.05	21.23	10.9.05	68.44	5.5.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	144.79	48.26	193.06	@					
4.	बिहार	111.69	37.23	148.93	55.85	7.11.05				
5.	छत्तीसगढ़	83.81	27.94	111.75	41.91	8.6.05				
6.	गोवा	1.58	0.53	2.11	@					
7.	गुजरात	184.50	61.50	246.00	92.25	4.7.05			500*	8.7.05
8.	हरियाणा	93.28	31.10	124.38	@					
9.	हिमाचल प्रदेश	75.52	25.17	100.69	37.76	8.6.05	37.76	8.7.05	100.00*	25.7.05
10.	जम्मू और कश्मीर	64.84	21.61	86.46	32.42	27.7.05	32.42	10.10.05	9.49#+	25.7.05
									100.00*	10.10.05
									+200.28*	13.10.05
11.	झारखंड	94.56	31.52	126.07	47.28	3.10.05				
12.	कर्नाटक	86.00	28.67	114.67	43.00	30.5.05	43.00	11.8.05	57.00*	11.8.05
									+300.00*	24.8.05
13.	केरल	64.13	21.38	85.50	32.07	8.6.05	32.065	30.8.05	17.935*	30.8.05
14.	मध्य प्रदेश	190.67	63.56	254.23	95.34	6.7.05				
15.	महाराष्ट्र	167.18	55.73	222.90	83.59	9.5.05	83.59	5.8.05	103.07*	18.7.05
									500*	28.7.05
									416.41*	5.8.05
16.	मणिपुर	4.17	1.39	5.56	@					
17.	मेघालय	8.47	2.82	11.29	4.235	28.10.05				
18.	मिजोरम	4.94	1.65	6.58	2.47	14.9.05				
19.	नागालैंड	2.87	0.96	3.83	1.44	21.6.05				
20.	उड़ीसा	226.16	75.39	301.54	113.08	8.6.05				
21.	पंजाब	109.52	36.51	146.03	54.76	27.7.05				
22.	राजस्थान	311.73	103.91	415.64	155.87	9.5.05				
23.	सिक्किम	13.15	4.38	17.53	6.58	21.6.05				
24.	तमिलनाडु	156.81	52.27	209.08	78.41	14.11.05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	त्रिपुरा	9.64	3.21	12.85	@					
26.	उत्तर प्रदेश	221.95	73.98	295.94	110.98	5.10.05				
27.	उत्तरांचल	71.02	23.67	94.69	35.51	8.7.05				
28.	पश्चिम बंगाल	176.05	58.68	234.73	@					

*तदर्थ रूप से जारी।

**उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद सूखे/ओलावृष्टि के लिए जारी निधियां।

#भारी हिमपात/हिमस्खलनों के लिए जारी निधियां।

***7.11.2005 को वित्त मंत्रालय को जारी करने के लिए दी गई सिफारिश।

@वर्ष 2005–06 के लिए सीआरएफ के केन्द्रीय अंशदान की पहली किस्त, पहले जारी की गई राशियों के क्रेडिटिंग के संबंध में सूचना और उपयोगिता प्रमाण पत्र न मिलने के कारण, जारी नहीं की गई।

[हिन्दी]

शिक्षा पर व्यय

1028. श्री अशोक कुमार रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2005 की पहली छमाही के लिए शिक्षा पर व्यय का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा पर व्यय बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या साक्षरता स्तर में भी तुलनात्मक रूप से कोई वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी राज्यों ने शिक्षा के लिए प्रदान की गई राशि का उपयोग किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) इस तरह का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, जिसमें वर्ष 2005 की प्रथम छमाही में हुए व्यय की पिछले वर्ष की उसी छमाही से तुलना की गई हो। तथापि, वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय पिछले वर्षों के व्यय सहित प्रत्येक पहलू का ध्यान रखा जाता है। शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के बजट को पिछले वर्ष (2004–05) के 8285 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चालू वर्ष (2005–06) में 12571.76 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा साक्षरता दरों को दस वर्ष पर संकलित और जारी किया जाता है न कि वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक के दौरान देश में साक्षरता दर 12.63 प्रतिशत बढ़ी है अर्थात् वर्ष 1991 के 52.21 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 64.84 प्रतिशत हो गई है। इसी दौरान पुरुष साक्षरता दर 11.13 प्रतिशत बढ़ी है (64.13 प्रतिशत से 75.26 प्रतिशत) और महिला साक्षरता दर 14.38 प्रतिशत बढ़ी है (39.29 प्रतिशत से 53.67 प्रतिशत)।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1029. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन तथा उनके अनुरक्षण के लिए जारी राशि का राज्यों द्वारा पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो खराब कार्य निष्पादन के कारणों सहित तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी राशि का उपयोग करने में असफल राज्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और उनके अनुरक्षण के लिए अक्तूबर, 2005 तक राज्य–वार आवंटित धनराशि और व्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्यों द्वारा उपयोग की गई धनराशि केवल अप्रैल, अक्तूबर, 2005 तक की अवधि के लिए ही है जिसमें वर्षा ऋतु भी शामिल है। चूंकि काम करने का मौसम वर्ष के नवम्बर माह से प्रारम्भ होता है, इसलिए अभी तक के कार्य निष्पादन को खराब नहीं समझा जाना चाहिए।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए जारी निधियों तथा उनके उपयोग के राज्य–वार ब्यौरे

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/ उन्नयन के लिए निधियां		राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निधियां	
		आवंटन	31.10.2005 तक व्यय	आवंटन	31.10.2005 तक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	80.00	39.86	45.78	17.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.00	0.75	0.37	0.08
3.	असम	60.00	22.58	26.48	60.63
4.	बिहार	65.00	35.30	36.78	27.54
5.	छत्तीसगढ़	52.00	15.97	19.53	8.40
6.	गोवा	5.50	0.57	3.35	0.10
7.	गुजरात	61.00	46.00	30.00	12.23
8.	हरियाणा	47.00	24.07	11.02	9.50
9.	हिमाचल प्रदेश	42.00	18.55	18.70	11.32
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.42	0.00
11.	झारखंड	35.00	17.82	18.96	9.22
12.	कर्नाटक	70.00	32.24	36.60	12.50
13.	केरल	51.00	30.11	32.79	5.85
14.	मध्य प्रदेश	83.00	28.67	55.14	20.79
15.	महाराष्ट्र	93.00	20.94	50.50	14.67
16.	मणिपुर	16.00	6.05	10.38	3.49
17.	मेघालय	26.00	9.29	9.68	3.29

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	21.50	7.96	4.58	1.56
19.	नागालैंड	11.00	5.45	3.64	1.00
20.	उड़ीसा	66.00	20.95	37.36	18.17
21.	पंजाब	47.00	35.04	19.18	11.88
22.	राजस्थान	70.00	44.83	45.54	30.22
23.	तमिलनाडु	90.00	51.92	60.92	20.40
24.	तमिलनाडु (एनएचएआई)	90.00	90.00	0.00	0.00
25.	उत्तरांचल	24.00	19.08	12.60	3.31
26.	उत्तर प्रदेश	126.00	114.38	49.32	17.34
27.	पश्चिम बंगाल	56.00	21.27	22.90	21.18
28.	पश्चिम बंगाल (एनएचएआई)	10.00	0.00	0.00	0.00
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	2.00	0.20	0.50	0.04
31.	दिल्ली	5.50	0.45	0.42	0.04
32.	पांडिचेरी	5.00	1.48	0.80	0.50
	जोड़	1422.50	761.78	664.24	289.66

भारतीय पुलिस अधिनियम का निरसन

1030. **श्री निखिल कुमार :**

श्री चन्दनभूषण सिंह :

श्री मोहन सिंह :

श्री अधीर चौधरी :

श्री एन. एस. वी. चित्तन :

श्री के. सी. पलनिसामी :

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुलिस अधिनियम, 1861 के निरसन सहित पुलिस सेवा में सुधारों के लिए तत्काल आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समिति के गठन, विचारार्थ विषय आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति का गठन कब तक होने की आशा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार ने 1861 के पुलिस अधिनियम को बदलने के लिए नए पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने हेतु 20.9.2005 को एक समिति गठित की है। समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) श्री सोली सोराबजी, पूर्व महान्यायवादी, भारत सरकार।

(ii) श्री एन. सी. सक्सेना, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, भारत सरकार।

(iii) श्री एन. आर. माधव मेनन, निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल/प्रोफेसर रणबीर सिंह, निदेशक, राष्ट्रीय विधि संस्थान, हैदराबाद।

(iv) श्री अजय राज शर्मा, आईपीएस (सेवानिवृत्त), पूर्व महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल।

(v) महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, नई दिल्ली।

(vi) संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण)/संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय तथा निदेशक, सीवीपी एन पी ए, हैदराबाद–मसौदा तैयार करने में समिति की सहायता करेंगे। संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण) समिति के संयोजक हैं।

(vii) श्री यू. एन. वी. राव, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को समिति का सचिव नियुक्त किया गया है।

(viii) नए विधायन का मसौदा तैयार करने में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति/अधिकारियों का सहयोग लेने के लिए समिति को प्राधिकृत किया गया है।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(i) राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा तैयार मॉडल पुलिस अधिनियम तथा अन्य मसौदा मॉडल पुलिस अधिनियमों की जांच करना और पुलिस के सम्मुख नई चुनौतियों, विशेषकर विद्रोह/आतंकवाद/नक्सलवाद आदि की वृद्धि और विस्तार को दृष्टि में रखते हुए पुलिस की परिवर्तित भूमिका/दायित्वों के अनुसार संशोधन सुझाना।

(ii) समुदाय के अविश्वास के बजाय उसका सहयोग और सहायता प्राप्त करने के लिए पुलिस की कार्य प्रणाली सहित उसके व्यवहार में बदलाव के लिए उपाय सुझाना।

(iii) लोकतांत्रिक ढांचे में पुलिस के संबंध में लोगों की अपेक्षाओं को नए पुलिस अधिनियम में प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए।

(iv) इसमें दाण्डिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने में वैज्ञानिक जांच विधि के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए। यह साइबर अपराधों सहित संगठित अपराधों की भावी प्रवृत्तियों तथा प्रौद्योगिकीय फायदों को अपराधियों के हाथों में पहुंचने से रोकने में पुलिस को सक्षम बनाने वाला होना चाहिए।

(v) इसमें मानव अधिकारों, कमजोर वर्गों, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के सरोकारों पर विचार किया जाना चाहिए।

(ग) उक्त विशेषज्ञों की समिति से छः महीनों की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह पहले ही चार बैठकें कर चुकी है। सरकार द्वारा मसौदा अधिनियम प्राप्त कर लिए जाने और उस पर उचित रूप से विचार करने के पश्चात, उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में बाईपास

1031. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री 20.4.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3992 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में बाईपास के संबंध में दी गई मंजूरी और हुई प्रगति के साथ एनएच–37 पर एक हिस्से का भौगोलिक सुधार जिस पर पिछले 15 वर्षों से ध्यान नहीं रखा गया है, का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मोंगलदाई और उत्तरी लखीमपुर में बाईपास के संबंध में भूमि अधिग्रहण सहित संरेखण को अंतिम रूप से संबंधित कार्य की प्रगति के साथ–साथ एनएच–52 पर जियाभारली और सिमेन नदी के ऊपर पुलों के निर्माण की प्रगति की क्या स्थिति है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) रा.रा. 37 पर तिनसुकिया बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को वार्षिक योजना 2005–06 में शामिल कर लिया गया है और संशोधित प्रस्ताव असम राज्य सरकार से अभी आना है। राज्य सरकार ने विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम–पूर्वोत्तर के अन्तर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर रा.रा. 37 के नौगांव–डिब्रूगढ़ खंड को चार लेन का बनाने का कार्य अनुमोदित कर दिया है जिसमें डिब्रूगढ़ बाईपास भी शामिल है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सम्पूर्ण कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंप दिया है। रा.रा. 37 के एक खंड जो 687.00 कि.मी. से अधिक है, के ज्यामितीय सुधार के लिए प्रस्ताव को भी चालू वार्षिक योजना 2005–06 में शामिल कर लिया गया है। यह प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है और स्वीकृति के लिए इसे हाथ में ले लिया गया है।

(ख) प्रश्न में यथाउल्लिखित रा.रा. 52 पर दो बाईपासों और दो पुलों की स्थिति इस प्रकार है :

(i) मोंगलडोई बाईपास सहित रा.रा. 52 के बैहाटा चराली–तेजपुर खंड को एनएचडीपी चरण–IIIख के अन्तर्गत अनुमोदित कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पहले ही सौंप दिया है।

(ii) उत्तरी लखीमपुर बाईपास के लिए साध्यता अध्ययन सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है।

(iii) जियाभारली पर पुल सहित तेजपुर–हलेम खंड को एनएचडीपी चरण–IIIख के अन्तर्गत अनुमोदित कर दिया गया है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना तैयार करने का कार्य पहले ही सौंप दिया है।

(iv) रा.रा. 52 पर सीमेन नदी पर पुल के निर्माण कार्य को वर्ष 2006–07 से प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

मिड-डे-मील योजना

1032. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुणे में मिड–डे–मील कार्यक्रम के संबंध में पुणे विश्वविद्यालय के निष्कर्षों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख निष्कर्ष तथा सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या ऐसे सर्वेक्षण अन्य राज्यों में भी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रमुख निष्कर्षों सहित तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कार्यक्रम की कार्य–प्रणाली का मूल्यांकन तथा लूपहोलों को बंद करने के लिए ऐसे सर्वेक्षणों को समाहित करने पर विचार करेगी;

(च) क्या सरकार को मिड–डे–मील कार्यक्रम की कमियों/ठीक ढंग से कार्य न करने के बारे में शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने वांछित परिणामों को अर्जित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि पुणे विश्वविद्यालय ने निजी खर्चे से सार्वजनिक शिक्षा के संबंध में एक सर्वेक्षण कराया था। यह सर्वेक्षण पुणे शहर के मलिन क्षेत्रों में किया गया था। राज्य सरकार ने आगे कहा है कि इस सर्वेक्षण में मध्याह्न भोजन योजना शामिल नहीं थी।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बाह्य एजेंसियों के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब गुणवत्ता के अनाज की आपूर्ति, अस्वास्थ्यकर स्थितियों में भोजन तैयार करने, बच्चों को मध्याह्न भोजन की आपूर्ति में व्यवधान आदि के कुछ उदाहरणों के संबंध में समय–समय पर शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केन्द्र सरकार को ऐसे मामलों की जैसे ही और जब भी जानकारी मिलती है, राज्यों से तुरंत उपचारी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

कामगार विश्वविद्यालय की स्थापना

1033. श्री दलपत सिंह परस्ते :

श्री ए. साई प्रताप :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कामगारों के लिए विशेष विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विश्वविद्यालय के रूप और विषयवस्तु सुझाने के लिए कोई समिति बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विश्वविद्यालय के कामगार वर्ग को किस तरह से फायदा होने की आशा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कामगारों के लिए एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए डा. जी. संजीवा रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिससे तकनीकी योग्यताधारक कार्मिकों की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करने में सहायता मिलेगी।

(घ) इस समय व्यक्त नहीं किया जा सकता है।

भारतीय मर्चेन्ट नेवी के लापता नाविक

1034. श्री रघुनाथ झा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मर्चेन्ट नेवी के नाविक समुद्र में लापता हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने नाविक अभी भी लापता हैं;

(ग) क्या उनके लापता होने के कारण निर्धारित करने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्र में नाविकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ ही समय पहले विदेशी पताका से युक्त पोतों पर कार्यरत, भारतीय व्यापारी बेड़े के कई नाविक लापता हो गए हैं। इस बारे में ब्यौरा विवरण–I में दर्शाया जा रहा है।

(ग) और (घ) कुछ ही समय पहले घटित हुई सभी घटनाओं की सूचना, विदेशी सीमा में अवस्थित विदेशी पताका से युक्त पोतों से ही प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में, भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समुद्र में जीवन की सुरक्षा से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय समझौते (सोलास) 1974 के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारतीय समुद्री प्रशासन को ऐसे मामलों के अन्वेषण का कोई भी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में हिस्सा ले रहे देशों का यह दायित्व है कि वे ऐसी घटनाओं की जांच करें, जिनमें उनकी पताका से युक्त जलयान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो। अनुबंध–I में उल्लिखित सभी मामलों में, भारतीय समुद्री प्रशासन ने संबंधित पताका से युक्त राष्ट्रों/दूतावासों से जांच करने का अनुरोध किया है। जुपिटर–6 के सिवाय, पताका राष्ट्रों और भारतीय दूतावासों और तटीय राष्ट्रों सहित अन्य विभिन्न प्राधिकारियों से जवाब मिल गया है। जांच के परिणामों का ब्यौरा विवरण–II में दर्शाया गया है।

(ङ) जबकि विदेशी जल सीमा क्षेत्र में विदेशी पताका से युक्त पोतों पर कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पहले से तैयार किए गए कोई उपाय निर्धारित नहीं किए जा सके, नौवहन महानिदेशक, विदेशी पताका से युक्त पोतों पर कार्यरत भारतीय नाविकों का कल्याण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, एक रणनीति तैयार करने के क्रम में, मानव संसाधनों की आपूर्ति करने वाले एजेंटों, नौवहन कंपनियों तथा अन्य हिस्सेदारों से परामर्श कर रहे हैं।

विवरण-I

विदेशी पताका से युक्त पोतों पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण लापता हो गए भारतीय व्यापारी बेड़े के नाविकों का ब्यौरा

(I) जुपिटर 6, पताका सेन्ट विन्सैन्ट ग्रेनाडाइन्स में

यह जलयान, अफ्रीका के पश्चिमी तट से एमवी पॉइन्टिंग (मानव–रहित) को खींच रहा था और अलंग, भारत की ओर जा रहा था। 5 सितम्बर, 2005 के बाद से उपर्युक्त जलयान से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। यह जलयान, 10 भारतीयों और 3 उक्रेनियनों के साथ, 35.32.06 दक्षिण 023.25.9 पूर्व स्थिति से लापता है। पेलमार शिपिंग एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, जुपिटर 6 के मानव संसाधनों की आपूर्ति के एजेंट हैं। उपर्युक्त जलयान के स्वामी जुपिटर शिप मैनेजमेंट इंक, माजुरी, मार्शल द्वीपसमूह हैं। भारतीय नागरिकों के नाम और रैंक निम्नानुसार हैं :

1. श्री राजकुमार
2. श्री इब्राहिम इदुरूनानुनागोती
3. श्री हसन फाइकाजे
4. श्री सुभाष दास
5. श्री सुरजीत सिंह
6. श्री सुनील कुमार शर्मा
7. श्री जोस मैथ्यू कट्टमपल्ली
8. श्री हुसैन हौदात्गती
9. श्री अली कोलुगेड्रू
10. श्री प्रवीण पांडेय

(ii) स्पार सीटस, पताका एनआईएस, नार्वे

प्राप्त सूचना के अनुसार, उपर्युक्त जलयान के लिथुआनिया के क्लाइपेडा पत्तन में बर्थ के साथ खड़े होने के दौरान, चीफ ऑफिसर, गौतम मल्लिक दिनांक 9.10.2005 को, डुबाव की जांच करते समय जलयान के पिछले भाग से समुद्र में गिर गए थे। बाद में उनका शव मिला। भारतीय मानव संसाधनों की आपूर्ति का एजेंट एबोनी शिप मैनेजमेंट प्रा.लि., मुम्बई है।

(iii) एमएससी कारमैन, पताका पनामा

प्राप्त सूचना के अनुसार, मैरिन इंजीनियर श्री हसन जहीर 12 अक्तूबर, 2005 को उस समय समुद्र में कूद गए, जबकि उपर्युक्त जलयान मुंबासा की ओर जा रहा था। पताका राष्ट्र ने तथ्य पता लगाने की जांच किए जाने की कार्रवाई की है। मानव संसाधनों की आपूर्ति का भारतीय एजेंट, एमएससी शिप मैनेजमेंट (इंडिया) प्रा.लि., मुम्बई है।

(iv) नॉर्थ चैलेंज, पताका पनामा

श्री मितेश कुमार, थर्ड ऑफिसर, उपर्युक्त जलयान से 14.10.2005 को उस समय लापता पाए गए, जबकि यह जलयान अल सल्वाडोर से आ रहा था। मानव संसाधनों का आपूर्ति का भारतीय एजेंट एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट प्रा.लि., मुम्बई है।

विवरण-II

(क) जुपिटर 6

हमें पताका राष्ट्र प्रशासन द्वारा जांच किए जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जबकि इस प्रशासन द्वारा पताका राष्ट्र से इस घटना के बारे में रिपोर्ट पेश करने का आग्रह किया गया है। इसी बीच, हमारे द्वारा, मानव संसाधनों की आपूर्ति के एजेंटों, समुद्री बचाव समन्वयन केन्द्र, केपटाउन द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विभिन्न प्रकार से पूछताछ की गई है। अब तक उपर्युक्त जलयान के कर्मीदल सहित गायब हो जाने के कारण के बारे में किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सका है।

(ख) स्पार सीटस

पताका राष्ट्र से जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। नजदीकी रिश्तेदार, अर्थात् श्रीमती प्रीति सेखड़ी और उनके पति क्लाइपेडा गए थे। वे प्रथम सचिव, भारतीय दूतावास, वॉरसाव के साथ प्राधिकारियों से मिले अर्थात् (i) वीट कारडोन के उप प्रमुख, तट रक्षक जिला, राष्ट्र सीमा रक्षक सेवा, आंतरिक मामलों का मंत्रालय, (ii) उप बंदरगाह मास्टर, पत्तन नियंत्रण और बचाव सेवा के अध्यक्ष, क्लाइपेडा, (iii) मुख्य अभियोजक, क्लाइपेडा और (iv) सीपोर्ट पुलिस विभाग, क्लाइपेडा। प्रथम सचिव, भारतीय दूतावास, वॉरसाव से प्राप्त रिपोर्ट में इन प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में ब्यौरा दिया गया है, परन्तु किसी प्रकार के दुष्टतापूर्ण व्यवहार का संदेह नहीं किया गया है।

(ग) एमएससी कारमैन

समुद्री प्रशासन के आग्रह पर मुम्बासा में अवस्थित भारतीय उच्चायोग के सहायक उच्चायुक्त, 14 अक्तूबर को मुम्बासा में स्थित एमएससी शिप मैनेजमेंट के कार्यालय में गए थे, जहां पोत के कप्तान, मुख्य इंजीनियर और कर्मीदल के अन्य सदस्यों को बुलाया गया था। तत्पश्चात वे कर्मीदल के 8 सदस्यों से 15 नवम्बर, 2005 को व्यक्तिगत रूप से मिले। तथ्य पता लगाने की रिपोर्ट में समुद्र में कूदने के कारणों के बारे में निष्कर्ष के रूप में कुछ भी उल्लेख नहीं किया जा सका। पताका राष्ट्र ने भी इस घटना की जांच की है। नजदीकी रिश्तेदारों को पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी प्रकार के दुष्टतापूर्ण कृत्य का पता लगाया जा सके।

(घ) एमटी नॉर्थ चैलेंज

सरकार के आग्रह पर, भारतीय राजदूत 20 सितम्बर, 2005 को उपर्युक्त जलयान पर गए और उन्होंने कर्मीदल के बयान लिए। यद्यपि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह उल्लेख किया है कि प्रथम दृष्ट्या किसी प्रकार का दुष्टतापूर्ण कृत्य संदिग्ध नहीं है, जहाज पर अंतिम बार उसे देखने वालों से विस्तार से पूछताछ करने पर ही सत्य का पता लगाने में सहायता मिल सकेगी। तद्नुसार, शिपिंग मास्टर, मुम्बई को यह निदेश दिया गया है कि वे इस घटना की आगे और जांच करें। नजदीकी रिश्तेदारों को पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी प्रकार के दुष्टतापूर्ण कृत्य का पता लगाया जा सके।

[हिन्दी]

एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में परिवर्तन

1035. **श्री गणेश सिंह :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री ई. जी. सुगावनम :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :

श्री गणेश प्रसाद सिंह :

श्री बघी सिंह रावत 'बघदा' .

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क पर चर्चा करने के लिए राज्य शिक्षा मंत्रियों तथा अन्य शैक्षणिक संगठनों के साथ बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उठाए गए मुद्दों पर बैठक में किसी सहमति पर पहुंचा गया;

(ग) क्या एनसीईआरटी/सीबीएसई ने केन्द्र सरकार को नए पाठ्यक्रम की एक प्रति प्रस्तुत की है जैसा कि 26 अक्तूबर, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में बताया गया है;

(घ) यदि हां, तो नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन पर समाज के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) नया पाठ्यक्रम कब तक अनुमोदित होने की आशा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों हेतु पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 के आधार पर तैयार किया है। पाठ्यचर्या को दिनांक 4.10.2005 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 को सितम्बर, 2005 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य बहुवादी समाज में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को मजबूत बनाना है। इसमें पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने तथा संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या सुधार हेतु क्रमबद्ध परिवर्तन करने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 में भाषा कौशल, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(च) विभिन्न विषयों हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 पर आधारित विभिन्न पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 25 अक्तूबर, 2005 को जारी कर दिया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल

1036. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

श्री नवजोत सिंह सिद्धू :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार की आपदाओं से होने वाली स्थितियों से निबटने के लिए अन्य आधुनिक उपकरणों वाले राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक स्थापित होने की आशा है; और

(घ) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इनके बनने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) सरकार ने आपदा की सभी स्थितियों में विशेषज्ञ कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों की आठ बटालियनों को मिला कर पहले ही राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) का गठन कर दिया है। इस बल में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) प्रत्येक की दो–दो बटालियनें हैं। इन बटालियनों को प्रशिक्षण देने और साजो–सामान से लैस करने की प्रक्रिया चल रही है।

इन आठ एनडीआरएफ बटालियनों को अर्राकोणम (चेन्नै), मुंडली (भुवनेश्वर), ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़, बारासत (कोलकाता), गुवाहाटी (असम), पुणे (महाराष्ट्र) और गांधीनगर (गुजरात) में तैनात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पाकृतिक आपदाओं पर तुरन्त कार्रवाई करने के लिए पूरे दश में एनडीआरएफ बटालियनों के 16 क्षेत्रीय कार्रवाई केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

ड्रापआउट दर

1037. श्री अधल राव पाटील शिवाजीराव :

श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. बहुल इलाकों में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार ड्रापआउट दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किए जाने की आशा है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार की विद्यालयों में कुशलता और शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक राज्य में उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो इस उद्देश्य को अर्जित करने के लिए विभिन्न राज्यों को यदि कोई भी हो, तो विशेष सहायता के राज्य–वार ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों (2000–01 से 2002–03 तक) के दौरान I–VI, I–VIII और I–X कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों और पिछले दो वर्षों (2001–02 से 2002–03 तक) के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों का अध्ययन बीच में ही छोड़ने की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार दर विवरण के रूप में संलग्न है। वर्ष 2000–01 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की अध्ययन बीच में ही छोड़ने की दर उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) इस संबंध में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने का मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य से प्रत्येक जिले के लिए अलग–अलग अध्ययन बीच में ही छोडने की दर को कम करने का अनुरोध किया है ताकि वर्ष 2007 तक इसे पूर्णतः समाप्त किया जा सके। केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य से विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तरों तथा विद्यार्थियों और विद्यालयों के निष्पादन का नियमित मूल्यांकन करने का भी अनुरोध किया है।

(छ) केन्द सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के कारगर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्ययोजना ओर बजट का समय पर अनुमोदन।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सर्व शिक्षा अभियान के लिए केन्द्रीय निधियां समय पर दिया जाना।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मासिक और तिमाही कार्यक्रम निष्पादन संकेतों, समीक्षा बैठकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों, सर्व शिक्षा अभियान राज्य सोसाइटी और छमाही संयुक्त समीक्षा मिशनों की कार्यकारी समिति की बैठकों में सहभागिता के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा और अनुवीक्षण। सर्व शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय मिशन शासी परिषद और कार्यकारी समिति के साथ सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

(iv) सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न पहलुओं पर क्षमता निर्माण कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्यों के अनुभव एक–दूसरे की जानकारी में लाने संबंधी कार्यशालाएं आयोजित करना।

विवरण

I-V, I-VIII और I-X कक्षाओं में अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की दरें

2000-2001

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V			कक्षा I-VIII			कक्षा I-X		
		बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	40.81	42.2	41.49	63.58	68.2	65.74	76.51	77.5	76.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	48.50	50.3	49.34	61.24	58.8	60.20	75.88	78.8	77.17
3.	असम	25.17	41.4	32.95	66.46	71.8	68.95	75.67	75.8	75.74
4.	बिहार	57.92	62.2	59.55	71.90	80.3	75.03	78.37	86.6	81.30
5.	गोवा	3.00	9.9	6.37	5.38	12.9	9.05	44.23	43.4	43.85
6.	गुजरात	22.61	24.3	23.38	47.10	58.0	52.08	70.30	74.6	72.22
7.	हरियाणा	23.74	19.6	21.88	13.56	22.4	17.69	31.37	42.6	36.51
8.	हिमाचल प्रदेश	30.49	23.9	27.45	13.56	20.5	16.92	34.54	37.9	36.18
9.	जम्मू और कश्मीर	34.35	31.6	33.18	28.85	22.1	25.94	55.21	53.9	54.68
10.	कर्नाटक	24.74	18.4	21.90	49.03	53.5	51.21	61.27	65.3	63.18
11.	केरल	0		0	0		0	23.82	14.2	19.15
12.	मध्य प्रदेश	26.45	27.0	26.69	43.37	57.3	49.46	64.76	77.0	69.96
13.	महाराष्ट्र	15.90	18.7	17.26	33.72	41.4	37.41	52.47	59.0	55.55
14.	मणिपुर	25.37	22.2	23.90	48.66	47.8	48.26	56.37	54.5	55.49
15.	मेघालय	57.42	56.9	57.19	77.47	77.2	77.35	83.07	85.5	84.33
16.	मिजोरम	60.46	60.5	60.50	65.16	62.6	63.97	73.42	68.5	71.13
17.	नागालैंड	56.14	63.0	59.67	44.63	40.7	42.79	65.23	65.3	65.29
18.	उड़ीसा	41.48	42.8	42.08	57.30	64.7	60.70	75.35	74.5	75.05
19.	पंजाब	21.97	18.5	20.36	40.14	37.4	38.89	40.40	38.8	39.67
20.	राजस्थान	48.70	65.03	55.31	43.58	60.9	49.94	75.07	81.0	77.07
21.	सिक्किम	60.44	58.0	59.29	58.11	47.8	53.42	85.75	84.8	85.33
22.	तमिलनाडु	53.02	31.7	42.64	16.05	32.4	23.97	57.97	58.8	58.40
23.	त्रिपुरा	50.53	50.0	50.32	67.77	67.1	66.93	78.07	79.5	78.75
24.	उत्तर प्रदेश	52.93	62.1	65.51	65.26	68.5	61.02	56.22	73.1	62.11
25.	पश्चिम बंगाल	46.21	56.9	51.46	62.32	70.1	66.01	79.13	86.1	82.58
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.04	3.6	2.27	31.75	30.9	31.35	50.56	48.2	49.44
27.	चंडीगढ़	0		0	9.19	2.3	6.03	8.67	2.0	5.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	दादरा और नगर हवेली	22.63	40.5	30.71	53.07	62.5	57.09	74.62	74.1	74.43
29.	दमन व दीव	1.47	5.9	3.63	17.50	24.8	20.87	27.97	36.5	32.04
30.	दिल्ली	37.38	37.6	37.74	49.62	52.4	51.00	67.95	70.1	69.06
31.	लक्षद्वीप	1.91	1.2	1.60	10.88	16.3	13.51	58.79	49.5	54.52
32.	पांडिचेरी	0		0	1.93	2.0	1.97	34.70	32.6	33.73
	भारत	39.71	41.9	40.67	50.33	57.9	53.67	66.41	71.5	68.58

I-V, I-VIII और I-X कक्षाओं में अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की दरें

2001-2002

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V			कक्षा I-VIII			कक्षा I-X		
		बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	42.62	43.4	43.03	62.25	65.1	63.09	68.51	71.9	70.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.46	50.1	49.77	63.09	57.4	60.62	75.13	77.2	76.04
3.	असम	46.63	51.1	48.64	67.54	71.2	69.21	75.54	75.7	75.61
4.	बिहार	60.70	63.1	61.64	73.75	76.5	74.79	81.11	85.9	82.87
5.	छत्तीसगढ़*									
6.	गोवा	3.48	8.1	5.73	-1.30	9.8	4.19	42.92	41.4	42.21
7.	गुजरात	27.21	22.1	25.05	50.02	55.9	52.52	68.02	72.9	70.22
8.	हरियाणा	30.49	30.5	30.51	8.21	17.1	12.35	29.86	42.8	35.94
9.	हिमाचल प्रदेश	15.22	18.1	13.68	20.50	23.4	21.90	30.76	23.9	31.80
10.	जम्मू और कश्मीर	32.16	25.3	29.27	32.25	27.3	30.14	50.16	47.1	48.94
11.	झारखंड*									
12.	कर्नाटक	23.86	23.8	23.87	50.80	51.2	50.99	60.19	63.2	61.65
13.	केरल	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	20.67	12.4	16.64
14.	मध्य प्रदेश	29.24	29.9	29.55	46.22	55.3	50.11	64.98	76.3	69.88
15.	महाराष्ट्र	6.08	8.7	7.37	35.36	38.9	37.03	48.92	55.9	52.28
16.	मणिपुर	27.67	26.3	27.06	38.73	36.6	37.75	54.56	53.1	53.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	57.17	56.7	56.96	77.07	76.9	76.99	82.99	83.8	83.44
18.	मिजोरम	60.59	57.8	59.31	61.17	58.5	59.89	72.08	67.1	69.73
19.	नागालैंड	38.63	44.4	41.50	55.66	50.8	53.36	65.02	64.8	64.94
20.	उड़ीसा	38.91	40.0	39.38	61.53	59.5	60.74	73.35	72.6	73.05
21.	पंजाब	21.28	19.2	20.34	35.31	38.8	36.99	38.94	38.2	38.62
22.	राजस्थान	55.48	73.5	63.20	46.83	64.6	53.56	72.58	80.4	75.36
23.	सिक्किम	61.89	61.6	61.76	67.72	58.5	63.41	88.88	87.8	88.39
24.	तमिलनाडु	30.16	24.0	27.24	43.95	35.4	40.07	55.64	59.9	57.66
25.	त्रिपुरा	50.14	50.9	50.53	68.84	69.2	69.02	76.32	77.6	76.92
26.	उत्तर प्रदेश	45.82	54.9	49.40	50.89	86.8	60.11	53.40	69.4	58.98
27.	उत्तरांचल*									
28.	पश्चिम बंगाल	39.40	40.4	39.86	67.65	74.3	78.87	77.04	80.4	78.52
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.0	0.00	26.97	26.9	26.98	55.92	53.7	54.87
30.	चंडीगढ़	15.48	9.5	12.72	3.37	-6.6	-1.22	11.13	12.9	11.99
31.	दादरा और नगर हवेली	28.04	44.2	35.41	49.39	62.6	55.41	71.64	71.5	71.59
32.	दमन और दीव	0.00	0.0	0.00	10.27	23.8	16.68	34.79	38.4	36.55
33.	दिल्ली	26.95	28.4	27.67	9.98	22.8	16.29	38.33	46.4	42.38
34.	लक्षद्वीप	11.42	23.6	17.23	22.11	24.8	23.42	57.01	50.8	54.18
35.	पांडिचेरी	0.00	0.0	0.00	2.60	3.2	2.92	26.31	24.1	25.26
	भारत	38.36	39.8	39.03	52.91	56.9	54.65	64.16	68.5	66.04

*अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की दरें उनसे संबंधित मूल राज्य के साथ संयुक्त रूप से दर्शाई गई हैं।

I-V, I-VIII और I-X कक्षाओं में अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों की दरें

2001-2002

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V			कक्षा I-VIII			कक्षा I-X		
		बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	47.28	50.26	48.75	67.48	73.85	70.47	75.37	80.21	77.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.43	41.18	26.09	0.00	0.00	0.00	56.25	54.55	55.56
3.	असम	49.15	48.71	48.95	66.52	66.90	66.69	73.09	69.55	71.50
4.	बिहार	53.92	57.39	55.16	82.89	83.85	83.21	89.27	91.92	9011
5.	छत्तीसगढ़*									
6.	गोवा	45.52	45.48	45.50	33.21	53.69	43.94	83.62	84.35	83.99
7.	गुजरात	30.87	35.87	33.21	55.67	71.37	63.29	69.05	80.78	74.72
8.	हरियाणा	32.13	32.83	32.46	34.54	48.66	41.19	58.86	71.84	64.98
9.	हिमाचल प्रदेश	24.36	26.67	25.50	35.19	37.61	36.34	46.18	50.22	48.11
10.	जम्मू और कश्मीर	39.19	34.73	37.40	49.94	47.09	48.65	72.20	70.20	71.37
11.	झारखंड*									
12.	कर्नाटक	0.69	11.21	5.89	55.39	59.90	57.54	67.81	70.16	68.91
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.46	21.62	27.20
14.	मध्य प्रदेश	24.71	23.10	24.02	44.74	56.55	49.68	67.68	79.85	72.76
15.	महाराष्ट्र	5.75	11.02	8.30	32.97	44.38	38.45	54.07	62.24	57.98
16.	मणिपुर	48.21	42.04	45.27	58.57	62.53	60.46	58.76	64.77	61.63
17.	मेघालय	85.09	87.30	86.16	75.50	74.85	75.19	74.16	82.00	78.05
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	99.94	99.95	99.94	65.57	74.09	69.37	73.09	79.18	75.80
21.	पंजाब	31.12	28.39	29.83	52.13	51.56	51.86	61.10	60.69	60.91
22.	राजस्थान	63.91	83.53	72.17	49.47	70.78	57.02	78.02	87.57	81.14
23.	सिक्किम	65.10	54.10	60.20	77.69	68.83	73.73	88.94	88.22	88.60
24.	तमिलनाडु	32.56	25.54	29.24	43.16	39.29	41.33	54.69	59.95	57.17
25.	त्रिपुरा	45.05	46.41	45.72	64.81	68.99	66.78	74.95	77.57	76.19
26.	उत्तर प्रदेश	52.76	63.70	56.88	67.87	79.99	72.41	66.73	73.56	68.96
27.	उत्तरांचल*									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	पश्चिम बंगाल	49.32	54.74	51.80	63.34	63.80	63.52	83.47	86.91	84.93
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	26.38	27.22	26.77	55.45	37.19	47.98	79.82	75.17	77.65
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	8.47	4.35	13.73	21.43	17.20	38.89	37.14	38.20
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	4.92	3.48
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	58.11	57.07	57.62	81.05	75.33	78.66
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56	27.82	25.67
	भारत	43.73	47.05	45.18	58.61	63.63	60.73	71.14	74.91	72.71

*अध्ययने बीच में ही छोडने वाले बच्चों की दरें उनसे संबंधित मूल राज्य के साथ संयुक्त रूप से दर्शाई गई हैं।

I-V, I-VIII और I-X कक्षाओं में अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों की दरें

2001-2002

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V			कक्षा I-VIII			कक्षा I-X		
		बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	66.02	71.80	68.66	80.82	86.62	83.28	85.78	90.63	87.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	55.86	56.21	56.02	68.09	65.48	66.92	77.47	80.04	78.98
3.	असम	63.18	57.16	60.65	70.39	75.44	72.84	78.38	76.40	77.53
4.	बिहार	65.44	69.70	67.23	81.76	84.79	82.99	89.52	91.28	90.22
5.	छत्तीसगढ़*									
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.71	95.00	90.24
7.	गुजरात	36.70	36.92	36.80	72.53	77.99	75.03	81.01	83.82	82.29
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	26.51	29.85	28.17	27.71	37.43	32.38	53.94	55.41	54.64
10.	जम्मू और कश्मीर	34.94	36.91	35.72	78.91	79.23	79.05	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	झारखंड*									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	कर्नाटक	13.74	11.97	12.92	56.87	56.95	56.90	69.98	69.94	69.96
13.	केरल	13.32	12.10	12.74	20.87	26.51	23.57	61.67	52.27	57.20
14.	मध्य प्रदेश	36.62	41.10	38.59	60.28	66.29	62.73	77.83	84.03	80.25
15.	महाराष्ट्र	32.08	37.07	34.43	60.17	67.46	63.63	70.99	77.41	73.93
16.	मणिपुर	40.22	45.50	42.64	72.08	71.38	71.76	74.07	73.26	73.70
17.	मेघालय	64.05	62.10	63.08	81.49	80.45	80.97	84.81	84.82	84.81
18.	मिजोरम	59.93	57.41	58.76	61.25	58.64	60.01	72.58	67.62	70.23
19.	नागालैंड	38.94	38.46	38.72	48.70	50.83	49.72	68.55	69.02	68.77
20.	उड़ीसा	57.50	62.30	59.38	50.64	65.64	56.66	82.53	84.94	83.50
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	63.52	81.09	70.28	52.89	72.90	59.57	78.78	87.87	81.58
23.	सिक्किम	54.95	47.66	51.48	71.71	63.86	68.03	88.68	86.57	87.75
24.	तमिलनाडु	56.34	45.93	51.48	57.10	30.66	45.28	74.22	76.66	75.29
25.	त्रिपुरा	62.68	66.68	64.59	79.53	80.96	80.18	85.65	87.85	86.65
26.	उत्तर प्रदेश	29.63	27.74	28.83	38.99	36.79	38.08	32.50	59.13	43.22
27.	उत्तरांचल*									
28.	पश्चिम बंगाल	53.63	57.71	54.95	82.59	81.38	82.25	86.31	88.30	87.07
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.98	13.41	13.18	36.21	19.94	28.67	73.51	56.15	65.92
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	33.00	52.26	41.63	57.23	71.63	63.65	78.40	80.23	79.14
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	30.99	51.38	39.84	69.35	69.57	69.45
33.	दिल्ली	64.01	82.26	72.83	79.30	85.27	82.36	36.67	17.65	29.79
34.	लक्षद्वीप	5.36	9.25	7.12	22.29	26.39	24.27	56.02	49.35	52.92
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	भारत	51.04	54.07	52.34	67.28	72.69	69.52	79.95	82.89	81.17

*अध्ययन बीच मे ही छोडने वाले बच्चों की दरें उनसे संबंधित मूल राज्य के साथ संयुक्त रूप से दर्शाई गई हैं।

I-V, I-VIII और I-X कक्षाओं में अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की दरें

2002-2003

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V			कक्षा I-VIII			कक्षा I-X		
		बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	41.66	41.76	41.71	58.10	62.00	59.64	67.36	70.78	68.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.42	37.37	37.94	59.50	56.13	58.01	70.17	73.59	71.66
3.	असम	62.51	59.63	61.17	67.07	70.85	68.76	74.28	75.65	74.91
4.	बिहार	62.74	61.66	62.31	77.91	80.78	79.01	82.27	85.83	83.60
5.	छत्तीसगढ़*									
6.	गोवा	0.08	4.45	2.69	2.28	9.01	5.54	40.18	39.14	39.68
7.	गुजरात	26.02	23.14	24.77	43.09	48.76	45.48	59.21	67.13	62.82
8.	हरियाणा	3.45	10.74	6.89	5.70	14.82	9.90	22.31	37.05	29.14
9.	हिमाचल प्रदेश	10.82	14.08	12.42	7.90	11.32	9.56	28.75	71.23	29.95
10.	जम्मू और कश्मीर	33.06	11.50	24.82	27.53	25.57	26.71	50.29	52.08	51.07
11.	झारखंड*									
12.	कर्नाटक	19.77	17.59	18.74	47.46	49.61	48.46	60.67	63.72	62.14
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78	8.88	12.90
14.	मध्य प्रदेश	32.66	29.87	31.43	43.29	51.78	46.94	58.36	70.78	63.79
15.	महाराष्ट्र	14.40	16.80	15.55	29.51	35.98	32.59	49.98	55.42	52.05
16.	मणिपुर	25.92	25.24	25.60	35.43	30.08	32.93	61.92	59.01	60.54
17.	मेघालय	58.19	54.81	56.51	73.13	70.21	71.67	81.40	80.45	80.93
18.	मिजोरम	56.25	56.52	56.38	60.05	56.39	58.31	77.11	74.11	75.68
19.	नागालैंड	49.16	54.49	51.80	53.79	52.93	53.38	77.08	77.90	77.47
20.	उड़ीसा	50.40	40.05	46.13	63.97	58.39	61.73	71.04	72.56	71.74
21.	पंजाब	26.37	24.07	25.29	33.71	31.67	32.75	48.81	47.10	48.01
22.	राजस्थान	54.81	59.86	56.93	62.74	72.44	66.60	72.66	81.16	75.77
23.	सिक्किम	54.74	49.29	52.06	72.68	66.32	69.66	76.85	73.07	75.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	तमिलनाडु	14.56	16.22	15.37	46.06	39.00	42.85	47.31	46.26	46.80
25.	त्रिपुरा	43.28	42.62	42.97	65.17	65.22	65.19	74.24	74.29	74.27
26.	उत्तर प्रदेश	24.19	22.75	23.55	47.53	42.46	45.57	43.05	51.47	46.31
27.	उत्तरांचल*									
28.	पश्चिम बंगाल	37.39	35.32	36.41	67.26	69.30	68.23	77.08	80.61	78.74
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.73	4.00	2.31	17.64	19.26	18.42	51.44	51.24	51.35
30.	चंडीगढ़	32.32	28.05	30.44	0.00	0.00	0.00	23.28	20.29	21.90
31.	दादरा और नगर हवेली	16.99	33.96	24.82	39.87	58.14	48.00	72.69	71.86	72.34
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	9.57	20.44	14.83	43.81	46.93	45.24
33.	दिल्ली	6.72	17.64	12.13	19.46	27.75	23 57	44.88	49.59	47.19
34.	लक्षद्वीप	0.00	6.06	3.03	0.00	8.36	4.48	25.51	22.63	24.13
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	20.32	21.69
	भारत	35.85	33.72	34.89	52.28	53.45	52.79	60.72	64.97	62.58

*अध्ययन बीच में ही छोडने वाले बच्चों की दरें उनसे संबंधित मूल राज्य के साथ संयुक्त रूप से दर्शाई गई हैं।

I-V, I-VIII और I-X कक्षाओं में अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों की दरें

2002-2003

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V			कक्षा I-VIII			कक्षा I-X		
		बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	45.67	47.63	46.63	64.07	70.07	66.90	74.00	78.93	76.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	49.80	47.73	48.80	65.98	66.38	66.16	72.71	68.94	71.02
4.	बिहार	56.61	62.64	58.81	82.88	83.88	83.23	88.59	90.97	89.36
5.	छत्तीसगढ़*									
6.	गोवा	37.13	32.81	35.13	53.47	62.63	57.95	78.57	78.98	78.77
7.	गुजरात	28.83	23.71	26.44	39.95	59.11	48.93	70.29	81.21	75.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हरियाणा	25.47	25.16	25.32	35.36	48.65	41.58	59.55	66.57	62.77
9.	हिमाचल प्रदेश	18.05	22.01	20.02	27.38	31.50	29.34	44.64	46.92	45.73
10.	जम्मू और कश्मीर	35.44	11.15	25.72	41.01	36.05	38.77	72.53	68.58	70.89
11.	झारखंड*									
12.	कर्नाटक	15.64	20.81	18.14	56.38	58.77	57.50	65.49	68.19	66.74
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.89	18.19	23.67
14.	मध्य प्रदेश	35.39	34.52	35.00	45.76	60.25	51.89	70.22	82.66	75.44
15.	महाराष्ट्र	6.81	10.68	8.68	36.85	43.08	39.82	54.68	63.05	58.71
16.	मणिपुर	46.03	34.58	40.51	42.68	51.12	46.74	54.62	62.88	58.67
17.	मेघालय	70.15	70.51	70.33	74.97	74.39	74.69	73.91	80.77	77.31
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	37.87	34.68	36.48	66.55	72.34	69.13	66.23	79.48	72.14
21.	पंजाब	32.84	30.60	31.78	54.49	53.19	53.87	62.91	63.88	63.35
22.	राजस्थान	51.20	57.52	53.82	54.79	67.77	59.67	76.95	86.07	79.95
23.	सिक्किम	60.05	46.12	53.85	78.66	68.89	74.28	88.14	86.34	87.31
24.	तमिलनाडु	40.00	25.51	33.53	44.01	40.44	42.32	56.66	57.44	57.03
25.	त्रिपुरा	36.70	36.02	36.37	62.44	68.01	65.11	74.44	77.06	75.68
26.	उत्तर प्रदेश	47.88	58.23	51.02	64.34	76.14	68.77	62.13	76.18	67.40
27.	उत्तरांचल*									
28.	पश्चिम बंगाल	50.31	54.74	52.32	63.48	63.65	63.54	83.47	86.91	84.93
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ	14.31	14.35	14.33	55.36	37.06	47.88	80.74	75.92	78.52
31.	दादरा और नगर हवेली	33.33	33.90	33.60	42.59	36.17	39.60	27.78	34.09	3061
32.	दमन और दीव	2.99	-3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	दिल्ली	16.33	15.34	15.85	50.76	44.62	47.93	80.23	73.58	77.45
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.46	26.25	25.84
	भारत	41.13	41.91	41.47	58.24	62.19	59.91	69.74	74.93	71.92

*अध्ययन बीच में ही छोडने वाले बच्चों की दरें उनसे संबंधित मूल राज्य के साथ संयुक्त रूप से दर्शाई गई हैं।

I-V, I-VIII और I-X कक्षाओं में अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों की दरें

2002-2003

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V			कक्षा I-VIII			कक्षा I-X		
		बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	63.29	68.71	65.82	78.59	84.34	81.09	84.70	89.32	86.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.92	44.99	44.41	67.12	64.28	65.85	72.47	75.06	73.62
3.	असम	59.49	52.88	56.72	68.49	73.42	70.60	76.52	74.19	75.52
4.	बिहार	66.60	65.39	66.13	82.43	85.57	83.73	89.01	91.24	89.89
5.	छत्तीसगढ़*									
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	36.13	43.10	39.32	58.26	67.04	62.30	78.45	82.33	80.22
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	16.32	21.70	18.95	26.79	37.43	31.90	32.36	50.54	41.10
10.	जम्मू और कश्मीर	43.48	39.16	41.76	73.79	79.29	76.14	79.59	80.62	79.95
11.	झारखंड*									
12.	कर्नाटक	1.79	10.77	6.13	52.73	56.65	54.53	63.87	64.96	64.36
13.	केरल	2.20	5.96	4.01	33.63	40.03	36.73	58.16	49.71	54.11
14.	मध्य प्रदेश	51.90	50.51	51.30	65.56	70.16	67.47	78.56	87.42	82.15
15.	महाराष्ट्र	28.79	40.23	34.21	61.03	66.43	63.54	71.90	82.12	76.66
16.	मणिपुर	37.57	52.74	45.23	62.70	61.56	62.18	78.54	78.54	78.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	61.42	59.29	60.36	81.11	80.30	80.71	87.05	86.74	86.90
18.	मिजोरम	55.90	54.90	55.43	59.89	56.34	58.20	76.89	73.37	75.23
19.	नागालैंड	37.38	37.01	37.21	42.81	44.19	43.47	67.72	67.91	67.81
20.	उड़ीसा	58.03	53.50	56.28	77.45	79.12	78.12	84.38	85.84	84.97
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	50.61	59.87	54.31	52.58	73.17	60.27	78.44	87.24	81.17
23.	सिक्किम	48.52	38.69	43.84	73.20	64.03	68.89	87.21	85.32	86.34
24.	तमिलनाडु	27.27	21.02	24.41	56.98	54.36	55.80	74.43	77.48	75.79
25.	त्रिपुरा	58.08	61.31	59.60	78.45	80.33	79.31	85.31	87.22	86.17
26.	उत्तर प्रदेश	31.19	30.02	30.69	36.97	36.45	36.75	47.38	69.01	56.36
27.	उत्तरांचल*									
28.	पश्चिम बंगाल	53.70	59.26	55.54	60.73	42.42	55.81	61.76	75.86	67.16
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19.34	15.34	17.56	35.55	26.59	31.42	62.92	54.72	59.40
30.	चडीगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	23.21	41.31	31.52	47.96	67.99	56.86	78.55	81.69	79.86
32.	दमन और दीव	6.13	1.41	4.01	28.83	48.94	38.94	64.83	72.43	67.57
33.	दिल्ली	68.75	71.43	70.04	72.30	72.55	72.42	76.67	74.51	75.89
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92	20.34	25.47
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	भारत	50.82	52.10	51.37	66.86	71.17	68.67	78.35	82.97	80.29

*अध्ययन बीच में ही छोडने वाले बच्चों की दरें उनसे संबंधित मूल राज्य के साथ संयुक्त रूप से दर्शाई गई हैं।

[हिन्दी]

सरकारी हॉस्टलों को लाइसेंस

1038. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :
श्री रशीद मसूद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग में दिल्ली में कितने सरकारी छात्रावास पंजीकृत हैं;

(ख) दिल्ली में लाइसेंस सहित कितने छात्रावास चल रहे हैं;

(ग) क्या देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रावास का पंजीकरण आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अपंजीकृत छात्रावासों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) दिल्ली में विशेषकर शकरपुर में स्थित अपंजीकृत छात्रावासों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(च) क्या उक्त अपंजीकृत छात्रावास सील कर दिए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) कोई भी सरकारी हॉस्टल दिल्ली पुलिस के पास पंजीकृत नहीं है। तीन निजी हॉस्टल पंजीकृत हैं। बिना लाइसेंस के चल रहे सरकारी (कालेज, विश्वविद्यालय, स्कूल, संस्थानों इत्यादि सहित) और निजी हॉस्टलों की संख्या क्रमशः 74 और 59 है।

(ग) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 28 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा, अपनी अधिसूचना सं. एन. 4453 विशेष प्रकोष्ठ दिनांक 19 दिसम्बर, 1980 के तहत बनाए गए विनियमनों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति श्रेणी "क" और "ख" के लोक मनोरंज स्थल, जिसमें रिहाइशी हॉस्टल भी शामिल हैं, पुलिस आयुक्त का उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से पहले लाइसेंस प्राप्त किए बिना, को न तो खोलेगा और न ही रखेगा।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस ने चालू वर्ष के दौरान अभी तक दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 28/112 के अंतर्गत शकरपुर क्षेत्र में स्थित पंजीकृत न किए गए 14 हास्टेलों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है।

(च) और (छ) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा किसी भी हॉस्टल को सील नहीं किया गया है।

रोजगार नीति निर्माण

1039. श्री अजीत जोगी : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार नीति बनाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीबों की आजीविका संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पहले से ही दिनांक 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। स्वर्ण जयंती शहरी योजना का उद्देश्य लघु उद्यमों की स्थापना के जरिए बेरोजगार या अल्परोजगारयुक्त शहरी गरीबों को लाभकर स्वरोजगार मुहैया कराना तथा जरूरतमंद शहरी गरीबों के श्रम का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग कर उन्हें मजदूरी मुहैया कराना भी है। इस योजना के तहत शहरी गरीबों को स्वरोजगार या वेतन आधारित रोजगार में बेहतर रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए क्षमता प्रशिक्षण/उन्नयन भी मुहैया कराया जाता है।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि जारी करना

1040. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि से 5.71 करोड़ रु. की राशि जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब तक जारी होने की आशा है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने वर्तमान एक-तिहाई वार्षिक जमा राशि को आरक्षित निधि के तहत बढ़ाकर 40.39 करोड़ रु. करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो आरक्षित निधि के तहत वार्षिक जमा राशि को कब तक बढ़ाकर 40.39 करोड़ रुपये किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 22 नवंबर, 2005 को 14.85 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है जिसमें यह 5.71 करोड़ रु. भी शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) चालू जमा राशि के एक-तिहाई तक अग्रिम राशि में वृद्धि के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

वासगृह का लाइसेंस

1041. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने वासगृहों को चंडीगढ़ में वासगृहों को लाइसेंस और ट्रांजिट स्थान योजना 1975 तथा वासगृहों को

लाइसेंस तथा स्थान और सेवा योजना 1975 के तहत क्रमशः कितने व्यक्तियों को वासगृह प्रदान किए गए;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा किस प्रकार का अधिकार मिलेगा;

(ग) क्या लाइसेंसधारक पुनः किराया खरीद आधार पर निम्न लागत वासगृह के अनुदान के लिए योग्य हैं;

(घ) यदि हां, तो पुनः किराया खरीद आधार पर कितने व्यक्तियों को वासगृह आवंटित किए गए;

(ङ) क्या ऐसे आवंटियों ने प्रीमियम की पूरी राशि का भुगतान किया है;

(च) यदि हां, तो क्या वासगृह उन्हें 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिए गए थे;

(छ) क्या परिवर्तन योजना के अनुसार लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदल दिया गया था; और

(ज) यदि नही, तो उसके क्या कारण थे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) वासगृहों और ट्रांजिट स्थान (खाली स्थान) लाइसेंसिंग योजना, 1975 के तहत 2965 व्यक्तियों को वासगृह और 2382 व्यक्तियों को ट्रांजिट स्थान प्रदान किए गए थे। इसी प्रकार वासगृह तथा स्थान और सेवा लाइसेंसिंग योजना, 1979 के तहत 1499 व्यक्तियों को वास गृह, 2092 व्यक्तियों को खाली स्थान तथा 3000 व्यक्तियों को प्लिंथ स्थान प्रदान किए गए थे। इस प्रकार दोनों योजनाओं के तहत कुल 11938 व्यक्तियों को स्थान आवंटित किए गए थे।

(ख) जबकि, वास गृह और ट्रांजिट स्थान किराये के आधार पर आवंटित किए गए हैं और खाली स्थान, पट्टे और किराया खरीद के आधार पर आवंटित किए गए हैं, प्लिंथ स्थान, लाइसेंस के आधार पर आवंटित किए गए हैं।

(ग) सभी 4464 लाइसेंसधारी (2965 + 1499) शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन किराया खरीद में परिवर्तन के पात्र थे।

(घ) 4464 लाइसेंसधारियों में 1862 व्यक्तियों को आवंटित वासगृहों को किराया खरीद आधार पर परिवर्तित कर दिया गया था।

(ङ) जी, हां। उपरिलिखित 1862 लाइसेंसधारियों ने प्रीमियम की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है।

(च) जी, हां।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उन्होंने फ्री–होल्ड के आधार पर परिवर्तन के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है।

आईटीबीपी द्वारा एयरविंग की स्थापना

1042. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई टी बी पी का विचार एक एयरविंग की स्थापना करने का है ताकि वह सामने आ रही चुनौतियों का सामना कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विंग की स्थापना पर आने वाले अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) आई टी बी पी की एयरविंग कब तक चालू हो जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित अपनी यूनिटों को परिचालनात्मक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आई टी बी पी ने नौ हेलीकाप्टर प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है। वायु सहायता में, सीमा चौकियों पर रखरखाव, हवाई जहाज से टोह लेना, दौरा और पर्यवेक्षण अधिकारियों के दौरे और निरीक्षण, हताहतों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना तथा नियमित कोरियर सेवाएं चलाना शामिल है।

(ग) से (ङ) उनके द्वारा बताई गई संवर्द्धित परिचालनात्मक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए तथा मौजूदा बेड़े और अधिग्रहण की लागत की तुलना में हवाई जहाजों की आवश्यक न्यूनतम संख्या का आकलन करने के पश्चात सभी केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (आई टी बी पी सहित) को समर्पित हवाई सहायता प्रदान करने की आवश्यकता का मूल्यांकन और आकलन करने हेतु मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत अस्वच्छ भोजन

1043. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और देश के अन्य भागों में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत स्कूली बच्चों को अस्वच्छ भोजन परोसा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकयतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत स्कूली बच्चों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजाधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब और त्रिपुरा सरकारों से अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों को अस्वच्छ भोजन परोसने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) स्वच्छता और सुरक्षा–प्रक्रिया पर राज्यों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

लघु उद्योगों को वित्तीय रियायत पर पैकेज

1044. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए वित्तीय रियायतों के एक पैकेज की मंजूरी दी है ताकि वे मूल्य को प्रतिस्पर्धात्मक बना सकें तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन राजसहायता को वर्तमान 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करने के एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इससे लघु उद्योगों को कितना बढ़ावा मिलेगा; और

(ङ) यह पैकेज और राजसहायता कब तक दी जायेगी?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि सबको विदित है, उत्पाद शुल्क दो प्रकार के हैं। 30 अगस्त, 2000 को सरकार द्वारा घोषित लघु उद्योगों और अति लघु क्षेत्र के लिए व्यापक नीतिगत पैकेज में सामान्य लघु उद्योग उत्पाद शुल्क योजना के तहत केंद्रीय बजट 2005–06 में की गई घोषणा के अनुसार, सामान्य लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना के तहत लाभ की प्राप्ति के लिए पात्रता सीमा को भी 3 करोड़ रुपये के टर्नओवर से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण और मदद लेने के लिए 29 सितंबर 2005 से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) के तहत ऋण सीमा को 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और कैपिटल सब्सिडी को 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वभौमिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक नई योजना

1045. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वभौमिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक नई योजना अपनाने का निर्णय किया है जिसका वित्तपोषण टॉल तथा पेट्रोल और डीजल आदि पर लगे उपकर से किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत परिकल्पित सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। अवसंरचना संबंधी समिति ने समर्पित सुरक्षा कोष की स्थापना के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित उपकर राजस्व का एक प्रतिशत जमा अभिनिर्धारित किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रस्तावित सुरक्षा कोष के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। अतः इस स्कीम के ब्यौरे और इसके कार्यान्वयन के लिए किए गए उपाय के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

मध्य-पूर्व देशों के साथ व्यापार

1046. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत का मध्य–पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हुए आयात/निर्यात का ब्यौरा क्या है और इससे देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) सरकार द्वारा भारत और मध्य-पूर्वी देशों के बीच व्यापार संबंधों को और अधिक बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य-पूर्व देशों के साथ भारत के निर्यात और आयात का मूल्य नीचे दर्शाया गया है :

मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
बहरीन	99.54	121.13	111.63	74.52	141.58	112.47
इराक	214.88	0.03	75.17	0.14	128.49	1.10
इजराइल	634.54	602.68	728.98	669.76	989.95	972.52
जोर्डन	101.81	224.45	150.99	230.27	119.78	330.09
कुवैत	250.56	179.50	139.09	142.48	404.10	293.51
लेबनान	50.89	13.04	59.05	7.68	65.89	20.11
ओमान	198.61	13.84	258.99	50.88	256.65	19.94
कतर	96.70	113.07	128.44	187.05	137.20	638.91
सऊदी अरब	940.74	504.72	1128.31	737.77	1369.76	1260.88
सीरिया	121.23	8.84	201.46	4.65	247.62	3.64
संयुक्त अरब अमीरात	3327.48	956.99	5125.61	2059.85	7098.14	4581.96
योग	6036.38	2738.29	8277.72	4165.05	10959.16	8235.13

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस

(ग) व्यापार संबंधों को आगे और बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय द्विपक्षीय दौरे करने, संयुक्त आयोगों की बैठकें करने, संयुक्त दल का गठन करने तथा आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग को सुकर बनाने के उद्देश्य से वार्ताएं करने जैसे उपाय किए गए हैं।

औद्योगिकी इकाइयों का बंद होना

1047. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परंपरागत औद्योगिक इकाइयां बंद हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न उद्योगों के विकास तथा विस्तार हेतु किसी प्रोत्साहन योजना की घोषणा करने का है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) श्रम तथा रोजगार मत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो, शिमला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के

अन्तर्गत आने वाली औद्योगिक इकाइयों के बन्द होने संबंधी सूचना एकत्र करता है। श्रम ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना (अनंतिम) के अनुसार 2004 के दौरान 194 इकाइयां तथा जनवरी–सितम्बर 2005 की अवधि के दौरान 60 इकाइयां बन्द कर दी गईं थीं। राज्य–वार ब्यौरे विवरण में दिए गये हैं।

(ग) से (ङ) नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराने के अलावा जो कि उद्योग की वृद्धि एवं विकास में सुविधा प्रदान करती है तथा इसका पोषण करती है, रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के लिए तथा स्वस्थ एककों के साथ रुग्ण एककों के समामेलन के लिए बैंकों को दिशानिर्देश जारी करना शामिल हैं। जहां तक संभव है पुनर्वास योजनाएं बीआईएफआर के पास पंजीकृत इकाइयों के पुनरुज्जीवन हेतु स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पूंजी की पुनर्संरचना, प्रवर्तकों द्वारा नयी निधियों का समावेश, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय देय राशियों का पुनः सूचीकरण करके वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा सरकार द्वारा राहत व रियायतें तथा प्रबंधन में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

विवरण

राज्यवार औद्योगिक इकाइयों का बन्द होना

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	200 (पी)	2005 (पी)
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	1	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
4.	असम	–	
5.	बिहार	1	–
6.	चण्डीगढ़	–	–
7.	छत्तीसगढ़	–	
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–
9.	दमन और दीव	–	–
10.	दिल्ली	–	–
11.	गोवा	1	1
12.	गुजरात	32	4
13.	हरियाणा	4	2
14.	हिमाचल प्रदेश	1	
15.	जम्मू व कश्मीर	1	–
16.	झारखण्ड	3	–
17.	कर्नाटक	9	5
18.	केरल	8	1
19.	मध्य प्रदेश	–	–
20.	महाराष्ट्र	–	..
21.	मणिपुर	–	..
22.	मेघालय	–	
23.	नागालैण्ड	–	
24.	उड़ीसा	2	
25.	पांडिचेरी	–	
26.	पंजाब	–	1
27.	राजस्थान	1	
28.	तमिलनाडु	–	
29.	त्रिपुरा	101	37
30.	उत्तर प्रदेश	27	9
31.	उत्तरांचल	–	–
32.	पश्चिम बंगाल	2	–
	योग	194	60

(पी) = अनंतिम – = शून्य .. = उपलब्ध

[हिन्दी]

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

1048. श्री रामदास आठवले : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुल शिक्षक तथा गैर–शिक्षक पदों की संख्या कितनी है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या किती है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचति जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पदों को भर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ पद अब भी खाली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो शेष पदों को भरने के लिए सरकार तथा जे एन यू द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या सहित शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

	कुल पद	अनुसूचति जाति के पद पर कार्यरत	अनुसूचित जनजाति के पद पर कार्यरत
शैक्षिक			
प्रोफेसर	182	3	3
एशोसिएट प्रोफेसर	131	2	शून्य
सहायक प्रोफेसर	94	8	2
शिक्षणेतर	1343	408	35

(ख) और (ग) यद्यपि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित रिक्त पद भरे जा रहे हैं, तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त ऐसे उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित है :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
शिक्षण	8	2
शिक्षणेतर	18	4

(घ) और (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित शिक्षणेतर पदों की बैकलॉग रिक्तियां भरने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय ने एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है। विश्वविद्यालय ने विभिन्न शैक्षिक पदों के लिए विज्ञापन भी दिया है।

[अनुवाद]

यूजीसी द्वारा नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करना

1049. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूजीसी का विचार नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में चलाए जा रहे पाठ्यक्रम अमरीका तथा ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के समकक्ष हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारत में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को अन्य देशों के पाठ्यक्रमों के समकक्ष बनाने की संभावना कब तक है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पाठ्यक्रम आरंभ नहीं करना है। विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों द्वारा पाठ्यक्रम आरंभ किये जाते हैं जिनका वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है।

(ग) डिग्री तथा अन्य प्रमाणपत्रों की समकक्षता अलग–अलग विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली अर्हताओं को अन्य देशों में तदनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता दी जाती है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन

1050. श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूनामी आपदा के बाद अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशानिर्देशों में कब तक सुधार कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। मेडिकल तथा इंजीनियरी परीक्षाओं में अंडमान और निकोबार के छात्रों हेतु मौजूदा दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, सूनामी द्वारा हुई तबाही के कारण, देश के इंजीनियरी कॉलेजों में चालू शैक्षिक सत्र अर्थात 2005-2006 हेतु अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा की बाध्यता से छूट दे दी गई थी। मेडिकल शाखा, में शैक्षिक सत्र 2005-2006 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूनामी प्रभावित परिवारों हेतु केन्द्रीय पूल कोटा के अंतर्गत कुछ सीटें आवंटित की हैं।

भूकम्प के कारण अर्धसैनिक बलों को हुई हानि

1051. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में हाल ही में आए भूकम्प से अर्धसैनिक बलों को काफी नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूकंप के कारण नियंत्रण रेखा के भारतीय भाग में कुल कितनी चौकियां नष्ट हुई हैं;

(घ) क्या नियंत्रण रेखा पर महत्वपूर्ण चौकियों के नष्ट होने के कारण आतंकवादियों की घुसपैठ में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 8 अक्तूबर, 2005 को आए भूकम्प के कारण सीमा सुरक्षाबल के 9 कार्मिकों की जानें गईं। ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

संवर्ग	संख्या
हैड कांस्टेबल	02
लांस नायक	01
कांस्टेबल	05
रसोइया	01
कुल	09

अन्य किसी केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल (सीपीएमएफ) से किसी व्यक्ति की जान जाने की कोई सूचना नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में 8 अक्तूबर, 2005 को आए भूकम्प के कारण नियंत्रण रेखा पर सी पी एम एफ की कुछ चौकियों के नष्ट होने की रिपोर्टें हैं।

केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों ने अपनी तैनाती के क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर में भूकम्प आने के बाद विद्रोहियों की घुसपैठ में वृद्धि की कोई सूचना नहीं दी है।

नवीन परियोजनाएं

1052. श्रीमती जयावहन जी ठक्कर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु तथा महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को नवीन परियोजनाओं तथा उन क्रियाकलापों के लिए सहायता दी जा रही है जिन्हें महिला एवं शिशु विकास विभाग की वर्तमान योजनाओं के दायरे में शामिल नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 2004-05 के दौरान कौन-कौन सी नवीन परियोजनाएं तथा क्रियाकलाप किए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 2004-05 के दौरान स्वीकृत की गयी परियोजनाओं की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	कार्यकलाप
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	प्रज्वला, हैदराबाद, आ.प्र.	अनैतिक व्यापार निवारण
	दिल्ली	
2.	गांधी पीस फांउडेशन, दिल्ली	केरल, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी में सूनामी प्रभावित बच्चों के लिए बाल देखभाल और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना
3.	कोर, दिल्ली	अनैतिक व्यापार निवारण
4.	स्टॉप, दिल्ली	अनैतिक व्यापार निवारण
	कर्नाटक	
5.	विमोचन, बेंगलौर	महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए पड़ोस समूहों को एकजुट करना
	तमिलनाडु	
6.	इंटेग्रेटिड रूरल कम्युनिटी डवलपमेंट सोसायटी, तिरुवल्लूर, तमिलनाडु	मातम्माओं का पुनर्वास
	पश्चिम बंगाल	
7.	संलाप, कोलकाता	अनैतिक व्यापार निवारण
	महाराष्ट्र	
8.	प्रयास, मुम्बई	अनैतिक व्यापार निवारण
9.	रेसक्यू फाउंडेशन, मुम्बई	अनैतिक व्यापार निवारण
10.	लोक दीप मानस विकास सस्था, परभनी	अनैतिक व्यापार निवारण
11.	स्नेह बहुद्देशीय संस्था, नागपुर	अनैतिक व्यापार निवारण
12.	खुजबाई शकर देवरे सेवा संस्था, नासिक	अनैतिक व्यापार निवारण

जनजातियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति

1053. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनातियों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीति बनाते समय जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में लगे गैर–सरकारी संगठनो तथा अन्य संगठनों के सुझावों तथा विचारों पर ध्यान दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस नीति के माध्यम से जनजातियों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) यद्यपि जनजातियों के लिए कोई भी औपचारिक राष्ट्रीय नीति मौजूद नहीं है, फिर भी उनके संरक्षण और विकास के लिए संविधान में कई प्रावधान हैं; इसके लिए पांच मार्गदर्शी सिद्धांत भी हैं, जो नेहरू के पंचशील सिद्धांत के रूप में लोकप्रिय हैं। जनजातियों के विकास के लिए इसका अनुपालन किया जाता है। ये पांच सिद्धांत हैं :

1. जनजातियों को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकसित होने देना चाहिए;

2. जनजातियों के भूमि और वन अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।

3. प्रशासन और विकास कार्यों के लिए जनजातीय दलों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा बाहरी लोग न हों।

4. जनजातियों का विकास, जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में दखल दिए बिना किया जाना चाहिए।

5. जनजातीय विकास सूचकांक उनके जीवन की गुणवत्ता होनी चाहिए, व्यय किया गया धन नहीं।

(ग) से (ङ) इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय एक समग्र राष्ट्रीय जनजातीय निति तैयार कर रहा हे, जिसमें सभी विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों और जनजातीय कल्याण से जुड़े हितधारियों के सुझाव एवं विचार शामिल किए जा रहे हैं। यह नीति अभी प्रारूप स्तर पर है, जिसे स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

एआईसीटीई द्वारा स्थापित संस्थान

1054. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त नए सरकारी निजी तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों ने देशभर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या कंप्यूटर विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स संचार इंजीनियरिंग जैसे विशिष्ट विषयों तथा अन्य विषयों के लिए वरिष्ठ फैकल्टी की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी से निपटने के लिए ए.आई.सी. टी.ई. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए अनुमोदित किए गए नए तकनीकी संस्थानों की राज्यवार संख्या और दाखिला क्षमता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उल्लिखित विषयों के वरिष्ठ संकाय की कुछ कमी है। विशेषज्ञ, प्रतिभावान और सक्षम व्यावसायिकों को संकाय के रूप में आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अन्य अनुसंधान और सांस्थानिक विकास स्कीमों के साथ-साथ विभिन्न संकाय विकास स्कीम है। इमेरिट्स फैलोशिप स्कीम के तहत अधिवार्षिता प्राप्त अनुभवी और विशेषज्ञ संकाय का उपयोग किया जाता है। विजिटिंग प्रोफेसर स्कीम का उद्देश्य मेजबान संस्थानों में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अगले दो वर्षों के लिए प्रोफेसरों की नियुक्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करके छूट प्रदान की है। वर्ष 2006-07 के लिए प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और लेक्चरर का कैडर अनुपात 1 : 2 : 4 से बढ़कर 1 : 2 : 6 हो गया है।

विवरण

विभिन्न विषयों में वर्ष 2005-06 के लिए नई संस्थाओं की संख्या

(10.11.2005 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	एमबीए		एमसीए		पीएचएआरएम		इंजी. तथा तक.		एचएमसीटी		बीएफए		एआरसीएच	
	एनओ आई	आई एनटी	एनओ आई	आई एनटी	एनओ आई	आई एनटी	एनओ आई	आई एनटी	एनओ आई	आई एनटी	एनओ आई	आई एनटी	एनओ आई	आई एनटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
केन्द्रीय														
छत्तीसगढ़	01	60	00	00	00	00	01	240	00	00	00	00	00	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
गुजरात	01	60	00	00	10	600	01	240	00	00	00	00	00	00
मध्यप्रदेश	01	60	00	00	02	120	05	1140	02	120	00	00	00	00
पूर्वी														
झारखण्ड	01	60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
उड़ीसा	00	00	00	00	01	60	02	480	00	00	00	00	00	00
त्रिपुरा	01	60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
पश्चिम बंगाल	00	00	01	60	03	180	03	325	02	120	00	00	00	00
उत्तरी														
उत्तर प्रदेश	02	10	00	00	23	1380	14	3160	00	00	00	00	00	00
उत्तरांचल	02	120	00	00	01	60	02	480	01	60	00	00	01	40
उत्तर-पश्चिम														
चंडीगढ़	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
दिल्ली	00	00	00	00	01	60	01	240	00	00	00	00	00	00
हिमाचल प्रदेश	01	60	00	00	01	40	00	00	00	00	00	00	00	00
हरियाणा	00	00	00	00	02	120	03	660	00	00	00	00	00	00
जम्मू और कश्मीर	02	80	01	60	01	30	00	00	00	00	00	00	00	00
पंजाब	01	60	00	00	04	240	02	480	02	120	00	00	00	00
राजस्थान	02	120	01	60	06	180	04	775	00	00	00	00	00	00
दक्षिणी														
आन्ध्र प्रदेश	01	60	00	00	27	1620	22	5230	00	00	00	00	00	00
तमिलनाडु	05	300	03	180	01	60	03	720	01	60	00	00	00	00
पांडिचेरी	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
दक्षिण-पश्चिम														
केरल	05	300	00	00	02	120	00	00	00	00	00	00	00	00
कर्नाटक	05	300	00	00	07	420	03	720	00	00	00	00	00	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पश्चिमी														
महाराष्ट्र	05	300	02	120	10	600	05	1140	00	00	01	15	00	00
गोवा							शून्य							
कुल योग	36	2120	08	480	99	5890	72	16270	08	480	01	15	02	80

1. वर्ष 2005–06 के लिए स्थापित की गई नई संस्थाओं की संख्या = 224
2. वर्ष 2005–06 के लिए की गई दाखिला क्षमता में वृद्धि = 25335

हॉकर्स/वैंडर्स के लिए नई नीति

1055. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रमुख महानगरों में स्ट्रीट वैंडर्स की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अरबन स्ट्रीट वैंडर्स संबंधी राष्ट्रीय नीति के गैर–क्रियान्वयन के मामले सामने आए हैं, जैसा कि दिनांक 20 अक्तूबर, 2005 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इस नीति की समीक्षा करने का है ताकि देशभर के स्ट्रीट वैंडर्स की कठिनाइयों को कम किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रस्तावित नीति के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इस मंत्रालय के पास बड़े मेट्रोपोलिटन शहरों में फेरीवालों की संख्या के संबंध में कोई अधिकारिक आंकड़े नहीं हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय द्वारा तैयार की गई फेरीवालों संबंधी राष्ट्रीय नीति में फेरीवालों के समग्र हित में कार्य करने हेतु राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्थानीय दशाओं के अधिक अनुकूल तथा फेरीवालों के हित में संशोधन करके अथवा संशोधन किए बिना नीति दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया गया था।

(घ) से (च) इस नीति के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं और कमियों, यदि कोई हों, पर चर्चा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा 19.10.2005 को शहरी फेरीवालों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में कुछ चुनिंदा शहरों के आयुक्तों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अन्य स्टेकहोल्डर्स सहित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।

कार्यशाला के दौरान शहरी फेरीवालों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था। विचार–विमर्श किए गए कुछ मुख्य मुद्दे थे, फेरीवालों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर, वित्तीय संस्थानों से उनको ऋण मुहैया कराना, उनका पुनर्वास, प्रशिक्षण और कौशल विकास की आवश्यकता तथा राज्यों में डाटा बेस का सृजन। फेरीवालों की आजीविका के लिए उन्हें अधिक सहायक पर्यावरण मुहैया कराने और इनको प्रोत्साहित करने हेतु स्टेकहोल्डर्स के बीच इस कार्यशाला में सर्वसम्मति व्यक्त की गई थी।

पारादीप पत्तन के प्रमुख चैनलों को गहरा करना

1056. श्री जुएल ओराम : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप पत्तन के प्रमुख चैनलों को गहरा करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में, पारादीप–पत्तन पर, 154.842 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, जलमार्ग को पहले से और अधिक गहरा किए जाने की परियोजना अनुमोदित कर दी है। उपर्युक्त जलमार्ग को पहले से और अधिक गहरा कर दिए जाने से, मौजूदा 65,000 कुल टन–भार (डीडब्ल्यूटी) की क्षमता से युक्त जलायानों के स्थान पर 1,25,000 कुल टन–भार (डीडब्ल्यूटी) की क्षमता से युक्त जलयान संभाले जा सकेंगे। उपर्युक्त परियोजना का निष्पादन पूरा कर लिए जाने की नियत अवधि 72 सप्ताह की है।

अवसंरचना में निवेश संबंधी समिति

1057. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों से आयात को सुगम बनाने हेतु अवसंरचना संबंधी व्यापार में निवेश के संबंध में एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अवसंरचना संबंधी सभी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार निर्यात के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए "निर्यात अवसंरचना एवं सम्बद्ध कार्यों के विकास के लिए राज्यों को सहायता" (ए एस आई डी ई) नामक स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के दो घटक हैं। धनराशि का 80 प्रतिशत (राज्य घटक) राज्यों को उनके निर्यात कार्य निष्पादन के आधार पर आवंटन के लिए निर्धारित किया जाता है और शेष 20 प्रतिशत (केन्द्रीय घटक) तथा राज्यों को आबंटित धनराशि में से अप्रयुक्त हिस्से के समतुल्य धनराशि अन्तर राज्यीय परियोजनाओं तथा विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड एस) की पूंजी परिव्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर रख ली जाती है। ए एस आई डी ई स्कीम के केन्द्रीय घटक से विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के प्रस्तावों पर विचार करके उन्हें स्वीकृत करने के लिए वाणिज्य विभाग मे वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है। राज्य घटक के अंतर्गत परियोजनाएं संबंधित राज्य के मुख्य सचित की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एल एल ई पी सी) द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

(ग) और (घ) ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के दिशा–निर्देशों में परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा दिया गया है, ताकि निजी क्षेत्र की धनराशि का उपयोग किया जा सके। ए.एस. आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता से संबंधित दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये वाणिज्य विभाग की वेबसाइट www.commerce.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

आर्थिक विकास

1058. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत क्रय क्षमता समानता के संदर्भ में चौथे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो अपनी स्थिति को और सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या क्रय क्षमता समानता भी विश्व की अर्थ. व्यवस्थाओं को मापने का एक और साधन है जहां 10 ट्रिलियन डालर के साथ अमरीका सर्वोच्च स्थान पर एवं उसके बाद चीन, जापान तथा भारत का स्थान है; और

(घ) यदि हां, तो क्रय क्षमता समानता को बनाए रखने के लिए तथा विश्व बाजार में समग्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) जी, हां। विश्व बैंक के जुलाई, 2005 के 'विश्व विकास सूचक आंकड़ा आधार डाटाबेस' के अनुसार वर्ष 2004 में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय क्षमता समानता (पी.पी.पी.) सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के संदर्भ में 3362.96 बिलियन डालर के साथ चौथे स्थान पर है।

क्रय क्षमता समानता (पीपीपी) को अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित उत्पादन के वास्तविक मूल्य के एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पीपीपी में वस्तुओं और सेवाओं विशेषकर गैर–व्यापार योग्य के सापेक्ष मूल्यों में अन्तर को ध्यान में रखने के लिए परिवर्तन कारकों का उपयोग होता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम के अंतर्गत यह

साधन उभरकर सामने आया है। क्रय क्षमता समानता (पीपीपी) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में वर्ष 2004 में अमेरिका का 11628.08 बिलियन अमेरिकी डालर के साथ प्रथम, चीन का 7123.71 बिलियन अमेरिकी डालर के साथ द्वितीय और जापान का 3774.08 बिलियन अमेरिकी डालर के साथ तृतीय स्थान है।

अर्थव्यवस्था में उच्च और स्थिर विकास हासिल करना, सरकार की नीतियों का प्रमुख लक्ष्य रहा है। सरकार संवर्धित निवेश और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के जरिये विकास की गति को तेज करने के लिए उपाय कर रही है। उद्योग का विकास और मानव संसाधनों का विकास, अन्य बातों के साथ–साथ कुछ ऐसे कदम हैं जिनका लक्ष्य समग्र आर्थिक विकास करना है।

स्वतंत्र क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में पूर्वोत्तर परिषद

1059. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की एक स्वतंत्र क्षेत्रीय योजना निकाय है अथवा एक क्रियान्वयन एजेंसी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.ई.सी. की परियोजनाओं के लिए स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.)/सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) की स्वीकृति आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त निकायों से समय पर स्वीकृति लेने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की परियोजनाओं के लिए एस.एफ.सी/एफ.ई.सी./पी.आई.बी. की स्वीकृति आवश्यक है; और

(च) यदि नहीं, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) अधिनियम 2002 में प्रावधान किया गया है कि पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करेगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना बनाते समय परिषद उन स्कीमों और परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी जिनसे दो अथवा दो से अधिक राज्यों को लाभ होता हो। तथापि, सिक्किम के मामले में परिषद, राज्य के लिए विशिष्ट परियोजनाएं और स्कीमें तैयार करने के साथ–साथ ऐसी परियोजनाओं और स्कीमों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेगी। परिषद, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं/स्कीमों का निष्पादन भी करती है।

(ग) और (घ) जी, हां। वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यविधि की शर्तों के अनुसार, एन.ई.सी. परियोजनाओं की निकासी, स्थायी वित्तीय समिति (एस.एफ.सी.)/व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी)/सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) से की जानी होती है। विगत में सचिव, पूर्वोत्तर परिषद को कुछ अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उद्देश्य, परियोजनाओं/स्कीम प्रस्तावों का तकनीकी–आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत आकलन सुनिश्चित करना है। समय पर निकासी के लिए एन.ई.सी. सचिवालय को, लाइन मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ परामर्श के लिए प्रस्ताव सीधे ही भेजने का सुझाव दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना प्रस्ताव परिचालन और स्थायी वित्तीय समिति/व्यय वित्तीय समिति द्वारा विचार किए जाने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण हों, एन.ई.सी. सचिवालय को व्यापक 'जांच सूचियां' भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। एन.ई.सी. सचिवालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय दोनों द्वारा प्रस्तावों की गहन निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाती है।

(ङ) और (च) अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) के तहत परियोजनाओं को एस.एफ.सी/ई.एफ.सी./पी.आई.बी. से निकासी नहीं लेनी होती है। तथापि, लाइन मंत्रालयों और योजना आयोग से मूल्य निरूपण और परामर्श के लिए इसी प्रकार की कडी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। वर्तमान में, सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय वाली एन.एल.सी.पी.आर. समिति में अन्यों के साथ–साथ आयोग, गृह और वित्त मंत्रालय और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति एन.एल.सी.पी.आर. के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं/स्कीमों की व्यावहारिकता और ठोस सामाजिक–आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में मूल्यांकन करती है।

इंडिया रिजर्व बटालियन का सृजन

1060. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित गतिविधियां चलाने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें अंतर्राज्यीय संयुक्त कार्यबल को सक्रिय करने पर सहमत हो गई हैं, जैसा कि दिनांक 23 सितंबर, 2005 को 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन तथा कार्य योजना तैयार करने हेतु कदम उठाने पर भी सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(ङ) इसका गठन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) कार्रवाई योजनायें तैयार करने और नक्सली नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अंतर–राज्य सीमा क्षेत्रों में आसूचना आधारित अंतर–राज्य संयुक्त नक्सल–विरोधी अभियान चलाने के उद्देश्य से नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ परामर्श करके एक स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी) को अंतिम रूप दिया गया है। पहचान किए गए प्रत्येक अंतर–राज्य सीमा क्षेत्र में द्विपक्षीय या त्रि–पक्षीय आधार पर पृथक् अंतर–राज्य कार्य बल/तंत्र होगा ताकि आसूचना के आधार पर जरूरत के अनुसार संयुक्त अभियान चलाने को सुकर बनाया जा सके।

(ग) से (ङ) नक्सल प्रभावित राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर इंडिया रिजर्व बटालियन (आई.आर.) खड़ी करने के लिए ठोस कदम उठाएं।

आई.आर. बटालियनें खड़ी करने के लिए दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है और राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस अनुसूची का पालन करें।

[हिन्दी]

राजभाषा सेवा में भर्ती नियमों का संशोधन

1061. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के लिए नए भर्ती नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के मामलों पर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के सुझावों को स्वीकारना सरकार के लिए अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विभिन्न वर्गों द्वारा सरकार के समक्ष आपत्तियां उठाई गई हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नए नियमों को वापस लेने का है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के नए भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम–स्वरूप निदेशक के पद का उन्नयन करने और संयुक्त निदेशक के कतिपय पदों का सृजन करने तथा तत्पश्चात् कतिपय बाकी ग्रेडों के वेतनमानों का उन्नयन किए जाने के कारण निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक की भर्ती के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं।

(ग) जी, हां। भर्ती नियम बनाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना अनिवार्य है।

(घ) भारत के संविधान के अधीन और संवैधानिक उपबंधों के अनुसरण में सरकार के बाद के आदेशों के तहत संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना अनिवार्य है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ नगर निगम

1062. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासन ने ठेला चलाने वाले गरीब लोगों पर 500 रु. का जुर्माना तथा 300 रु. (चलाने का शुल्क) लगाने हेतु चंडीगढ़ नगर निगम को आयुक्त के निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जुर्माना लगाते समय इससे प्रभावित होने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया गया था;

(ग) क्या चंडीगढ़ प्रशासन शहर में चल रही रेहड़ियों पर प्रतिबंध लगाना चाहता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उसके पुनर्वास तथा उन्हें वैकल्पिक

आय स्रोत प्रदान करने के लिए कोई वैकल्पिक योजना बनाई गई है; और

(ङ) शहर में रेहड़ियों पर सब्जी आदि बेचने वाले लोगों की संख्या कितनी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, बगैर लाइसेंस वाले ठेलों को हटाने से संबंधित कार्य, सक्षम न्यायिककल्प प्राधिकारियों द्वारा पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 की धारा 44 (ढ), 323 (ग), 324 और 415 के उपबंधो के अंतर्गत किए जाते हैं, जो ऐसे मामलों में, हटाए गए माल की कीमत के आधार पर विभिन्न पैमानों पर जुर्माना लगाते हैं।

(ख) जैसा कि उपर्युक्त (क) में स्पष्ट किया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जुर्माने की कोई विशिष्ट दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। तथापि, सक्षम न्यायिककल्प प्राधिकारियों द्वारा व्यक्ति विशेष संबंधी मामलों में गुण–दोष के आधार पर, अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित अधिकतम 500 रु. तक जुर्माना लगाया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, जब्त की गई वस्तुओं की मात्रा और भार के आधार पर हटाने संबंधी शुल्क की उगाही की जाती है।

(ग) वर्तमान कानून के अनुसार, चंडीगढ़ ठेला (नियंत्रण और विनियमन) उप नियम, 1989 के अंतर्गत जारी वैध लाइसेंस रखने वाली लाइसेंसशुदा रेहड़ियों को ही शहर के भीतर चलने की अनुमति है।

(घ) हाल ही में, नगर निगम ने "डे मार्किट" की योजना बनाई है जिसमें औसतन 250 अनधिकृत रेहड़ीवालों के लिए व्यवस्था की जाएगी। "नगर निगम" मोटर सज्जित रेहड़ी (नियंत्रण और विनियमन) उपनियम, 2005 के बनने के पश्चात्, यह आशा की जाती है कि मोटर सज्जित रेहड़ियों के लिए लगभग 200 लाइसेंस दिए जाएंगे।

(ङ) रेहड़ी के संबंध में शहर में सब्जियां बेचने वाले लोगों की संख्या की पहचान करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित शिक्षा योजनाओं की प्रगति समीक्षा

1063. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केंद्र द्वारा प्रायोजित शिक्षा योजनाओं की प्रगति की हर तीन माह में समीक्षा करने का है जैसा कि दिनांक 2 अक्तूबर, 2005 को 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे राज्य कौन–कौन से हैं जो इस प्रकार की योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे चल रहे हैं; और

(घ) इस प्रकार की प्रत्येक योजना की गति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित योजनाओं के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित योजनाओं के संबंध में सूचना

सर्व शिक्षा अभियान

(ख) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानीटरन प्रणालियां निम्नलिखित हैं :

(i) एक कम्प्यूटरीकृत एम.आई.एस. प्रणाली समस्त महत्वपूर्ण शैक्षिक सांख्यिकी पर स्कूल आधारित वार्षिक आंकड़े उपलबध कराती है।

(ii) वास्तविक और वित्तीय मानदण्डों की त्रैमासिक प्रगति समीक्षा।

(iii) हर तीसरे वर्ष छात्र लब्धि स्तर अध्ययन किया जाना।

(iv) भारत सरकार के नेतृत्व में एक संयुक्त समीक्षा मिशन वर्ष में दो बार सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की समीक्षा करता है।

(v) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय और राज्य समीक्षाएं।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान में असंतोषप्रद निष्पादन करने वाले राज्य निम्नलिखित हैं :

(i) **सिविल कार्य** : पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर तथा केरल का कार्यनिष्पादन।

(ii) **शिक्षक भर्ती** : बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल।

(iii) **समग्र व्यय** : बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और अरुणाचल प्रदेश।

मध्याह्न भोजन

(ख) मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का मानीटरन इस उद्देश्य के लिए निर्धारित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल को अभी पके हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सर्वसुलभ बनाना है।

(घ) इस कार्यक्रम को सर्वसुलभ बनाने के लिए इस मामले को मंत्रालय के सर्वोच्च स्तर से इन राज्यों के साथ उठाया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

(ख) से (घ) राज्य लैंगिक समन्वयकों की प्रत्येक तिमाही होने वाली बैठक में तथा भारत सरकार द्वारा आयोजित राज्य शिक्षा सचिवों के हर छमाही होने वाले सम्मेलन में कस्तूबरा गांधी बालिका विद्यालय योजना की समीक्षा की जाती है। इस योजना में बिहार और पश्चिम बंगाल का निष्पादन असंतोषप्रद है।

बिहार में नागरिकों की सुरक्षा

1064. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार प्रशासन और बिहार पुलिस अपने नागरिकों की सुरक्षा के संवैधानिक कर्त्तव्य को निभाने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक बिहार में विभिन्न अपराधों के कितने मामले दर्ज किये गये हैं; और

(घ) अभी तक कितने मामले सुलझाये नहीं गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इसलिए, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। किसी भी स्थान पर कानून और व्यवस्था के भंग होने की कोई घटना होने पर, राज्य सरकार, यथावश्यक अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती सहित उचित उपाय करती है। संघ सरकार, उपलब्धता की शर्त पर, राज्य द्वारा जब भी अनुरोध किया जाता है, केन्द्रीय पुलिस बल मुहैया कराती है।

(ग) और (घ) अपराधों का पता लगाने, उनको दर्ज करने, जांच–पड़ताल करने और न्यायालयों में अभियुक्त व्यक्तियों पर अनुवर्ती अभियोजन चलाना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसी सूचना, इसलिए, संघ सरकार द्वारा न तो रखी जाती है और न ही तुरंत सुलभ है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा वार्षिक रूप से संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004 के दौरान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या 108060 थी और विशेष एवं स्थानीय कानूनों के तहत दर्ज मामलों की संख्या 9213 थी। वर्ष 2004 के अंत तक भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जांच–पड़ताल हेतु लंबित मामलों की संख्या 79618 थी और वर्ष 2004 के अंत तक विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत जांच–पड़ताल हेतु लंबित मामलों की संख्या 7373 थी।

ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम

1065. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 23 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4076 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम पर सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर कब तक रख दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे ग्रामीण महिलाओं के लिए कोई विशेष शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करते हैं। तथापि, वे स्वर्ण जयंती ग्राम

स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) कार्यान्वित कर रहे हैं जो स्व–रोजगार के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला समग्र कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के 40 प्रतिशत लाभों को महिलाओं के लिए आरक्षित करके लाभवंचित वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत 15–35 वर्ष की आयु समूह के प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षर बनाने के लिए साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लाभार्थियों में ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हैं।

कम साक्षरता वाले जिले

1066. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ किये गये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कम साक्षरता दर के अन्तर्गत राज्य–वार कितने और कौन–कौन से जिले पाए गए;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों द्वारा कार्यक्रम आरंभ किये जा रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में आई गिरावट का आकलन किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) 1990–91 से देश के विभिन्न भागों में शुरू किए गए संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थिति एवं प्रभाव की समीक्षा हेतु भारत सरकार ने श्री अरूप घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। इस विशेषज्ञ दल ने सितम्बर, 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

उस समय से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न योजनाओं के तहत की गई प्रगति का मानीटरन एवं मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) अब तक देश के 597 जिलों को साक्षरता अभियानों तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किया गया है। जिलों की मौजूदा योजनावार सहभागिता इस प्रकार है :

कार्यक्रम का नाम	शामिल किए गए जिले
संपूर्ण साक्षरता अभियान	137
उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	165
सतत शिक्षा कार्यक्रम	295

(ग) से (ङ) वर्ष 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने दिनांक 11.4.2005 की अपनी सामान्य परिषद की बैठक में देश के 150 निम्नतम साक्षरता जिलों पर चुनरबद्ध ढंग से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। निम्न साक्षरता वाले चिन्हित जिलों के राज्यवार नाम तथा संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्रथम चरण में बिहार, झारखंड, राजस्थान तथा कर्नाटक राज्यों के निम्न साक्षरता जिलों हेतु विशेष साक्षरता परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(च) और (छ) कार्यक्रम के पूरा होने के बाद लक्षित निरक्षरों की संख्या में गिरावट की सीमा का आकलन किया जाता है जो बाह्य मूल्यांकन रिपोर्टों पर आधारित होता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/जिला	कम साक्षरता वाले जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	7	पूर्वी कामेंग, तिरप, लोअर सुबांसिरी, तवांग, अपर सिआंग, अपर सुबानसिरी, चांगलांग

1	2	3	4
2.	आंध्र प्रदेश	8	महबूब नगर, विजियानगरम, मेडक, निजामाबाद, अदिलाबाद, कुरनूल, करीमनगर, श्रीकाकुलम
3.	असम	3	धुबरी, कोकराझार, दरांग
4.	बिहार	31	अररिया, कटिहार, पुर्णिया, शिवहर, मधेपुरा, सुपोल, पूर्वी चंपारन, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारन, सहरसा, खगरिया, मधुबनी, जमुई, बांका, दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, भागलपुर, गया, वैशाली, सिवान, सारन, नालंदा, कैमूर (भभुआ), जहानाबाद, किशनगंज
5.	छत्तीसगढ़	4	दांतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा, कवर्धा
6.	गुजरात	2	दोहद, बनासकांठा
7.	जम्मू और कश्मीर	8	बड़गाम, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, डोडा, पुलवामा, पुंछ, उधमपुर
8.	झारखंड	13	पाकुर, साहिबगनी, गढ़वा, गोड्डा, चतरा, गिरिडीह, पलामू, दुमका, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, कोडरमा, लोहरदगा
9.	कर्नाटक	4	रायचूर गुलबर्गा, कामराजनगर, कोपल
10.	मध्य प्रदेश	9	झबुआ, बरवानी, श्योपुर, सिधि, धार, छतरपुर, रायगढ़, डिंडोरी, टीकमगढ़
11.	मेघालय	3	पश्चिमी गारो हिल्स, जयन्तिया हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स
12.	नागालैंड	2	मोन, त्वेनसांग
13.	उड़ीसा	10	मलकानगिरी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगडा, गजपति, नौपाड़ा, कालाहांडी, मयूरभंज, कांधमल, बालंगिर
14.	पंजाब	1	मानसा
15.	राजस्थान	11	बांसवाड़ा, जालौर, डुंगरपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, टोंक, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली, बूंदी, राजसमंद
16.	उत्तर प्रदेश	30	श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुल, सिद्धार्थनगर, गोंडा, मुरादाबाद, महाराजगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, बाराबंकी, बरेली, सीतापुर, खेड़ी, शाहजहांपुर, सोनभद्र, ललितपुर, ज्योतिबा फुले नगर, पीलीभीत, संत कबीरनगर, हरदोई, बस्ती, महोबा, रायबरेली, बांदा, एटा, उन्नाव, मिर्जापुर, सुल्तानपुर
17.	पश्चिम बंगाल	4	उत्तर दीनाजपुर, मालादा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया
	कुल	150	

[हिन्दी]

निर्यात

1067. श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात व्यापार में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो मद–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसी अवधि के दौरान इनकी मात्रा और कीमत कितनी रही;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों से निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) निर्यातों में कोई कमी नहीं हुई है। वस्तुतः पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातों में तेजी से वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निर्यात संवर्धन निकायों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 18 अक्तूबर, 2005 को आयोजित बैठक में निर्यात संवर्धन हेतु उनके सुझाव मांगे गए थे। यह सरकारी नीतियां बनाने से पहले पणधारकों से विचार–विमर्श करने की सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा था। सरकार ने विभिन्न सुझावों को नोट कर लिया है और प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कुछेक वस्तुओं पर प्रतिलोमी शुल्क संरचना के मुद्दे का समाधान करने और नई डी.ई.पी.बी. की एक ऐसी उत्तरवर्ती स्कीम तैयार करने, जो डब्ल्यू.टी.ओ. के अधिक सुसंगत और कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक रूप से अधिक सुविधाजनक होगी, के लिए कार्रवाई शुरू की है।

[अनुवाद]

यू एन डी पी रिपोर्ट, 2005

1068. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव संसाधन रिपोर्ट, 2005 में भारत को 177 देशों में से 127वें स्थान पर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि पहले पांच वर्ष की आयु तक 11 भारतीय बच्चों में से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है;

(घ) सरकार द्वारा यू.एन.डी.पी. की एच.आर.डी. रिपोर्ट में केन्द्रित मुद्दों पर उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्र (यू.एन.डी.पी.) मानव संसाधन विकास रिपोर्ट, 2005 के अनुसार 177 देशों में भारत को 127वें स्थान पर रखा गया है और इसका मानव विकास सूचकांक 0.602 है।

(ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–II के अनुसार (0–5) वर्ष के बच्चों के आयु समूह में मृत्युदर 94.9 प्रति हजार है।

(घ) मानव विकास सूचकांक में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- वर्ष 2007 तक 75 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन.एल.एम.) स्थापित किया गया था। देश में प्रौढ़ साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पैरामीटरों का संशोधन और वित्तीय मानदण्डों में वृद्धि करना; सम्पूर्ण साक्षरता और उत्तर–साक्षरता के चरणों को एकीकृत करना, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को शक्तियों का हस्तांतरण; सतत शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करना; जन शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना और उनके कार्यकलापों का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करना; बेहतर शिक्षण सामग्री को तैयार करने और प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों का पुनरुद्धार करना।
- सभी युवाओं को सस्ती, सुलभ और बेहतर गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने माध्यमिक स्तर पर सर्वसुलभ और गुणवत्ता स्कीम को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित कर दिया है।
- सरकार ने शिशुओं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें बाल विवाह (निषेध) अधिनियम प्रसव–पूर्व जांच तकनीकी (विनियमन, निषेध और दुरुपयोग) अधिनियम का कड़ाई से पालन; मीडिया अभियानों के माध्यम से बालिकाओं की घटती अनुपात दर के बारे में जागरूकता पैदा करना; एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई.सी.डी.एस.) के पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी घटक में वृद्धि करके इसका विस्तार देश के सभी ब्लॉकों तक करना और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं।

लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

1069. श्री अवसराव पाटील शिवाजीराव : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सकल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या सरकार लघु उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) वर्ष 2003–04 के (नवीनतम उपलब्ध) दौरान देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का शेयर 39.42 प्रतिशत आंका गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, लघु उद्योग संघों और लघु उद्योग क्लस्टरों को लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास हेतु सहायता प्रदान करने के अलावा विशिष्ट स्कीमों के अन्तर्गत लघु उद्योगों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें शामिल हैं :

(i) विशिष्ट सब–सेक्टरों/उत्पादों में सुस्थापित तथा सुधरी हुई प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए 100 लाख रु. तक के संस्थागत वित्त पर 15 प्रतिशत की अपफ्रन्ट कैपिटल सब्सिडी (29.9.2005 से पूर्व 12 प्रतिशत)।

(ii) आईएसओ 9000/14001 (अथवा इसके समकक्ष) प्रमाणीकरण के अधिग्रहण के लिए लागत के 75 प्रतिशत की सीमा तक प्रभारों की प्रतिपूर्ति, जो अधिकतम 75,000 रु. है।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए इधर से उधर हवाई किराए की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिपूर्ति द्वारा व्यक्तिगत निर्यातकों को वित्त प्रदान करना।

(iv) समुद्रपारीय प्रचार सामग्री के उत्पादन की लागत के 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो एक वित्तीय वर्ष में 15,000 रु. तक सीमित होगी।

(v) विशिष्ट बाजार अध्ययन शुरू करने के लिए 2 लाख रु. तक वित्तीय सहायता तथा पाटनरोधी मामले आरम्भ करने/लड़ने के लिए कुल लागत के 50 प्रतिशत अथवा 1 लाख रु. तक, इसमें जो कम हो, प्रदान करना;

(vi) बार कोडिंग पंजीकरण प्राप्त करने के लिए लघु उद्योग इकाइयों द्वारा अदा किए गए एक–बार के पंजीकरण शुल्क के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करना।

(vii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों को बयाना राशि, सिक्यूरिटी जमा आदि की आदयगी से छूट।

(viii) लघु उद्योगों के लिए निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों से रेटिंग एजेन्सियों द्वारा प्रभारित किए गए शुल्क के 75 प्रतिशत तथा अधिकतम 40,000 रु. तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना।

आई.सी.डी.एस. और आंगनवाड़ी केन्द्रों का धीमा क्रियान्वयन

1070. श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि निर्धन बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के क्रियान्वयन और आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना में धीमी प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ग) अब तक राज्य–वार लाभान्वितों की कुल सुख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप परिचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार 6,49,307 से बढ़कर 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार 7,06,872 तथा 31.7.2005 की स्थिति के अनुसार 7,41,038 हो गई है। स्कीम के कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों की संख्या की राज्य–वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.7.2005 तक आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या		31.7.2005 तक आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या		31.7.2005 तक पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या			31.7.2005 तक स्कूल–पूर्व शिक्षा के लाभार्थी (3–6 वर्ष की आयु के बच्चे)
		स्वीकृत	प्रचालित	स्वीकृत	प्रचलित	6 वर्ष से कम आयु के बच्चे	गर्भवती व शिशुवती माताएं	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	363	360	56204	54870	2331596	587205	2918801	1531515
2.	अरुणाचल	58	58	2359	2359	75025	12487	87512	33829
3.	असम#	196	195	25416	25302	1103139	148030	1251169	781953
4.	बिहार	394	390	60813	57486	3671818	758719	4430537	2109891
5.	छत्तीसगढ़	152	152	20289	20289	1376594	360579	1737173	586810
6.	गोवा	11	11	1012	1012	34482	8931	43413	14257
7.	गुजरात	227	227	37961	37400	1673900	274786	1948686	1449445
8.	हरियाणा	116	116	13546	13546	942054	232857	1174911	440984
9.	हिमाचल प्रदेश	72	72	7354	7354	326127	73506	399633	118730
10.	जम्मू व कश्मीर	140	121	18772	10398	182978	39982	222960	107385
11.	झारखंड	204	204	24171	22170	759975	232345	992320	484874
12.	कर्नाटक	185	185	40301	40301	2236837	539176	2776013	1166352
13.	केरल	163	163	25393	25361	800912	151544	952456	446044
14.	मध्य प्रदेश	336	336	49787	49710	2690071	642549	3332620	1521302
15.	महाराष्ट्र	372	372	62716	62679	4168602	637911	4806513	2448119
16.	मणिपुर	34	34	4501	4500	0	0	0	111851
17.	मेघालय	32	32	2218	2218	183905	33285	217190	87159
18.	मिजोरम	21	21	1361	1361	116012	27796	143808	50480
19.	नागालैंड	54	54	2770	2770	371466	40237	411703	103843
20.	उड़ीसा	326	326	34201	34201	3661319	659559	4320878	946102
21.	पंजाब	142	142	14730	14730	435902	151536	587438	421005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	257	257	35821	35804	2644439	594960	3239399	1335366
23.	सिक्किम	5	5	500	500	0	0	0	11076
24.	तमिलनाडु	434	434	42677	42677	1717396	501299	2218695	1071735
25.	त्रिपुरा	40	39	3874	3768	148205	22088	170293	101052
26.	उत्तरांचल	834	827	106059	101352	4820915	1463561	6284476	3878269
27.	उत्तर प्रदेश	99	99	6658	6609	327585	72902	400487	189121
28.	पश्चिम बंगाल	358	355	57540	54666	3428248	397985	3826233	1349342
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5	5	527	527	18830	4268	23098	8681
30.	चंडीगढ	3	3	300	300	31710	7703	39413	13110
31.	दिल्ली	29	28	3902	3842	388108	69913	458021	150710
32.	दादरा व नगर हवेली	1	1	138	138	12520	2184	14704	5019
33.	दमन व दीव	2	2	87	87	.6977	1898	8875	4213
34.	लक्षद्वीप	1	1	74	74	3877	986	4863	4024
35.	पांडिचेरी	5	5	677	677	27210	8918	36128	3971
	अखिल भारत	5671	5632	764709	741038	40718734	8761685	49480419	23087619

#31.7.2004 तक

विद्यालय शिक्षा में योग अनिवार्य विषय के रूप में

1071. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या मानद संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योग की मान्यता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 में स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा को प्राथमिक के माध्यमिक स्तर तक एक अनिवार्य विषय तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक ऐच्छिक विषय के रूप में निर्धारित किया गया है। योग, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है।

वर्ष 1989–90 में 'स्कूलों में योग शुरू करना' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। स्कीम में शिक्षकों को योग प्रशिक्षण देने तथा पुस्तकालय सुविधाओं के स्तरोन्नयन हेतु प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। स्कीम के आरंभ होने से अब तक 3700 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह स्कीम अब "स्कूलों में गुणवत्ता सुधार" नामक हाल ही में तैयार की गई समग्र स्कीम का एक घटक है।

भारतीय निर्यात में गिरावट

1072. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से निर्यात में गत वर्ष की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवान) : (क) जी, नहीं। वस्तुतः चालू वित्त वर्ष 2005–06 (अप्रैल–अक्टूबर) के दौरान भारत के निर्यातों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 42.2 बिलियन अम.डा. की तुलना में 51.5 बिलियन अम.डा. हो गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने निर्यातों के संवर्धन हेतु अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं–अवस्थापन एवं उत्पादनकारी क्षमता ने विदेशी एवं घरेलू निवेश के अधिक प्रवाह की शुरूआत करने के लिए एस ई जेड अधिनियम 2005 को लागू करना; मुक्त व्यापार भण्डारण जोनों (एफ टी डब्ल्यू जेड) की स्थापना करना जिन्हें वे सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे जो एस ई जेडों को उपलब्ध हैं; निर्यातकों की सौदा लागत को कम करने के लिए प्रक्रियागत सरलीकरण पर अधिक जोर देना तथा भारत के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप निर्यात बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करना।

निर्यात हेतु अध्ययन समूह

1073. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार करने हेतु पाँच कार्यकारी समूह और अध्ययन समूह गठित किए है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या ये समूह हाल में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें किस तिथि तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) 17 जून, 2005 को आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भारत के निर्यात बढ़ाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय निर्यातों के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में पांच कार्यग्रुप और चार (4) विशेष अध्ययन ग्रुप गठित किए जाएं।

पांच कार्य ग्रुप

ग्रुप एक–'विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों का मूल्यांकन' संबंधी कार्य ग्रुप। इस कार्य ग्रुप को उद्देश्यों को पूरा करने में विभिन्न स्कीमों के कार्य–निष्पादन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा अपनायी जा रही निर्यात संवर्धन स्कीमों में विषयों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था ताकि यह निर्यात पर लेवियों को निष्क्रिय करने के सर्वोत्तम संभव तरीके का सुझाव दे सके;

ग्रुप दो–'व्यापार सुविधा' संबंधी कार्यग्रुप। यह ग्रुप पहले तो पूरे हो चुके अध्ययनों की सिफारिश का विश्लेषण करने और भारत के व्यापार सुविधा मानदंडों को अन्य देशों के स्तर पर लाने के लिए गठित किया गया था।

ग्रुप तीन–'विनिर्माण क्षेत्र' संबंधी कार्य ग्रुप। यह ग्रुप निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र को अन्य एल सी सी एस के स्तर पर लाने और भारत के विनिर्माण क्षेत्र के सामने आई कांठेनाइयों का अध्ययन करने तथा उन्हें समाप्त करने के लिए विशिष्ट उपायों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था।

ग्रुप चार–'तुलनात्मक लाभ वाले विशिष्ट क्षेत्रों और नीतियों को अभिज्ञात करने' संबंधी कार्यग्रुप। इस ग्रुप को विशिष्ट वस्तुओं और सेवा क्षेत्रों के लिए तुलनात्मक लाभों का पता लगाने के लिए मानदंडों की परिभाषा करने हेतु गठित किया गया था।

ग्रुप पांच–'एच ई जेड और ई ओ यू' संबंधी कार्यग्रुप। यह ग्रुप क्षेत्रों के सामने आई बाधाओं का अध्ययन करने तथा अन्य देशों के स्तर पर लाने और प्राप्ति योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए गठित किया गया था।

चार अध्ययन ग्रुप

ग्रुप एक–वस्त्र संबंधी क्षेत्रीय अध्ययन

ग्रुप दो–भेषज संबंधी क्षेत्रीय अध्ययन

ग्रुप तीन–रसायन और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन

ग्रुप चार–भारतीय उद्योग/निर्यातों पर आर टी ए एस/एफ टी ए एस का प्रभाव।

(ग) जी, हां।

(घ) तीन कार्य ग्रुपों और दो अध्ययन ग्रुपों ने रिपोर्टें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं। अन्य ग्रुपों से 31 दिसंबर, 2005 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

एन.सी.टी.ई.

1074. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) ने मौजूदा प्रणाली में कमियों को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या मसौदे की रूपरेखा तैयार की है जैसा कि 13 अक्टूबर, 2005 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) एनसीटीई द्वारा बुनियादी और विशेष अध्ययनों के बीच प्रभावी और सार्थक एकीकरण के लिए क्या उपाय सुझाये गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 जिसे बाद में वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था, के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु पहल की। इस दिशा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा गुणवत्तामूलक अध्यापक शिक्ष हेतु प्रारूप पाठ्यचर्या संरचना तैयार की जा रही है।

(ख) यह प्रारूप पाठ्यचर्या संरचना भारत में अध्यापक शिक्षा की पृष्ठभूमि; अध्यापक शिक्षा के संदर्भ, सरोकार तथा चुनौतिया; सेवापूर्ण/सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा; अध्यापक शिक्षकों की शिक्षा; अध्यापक शिक्षा के प्रबंध तथा अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान से संबद्ध है।

(ग) अभी तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और बुनियादी तथा विशेष अध्ययनों के बीच एकीकरण पर इस संबंध में पणधारियों तथा विशेषज्ञों से प्राप्त होने वाली टिप्पणियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(घ) लागू नहीं होता क्योंकि अभी प्रारूप पाठ्यचर्या संरचना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मकानों की कमी

1075. श्री पवन कुमार बंसल :

श्री जी करूणाकर रेड्डी :

श्री रनेन बर्मन :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी अपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में तीन करोड़ से ज्यादा मकानों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) देश के तत्संबंधी बकाया को समाप्त करने और प्रत्येक परिवार के आश्रय स्थल प्रदान करने के लिए कितनी आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी;

(घ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) वर्ष 2001 से लोगों को प्रदान किए गए मकानों की वर्षवार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(च) क्या कम लागत के पूर्व निर्मित मकानों को अपनाया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष कितनी निधि की आवश्यकता होगी और प्रत्येक लाभार्थी को कितनी राशि का अंशदान करने की आवश्यकता होगी?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) दसवीं योजना दस्तावेज के अनुसार

दसवीं योजना अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में कुल 22.44 मिलियन रिहायशी यूनिटों का निर्माण/उन्नयन करना अपेक्षित होगा।

(घ) और (ङ) सरकार ने गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए 02.12.2001 से वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक स्कीम शुरू की है। सरकार ने प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त दो मिलियन मकानों के निर्माण में सहायता के लिए दो मिलियन आवास कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसमें 7 लाख मकान शहरी क्षेत्रों तथा 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने हैं। बाम्बे के अंतर्गत वर्ष 2001 से राज्य वार निर्मित मकानों का ब्यौरा विवरण–I और दो मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित रिहायशी यूनिटों की संख्या विवरण–II में दी गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

बाम्बे के अंतर्गत राज्यवार तथा वर्षवार शामिल रिहायशी यूनिटों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्रप्रदेश	4000	20901	27627	16148
2.	अरुणाचल	0	0	0	80
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	50	0
5.	छत्तीसगढ़	325	2185	1850	0
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	1536	18776	0	250
8.	हरियाणा	0	0	3263	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10.	जम्मू व कश्मीर	387	170	442	210
11.	झारखंड	0	0	0	3504
12.	कर्नाटक	3333	6979	14978	0
13.	केरल	910	11948	6926	1000
14.	मध्य प्रदेश	803	4054	1024	1500
15.	महाराष्ट्र	4661	328	22700	40915
16.	मणिपुर	0	35	853	0
17.	मेघालय	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	40	766	0
20.	उड़ीसा	0	306	232	82
21.	पंजाब	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1500	3300	200	2700
23.	सिक्किम	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2610	27226	14684	34519
25.	त्रिपुरा	45	644	976	0
26.	उत्तरांचल	180	701	1098	0
27.	उत्तर प्रदेश	2217	5412	8462	8835
28.	पश्चिम बंगाल	2436	2968	697	1782
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
30.	चंडीगढ	0	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	167	0	0	0
34.	पांडिचेरी	170	0	408	618
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	25280	105973	107236	112143

विवरण-II

दो मिलियन आवास कार्यक्रम की संचयी प्रगति

वर्ष		हडको (शहरी)		आवास वित्त संस्थान/बैंक		सहकारी क्षेत्र		कुल	
	वार्षिक लक्ष्य (रिहा. यूनिक)	रिहायशी यूनिटों की सं.	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)	रिहायशी यूनिटों की सं.	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)	रिहायशी यूनिटों की सं.	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)	रिहायशी यूनिटों की सं.	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)
2001–2002	700000	401078	250.48	458615	12870.12	73659	1392.90	933352	14713.50
2002–2003	700000	459969	2792.91	637091	19148.71	73461	1287.09	1170521	23228.71
2003–2004	700000	427455	685.77	621331	22491.35	89948	1538.93	1138734	24716.05
2004–2005	700000	254885	1055.52	434675	21016.98	71280	1782.16	760840	23854.66
कुल	2800000	1543387	4984.68	2151712	75527.16	308384	8001.08	4003447	86512.92

म्यांमार के साथ वार्ता

1076. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री अविनाश राय खन्ना :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्रीमती अर्चना नायक :
श्री ई. जी. सुगावनम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 2005 के दौरान म्यांमार के साथ गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वार्ताओं के दौरान भारतीय शिष्टमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक मुद्दे पर म्यांमार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) दोनों देशों द्वारा सीमा पार अपराधों/आतंकवाद की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) म्यांमार के साथ सीमा पार अपराध/आतंकवाद की रोकथाम के विभिन्न मुद्दों पर हस्ताक्षर की गई संधियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ङ) भारत और म्यांमार के बीच गृह सचिव स्तर की 11वीं राष्ट्रीय स्तरीय बैठक 14 से 17 अक्टूबर, 2005 तक यांगांव में आयोजित की गई थी। इस बैठक में सुरक्षा, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, सीमा, प्रबंधन, भारतीय जेलों में म्यांमार के मछुआरों तथा भारत में म्यांमार के सिविल कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में म्यांमार में विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं की स्थिति, विशेषकर सड़क और विद्युत क्षेत्रों, जिन पर दोनों देश सहयोग करने पर सहमत हुए हैं, की भी समीक्षा की गई। संघ के गृह सचिव ने, अन्य बातों के साथ-साथ, म्यांमार क्षेत्र में भारतीय विद्रोही ग्रुपों की उपस्थिति पर भारत की चिंता संबंधी मुद्दे को उठाया तथा म्यांमार सरकार से उनके विरुद्ध प्रभावकारी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। म्यांमार सरकार ने पुनः दोहराया कि वे विद्रोही ग्रुपों को भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियां चलाने के लिए अपने क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। विस्तृत चर्चा के पश्चात, दोनों पक्ष विद्रोहियों की गतिविधियां, शस्त्रों के तस्करों, नशीली दवाओं के अवैध व्यापारियों तथा भारत-म्यांमार सीमा पर अन्य शत्रुपूर्ण तत्वों को रोकने में सहयोग को और सुदृढ़ बनाने पर सहमत हुए। बैठक की समाप्ति के पश्चात, भारतीय और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल के नेताओं द्वारा 17 अक्टूबर, 05 को बैठक के स्वीकृत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए।

[हिन्दी]

चालकों को प्रशिक्षण

1077. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के

मद्देनजर चालकों को प्रशिक्षण देने संबंधी योजना तैयार करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस उद्देश्य के लिए चयनित शहरों के क्या नाम हैं,

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अन्य एजेंसियों की भी सहायता लेने पर विचार कर रही है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दृष्टि से चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए पहले से ही "असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण संचालित करना" और "ड्राइविंग तथा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" नामक दो स्कीमें चल रही हैं। "असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण संचालित करना" संबंधी स्कीम का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिलाना है। "ड्राइविंग तथा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" नामक स्कीम का मुख्य उद्देश्य आवश्यक अवसंरचना, उपस्कर प्रदान करना और नए चालकों तथा पहले से ही कार्यरत चालकों सहित सभी श्रेणियों के चालकों को ड्राइविंग के व्यावसायिक कौशल सिखाना है।

(ग) से (ङ) "असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण संचालित करना" नामक स्कीम गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से चलाई जाती है। "ड्राइविंग तथा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" नामक स्कीम या तो राज्य सरकार द्वारा या गैर–सरकारी संगठन द्वारा या फिर राज्य सरकार तथा गैर–संगठन/ऑटोमोबाइल विनिर्माता मिलकर सार्वजनिक–निजी भागीदारी के द्वारा चलाई जाती है। 29 गैर–सरकारी संगठनों/संस्थओं/संगठनों जिन्हें वर्ष 2005–06 के दौरान "असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण संचालित करना" नामक स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। "ड्राइविंग तथा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" नामक स्कीम के अंतर्गत अभी तक आठ चालक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्वीकृति दी गई है जो असम (गुवाहाटी), पश्चिम बंगाल (कोलकाता), आंध्रप्रदेश (विजयवाड़ा), कर्नाटक (हगारीबोम्मानाहल्ली, वेल्लारी), हिमाचल प्रदेश (जस्सूर, कांगड़ा), केरल (एडाप्पल, मलप्पुरम), दिल्ली (सराय काले खां) और उत्तरांचल (देहरादून) में स्थित हैं।

विवरण

वर्ष 2005–06 के दौरान असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण नामक स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत सहायता अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों की सूची

1. मै. समूह, मकान नं. 8–3–318/11/एस/1, तृतीय तल, जय प्रकाश नगर, येल्लारेड्डीगुडा, हैदराबाद–50007, आंध्रप्रदेश
2. मै. रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड डिफेंसिव ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, मकान नं. 7–59, मधुरापुरी कालोनी दिलसुखनगर, हैदराबाद–500060, आंधप्रदेश
3. मै. स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरर्स एसोसिएशन, राजधानी थियेटर काम्पलेक्स, 4–100/1, द्वितीय तल, दिलसुखनगर, हैदराबाद–500060, आंध्रप्रदेश
4. मै. द राजमुंद्री मिनी गुड्स वेन ऑनर्स एसोसिएशन, वी. एल. पुरम, राजमुंदी जिला ई जी, आंध प्रदेश–533103
5. मै. द डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन, डी. नं. 40–13/1, चंद्रमाउलीपुरम, बैंज सर्कल के निकट, विजयवाड़ा–520010, आंध्रप्रदेश
6. मै. दीक्षा, पथ फॉर डेवलपमेंट, मकान नं. 1–49, गांव रेवाली (बी), नामपल्ली (एम) नलगोंडा–508257, आंध्रप्रदेश
7. मै. पर्वतेनी सुभाष चंद्र बोस ड्राइविंग स्कूल, 4–76/4, बोस बिल्डिंग, कनुरू, विजयवाड़ा–520007, आंध्रप्रदेश
8. मै. जोरहाट मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, गांधी बाजार, नाहरकटिया, जिला–डिब्रूगढ़, असम
9. मै. यूनाइटेड मल्टीपरपस सोसाइटी, अपर हंगरबाड़ी, दिसपुर, गुवाहाटी–36, असम
10. मै. इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आई डी टी आर), ट्रांसपोर्ट विभाग, कॉम्पलेक्स लोनी रोड, दिल्ली–94
11. इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रैफिक एडुकेशन (आई आर टी ई), बी–128, डी डी ए शेड, ओखला, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज I, नई दिल्ली–110020
12. मै. काउंसिल आफ आकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड

एनवायरमेंट, 1–ए, शिवकरुपा, डान बास्को हाई स्कूल के विपरीत, पणजी, गोवा–403001

13. मै. द वेस्टर्न इंडिया आटोमोबाइल एसोसिएशन, श्रम शक्ति भवन, छठी मंजिल, पोटो प्लाजा, पणजी, गोवा–403001

14. मै. द वेस्टर्न इंडिया आटोमोबाइल एसोशिएशन, द सेलर, कानपुर रोड, होटल ली–मेरीडीयन कंपाउंड, खानपुर अहमदाबाद–38001, गुजरात

15. मै. डब्ल्यू आई ए ए–कास्ट्राल इंस्टीट्यूट आफ मोटरिंग, डी एल ए अकादमी के सामने, जज बंगला रोड, नेहरू फाउंडेशन क्रास रोड के निकट, बोदकादेव, अहमदाबाद–380054, गुजरात

16. द रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजागिरि कॉलेज ऑफ सोशल साइंस, कालामासेरी, कोच्चि–683104, केरल

17. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड रिसर्च सेंटर (एन ए टी पी ए सी), शस्त्र भवन, पोटोम प्लेस, पी ओ–तिरुवनंतपुरम–695004, केरल

18. सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रांसपोर्ट (सी आई आर टी), पी ओ भोसारी, पुणे–411026, महाराष्ट्र

19. मै. वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, 76, वीन नरीमन रोड, आई एम सी बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई–400020, महाराष्ट्र

20. मै. रानादीव मोटर ड्राइविंग स्कूल, रानादीव निवास, पुना रोड, नासिक 422001, महाराष्ट्र

21. मै. नासिक मोटर ड्राइविंग स्कूल, 431, वकीलवादी, अशोक स्तंभ के निकट, नासिक 422001

22. मै. त्रिधारा, बुधियाकुरानी, तुलसीपुर, कटक–753008, उड़ीसा

23. मै. सुप्रतीवा, एट/पीओ फकीरपाडा वाया बीरीबती, जिला कटक, उड़ीसा–754100

24. मै. सिक्किम मोटर ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सिचव, गंगटोक, सिक्किम–737101

25. मै. सुधार अखिल भारतीय विकलांग कल्याण संस्थान, प्रथम तल, विंडलास शापिंग काम्पलेक्स, 11–ए, राजपुर रोड, देहरादून–248001, उत्तरांचल

26. मै. देहाती ग्रोमात्थान विकास समिति, 437, पश्चिमी टॉरस, मौदाहा, पोस्ट रागौल, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश–210507

27. मै. शिव ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, एफ–473, गुजैनी, रतन लाल नगर, कानपुर–208022 (उत्तर प्रदेश)

28. मै. अशोक लीलैंड ड्राइवर/सर्विस ट्रेनिंग सेंटर, वालीपुरम, नमक्कल–637003, तमिलनाडु।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय निकायों का गठन

1078. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री के. सी. पलनिसामी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद जैसी कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय निकायों के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों की राय मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अंतर्राज्यीय प्रभावों वाली और कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(ङ) राज्यों को आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था पर मुख्य मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन तथा मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के दो वार्षिक सममेलनों के माध्यम से सुरक्षा से संबंधित अंतर–राज्य विस्तार वाले मुद्दों के बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक

से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों सहित सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक हथियार, आवाजाही, संचार उपकरण और अन्य आसूचना जानकारियों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

आंतरिक सुरक्षा

1079. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "आंतरिक सुरक्षा" को समवर्ती सूची में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

1080. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से विशेषतः गुजरात सरकार से विश्व बैंक की सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितने प्रस्ताव/परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ग) सरकार ने आज की तिथि तक ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) मंजूरी के लिए कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं और इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) भारत सरकार विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण की लागत 1550 करोड़ रुपए है जिसमें 350 करोड़ रुपए केन्द्रीय घटक और 1200 करोड़ रुपए राज्य घटक हैं।

13 राज्यों यथा आंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्रथम और द्वितीय चक्र के तहत प्राप्त सभी प्रस्तावों को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है और कार्यक्रम से संबंधित राज्यों को सूचित कर दिया गया है; इस कार्यक्रम में केन्द्रीय निधियन प्राप्त 18 संस्थाओं और 13 राज्यों की 114 संस्थाओं सहित कुल 132 संस्थाएं भाग ले रही हैं। कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

गुजरात राज्य से सरकार द्वारा संस्तुत 6 संस्थाएं जिनमें दो पॉलिटेक्निक भी शामिल हैं, का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयन किया गया है। प्रत्येक राज्य को किए गए आजीवन आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आजीवन आवंटन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आजीवन आवंटन (रुपए करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	151.353
2.	गुजरात	85.699
3.	हरियाणा	32.936
4.	हिमाचल प्रदेश	7.492
5.	झारखंड	34.370
6.	कर्नाटक	173.334
7.	केरल	61.509
8.	मध्य प्रदेश	50.446
9.	महाराष्ट्र	166.664
10.	तमिलनाडु	94.663
11.	उत्तरांचल	41.484
12.	उत्तर प्रदेश	112.479
13.	पश्चिम बंगाल	153.297

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

पिछले सप्ताह के दौरान सदन में किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपके सूचनार्थ, सभा में गत सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों की मुख्य मदों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

23 नवम्बर, 2005 को भूतपूर्व राष्ट्रपति, एक वर्तमान संसद सदस्य और भूतपूर्व संसद सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के पश्चात सभा स्थगित कर दी गई थी। 24 और 25 नवम्बर, 2005 को वोल्कर समिति की रिपोर्ट के मुद्दे पर व्यवधान के कारण उस अवधि के दौरान स्वीकार किए गए 61 तारांकित प्रश्नों और 625 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

जहां तक गैर–सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य का संबंध है, सात विधेयक पुरःस्थापित किए गए और देश के प्रत्येक गांव में सभी चिकित्सा सुविधाओं सहित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के विचार से संविधान में संशोधन करने के लिए श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत एक संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया गया और इस पर 2 घण्टे 18 मिनट की चर्चा हुई। विधेयक पर चर्चा अधूरी रही।

इस अवधि के दौरान, विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के तीन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए।

बाध्यकारी स्थगनों और व्यवधानों के कारण सभा का 8 घण्टे और 51 मिनट का समय भी बर्बाद हुआ।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (2ख) के अन्तर्गत पत्तनों में जलयानों का प्रवेश नियम, 2005 जो 20 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 600(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2873/05]

(2) (एक) महापत्तन न्याय अधिनियम 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विशाखापत्तनम न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2004–2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2874/05]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा तैनाती) संशोधन नियम, 2005 जो 14 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 580(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2875/05]

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2876/05]

(2) (एक) इण्डो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2877/05]

(3) (एक) इण्डो जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डो जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2878/05]

(4) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2879/05]

(5) (एक) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2880/05]

(6) (एक) इण्डो–डानिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डो–डानिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2881/05]

(7) (एक) टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2882/05]

(8) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2883/05]

(9) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2884/05]

(10) (एक) प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के

वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2885/05]

(11) (एक) इण्डो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2886/05]

(12) (एक) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2887/05]

(13) (एक) इंस्टिट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2888/05]

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 547(अ) जो 12 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के अम्बाला–कालका मार्ग पर डेरा बस्सी के नजदीक पुल के उपयोकर्ताओं से टोल शुल्क वसूल करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 603(अ) और का.आ. 604(अ) जो 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि–रानीपेट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेनों वाला) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 605(अ) जो 3 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (वाघलधारा–दजली खंड) के चार लेनों वाले भाग के उपयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(चार) का.आ. 606(अ) जो 3 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 601(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 607(अ) जो 3 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 और 54 के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 608(अ) जो 3 मई, 2005 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के मेडक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करना) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1380(अ) से का.आ. 1382(अ) जो 22 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई–रानीपेट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1403 जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई–रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1404 जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि–रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1424(अ) जो 29 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (ठिंडीवनम–विल्लुपुरम–तिरुचिरापल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1455(अ) जो 5 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि–रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1460(अ) से का.आ. 1462(अ) जो 5 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि–रानीपेट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1480(अ) जो 10 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि–रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2889/05]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 1372(अ) जो 20 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का विनिर्दिष्ट भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ. 1398(अ) जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 1399(अ) जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विनिर्दिष्ट भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2890/05]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समपहृत संपत्ति मूल्य निर्धारण नियम, 2005 जो 20 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 638(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2891/05]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2892/05]

(3) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2893/05]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलँगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2894/05]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अन्तर्गत जारी अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2005 जो 20 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1371(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2895/05]

(3) (एक) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2896/05]

अपराह्न 12.02½ बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, मैं बाल विवाह निवारण विधेयक, 2004 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) भारतीय विज्ञान परिषद्, बंगलौर

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान के प्रशासन और सम्पत्तियों और निधियों के प्रबंधन के लिए स्कीम के खण्ड 9(1)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें स्कीम के अन्य उपबंधों और विनियमों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान के प्रशासन और सम्पत्तियों और निधियों के प्रबंधन के लिए स्कीम के खण्ड 9(1)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें स्कीम के अन्य उपबंधों और विनियमों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03½ बजे

(दो) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों का निर्वाचन करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों का निर्वाचन करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

(तीन) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम प्रश्न काल के पश्चात अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे देश में एलपीजी, रसोई गैस की जबर्दस्त किल्लत हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में साढ़े चार सौ से लेकर पांच सौ रुपये तक के सिलेंडर बिके हैं। दो सौ, ढाई सौ रुपये तक अधिक लेकर लोगों ने रसोई गैस सिलेंडर को ब्लैक में बेचा है। आपके माध्यम से मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री और भारत सरकार से मांग करता हूं कि एलपीजी रसोई गैस की चोरी और जमाखोरी को रोका जाए और घरेलू गैस की जितनी आवश्यकता है उसके मुताबिक लोगों को रसोई गैस मुहैया कराई जाए, ताकि सामान्य जन रसोई गैस का उपभोग कर सकें।

जहां तक जमाखोरी और चोरबाजारी का सवाल है तो जयपुर के समाचार पत्रों में आया है कि देश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां कमर्शियल यूज की एलपीजी की जमाखोरी हो रही है, उन जमाखोरों पर सरकार छापामारी करे और केन्द्र सरकार और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इस ओर ध्यान दे ताकि संपूर्ण भारत में एलपीजी गैस जरूरत के मुताबिक जन–सामान्य को मुहैया हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ, कृपया संक्षेप में स्वयं को इनकी बात से सम्बद्ध कीजिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, मैं भी इसी मुद्दे पर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले डेढ़ वर्ष में यूपीए की सरकार ने 50 रुपये प्रति सिलेंडर घरेलू एलपीजी पर बढ़ाया है। लेकिन त्योहारों और पर्वों के अवसर पर घरेलू उपभोग में आने वाली एलपीजी की किल्लत का जिस तरह से लोगों को सामना करना पड़ा है, उससे लोगों में आक्रोश बढ़ा है। सामान्य जन में बड़ी तेजी के साथ दो बातें फैली हैं। एक, केन्द्र सरकार ने एलपीजी का कोटा आधा कर दिया है। अगर केन्द्र सरकार ने कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए एलपीजी का कोटा आधा किया है तो तुरन्त इसको बहाल किया जाए और घरेलू

उपभोग में आने वाली एलपीजी गैस के कोटे को पूर्व की भांति, जिस तरह से एनडीए सरकार ने कोटा बहाल किया था वही कोटा सुलभ कराया जाए। जो सब्सिडी सरकार द्वारा तेल कंपनियों को मिलती थी वह सब्सिडी भारत सरकार ने तेल कंपनियों पर छोड़ दी है कि वह सब्सिडी तेल कंपनियां वहन करेंगी। महोदय, इस प्रकार की स्थिति आ रही है कि तेल कंपनियां उस एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा को बहाल नहीं कर पा रही हैं। जनमानस में भारी आक्रोश है क्योंकि सरकार ने नीति बनाई है कि 40 दिनों में एक 14 किलो का गैस सिलेंडर एक परिवार में चलेगा, लेकिन यह संभव नहीं लगता है क्योंकि वह सिलेंडर मुश्किल से 20–22 दिन ही चल पाता है। कोटा आधा जो किया गया है व जनमानस को आक्रोशित कर रहा है और लोग उससे त्रस्त हैं। इसलिए उस कटौती को दूर करके, उस कोटे को बहाल किया जाए।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं भी इनकी बात से स्वयं को सम्बद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। सभी को सूचना देनी पड़ती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तमिलनाडु और पांडिचेरी में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै) : तमिलनाडु के वर्षों के इतिहास में, लोगों ने कभी इतने बुरे दिन नहीं देखे होंगे और जान–माल का इतना भारी नुकसान भी नहीं हुआ होगा।

तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई सहित 15 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कड्डलुर जिला पूरी तरह जलमग्न हुआ है। मदुरै जिले की मेलुर तालुक पूरी तरह जलमग्न है। निचले क्षेत्रों में सैकड़ों गांव रातोंरात लापता हो गए हैं। एक अनुमान के अनुसार, कड्डलुर जिले में 2.2 लाख एकड़ और पूरे तमिलनाडु राज्य में 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर खेती पूरी तरह नष्ट हो गई है।

सभी कनमोई, झीलों, तालाबों, जलाशयों, ऊरानी आदि में

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

बड़ी–बड़ी दरारें आ गईं और पानी के तेज बहाव में साथ लगी धान के खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गईं।

यदि तमिलनाडु सरकार ने सभी महत्वपूर्ण नहरों की नियत समय पर खुदाई करने और अप्राधिकृत अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए होते, तो इस आपदा को काफी हद तक रोका जा सकता था। इसके अलावा सभी जल भण्डारण स्रोतों की नियमित रूप से खुदाई और गाद निकालने संबंधी कार्य पूरा नहीं किया गया था।

प्रभावित जिलों की बहुत–सी सड़कें बाढ़ में बह गई हैं। लगभग सभी नदियों में बाढ़ आ गई है। पानी के प्रवाह के साथ रेल की पटरियों के बीच की भूमि भी बह गई। परिणामस्वरूप बहुत से कस्बे बगैर परिवहन सुविधा के टापू जैसे बन गए। जल समाधि से शव निकाले जा रहे हैं। दो भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो यात्री बसें नदी के पानी में बह गईं जिसमें 150 यात्रियों के मारे जाने की सूचना है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले, भूमिहीन, गरीब, दलित, अनुसूचित जनजाति आदि से संबंधित कई लाख लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे लोगों को तमिलनाडु सरकार से मात्र 1000 या 2000 रुपये की सहायता प्राप्त हुई है जो कि अत्यन्त अपर्याप्त है। मिट्टी की दीवारों से बने उनके घर एकदम ढह गए और छप्पर नीचे आ गिरा।

निःसंदेह यह एक राष्ट्रीय आपदा है। इसीलिए मैं सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध करता हूं।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि महामारी रोकने हेतु बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को तुरन्त समुचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए, सड़क मार्गों की तुरन्त मरम्मत कराई जाए, रेल मार्ग को तुरन्त बहाल किया जाए, सहायक नहरों सहित जल भण्डारण के सभी स्रोतों की गाद निकाली जाए, पक्के घरों का निर्माण किया जाए और उन्हें उन सभी लोगों को मुहैया कराया जाए जिनके घर बाढ़ में नष्ट हो गए हैं, उन सभी परिवारों को 5000 रुपये की सहायता दी जाए जो बाढ़ में अपनी सम्पत्ति खो चुके हैं तथा युद्ध स्तर पर तत्काल कार्यवाही की जाए और सभी तरह के पुनर्वास कार्य आरम्भ किए जाएं। ग्रामीण लोगों नामतः छोटे व्यापारी, चरवाहे, हथकरघा बुनकर और छोटे शिल्पकारों के सभी ऋण माफ कर दिए जाएं।

मैं माननीय श्री शिवराज वि. पाटील और श्री पी. चिदम्बरम और सभी केन्द्रीय मंत्रियों का तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का समय पर दौरा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहली किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता अपर्याप्त है। अतः इसमें वृद्धि की जाए। केन्द्र को तमिलनाडु बाढ़ सहायता के लिए कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपये की राशि देने पर विचार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मैं केन्द्र सरकार से इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके सभी संभव सहायता प्रदान करने और पुनर्वास संबंधी सहायता देने का अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे सभा की कार्यवाही का संचालन करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस देने का कष्ट किया है, वे अपनी बारी के लिए इतमीनान से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप बिना कोई सूचना दिए अब विशेष उल्लेख का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सही नहीं है।

***श्री ए. के. एस. विजयन** (नागापट्टिनम) : कम से कम पिछले 50 वर्षों में तमिलनाडु के इतिहास में पहले न सुनी गई अभूतपूर्व प्राकृतिक विनाश के रूप में लगातार मूसलाधार वर्षा से नागापट्टिनम, तिरूवरूर, कड्डालोर, तिरूचि, शिवगंगा, रामनाथपुरम, थिरूवल्लूर, पेरामबलूर और मदुरै सहित 15 जिलों में काफी विनाश हुआ है। केवल नागापट्टिनम जिले में ही जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है कम से कम 2.5 लाख एकड़ भूमि भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ में डूब गई है और लोग बेरोजगार और आश्रयविहीन हो गए हैं। थिरूवरूर जिले में लगभग 1.50 लाख एकड़ भूमि में खड़ी फसल नष्ट हो गई है। अनेक तालाब और सिंचाई वाली नहरों पर बने बांध टूट गए हैं। सड़कें भी अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन सभी दुर्घटनाओं के पश्चात भी पर्याप्त रूप से लोगों तक राहत नहीं पहुंची है। इन दोनों जिलों में लगभग 50,000 मकान ढह गए हैं। कम से कम लगभग एक लाख परिवारों को उनके मकानों में आंशिक रूप से क्षति पहुंचने के कारण हानि हुई है। जब हमारे नेता डा. कलैगनार करूणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तथा वर्ष 1971 में उन्होंने भारत में पहली बार आदि द्रविड़ों जो अनुसूचित जाति के लोग हैं के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण करने के लिए एक अनूठी योजना शुरू की थी। प्रत्येक इकाई को उस समय 4500 रुपये की लागत पर बनाया गया था। वे सभी मकान अब डूब गए हैं तथा अब उन मकानों को पुनः अलग स्थान पर बनाए जाने की आवश्यकता है। अतः, दलितों, जो इस बाढ़ से काफी प्रभावित

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

हुए हैं, हेतु मकानों का निर्माण करने की आवश्यकता है। आवासीय इकाइयों की मरम्मत करने के मद्देनजर 15000 रुपये का अनुदान तो अवश्य दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनके मकन पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं उन्हें नए मकान अवश्य मिलने चाहिए और उसी तरह से उन्हें राहत भी दी जानी चाहिए। प्रभावित लोगों को आई.ए.वाई और एस.जी.वाई. योजनाओं के तहत मकान अवश्य ही मिलने चाहिए। जिन लोगों की खेती–योग्य भूमि है जहां बाढ़ आ गई और वह भूमि खेती–योग्य नहीं रही उसके लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सभी राहत उपाय बिना किसी भेदभाव के समुचित ढंग से प्रभावित लोगों तक पहुंचें, सर्वदलीय निगरानी समितियां बनाई जानी चाहिए। 27 नवम्बर को हमारे माननीय गृह मंत्री ने अपने दो दिन के दौरे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने यह बताया कि केन्द्र दो दिनों के भीतर सभी संभव राहत भेजेगा। परन्तु नागापट्टिनम में उसी शाम तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने केन्द्र की आलोचना की थी। सूनामी प्रभावित लोगों को अभी तक तमिलनाडु में राहत मिलनी शेष है। स्थाई पक्के मकानों का निर्माण उन लोगों के लिए अभी तक नहीं किया गया है जो उस समय बेघर हो गए थे। मैं पहले ही इस सम्माननीय सभा में यह बात कह चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण नहीं दे सकते। मैं इस तरह इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री ए. के. एस. विजयन : मैंने पुख्ता साक्ष्य के साथ यह बताया है कि सूनामी राहत उपायों की समुचित ढंग से लागू नहीं किया गया था। परन्तु यह खेद की बात है कि माननीय गृह मंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया अभी नहीं दी है। उन्होंने अभी भी तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के प्रति नरम रवैया अपनाया हुआ है जो मेरी समझ से परे हैं।...*(व्यवधान)* हमारे नेता डा. कलैगनार ने तुरन्त सभी दलों की एक बैठक बुलाई जब उनके पास यह समाचार पहुंचा कि लाखों लोग अत्यन्त कठिनाई में पड़ गए हैं। उन्होंने तमिलनाडु सरकार द्वारा मांगी गई हर संभव सहायता देने हेतु केन्द्र से अपील की थी। उन्होंने राहत कार्य देखने हेतु सर्वदलीय निगरानी समितियों की स्थापना की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। मैं सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा और नागापट्टिनम तथा थिरूवरसूर जिलों को सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मानने और घोषित करने का भी आग्रह करता हूं। एक केन्द्रीय दल और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को क्षति का मूल्यांकन करने और राहत पैकेज की सिफारिश करने हेतु भेजा जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया है। कृपया अब आप बैठिए और मेरी बात सुनिए। मैं इस संबंध में ध्यानाकर्षण या चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। आप केवल यहां उल्लेख करके सभी समाधान (हल) नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं क्योंकि संबंधित माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए यहां पर नहीं हैं।

मैं ध्यानाकर्षण की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। यदि कोई नोटिस दिया गया है तो मैं उसकी अनुमति तुरन्त दूंगा। आप किस प्रकार से ऐसी महत्वपूर्ण समस्या का केवल उल्लेख करके हल प्राप्त कर सकते हैं? मैं नोटिस देने वाले लोगों को बुला रहा हूं। श्री खारवेनथन, कृपया संक्षेप में बोलिए। यह राहत प्राप्त करने का तरीका नहीं है। यदि आप एक समुचित चर्चा चाहते हैं तो आपको माननीय मंत्री से उत्तर देने की मांग करनी चाहिए। वह एक उचित प्रस्ताव देकर किया जा सकता है।

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ के कारण तमिलनाडु और पांडिचेरी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लगभग 15 जिले जिसमें मेरा जिला डिंडिगुल भी शामिल है, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। डिंडिगुल जिले में विशेषकर पलानी, बेदासंदूर, ओटानछतीराम, नाथम और डिंडिगुल शहर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उपर्युक्त सभी जिलों में हजारों करोड़ रुपये की फसल बह गई है। कृषकों की गन्ने और धान जैसी फसलें नष्ट हो गई हैं। ओटानछतीराम में हाल ही में निर्मित तनगंजीयार बांध में दरार आ गई। वेदसंदूर, अथुमेदू क्षेत्रों में विशेषकर राजगोपालपुरम, इंदिरानगर, कुनगुमाकलियाममन कॉयल स्ट्रीट, अन्नानगर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभी आवासीय भवन और किराना दुकानें बह गई हैं। वेदसंदूर तालुक में वेदसंदूर, वाडामदुरै, कुजीलियामबारी में हजारों लोगों के मकान, बर्तन और सभी सम्पत्ति खो गई है।

महोदय, मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले धन का आवंटन करते समय राज्य सरकार के अधिकारी एक दल से संबंधित मुख्य रूप से गैर–प्रभावित लोगों का चयन कर रहे हैं। केवल कुछ प्रभावित लोगों को ही इसका लाभ मिला है। राज्य सरकार बाढ़ राहत केन्द्र खोलने में विफल रही है। अधिकांश गांवों मे अनेक लोग प्रभावित हुए हैं और कई रोग भी वहां फैल रहे हैं। राज्य सरकार इन लोगों को कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रही है। अतः, मैं संघ सरकार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और वहां के लोगों के लिए कम से कम 5000 करोड़ रुपये की पर्याप्त निधि का आवंटन करने का अनुरोध करता हूं। माननीय गृह मंत्री और माननीय वित्त मंत्री ने पहले ही सभी क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। उन्हें बेघर लोगों हेतु मुफ्त मकानों के निर्माण के लिए आवश्यक निधियां आवंटित करनी चाहिए। प्रभावित

लोगों को चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए। जलाशयों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। जहां तक किसानों का संबंध है उन्हें प्रति एकड़ 5000 रुपये की राशि दी जानी चाहिए जिन्होंने धान और गन्ने जैसी अपनी फसलों को खो दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि आप चर्चा नहीं चाहते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। केवल विशेष मामले के रूप में मैं श्री गणेशन को बुला रहा हूं क्योंकि उन्होंने नोटिस दिया है और मुझसे मिले भी थे। कृपया कोई भी व्यक्ति अपना हाथ न उठाए।

श्री एल. गणेशन (तिरूचिरापल्ली) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के कारण तमिलों की व्यथा और कष्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु मुझे यह अवसर देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।

महोदय, असहनीय व्यथा और कष्ट के साथ मैं तमिलनाडु में हुए इस विनाश को इस सरकार और इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। महाकाव्यों में उल्लेख की जाने वाली प्रलयंकारी बाढ़ ने अब तमिलनाडु को क्षति पहुंचाई है। लगातार पांच दिनों तक हुई मूसलाधार वर्षा ने तमिलनाडु में अकल्पनीय क्षति और अत्यधिक विनाश किया है। नदियों में बाढ़ आई हुई है जिसने खड़ी फसलों सहित लाखों एकड़ भूमि को जलमग्न कर दिया है। नदियों के बांध अनेक जगहों पर टूट गए हैं जिससे जल धीरे-धीरे रिस रहा है और कई गांवों को डूबो रहा है। सड़क और रेल पटरियां कई जगहों पर बह गई हैं। पुलों और पुलियों को काफी क्षति पहुंची है। यहां तक कि यातायात पूरी तरह रुक गया है। यह और भी महत्वपूर्ण है कि लाखों एकड़ भूमि में खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसके अतिरिक्त बाढ़ ने 150 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री का 500 करोड़ रुपये की राशि तुरन्त आवंटित करने हेतु मुक्तकंठ से धन्यवाद करता हूं। पहले, केवल मूल्यांकन आदि करने के पश्चात ही वे धन आवंटित किया करते थे परन्तु जहां तक इस घटना का संबंध है वे इतने परोपकारी निकले की उन्होंने 500 करोड़ रुपये की राशि तमिलनाडु राज्य को आवंटित कर दी। उन्होंने स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु तुरन्त ही केन्द्रीय मंत्रियों के एक दल को वहां भेजने की भी व्यवस्था की।

महोदय, कल हम अपने महासचिव श्री वैको के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे। उस समय भी उन्होंने यह वायदा किया है कि जो कुछ भी सम्भव है वह किया जाएगा। यह तमिलनाडु में जैसे ही घटित हुआ, डा. कलैगनार, जो लोकतांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष हैं ने सहयोगी दलों की एक बैठक बुलाई।

उन्होंने भारत सरकार से राजनीति में विभिन्न मतभेदों के बावजूद हर संभव प्रयास करने की अपील की। वे बहुत ही शुभचिंतक रहे हैं और उन्होंने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता देने हेतु भारत सरकार से अपील करके लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वाह किया है। यही उन्होंने कहा था।

ऐसी परिस्थितियों में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करना चाहूंगा—भारी राशि व्यय की जाएगी और निश्चित रूप से दुरुपयोग की बहुत संभावना होगी। मैं किसी पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको इस समय इन सब बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एल. गणेशन : महोदय, दुरुपयोग रोकने हेतु कोई तन्त्र विकसित किया जाना चाहिए। इस तन्त्र के तहत सभी स्थानीय निकायों के निर्वाचित अध्यक्ष, क्षेत्र के निर्वाचित विधान सभा के सदस्यों तथा लोक सभा के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गणेशन यह एक विशेष उल्लेख है, आप लंबा भाषण नहीं दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एल. गणेशन : महोदय, बाढ़ के कारण खेतों में रेत जमा होने से भूमि खेती योग्य नहीं रह गई है। इसलिए इसे खेती योग्य बनाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

अतिरिक्त ऋण दिए जाने चाहिए। अन्यथा कृषि करना संभव नहीं होगा।

अब मैं अंतिम मुद्दे पर आता हूं। सभी क्षेत्र जलमग्न हैं। यदि कृषि फिर से आरम्भ करनी है तो उर्वरक, कीटनाशक आदि पहले ही देने होंगे। अतः, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूं कि जनजीवन पुनः सामान्य बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : तमिलनाडु के माननीय सदस्यो, मैं मामले की गंभीरता को पूरी तरह समझता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे पूरी बात कहने दें। मैं समझता हूं कि इस मामले पर सभा में यथाशीघ्र समुचित चर्चा की जानी चाहिए। मैं ध्यानाकर्षण के अन्तर्गत या नियम 193 के तहत इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। यदि आप अध्यक्ष को सहयोग नहीं देंगे तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आप सभी लम्बे भाषण दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आपने कोई नोटिस ही नहीं दिया है तो कृपया मत बोलें। मुझे कुछ कहने के लिए मजबूर मत करें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कृपया इस मामले पर नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए नोटिस दें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमने पहले ही नोटिस दिया है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि नोटिस दिया गया है, तो मैं इस पर विचार करूंगा। मैंने अपने कार्यालय को इस बारे में सूचित कर दिया है।

हम सब इस पर बहुत चिंतित हैं। आपने बीस मिनट ले लिए हैं। ध्यानाकर्षण पर क्या बोलेंगे? बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।

अपराह्न 12.23 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन के एक कर्मचारी की तालिबान आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया सीमा सड़क संगठन संबंधी मामले पर बोलिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, भारत की बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन के ड्राइवर श्री आर. के. मनियप्पन की अफगानिस्तान में तालिबान ने हत्या की। प्रणव मुखर्जी जी ने कल यहां जिक्र करते हुए उल्लेख किया कि सरकार जो कुछ कर सकती थी उसने किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनका वक्तव्य गलत है, सरकार को जो कुछ करना चाहिए था, उसने नहीं किया। 19 नवम्बर को उसका अपहरण हुआ और 19 नवम्बर के बाद 22 नवम्बर को उसकी हत्या हुई। 19 नवम्बर से सबको मालूम था कि उन्होंने धमकी दी थी और उनसे कांटेक्ट करने का, बातचीत करने का, मिलने का या उसे छुड़ाने का कोई इंतजाम इस सरकार ने नहीं किया। शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि वह ड्राइवर था, अगर कहीं किसी बड़े व्यक्ति का कोई रिश्तेदार होता या कोई और बात होती तो उसे छुड़ाने का इंतजाम किया जाता। परन्तु वह एक ड्राइवर था जो भारत की तरफ से, सरकार की ओर से भेजा गया था। उसकी गला काटकर, गला रेत करके इस तरह से हत्या कर दी गई। उसे मार डाला गया, उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। भारत सरकार ने केवल लाश बरामद करके उसके परिवार को कुछ धनराशि देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री की। इससे ज्यादा महत्व की बाज यह है कि यहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तीन बार इस बात को दोहराया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत और अफगानिस्तान की मैत्री हो। उन्होंने कहा कि वहां पर अपनी सहायता विड्रा कर लें नहीं तो हम हत्या करेंगे। परन्तु कल यह कह दिया गया कि का जो भाषण था, उन्होंने जो कुछ कहा था उसे गलत ढंग से पेश किया गया है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि जो पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा हो उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाए। आखिर क्यों नहीं पाकिस्तान से इस बात को टेक अप किया या सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? श्री एम. के. नारायणन ने दो जगह भाषण दिया और कहा :

[अनुवाद]

> "यह एक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही है", नारायणन ने कहा। "उन्होंने दावा किया कि इस दुःखद घटना से भारत–अफगानिस्तान संबंध प्रभावित नहीं होंगे। पाकिस्तान का उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्तों में दरार डालना था।"

[हिन्दी]

जब पाकिस्तान ने हमारे साथ वायदा किया हुआ है, फिर वह ऐसी हरकत करता है। सरकार उस पर पर्दा डालकर उसे कवर नहीं करे बल्कि पाकिस्तान से प्रोटैस्ट करे जो उन्होंने कार्यवाही नहीं

की है। मैं यूपीए सरकार को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराता हूं। उसे बचाया जा सकता था लेकिन बचाया नहीं गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको ध्यान होगा कि अध्यक्ष ने पहले ही दिन उस घटना की निन्दा की थी।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, कल माननीय रक्षा मंत्री ने इस मामले पर विस्तृत वक्तव्य दिया था। कल की चर्चा में श्री एम. के. नारायणन के वक्तव्य के संबंध में प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री एल. के. आडवाणी ने भी इस मामले को उठाया था। यदि मेरी याददाश्त सही है तो माननीय रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि श्री नारायणन ने उन्हें कहा था कि समाचार पत्रों में उनके कथन को गलत रूप से प्रकाशित किया गया है, इसे गलत रूप से प्रकाशित किया गया था।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मि. नारायणन खुद क्यों नहीं कंट्राडिक्ट कर रहे हैं?

[अनुवाद]

उन्हें इसका खंडन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मंत्री किसी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मंत्री कर रहे हैं वह खुद क्यों नहीं करते?

[अनुवाद]

उन्हें ऐसा कहना चाहिए था। उन्हें खंडन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी राय है। वह अपना वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री विजय हान्डिक : चूंकि उन्होंने वक्तव्य दिया है इसलिए मैं निश्चित रूप से यह मामला रक्षा मंत्री के समक्ष रखूंगा। यदि वो इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस मामले को उठाया है।

श्री विजय हान्डिक : मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उनसे संपर्क करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे। अफगानिस्तान में हमारे दूतावास ने माननीय राष्ट्रपति श्री करजई से तत्काल संपर्क किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रुप से संपर्क करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। परन्तु ऐसा करना कठिन है क्योंकि वहां ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत है जो विगत में तालिबानी थे। परन्तु मुझे अत्यन्त खेद है कि प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने यह गलत कहा था कि रक्षा मंत्रालय ने कुछ भी नहीं किया।

अपराह्न 12.31 बजे

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन के एक अधिकारी की अपने कर्तव्य पालन के समय हुई हत्या के बारे में

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं सभा तथा संपूर्ण देश का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अलग-अलग समय अलग-अलग भागों में किस प्रकार हमारे प्रतिभाशाली नौजवान अधिकारी मारे जा रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। श्री मंजुनाथ षणमुगम, आईआईएम, एमबीए स्नातक थे। वे बहुत ही प्रतिभावान युवा आईओसी अधिकारी थे। वह ईंधन में मिलावट की जांच कर रहे थे। अन्ततः उन्होंने कुछ दोषियों की पहचान की तथा कुछ पेट्रोल पंपों को बंद करने का निर्णय किया क्योंकि वे मिलावटी पेट्रो-उत्पादों को बेच रहे थे। आप जानते हैं कि यह अधिकारी खीरी, उत्तर प्रदेश में मारा गया।

आपको स्मरण होगा कि पहले एक युवा प्रतिभाशाली इंजीनियर ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। उन्होंने इस आशा के साथ प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि राष्ट्र का इस ओर ध्यान जाएगा परन्तु इसके विपरीत उन्हें मार दिया गया। वह पत्र लीक हो गया। ऐसा विगत में भी हुआ है। दोबारा ऐसा ही हुआ है। यदि इसे रोका नहीं गया तो केवल भ्रष्ट लोग ही जीवित रहेंगे। इस लड़के ने 3,50,000 रुपये का शैक्षिक ऋण लेकर अपनी डिग्री प्राप्त की। वह इसे पूर्ण रूप से चुका भी नहीं पाया। उसने इसका पुनर्भुगतान करना शुरू कर दिया था। वह आसानी से उन लोगों से रिश्वत भी ले सकता था तथा ऋण का भुगतान कर सकता था। इसके विपरीत, राष्ट्र हित में उसने राष्ट्र को बचाने के लिए एक सही निर्णय लिया। वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा हुआ। जब उसने इसे रोकने की कोशिश की तो उसे गोली मिली। यदि संपूर्ण राष्ट्र ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेगा तो नौजवान देश के लिए

प्राण न्यौछावर करना नहीं चाहेंगे। क्यों नौजवान लोग देश के लिए प्राण न्यौछावर करेंगे। वे भ्रष्ट तरीके अपनाएंगे। वे लूट–खसूट करेंगे। ऐसा हो रहा है। शीर्षस्थ लोग, अनेक नौकरशाह, राजनेता, अधिकारी इत्यादि लूट रहे हैं। अपराधियों तथा व्यवसाइयों के बीच सांठ–गांठ है। यह सांठ–गांठ देश को बर्बाद कर रही है। यदि देश का विवेक नहीं जगा, यदि हमने इन सब चीजों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई, तब ईमानदारी केवल एक इतिहास की बात बन जाएगी। इसलिए, यह एक गंभीर मामला है। मैं केन्द्र सरकार से, सभी राज्यों, राजनेताओं तथा राजनैतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार के अपराधिकरण के विरुद्ध आवाज उठाएं तथा उन ईमानदार लोगों का साथ दें जो हमारे प्रशासन तथा प्रणाली को स्वच्छ करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान समय में यह अति महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, धन्यवाद। मैं श्री एस. मंजुनाथ जो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और आईओसी के बिक्री अधिकारी थे तथा केजीएफ, कर्नाटक से थे, की जघन्य हत्या की निन्दा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सारी बात का ताल्लुक डीजल में मिट्टी का तेल की मिलावट से है। वास्तव में, 1997 में टाटा इकानामिक कंसलटेंसी सर्विसेज के अध्ययन में यह बताया गया कि पीडीएस का लगभग 38.6 प्रतिशत मिट्टी के तेल की कालाबाजारी तथा मिलावट हेतु विपथन किया जा रहा था। इसका अर्थशास्त्र इस प्रकार है कि यदि 400 लीटर मिट्टी के तेल को 600 लीटर डीजल के साथ मिलाया जाए तो उसमें डीलर को 9468 रुपये का लाभ होता है। परन्तु यदि वह ईमानदारी से बिना मिलावट किए हुए ऐसा करता है तो उसे केवल 509 रुपये की छोटी सी राशि कमीशन में प्राप्त होती है। देश में 1 लाख बिक्री केन्द्रों में से पिछले वर्ष केवल 0.5 प्रतिशत बिक्री केन्द्रों की जांच की गई।

इसलिए महोदय आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि यहां तक कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में शोक संवेदना भी जारी नहीं की। उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। न केवल श्री एस. मंजुनाथ द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण को माफ किया जाना चाहिए बल्कि उसके परिवार को मुआवजा भी देना चाहिए तथा अपमिश्रण करने वाले माफिया का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की जानी चाहिए। मैं सरकार से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं। मेरे वरिष्ठ मित्र, श्री हन्ना मोल्लाह ने इस मुद्दे को उठाया है। यह अत्यन्त गंभीर मुद्दा है। कुछ देर पूर्व हम अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन के एक हमवतन की हत्या पर चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में हुई यह घटना भी इसी प्रकार की है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने नोटिस में बिहार की चर्चा की है।

श्री अनंत कुमार : महोदय, यह उत्तर प्रदेश है। इसलिए मैं सरकार से इसका उत्तर देने का अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)* चूंकि हमने तीन मांगें उठाई हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि अध्यक्षपीठ इस मामले की गंभीरता से आपसे सहमत है। मुझे यकीन है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री अनंत कुमार : आप इस मामले में अपनी गंभीरता तथा संवेदना प्रकट कर चुके हैं श्री बालू...*(व्यवधान)*

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : यह गंभीर मुद्दा है। निश्चित रूप से संबंधित मंत्री को तद्नुसार सूचित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि आप दोनों माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया है। मैंने आपको समय दिया हालांकि आपने थोड़े विलम्ब से शुरू किया।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) मेरा प्रश्न अविलंबनीय महत्व के मामले के संबंध में है। मैं 24 तारीख से इसका अनुरोध कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। अब आपको मौका मिला है।

डा. टोकचोम मैन्या : मैं कहना चाहता हूं कि 17 नवम्बर, 2005 को क्वार्टर फाइनल मैच में रेफरी द्वारा लिया गया एक निर्णय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तथा विवादास्पद था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेफरी का मामला।

डा. टोकचोम मैन्या : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : आपको रेफरी का मामला यहां नहीं उठाना चाहिए। हम यहां पर रेफरी का मामला कैसे उठा सकते हैं?

डा. टोकचोम मैन्या : यह फैसले के बारे में है। मैं उस बात पर आ रहा हूं, यह मामला संतोष ट्राफी के एक फुटबाल मैच के बारे में है जो मणिपुर और गोवा के बीच खेला गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आपने इस बारे में नोटिस नहीं दिया है।

डा. टोकचोम मैन्या : कृपया मेरा मजाक मत उड़ाइए। इस बारे में मेरा अपना तर्क है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

डा. टोकचोम मैन्या : महोदय, मैं समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आप ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? किसी रेफरी के मामले को यहां कैसे उठाया जा सकता है? आपको पहले मुझसे मेरे कक्ष में मिलना चाहिए था। मैं देखता कि आपको क्या कहना है। यदि यह गृहीत करने योग्य नहीं होता तो मैं इसे काट देता। केन्द्र सरकार का किसी रेफरी के निर्णय से क्या लेना–देना? आप ही बताइए।

डा. टोकचोम मैन्या : महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं यह इस पर निर्भर है कि आप क्या कहते हैं।

डा. टोकचोम मैन्या : मेरे अपने राज्य मणिपुर में एक फुटबाल मैच के दौरान रेफरी ने खेल को तभी शुरू करा दिया जब मणिपुर की टीम गोल करने के बाद गोवा टीम के पाले में ही थी। यह वाकई..का उल्लंघन है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अनुमति दिए जाने योग्य मामला नहीं है, मुझे अफसोस है इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब मैं अपने अधिकारियों से पूछता हूं इस विषय का सूची में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए था।

...(व्यवधान)

डा. टोकचोम मैन्या : पूरा मणिपुर जल रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या यह रेफरी के निर्णय के कारण हुआ है?

...(व्यवधान)

डा. टोकचोम मैन्या : हमने खेल–कूदों में काफी योगदान दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस देश में प्रत्येक व्यक्ति फुटबाल प्रेमी है। इस देश में मात्र मणिपुर ने खेलों, विशेषकर फुटबाल के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि इस बात से प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा। इसलिए, आप इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि यदि इसमें कुछ गलत होगा, तो खेल मंत्रालय इसकी जांच करेगा।

...(व्यवधान)

डा. टोकचोम मैन्या : हमारे बीच माननीय मंत्री जी पहुंच गए हैं जो भारतीय फुटबाल संघ के अध्यक्ष भी हैं। निःसंदेह, उन्होंने हमें कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कुछ कार्यवाही की जाए। मैंने संघ के अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे मेरे कक्ष में मिल लेते तो आपको कुछ सहायता मिलती।

डा. टोकचोम मैन्या : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री किरण सिंह सांगवान (सोनीपत) : महोदय, लगभग एक महीने से देश में पैडी की फसल मार्केट में आई हुई है। भारत सरकार ने पैडी की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की थी, वह देश की कुल फसल के दस प्रतिशत के लिए है। वह सपोर्ट प्राइस भी किसानों को नहीं मिल रहा है। 90 प्रतिशत पैडी की जो फसल है, वह बासमती है, शरबती है और पुच्छल है जिसका पूरे देश के मार्केट में न कोई सरकारी और न कोई प्राइवेट ग्राहक है। किसान बुरी तरह से लुट रहा है, पिट रहा है। सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार किसान को उसकी पैडी और चावल का रेट छः–सात सौ रुपये प्रति क्विंटल कम मिल रहा है। एक तरफ हम किसान की समस्याओं के लिए बहस करते हैं और दूसरी तरफ जब फसल पककर मार्केट में आई है तो उसका कोई ग्राहक नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे किस्म की पैडी की फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। डीजल और खेती के दूसरे इनपुट्स की कीमतें बढ़ रही हैं। किसान की फसल पिट रही है। इस कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए, वह उसके मिनिमम प्राफिट के हिसाब से होना चाहिए। सभी किस्मों की फसलों को सरकार खरीदे। केवल दस परसेंट के लिए प्राइस तय कर दिया, लेकिन 90 प्रतिशत फसल देश में पिट रही है। सारे देश के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों की सुनवाई के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय से

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निवेदन है कि तुरन्त पूरे देश की रिपोर्ट मंगवाएं और किसानों को उनकी फसल का पूरा भाव दिया जाए वरना किसान बरबाद हो जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सांगवान की कही गई बातों से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आपने इस मामले पर कोई सूचना नहीं दी है।

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपनी रियासत का एक मामला उठाना चाहता हूं जो पूरे हिन्दुस्तान का मसला बना हुआ है। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष हमारे राज्य में एक एवलांच आया था और भारी बरसात हुई थी। हिन्दुस्तान की और जगहों पर भी ऐसा हुआ था। 24 हजार करोड़ रुपये का पैकेज रियासत जम्मू और कश्मीर को दिया है। उसमें बिजली के पैसे भी इनको दिए। इस कारण इलेक्ट्रिसिटी डेमेज हो गई, विशेष तौर से उधमपुर, कठुआ और डोडा जिले में सारे ट्रांसफार्मर्स भी डेमेज हो गए। दूर–दराज के इलाकों में जैसे बमाग और लाली का एरिया, कटरा और चेहरी का एरिया, लगभग एक वर्ष हो गया है अभी तक इन इलाकों को बिजली से जोड़ा नहीं गया है। उस एरिया में ज्यादातर जनसंख्या बगैर बिजली के रहती है। एक वर्ष के बाद भी उनको बिजली नहीं मिल पाई है। इस पर सरकार क्या कर रही है? मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान में बिजली संकट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से राजस्थान में गंभीर बिजली संकट है। अगर काई यूनिट फेल हो जाती है तो किसानों के सामने गंभीर संकट पैदा हो जाता है। भारत सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकार जितनी बिजली की मांग करती है, वह मांग पूरी करे और ज्यादा से ज्यादा बिजली राजस्थान को दे। खास तौर से पिछले कुछ समय से राजस्थान सरकार ने जितनी बार भारत सरकार से बिजली की मांग की है, उसे भारत सरकार ने नकार दिया है और मांग के अनुसार बिजली नहीं देने से राजस्थान के किसान काफी परेशानी में हैं।

राजस्थान में बारिश कम हुई है और कम बारिश के कारण लोग परेशान हैं, वहीं तमिलनाडु में ज्यादा बारिश होने से लोग परेशान हैं। आज भी पश्चिमी राजस्थान के लोग कम बारिश होने की वजह से परेशान हैं। वहां अगर पर्याप्त बिजली मिलती है, तो किसान अपनी पैदावार करके आपना जीवन–यापन कर सकते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा बिजली दे, ताकि राजस्थान में किसान अपनी पैदावार करके जीवन–यापन कर सकें।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने एक प्रमुख विषय लाना चाहता हूं। अभी दिसम्बर महीने में 13–18 तारीख को हांगकांग में 6वां डब्ल्यूटीओ पर मंत्री स्तरीय समावेश होने वाला है। जिस ढंग से भारत की ओर से पिछले दो समावेशों में, पहले कानकुन में और उसके पहले दोहा में, दोनों समावेशों में भारत ने लीडरशिप दिखाई और विकासशील देशों का नेता बना, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो या सेवा का क्षेत्र हो, उसमें भारत का पक्ष और सारे विकासशील देशों का पक्ष रखा। अभी भारत सरकार की ओर से मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, वह संतोषजनक नहीं है और बहुत चौंकाने वाला है। जिस ढंग से यह सरकार एक बात सुबह कहती है और शाम को दूसरी बात कहती है, उसके बारे में मैं दो–तीन उदाहरण देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई वाद–विवाद नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ईरान की बात पर वोटिंग हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दूंगा। मैं देखूंगा कि क्या कोई सूचना दी गई है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : यह सरकार अपनी बात बदलती है। जुलाई, 2004 में जनेवा से मंत्री जी जिस प्रकार से गोल–मोल रवैया लेकर आए हैं, इसमें संदेह है। सरकार की क्या मंशा है? इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा अभी नहीं हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि चर्चा हो।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : पेंटेट का भी विषय है।...*(व्यवधान)* इस पर कहा कि यह हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट है। हमारे कई श्रमिक संगठन हैं, किसान संगठन हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री धर्मेन्द्र प्रधान, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मुझे आशा है कि इस मामले पर चर्चा का यह उचित मौका होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा कराने के लिए आपको भी इनिशिएटिव लेना होगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : आप निर्देश देंगे तो चर्चा हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस मिलने के बाद ही हम आर्डर देंगे।

[अनुवाद]

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रकाशित लेख के अनुसार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप यहां कोई पुस्तक नहीं दिखा सकते हैं।

श्री मणि चारेनामै : महोदय, नार्थ ईस्ट सन पत्रिका के नवम्बर, 2005 के अंक में प्रकाशित लेख के अनुसार, मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के दूरदराज के जनजातीय गांवों में जबरन शरण लिए घाटी के भूमिगत विद्रोही संगठनों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों के फटने से बहुत से निरीह लोग अपंग हो गए और कुछ ने अपनी जान गंवा दी। भूमिगत विद्रोहियों ने जिन गांवों पर कब्जा कर रखा है, वे उन गांवों के अन्दर और बाहर बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं ताकि कोई भी न तो गांवों में प्रवेश कर सके और न गांवों से बाहर जा सके। बारूदी सुरंगों के पीड़ितों की सूचना 25 नवम्बर, 2004 से मिलनी प्राप्त हुई थी तथा तब से कम से कम छह बारूदी सुरंगें फटी हैं। नवीनतम घटना 21 नवम्बर, 2005 की है। ये सभी घटनाएं चुराचांदपुर जिले के थानलोन, हेंगलेप और तिपाईमुक उपमंडलों के अंदरूनी क्षेत्रों में हुई हैं। कुल मिलाकर चार व्यक्ति मारे गए हैं और 20 से अधिक घायल हुए हैं। जिले के असहाय जनजातीय लोगों के मन में आतंक और भय बना हुआ है। अड़ियल राज्य सरकार ने इस अत्यधिक गंभीर स्थिति का संज्ञान तभी लिया जब जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो गया, जिससे राज्य सरकार 25 अगस्त, 2005 को छात्र समूहों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हुई। समझौता ज्ञापन के सहमति के बिन्दुओं में से एक बिन्दु जिले को भूमिगत विद्रोही तत्वों रहित करना था। तथापि, आज तक राज्य सरकार द्वारा कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई है और अभी भी भूमिगत विद्रोही तत्वों के सक्रिय रहने के कारण ग्रामवासी पंगु और असहाय बने हुए हैं और उनके मन में भय और असुरक्षा की भावना है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और माननीय गृह मंत्री का ध्यान चुराचांदपुर जिले की मौजूदा गंभीर स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और यह आग्रह करता हूं कि इस मामले की व्यापक जांच कराई जाए और आतंक फैलाने वाले भूमिगत विद्रोही तत्वों से जिले को मुक्त कराने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिए जाएं। महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद। यह महत्वपूर्ण है।

श्रीमती पी. सती देवी (बड़ागरा) : महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह आश्वासन दिया है कि देश के परंपरागत उद्योगों को संरक्षण दिया जाएगा। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण देश की हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां भारी संकट से गुजर रही हैं। अब इन समितियों को दी गई छूट संबंधी सुविधाएं भी समाप्त कर दी गई हैं और ये समितियां वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। इनमें से अधिकतर समितियां यहां तक कि कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अंशदान देने में भी विफल रही हैं और अब वे राजस्व वसूली कार्यवाही का सामना कर रही हैं। इसीलिए, मैं वस्त्र मंत्रालय को हथकरघा सहकारी समितियों के ईएसआई अंशदान की बकाया राशि के भुगतान हेतु एक अलग निधि प्रदान करने का आग्रह करता हूं तथा इन समितियों को ईएसआई अंशदान राशि के भुगतान से छूट दी जाए।

अपराह्न 12.47 बजे

(तीन) बेलगांव के कर्नाटक का एक भाग होने संबंधी महाजन रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानन्द गौडा (मंगलौर) : महोदय, आप महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद से उत्पन्न हुई स्थिति से पूरी

तरह अवगत हैं। मराठी भाषी क्षेत्रों का महाराष्ट्र में विलय करने संबंधी बेलगाम नगर निगम द्वारा हाल ही में पारित विवादित संकल्प और बंगलौर में बेलगाम के महापौर पर हुए हमले के पश्चात हुई हिंसा के कारण कर्नाटक और महाराष्ट्र, दोनों राज्यों के बीच मनमुटाव पैदा हुआ है। इस संकल्प में बेलगाम के कतिपय भागों को महाराष्ट्र राज्य में मिलाने की बात थी हालांकि इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। बेलगाम के महापौर ने कन्नड़ भाषी कार्यकर्ताओं को अनावश्यक रूप से उकसाया...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे यह बात कहने की इजाजत दी जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के नागरिक का यह अधिकार है कि वह किस राज्य में रहे, इस बारे में अपनी मंशा व्यक्त कर सके।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के दो जिले हैं, जो महाराष्ट्र की सीमा पर हैं। उनमें से एक जिले, बेलगांव की कारपोरेशन को बर्खास्त किया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक सरकार ने बेलगांव की कारपोरेशन को बर्खास्त करके गलत काम किया है।... *(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढ़े : अध्यक्ष महोदय, कारपोरेशन एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसलिए उसे अधिकार है कि वह किस राज्य का अंग बनना चाहती है, इस बारे में अपना प्रस्ताव पास कर सके। राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह उसे बर्खास्त करे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानंद गौडा : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। मैं किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सदानंद गौडा की बात के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री डी. वी. सदानंद गौडा : महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप सब लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मुझे सभा स्थगित करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के बार्डर पर मराठी स्पीकिंग दो जिलों के साथ वर्षों से अन्याय हो रहा था और वह अन्याय कंटीन्यूअस चला आ रहा है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं बोलने के लिए स्वयं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कोई बात कह रहे हैं। मैं बार–बार कहता रहा हूं कि कोई अन्य इससे बाहय नहीं है, लेकिन उनका बोलने का अधिकार है। यदि आप इसका विरोध करने का अवसर चाहते हैं तो सही तरीके से कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर मुझे बोलने का मौका जरूर दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, आप अलग से चर्चा की अनुमति

दे सकते हैं। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री डी. वी. सदानंद गौडा : महोदय, उन लोगों से कहिए कि मेरी बात सुनने का धैर्य रखें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानंद गौडा : महोदय, मेरी बात पहले वे ध्यान से सुनें। उनके अनुसार बंगलौर में जो कुछ हुआ है, उससे मैं सहमत नहीं हूं...*(व्यवधान)* वे पहले मेरी बात ध्यान से सुनें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खैरे, यह बहुत अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप चिल्लाते रहिए, कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने का मौका दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हमें सोचने के लिए मौका दीजिए। दो दिन हाउस नहीं बैठा है, एक दिन काम हुआ है।

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानंद गौडा : महोदय, कृपया पहले मेरी बात सुनिए। मैं उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपके इन बिटविन जो है, आप इसे दूसरे ऑफिस में जाकर बोलिए, यहां क्यों बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानंद गौडा : महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं किसी के विरुद्ध आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि मैं केन्द्र के हस्तक्षेप की मांग कर रहा हूं ताकि ऐसी गतिविधि भविष्य में न हो। इसी कारण मैं ऐसा कर रहा हूं। वे लोग यहां खड़े होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप दोनों मेरे कमरे में आइए। मैं इसका समाधान करूंगा।

श्री डी. वी. सदानंद गौडा : महोदय, बेलगाम के मेयर ने संकल्प को पारित किया जाना सुनिश्चित कर कन्नड़ कार्यकर्ताओं को अनावश्यक भड़काया। कर्नाटक भर के कन्नड़ समर्थक संगठनों ने सत्याग्रह किया और बेलगाम महानगर पालिका....को तुरन्त बर्खास्त करने की मांग की...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे छोटा कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कल नोटिस भेजिए।

श्री रावले की टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएंगी।

...*(व्यवधान)**

श्री डी. वी. सदानंद गौडा : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कल नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, माननीय सदस्य श्री डी. वी. सदानंद गौडा बोल रहे हैं। मैं उनके भाषण से स्वयं को संबद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस देने दीजिए। मैं इसकी अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसे समान रूप से विभाजित पाता हूं...तीन सदस्य महाराष्ट्र के और तीन सदस्य कर्नाटक के। अतः यह बराबर होने जा रहा है। कोई जीता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश इस पर विचार करेगा। हम इन मामलों पर चिंतित हैं। हम एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच विवाद नहीं चाहते हैं।

[हिन्दी]

अब आप इसे खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर जाकर बातचीत कर लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानंद गौडा : महोदय, इस घटना से कन्नड़ कार्यकर्ताओं की भावनाएं भड़कीं और उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : हमारी एक ही विनती है।...*(व्यवधान)* वहां जो मारपीट हो रही है, उसे बंद कीजिए।

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानंद गौडा : निश्चित तौर पर जो कुछ किया गया है, उसकी हम सराहना नहीं कर सकते।

महोदय, इस मुद्दे पर थोड़ी हिंसा तब भड़की जब कर्नाटक रक्षण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने बेलगाम के महापौर और उप महापौर के चेहरे पर काला रंग पोत दिया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ को टिप्पणी करने दीजिए।

केन्द्र को उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जो संभव हो वे उपाय करने चाहिए ताकि दो राज्यों के बीच विवाद न खड़े हों और देश का कोई नागरिक कोई विशेष भाषा बोलने या कहीं निवास करने के कारण पीड़ित न हो। यह एक मामला है जो पूरी सरकार का कर्तव्य है और समूचे देश को इस पर विचार करना चाहिए। अतः हमें न तो कुछ ऐसा करना चाहिए और न ही कुछ ऐसा कहना चाहिए जिससे विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच की मित्रता और साहचर्य बाधित हो।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं इसे माननीय गृह मंत्री की जानकारी में लाऊंगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, हालांकि वे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वे मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं चाहता हूं कि वे मेरे मित्र बने रहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कर्नाटक एक सुन्दर राज्य है। मुझे कर्नाटक बहुत प्रिय है।

श्री डी. वी. सदानंद गौडा (मंगलौर) : निश्चित तौर पर बंगलौर में बेलगाम के महापौर के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता।

अपराह्न 12.54 बजे

(चार) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41 और 6 को चार लेनों का बनाने का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने के अलावा इसे छह लेनों तक स्तरोन्नत किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सेठ, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो सकारात्मक हो। आपको सड़क निर्माण के मुद्दे पर बोलना है।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : मेरे विचार से राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने के काम में काफी देरी हो रही है। मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण रख रहा हूं। हमारे मंत्री महोदय भी यहां उपस्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या का पत्तन संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है। उस सड़क पर निर्माण की प्रगति बहुत धीमी है। तीन वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है और केवल 25 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, स्वर्ण चतुर्भुज का एक हिस्सा है। इस सड़क पर भी निर्माण की प्रगति बहुत धीमी है। अतः कई पुलों पर निर्माण कार्य अपूर्ण हे। मेरा मानना है कि राजग शासन के दौरान जिन ठेकेदारों का चयन किया गया था, वे पूरी

तरह भ्रष्ट हैं। मेरी राय में उनकी विश्वसनीयता की जांच नहीं की गई थी। ये ठेकेदार इस तरह के कार्य नहीं कर सकते।

हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41, जो पत्तन संपर्क परियोजना का हिस्सा है, को चार लेन वाला बनाने के काम को तेजी से पूरा करना चाहते हैं। अन्यथा हल्दिया जो अग्रणी औद्योगिक केन्द्र है वह नित्य यातायात अवरोध और भीड़भाड़ का सामना करता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप भाग्यशाली हैं कि मंत्री महोदय यहां हैं।

श्री लक्ष्मण सेठ : माननीय मंत्री महोदय ने हल्दिया का दौरा किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह उन पर है, मैं उन्हें आपको जवाब देने हेतु बाध्य नहीं करूंगा।

श्री लक्ष्मण सेठ : वह निश्चित रूप से मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और काम में तेजी लाने के लिए समुचित कार्यवाही करेंगे। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 6 और राष्ट्रीय राजमार्ग 41 को छः लेन का करने के लिए भी उनकी स्वीकृति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को दोहराएं नहीं। मैं स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। किसी भी माननीय सदस्य को अध्यक्षपीठ की अवज्ञा करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से इसका जवाब न देने के लिए कहूंगा।

श्री लक्ष्मण सेठ : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अनिश्चित समय नहीं ले सकते।

श्री लक्ष्मण सेठ : मैं यहां उपस्थित माननीय मंत्री श्री टी. आर. बालू से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 और राष्ट्रीय राजमार्ग 41 के चार लेन के निर्माण कार्य को पूरा करने और छः लेन का करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कदम उठाएं।

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णतः उनके ऊपर है और मैं उन्हें नहीं रोक रहा हूं, क्योंकि यह पहली बार है।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : वास्तव में, श्री लक्ष्मण को यह जानकारी होगी.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है, वह हालात बदतर बना रहे हैं।

श्री टी. आर. बालू : नहीं, महोदय, सभी मेरे पुराने अच्छे मित्र हैं। वास्तव में बात यह है कि मैं हल्दिया गया था और मैंने मामले का गहन अध्ययन किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 41 और 6 पर आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैं यह देखूंगा कि दोनों सड़कें यथासम्भव शीघ्र पूरी कर ली जाएं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे प्रस्ताव सहित।

श्री टी. आर. बालू : यह मेरी प्राथमिकता है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में अरपामेंसाझाल योजना केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। मैं उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि बिलासपुर में अरपामेंसाझाल परियोजना के आफिस भी खुल गए हैं, वहां आफिसर्स और कर्मचारी भी मौजूद हो गए हैं, भवन भी बन गए हैं और वहां इतनी कालोनी भी बन गई हैं, ऐसी परिस्थिति है। इस योजना की लागत लगभग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इससे दो लाख किसानों की लगभग एक लाख हेक्टेयर जमीन की आबपाशी होगी। वहां के किसान परेशान हैं, हताश हैं, जबकि पूरी योजना विचाराधीन है।

वहां कम से कम पचासों वर्षों से सिंचाई की सुविधा से लोग वंचित हैं, वहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। वहां के गरीब लोग भोपाल, दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ कमाने जाते हैं, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है। इस परिस्थिति को देखते हुए यह योजना ऐसी है, जिससे बिलासपुर तहसील, बिल्हा तहसील, तखतपुर क्षेत्र और कोटा के गांवों के दो लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि अरपामेंसाझाल योजना को स्वीकृति दी जाए, जिससे वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति, माली हालत सुधरे, वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति में सम्पन्नता आए। वहां के किसान देश के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपने बच्चों का पालन–पोषण करें और देश और समाज में गति को सामने लाने में सहयोग दें।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली और मुम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निजीकरण संबंधी केन्द्र सरकार का कथित निर्णय खतरनाक है।

मैं मानता हूं कि उनका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और उन्हें पर्याप्त उपस्कर मुहैया कराए जाने चाहिए। यह सरकारी क्षेत्र में ही किया जा सकता है, निजी क्षेत्र में नहीं। तथापि, सरकार उन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए निजी पूंजी आमंत्रित करके आसान रास्ता इख्तियार कर रही है। अब खतरनाक स्थिति यह है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न शामिल है। अतः, राष्ट्रीय सुरक्षा को निजी हितों वाले व्यक्तियों के हाथों में नहीं दिया जा सकता।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली और मुम्बई में हवाई अड्डों के निजीकरण के मामले में आगे कार्यवाही न करे।

इसके साथ ही मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि दुर्भाग्यवश, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कोई विकास नहीं हुआ है। त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थिति बहुत खराब है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भारतीय निवेशक ढूंढ़िए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसे पर्याप्त उपस्करों के साथ आधुनिक बनाया जाना था, लेकिन नागर विमानन मंत्रालय ने कुछ नहीं किया है।

अपराह्न 1.00 बजे

केरल आने वाले लोग, विशेष रूप से कोवलम आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सैलानी त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुविधाओं के अभाव के कारण कोवलम आने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस दिशा में तत्काल कदम उठाए। इसके लिए बजट प्रावधान है और केन्द्र सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल खोलने की घोषणा की है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सूचना से अलग चले गए हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह त्रिवेन्द्रम में एक अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल शुरू करने के केन्द्र सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह सुझाव नहीं दिया कि इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, संचार मंत्रालय के अदूरदर्शी निर्णय के कारण बीएसएनएल और एमटीएनएल में आईटीएस के जो 2200 अधिकारी कार्यरत थे, उनको संचार मंत्रालय ने वहां से हटाकर वापस ले लिया है। इससे बीएसएनएल और एमटीएनएल का कार्य प्रभावित हो रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि अब तक दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। दुख की बात यह है कि सारे अधिकारी ड्यटी में वापस आकर भी बिना किसी काम के बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने इतने अच्छे अधिकारियों को सेवा में लगाया था, लेकिन इस समय उनके पास कोई काम नहीं है।

मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर पुनर्विचार करें तथा आईटीएस सेवा के जो अधिकारी बुलाए गए हैं, उनको फिर से बीएसएनएल और एमटीएनएल में प्रतिनियुक्ति पर वापस भेजा जाए। इस पर एक या दो साल में निर्णय लेकर अंतिम फैसला लिया जाए कि इसको कैसे निस्तारित करना है। मुझे लगता है कि कुछ प्राइवेट ऑपरेटर से संचार मंत्रालय ने मिलीभगत कर ली है। इस कारण से बीएसएनएल और एमटीएनएल की संचार सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं और लोग इनको छोड़कर जाने का काम कर रहे हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। इस पर जल्दबाजी में एकतरफा निर्णय न लिया जाए। डीओटी के भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सभी नेताओं द्वारा पहले भी यह निर्णय लिया गया है, पिछले सत्र में उसका अनुपालन किया गया है कि प्रश्न काल के बाद मध्याह्न 12.00 बजे पांच या छह अविलम्बनीय महत्व के मामले लिए जाएंगे और दिन की कार्यवाही के अन्त में 6.00 बजे बाकी मामले लिए जाएंगे। मैंने आज अधिक मामले उठाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि पिछले तीन दिनों में इन मामलों को नहीं उठाया जा सका। मैं माननीय सदस्यों के सौहार्दपूर्ण व्यवहार और सहयोग की सराहना करता हूं। पांच की बजाय 20 मामलों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। बाकी मामलों को सभा द्वारा दिन के अपने कार्य को समाप्त करने के बाद उठाने की अनुमति दी जाएगी। यह 6.00 बजे से पहले हो सकता है।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद अपराह्न 2 बजकर 05 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी। श्री लाल सिंह बोलेंगे।

(एक) जम्मू और कश्मीर में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर जलवायु संबंधी कारणों अथवा बाहरी ताकतों के आतंकवादी हमलों से सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। पिछले वर्ष, राज्य में भारी हिमपात हुआ था, जिसके कारण जन–धन का भारी नुकसान हुआ था। महोदय, कुछ महीने पहले, राज्य में एक और भारी भूकम्प आया था जिसमें न केवल हजारों लोगों की जानें चली गईं, बल्कि मैं कहूंगा कि कई गांव पूरी तरह नष्ट हो गए। यह ऐसा नुकसान है, जिससे राज्य उबर नहीं सकता। कोई कारण नहीं है कि मैं इसके लिए किसी को दोषी करार दूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमें समय पर सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए और जम्मू और कश्मीर, विशेष रूप से घाटी के आश्रयहीन लोगों को आश्रय मुहैया कराना चाहिए क्योंकि सर्दी का मौसम शीघ्र ही आने वाला है और उन्हें खुले में ठण्डी हवाओं को झेलना पड़ेगा।

इसके अलावा लोगों की तकलीफें तब बढ़ीं, जब विशेष रूप से घाटी में आतंकवादियों के नियमित हमले हुए और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

अतः, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं, चूंकि सर्दी का मौसम नजदीक आ रहा है राज्य के तकलीफजदा लोगों, जो भूकम्प से बेघर हो गए हैं, को तत्काल राहत मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि उन्हें आतंकवादी हमलों के साथ–साथ भारी हिमपात से भी सुरक्षित किया जा सके।

(दो) तमिलनाडु के इरोड जिले के महान किसान "कलिंगारा गौंडर" के सम्मान में 14.1.2006 को स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, तेरहवीं शताब्दी में इरोड जिले के वेल्लोर में कनगापुरम में नेजैगोंडर और पप्पैई के घर एक "लिंगैयन" का जन्म हुआ था। 1251–1271 ई.पू. के दौरान, समस्त दक्षित भारत पर राजा सदायावर्मन सुंदरपाण्डियन का शासन था। उसके शासन के दौरान, कोंगू क्षेत्र पर वीरपाण्डियन का शासन था। कोंगू राज्य कावेरी नदी के दोनों ओर स्थित था। कलिंगारायण को वीरपाण्डियन के राज्य में सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था।

उस काल में, कोंगू राज्य शुष्क क्षेत्र था। वहां सिंचाई की कोई सुविधाएं नहीं थीं। कलिंगारायण ने भवानी और कावेरी नदी के संगम पर बांध के निर्माण की आवश्यकता बताई। बांध 3459 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए 1040 निकास छिद्रों का निर्माण किया गया था। आजकल इस बांध को "कलिंगारायण बांध" के नाम से और नहर को "कलिंगारायण नहर" के नाम से जाना जाता है। इस कार्य की प्रशंसा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकीविदों और विशेषज्ञों ने की थी।

740 वर्ष पहले, कलिंगारायण बांध बनाने और शुष्क भूमि को नम भूमि में तबदील करने में समर्थ थे। 14.1.2006 को बांध के 740 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कलिंगारायण की महान उपलब्धि की कद्र करते हुए उन्हें जनता द्वारा 'कलिंगाराया गोंडर' के रूप में सम्मानित किया गया था।

इस देश में कृषि के विकास के लिए उनके उद्यम की प्रशंसा करते हुए, मैं माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से अनुरोध करता हूं कि महान कृषक "कलिंगारा गोंडर" के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और 14.1.2006 को कार्ड डे कवर जारी किया जाए।

(तीन) वर्ष 2004-2005 के लिए गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लंबित बीमा दावों के भुगतान को जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी. के. दुम्मर (अमरेली) : सभापति महोदय, किसानों के लिए बनी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को उतना फायदा नहीं हो रहा जितना सरकार ने चाहा था। मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के किसानों को वर्ष 2004 के बीमे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है जिसके कारण किसानों को बहुत ही आर्थिक परेशानी हो रही है। अमरेली के किसानों को इस कार्य के लिए फसल बीमा योजना कार्यालय के कई बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। देखा गया है कि फसल बीमा योजना के लिए कई औपचारिकताएं

पूरी करनी पड़ती हैं जिन्हें गरीब और अनपढ़ किसान पूरा करने में असमर्थ होते हैं। इसका फायदा बीमा योजना के भ्रष्ट अधिकारी लोग उठाते हैं।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–2005 का लम्बित भुगतान तुरन्त किया जाए, फसल बीमा योजना को सरल बनाया जाए और भुगतान का समय तय किया जाए। जैसे बीमा प्रीमियम का समय तय है वैसे ही बीमा भुगतान का समय निश्चित होना चाहिए।

(चार) ट्रेन नं. 4041-4042 देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस को राजस्थान के महत्वपूर्ण स्टेशनों अलवर, खैरताल और राजगढ़ पर ठहराव दिए जाने और उसे जयपुर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, दिल्ली से जयपुर के लिए दिन के समय में यात्री गाड़ियों की संख्या बहुत कम है।

जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देहरादून–दिल्ली गाड़ी संख्या 4041–4042 को जयपुर तब बढ़ाया जाना चाहिए। देहरादून–जयपुर गाड़ी सं. 4041–4042 दिल्ली में प्रातः 7 बजे आती है व रात्रि में 10.15 बजे पर देहरादून जाती है। यदि इसे दिल्ली से जयपुर तक बढ़ा दिया जाए तो पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार आने–जाने वालों को बहुत लाभ होगा। अतः इसे जयपुर तक बढ़वाया जाए व अलवर जिले के प्रमुख स्टेशन अलवर, खैरथल व राजगढ़ में ठहराव सुनिश्चित करवाने की प्रार्थना माननीय रेल मंत्री जी से करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री इकबाल अहमद सरडगी–उपस्थित नहीं हैं।

(पांच) 18 दिसम्बर को संत बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस को देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म लिए संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर 18 दिसम्बर सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए। उक्त संत जी का जन्म 18 दिसम्बर, 1756 को ग्राम गिरोदपुरी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने छुआछूत के भेदभाव को मिटाया और ऊंच–नीच की भावना को समान रूप से लाने के लिए सफल योजना की तथा गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा समाज में फैली बुराइयों को छुड़ाने के लिए प्रयास कर एक सतनाम पंथ की स्थापना की तथा 6 माह तक गिरोदपुरी के जंगल में कठिन तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। उक्त सिद्धि द्वारा सतनाम मंत्र जपते हुए जंगल से गांव की ओर आए तथा अपनी पत्नी सफुरा माता जो कि 6 महीने पहले मर चुकी थी और उन्हें दफना दिया गया था, उसे निकलवाकर सतनाम मंत्र जप कर तथा अमृत जल छिड़ककर मृतक आत्मा को जिंदा किया तथा मरे हुए बछिया को जिलाया एवं समाज में कोढ़ बीमारी, अन्धत्वपन तथा अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों को सतनाम के मंत्र के बल पर ठीक किया जिससे उस संत की ख्याति छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश मे फैली हुई है। उनके नाम पर 18 दिसम्बर को म.प्र. व छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। पूरे देश में लगभग एक करोड़ 30 लाख तक उनके अनुयायी फैले हुए हैं जो सतनामी समाज के नाम से जाने जाते हैं। संत गुरु बाबा घासीदास की यादगार में बिलासपुर जिला में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 21 वर्ष हो गए हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि संत बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म दिन पर 18 दिसम्बर की पूरे देश में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए जिससे उनके अनुयायी और श्रद्धालु लोग संत बाबा गुरु घासीदास को अपना श्रद्धासुमन अर्पित कर सकें।

(छह) रेवाड़ी-सदुलपुर और सदुलपुर-हिसार मार्गों पर आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : सभापति महोदय, उत्तर पश्चिम रेलवे का बीकानेर–दिल्ली एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग पर काफी गाड़िया चल रही हैं। 1 दिसम्बर, 2005 से दिल्ली–रेवाड़ी मार्ग का दोहरीकरण होने के कारण उपरोक्त सभी गाड़ियों को रेवाड़ी तक ही चलाया जा रहा है। इससे बीकानेर, चुरू, भिवानी, महेन्द्रगढ़, झुन्झुनू, सीकर संसदीय क्षेत्रों का दिल्ली से रेल का संपर्क ही टूट जाएगा। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस क्षेत्र की जनता द्वारा दिल्ली–बीकानेर मीटर गेज लाइन को ब्रोडगेज में परिवर्तन की वर्षों से मांग की जा रही है। लेकिन उक्त लाइन का एक भाग सादुलपुर–रेवाड़ी व सादुलपुर–हिसार स्वीकृति के पश्चात भी आत तक गेज परिवर्तन का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। इससे इस क्षेत्र की जनता में काफी रोष है। गाड़ी बन्द होने के कारण इस क्षेत्र की जनता को विकट समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी उक्त रेल लाइन का गेज परिवर्तन के निर्देश जारी किए हैं।

[श्री राम सिंह कस्वां]

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि उक्त मार्ग की गाड़ियों को बन्द किया जाना आवश्यक हो तो दिल्ली–बीकानेर मेल (4791–4792) व दिल्ली–बीकानेर एक्सप्रेस (4789–4790) व दिल्ली–बीकानेर लिंक एक्सप्रेस, दिल्ली–जयपुर शेखावाटी एक्सप्रेस (9733–9734) को यथावत चालू रखते हुए दिल्ली–रेवाड़ी व रेवाड़ी–दिल्ली के लिए कनैक्टिंग गाड़ी उपलब्ध कराने का आदेश जारी कर रेवाडी–सादुलपुर व सादुलपुर–हिसार मार्ग का गेज परिवर्तन का कार्य अविलम्ब चालू किया जाए व शेष भाग सादुलपुर–बीकानेर व रतनगढ़–डेगाना रेल मार्ग के गेज परिवर्तन की स्वीकृति शीघ्र प्रदान कर कार्य चालू किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(सात) शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में धर्म/समुदाय के आधार पर उपलब्ध आरक्षण को वापस लिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, उपासना पद्धति अर्थात् मजहब या पंथ के आधार पर किसी वर्ग अथवा समुदाय को नौकरी अथवा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान करना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। ऐसे किसी भी प्रावधान से भेदभाव एवं अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। दुर्भाग्य से आज केन्द्र सरकार द्वारा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया तथा आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने राज्य में नौकरी में आरक्षण की घोषणा करके लागू करने का प्रयास किया जिसे संबंधित राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करते हुए खारिज कर दिया, परन्तु इस सबके बावजूद केन्द्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश की सरकार ने पुनः इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है।

अतः मैं माननीय सदन से इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए मजहब या पंथ के आधार पर किसी वर्ग अथवा समुदाय को नौकरी अथवा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण न दिए जाने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

(आठ) उडीसा के केबीके जिलों के किसानों से धान खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ) : उडीसा के किसान न बिके हुए धान की समस्या से जूझ रहे हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि वह किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करें। राज्य सरकार निगम ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसानों से सीधे चावल खरीद लिया है। दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में किसानों से अपेक्षित मात्रा में धान की खरीद नहीं की जिसका निर्धारण उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। इस कारण राज्य में किसान कम मूल्य पर अपनी फसल बेच रहे हैं। कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जैसे पिछड़े जिलों में किसानों की स्थिति अत्यन्त गंभीर है। यदि इसमें तुरन्त हस्तक्षेप नहीं किया गया तो उनकी स्थिति और बिगड़ जाएगी।

केन्द्र सरकार को भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारियों को तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के निदेश देने चाहिए।

मेरा माननीय प्रधानमंत्री से सविनय निवेदन है कि उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारियों को तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के निदेश देने चाहिए ताकि राज्य के पीडित किसानों को न्याय मिल सके।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं स्वयं को श्री प्रधान की बात से सम्बद्ध करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे जिले का उल्लेख किया है।

(नौ) उत्तरांचल के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चम्पावत जिलों को "सम विकास योजना" के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में चार जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चम्पावत सम्मिलित हैं। वर्ष 1960 से पूर्व यह क्षेत्र माल का एक जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत सम्मिलित था। 1960 में अल्मोड़ा जिले का विभाजन कर पिथौरागढ़ जिला बनाया गया है और वर्ष 1977 में अल्मोड़ा जिले का विभाजन कर बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिले का विभाजन कर चम्पावत जिला बनाया गया है, उपरोक्त चारों जिले पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र वाले जिले हैं।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत चम्पावत जिले का चयन कर उसे विकास कार्यों हेतु 45 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई जबकि चम्पावत जिले से लगे हुए पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व बागेश्वर अत्यन्त पिछड़े व अविकसित

जिले हैं और यहां भी विकास की कोई किरण नहीं पहुंची है। मैं लगातार मांग करता रहा हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के चारों पर्वतीय जिलों को राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत लाया जाए।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय सम विकास योजना तथा काम के बदले अनाज और रोजगार गारंटी योजना को मेरे संसदीय क्षेत्र के पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ मे भी इसी वित्तीय वर्ष से लागू किया जाए।

[अनुवाद]

(दस) पर्यटकों की सुविधा के लिए मदुरै-कोडाईकनाल सड़क को छह लेनों वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, भारत में कोडाईकनाल एक लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटक स्थल है। यह एक मोहक स्थल है और मदुरै के निकट ऊपरी पर्वत के दक्षिणी शिखर पर बना सौन्दर्य के बीच स्थित है। अपनी चट्टानों, वनों, रमणीय झीलों और स्फूर्तिदायक वायु के साथ कोडाईकनाल घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आदर्श पर्वतीय सैरगाह है।

कोडाईकनाल 2133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 21.45 वर्ग किलोमीटर है। यह पर्वतीय स्थल अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्वत के केले और आलूबुखारा अपनी ताजगी और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। बेरिजाग झील दक्षिण भारत की खूबसूरत झीलों में से एक है। यह पर्वत जड़ी–बूटियों से भरा है और अपने चिकित्सीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है।

मदुरै तमिलनाडु का दूसरा बड़ा शहर है जो दक्षिण भारत के एथेन्स के नाम से जाना जाता है। यह तेजी से विकसित होने वाला नगर है जिसमें अरविन्द नेत्र अस्पताल, अपोलो मिनाक्षी मिशन जैसे विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय अस्पताल हैं जिसने चिकित्सा पर्यटन के लिए अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मदुरै और उसके पास स्थित मीनाक्षी मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण मंदिर पूरे विश्व से कोडाईकनाल का दौरा करने के लिए उत्सुक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। परन्तु मदुरै से कोडाईकनाल जाने वाली सड़क अत्यन्त संकरी है और यहां अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं और रास्ता भी बन्द हो जाता है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सड़क को छह लेन वाला बनाया जाए।

(ग्यारह) विदेशों में नियोक्ताओं और प्रायोजकों द्वारा नौकरियों के लिए भर्ती किए जाने के समय उम्मीदवारों के पासपोर्ट न रखवा लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय अपनाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा) : महोदय, विदेशों में विशेष रूप से खाड़ी देशों में नौकरी देते समय नियोक्ताओं और आयोजकों द्वारा उम्मीदवारों के पासपोर्ट अपने पास रख लेने से बडी संख्या में भारतीय नागरिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह नौकरी देने वाली ऐसी एजेंसियों के खिलाफ स्पष्ट और कड़े कदम उठाए और सभी दूतावासों को निदेश दे कि विदेशों में नौकरी मिलने पर कर्मचारियों को अपना पासपोर्ट अपने पास रखने का अधिकार दें।

[हिन्दी]

(बारह) चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की अति गंभीर समस्या हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उत्तर प्रदेश के ससदीय क्षेत्र चायल में पेयजल एवं सिंचाई की गम्भीर समस्या है। उक्त स्थान पर केन्द्र सरकार अपनी अलग से सर्वे टीम भेजे तथा समुचित व्यवस्था करे। यह क्षेत्र गरीब एवं पिछडा इलाका है। केन्द्र सरकार अलग से आर्थिक पैकेज प्रदान कर उक्त सुविधा तत्काल मुहैया कराए।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक "कृषि विज्ञान केन्द्र" खोले जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : मेरा ससदीय क्षेत्र हमीरपुर–महोबा, उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की उचित जानकारी न होने के कारण क्षेत्र के किसान अपनी भूमि से सही समय पर उचित फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति दिन–प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। क्षेत्र के किसान काफी समय से इस क्षेत्र में कृषि अनुसंधान विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने की मांग करते आ रहे हैं। हमीरपुर–महोबा में कृषि अनुसंधान विज्ञान केन्द्र खोलने की तुरन्त आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हमीरपुर में कृषि अनुसंधान विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु आवश्यक सहयोग करने के लिए तैयार है।

[श्री राजनरायन बुधौलिया]

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उन्हें वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने के बारे में जागरूक करने और उनकी मेहनत का सही उत्पादन हो सके और उनकी फसल का उन्हें उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए इस क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने हेतु आवश्यक आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(चौदह) बिहार के पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दियारा में गंगा नदी द्वारा हुए भू-क्षरण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मेरे संसदीय क्षेत्र पटना के दियारा में गंगा नदी के कटाव के कारण वहां लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनका घर कटाव में बर्बाद हो रहा है। खेती की उपजाऊ जमीन कटाव में समाप्त होती जा रही है। हमेशा ही उस क्षेत्र के निवासियों में भय बना रहता है कि कब मेरे जान–माल का नुकसान हो जाएगा। कुछ महीने पहले एक केन्द्रीय दल भी वहां का दौरा कर चुका है, लेकिन अभी तक गंगा के कटाव को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा दियारा में गंगा नदी द्वारा लगातार हो रहे कटाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। साथ ही साथ विस्थापित हजारों परिवारों की पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्हें आर्थिक मदद दी जाए।

(पन्द्रह) गोरखपुर, बस्ती और लखनऊ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत और रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग गोरखपुर–बस्ती–लखनऊ अनेक जगहों पर टूटा हुआ है। हर जगह गड्ढे बन गए हैं जिससे आए दिन तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं और रास्ता जाम होता रहता है। इससे लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण/मरम्मतीकरण कराया जाए।

(सोलह) झारखंड में विस्थापित व्यक्तियों को भूमि और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ववर्ती नीति को कायम रखे जाने की आवश्यकता

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : सभापति महोदय, शायद आप अवगत होंगे कि झारखंड राज्य में विभिन्न कोयला, खान, विद्युत, सीमेंट, इस्पात उद्योगों की स्थापना और आधुनिकीकरण तथा नगरीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, जिनकी संख्या करीब 58 लाख है। इन विस्थापित हुए लोगों में से 70 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनका पता न तो राज्य सरकार के पास है और न ही केन्द्र सरकार के पास है। मुझे पता चला है कि विस्थापितों के नियोजन तथा पुनर्वास हेतु कोल इंडिया लिमिटेड ने नई नीति तैयार की है। इस नीति के अनुसार विस्थापित परिवार को प्रति दो एकड़ सिंचित जमीन तथा तीन एकड़ प्रति गैर–सिंचित जमीन पर एक व्यक्ति को नौकरी तथा विस्थापित परिवार को 5 डिसमिल जमीन या 50 हजार रुपये नगद दिया जाएगा। अब तक जमीन पर एक व्यक्ति के रोजगार तथा विस्थापित परिवार को पुनर्वास हेतु पूरा मुआवजा दिया जाता था। इस नई नीति के कारण कोल इंडिया लिमिटेड की सी.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. एवं अन्य कोयला कंपनियों के विस्थापितों में भयंकर असंतोष है। सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि झारखंड क्षेत्र के तमाम विस्थापित परिवार के प्रत्येक इकाई को तत्काल नौकरी, पुनर्वास हेतु मकान के बदले मकान, जमीन के बदले जमीन, उचित मुआवजा और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं। ऐसा नहीं होने के कारण ही इस क्षेत्र में विधि–व्यवस्था की स्थिति काफी नाजुक एवं खराब बनी हुई है, इसमें त्वरित सुधार की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री किन्जरपु येरननायडु–उपस्थित नहीं।

(सत्रह) सुंदरवन क्षेत्र के पर्यटकों के लाभ के लिए दक्षिण 24 परगना जिले में बासंती लो पावर ट्रांसमीशन (एल.पी.टी.) को हाई पावर ट्रांसमीशन (एच.पी.टी.) में बदले जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान कोलकाता और दिल्ली दूरदर्शन द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को देखने में सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल) के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

दक्षिण चौबीस परगना के बासंती में एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है जो कार्यशील है और जो सुन्दरवन क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह केवल मैट्रो

के कार्यक्रम ही प्रसारित कर पाता है और सुन्दरवन के लोगों को दूरदर्शन के कार्यक्रम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। चूंकि सुन्दरवन बांग्लादेश सीमा पर स्थित है और उनका प्रसारण स्थानीय प्रसारण से बेहतर है, इसलिए वहां की जनता को मजबूरी में बंगलादेशी कार्यक्रम देखने पड़ते हैं। आने वाले समय में स्थानीय लोगों में अपने देश में होने वाली घटनाओं के प्रति अनभिज्ञता उत्पन्न होगी।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदलने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं और इसे पूर्णतः कार्यशील बनाया जाए ताकि इससे कोलकाता और दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम सुन्दरवन में प्रसारित हो सकें।

(अठारह) गुजरात के जूनागढ़, अमरेली और पोरबंदर जिलों में "ज्योति ग्राम योजना" के अन्तर्गत बिजली के तारों और जल की आपूर्ति के लिए पाइप लाइनें बिछाने के लिए रेल प्राधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़) : गुजरात राज्य में ज्योति ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में चौबीस घंटे बिजली देने की योजना गुजरात बिजली बोर्ड के द्वारा पूरी की जा रही है और इसी तरह नर्मदा नदी जल विभाग के द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराए जाने की योजना भी चल रही है, लेकिन गुजरात राज्य के तीन जिलों जूनागढ़, अमरेली और पोरबन्दर में ज्योति ग्राम योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं वहां के निवासियों को नहीं मिल पा रही हैं।

इन सभी सुविधाओं के कार्य रेलवे विभाग की वजह से रुके हैं, रेलवे विभाग रेलवे लाइन के ऊपर और नीचे से बिजली की तार (केबल) और पानी की पाइप लाइन डालने की अनुमति नहीं दे रहा है।

अगर किसी किसान के खेतों के बीच में से रेलवे लाइन जा रही है, तो उसे अपने एक खेत से दूसरे खेत में पानी की पाइप लाइन डालने की भी अनुमति नहीं दी जाती है।

इन सभी कार्यों के लिए गुजरात बिजली बोर्ड और नर्मदा जल वितरण विभाग रेलवे विभाग से काफी लम्बे समय से अनुमति मांग रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इन सभी कार्य के लिए उचित और जल्दी से जल्दी अनुमति दी जाए।

अपराह्न 2.32 बजे

पंजाब साधारण विक्रय कर (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त) निरसन विधेयक, 2005

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 13, अर्थात् पंजाब साधारण विक्रय कर निरसन विधेयक, 2005 पर विचार करेगी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : मैं श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त, के निरसन हेतु विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, अखिल भारतीय आधार पर मूल्य वर्धित कर प्रशासन लागू करने संबंधी सरकार की नीति के अनुसार पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 पंजाब में 1 अप्रैल, 2005 को लागू हुआ था। इसके पहले कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 के तहत संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को इस अधिनियम के तहत लाया जाए, यह आवश्यक है कि संसदीय अधिनियम के द्वारा चंडीगढ़ में लागू पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 का निरसन किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त, के निरसन हेतु विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री अविनाश राय खन्ना चर्चा आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, चंडीगढ में वैट लागू हो, इसलिए माननीय मंत्री जी ने यह बिल पेश किया है। वैट एक ब्रोड टैक्स पालिसी है। इस संबंध में दो–तीन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक था।

सबसे पहली बात, सभी राज्यों में एक जैसी टैक्स प्रणाली हो और जो लोकल टैक्स हैं, उनको धीरे–धीरे कम किया जाए। चंडीगढ़ में जो पंजाब ने टैक्स लगाया है, उसे इंप्लीमेंट करना है।

[श्री अविनाश राय खन्ना]

लेकिन क्या पंजाब में वैट लगने के बाद वहां के लोग जो डिफीकल्टीज फेस कर रहे हैं, सरकार ने उनकी तरफ ध्यान दिया है? वैट लगाने से पहले वहां पर तीन स्लैब थे—पहला 4 प्रतिशत, दूसरा 8 प्रतिशत और तीसरा 12.5 प्रतिशत। वैट लगने के बाद सरकार ने जो वादा किया था, उसके विपरीत सिर्फ दो ही स्लैब लगाए हैं। एक 4 प्रतिशत और दूसरा 12.5 प्रतिशत। इसका परिणाम यह हुआ कि मेजारिटी आफ द टर्म्स को 12.5 प्रतिशत में दे दिया। पंजाब में लोगों के ऊपर टैक्स का इतना भार है कि वहां पर लोग वैट का काफी विरोध कर रहे हैं। पंजाब के जो आस-पास के राज्य हैं और जिन्होंने वैट लगाया है तथा वहां पर टैक्स रेट कम है, इसलिए पंजाब का व्यापार दूसरे राज्यों में जाना शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में वैट लगाने से पहले क्या सरकार ने इससे होने वाली डिफीकल्टीज को एसेज किया है? पंजाब के व्यापारी, पंजाब के लोग, पंजाब के इंडस्ट्रियिलिट्स, पंजाब के ट्रेडर्स, पंजाब में वैट लागू होने के पश्चात डिफीकल्टीज महसूस कर रहे हैं, क्या इसकी स्टडी करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? पंजाब में क्या डिफीकल्टीज हैं और कितना टैक्स कलेक्शन हुआ है, क्या इसकी स्टडी की गई है?

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दिल्ली में वुड से बनी हुई चीजों का कस्ट्रक्शन मैटेरियल की श्रेणी में ला दिया गया है और इस पर 4 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है, लेकिन पंजाब में इस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स है। अगर पंजाब का इस मैटेरियल पर टैक्स कलेक्शन देखा जाए, तो वह नाम मात्र ही है जबकि दिल्ली में देखा जाए, तो यह बहुत ज्यादा है। अगर दिल्ली में देखा जाए तो वह बहुत ज्यादा है। एक आइटम में इतना अन्तर यह दिखाता है कि पंजाब में टैक्स उतना ठीक नहीं है, जितना होना चाहिए। इसके विपरीत लोग जो मुश्किलें टैक्स में फेस कर रहें हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। उन्हें न समय पर फार्म मिलता है, न अफसरों को पता है और न ही जिन्होंने टैक्स देना है उनको पता है कि कैसे टैक्स देना है। ये मुश्किलें पंजाब के लोग फेस कर रहे हैं। वैट के बारे में जो रिफंड होना चाहिए था, उसे लेकर कई मीटिंग्स बार-बार पोस्टपोंड हो रही हैं क्योंकि सरकार को मालूम नहीं है कि रिटर्न कैसे दी जाए? इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो चंडीगढ़ में वैट को लागू करना है उन्हें लागू करने से पहले, इन सभी समस्याओं को स्टडी करके और समाधान करके चंडीगढ़ में लगाया जाए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, जैसा कि आप सब जानते हैं किसी भी नए प्रस्ताव का सदा विरोध किया जाता है चाहे वह लोगों के भले के लिए ही हो। इसी प्रकार, इस मामले में भी देश में एक समान मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू करने से अन्ततः मिलने वाले लाभों की उचित जानकारी का प्रचार न होने के अभाव में इसका पंजाब तथा चंडीगढ़ में भी विरोध हुआ। विशेषकर व्यापारियों ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया। परन्तु गत एक वर्ष के दौरान, हमने यह देखा है कि जनता ने धीरे-धीरे इस कानूनी प्रावधान को स्वीकार कर लिया है।

जनता अब मूल्य वर्धित कर जैसी कर प्रणाली के लाभ को समझ रही है। अब मैं यहां जब इस मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मैं बताता हूं कि मेरे पास चंडीगढ़ की एक संस्था, 'चंडीगढ़ कैमिस्ट एशोसिएशन' द्वारा लिखित एक पत्र है जिसमें सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि आजकल हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें आगे कोई विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना पत्र यह कहते हुए आरंभ किया है "चंडीगढ में वैट लागू करने की तिथि निकल चुकी है।" अतः, वे वहां पर वैट लागू कराने के लिए इच्छुक हैं। आजकल यह स्थिति है। अतः, इस निरसन विधेयक जिससे चडीगढ में वैट लागू करने का मार्ग प्रशस्त होता है, को पहले न लाने के जो भी कारण रहे हों, मैं इस चरण में इस कार्यवाही का स्वागत करता हूं।

मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करता हूं कि पंजाब अधिनियम के प्रावधानों को चंडीगढ़ में केवल लागू ही न करें। बिना विधान मंडल वाले इन संघ राज्य क्षेत्रों में अनोखी कठिनाई सामने आती है जिसे बहुत थोडे लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र बिना विधायिका के तथा किसी भी रूप में किसी लोकप्रिय चुनी हुई सरकार विहीन होते हैं। इन क्षेत्रों में जो नगर निगम होती हैं उनके पास भी कोई विशेष अधिकार नहीं होते। नगर निगम के पास कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है। संसद में एक प्रतिनिधि के अतिरिक्त जनता की भावनाओं से अवगत होने का वहां कोई रास्ता, कोई तन्त्र नहीं है। जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए वहां कोई तन्त्र नहीं है।

इन संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामले उठाने के लिए हमें कभी-कभार ही अवसर मिलता है। संसद में जब कभी इन संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित किसी विधान पर चर्चा होती है तो मैं निश्चित रूप से एक या दो मुद्दे उठाने का अवसर चाहूंगा।

सबसे पहले, मैं वैट पर और तत्पश्चात सामान्य मुद्दों पर बात करूंगा। जहां तक वैट का संबंध है, पंजाब सामान्य बिक्री कर (जो कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रभावी है) निरसन अधिनियम,

2005 को संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद सरकार को 'पंजाब मूल्य वर्धित कर', जैसा कि इसे पुकारा जाता है, को चंडीगढ़ में भी लागू करना चाहिए। परन्तु यह अधिनियम, पंजाब राज्य का अधिनियम है। पंजाब नगर निगम के मामले में हमने देखा है कि उस कानून का भी इसी प्रकार विस्तार किया गया था और अब हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। हमें बेहतर प्रावधान करने चाहिए थे जो कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की भावना और अधिदेश को दर्शाते। उससे सबक लेते हुए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम के दायरे का चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तार करने से पहले, भारत सरकार को इसका व्यापक अध्ययन करना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि परामर्श के बाद ही 20 वर्षों में पहली बार अब, चंडीगढ़ संबंधी गृह मंत्री की सलाहकार समिति की बैठक हुई है। उस काफी लंबे समय के पश्चात, इस यूपीए सरकार ने ही उस बैठक का आयोजन किया है और एक विस्तृत चर्चा के पश्चात उसमें बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अतः, उस मंच अथवा सरकार की इच्छानुसार शायद किसी अन्य मंच का इस्तेमाल किया जाए। परन्तु उस विधेयक के हानि–लाभ पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। बल्कि मैं यह कहूंगा कि पंजाब अधिनियम की कार्य प्रणालियों का चंडीगढ़ तक विस्तार करने से पहले उसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की जानी चाहिए। परन्तु मेरा मानना है कि चूंकि कर की स्लैबों का निर्धारण करने का अधिकार सरकार के पास है, अतः, ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं अपने मित्र जिन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा आरंभ की, उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि चूंकि यह सरकार का प्रयास था अतः, उस समय कुछ अधिक नहीं किया गया। परन्तु, यह कोई आरोप लगाने का प्रश्न नहीं है। हमें यह देखना है कि एक अच्छी मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू करने के लिए देश में अनुकूल परिस्थितियां बनें, जो कि अन्ततः जनता के हित में होगा। इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए, इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए और किसी भी बेईमान व्यक्ति को इसका लाभ नहीं उठाने देना चाहिए। लोग कर का भुगतान करने के लिए तैयार हैं परन्तु वे उत्पीड़न से बचना चाहते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात इन वर्षों में व्यापारी और जन साधारण कर निरीक्षकों के द्वारा केवल उत्पीड़ित ही हुए हैं। हमें इसका भी ध्यान रखना है। मुझे प्रसन्नता है कि यह सरकार उस दिशा में कुछ निश्चित सुदृढ़ कदम उठा रही है। जब हम सुधारों–आर्थिक सुधारों की राह पर चल रहे हैं तो सरकार अपने कर्तव्यों और लोगों के सामने आ रही कठिनाइयों के प्रति सचेत है। अतः, सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रत्येक कदम में यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि वह तथाकथित 'इंस्पैक्टर राज' को खत्म करने के लिए वचनबद्ध है ताकि हम लोगों के लिए एक बाधारहित कर प्रणाली तैयार कर सके। यह सब कहने के बाद, जैसा कि मैंने कहा है मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह निरसन केवल संघ राज्य क्षेत्र पर लागू है।

श्री पवन कुमार बंसल : इसका विस्तार केवल चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तक है परन्तु निरसन केवल संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में होगा ताकि संघ राज्य क्षेत्रों पर कोई नया कानून लागू किया जा सके। यह एक रास्ता है। जैसा कि मैंने कहा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दूसरे क्षेत्रों में अधिनियम ऐसे किसी अधिनियम के प्रभावी होने तक लागू रहेगा।

श्री पवन कुमार बंसल : विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए अधिनियम, उनके राज्यों में प्रभावी होंगे। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मामले में, संगत कानून, अर्थात् पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत देश के किसी अन्य भाग में लागू अधिनियम का संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तार किया जा सकता है। विस्तार एक अधिसूचना के द्वारा किया जा सकता है परन्तु निरसन किसी अधिसूचना के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका निरसन केवल संसद ही कर सकती है। इसी कारण से हम इस मामले में यहां चर्चा कर रहे हैं। सामान्यतः, इससे पंजाब को हानि होती है। जब चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया, तो उस समय पंजाब में लागू सभी कानूनों को इस संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू किया गया। इस प्रकार, यह पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम इस संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू है। पंजाब ने सामान्य बिक्री कर अधिनियम का निरसन करके अपने स्वयं के वैट कानून को अधिनियमित कर लिया है। परन्तु वह चंडीगढ़ पर स्वतः लागू नहीं होता। चंडीगढ़ के लिए हमें इस अधिनियम का संसद में निरसन करना होगा और तत्पश्चात कोई नया कानून लागू किया जा सकता है। प्रावधान इस प्रकार का है। इस तरह यह मामला यहां उठाया गया है।

अतः यह कहने के बाद, एक या दो और मुद्दों का उल्लेख करने के लिए मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं। चंडीगढ़ के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति की एक महीने पहले हुई बैठक में गृह राज्य मंत्री जी उपस्थित थे। जैसा कि मैंने कहा था, वह एक महत्वपूर्ण बैठक थी...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : चूंकि आप चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि चंडीगढ की जनता क्या चाहती है?

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने पढ़ा था। मुझे खेद है कि मैं नहीं जानता कि आप उस समय उपस्थित थे या नहीं। मैंने चंडीगढ़ से व्यापारियों की एक संस्था से एसओएस के रूप में प्राप्त हुए एक पत्र को पढ़ा था जिसमें उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि हमने इस कार्य में विलंब कर दिया है। उन्होंने कहा कि वैट लागू करने की तिथि बीत चुकी है। उन्होंने ऐसा कहा है। पहले, मैंने कहा था, मेरा अभिप्राय है, मुझे यह दोहरना नहीं चाहिए था, कि पहले इसका कुछ विरोध हुआ था, परन्तु धीरे–धीरे लोगों को इसके लाभ का पता चल रहा है।

मैं इस अवसर पर माननीय गृह राज्य मंत्री जो संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी मामलों को देखते हैं की उपस्थिति में एक या दो और मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि बिना विधायिका के संघ राज्य क्षेत्रों के सामने अनोखी समस्याएं आती हैं। वहां जनता द्वारा चुनी हुई कोई निकाय नहीं होती। संघ राज्य क्षेत्र की नगण्य नहीं अपितु अच्छी–खासी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि कानून संसद को बनाना होता है। निःसंदेह, संसद में बैठे हम सभी सदस्यों के पास, इन संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित किसी मामले पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय कभी नहीं होगा। इसलिए संक्षेप में मैं एक–दो बातें करना चाहता हूं। मैंने पहले ही एक बात का उल्लेख कर दिया है। जन शिकायतों के निवारण संबंधी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नगर निगम अधिनियम में अब विस्तृत बदलाव की भी आवश्यकता है। मैं आपसे उस अधिनियम को भी निरस्त करने का अनुरोध करता हूं। आपको यहां इस तरह का एक कानून लाना चाहिए। तत्पश्चात, संविधान के पूर्णतः 74वें संशोधन के उपबंधों के अनुसार नगर निगम हेतु एक विधान बनाएं। तब कांग्रेस सरकार द्वारा उठाया गया यह एक बड़ा कदम था। येनकेन प्रकारेण, आज तक, संघ राज्य क्षेत्रों में भी संवैधानिक संशोधन संबंधी उपबंध में इसकी भावना और अधिदेश की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसलिए मैं यहां केवल एक बात का सुझाव देना चाहता हूं। मेरा अपने मित्रों के साथ इस बात पर मतभेद है जब कोई संघ शासित क्षेत्र हेतु विधान सभा की आवश्यकता के बारे में बात करे। मैं ऐसा नहीं कहता हूं। वहां इस बात की आवश्यकता है कि उनकी शिकायतें दर्ज कराने के लिए समुचित मंच होना चाहिए। चंडीगढ़ के लिए आवश्यकता यह है कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र हेतु मेयर–इन–काउंसिल संबंधी व्यवस्था होनी चाहिए। मेयर–इन–काउंसिल संबंधी व्यवस्था के उपबंध के लिए नगर निगम अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। कुछ कार्यकारी नगरपालिका पार्षदों को कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए और सभी संचिकाएं उनके द्वारा देखने के पश्चात ही प्रशासक के पास जानी चाहिए–यद्यपि अपवादस्वरूप कुछ ऐसे मामलों को छोड़कर जहां मामले सीधे प्रशासक के पास जाते हैं। यह किसी व्यक्ति पर कोई लांछन नहीं है। परन्तु यह हमारा अनुभव है कि कोई भी गैर–निर्वाचित सरकार लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं ओर उत्कंठाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकती है। इसलिए, निचले स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। यही बात श्री राजीव गांधी ने उस समय कही थी कि यदि आप उच्च स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको निचले स्तर पर लोकतांत्रिक कार्यकरण का अनुभव लेना चाहिए। परन्तु जैसे भी हो, हमें समय के साथ चलना है। वह उपबंध उस समय शायद ठीक था। परन्तु आज उस उपबंध में जनता को शासन में शामिल करने हेतु आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें भाग लेने वाले लोकतंत्र की आवश्यकता है जो कि चंडीगढ़ में अभी तक नहीं है। माननीय संसद सदस्य जो यहां पर बोलते हैं के रूप में अभी वहां भी केवल एक ही आवाज है।

गैर–निर्वाचित सरकार से इस बात का जोखिम हमेशा बना रहता है जिसमें प्राधिकारियों को यह विश्वास होता है कि जो वे महसूस करते हैं, जो वे सोचते हैं, जिनका उन्होंने निर्णय लिया तथा जो कुछ वे करते हैं लोगों के लिए वही ठीक है। मैं किसी पर भी बदनीयती का संदेह नहीं करता परन्तु यह एक भ्रामक धारणा है। जब तक कि आप लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं करते हैं किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए, किसी भी तरह से भागीदारी वाला लोकतंत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आप कुछ सीमा तक हमारे पास संघ राज्य क्षेत्र में निर्देशित अथवा निर्णीत लोकतंत्र है। उससे, हमें इस मामले में वास्तविक, भाग लेने वाले लोकतंत्र की ओर जाना होगा।

कुछ बातों से संबंधित मामले हैं। निर्णय लिया जता है। उदाहरण के लिए हम यहां पर शहरी नवीकरण के बारे में बात करते हैं। इसलिए वहां पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को यह महसूस होगा कि शहरी नवीकरण का यही अर्थ होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो भूमि के एक टुकड़े पर बैठा हुआ है उसे उस भूमि को खाली करना चाहिए। सत्तासीन अधिकारी उन लोगों के कब्जे वाले भवनों को गिरा देंगे। कोई भी पुनःस्थापन संबंधी कार्य नहीं किया गया है। आज चंडीगढ़ में सौ वर्ग गज भूमि अधिग्रहण कीमत 5000 हजार रुपये होगी। परन्तु उस भूखंड का मूल्य 10 लाख रुपये होगा। क्या वह व्यक्ति जिसे तोड़–फोड़ के पश्चात वहां से हटा दिया जाता है वह वहां पर भूमि खरीदने की स्थिति में होगा? इसलिए, इस बात का निर्णय लिया जाना चाहिए कि बिना पुनः स्थापित किए उन्हें किसी कब्जे को नहीं हटाना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं आभारी हूं कि यह मामला यूपीए के अध्यक्ष के समक्ष भी आया था। मुश्किल में पड़े लोग उनके पास दौड़कर आए। वे माननीय गृह मंत्री तथा माननीय प्रधानमंत्री से भी उस समय मिले जब वे चंडीगढ़ में थे। इस तरह के अनुदेश दे दिए गए हैं। परन्तु इन्हें संस्थागत रूप देना होगा। हमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि इस तरह के शहर में जहां पर कीमतों में सरकार की नीतियों के कारण बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है इसलिए हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। वे वहां पर उच्च प्रौद्यागिकी संबंधी कार्यकलाप चाहते हैं। उस प्रक्रिया में वे लोगों को बाहर नहीं कर सकते हैं। वास्तव में आम आदमी को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। उनके लिए आपको कुछ करना होगा।

तत्पश्चात, कर्मचारियों की समस्याएं हैं। भवन उप नियमों में संशोधन में भी समस्याएं हैं। दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार है। दिल्ली सरकार लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। इस तरह के शहर में, इस तरह के महानगर में लोगों की इच्छा सरकार के निर्णय में परिलक्षित होती है। चंडीगढ़ जैसी छोटी जगह में ऐसा नहीं है। इसलिए किसी रूप में अथवा किसी न किसी रूप में लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे पास कहने के लिए और कई बातें हैं। परन्तु मैं आपका मुझे इतना समय देने के लिए आभारी हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं पुनः केवल यह आग्रह करूंगा कि हमें शासन के संबंध में कुछ समय की आवश्यकता है। मैं संसद से भी संघ राज्य क्षेत्रों के शासन के संबंध में कुछ समय देने का आग्रह करूंगा। हमारे पास बिना विधान सभा के बहुत ही कम संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसकी नितान्त आवश्यकता है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के मेरे मित्रों ने पहले ही इसके बारे में बात की है। संघ राज्य क्षेत्रों के शासन के संबंध में चर्चा करने की नितान्त और तात्कालिक आवश्यकता है ताकि वे व्यक्ति भी महसूस करें कि स्वतन्त्रता लोकतंत्र की वह आभा है जिसके बारे में हम गर्व करते हैं कि यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा संघ राज्य क्षेत्र को उससे वंचित नहीं करना चाहिए।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, मैं पंजाब साधारण विक्रय कर निरसन विधेयक का समर्थन करता हूं। इस अधिनियम से केन्द्र सरकार को चंडीगढ़ में वैट लागू करने में सहायता मिलेगी। महोदय, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने वैट के परिणामों की समीक्षा नहीं की है। सम्भवतः वैट के लागू होने के कारण बिक्री कर क्षेत्र की अनदेखी की गई है। अतः, हमें इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या वैट से हमारे देश को लाभ पहुंचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश राज्य कर्जे में डूबे हुए हैं। यह अत्यन्त खेदजनक बात है। केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले जैसा है। छोटी बचतों में भी ब्याज दर बहुत ऊंची है। इसलिए, सभी राज्य वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं। अतः वैट को ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को जुटाने हेतु लागू किया गया था। परन्तु, मैं नहीं जानता कि क्या इस वैट से राज्यों को लाभ पहुंचा है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में, मैं आपके माध्यम से सरकार से वैट के परिणामों को सभा पटल पर रखने का अनुरोध करता हूं। इस निरसन विधेयक से, विशेषतः पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम से भारत सरकार को चंडीगढ़ में वैट लागू करने में सुविधा होगी। परन्तु, वैट के लागू होने से पंजाब को कितना लाभ मिला है? हमारा मानना है कि वैट के लागू होने के कारण कुछ परेशानी हुई है तथा कुछ व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें वैट के लिए ढेर सारे कागजातों और दस्तावेजों का रख–रखाव करना पड़ता है। मुझे यह बताया गया है तथा–मैं नहीं जानता हूं कि यह सही है अथवा नहीं–तथा जब तक कि सारी बात की समीक्षा नहीं की जाती है और कुछ कहना मुश्किल है। तथापि, हमें वैट के लागू होने के कारण छोटे व्यापारियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्हें परेशानियां हो रही हैं। मेरे विचार से वैट लागू किए जाने का मुख्य उद्देश्य समाज को कठिनाइयों से युक्त बनाना है। यह बात विचारणीय है कि क्या इस वैट के लागू होने से राज्यों और व्यापारियों को लाभ पहुंचा है। अचानक ही, राज्य सरकारों के पास संसाधनों को एकत्र करने हेतु अवसर होना चाहिए। अन्यथा, वे ऋण से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए, मेरे विचार से, इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः मैं बात को लम्बी नहीं खींचना चाहता हूं।

मेरे विचार से हमारे माननीय सहयोगी श्री बंसल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि 'हां', चंडीगढ़ में लोकतांत्रिक स्वरूप का शासन होना चाहिए और इसे इस तरीके से लागू किया जाना चाहिए कि शासन के रूप में लोगों का योगदान सुनिश्चित किया जा सके। अन्यथा, संविधान निर्माताओं का सपना साकार नहीं होगा। अतः, पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम के निरसन पर चर्चा करते समय और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में वैट लागू करते समय हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम चंडीगढ़ के लोगों को किस हद तक लोकतंत्र दे सकते हैं। इस प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए और सभा में इस पर समुचित चर्चा की जानी चाहिए। तथापि, इसके साथ ही मैं समझता हूं कि सभी मुद्दों पर चर्चा करने हेतु यह उचित मंच नहीं है क्योंकि हम केवल पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम के निरसन पर चर्चा कर रहे हैं।

[श्री लक्ष्मण सेठ]

तथापि, जब कर का मुद्दा सभा के समक्ष आया है तो हमें इस बात पर भी चर्चा करनी है कि सभी राज्यों को ऋण भार से कैसे मुक्त किया जा सकता है और भारत सरकार राज्यों को राहत किस प्रकार दे सकती है। इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात, छोटी बचतों पर भी ब्याज दर अन्य ऋणों से उच्च है और प्रत्येक राज्य पर भारत सरकार का भारी ऋण भार है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

राज्यों को कर राजस्व का हस्तांतरण संतोषजनक नहीं है। हम लम्बे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि संघ सरकार द्वारा एकत्र किया गया कुल कर का 50 प्रतिशत राज्यों को उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत करने हेतु दिया जाना चाहिए क्योंकि जब तक राज्य आर्थिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली नहीं होंगे केन्द्र मजबूत नहीं बन सकता है। अतः, राज्यों को संसाधनों का समुचित हस्तांतरण किया जाना चाहिए। यह काफी लम्बे समय से लंबित मुद्दा है। इस पर भी सभा में उचित समय पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि हम सभी राज्यों को उनके ऋण भार से मुक्त कराने में मदद कर सकें। यदि ऐसा किया जाता है तो राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यदि राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो संपूर्ण देश मजबूत होगा।

तत्पश्चात, मेरे विचार से, हमें राज्यों को संसाधनों के आवंटन पर चर्चा करनी चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस परिप्रेक्ष्य में, संपूर्ण कर नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। तथापि, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु इसके साथ ही मैंने यहां पर जिस मुद्दे का उल्लेख किया है सरकार उस पर भी ध्यान दे।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदय, मैं पंजाब साधारण विक्रय कर (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त) निरसन विधेयक, 2005 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे दल को इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास और संस्कृति अद्वितीय रही है। यह न तो पंजाब में है न हरियाणा में। देश में यह एकमात्र शहर है जहां दो महत्वपूर्ण राज्यों की दो राजधानियां हैं और यह वास्तव में दुखद है कि आजादी के 58 वर्ष बाद भी चंडीगढ़ में अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किया गया है जो कि उस क्षेत्र के लोगों की सामान्य शिकायत है।

महोदय, मेरे दिवंगत नेता, श्री बीजू पटनायक ने अपने जीवन काल में इस देश के आम लोगों की भलाई के लिए हमेशा कार्य किया। एक समृद्ध भारत का निर्माण उनका सपना था और पिछड़े क्षेत्रों में संपूर्ण विकास पर उनका जोर था। इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक मुक्त, लोकतांत्रिक समाज हमेशा ही कर–मुक्त समाज होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कर लगाने से आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के परिदृश्य में, मेरा विनम्र अनुरोध है कि कोई भी नया कर लगाने के पहले समुचित अध्ययन किया जाए और कोई भी कर आम लोगों की कीमत पर नहीं लगाया जाना चाहिए जबकि उस क्षेत्र के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से वंचित रखा गया हो। अतः, आम जनता की शिकायतों को सुनने के लिए एक राजनैतिक परामर्शदात्री समिति होनी चाहिए। इस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन यह है कि नगर निगम को आधिकारिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए और छोड़े गए ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं अपने दल की ओर से गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि चंडीगढ़ पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

कर लगा कर उस क्षेत्र के लोगों का सपना साकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, मंत्रालय इस बात को देखे कि कोई भी कर इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए जिससे उस क्षेत्र के आम लोगों को मदद मिले।

अन्ततः, मैं माननीय गृह मंत्री से यह अपील करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और समृद्ध भारत को प्राप्त लाभ उन्हें भी प्रदान किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता का नाम सूची में नहीं है परन्तु एक विशेष मामले के रूप में, मैं उन्हें इस विषय पर केवल दो मिनट बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

अपराह्न 3.01 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : महोदय, जो टैक्स पंजाब और चंडीगढ़ के बारे में लगाने की बात है, उसे देखने से लगता है कि टैक्स का बोझ मध्यम वर्ग पर, गरीब वर्ग पर और किसानों पर भी पड़ेगा। जो बड़े लोग हैं, कार्पोरेट हाउसेस हैं, उन

पर टैक्स का बोझा कम पड़ेगा। हमारी पार्टी चाहती है कि जो टैक्स लगाया गया है, उसका बोझ गरीब लोगों पर नहीं पड़े, किसानों पर नहीं पड़े, मध्यम वर्ग के लोगों पर न पड़े। इस टैक्स का बोझ बड़े लोगों पर और कार्पोरेट हाउस पर भी पड़े। चंडीगढ़ में बड़े–बड़े लोग रहते हैं, बड़ी–बड़ी फैक्टरियों के मालिक रहते हैं, उन पर टैक्स का बोझ डाला जाए, जिससे लगे कि यह टैक्स सही मायने में लगाया गया है। अभी तक यह देखा गया है कि आम तौर पर टैक्स गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों पर लगाया जाता है और सही मायने में जिन पर टैक्स का बोझ पड़ना चाहिए जो बड़े लोग हैं, कार्पोरेट हाउस हैं, उन पर टैक्स का बोझ कम पड़ता है। इसलिए हमारी पार्टी चाहती है कि किसी भी हालत में गरीब लोगों पर, मध्यम वर्ग के लोगों पर और किसानों पर टैक्स का बोझ न पड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब मूल्य वर्धित कर 2005, 1 अप्रैल, 2005 को लागू हुआ था। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मामले में, पंजाब राज्य द्वारा अधिनियमित कानूनों का विस्तार सामान्यतः पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत किया जाता है।

धारा 87 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि "केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अधिनियम को, जो अधिसूचना के समय राज्य में प्रवृत्त हो ऐसे उपबंधों अथवा उपान्तरणों के साथ जैसा वह उचित समझे चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारित कर सकेगी।" तथापि, वर्तमान मामले में, विधि मंत्रालय का मत यह है कि अधिसूचना के माध्यम से विक्रय कर कानून का निरसन संभव नहीं है क्योंकि यह कार्य केवल संसद के एक अधिनियम द्वारा हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर निर्बंधन के साथ पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 का निरसन किया जाए।

हमें इसका निरसन करना होगा। इसीलिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। मेरे विद्वान मित्रों ने यह पूछा है कि क्या इससे पंजाब को कोई लाभ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वैट प्रणाली के लागू होने से पहले, वर्ष 2004–2005 के दौरान पहले 6 माह में संग्रहीत कर 1,447.26 लाख रुपये था।

वैट लागू होने के पश्चात, यह 2,008.74 लाख रुपये हुआ है जो कि 38.8 प्रतिशत की वृद्धि है। इसलिए, वैट प्रणाली लागू होने के उपरान्त भारत में यह सबसे अधिक लाभार्थी राज्यों में से एक है। परन्तु वर्तमान अधिनियम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पंजाब मूल्य वर्धित कर लागू करने हेतु चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है।

मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैट लागू करना अधिक राजस्व के संग्रहण में उपयोगी सिद्ध हुआ है। माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंजाब के लोगों के समक्ष आ रही समस्या दूर हो क्योंकि चंडीगढ़ में एक अच्छी वैट प्रणाली होगी।

शिकायतों के निवारण के संबंध में मुझे सभा को यह सूचित करना है कि गृह मंत्रालय की एक सलाहकार समिति है जो चंडीगढ़ के लोगों की समस्या पर ध्यान देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से यह आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त, निरसन हेतु विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड–वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि विधेयक पारित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री एस. रघुपति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.03 बजे

राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2004

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमा–शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

राष्ट्रीय कर अधिग्रहण विधेयक, 2004 का उद्देश्य राष्ट्रीय कर अधिकरण की स्थापना करना है जिसका कार्य क्षेत्र दोनों, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के विवादों का हल करना होगा, जैसा कि विधेयक के पूरे नाम से इंगित है।

महोदय, इस अधिकरण को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर संबंधी मुकदमों को शीघ्र हल करना है। कर संबंधी मामलों को शीघ्र हल करने के उद्देश्य की प्राप्ति के अतिरिक्त इस अधिकरण की कर कानूनों की राष्ट्रीय व्याख्या के संदर्भ में स्थापना की गई है क्योंकि इसका देशव्यापी क्षेत्राधिकार होगा। यह उल्लेखनीय है कि इस समय देश में 21 उच्च न्यायालय हैं। कई बार उच्च न्यायालयों के निर्णय एक–दूसरे से भिन्न होते हैं जो कर मामलों के प्रशासन में अनिश्चितता, विलम्ब तथा समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कानून के किसी एक मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विरोधात्मक निर्णयों से न्यायिक एकरूपता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उच्चतम न्यायालय में अनावश्यक रूप से अपीलें दायर की जाती हैं।

एक विशेष निकाय, जो वर्ष–भर कर संबंधी मामलों को निपटाएगी, के विचारों में तत्परता तथा समरसता होगी।

राष्ट्रीय कर अधिकरण आयकर अपीलीय अधिकरण तथा सीमा शुल्क, उत्पाद कर तथा सेवा कर अपीलीय अधिकरण द्वारा विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दिए गए आदेशों की अपीलों का सुनेगा।

वर्तमान में, आय कर अपीलीय अधिकरण या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क अपीलीय अधिकरण, जैसा भी मामला हो, के निर्णय से सारवान विधिक प्रश्न उच्च न्यायालय में एक अपील विचाराधीन है। राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात उच्च न्यायालयों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित लंबित सभी मामले उस तारीख से राष्ट्रीय कर अधिकरण को स्थानांतरित समझे जाएंगे जो केन्द्र सरकार अधिसूचित करे।

महोदय, अधिकरण एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसा केन्द्र सरकार उचित समझे। इसका कार्य आरंभ करने के लिए, वित्तीय ज्ञापन में यथाउल्लिखित प्रत्यक्ष कर संबंधी मामलों हेतु कम से कम 15 पीठों और अप्रत्यक्ष कर संबंधी मामलों हेतु 10 पीठों का होना आवश्यक समझा गया है ताकि जो मामले उच्च न्यायालयों में अंतरित समझे जाएंगे इनका शीघ्र निपटारा किया जा सके। अधिकरण के क्षेत्राधिकार का उपयोग पीठों द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक पीठ में दो सदस्य होंगे।

अधिकरण का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो या कोई व्यक्ति जो आय कर शुल्क अपील अधिकरण या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा शुल्क अपील अधिकरण का कम से कम सात वर्ष से सदस्य हो या कम से कम सात वर्ष तक सदस्य रहा हो। इस तरह, अधिकरण में न्यायिक और न्यायिक प्रकार का अनुभव रखने वाले अध्यक्ष और सदस्य होंगे तथा उच्च न्यायालयों, जहां पीठों में बार–बार परिवर्तनों, राजस्व संबंधी मामलों को निपटाने के लिए साल भर पीठों की अनुपलब्धता, आदि के कारण शुल्क संबंधी मामलों का निपटान बहुत देर से होता है, के विपरीत यह शुल्क संबंधी मामलों के प्रति पूरी तरह से समर्पित एक विशेषज्ञ निकाय होगा।

इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के सचिव और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के सचिव शामिल होंगे।

अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि तक या 68 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, होगा। सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, तक जो भी पहले हो, होगा।

कर कानूनों के अन्तर्गत होने वाली मुकदमेबाजी से निपटने के

लिए एक विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है। तथापि, यह सुझाव नहीं दिया जा सकता कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इन मामलों को निपटाने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन जैसा कि पहले भी कहा गया है कि पीठों में बार-बार होने वाले परिवर्तनों, राजस्व संबंधी मामलों को निपटाने हेतु साल भर उच्च न्यायालयों में पीठों की अनुपलब्धता के कारण अक्सर विलम्ब होता है। प्रस्तावित अधिकरण इसके लिए पूरी तरह समर्पित एक विशेष मंच होगा और इस प्रकार शुल्क संबंधी मामलों को अति शीघ्रता से निपटाना अनिवार्य होता है, जो अन्ततः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हक में ही है।

मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक का इस सम्माननीय सभा में तहे दिल से समर्थन किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक पर चर्चा के लिए दो घण्टे नियत किए गए हैं। मेरे पास काफी लम्बी सूची है। अतः, मैं माननीय सदस्यों से अपना भाषण संक्षेप में देने का अनुरोध करता हूं।

अब श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बोलेंगे।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरा मानना है कि यह आवश्यक था कि हमने एक राष्ट्रीय कर अधिकरण के महत्व को समझा। मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

जैसा कि मंत्री जी ठीक ही कह रहे थे कि मूलतः यह महत्वपूर्ण विधान मामलों के लंबित होने के कारण लाया गया है। मुझे बताया गया है कि दो वर्ष पहले, उच्च न्यायालयों में लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित मामले लंबित थे। मुझे मालूम नहीं कि यह अब कितनी है। लेकिन, यदि यह सत्य है, तो सरकार उस राशि का नुकसान उठा रही है।

सरकार ही नहीं बल्कि व्यक्ति भी यह महसूस करते हैं कि उनके पास कोई देयता नहीं होनी चाहिए थी। उनकी ओर बकाया राशि नहीं होनी चाहिए थी और वे कोई भी देयता नहीं चाहते हैं। आजकल की यही धारणा है। मैं महसूस करता हूं कि आपने इसीलिए इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आजकल व्यापार बहुत ही जटिल और विशेषीकृत हो गया है। अब, जबकि यह बहुत जटिल और विशेषीकृत है, लोगों को इससे निपटना आना चाहिए। आपके पास कोई मामला होता है तो आप अभ्यावेदन देते हैं तथा ऐसे भी मुद्दे होते हैं जिन पर आप आयकर विभाग से सहमत नहीं होते हैं। विभाग स्वयं या व्यक्ति अधिकरण में जाते हैं। मामले विभाग से अधिकरण में और अधिकरण से उच्च न्यायालय में जाते हैं। इसमें पूर्णतः निर्णय लिए जाने से पूर्व कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस तरह से मैं महसूस करता हूं कि अब आपके पास एक राष्ट्रीय अधिकरण है, जिसमें जहां कहीं भी आवश्यकता हो, उसकी कई पीठें हैं।

कुछ बातें मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि इस राष्ट्रीय अधिकरण में अधिकतर न्यायाधीश उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से ही लिए जाएंगे। यह एक आम प्रथा है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जब व्यापारिक हित होते हैं और जब इन मामलों की उच्च न्यायालय में ले जाया जाता था तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को व्यापार की उत्तम प्रथाओं के बारे में बताना पड़ता था। आज की अवधारणा क्या है? वे इसे समझने में बहुत अधिक समय लेते थे। तब, फिर इस अधिकरण में न्यायपालिका के लोग ही क्यों हैं? कर संबंधी जटिल कानूनों को समझने वाले विशेषज्ञ आज इन पीठों में क्यों नहीं हैं?

भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां फल-फूल रही हैं। आपको विश्व व्यापार संगठन की आगामी बैठक के निर्णयों को समझना होगा। लोगों को वस्तुतः यह जानना होगा कि विश्व में क्या हो रहा है। मैं यह समझता हूं कि इसमें अच्छे भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा 'कैट' की तरह न्यायपालिका के न्यायाधीशों को शामिल न करके इस अधिकरण में आईआरएस के अधिकारी शामिल किए जाने चाहिए। कैट में भी न्यायाधीश होते हैं। प्रशासनिक विभाग की ओर से भी वे कैट में होते हैं और वे प्रशासनिक विभाग की समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने एक अच्छा निर्णय दिया। वे अपने साथियों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अतः, मैं यह महसूस करता हूं कि आपने कहीं न कहीं चूक की

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

है। मैंने कोई संशोधन या उसी प्रकार की कोई चीज प्रस्तुत नहीं की है। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि इस सभा में हम यह अनुरोध करना चाहते हैं कि मंत्री जी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस अधिकरण में न केवल न्यायपालिका के न्यायाधीश हैं बल्कि भारतीय राजस्व सेवा के विशेष, अच्छे तथा वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। क्या मैं यह भी कह सकता हूं कि यह केवल 70 या 80 करोड़ रुपये की बात नहीं है? परन्तु हर कोई इसका शीघ्र निपटारा चाहता है। इस तरह की प्रतीक्षा से कंपनियों, व्यक्तियों का शोषण हो रहा है। इस राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2004 में यह भी एक अच्छी बात है।

यह बात केवल लंबित होने से संबंधित नहीं है अपितु इस बारे में है कि इससे भारत सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यह भी एक सच्चाई है कि इस राष्ट्रीय कर अधिकरण के होने से व्यक्ति बहुत खुश हैं।

मैं एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह बिल्कुल ठीक कहा था कि कई बार न्यायाधीशों के विचारों में मतभेद होता है। हम न्यायाधीशों के निर्णयों तथा उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक हित को ध्यान में रखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश एक निर्णय देते हैं; तथा इसी प्रकार का एक मामला जब दिल्ली या कोलकाता में आता है, तो वे एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। अतः, यदि कोई राष्ट्रीय अधिकरण बन जाता है तो सब जगह एक ही मत अपनाया जाएगा; सभी पीठ यह जान जाएंगी कि क्या मत दिया गया है और उसी मत का पालन करेंगी। इस प्रकार मैं यह महसूस करता हूं कि इन समस्याओं का समाधान करने में राष्ट्रीय कर अधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

मैं यह मानता हूं कि यह विधेयक राष्ट्रीय हित में है। अतः, हम विपक्ष की ओर से भी आपका समर्थन करते हैं।

श्री के. एस. राव (एलुरु) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से इसका समर्थन करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आम परंपरा, जिसमें विपक्ष में बैठे सभी माननीय सदस्य सभी विधेयकों की आलोचना तथा उनका विरोध करते हैं, के विपरीत हमारे मित्र श्री बदनोट ने भाजपा का सदस्य होते हुए भी इस विधेयक का समर्थन किया है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : आप केवल 2003 के मूल विधेयक को दोहरा रहे हैं इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री के. एस. राव : इसके बावजूद, ऐसे कई अवसर आए हैं जहां आपने हमारा विरोध और आलोचना की है।

मेरी यह इच्छा थी कि आज अधिक संख्या में, विशेषकर, उनके वरिष्ठ नेता यहां मौजूद रहते। यदि वे आज यहां मौजूद होते तो मुझे उन सदस्यों के विचार जानकर बहुत खुशी होती।

यह केवल किसी एक अथवा अन्य कारण से सत्ताधारी दल में दोष ढूंढने, उत्तेजना पैदा करने और समाचार पत्रों तथा मीडिया की सुर्खियों में आने का प्रश्न नहीं है। मेरा कहना केवल यह है कि मूल रूप से, संसद के प्रत्येक सदस्य के मन में जनता तथा राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए। मुझे कल उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को उठाने के पीछे कोई कारण दिखाई नहीं देता।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कल की घटनाओं का जिक्र मत कीजिए।

श्री के. एस. राव : मैं किसी में कोई दोष नहीं निकाल रहा हूं। जब कभी सत्ता पक्ष कोई गलत कार्य करे तो विपक्ष का यह कार्य है कि उसमें खामियां ढूंढे। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि प्राथमिक रूप से हमें यह देखना चाहिए कि जनता और राष्ट्र की आवश्यकता क्या है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

जनता की आवश्यकताओं के विषय में जानने के पश्चात यदि सत्ताधारी दल ने कुछ गलत कार्य किया है तो हमें उसकी आलोचना करनी चाहिए। परन्तु, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं तथा इस सभा और उसके सदस्यों की मूल जिम्मेदारियों की परवाह किए बिना, वे अचानक उन मुद्दों को उठाते हैं जिनसे उनकी राय में सरकार की बदनामी हो।

जो भी हो, मुझे खुशी है कि हमारे माननीय मित्र ने तुरन्त इस विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने न केवल इस विधेयक का समर्थन किया है अपितु सदस्यों और अध्यक्ष की पात्रता के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। विधेयक में यह कहा गया है कि केवल वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही इसके पात्र हैं। ऐसे समय में जब न्यायपालिका में पूरी ईमानदारी थी, कोई स्वार्थ नहीं था, पूरी सत्यनिष्ठा, कार्य के प्रति समर्पण तथा समाज की विभिन्न बुराइयों से यह दूर थी, तब इसमें केवल वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को रखने के बारे में सोचा जा सकता था, चूंकि वे हम सबसे अलग थे।

आप कहते हैं हम निष्पक्ष नहीं हैं, वे निष्पक्ष हैं। वे ईमानदार हैं, वे सत्यनिष्ठ हैं और हम नहीं हैं। यह बिल्कुल ठीक है। परन्तु, आज स्थिति अलग है। जैसा कि मेरे साथी ने कहा है कि यह

आवश्यक नहीं है कि हमें हर बात के लिए केवल न्यायपालिका की ओर देखने की आवश्यकता हो। ऐसे बहुत से प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, विभिन्न विषयों पर कथित न्यायाधीशों से अधिक। आज हमें ऐसे व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता है जिनके पास केवल कानून में ही नहीं बल्कि किसी विशेष विषय का ज्ञान हो। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि इस व्यवसाय अर्थात् कराधान के क्षेत्र में भी प्रबुद्ध व्यक्तियों को बोर्ड में शामिल करने के कार्य को वरीयता दी जा सकती है। परन्तु ऐसा करते समय, हम निश्चित रूप से उनकी योग्यता, सत्यनिष्ठा, उनके द्वारा पहले प्राप्त किए गए परिणामों तथा उनकी निर्णय लेने की क्षमता को भी देख सकते हैं। अतः, इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है।

मेरे मित्र ने जो कहा है उसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूं। उनका कहना है कि ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, उस समय तक उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक होगी। इसका अर्थ है कि हम इस मुद्दे पर न्याय करने, राष्ट्र के विकास के लिए तत्काल धन की वसूली करने हेतु सेवा काल के अन्त में एक 65 वर्ष के व्यक्ति का चयन करेंगे। यह एक आम समझ की बात है कि 65 वर्ष की आयु में किसी व्यक्ति में इतनी महत्वाकांक्षा नहीं होगी जितनी कि किसी युवा में होगी जो कि कड़ा परिश्रम करके और परिणाम निकाल कर अपना कैरियर बनाना चाहता है। जी हां, कुछ निश्चित कार्यों के लिए अनुभवी व्यक्ति का चयन किया जा सकता है परन्तु कुछ कार्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है। आज केवल आयु अनुभव का मानदंड नहीं है। अनुभव से यह आवश्यक नहीं है कि जागरूकता तथा ज्ञान में वृद्धि हो। कुछ लोगों का ज्ञान साठ वर्ष की आयु के बाद भी शून्य होता है, और कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन काम के प्रति समर्पित नहीं होंगे। राष्ट्र अथवा लोगों के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी। अतः, हर समय अनुभव अथवा आयु के बारे में बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हमें संपूर्ण विश्व में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए अपनी सोच में बदलाव लाना होगा।

महोदय, हमने वर्ष 1990 तक अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार विश्व के लिए कभी नहीं खोले। हमने स्वयं को राष्ट्र की सीमाओं तक ही सीमित रखा, लेकिन बाद में हमने देखा कि कैसे दूसरे देश विकास कर रहे हैं। तब हमने महसूस किया कि हमें भूमण्डलीकरण करना चाहिए। हमने परिणाम भी देखे हैं। यदि यही बात थी और यदि हमारी सोच में बदलाव आना था और हमें भूमण्डलीकरण को अपनाना था, तो क्या हम इन घरेलू मामलों में भी अपने विचारों में बदलाव नहीं ला सकते?

इसलिए मैं अपने साथी का पूरा समर्थन करता हूं जिन्होंने कहा कि सरकार को सक्षम युवाओं की सोच के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि कोई 65 वर्ष का ही हो। हम उसका पूर्व रिकार्ड देख सकते हैं कि क्या उसमें निष्ठा, योग्यता और ज्ञान है और क्या वह अच्छा कार्य करने में सक्षम है अथवा नहीं।

इसी प्रकार, आंकड़े बताते हैं, यद्यपि, मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा दिए गए आंकड़े सही हैं अथवा नहीं। सरकार ने भी कई अवसरों पर ऐसा विचार व्यक्त किया है। जब हम विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में गए और हमने उनसे कई प्रश्न पूछे, तो उन्होंने तत्काल उत्तर देने में असमर्थता जताई क्योंकि व्यापक कम्प्यूटीकरण के बावजूद, उनके पास उत्तर तैयार नहीं थे। कई विभागों के पास पूरी जानकारी और सही आंकड़े नहीं थे; केवल आंकड़े दिए जाते हैं और ठीक से कोई निर्णय नहीं लिए जा सकते। देश की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए आज यदि योजना आयोग को कोई निर्णय लेना हो कि किस क्षेत्र को अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, वे तब तक निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि आंकड़े उपलब्ध न हों। तथापि, रिकार्डों और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कहीं यह कहा जा रहा है कि केवल उच्च न्यायालय में ही 39,030 मामले लंबित हैं और कहीं और यह बताया गया कि 52,877 मामले लंबित हैं। आपके आंकड़े बता रहे हैं कि प्रति वर्ष केवल 6,000 मामलों को ही निपटाया जा सकता है। आज उच्च न्यायालय में लंबित 52,000 मामलों को निपटाने में नौ वर्ष और लगेंगे।

देश को कितना नुकसान होता है? यह बताया गया है कि 1,03,000 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है। इसका मतलब है, बेहतरीन प्रयासों और यहां लागू सर्वश्रेष्ठ कानून के बावजूद यदि हम 1,03,000 करोड़ रुपये की धनराशि तक संग्रहित नहीं कर पाते हैं। यदि यह 20,000 करोड़ रुपये भी हैं, तो आप स्थिति को देखें। यदि आज 20,000 करोड़ रुपये उपलब्ध होते, हम नदियों को जोड़ने का काम शुरू कर सकते थे, हम 30 लाख एकड़ भूमि पर खेती कर सकते थे। 30 लाख एकड़ भूमि पर खेती करके हम कम से कम 15,000 करोड़ तक के मूल्य की विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और क्या चाहिए? पैसा। पैसा ही एकमात्र ऐसा उत्प्रेरक है, जो व्यक्ति को काम करने, पसीना बहाने और उसके बाद परिसंपत्ति बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि अमरीका या कुछ अन्य देश धनी हैं तो वे केवल अपनी परिसंपत्तियों के कारण धनी हैं। परिसंपत्तियां कैसे बनती हैं? केवल पाउंड या स्टर्लिंग या डालर छापकर परिसंपत्तिया नहीं बनी हैं। पहले की तरह, वस्तुओं के

[श्री के. एस. राव]

विनिमय की बजाय, डालर अथवा मुद्रा ही लेन–देन का एकमात्र साधन है। लेकिन इससे लोगों को कार्य करने और परिसंपत्ति बनाने की प्रेरणा मिलती है। जब तक लोग कार्य नहीं करते, जब तक लोग ज्ञान नहीं प्राप्त करते, जब तक लोग कुशलता प्राप्त नहीं करते, कोई नतीजा नहीं निकलता।

यदि 20,000 हजार करोड़ रुपये की यह राशि इस वर्ष संगृहीत कर ली गई होती, तो इससे 30 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो जाती, और 15,000 करोड़ रुपये का उत्पादन होता। इसका क्या लाभ होगा? वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से भी सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद पर संगृहीत राजस्व के रूप में 10.5 प्रतिशत दिया जा सकता था। इसका मतलब है कि मूल उत्पाद पर अतिरिक्त कर राजस्व के रूप में ही 1,500 करोड़ रुपये वसूल हो सकते थे। यदि मूल्य वृद्धि को भी जोड़ लिया जाए तो यह दुगुना या तिगुना हो जाता। इससे 30 लाख नौकरियां पैदा हो सकती थीं।

आज हम यहां पर अपना सिर खपा रहे हैं और इस पक्ष से हम सब दावा करते हैं कि हम रोजगार गारंटी योजना पर एक क्रांतिकारी विधेयक लाए हैं। यह अच्छी बात है। हम एक क्रांतिकारी विधेयक लाए हैं। यह गांवों में रहने वाले उन अभागे और निर्धन लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए है जिनके पास काम नहीं है। उन्हें काम की तलाश है। वे भिखारी नहीं हैं। वे हम से कुछ नहीं मांग रहे हैं। वे हम से यह उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें काम दिलवाएं। यही कारण है कि सरकार ने रोजगार गारंटी कानून अधिनियमित किया है। इसके स्थान पर, मान लीजिए, हम इस कानून के माध्यम से तुरन्त धन वसूल कर लेते हैं और इसे भूमि की जुताई के लिए भेज देते तो उससे रोजगार का सृजन हो सकता था। तब हमें रोजगार मुहैया कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार में एक व्यक्ति को केवल 100 दिनों के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए बजट में 40,000 करोड़ रुपये अथवा 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि यदि सब कुछ बिना विलंब के, बिना लाल फीताशाही के शीघ्रता से हो जाए, तो हम देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और हमारा देश शीघ्र ही विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में होगा। क्या हम में बुद्धि नहीं है? क्या हमारे पास प्रेरणा का अभाव है? क्या हमारे पास क्षमता नहीं है? हमारे पास सब कुछ है। लेकिन प्रेरणा के लिए एक शुरूआत होनी चाहिए जो मुझे काम करने की प्रेरणा दे, उसी का अभाव है।

विधि आयोग ने 1986 में ही यह सुझाव दिया था कि इस तरह का विधेयक लाया जाना चाहिए। इसमें काफी समय लगा। फिर भी, एनडीए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, लेकिन वह अधिनियम का रूप नहीं ले सका। अब तत्काल यूपीए सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया। विपक्ष भी इसका समर्थन कर रहा है। प्रत्येक सदस्य इसका समर्थन कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है। इस विधेयक से देश को उन मामलों के निपटान में वर्षों तक के विलंब की बजाय काफी सहायता मिलेगी।

इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसमें आशंकाएं हैं। कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा है। यहां तक कि संसद सदस्यों के रूप में जब हमने कुछ लोगों को साक्षी के रूप में बुलाया तो उन्होंने कहा–महोदय, आप कृपया यह सुनिश्चित करें, इसकी जांच करें, और यह ध्यान रखें कि यह विलंब का अतिरिक्त कारण नहीं बनेगा।

निर्धारण अधिकारी हमारे पास पहले से ही हैं। कर निर्धारण अधिकारी यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति को कितना कर देना है। इसके अतिरिक्त नैसर्गिक न्याय का प्रश्न है। जब करदाता यह महसूस करता है कि कर अनुचित रूप से अधिक है तो उसे अपील करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसीलिए हमने अपील करने के लिए आयकर आयुक्त के पद का सृजन किया था। अपील के मामलों का न्यायपूर्ण ढंग से फैसला करने के लिए आयकर आयुक्त को दी गई शक्तियों के बावजूद हम उससे संतुष्ट नहीं थे और उसमें तभी भी विलंब हो रहा था। तत्पश्चात हमने आयकर अपील अधिकरण बनाए। हमने देखा कि आयकर अपील अधिकरण होने पर भी काफी विलंब हो रहे हैं। अब हम उच्च न्यायालय में जा रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि उच्च न्यायालय भी कम से कम तीन वर्ष और कभी–कभी उससे भी अधिक समय लेते हैं। इसीलिए हम इसे लाना चाहते हैं और धन तथा समय दोनों बचाना चाहते हैं। इसीलिए हम यह विधेयक ला रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि इसमें ऐसा कोई खंड नहीं है जिसमें किसी मामले को निपटाने की न्यूनतम अवधि का उल्लेख हो। हम आयकर अधिकरण की स्थापना कर रहे हैं क्योंकि आयकर आयुक्त तीन वर्ष का समय लेते हैं और उच्च न्यायालय और तीन वर्षों का समय ले लेता है। कल यदि आयकर अधिकरण भी अधिक समय लेगा तो इसकी स्थापना का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें इस विधेयक को रोकने के लिए कह रहा हूं परन्तु वह सुनिश्चित करें कि यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन किए जाएं। कोई भी विधेयक पहली ही बार में पूर्ण नहीं बनाया जा सकता परन्तु निष्पादन और परिणाम देखकर वर्षों और दशकों का इंतजार न करके, जैसा कि हमने पहले भी किया है उनमें यथाशीघ्र संशोधन करने में हिचकना नहीं चाहिए।

अतः उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब कम से कम कर एकत्रित करने, करदाताओं को न्याय देने और इसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने में विलम्ब न हो। मेरे विचार में इस विशेष निकाय की स्थापना करना न्यायोचित है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी मामलों और मुकदमेबाजी को शीघ्र निपटाने के लिए संदर्भित है, परन्तु इस बार हर पहलू का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इस निकाय में, तकनीकी सदस्यों को भी महत्ता दी जानी चाहिए। हम सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लाते हैं जिन्हें कर की कोई जानकारी नहीं होती। मंत्री जी ने स्वयं ऐसा कहा है। साथ ही हमें इस बात की भी जानकारी है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कुछ ही न्यायाधीशों को कर संबंधी मामलों की जानकारी होती है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : तो, क्या आप सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इन परिस्थितियों में लाने के खिलाफ हैं?

श्री के. एस. राव : मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मेरा यह कहना है कि तकनीकी सदस्यों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।

श्री तथागत सत्पथी : क्या आप उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों को वापस लाना चाहते हैं जिन्होंने अपना पूर्ण उपयोगी जीवन सेवा में व्यतीत किया है?

श्री के. एस. राव : मैं वृद्ध व्यक्तियों के खिलाफ नहीं हूं। मैं जवानों के खिलाफ नहीं हूं। उसमें ऐसे व्यक्तियों को सम्मिश्रण होना चाहिए जिनमें क्षमता हो, जिन्हें ज्ञान हो और अनुभव हो।

श्री तथागत सत्पथी : उन्होंने एक बार अपना सेवाकाल पूरा कर लिया है और आप उन्हें वापस लाना चाहते हैं।

श्री के. एस. राव : यह आपका विचार है। अतः मेरा केवल यह कहना है कि तकनीकी सदस्यों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए और इसके लिए केवल आयु को ही मानदंड नहीं माना जाना चाहिए।

मैं इस बात की सराहना करता हूं कि समय को कम करने के लिए माननीय मंत्री इस विधेयक को लाए हैं। मैं विधि मंत्री की जानकारी में यह बात भी लाना चाहता हूं कि इसे सामान्य न्यायालयों पर भी लागू किया जाना चाहिए। न्याय शीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आज न्यायालयों में दशकों से स्थगन पर स्थगन के कारण कई मामले लंबित पड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि लोगों का न्यायपालिका से विश्वास हटता जा रहा है...*(व्यवधान)* अतः निर्णय शीघ्र लिया जाना चाहिए।

हमारी वचनबद्धताओं और लोकतंत्र के लिए हमारे प्रेम की वजह से न्यायपालिका निश्चित तौर पर हमारी व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है। हम इसकी प्रशंसा और आदर करते हैं परन्तु हम इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि न्याय जल्दी हो। अतः मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह न केवल कर संबंधी मामलों बल्कि अन्य मामलों पर भी इस पहलू से सोचे। उन्हें उस ऊर्जा और मानव शक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए जिसकी इन विलम्बों के कारण हानि हुई है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए वहां जाना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है जिससे उनका बहुमूल्य समय और ज्ञान व्यर्थ चला जाता है जिसे अन्य प्रयोजनों, रचनात्मक प्रयोजनों में उपयोग किया जा सकता है।

इस मामले में यह समय–सीमा होनी चाहिए और न्याय करने का तरीका एक पिरामिड की तरह होना चाहिए। आयकर आयुक्त अथवा आयकर अपील अधिकरण को भेजे गए सभी मामलों को राष्ट्रीय अधिकरणों के पास भेजने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां तक संभव हो मामलों की संख्या कम की जानी चाहिए और जब भी मामलों को भेजा जाए तो पिरामिड व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री अगली बार जब भी कोई संशोधन करें तो वह यह विचार करें कि क्या राष्ट्रीय अधिकरण को भेजे जाने वाले मामलों के महत्व और आकार की सीमा तय होनी चाहिए। यदि यह उल्लेख होगा तो प्रत्येक मामला राष्ट्रीय अधिकरण को नहीं भेजा जाएगा और न्याय काफी शीघ्र किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल को 30 मिनट दिए गए थे और आप पहले ही 18 मिनट तक बोल चुके हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री एस. के. राव : महोदय, यह एक सामान्य अनुभव है कि हम कोई कृत्य करते हैं और न्यायपालिका को इन कृत्यों के आधार पर निर्णय करना होता है। एक ही मुद्दे पर और एक ही स्थिति में भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों ने भिन्न भिन्न निर्णय दिए हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक न्यायाधीश का, प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय अलग–अलग है। इस विधेयक से न्याय–निर्णय में एकरूपता आने की आशा है क्योंकि इससे केवल एक न्यायाधिकरण होगा। यदि वे एक विशिष्ट मामले में निर्णय देते हैं तो उसी मामले में किसी अन्य न्यायपीठ द्वारा किए गए किसी भी निर्णय में अन्तर नहीं हो सकता। इसमें किसी भी मामले को निपटाने के संबंध में यह प्रावधान है। इस विधेयक का एक अन्य फायदा यह भी है और मैं इससे अत्यन्त प्रसन्न हूं।

[श्री के. एस. राव]

मैं कोई वकील नहीं हूं, अतः मुझे इस प्रावधान में कोई कमी नहीं दिखती।

श्री तथागत सत्पथी : परन्तु आप एक करदाता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत बोलिए।

श्री एस. के. राव : उच्च न्यायालय के रिट न्यायाधिकार को समाप्त नहीं किया गया है। इसे विभिन्न प्रावधानों तथा विभिन्न अधिनियमों के चलते समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। एक बार पुनः, कुछ शर्तें तय की जानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत मामले को किसी उच्च न्यायालय को भेजा जा सके और उनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए।

जनसाधारण की अर्हताओं को विनिर्दिष्ट करते हुए, खण्ड में संबंधित व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा उसके पूर्व निष्पादन का उल्लेख होना चाहिए। मात्र विधेयक पारित करने से हमारा उत्तरदायित्व पूरा नहीं हो जाता है। हम समाज के सभी वर्गों तथा इस पर विभिन्न कोणों से विचार करके एक उत्कृष्ट अधिनियम बना रहे हैं। लेकिन फिर इसे कैसे-कैसे लागू किया जाता है इसकी निगरानी भी की जानी है। समस्या केवल अधिनियम को लागू करने में आ रही है जिसे यहां बनायां जा रहा है। यदि इस पर उचित रूप से ध्यान दिया जाता है तो जिन उद्देश्यों से इन अधिनियमों को बनाया जा रहा है वह पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री किसी तंत्र के बारे में विचार करें ताकि कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी की जाए तथा इस पर दस अथवा पन्द्रह वर्ष बाद पुनः विचार न करना पड़े।

एक अन्य मुद्दे का उल्लेख किया गया है। यह अधिनियम जैसे ही लागू होगा, उच्च न्यायालय में चल रहे सभी मामले इस न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जहां सुनवाई लगभग अंतिम चरण में हो तथा उन पर जल्द ही निर्णय प्रतीक्षित हो। यदि उन मामलों को इस न्यायाधिकरण में स्थानांतरित किया जाता है तो एक बार पुनः उन पर शुरू से विचार करना होगा तथा यह लंबा समय लेगा। मैं केवल यही चाहता हूं कि कोई ऐसा मार्ग निकाला जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मामले जो सुनवाई के अंतिम चरण में हैं तथा जहां निर्णय की प्रतीक्षा है उनमें और देरी किए बिना वहीं कार्यवाही की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस. के. राव : मैं अपना भाषण समाप्त ही करने जा रहा हूं। महोदय, हम उन मामलों पर विचार कर रहे हैं जिन पर आयकर आयुक्त ने एवं कर-निर्धारक अधिकारी ने कार्यवाही की है। संबंधित विभाग का साक्ष्य लेते हुए, हमें आश्चर्य होता था। एक मामले में जिसे मैं यहां अपने साथियों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, कोलकाता में एक सीमा शुल्क आयुक्त ने कर एवं दण्ड, दोनों का विधिवत निर्धारण करके संबंधित कंपनी से 1,952 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा। शुल्क और दण्ड किस चीज पर? आयातित कच्चे तेल पर पत्तन द्वारा 170 करोड़ रुपये का विलम्ब शुल्क लगाए जाने पर? इसे किसने आयात किया? इण्डियन ऑयल कारपोरेशन ने इसका आयात किया था। अधिकारी की मनमानी तो देखिए। यह विलम्ब पत्तन पर भीड़भाड़ के कारण हुआ। यह आईओसी की गलती नहीं है। उसकी गलती के कारण नहीं निकासी में विलम्ब के कारण ऐसा हुआ, 170 करोड़ रुपये के विलम्ब शुल्क को नियम एवं शर्तों के अनुसार लगाया गया था। अब इस अधिकारी ने 1950 करोड़ का शुल्क एवं दण्ड भी उसमें जोड़ दिया।

हमने इसे समाचार पत्रों में पढ़ा तथा हमें दिया गया आंकड़ा यह है कि इस देश में कर बकाया 1,03,000 करोड़ रुपये है। यह संभव है कि इस आंकड़े में ऐसी ही मदों की अधिकता है, यह हम नहीं जानते हैं। इसलिए, इस प्रकार के अधिकारियों पर कार्यवाही करने का भी प्रावधान होना चाहिए जो इस प्रकार का मनमाना कर निर्धारण करते हैं जो या तो जानबूझकर हो सकता है अथवा अनजाने में भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति ऐसा करके समाचार पत्रों में अपना नाम प्रकाशित कराना चाहता था। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न विभागों में अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय न लिए जाएं।

तत्पश्चात सरकार ने इस मामले को उच्च न्यायालय को भेजा तथा उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की तथा उच्चतम न्यायालय ने भी इसे खारिज कर दिया। इससे पता चलता है कि उस अधिकारी ने किस प्रकार का कर-निर्धारण किया। क्या उन्हें दण्डित किया गया है? क्या उन्हें फटकार लगाई गई ताकि इस प्रकार की बातें दोहराई न जाएं? इन बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

इसी प्रकार, यदि हम ईमानदार अधिकारियों को अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण से अपना कर्तव्य पालन करने पर प्रोत्साहित करें तथा उन अधिकारियों को हतोत्साहित करें जिनमें सत्यनिष्ठा की कमी है तथा जो कार्य को उचित रूप से करने में अक्षम हैं, तो लोगों को कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। इस प्रकार की प्रेरणा की अभी कमी है। हम केवल अधिकारी की आयु पर

विचार करते हैं तथा किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ दे दिया जाता है यदि वह वरिष्ठ है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम के प्रावधानों का संबंधित अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए। इसकी नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय विधेयक के इन प्रावधानों का उपयोग करे तथा बड़ी मात्रा में राजस्व संग्रहण करे तथा उसका उपयोग विकास संबंधी गतिविधियों में करे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके तथा सकल घरेलू उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि हो सके।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण विधेयक एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए तेरहवीं लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक को वित्त और न्याय संबंधी समिति को भेजा गया था। इससे पहले कि समिति अपना प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत करती, तेरहवीं लोक सभा का विघटन हो गया। तत्पश्चात इस सभा में विधेयक पुन पुरःस्थापित किया गया तथा इसे वित्त, न्याय और व्यक्तिगत शिकायतों संबंधी समिति को भेज दिया गया। यह राज्य सभा की समिति है।

मैं उस समिति का एक सदस्य हूं। अब मैं आपको विधेयक के संबंध में कुछ ब्यौरा देना चाहता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता हूं। परन्तु मैं इसका विरोध भी नहीं करूंगा। मैं आपको कारण बताऊंगा। हमने विस्तारपूर्वक विधेयक की जांच की है। हम एक निश्चित निर्णय पर पहुंचे हैं जिसे मैं यहां पढ़ूंगा।

स्थायी समिति द्वारा एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है। विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च पदों पर बैठे नौकरशाहों को, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं को कुछ कार्य सौंपना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, कर-संग्रहण करना उसका मुख्य उद्देश्य कतई नहीं है।

अब, मैं सभा को विश्वास से यह कहना चाहूंगा कि विधेयक का उद्देश्य क्या था। विधेयक का उद्देश्य एक राष्ट्र स्तरीय न्यायाधिकरण की स्थापना करना है जिसे राष्ट्रीय कर-न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों के निपटारे में अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार होगा ताकि सरकार के राजस्व को रोका जा सके। वर्तमान में सरकार का राजस्व फंसा हुआ है। लंबे समय से मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं। विधेयक का उद्देश्य इस समय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करना है। यही विधेयक का सार है। हमने विधेयक की जांच की है तथा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। मैं निष्कर्ष पढ़ता हूं...*(व्यवधान)*

श्री विश्वेन्द्र सिंह (भरतपुर) : स्थायी समिति में क्या हुआ इसकी चर्चा सभा में कभी नहीं की जाती। इस पर चर्चा की जा रही है। स्थायी समिति की कार्यवाइयों का खुलासा सभा में नहीं किया जाता है। केवल इसकी सिफारिशों की चर्चा की जा सकती है न कि वहां क्या कार्यवाही हुई उस पर।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं केवल इसे उद्धृत कर रहा हूं। मैं प्रतिवेदन पढ़ नहीं रहा हूं। मेरा निवेदन है कि स्थाई समिति ने विधेयक पर आगे कार्रवाई न करने की सिफारिश की है। अब, इसे विशेष रूप से कहा गया है। समिति का मानना है कि राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण की स्थापना से वेतन, अवसंरचना आदि की मद में भारी व्यय होगा। इस मामले में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यायाधिकरण के निर्णय से पीड़ित पक्ष इस अधिकार क्षेत्र के तहत अपील कर सकता है। इससे मामलों के अंतिम रूप से निपटान में विलम्ब होगा जिससे विधेयक का प्रयोजन ही निरर्थक हो जाएगा। उनका यही कहना है। यह अधिकार क्षेत्र उनके पास है।

देश में 21 उच्च न्यायालय हैं। सभी उच्च न्यायालयों में मामले लंबित हैं। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन वे देश भर में केवल एक न्यायाधिकरण की स्थापना करने जा रहे हैं, क्या वहां मामले काफी संख्या में जमा नहीं हो जाएंगे। इन सभी मामलों को केवल एक केन्द्र पर दायर करना होगा। अभी इनका निपटान 21 केन्द्रों द्वारा किया जाता है। 21 उच्च न्यायालय इन मामलों का निपटान करते हैं। अभी 21 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इन मामलों पर निर्णय करते हैं। 21 उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को एक न्यायाधिकरण में लाया जाएगा। यह निष्कर्ष निकालना किसी के लिए असंभव होगा कि अपील जमा नहीं होंगे। ये जमा होंगे। केवल यही नहीं, इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण में निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी। यह प्रावधान है। लेकिन पहले रिट आवेदन के रूप में निर्णय को उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। अन्तर क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होने पर कोई निर्णय को वहां चुनौती दे सकता है। एक ही बात है कि विधि के प्रश्न पर सवाल उठाना होगा। तो फिर उपचार क्या है? ये सभी मामले उच्च न्यायालय में जाएंगे। अब उच्च न्यायालय से राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण को लौटाए गए सभी मामले पुनः रिट आवेदन के रूप में उच्च न्यायालय ले जाए जाएंगे। इसे कौन रोक

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

सकता है? यह संवैधानिक प्रावधान है। हम उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कम नहीं कर सकते। अतः 21 उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण में जाएंगे। यह स्वाभाविक है कि पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए किसी निर्णय को, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के आधार पर वहां ले जाया जा सकेगा।

इसी कारण स्थाई समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि इस विधेयक पर आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। समिति ने इसके विरुद्ध स्पष्ट तौर पर सिफारिश की है। सरकार किस प्रयोजन से इस पर आगे कार्रवाई कर रही है? पीठ पूरे देश भर में स्थापित की जाएंगी। यात्रा भत्ते और अन्य मदों में इससे भारी व्यय होगा। पीठ की स्थापना के लिए दो न्यायाधीश या सदस्य काफी होंगे। भारत में कहीं भी पीठें स्थापित की जा सकती हैं। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? कर मामलों से निपटने हेतु प्रत्येक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त पीठ स्थापित करके भी हम यह काम कर सकते हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है? समिति की सिफारिश यही है। समिति ने विशेष रूप से सिफारिश की है कि विशेषकर कर संबंधी मामलों हेतु प्रत्येक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त पीठ होनी चाहिए। इसमें किसी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उच्च न्यायालय में सभी लम्बित रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। विलम्ब का कारण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों का न भरा जाना है। उन्हें अपने खाली पदों को भरना चाहिए और तभी कर मामलों से निपटने हेतु नई पीठ की स्थापना करनी चाहिए। मामलों की सुनवाई हेतु कुछ न्यायाधीशों को कर मामलों का प्रशिक्षण देना चाहिए। इस न्यायाधिकरण की आवश्यकता क्या है? मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि न्यायिक क्षेत्र का कोई व्यक्ति ही न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करेगा। लेकिन अन्य सदस्य नौकरशाह होंगे और वह भी ऐसे नौकरशाह जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। वे उम्र सीमा 65 वर्ष कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार 21वीं शताब्दी में ऐसा जटिल विधेयक क्यों ला रही है। मैं माननीय विधि मंत्री से पूरे विश्वास से कहता हूं कि इस विधेयक से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला। क्या वे सभा में यह आश्वासन दे सकते हैं कि व्यय में कमी आएगी? केवल यही नहीं।

पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम के लिए एक–एक पीठ होगी। अगर ऐसा हुआ तो भी भारी व्यय होगा। इसका उद्देश्य क्या है? साधारण तरीके से यह किया जा सकता है। वे उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर कर मामलों की सुनवाई हेतु विशेष पीठों की नियुक्ति का प्रावधान कर सकते हैं। ऐसे शीर्ष नौकरशाहों को पीठ में क्यों रखते हैं, जो सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं? इससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? ऐसी कई सिफारिशें हैं जिनमें कहा गया है कि सरकार को इस विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसी कारण समिति में हमने इसका विरोध न करने का निर्णय किया है। यदि सरकार इस विधेयक पर आगे कार्रवाई करने को उत्सुक है, यदि सरकार इस विधेयक पर आगे कार्रवाई करना चाहती है तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। इसी कारण मैंने शुरू में कहा कि हालांकि मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। चूंकि यह निर्णय समिति ने लिया है, मैं उस निर्णय का पालन करूंगा। यदि सरकार विधेयक पर आगे कार्रवाई करने को उत्सुक है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

हमने विधेयक के विभिन्न खंडों के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। कुछ अन्य चीजें की जानी हैं। जब उच्च न्यायालय या अपीली न्यायाधिकरण के आदेश चयन की बात आएगी तो उसे नहीं किया जाएगा।

अपराह्न 4.00 बजे

अतः अवसंरचनात्मक विकास आज की आवश्यकता है। अब अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक विकास हेतु सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि रिकार्डों को अद्यतन किया जा सके और लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जा सके। समिति ने यही सिफारिश की थी। लेकिन वे यह सुनने को तैयार नहीं हैं, वे उच्च न्यायालय में लंबित खाली पदों को भरने को तैयार नहीं हैं, वे कर आकलन का काम किसी पृथक् पीठ को देने को तैयार नहीं हैं। उनकी रुचि ऐसे नौकरशाहों को लाने की है जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं... *(व्यवधान)*। वे राष्ट्रीय हित नहीं देख रहे हैं। इस तरीके से राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं होगी।

अतः, निश्चित तौर पर हमारी राय यह है कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वित्त मंत्री कुछ नौकरशाहों को नियोजित करने के प्रति ज्यादा चिंतित हैं, तो उन्हें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए।

श्री के. एस. राव : वित्त मंत्री या विधि मंत्री।

श्री वरकला राधाकृष्णन : विधि मंत्री केवल कानून बना रहे हैं। वह इसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं...*(व्यवधान)* यदि वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय मिलकर सेवानिवृत्ति के कगार पर बैठे कुछ लोगों को समायोजित करने के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, तो उन्हें

कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, राजकोष की कीमत पर समायोजन नहीं करना चाहिए। अन्यथा, हमें लाखों–करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा, यदि सरकार कर नियमों से संबंधित लंबित कार्य के बारे में अधिक चिंतित है, तो उसके लिए हमने सिफारिश की है कि यह शर्त होनी चाहिए कि अपील दायर करने से पहले निर्धारित 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। यह समिति की सिफारिश है।

परन्तु मैं पूरी विनम्रता और आदर के साथ अपने विधि मंत्री से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर कार्यवाही न करें। अनावश्यक रूप से इतना धन क्यों खर्च किया जाए? हमारे लिए पैसे की बहुत कीमत है। देश के विभिन्न भागों में सूनामी, भूकम्प, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। और, हमें इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी धन की आवश्यकता है। तो उन्हें इन नौकरशाहों को अलग तरह से समायोजित करने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? सब जानते हैं, इन दिनों तमिलनाडु में भयंकर बाढ़ आई हुई है और उन्हें उनके पुनर्वास और उन्हें बसाने के लिए हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत है। उनके मुख्यमंत्री ने पहले ही धन की मांग की है, पूरे तमिलनाडु को धन की आवश्यकता है। अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि नौकरशाहों पर धन व्यय न करके, उन लोगों के लिए धन आवंटित करें। नौकरशाहों को समायोजित करने से कोई मकसद हल नहीं होगा।

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने उन सर्वोच्च अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए विधेयक पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया है जो पहले ही पदानुक्रम में ऊपर हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)* समिति की यह राय थी कि यदि सरकार विधेयक पर कार्यवाही करने के लिए उत्सुक है, तो हम निश्चित तौर पर साथ हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)* लेकिन, इस विधेयक से कोई मकसद हल नहीं होगा। विलंब में कमी नहीं आएगी और राजस्व में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। जब तक रिट क्षेत्राधिकार है, इस विधेयक से कोई सुधार संभव नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय विधि मंत्री, जो बेहद काबिल और विद्वान व्यक्ति हैं, से आशा करता हूं कि वे इस अवसर पर कुछ बोलेंगे और यह देखेंगे कि सार्वजनिक धन व्यर्थ न हो। अतः, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, जैसा कि स्थाई समिति ने सिफारिश की है कि वह इस विधेयक पर कार्यवाही न करें।...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : आप विधेयक का विरोध कर सकते हैं, लेकिन इसको पारित करने का विरोध नहीं कर सकते... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। माननीय विधि मंत्री को राज्य सभा भी जाना है। इसीलिए मैं उन सभी माननीय संसद सदस्यों से अनुरोध करता हूं, जिन्हें इस विधेयक के संबंध में बोलना है, कि वे अपने भाषण को चार या पांच मिनट तक ही सीमित रखें। हम इस विधेयक को 5 बजे से पहले पारित करना चाहते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। यदि मंत्री महोदय राज्य सभा में व्यस्त हैं, तो इसे कल तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

हम अपने भाषण को पांच मिनट तक सीमित क्यों रखें? यह उचित नहीं है। आप किसी दल को पांच मिनट तक सीमित नहीं रख सकते।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : हम पूर्व वक्ता की तरह नहीं करेंगे, सभा में विरोध करें लेकिन अन्यथा समर्थन करें। यह और कुछ नहीं, केवल सेवानिवृत्त उच्चाधिकारियों को समायोजित करना है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रकाश परांजपे : हम इसका विरोध करेंगे। पूर्व वक्ता बोलकर विरोध कर रहे हैं। केवल लोकप्रियता के लिए इस सम्माननीय सभा में भाषणबाजी न करें। आप अपना पक्ष सभा में व्यक्त कर सकते हैं। यदि विधेयक गलत है, तो पूरी तरह विरोध करें। ऐसा अपने भाषण में मत कहें कि आप इसका विरोध करते हैं, लेकिन मतदान के समय आप इसका समर्थन करेंगे। हम अपने करदाताओं को न्याय देने के लिए पर्याप्त समय चाहते हैं, जिनसे यह न्यायाधिकरण धन लूटेगा। यह न्यायाधिकरण करदाताओं का धन लूटेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, क्या

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हंसराज भारद्वाज]

आप उन्हें रोक नहीं सकते...*(व्यवधान)* क्या मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की उग्रता की कोई आवश्यकता है। हम सभी को याद है। पूर्व एनडीए सरकार एक अध्यादेश लाई थी, जो समाप्त हो गया। हम इसे पुनः सभा में लाए हैं। सभी सदस्य इस मामले पर अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र हैं। ऐसे मामले पर मैं पूरे वाद-विवाद के लिए मौजूद हूं क्योंकि मैं ऐसा विधेयक ला रहा हूं, जिसे श्री वाजपेयी सरकार में पहले मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया था। यह कर संबंधी मामलों से संबंधित है और सदस्यों को यह हक है कि वे अपने विचार जितने विस्तार में व्यक्त करना चाहें, कर सकते हैं। अतः, निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार-विमर्श होना चाहिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि यह कोई विवादास्पद मामला नहीं है। कर सुधार बहुत गम्भीर मसला है। आप जितना चाहें, वाद-विवाद कर सकते हैं। इसका निर्णय अध्यक्षपीठ करेगी। यदि मैं मतदान के लिए जाऊं तो मैं पांच मिनट के अन्दर वापस आ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बीएसी ने विचार-विमर्श के लिए दो घण्टे का समय दिया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2004 पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं स्टेंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल, पब्लिक ग्रिवेंसिस, लॉ एण्ड जस्टिस, जो राज्य सभा की कमेटी है, उसका मैम्बर होने के नाते भी बोलने के लिए विवश हूं। स्टेंडिंग कमेटी में तमाम इस प्रकार के मसले आते रहे हैं, जिनके बारे में हम लोगों को हमेशा चिंता रहती है। यहां खास तौर से राष्ट्रीय कर अधिकरण एक ट्रिब्यूनल अलग से बनाने की बात कही जा रही है। मैं इस विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं।

अपराह्न 4.09 बजे

(श्री गिरिधर गमांग पीठासीन हुए)

डॉयरेक्ट और इनडॉयरेक्ट टैक्स की अधिनियमितताओं के अधीन उच्च न्यायालय में हम अपील करने के लिए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय में तमाम ऐसे मुकदमे आज भी लंबित हैं। उनका फैसला नहीं हो पाया है, इसमें बरसों लग जाते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चाहे लोअर कोर्ट्स हों, या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां राजस्व से संबंधित या क्रिमीनल मुकदमे या टैक्सेज से संबंधित मुकदमे धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक की जरूरत आ गई और यहां यह बिल लाया गया है। हमने यह भी देखा है कि लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10-15-20 साल से भारी मात्रा में राजस्व के मुकदमे लंबित हैं। मुकदमों का समय पर निस्तारण नहीं होने के कारण सभी न्यायालयों में उनका बोझा बढ़ता जा रहा है। आज आवश्यकता है कि राष्ट्रीय कर अधिकरण की स्थापना हो ताकि इनकम टैक्स, सीमा शुल्क या सेवा कर से संबंधित ऐसे मामले, जो लंबित हैं, उनका निस्तारण समय पर हो सके। मैं आंकड़े देना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों की संख्या 2051 है जिसमें 3221.98 करोड़ रुपये और उच्च न्यायालय में 8584 मामले हैं, जिनमें 3561.10 करोड़ रुपये इनवाल्व हैं। हालांकि समय-समय पर फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन किया गया ताकि मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके लेकिन आज इस बात की जरूरत समझी गई। माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन ने भी कहा कि मामले तो आते रहेंगे, कोर्ट का गठन होता रहेगा लेकिन ये कब तक पूरे हो पाएंगे।

सभापति जी, मैं इलाहाबाद से चुनकर आया हूं जहां मैंने हाई कोर्ट में देखा है कि आज भी 20-20 जजों के पद रिक्त हैं जिन्हें भरा नहीं जाता है। मुझे अफसोस है कि जजों की रिक्तियां न भरने से मुकदमे ज्यादा हो रहे हैं जिनका निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार तमाम राज्यों की हाई कोर्ट में जजों के कई स्थान रिक्त हैं। मेरा आग्रह है कि इन जजों की रिक्तियां भरी जाएं ताकि लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके। लम्बित मामलों के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, इससे समय बरबाद होता है और तमाम खर्चे बढ़ते हैं। माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं, इसकी मंशा अच्छी है कि पैसे से संबंधित तमाम लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो। इस अधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323बी के तहत करने की बात कही गई है। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस संबंध में रखे हैं। मेरा सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश या जो चीफ जस्टिस रह चुका हो, उसे अगर इस अधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि अच्छा रहेगा। हमने देखा भी है कि तमाम जब आयोग बनाए जाते हैं, उनके अध्यक्ष रिटायर्ड जज ही होते हैं। मेरा सुझाव है कि रेवेन्यू से संबंधित जितने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी हैं, उनकी उपयोगिता इसमें ली जा सकती है। अगर उन्हें इस अधिकरण में समावेश कर लिया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि उन मामलों का जल्दी ही निस्तारण हो सकेगा। न्यायाधीशों को 60-62-65 वर्ष की आयु में रिटायर किया जाता है तो हम उनके अनुभवों से लाभ ले सकते हैं। मेरे ख्याल में फास्ट ट्रेक कोर्ट की अवधारणा पूरी नहीं होती। यह तभी पूरी होगी, जब

देश के तेज–तर्रार रेवेन्यू से संबंधित अधिकारियों को चाहे, वे सेल्ज टैक्स के हों, इनकम टैक्स के हों, सेंट्रल एक्साईज या कस्टम के हों, उन नौजवान अधिकारी की सेवाएं ली जाएं तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा।

इन मुकदमों की संख्या के बारे में मैंने आपको बताया है। यह सत्य है कि इन मुकदमों की बढ़ती संख्या के कारण आज तमाम तरह की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं कि हमारे ऊपर अधिक टैक्स लगाया गया है, चाहे वह सीमा शुल्क हो, इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, उत्पाद शुल्क हो या सेवा कर हो, इन सबके बारे में तमाम तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि जो राष्ट्रीय कर अधिकरण आप बना रहे हैं, इसे पूरी स्वायत्तता मिलनी चाहिए, यह निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें किसी तरह से भी बेईमानी की गुंजाइश न रहे, ताकि कोई अपीलकर्ता जब अपील करने के लिए जाए तो उसे सही समय में न्याय मिल सके, हमारी ऐसी मंशा इस अधिकरण के द्वारा होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक कुछ न कहते हुए माननीय मंत्री जी जो राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2005 सदन में लाए हैं, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2005 सदन में लाकर एक बड़ा ही सकारात्मक कदम उठाया है। यूपीए सरकार का यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए माननीय मंत्री जी और यूपीए सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। जैसा हम सब लोगों को विदित है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में हजारों ऐसे मुकदमे लंबित पड़े हैं, जिनका निपटारा नहीं हो सका है। इन मुकदमों का निस्तारण न होने के कारण जो हजारों करोड़ रुपये सरकार के खजाने में आने चाहिए थे, वे सरकारी खजाने के बाहर हैं। इस कारण देश के विकास में बाधा आती है। यदि यह पैसा सरकार के पास आएगा तो देश के विकास में लगेगा, देश की जनता को उससे फायदा मिलेगा तथा विकास की गति भी बढ़ेगी।

महोदय, हमारा देश गरीब है। देश में आज भी ऐसे गांव और कस्बे हैं, जहां छोटी–छोटी चीजें, जैसे पानी, बिजली, सड़क, पुल, पुलिया आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थाभाव के कारण नहीं हो पा रही है। आज हमारा देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से सरकार एक बड़ा ही उचित कदम उठा रही है। सरकार इस राष्ट्रीय कर अधिकरण के माध्यम से मुकदमों का त्वरित निस्तारण करके एक तरफ देश के व्यापारी वर्ग और आम लोगों को राहत देने का काम करेगी, वहीं इस बिल के माध्यम से दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सकारात्मक सहयोग भी करेगी। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि के जो केस लम्बित पड़े हुए हैं, इस कानून के माध्यम से उनके निस्तारण हेतु त्वरित कार्रवाई की जाएगी और सरकार लोगों को निश्चित तौर पर बहुत राहत देने का काम करेगी। लेकिन मुझे एक आशंका भी है, इसलिए जब माननीय मंत्री जी अपना जवाब दें तो उसमें इसके निदान का अवश्य जिक्र करें। देश में बिल आते हैं, अधिकरण तथा आयोग बनते हैं और उन्हें समुचित ताकत भी दी जाती है। उसके बावजूद भी जो कार्य उनको सौंपा जाता है, वह त्वरित गति से हो, इसकी तरफ निश्चित तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सुचारु रूप से कार्य नहीं किया जाएगा तो सरकार की इस विधेयक द्वारा जो मंशा बताई गई है कि त्वरित गति से केसों का निपटारा करेंगे और लम्बित मुकदमों को जल्दी निष्पादित करेंगे, वह कैसे पूरी होगी? हम कोई शंका नहीं कर रहे हैं मगर माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कानून के माध्यम से जो कर–अधिकरण कायम करें, वह काम का जल्दी से निपटारा करें, इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और एक समय–सीमा बांधने की आवश्यकता है। आप उनको जो कार्य दे रहे हैं, अगर उस कार्य के प्रति वे जागरूक नहीं रहेंगे तो आपकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित तौर पर ठोस कदम उठाए जाएं और समय–सीमा बांध दें जिसके कारण मामलों को निपटाने की गति में जो अवरोध आ रहा है, वह दूर हो सके। हमारे यहां बहुत से न्यायालय हैं। कई सदस्यों ने चर्चा की है कि कर के मामलों में और दूसरे मामलों में हजारों मुकदमे निचली अदालतों में तथा उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं जिनके अन्तर्गत कई लोग आज भी जेल में पड़े हुए हैं। उनमें डिले हो रही है जिसकी वजह से उनको न्याय नहीं मिलता। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

मैं सरकार को एक सुझाव और देना चाहूंगा। इस विधेयक में 65 वर्ष की आयु के न्यायाधीशों को कर अधिकरण में नियुक्त करने की बात की गई है। किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता निर्धारित कर सरकार किसी पद की आयु–सीमा निर्धारित करती है, मगर 65 वर्ष के बाद जब आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से निश्चित तौर पर थक जाता हो, वह कितना काम कर सकेगा, यह भी विचार करने की बात है। माननीय मंत्री जी इस संबंध में विचार करें और युवा लोगों का समावेश भी इसमें करने के संबंध में विचार

[श्री राम कृपाल यादव]

करें। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, अधिक से अधिक काम का निपटारा वे कर सकेंगे और अधिकरण के माध्यम से आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।

अंत में इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी के प्रति पुनः इस विश्वास के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर आप यह विधेयक लाए हैं, उनकी पूर्ति कराने में आप सफल होंगे और जिनको आप कार्यभार देने का काम करेंगे, वे भी अपनी कार्यक्षमता के अनुरूप इस काम को करेंगे। इससे सरकार का जो हजारों करोड़ रुपया कई मामलों में फंसा हुआ है, वह मुकदमों के निपटारे के बाद सरकार के खजाने में आएगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इससे गांवों और गरीबों का विकास हो सकेगा। इसलिए इस बिल के माध्यम से आपका जो सकारात्मक उद्देश्य है, उसका स्वागत करते हुए तथा आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय, हमें देश में एक गंभीर समस्या का सामना करना है, जिसमें एक ओर, हमारा सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ रहा है और एक वर्ष में आर्थिक विकास लगभग 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और दूसरी ओर, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में करों में वृद्धि नहीं हो रही है। बल्कि इसमें काफी हद तक गिरावट आ रही है। और इसीलिए, यह गंभीर चिन्ता का विषय है कि हम अपने बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण हेतु आवश्यक संसाधन किस प्रकार जुटाएं और यह सुनिश्चित करें कि हमारे सामाजिक क्षेत्रों का पर्याप्त विकास हो। इसके साथ-साथ, यह जानना जरूरी है कि सरकार अब कर दे रहे करदाताओं से विभिन्न कर किस प्रकार वसूल करेगी और उन लोगों को कर के दायरे में किस प्रकार लाएगी, जो कर के दायरे में नहीं हैं।

हमें इस पर काफी व्यापक ढंग से काम करने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए कई उपाय करने होंगे। एक उपाय यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वह व्यक्ति, जिसकी किसी भी प्रकार की आय है, वह कर के दायरे से बच न पाए और इसके लिए आंतरिक लेखा प्रणाली को इस स्तर पर लाया जाए। यह इसकी पूर्व शर्त है और इसको किया जाना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कर संबंधी कानूनों को काफी हद तक सरल बनाया जाए। यदि आप और जटिल कानून बनाते हैं, तो श्री भारद्वाज की बिरादरी और इस व्यवसाय में लगे मेरे अपने साथियों को बहुत खुशी होगी क्योंकि इससे उनको पर्याप्त काम मिलेगा। लेकिन इससे करदाताओं को निराशा नहीं होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कर प्रणाली, कर प्रशासन और कर कानून इस ढंग से बनाए जाएं कि वे पूरी तरह सरल हों और आसानी से लागू हो सकें। यहां एक समस्या है। बनाया गया कोई भी कानून एक चुनौती होता है, क्योंकि यह आसान नहीं होता। यदि आप सरल कानून बनाते हैं, तो शायद अधिकरण की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। दो भिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा एक ही कानून की दो भिन्न व्याख्याएं अवश्यम्भावी हैं--एक सरकार द्वारा और दूसरी करदाताओं द्वारा। अतः, इस प्रकार के परस्पर भिन्न विचारों का तालमेल किया जाना आवश्यक है। इसलिए हमारे यहां आयकर संबंधी अपीलें आयकर अपीलीय अधिकरण में तथा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर संबंधी अपीलें उनके अधिकरणों को भेजने की प्रणाली है। तत्पश्चात यह मामला उच्च न्यायालयों में जाता है और यह उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। इस विधेयक में इस बात पर बल दिया गया है कि जिन मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालयों की आयकर अपील अधिकरण या अन्य अधिकरणों द्वारा की जाती है, उनकी सुनवाई अब इस नए कर अधिकरण द्वारा की जाएगी जिसका सृजन किया जा रहा है। अतः, इससे करदाताओं को होने वाली परेशानियां काफी हद तक स्पष्टतः दूर हो जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के सभी मामलों में सुनवाई उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है। वे आपराधिक, सिविल और वाणिज्यिक विधि संबंधी सभी तरह के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। इसलिए, केवल कर कानूनों से संबंधित एकमात्र अधिकरण के होने से करदाताओं को निश्चित रूप से काफी हद तक मदद मिलेगी। अतः, यह एक स्वागत योग्य कदम है। मेरा मानना है कि यदि यह सही है तो और भी कई क्षेत्र हैं जहां हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। मैं इस पर मंत्री जी की सहमति भी चाहूंगा। साधारणतः हम आयकर को 'कर' ही कहते हैं जबकि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को 'शुल्क' कहते हैं। हम इस अधिकरण को 'राष्ट्रीय कर अधिकरण' का नाम दे रहे हैं। शायद इसे 'राष्ट्रीय कर और शुल्क अधिकरण' का नाम देते तो और बेहतर होता क्योंकि इससे इसके अन्तर्गत अधिक क्षेत्र शामिल हो जाते।

किसी भी तरह, यदि आप आयकर अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, सेवा कर अधिनियम में संशोधन करना चाह रहे हों, संभव है कि आप इसमें सीमा शुल्क के स्थान पर सीमा कर नाम देने हेतु संशोधन कर सकते हैं। तब ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन इस कर अधिकरण को केवल 'कर अधिकरण' कहना शायद मुझे को उलझन में डाल दे।

मेरा दूसरा प्रश्न स्थान से संबंधित है। आपने बताया है कि यह अधिकरण नई दिल्ली में स्थित होगा। मुझे अभी भी यह समझ नही आ रहा कि प्रत्येक कार्यालय नई दिल्ली में क्यों स्थित होना चाहिए। निःसंदेह, नई दिल्ली भारत की राजनैतिक राजधानी है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत में विधि द्वारा सृजित प्रत्येक संस्था नई दिल्ली में ही स्थित होनी चाहिए। वास्तव में, देश के कर राजस्व का 26 प्रतिशत से अधिक भाग मुम्बई शहर से प्राप्त होता है। यदि स्थान चयन इसी आधार पर किया जाना है कि करदाताओं की भिन्न–भिन्न प्रकार की दिक्कतों को आसानी से कहां दूर किया जा सकता है, तो इस लिहाज से इसका स्थान नई दिल्ली की तुलना में मुम्बई कहीं अधिक उचित होगा। किसी भी तरह से नई दिल्ली में इसका स्थित होने का कोई तर्कसंगत अर्थ नहीं निकलता। सम्भवतः, शहर के योजनाकार प्रत्येक कार्यालय को नई दिल्ली में स्थापित करने पर ही जोर देते हैं। मैं इसका कारण नहीं जानता। तभी हम शहरी विकास मंत्रालय से ही कहते हैं कि जो मंत्रालय अपने कार्यालय स्थापित करने वाले हैं, वह उन मंत्रालय को यह बताए कि उनके लिए नई दिल्ली में स्थान उपलब्ध नहीं है तथा इसीलिए आप कृपया दिल्ली से बाहर अपना कार्यालय स्थापित कीजिए। आप किसी अधिकरण को क्यों विधिसम्मत नई दिल्ली में स्थापित करने के लिए कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यह निवेदन करूंगा कि इस अधिकरण को आदर्श रूप में मुम्बई में ही स्थित होना चाहिए।

प्रशासन संबंधी प्रश्न भी है। एक प्रश्न इस अधिकरण के सदस्यों और चेयरमैन की नियुक्ति से संबंधित है। वास्तव में, हम इस प्रक्रिया को ही बदलना चाह रहे हैं। उच्च न्यायालयों द्वारा सुनवाई की गई अपीलों की सुनवाई अब इस कर अधिकरण के द्वारा की जाएगी। अतः, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाली प्रक्रिया ही इस अधिकरण में भी लागू होगी। हमें उनकी नियुक्ति भी उसी तरह करनी चाहिए ताकि उनकी स्वतन्त्रता को सुनिश्चित किया जा सके और उनका इस प्रक्रिया में विश्वास बढ़ सके। इसलिए, मैं मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि वह नियुक्ति की वही प्रक्रिया को ही अपनाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अपनाई जाती है।

इसलिए ये नियुक्तियां एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं होनी चाहिए, यह कि केन्द्र सरकार एक समिति गठित करेगी और वह नियुक्ति करेगी। इसका यही अर्थ मात्र होगा कि नौकरशाह ही वास्तव में नियुक्ति करेंगे। इससे वांछित उद्देश्य को धक्का लगेगा।... *(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे समय दीजिए। मैं जानता हूं कि वह मुझे इसलिए बोलने से मना करने का आग्रह कर रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। हर बार मैं केवल दो मिनट तक ही बोलता हूं। यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने दलीय आधार पर समय आवंटित किया है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : जैसा मंत्री जी ने कहा कि यह प्रादेशिक दलों का वाद–विवाद है। यह एक दल का वाद–विवाद नहीं है। यह एक राष्ट्रीय वाद–विवाद है जिसमें हम सभी को हिस्सा लेना चाहिए। नियुक्ति का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अतः मैं महसूस करता हूं कि नियुक्ति इसी प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए।

अन्य प्रश्न प्रशासन से संबंधित है, वह है, सदस्यों का स्थानांतरण निर्णयानुसार ही किए जाने चाहिए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी देश में प्रचलित एक प्रक्रिया के तहत ही होता है। वही प्रक्रिया यहां अपनाई जानी चाहिए क्योंकि इस समय हम उच्च न्यायालयों के समानांतर एक प्रक्रिया का ही सृजन कर रहे हैं और इसीलिए, मैं मंत्री जी को यह सुनिश्चित करने हेतु आग्रह करूंगा कि यह कार्य समुचित ढंग से किया जाना चाहिए।

चयन के मामले में, यह केवल नियुक्ति ही नहीं होती, बल्कि चयन प्रक्रिया भी खंड 12(4) में यथाउल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही होनी चाहिए जैसा मैंने अभी उल्लेख किया है।

खंड 8 सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित है। यह पहले ही निर्धारित किया जा चुका है कि वे किस आयु में सेवानिवृत्त होंगे। यह निर्णय लेने के पश्चात पुनः यह उल्लेख करने हेतु कि एक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। वास्तव में, यह विधेयक की भावना के विरुद्ध होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह जब सदस्य की नियुक्ति की जाती है, तो वह अपनी अवकाश प्राप्ति या सेवानिवृत्ति की आयु होने या दोनों में से कोई एक, तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा, इस कानून में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके अनुसार यह है कि ऐसी स्थिति में उसे पद कैसे रिक्त करना होगा जो इसी अधिनियम में निर्धारित एवं प्रचलित है। अतः मेरा सुझाव है कि यथानिर्धारित 5 वर्ष की कार्यावधि नहीं होनी चाहिए। इसे इस अधिनियम से पूर्णतः निकाल देना चाहिए।

खंड 15 के अनुसार सुनवाई किए जाने वाले मामलों के संबंध में मेरा विचार है कि मंत्री जी यह जानते हैं कि उनके मात्र इसे बदलने की स्थिति में, वे मामले जिन पर किसी अपीलीय प्राधिकरण जो आयकर, सेवा कर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क से संबंधित हो, के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, इन्हें राष्ट्रीय कर अधिकरण के सम्मुख लाया जाएगा। लेकिन, इस सभी चार कानूनों

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

से संबंधित कई ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालयों में लाए जाते हैं, तब भी जब इन मामलों का निपटान इस अधिकरण द्वारा न किया जाता हो। उदाहरण के लिए, जब संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रत्यक्ष मामला हो और मामला प्रत्यक्षतः उच्च न्यायालय में आता हो, वह कानून का प्रश्न हो सकता है। ऐसे मामलों में, संभव होने के बावजूद, राष्ट्रीय कर अधिकरण में केवल ऐसे मामलों की ही सुनवाई नहीं की जानी चाहिए जिसका अपीलीय अधिकरण के द्वारा निपटान किया गया है, बल्कि ऐसे मामलों की भी सुनवाई होनी चाहिए जो इसके मौलिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसा उच्च न्यायालय के मामले में हुआ है। संभवतः मंत्री जी को अपने विभाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अन्यथा, इसका प्रयोजन पुनः निष्फल हो जाएगा क्योंकि कर संबंधी कुछ मामले अभी भी उच्च न्यायालय में चलेंगे जबकि कर संबंधी कुछ अन्य मामले जिन्हें न्यायाधिकरण में पहले ही निपटाया जा चुका है वे नए कर न्यायाधिकरण में लाए जाएंगे। अतः यह महत्वपूर्ण है। आपको इसके क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करना होगा। अन्यथा इसका वह प्रयोजन पूर्णतः निष्फल हो जाएगा जिसके लिए इसे बनाया गया है।

आपने उल्लेख किया है कि विवादित राशि का 25 प्रतिशत अपील दायर करने से पहले न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि का क्या होगा? क्या इसका अर्थ यह है कि इस प्रावधान के तहत शेष 75 प्रतिशत की राशि पर यह लागू नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान आयकर अधिनियम के प्रावधान के तहत मांग किए जाने पर इस राशि का भुगतान किया जाना होता है। इस राशि को एकत्र करने हेतु एक प्रक्रिया है। अतः एकत्र करने की यह प्रक्रिया समानान्तर चलती है। आप कह रहे हैं कि 25 प्रतिशत राशि जमा की जाती है और अपील पर विचार किया जाता है। परन्तु यदि एक अपील पर विचार किया जा रहा है तो वे इसके लिए 25 प्रतिशत राशि दे रहे हैं। शेष 75 प्रतिशत राशि का क्या होता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या धन की वसूली पर भी यह समान पद्धति लागू होती है? यह उल्लेख नहीं है कि क्या उस पर स्वतः रोक लग जाएगी। इससे पुनः भ्रम उत्पन्न होगा। सम्भवतः केवल इस विशेष मामले को निबटाने हेतु ही अधिकतर अपील दर्ज होंगी। सम्भवतः इसे उचित तरीके से स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

यह कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगी। यह नया कर न्यायाधिकरण नैसर्गिक न्याय के आधार पर कार्य करेगा। क्या इसका कोई विशेष कारण है जो सरकार इस तरह सोच रही है। मैं यह जानना चाहता हूं। सामान्यतः कोई न्यायालय अथवा अर्द्ध–न्यायिक अधिकारी जैसे न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता में अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है कि सरकार इसमें छूट देने के बारे में सोच रही है और कह रही है कि यह नया कर न्यायाधिकरण नैसर्गिक न्याय के आधार पर कार्य करेगा? मैं वास्तव में यह जानना चाहता हूं।

महोदय, उनके समक्ष जो भी अपील दायर की जाती है वह निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाई जानी चाहिए। अन्यथा, आपको इसका कोई लाभ नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि एक वर्ष, नौ माह, छः माह अथवा नब्बे दिन आदि की समय सीमा होनी चाहिए। परन्तु एक निश्चित समय सीमा विहित होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है। इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः मेरा यह मानना है कि इसे इस तरीके से किया जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा सम्भवतः यह है कि मेरे विचार में हमने इसमें कुछ छोड़ दिया है। न्यायपीठ के लिए एक न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। जबकि इस विशेष कानून में, यह उल्लेख किया गया है कि कानूनी मामले से संबंधित किसी भी मामले में वे सवैधानिक पीठ, जिसमें कम से कम पांच सदस्य होंगे, जैसी एक विशेष पीठ का गठन कर सकते हैं। परन्तु आप यह उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि पीठ में न्यूनतम कितने सदस्य होंगे। अतः मेरे विचार में हमें यह उल्लेख करना होगा कि इसमे कम से कम पांच या उससे अधिक सदस्य होंगे। यदि आप इसका उल्लेख नहीं करेंगे तो इस संवैधानिक पीठ में कम से कम पांच सदस्य कैसे होंगे? इसका उल्लेख किए बिना न्यूनतम कितने सदस्यों से पीठ का गठन होगा? अतः मेरा पुनः यह मानना है कि मंत्री जी को इस मुद्दे पर जरूर विचार करना चाहिए।

मैं शीघ्र समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा दो अन्य मामले और हैं। पहला, मामलों के हस्तांतरण से संबंधित है। न्यायाधिकरण के अधिसूचित होते ही उच्च न्यायालय के समक्ष पड़े सभी मामले अपने आप ही नए न्यायाधिकरण में चले जाएंगे। यही प्रक्रिया है। मेरे विचार में आपने इसी का उल्लेख किया है। सम्भवतः यह करने की आवश्यकता है कि जिन मामलों की अंशतः सुनवाई की जा चुकी है उन्हें हस्तांतरित न किया जाए। अन्यथा एक करदाता के साथ घोर अन्याय होगा क्योंकि कुछ मामलों पर अंशतः सुनवाई हो चुकी होगी। उनसे यहां पुनः पूछताछ की जाएगी। अतः वे मामले जिन पर अंशतः सुनवाई की जा चुकी है उन्हें उच्च न्यायालय में ही सुना जाए। शेष मामलों जिन पर सुनवाई प्रारम्भ नहीं हुई है उन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है।

अन्तिम मामला यह है कि यदि आप केवल सरकार के विचारों के आधार पर नियुक्ति कर रहे हैं तो आप एक मुद्दे को छोड़ रहे हैं। मुद्दा यह है कि एक करदाता के हित पर भी विचार किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा राजस्व हित का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। परन्तु इसमें देश का हित है इससे करदाता के हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः यदि सरकार द्वारा आयोजित तालिका से नियुक्ति की जाती है तो वह वास्तव में करदाता के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। अतः इसे इस ढंग से किए जाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं यहां सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण विधेयक पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सरकार का कहना है कि यह एक सकारात्मक कदम है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अन्तर्गत विधि संबंधी सारवान प्रश्न के बारे में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। हम इसे नजरअन्दाज नहीं कर सकते। न्यायालय में लंबित पड़े मामलों की बड़ी संख्या के कारण मुकदमेबाजी को भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, इस देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 3 सितम्बर, 2004 तक 6000 मामलों के वार्षिक निपटान की औसत के साथ लगभग 28,000 मामले लंबित पड़े थे।

अपराह्न 4.38 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

सरकार जो मुद्दा उठा रही है, जो पूर्व एनडीए सरकार ने भी उठाया था, वह यह है कि इन याचिकाओं में भारी राजस्व अवरुद्ध हो रहा है। 1 अप्रैल, 2004 तक लगभग 1,03,000 करोड़ रुपये के बकाया कर का आकलन लगाया गया था। अब तक यह बढ़ गया होगा। जैसा कि बताया गया है बकाया प्रत्यक्ष कर 87,800 करोड़ रुपये था और बकाया अप्रत्यक्ष कर 15,200 करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय प्रति वर्ष बकाया करों की वसूली का आकलन अवश्य करते होंगे। परन्तु प्रत्येक वर्ष न्यायालयों में अवरुद्ध बकाया कर, बकायों की वसूली की तुलना में काफी बढ़ जाता है।

जैसा कि सुझाव दिया गया है राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के सृजन द्वारा सरकार मामलों को शीघ्र निपटा सकेगी। मुकदमे शीघ्र निपटान हेतु कृपया उस पर लिखें कि–"मुकदमे का शीघ्र निपटान किया जाए'–लगभग 25 पीठों की स्थापना की जाए यद्यपि विधेयक में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ क्षेत्रों में वे कहते हैं कि जैसा कि श्री राधाकृष्णन ने कुछ देर पहले ही कहा था–इस देश के चार भागों में चार न्यायाधिकरण होंगे। मैं कुछ देर बाद इस पहलू पर आऊंगा।

प्रस्ताव के अनुसार न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ में एक सभापति और दो न्यायिक सदस्य होंगे। जैसा कि बताया गया है न्यायाधीश पांच वर्षों तक इस पद पर रहेंगे और 68 वर्ष तक कार्य करेंगे और सदस्य 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था 1,82,000 कर संबंधी अपील लंबित हैं। यह स्थिति पिछले वर्ष के अन्त अर्थात् सितम्बर, 2004 तक की थी जब विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया था। औसतन, एक अपील के निपटान में दो वर्ष लग जाता है। एक अपील में कम से कम दो वर्ष लग जाते हैं। कर की जटिलता जानने वाले किसी भी व्यक्ति को यह पता है कि स्थिति इतनी जटिल है कि भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों ने लगभग समान मामलों में अलग–अलग निर्णय दिए हैं। कर प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए जिससे कि ईमानदार करदाता को परेशानी न हो। मैं समस्या के महत्वपूर्ण पक्ष की ओर आता हूं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था कि भारत में कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात दस प्रतिशत से कम है परन्तु ब्राजील में यह लगभग 25 प्रतिशत और अर्जेंटीना में यह 25 प्रतिशत है।

बकाया कर के संबंध में महोदय, यह सबको पता है कि यह राशि हरेक वर्ष बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया अप्रत्यक्ष कर संबंधी बकाया राशि 15,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। परन्तु 15,000 करोड़ रुपये के इस बकाया राशि में निर्विवादित राशि जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है 3,000 करोड़ रुपये है। यह सितम्बर, 2004 की स्थिति थी। मेरे पास इस वर्ष के आंकड़े नहीं हैं। प्रत्यक्ष कर संबंधी 87,000 करोड़ रुपये की राशि लंबित है। इसमें 17,000 करोड़ रुपये की निर्विवादित राशि भी शामिल है। यह स्थिति सितम्बर, 2004 की है।

मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर संबंधी 5,000 करोड़ से ज्यादा की निर्विवादित राशि को संग्रह करने में क्या समस्या है? इस राशि को संग्रह करने में क्या समस्या है? यह राशि लंबित क्यों है? क्या व्यवस्थापन आयोग ने बकाया राशि की वसूली हेतु किसी प्रकार की सहायता दी है? महोदय, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं कि नए विवाद समाधान प्रक्रिया के द्वारा विवाद का शीघ्र और कुशल समाधान किया जा सकेगा तथा मुकदमेबाजी के खर्चे से बचा जा सकेगा। मुझे आशा है कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। जहां तक कर कानूनों में स्पष्टता का सवाल है यह विधि और न्याय

[श्री भर्तृहरि महताब]

मंत्रालय की जिम्मेदारी है। 'विदहोलडिंग सिस्टम्स' का अभिकल्प जिसके तहत गैर–अनुपालन की संभावना को सीमित किया जा सकेगा के द्वारा ही (1) पारदर्शिता लाई जा सकेगी, (2) मुकदमेबाजी में कमी आएगी, (3) शीघ्र न्याय मिलेगा और (4) बकाया राशि में वृद्धि नहीं होगी। उपरोक्त चार विषयों पर कानून बदलने होंगे। एक समुचित डाटाबेस तैयार करने की आवश्यकता है। इस बारे में मैं केलकर समिति की रिपोर्ट–गठित की गई कार्य दल का उल्लेख करना चाहूंगा। इसने समुचित डाटाबेस तैयार करने की सिफारिश की थी। उन्होंने इसे 'जोखिम आसूचना नेटवर्क' का नाम दिया था। उसमें इसका प्रस्ताव किया गया था जिससे कि जटिल कर संबंधी मामलों में न्याय के समाधान में शीघ्रता लाने तथा अनुपालन न किए जाने के मामलों की जानकारी रखी जा सकेगी। राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण विषय जिसकी जांच की जाएगी वह न्याय निर्णय प्रणाली में सुधार की है जो अति आवश्यक है। विवाद समाधान की वर्तमान योजना के तहत करदाता प्रशासनिक या न्यायिक समाधान का आश्रय ले सकता है। देश के नागरिक या करदाता के पास ये दो विकल्प हैं। आयकर अधिनियम में इन आदेशों को स्पष्ट किया गया है जिनके संबंध में न्यायिक समाधान संभव हो।

अनेक ऐसे आदेश हैं जिनके संबंध में वर्तमान में न्यायिक समाधान संभव नहीं है। इसके कारण करदाताओं में काफी असंतोष है। वर्तमान विवाद समाधान प्रणाली ने करदाताओं के भरोसे को आघात पहुंचाया है। करदाताओं का न्यायनिर्णयन अधिकारियों की निष्पक्षता में ज्यादा भरोसा नहीं है। भारी संख्या में मुकदमेबाजी का यही कारण है। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय कर अधिकरण अर्द्ध–न्यायिक न्यायनिर्णयन की वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने में सहायक होगा जिससे कि मुकदमेबाजी को न्यूनतम किया जा सकेगा। परन्तु समस्या न्यायिक प्रक्रिया की अवधि को कम करना है। अप्रत्यक्ष कर विवाद के मामले में राष्ट्रीय कर अधिकरण न्यायिक हस्तक्षेप के एक और स्तर शामिल करता है जो राष्ट्रीय कर अधिकरण की एक प्रमुख खामी है। मेरे विचार से सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए।

महोदय, वर्तमान कानून के तहत अप्रत्यक्ष कर विवादों को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली अधिकरण (सीईएसटीएटी) द्वारा तथा इसके बाद अपील की स्थिति में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाती है। राष्ट्रीय कर अधिकरण के लागू हो जाने पर स्थिति क्या होगी? अप्रत्यक्ष कर विवाद के मामले में राष्ट्रीय कर अधिकरण की भूमिका क्या होगी? सीईएसटीएटी द्वारा निपटाए गए मामले की राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी। प्रत्यक्ष कर के मामले में चूंकि पहली अपील उच्च न्यायालय में होती है, राष्ट्रीय कर अधिकरण सिद्धान्तः परिवर्तन कर सकता है क्योंकि देश के अन्य न्यायालय में इसके द्वारा अपील पर सुनवाई की जाएगी। चूंकि रिट के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि पीड़ित पक्ष पहले विभिन्न उच्च न्यायालयों में न जाकर तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय में जाएं।

अब मैं सीईएसटीएटी संबंधी अन्य पहलू का उल्लेख करूंगा। सरकार से मेरा मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या यह सही नहीं है कि सीईएसटीएटी के अधिकतर निर्णय सरकार के विरुद्ध होते हैं? सत्ता पक्ष के सदस्य ने कोलकाता के एक मामले का उल्लेख किया था, मैं इसको नहीं दोहराऊंगा। परन्तु यह एक माना हुआ तथ्य है कि कर कानून के संबंध में अधिकतम मुकदमे सरकार से संबंधित हैं।

महोदय, मंत्री ने यहां और बाहर कहा है कि इस विधेयक के द्वारा वे तीन उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। पहला यह कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान। दूसरा, राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा कर कानून मामलों में व्याख्या से अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करना और तीसरा, इस विशेष निकाय द्वारा शीघ्र निर्णय देना और इनमें संगतता स्थापित करना। उनका कहना है कि उपरोक्त तीनों बातों को प्राप्त करना इस विधेयक का लक्ष्य है।

मैं इन तीनों उद्देश्यों पर संक्षिप्त में बोलूंगा। मेरी कुछ शंकाएं हैं–पहला यह कि अनेक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के अनेक पद रिक्त हैं। उड़ीसा में कटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के दस से अधिक पद रिक्त हैं। इसके कारण पिछले दो सप्ताह से वहां आंदोलन चल रहा है और न्यायालय वहां काम नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी अनेक रिक्त पद हैं। हाल ही में विधि और न्याय मंत्री ने भी एक बैठक तथा प्रेस को दिए गए विभिन्न वक्तव्यों में न्यायाधीशों के इन रिक्त पदों के न भरे जाने की समस्या का जिक्र किया था परन्तु मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण से सेवानिवृत्त जजों और भारतीय राजस्व सेवा और नौकरशाही जैसी कुछ अन्य सेवाओं से कुछ सदस्यों को नियुक्त करने जा रही है।

धन जिसके बारे में केरल से माननीय संसद सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन ने भी उल्लेख किया है का व्यय किया जाएगा। मुझे उन सबका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु स्थाई समिति ने उस विषय पर विस्तार से विचार किया है। हमें इसके

अतिरिक्त सरकार के दृष्टिकोण को समझना चाहिए। स्थाई समिति द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिए जाने के बाद आप कर निर्धारण के लिए किसी विशिष्ट खंडपीठ का विनिर्धारण कर सकते हैं। वे एक पृथक् न्यायाधिकरण का गठन क्यों करने जा रहे हैं।

हमने यह देखा है कि प्रशासनिक मामलों से संबंधित न्यायाधिकरणों ने किस प्रकार कार्य किया है। सभा में जब विधेयक लाया गया तो ऐसे ही आश्वासन दिए गए परन्तु रिकार्डों से यह पता चलता है कि उन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों ने हमें कोई अपेक्षित परिणाम नहीं दिए हैं बल्कि विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में भी अधिक मामले गए हैं। इससे उच्च न्यायालयों में मामलों में कमी नहीं आई है।

इसी प्रकार, जब आप सभी कर संबंधी मामलों को अन्य न्यायाधिकरणों में भेजने का प्रयास करते हैं तब आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप इन मामलों का शीघ्र निर्धारण कर देंगे? आप मामलों का बोझ कम कर देंगे। इसमें और विलम्ब होगा। मैं अपनी इसी चिन्ता का उल्लेख करना चाहता हूं। स्थाई समिति ने यह सुझाव दिया है कि आप इन कर संबंधी मामलों का निर्धारण करने के लिए विशिष्ट खंडपीठों का गठन करने की कोशिश करें।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : ये सभी संगत मुद्दे हैं। जिस प्रकार से विधेयक तैयार किया जाता है उससे यह कहने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है कि उच्च न्यायालयों ने एक समान मामलों में अलग-अलग मत, निर्णय दिए हैं। विधेयक में यही सब कहा गया है।

मेरा मानना है कि माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में यह बात स्पष्ट कर सकते हैं। यदि यह कारण है, यदि वह कोई न्यायाधिकरण का गठन करना चाहते हैं तब वह यह आशा कैसे कर सकते हैं कि इन न्यायाधिकरणों के मतों में एकरूपता होगी? यदि इन मामलों में उच्च न्यायालय सफल नहीं रहे हैं तब आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि इन न्यायाधिकरणों के मतों में संगति और एकरूपता होगी? मेरी चिन्ता यही है। वह हमें यह किस प्रकार समझा सकते हैं?

तीसरे, जैसा कि कहा गया है तेज कार्यवाही के संबंध में मुझे आपत्ति है। हमने यह देखा है कि उस अध्यादेश के दौरान एनटीटी ने किस प्रकार कार्य किया था। सभापति महोदय, मैं समझता हूं आप भी वहां उपस्थित थे। हम सभी उसके साक्षी हैं और हम जानते हैं कि उसका क्या परिणाम रहा है। मंत्री महोदय ने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि विधेयक के संसद में आने से पूर्व उस न्यायाधिकरण ने वर्ष 2003-04 में किस प्रकार कार्य किया था। उसके बाद उसे फिर से वापस लिया गया और अब फिर से सं.प्र.ग. सरकार के कार्यकाल में उस विधेयक को फिर से पुरःस्थापित किया गया है। राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? उस एनटीटी ने कुछ विशिष्ट मामलों का किस प्रकार निर्धारण किया? मुझे उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसके बारे में काफी जानकारी है।

परन्तु मैं केवल यह कहूंगा कि विशेष न्यायाधिकरणों से मामलों के शीघ्र न्याय-निर्णयन में कोई सहायता नहीं मिली है। जी हां, मैंने यह कहा है कि प्रत्यक्ष करों के मामले में इससे काफी हद तक सहायता मिल सकती है। मेरी यह राय है कि मुकदमे की कार्यवाहियों में तेजी लाने के लिए सरकार को आधुनिक तकनीक और अवसंरचना को प्रयोग में लाने के लिए, कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। सरकार को केलकर कार्य बल द्वारा सुझाए गए जोखिम आसूचना नेटवर्क की स्थापना करने की आवश्यकता है।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इन मामलों में एकरूपता और निश्चितता की बजाय वर्तमान में समस्या विधि के प्रशासन में है। विपक्ष तथा सत्ता पक्ष में बैठी बड़ी पार्टियां इस बात से सहमत हैं। मध्य में केवल वाम मोर्चा और इस तरफ हम भी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। वे दोनों इस बात से सहमत हैं। सभापति महोदय, राजद भी निःसंदेह इससे सहमत है परन्तु मैं केवल यह आशा करता हूं कि एनटीटी यह कार्य करने में सक्षम होगी।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, नया विधान बनाने के पीछे एक अच्छी मंशा है। वैधानिक मंशा का समर्थन किया जाना चाहिए परन्तु चर्चा के दौरान व्यक्त की शंकाओं के संबंध में सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

यदि स्थाई समिति ने यह सिफारिश की है कि ऐसे कुछ अन्य उपाय हैं जिनके द्वारा सरकार कर प्रणाली की बेहतर तरीके से व्यवस्था कर सकती है तो सरकार ने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? सरकार ने यह भी नहीं बताया कि उसे क्यों अस्वीकार किया गया।

अब उन्होंने एक यह सुझाव दिया है कि केवल करों को देखने के लिए विशेष खंडपीठों का गठन किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान न्यायाधीश यह कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई अधिक व्यय नहीं होगा। यदि इन रिक्तियों को भरा जा सके और कर संबंधी समस्याओं को देखने के लिए विशेष रूप से कुछ और खंडपीठों का गठन किया जा सके तो संभवतः बिना किसी अतिरिक्त व्यय के हमारा वह प्रयोजन सफल हो सकता था जिसके

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। स्थाई समिति ने यह सिफारिश की थी जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया।

कर बकायों के संबंध में यहां पर बहुत से तथ्य एकत्र किए गए हैं। ये 1,30,00 करोड़ रुपये से लेकर 1,80,000 करोड़ रुपये तक हैं। ये सब बकाया कर हैं। एक ओर ये बकाया कर बढ़ रहे हैं। सब इस बात से सहमत हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर का अनुपात देश के अधिकांश देशों से बहुत कम है। अतः, यदि हम अधिक कर राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उचित रूप से कराधान करना होगा। एक ऐसी कर प्रणाली होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार की आय पर कर लगाया जाए तथा इस प्रकार की प्रशासनिक पद्धति भी होनी चाहिए जिसके द्वारा आप सुनिश्चित कर सकें कि बकाया कर इकट्ठा न हो। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर करों का निर्धारण निम्न स्तर पर है तथा करों की बकाया राशि बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है। स्थाई समिति ने फिर से यह शंका व्यक्त की है कि अब इन्हें वसूलने के लिए नए न्यायाधिकरण का गठन करके और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा नौकरशाहों जो अपनी सेवा के अंतिम चरण में हैं, को उनके जीवन के अंतिम दिनों में केवल कुर्सी तथा आरामदायक सेवा प्रदान की जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे पास अन्य विकल्प हैं तो ऐसा उपाय क्यों किया जाए।

यद्यपि, वैधानिक मंशा प्रशंसनीय है तथापि, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विधान ही केवल एक तरीका है जिसके माध्यम से यह मंशा पूरी हो सके। सरकार ने स्थाई समिति की सिफारिशों को स्वीकार क्यों नहीं किया? मेरा मानना है कि सरकार को इस सभा को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अब आप यह कह रहे हैं कि इस प्रशंसनीय प्रयोजन की प्राप्ति के लिए आप एक ऐसी मशीनरी का गठन कर रहे हैं जो कि सभी सेवानिवृत्त नौकरशाहों का एक समूह होगा और उनकी संख्या कम नहीं होगी। विधेयक में यह कहा गया है कि न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा तथा उसके बाद बहुत सी खंडपीठें होंगी। इनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है। यदि इन सबका गठन किया जा रहा है तो यह एक और सफेद हाथी साबित होगा। इस देश के लिए इसकी जिम्मेदारी उठाना बहुत खर्चीला साबित होगा।

अपराह्न 5.00 बजे

अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देगी। अन्यथा, हम वैधानिक मंशा का समर्थन करते हैं। परन्तु क्या न्यायाधिकरण की नई व्यवस्था आवश्यक है? क्या स्थाई समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना अधिक उचित नहीं है? मुझे आशा है कि मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, अभी तक जो माननीय सदस्यों की ओर से विचार आए हैं, उसमें शुरू से चिन्ता व्यक्त की गई है। यह जो इसका फ्रेमवर्क है, इसके संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई है। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि स्टैंडिंग कमेटी को 2003 में यह रैफर किया गया था। तब 6 फरवरी, 2004 को पार्लियामेंट डिजॉल्व होने के कारण वह बिल लैप्स हो गया और स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट नहीं आई है। पुनः नवम्बर, 2004 में यह बिल पेश हुआ और बिल दुबारा स्टैंडिंग कमेटी में गया। उस बिल पर पांच सिटिंग में सारा विचार–विमर्श हुआ और उसके बारे में सारी रिकमेंडेशंस आई हैं। हम लोग सिफारिश के अनुकूल सोचते थे कि संशोधन आना चाहिए था। काफी महत्वपूर्ण सुझाव और रिकमेंडेशंस समिति ने स्वीकार की हैं लेकिन केवल 2004 का 2005 किया जाए, 55वें का 56वां किया जाए। केवल यह अमेंडमेंट सरकुलेट हुआ है। कोई और अमेंडमेंट गवर्नमेंट की ओर से नहीं आया है। अब या तो यह कर दिया जाए कि स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों की आवश्यकता नहीं है। इससे स्टैंडिंग कमेटी पर भी प्रश्नचिह्न लगता है। दूसरा तरीका यह है कि हम इसीलिए डिबेट को पार्लियामेंट में इनवाइट करते हैं कि इस संबंध में माननीय सदस्यों के विचार आएं और उन्हीं विचारों के अनुरूप सरकार की ओर से एक बिल आए और जो व्यवस्था सैट–अप हम बनाने जा रहे हैं, एक तरह से हम कोडिफाइ करने जा रहे हैं कि उसके फंक्शंस क्या हैं, राइट्स क्या हैं, टर्म क्या हैं और उसकी क्वॉलिफिकेशंस क्या हैं। माननीय सदस्यों की ओर से यह भी विषय आया है कि उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का व्यू था कि हाईकोर्ट में जो पैंडेंसी है, वह जजेज की कमी के कारण है और जजेज की कमी पूरी की जाए तो उसका एडजुडिकेशन हो सकता है।

दूसरा विषय इसी से जुड़ा हुआ है कि हाईकोर्ट में इसकी अपील हो सकती है। उसके बाद अपील के लिए रिट पेटीशन से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां से भी जस्टिस मिला है। इसका उदाहरण हमारे सामने है। पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था,

[अनुवाद]

इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य।

[हिन्दी]

दस सितम्बर, 2004 को इसका फैसला हुआ और 803 करोड़ रुपया जो एक्साइज ड्यूटी का वसूल होना था, उसकी रिलीज सुप्रीम कोर्ट में एज अपील वहां जाने पर हुई और अब चूंकि हम ऑर्डर फाइनल करने जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल होगा और केवल थोड़ा सा बचेगा तो रिट का ज्यूरिसडिक्शन बचता है। इसलिए इस पर ज्यादा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हमारे माननीय विधि मंत्री जी बहुत ही विद्वान तथा अनुभवी हैं, मेरा उनसे यह अनुरोध होगा कि जो सुझाव उनके पास आए हैं, उन पर गंभीरता से विचार करके यदि फिर इसे संसद में ला सकेंगे तो इससे एक तो यह बात है कि इससे पार्लियामेंट में हम भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। इसलिए उनकी ओर से भी इस बारे में कुछ सुझाव आने चाहिए। कुछ सुझाव मैं अपनी ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं। अब इसमें परिस्थिति समझ में नहीं आती। क्लॉज 5 का सब क्लॉज 2 जो है, उसमें आपने कहा कि :

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय कर अधिकरण की खंडपीठ साधारणतया राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के किसी स्थान में या अन्य स्थानों में, जो केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, अधिसूचित कर, अधिविष्ठ होगी।"

और उसके आगे प्रोजीवन दिया है। "परन्तु, अध्यक्ष किसी खंडपीठ को, पर्याप्त कारणों से, उसकी अस्थाई बैठक को, 15 दिन से अनधिक की अवधि के लिए, उसके अधिविष्ठ होने के साधारण स्थान से भिन्न किसी स्थान पर करने की अनुज्ञा दे सकता है।" यानी दिल्ली से बाहर कहीं होगा तो पंद्रह दिन के लिए होगा लेकिन उसी क्लॉज का जो सब–क्लॉज 5 है, उसमें आपने दे दिया है :

"केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, एक राज्य में एक खंडपीठ के मुख्यालय से किसी सदस्य का दूसरे राज्य में दूसरी खंडपीठ के मुख्यालय में या एक राज्य के भीतर किसी अन्य खंडपीठ के मुख्यालय से स्थानांतरण कर सकेगी।"

[हिन्दी]

यानी जो उसका फ्रेमवर्क है, उसे देखे जाने से यह मालूम पड़ता है कि आप नेशनल टैक्स ट्राईब्यूनल बना रहे हैं। उसकी ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ सिटिंग नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली में है और यदि बाहर सिटिंग करवानी है तो पन्द्रह दिन के लिए बाहर सिटिंग करवाएंगे और उसी सब–क्लॉज 5 में यह देखा जा सकता है कि इसमें क्या विसंगति है।

श्री हंस राज भारद्वाज : इसके विषय में आप जो बात कह रहे हैं, वह जहां रेगुलर बेंच नहीं होगी, वहां टेम्परारी सिटिंग के लिए है। जहां रेगुलर बेंच होगी, वहां पूरी बेंच बैठेगी। अगर बाहर जाकर किसी स्थान पर कुछ दिन काम करना है तो वह टेम्परारी सिटिंग है। कोर्ट्स को यह पावर होती है कि अगर अपनी जगह के अलावा कहीं बाहर भी सर्किट में जाना चाहें तो जा सकती हैं। फाइनेंशियल मेमोरेंडम में 25 बेंचों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त स्पेशल बेंच और दो व्यक्तियों की डिवीजन बेंच की जगह पांच व्यक्तियों की बेंच बनाने संबंधी प्रावधान इसमें हैं, लेकिन आप यह जो बता रहे हैं कि यह विसंगति है, यह विसंगति नहीं है। टेम्परारी सिटिंग के लिए, जहां पर बेंच है, वहां के अलावा भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए अगर इन्दौर में बेंच है तो वे रतलाम में भी बैठ सकते हैं।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : जो बात मेरी समझ आई थी, वह यह कि क्लॉज 2 में लिखा गया है–

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय कर अधिकरण की खंडपीठें दिल्ली में अधिविष्ठ होंगी।"

[हिन्दी]

इसमें स्टेट्स का कहीं जिक्र नहीं था। चूंकि हम इस एक्ट को कोडीफाई कर रहे हैं, इसीलिए मेरा यह हम्बल सब्मिशन था कि हम उस पर विचार करके उसमें और कितना सुधार कर सकते हैं। हम इसके सपोर्ट में हैं। शुरू में यह कहना आवश्यक है कि हम उसके विरोध में नहीं हैं। लेकिन अगर यह स्टैंडिंग कमेटी में जाता और उसकी स्क्रीनिंग होती, उस पर डिबेट होती, तो डिबेट में अगर माननीय सदस्यों से अच्छे सुझाव आते, तो उसके अनुसार हम और सुधार कर सकते हैं। इस तरह हम संसद सदस्य के रूप में हमारी जो ड्यूटी है, उसी को कम्प्लीट करते हैं।

इसके अलावा इसमें दो सदस्यों की बेंच की बात आई है। इसमें लिखा गया है :

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार खंडपीठों की संख्या निर्धारित करेगी और प्रत्येक खंडपीठ में दो सदस्य होंगे।"

[हिन्दी]

लेकिन जब किसी बेंच में दो ही मेम्बर्स होते हैं तो सामान्यतः यह पाया जाता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की स्थिति में कठिनाई होती है। इसलिए इसके क्लॉज 18 में यह प्रावधान है कि

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की स्थिति में वह मामला चेयरपर्सन को रेफर किया जाएगा जो उससे हायर बेंच का निर्माण और फिर उसके सामने वह पूरा मामला लाया जाएगा। इससे अच्छा हो कि शुरू में ही यह जो असंगति है उसे दूर करते हुए अगर यह संख्या तीन या पांच कर लें तो पुनः क्लॉज 18 की आवश्यकता नहीं रहेगी और यह आसानी से सुधर सकता है।

क्लॉज 6 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का भूतपूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस उसका चेयरपर्सन होगा, उसके आयु के विषय में कहा गया है कि वह 68 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेगा। अब केवल तीन साल बचते हैं। चूंकि व्यवस्था यह है कि ट्रिब्यूनल के सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक होगा। इस स्थिति में पांच वर्ष का कार्यकाल तो किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होना है। इसलिए यह कहना आवश्यक नहीं है कि कार्यकाल पांच वर्ष या 68 साल तक होगा।

इसी के साथ स्टैंडिंग कमेटी ने यह सुझाव भी दिया था और मेरा भी यह सुझाव है कि मान लीजिए कहीं पर जज उपलब्ध नहीं होते हैं या यह भी हो सकता है कि कोई जज कहे कि हमको ट्रिब्यूनल में नहीं आना है। इसे आप एक तर्क के रूप में देखिए कि मान लें, जज कहे कि ट्रिब्यूनल में नहीं आना है। प्रायः इतने कमीशन्स ऑफ इन्क्वायरी बनते हैं, कई बार उन्हीं में जजों की कमी हो जाती है। इसलिए हमें इसके लिए कोई न कोई सेफगार्ड रखना चाहिए। जजों के समकक्ष जो लोग टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं और जिनके पास उनके समकक्ष सेवा का अनुभव है, जजों के उपलब्ध न होने पर उन्हें भी ट्रिब्यूनल में नियुक्त किया जा सके। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बिल में यह मैण्डेटरी प्रॉविजन है कि ट्रिब्यूनल का चेयरमैन वही व्यक्ति होगा जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। इसके विषय में स्टैंडिंग कमेटी का सुझाव था कि इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इतने वर्षों से वादों का निस्तारण करते आते हैं, उनके अनुभव को देखते हुए, जहां हमने लिखा है कि इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल या सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य, जिन्होंने कम से कम सात साल की सेवा पूरी की हो, उनको भी चेयरपर्सन नियुक्त किया जा सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जजों की कमी नहीं होगी।

सभापति महोदय : प्लीज, कंक्लूड कीजिए।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, ये लीगल प्वाइंट्स हैं, अगर उनको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इनको ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि कोई संशोधन आ जाए।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के अन्य तीन–चार माननीय सदस्यों को अभी बोलना है।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। मेरी पार्टी का काफी समय बचा है। अभी तक हमारी पार्टी से केवल एक ही सदस्य बोले हैं।

क्लॉज 10 वन में एक चीज दे दी गई है कि जजेज को हम चेयरपर्सन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं देंगे। हमारी गुजारिश है कि जहां पर उन्हें सैलरी आदि देने की बात आए और कहें कि छुट्टी नहीं देंगे, तो छुट्टी देनी चाहिए। आपने उस केस के लिए व्यवस्था की है कि जो सीनियर नम्बर ऑफ ट्रिब्यूनल होगा, वह एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में रहेगा। क्लॉज 10 में यह उल्लेख आया है। उसकी आखिरी लाइन है,

[अनुवाद]

खंड 10(1) में यह कहा गया है :

"वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी जो उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश पर लागू होती हैं, किन्तु कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।"

[हिन्दी]

एक प्रकार से यह हो गया कि आपको काम ही काम करना है, छुट्टी नहीं देंगे। इसलिए अगर वह बीमार हो जाए, कुछ और बात हो जाए, तो वह देखना चाहिए। आपने आगे प्रोविजन दिया है कि वे रहेंगे। अगर इस पर थोड़ा सा देख लें, इसे ओमिट कर सकें तो अच्छा होगा। जो सब्स्टीट्यूशन है आर्टिकल 15 वन का

[अनुवाद]

खंड 15(1) में यह कहा गया है :

"आय कर अपील अधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश से राष्ट्रीय कर अधिकरण को अपील होगी, यदि राष्ट्रीय कर अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।"

[हिन्दी]

अब इसमें जितने केस टैक्सेशन के हैं, छापामारी से, असेसमेंट से और सर्वे से लेकर, केवल लॉ का ही पाइंट नहीं, बल्कि सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ जहां फेल्योर ऑफ जस्टिस हो या एब्यूस ऑफ प्रोसेस हो, उसे भी ज्यूरिस्डिक्शन में रखें। जहां हम उसे आगे फिर रिट के रिवीजन का अधिकार दे रहे हैं, तो हम कह दें कि केवल लीगल साइड देखेंगे, फैक्ट्स के आधार पर भी उसे अपील का अवसर मिलना चाहिए। जहां एब्यूस ऑफ प्रोसेस भी हो या फेल्योर ऑफ जस्टिस हुआ हो।

जो क्लॉज 16 है, उसमें एक बात दी गई है।

[अनुवाद]

खंड 16 में यह कहा गया है :

"राष्ट्रीय कर अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा।"

[हिन्दी]

यानी हम एक एक्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, बिल में सारे प्रावधान दे रहे हैं। हमने आगे कहा कि उसे पावर वहीं मिलेंगी जो सुप्रीम कोर्ट की हैं यानी सम्मन वगैरह की। लेकिन प्रोसिजर कौन सा होगा, प्रोसिजर से बाउंड नहीं है। नेचुरल जस्टिस का प्रोसिजर रहेगा कि उसी तरीके से हीयरिंग करेंगे, मुद्दे तय करेंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होंगे और एफिडेविट होगा। इसे यहीं नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह उसके भीतर आना चाहिए। यह नियमों में लेकर आएं। अगर एक्सप्रेस प्रोविजन आता है कि इसे फालो करेंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा उचित होगा।

एक प्रावधान की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब हम भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख करते हैं या संसद सदस्य का करते हैं, सबके लिए जहां आपने कहा है कि दिवालिया न हो,

[अनुवाद]

दोषसिद्धि, चरित्र पतन आदि ..... या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग हो गया हो ..... भारत का एक नागरिक होगा।'

[हिन्दी]

आदि–आदि दिया है। उसके लिए हम लोगों के लिए एक शब्द होता है कि भारत का नागरिक हो। यह इसके भीतर हर संवैधानिक पदों के लिए आवश्यक तत्व है कि भारत का नागरिक हो, जिसकी भारत की नागरिकता समाप्त न हो गई हो। वह क्वालिफाइड है या नहीं है, यह बिल इस मामले में साइलेंट है। इस बारे में भी मंत्री जी ध्यान देंगे, तो काफी कुछ हित होगा।

जो एल. चन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन पर असर नहीं करेगा। लेकिन यह इस बिल के अन्दर सीधे–सीधे यह कह दिया है कि इसका जो ऑर्डर है,

[अनुवाद]

"वह अंतिम होगा और उसे किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।"

[हिन्दी]

यह जो रूलिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा ट्रिब्यूनल बनाकर उसके अधिकार कम न करें इसलिए इसका स्पष्टीकरण इसके भीतर आ सके, तो सही रहेगा। स्टैंडिंग कमेटी की भी ऐसी सिफारिश थी। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी को भी महत्व मिलना चाहिए। वरना उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी की एकाध सिफारिश को माना जाना चाहिए।

सभापति महोदय, बिल की जो स्प्रिट है, जो भावना है, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि हम लोग ही यह बिल लेकर आए थे। इसीलिए मैं इसमें सुधार की बात कह रहा हूं कि गुंजाइश हो तो जो स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की है, वह मानी जानी चाहिए।

इसके साथ ही मंत्री जी ने जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, मैं उसकी भावना और स्प्रिट का पूरा–पूरा समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सबसे पहले, मैं मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक राष्ट्रीय कर अधिकरण का गठन करने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए हमारे माननीय विधि और न्याय मंत्री का धन्यवाद और उन्हें बधाई देता हूं। देश भर में 21 उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की लंबी सूची है। इससे विभाग तथा करदाताओं को भी कोई मदद नहीं मिल रही है। इन 21 उच्च न्यायालयों में बहुत से पद रिक्त पड़े हुए हैं। दीवानी और दांडिक अपील भी लंबित पड़ी हुई हैं तथा आरंभिक

[श्री एस. के. खारवेनथन]

अधिकारिता मामले लंबित पड़े हैं। इसी प्रकार कर संबंधी मामले भी लंबित पड़े हैं। अतः इस समस्या से बचने के लिए हमारी सरकार एक राष्ट्रीय कर अधिकरण का गठन करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए आगे आई है। यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

यहां मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री 1992–93 के दौरान वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अपने बजट भाषण में निम्नवत कहा था जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं :

"प्रत्यक्ष करों संबंधी मुकदमों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय का गठन करने की योजना बना रही है।"

भारतीय विधि आयोग ने भी अपने 115वें प्रतिवेदन में इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के एक अपीलीय अधिकरण का गठन करने का समर्थन किया था।

इस मौजूदा विधेयक में मैं केवल कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, खंड 5(1) खंडपीठों के गठन और अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय कर अधिकरण की दो खंडपीठें किसी भी राज्य में कहीं भी दौरा करने जाएंगी तो बैठक के लिए 15 दिनों से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। इस प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए तथा सभापति की सुविधानुसार समय दिया जाना चाहिए। 21 उच्च न्यायालयों में बहुत से मामले लंबित पड़े हुए हैं। विधेयक पारित किए जाने तथा राष्ट्रीय कर अधिकरण का गठन किए जाने के पश्चात सभी मामले उसे अंतरित कर दिए जाएंगे। परन्तु दिल्ली में एक अधिकरण का गठन किए जाने की बजाय मैं माननीय विधि मंत्री से चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में कम से कम चार खंडपीठों का गठन करने पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं, खंडपीठों को वहां ले जाने की बजाय...*(व्यवधान)* यही मेरा विनम्र निवेदन है...*(व्यवधान)*

श्री के. एस. राव : जी हां, हैदराबाद में भी इसका गठन किया जाए।

श्री एस. के. खारवेनथन : जी हां, हैदराबाद में भी खंडपीठ का गठन किया जाए।

महोदय, अनुच्छेद 6 और 7 सभापति और अन्य सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 8 सभापति और सदस्यों की नियुक्ति की पदावधि से संबंधित है। सभापति की सेवा के संबंध में 68 वर्ष तक की आयु का उल्लेख किया गया है। उन्होंने खंड 13 में अधिवक्ताओं, विधि व्यवसायियों और लेखाकारों को भी महत्व दिया है। इस देश के वकीलों की ओर से मैं विधि मंत्री का इस प्रावधान को शामिल करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

मैं यहां उपखंड 13(i) को उद्धृत करना चाहता हूं :

"उनके द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत कोई भी व्यक्ति"

इसको हटाया जाना चाहिए और केवल विधि व्यवसायियों और सनदी लेखाकारों को ही प्रस्तुत होने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं खंड 13(ii) का भी स्वागत करता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

"सरकार एक या उससे अधिक विधि व्यवसायियों को अधिकृत कर सकती है।"

अतः वकीलों को यह अवसर दिया जाए। मैं इस प्रावधान का भी स्वागत करता हूं।

मैं अनुच्छेद 15 उपखंड (ii) को उद्धृत करना चाहता हूं :

"परन्तु यह कि राष्ट्रीय कर अधिकरण एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात साठ दिन के भीतर अपील ग्रहण कर सकेगा।"

अतः, विलम्ब की उपेक्षा न की जाए और इसमें संशोधन किया जाए।

मुझे अनुच्छेद 15 उपखंड (iv) के संबंध में भी आपत्ति है। जो मुकदमा हार चुके हैं वे राष्ट्रीय कर अधिकार के समक्ष अपील करना चाहते हैं। निर्धारिती अथवा पीड़ित व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को तब तक अपील करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वह उस आदेश, जिसके विरुद्ध की जा रही है, के आधार पर देय ऐसे कर अथवा शुल्क का कम से कम 25 प्रतिशत भाग जमा नहीं करता है।

अधिकांश विभागीय मामले विभागीय व्यक्तियों द्वारा दर्ज किए जाते हैं। वे विभाग के पक्ष में निर्णय देते हैं। अतः पीड़ित व्यक्ति की ओर से 25 प्रतिशत कर राशि दिया जाना उचित नहीं है। इस प्रस्तावित विधेयक में भी सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों के निर्धारण संबंधी विवादों का भी निर्णय किया जाना है।

मैं एक मामले का उल्लेख करता हूं। उदाहरणार्थ चेन्नई में एक व्यक्ति द्वारा विदेश से एक घड़ी लाने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों ने उस पर 30 रुपये का तथा राजस्व आसूचना निदेशालय ने उसी घड़ी के लिए 140 रुपये का कर निर्धारित किया। सीमा शुल्क के अधिकारी जिन वस्तुओं पर 3.5 लाख रुपये का कर निर्धारित करते हैं रा.आ.नि. के अधिकारी उस पर 7.5 लाख

रुपये का कर निर्धारित करते हैं। इसके लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तथा उसे कारागार में डाल में दिया जाता है और सरकार उसी व्यक्ति पर 150 रुपये प्रतिदिन खर्च करती है। हाल ही में सात निर्दोष लोगों को अपनी वस्तुओं से हाथ धोना पड़ा। उन्हें गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया। अधिकारियों का दृष्टिकोण इस प्रकार का है। यदि अधिकारी लोगों के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज करके और अपील करने से पहले उनसे वस्तु पर लगने वाले शुल्क की 25 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए कहते हैं जो कि अनुचित है, इस प्रावधान को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रावधान को रद्द किया जाना चाहिए। मेरा यही सुझाव है।

राष्ट्रीय कर अधिकरण के गठन का मैं पूरे दिल से समर्थन करता हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि खंडपीठों का गठन देश के चारों भागों में किया जाना चाहिए न कि 15 उच्च न्यायालयों में। खंडपीठों का गठन देश के चारों क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। देश में कन्याकुमारी अथवा कश्मीर में रहने वाले निर्धन व्यक्ति दिल्ली आकर अधिकरण में नहीं जा सकते। निर्धन वादियों तथा करदाताओं को इस खर्च से बचाने तथा उनकी सहायता करने के लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार को विभागीय अधिकारियों द्वारा संपत्तियों के मनमाने तरीके से निर्धारण करने तथा मामले दर्ज करने संबंधी विषयों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहुत से निर्दोष व्यक्ति इससे पीड़ित होते हैं। इन परिस्थितियों में कोई समाधान तलाशना चाहिए। विधेयक में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, मैं इस राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं तथा माननीय वित्त और न्याय मंत्री को इस देश के लिए चिरकाल से लंबित इस विधेयक को लाने के लिए अपने दल की ओर से बधाई देता हूं। हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं क्योंकि इसके उद्देश्य प्रशंसा योग्य हैं। वर्तमान कर सुधारों में इसकी काफी अधिक प्रासंगिकता है तथा यह देश में संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य की पूर्ति करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश को सरकार के विकास कार्यों के व्यय को वहन करने के लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता है। सरकार को यह संसाधन करों तथा गैर-कर राजस्व के शीघ्र भुगतान तथा शीघ्र जमा के माध्यम से प्राप्त होंगे। यह विधेयक इस मुद्दे का समाधान करेगा।

आप जानते हैं कि देश की वित्तीय स्थिति यह चेतावनी देती है कि हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोतों से अधिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कर राजस्व बढ़ नहीं रहा। इसके पीछे एक कारण यह है कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं तथा इनका तेजी से निपटारा करना होगा। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि इस प्रकार के एक राष्ट्रीय अधिकरण का गठन किया जाए। माननीय विधि आयोग ने पहले ही अपने 115वें प्रतिवेदन में इसकी सिफारिश कर दी है। चावस्की समिति प्रतिवेदन में भी इसकी सिफारिश की गई है। मेरा विचार है कि वे सभी निपटारा तंत्र से भली भांति परिचित हैं तथा इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में आज, वर्तमान परिस्थितियों में, राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक की आवश्यकता है। मेरे विचार से इसके कम से कम पांच अलग-अलग लाभ हैं। पहला, यह बाद में लगने वाले समय को कम करेगा। दूसरे, यह कर मामले के निपटारे में तेजी लाएगा। तीसरे, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकरूपता लाएगा। चौथा, यह तेज न्यायिक-संवीक्षा अवसर भी प्रदान करेगा।

वर्तमान निपटारा तंत्र, कर अधिकरण प्राधिकरणों को काफी शक्तियां प्रदान करता है जिसकी अध्यक्षता कर आयुक्त करते हैं। दर निर्धारण, शुल्क लगाने, कर निर्धारण इत्यादि करने हेतु उनकी अपनी मनमानी चलती है। कर अधिकरणों की अध्यक्षता कर रहे इन गैर-न्यायिक अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के तरीके तथा कर निर्धारण के तरीके के विरुद्ध कई शिकायतें हैं।

इसलिए इस राष्ट्रीय कर अधिकरण की स्थापना कर हम दोनों न्यायिक एवं गैर-न्यायिक प्रक्रियाओं को मिला रहे हैं तथा यह इस विधेयक की बड़ी उपलब्धि है।

अन्त में, यह उच्च न्यायालयों के काम के बोझ को भी कम करेगा क्योंकि सभी लंबित मामले अब अधिकरण में स्थानांतरित हो जाएंगे। इससे उच्च न्यायालयों में मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि विधेयक में कई अच्छी बातें हैं।

वहीं, मैं अपने भा.क.पा. (मा.) के साथियों द्वारा उठाए गए एक-दो मुद्दों का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यह काम बहुत खर्चीला होगा तथा यह सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए एक शरणस्थली बन जाएगी इत्यादि। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक पर विभिन्न समितियों द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार, यदि आप यह भी मान लें कि देश भर में 28 खंडपीठें भी स्थापित की जाएंगी तो कुल व्यय आठ करोड़ रुपये होगा जबकि यदि यह कर बकाया उचित रूप से भुगतान कर दिए जाते हैं तो सरकार को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की आशा है। यह खर्चीला कैसे साबित हो सकता है? आखिरकार,

[प्रो. एम. रामदास]

सभी नौकरशाहों को काफी ज्ञान है। न्यायिक संवीक्षा के संबंध में उनका अपना बौद्धिक ज्ञान एवं अनुभव है। इसलिए सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उनकी सेवाओं का उपयोग करने में कोई गलत बात नहीं है। आखिरकार, हमें बुद्धि, ज्ञान एवं अनुभव वाला व्यक्ति चाहिए। यदि वे सेवानिवृत्त नौकरशाही से आएं तो उन्हें नियुक्त करना अनुचित नहीं है। यह एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं।

विधेयक का नाम रखने के संबंध में भी एक प्रश्न था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह अधिकरण कर तथा शुल्क दोनों से संबंधित होगा। इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि इस विधेयक को राष्ट्रीय कर तथा शुल्क अधिकरण विधेयक नाम दिया जाना चाहिए। मेरा मत है कि इसे राष्ट्रीय राजस्व अधिकरण विधेयक कहा जा सकता है क्योंकि कुल राजस्व–कर राजस्व तथा गैर–कर राजस्व–में से जो सरकार को प्राप्त होता है, कुल राजस्व में गैर–कर राजस्व का भाग केवल पांच से छह प्रतिशत होता है तथा शेष राजस्व केवल करों से प्राप्त होता है। इसलिए इसे राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक नाम दिए जाने की बजाय आप इसे राष्ट्रीय राजस्व अधिकरण विधेयक नाम दे सकते हैं।

दूसरा सुझाव मैं धारा 15 के बारे में देना चाहूंगा। धारा 15 विश्व व्यापार संगठन नीति के विरुद्ध जा सकती है। मैं केवल उन्हीं मुद्दों की चर्चा कर रहा हूं जिन पर अन्य सदस्यों ने चर्चा की है। विश्व व्यापार संगठन नीति के अनुसार बिक्री कर, सीमा शुल्क के मूल्यांकन तथा अन्य मुद्दों के संबंध में सभी प्रकार के विवादों का एकल तंत्र के माध्यम से तुरन्त निपटारा किया जाना चाहिए। यदि इस प्रावधान पर ध्यान दिया जाए तो इसके अनुसार जो भी अपील की जाए वह केवल राष्ट्रीय कर अधिकरण के समक्ष ही की जा सकती है। इसका अर्थ है कि आप द्विस्तरीय तंत्र की स्थापना करने जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है।

समिति के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में एक अन्य बात है। विधेयक के अनुसार वह या तो न्यायाधीश होना चाहिए अथवा आयकर अपीलीय अधिकरण का कम से कम पिछले सात वर्ष से सदस्य होना चाहिए। इस प्रावधान का अर्थ यह निकाला जा सकता है कि सदस्यों के साथ ही साथ सभापति को या तो न्यायिक अथवा गैर–न्यायिक जानकारी होनी चाहिए, परन्तु तकनीकी व्यक्तियों के बारे में क्या? आयोग में तकनीकी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए उपबंध में प्रावधान क्यों नहीं किया गया। आखिरकार, कर एक तकनीकी विषय है। कर दर, कराधान की अवधारणा, कर प्रभाव की अवधारणा, कराधन में समता की अवधारणा है। इसलिए कोई व्यक्ति जो कर उदग्रहण करता है हो सकता है वह कराधान के सिद्धान्त से अवगत न हो। कर एक तकनीकी विषय होने के नाते, इसमें कुछ तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना था। मेरा विचार है कि न्यायाधिकरणों तथा आय कर अपीलीय अधिकरण इत्यादि से अधिकारियों के साथ–साथ भारतीय आर्थिक सेवा से भी सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

विधेयक में खंडपीठों की संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए था। साथ ही साथ, सदस्यों की संख्या का भी यहां उचित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए था। धारा 13 के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें उल्लेख किया जाना था "सरकार के अलावा अन्य पार्टी द्वारा अपील के मामले में पार्टी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए अथवा एक या अधिक कंपनी सचिवों को, लागत और सर्वत्र लेखाकारों, सनदी लेखाकारों अथवा अधिवक्ताओं को उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत करना चाहिए।" केवल इसी से विधेयक का दायरा विस्तृत होगा।

केवल इन्हीं संशोधनों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। सभा द्वारा इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए।

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, इस विधेयक पर भाषण देने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि संबंधी खंड 8 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष है। सामान्यतः सेवानिवृत्त व्यक्तियों को ही अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया जाता है। ऐसा सब जगह होता है। सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है–उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं–तो उनका कार्यकाल मात्र तीन वर्ष तक ही रहेगा, यदि उनकी नियुक्ति 66 या 67 वर्ष की उम्र में की जाती है तो उनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का ही होगा। इस प्रकार सेवानिवृत्त व्यक्ति अपने पद के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। यदि ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, चाहे वे योग्य हों उनका कार्यकाल मात्र कुछ महीनों के लिए ही होगा। दिल्ली जैसे शहरों में यह भी देखा गया है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति अपना सरकारी आवास रखने या इस आधार पर कि ऐसे स्थानों पर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे अधिकरणों में नियुक्ति की इच्छा रखते हैं। ऐसी स्थिति में यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति न की जाए।

खंड 13, "राष्ट्रीय कर अधिकरण के समक्ष उपसंजाति" से संबंधित है। इस खंड के अनुसार :

> "सरकार से भिन्न किसी अपील का कोई पक्षकार राष्ट्रीय कर अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष–कथन प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपसंजात हो सकेगा या एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या विधि व्यवसायियों को प्राधिकृत कर सकेगा या किसी व्यक्ति को सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर सकेगा।"

किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। हमें नहीं पता कि ऐसे व्यक्ति के पास विधिक योग्यता है या नहीं। आपको ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि विधिक ज्ञान वाले को ही नियुक्त किया जाए।

विधि के सारवान प्रश्नों से जुड़े कई मामले राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के समक्ष आते हैं। वर्तमान खंड के तहत पक्षकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सकता है। ऐसी भी आशंका है कि इन मामलों में बिचौलियों का उपयोग किया जाएगा। इसलिए ऐसी शर्त होनी चाहिए कि विधिक ज्ञान वाले व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए।

खंड 15 'राष्ट्रीय कर अधिकरण को अपील' से संबंधित है। खंड 15(1) इस प्रकार है :

> "आयकर अपील अधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित आदेश से राष्ट्रीय कर अधिकरण को अपील होगी, यदि राष्ट्रीय कर अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।"

कई बार अन्य प्रश्नों पर भी अपील की आवश्यकता पड़ सकती है, उदाहरणस्वरूप अत्यधिक अनियमितताएं या तथ्य संबंधी प्रश्न। खंड 15(1) के अनुसार आयकर अपील अधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश से राष्ट्रीय कर अधिकरण को अपील होगी यदि राष्ट्रीय कर अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। ऐसी स्थिति में खंड 15 का प्रावधान विधेयक की उद्देशिका से व्यापक है जिसके तहत पाटन रोधी मामलों, राज सहायता, प्रतिरोधी उपायों आदि सहित मामलों पर सीमा शुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपील अधिकरण द्वारा निर्णयों के विरुद्ध राष्ट्रीय कर अधिकरण में अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क संबंधी विश्व व्यापार संघ समझौते, पाटनरोधी आदि जिस पर हमने हस्ताक्षर किए हैं संबंधी मामलों में प्रशासनिक कार्यवाही पर मात्र एक स्तरीय त्वरित न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। पाटनरोधी उपाय जो कि घरेलू उद्योगों के संरक्षण हेतु आवश्यक हैं पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि हम ऐसे मामलों पर राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने की व्यवस्था करते हैं तो अपील का एक और स्तर अस्तित्व में आ जाता है जिसके कारण त्वरित समीक्षा जैसा कि खंड के अनुसार आवश्यक है में विलंब होगा। समितियां इस विचार से सहमत हैं और सुझाव देती हैं कि इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री से मात्र यह अनुरोध है कि समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर वे ध्यान दें।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। आपके निर्देशानुसार मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह वास्तव में हमारे द्वारा लाया गया था। इसे एनडीए सरकार के शासन काल में पुरःस्थापित किया गया था। मैं माननीय मंत्री से मात्र कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि सभी उच्च न्यायालयों में ऐसे कितने मामले लंबित हैं? मेरे विचार से बेहतर होता यदि उन्होंने यह जानकारी अपने प्रारंभिक भाषण में दी होती। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन किया है?

सरकार का पूर्व में ऐसे अन्य अधिकरणों के बारे में क्या अनुभव रहा है? सरकार द्वारा इसी प्रकार के अनेक विशिष्ट अधिकरण गठित किए गए थे। क्या सरकार को जिन उद्देश्यो के लिए ऐसे प्रत्येक अधिकरण स्थापित किए गए थे उनमें सफलता मिली? क्या इन अधिकरणों द्वारा मामले शीघ्रता से निपटाए गए हैं?

मेरा तीसरा प्रश्न अर्हताओं से संबंधित है। खंड 6 अध्यक्ष तथा अधिकरण के अन्य सदस्यों की अर्हताओं से संबंधित है। इसके अनुसार, "कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या होने के लिए पात्र है।" इस प्रकार न केवल कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, परन्तु उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्ति को भी इस अधिकरण का सदस्य बनाया जा सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु नियुक्ति संबंधी योग्यता का मानदंड क्या है? तथा क्या मंत्री महोदय नहीं मानते हैं कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जहां इस अधिकरण के सारे सदस्य न्यायपालिका से हों जिन्हें कराधान कानूनों की विशेषज्ञता न हो? क्या इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी?

[श्री खारबेल स्वाईं]

मेरा अगला प्रश्न खंड 8 से संबंधित है जो नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के मानदंडों के बारे में है। खंड 8 में यह उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष या कोई भी अन्य सदस्य की पदावधि पांच वर्षों की होगी। इसमें यह उल्लेख है कि अध्यक्ष 68 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। यदि आप उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते हैं, तो क्या आप उन्हें अध्यक्ष के पद पर तीन वर्ष की अवधि तक ही सीमित नहीं कर रहे है।

खंड 11 में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को पद से हटाए जाने का प्रावधान है। इसके उप खंड (1)(घ) में यह उल्लिखित है कि इनमें से किसी भी ऐसे व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है जिसने राष्ट्रीय अधिकरण के अध्यक्ष सा सदस्य के रूप में अपने कार्यों को पूर्वाग्रह के आधार पर प्रभावित कर सकने वाले कोई वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया हो। मैं माननीय मत्री से यह स्पष्ट करने का आग्रह करता हू कि अध्यक्ष के रूप में उनके कार्य को पूर्वाग्रह के आधार पर प्रभावित कर सकने वाले वह वित्तीय या अन्य लाभ क्या हो सकता है।

खंड 4 में राष्ट्रीय कर अधिकरण की संरचना का प्रावधान है। इस अधिकरण में अध्यक्ष और इतनी संख्या में सदस्य होंगे जितना केन्द्र सरकार उचित समझे। आपने इस संख्या को विधेयक में ही निश्चित क्यों नहीं किया? आपने यह निर्णय सरकार पर क्यों छोड दिया है? मैं मत्री महोदय से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

खड 7(3) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष किसी सदस्य की नियुक्ति को चयन समिति के गठन में किसी पद के रिक्त होने या इसमें किसी त्रुटि मात्र के कारण ही अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। चयन समिति में किसी त्रुटि के कारण ऐसे अमान्य क्यों किया जा सकता है। आपने विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि हम इस चयन समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित किसी अन्य न्यायाधीश, विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव को सम्मिलित कर रहे हैं। आपने यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि चयन समिति के सदस्य कौन होंगे. लेकिन फिर भी आपने यह प्रावधान किया है कि कोई त्रुटि रह सकती है। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि कोई त्रुटि कैसे रह सकती है। माननीय मंत्री कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें।

अन्ततः, मैं माननीय मत्री से अपील करना चाहूंगा कि वित्त संबंधी स्थाई समिति के सदस्य के रूप में, मैंने सिर्फ यह पाया है कि यह उच्च न्यायालय में नहीं होता है, वास्तव में यह सीमा शुल्क और आयकर के अन्य अधिकरणों में होता है जहां बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। आप इस संबध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं? मैं माननीय मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब राष्ट्रीय कर अधिकरण का गठन करते हैं, तो आप अधिकरण को यह सुझाव दें कि उच्च मूल्यों संबंधी सभी मामलों की वरीयता के आधार पर सुनवाई की जाए। हम वास्तव में, काफी धन की बचत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी धन लगा होता है। सभी मामलों में अधिक धन नहीं लगा होता है। कुछ ही मामलों में अधिक धन लगा होता है और उन्हीं को वरीयता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। नियमित रूप से जो हो रहा है, वह यह है कि ऐसे मामलों की न्यायालयों द्वारा नियत समय पर सुनवाई की जाती है तथा इसीलिए बहुत से मामलों का समाधान नहीं हुआ है।

मैं श्री वरकला राधाकृष्णन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त पीठ हो सकती हैं जो प्रत्येक मामले की सुनवाई कर सकती हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि उच्च न्यायालयों के अधिकतर न्यायाधीश आयकर या सीमा कर कानून जैसे विषयों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं। बल्कि मेरा यह कहना है कि ऋण वसूली अधिकरण का गठन एनपीए में कमी करने हेतु एक बडा कारक हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से पुनः यह निवेदन करता हू कि वह नए अधिकरण का गठन करते समय महत्वपूर्ण मामलों की पहले सुनवाई किए जाने का सुझाव दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में स्पष्टीकरण देने हेतु मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : मुझे एक मिनट का समय दिया गया है। लेकिन मैं उसी नियत समयावधि के अन्दर अपना वक्तव्य पूरा कर दूंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देने वाले हैं।

सभापति महोदय : समय सीमित है।

श्री पी. सी. थामस : यह विधेयक अच्छा है और इसे बहुत ही अच्छे परिप्रेक्ष्य और उद्देश्य से लाया गया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री महोदय को स्थाई समिति द्वारा की गई सिफारिशों और दिए गए सुझावों पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

विधेयक का दूसरा पहलू यह है कि इन मामलों में साधारणतः

अधिकरणों के गठन और उनके क्रियान्वयन में विलंब होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके क्रियान्वयन में विलंब नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से फेमिली कोर्ट के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। फेमिली कोर्ट का प्रावधान है और भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों मे फेमिली कोर्ट स्थापित किए जाने हेतु प्रयास भी किए हैं। लेकिन इनकी स्थापना हेतु धन आवंटन उन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं किया जाता जिन उद्देश्यों से हम वास्तव में फेमिली कोर्ट स्थापित करना चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि क्रियान्वयन के पहलू पर अत्यावश्यकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं फेमिली कोर्ट के संबंध में बात कर रहा था। मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुवत्तुपुजा में मुवत्तुपुजा कस्बे में तत्काल एक फेमिली कोर्ट स्थापित किया जाए और इसके लिए राशि तत्काल मुहैया कराई जाए।

श्री खारवेल स्वाईं : चेयरमेन या किसी सदस्य को स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है? कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, मैं सभी सदस्यों—सर्वश्री के. एस. राव, श्री सिंह, श्री राधाकृष्णन, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री राम कृपाल यादव, श्री मंडल, श्री चंद्रप्पन, प्रो. रामदास, श्री स्वाईं, श्री बची सिंह रावत, श्री थामस और कुछ अन्य मित्रों का आभारी हूं जिन्होंने अति महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं उनके इन सुझावों की प्रशंसा करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधान छोड़ दिए हैं।

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह राष्ट्रीय कर अधिकरण, जिसकी स्थापना किए जाने की संभावना है, पूर्व में स्थापित दो अधिकरणों—एक वित्त मंत्रालय के न्यायाधिकार के अन्तर्गत, वह सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से संबंधित है तथा दूसरा मेरे मंत्रालय के अधीन है, वह आयकर अपीलीय अधिकरण है, के निर्णयों के विरुद्ध पड़ी अपीलों पर प्राथमिक आधार पर विचार करेगा। माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि दोनों अधिकरण अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन, मामले उच्च न्यायालय में जाते हैं।

इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य जिनका मैं अत्यधिक सम्मान करता हूं, उन्होंने एक बहुत ही उचित मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि स्थाई समिति यह चाहती है कि इस विधेयक की बजाय, हमें कर मामलों की सुनवाई करने हेतु उच्च न्यायालय की विशेष पीठों का ही गठन कर लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि एक समय था जब उच्च न्यायालयों से मात्र कर मामलों पर ही निर्णय लेने हेतु डिविजन पीठ में एक साथ कार्य करने हेतु कर विशेषज्ञों के रूप में दो न्यायाधीश बैठा करते थे। तीन बार इस देश के कानून मंत्री के रूप में कार्य कर लेने के बाद मैं यह जानता हूं कि कर विशेषज्ञों का अभाव है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताओं में फौजदारी, दीवानी या राजस्व जैसे किसी विशेषज्ञता का कोई उल्लेख नहीं होता है। मेरा अनुभव है कि सिविल मामलों में प्रैक्टिस कर रहे अधिकतर अधिवक्ता पीठ बैंच पर पहुंचते हैं और उन्हें कर मामलों का अनुभव नहीं होता है। यदि कर विशेषज्ञ अधिवक्ता होंगे तो कर विशेषज्ञ न्यायाधीश भी होंगे, मैं इन सिफारिशों और सुझावों से सहमत हूं। लेकिन, सभा एक या दो मामलों को छोड़कर उनकी प्रशंसा करती है। मैंने उच्च न्यायालयों को अनेक बार पत्र लिखकर कर मामलों हेतु विशेष पीठ गठित करने के लिए कहा है। परन्तु उन्होंने कहा है कि उनके पास विशेषज्ञ न्यायाधीश नहीं हैं और वे अपने पास उपलब्ध न्यायाधीशों में से न्यायाधीश प्रदान कर सकते हैं।

एनडीए सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया और वे बुद्धिमानी से इस विधेयक को यह कहकर लाए कि वे यह चाहते हैं कि कर के मामले में अपीलों से निपटने के लिए भी विशेषज्ञ लोग हों। अब संविधान के अनुच्छेद 323बी के अन्तर्गत ये मामले अपील हेतु कर संबंधी विशेष पीठों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। दोनों न्यायाधिकरणों की अपील राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के पास जाएंगी। हमने इस विधेयक को आगे बढ़ाया है। हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि राजस्व के हित के लिए यह प्रावधान आवश्यक है।

अधिकतर संसद सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि कमजोर राजकोष का अर्थ है कमजोर सरकार। अतः राजकोष को मजबूत किया जाना चाहिए। अतः राजकोष को धन दिया जाना चाहिए अन्यथा भारत जैसे कल्याणकारी राज्य को नुकसान उठाना पड़ेगा। सभी सदस्यों का यही विचार है।

अब मैं बाह्य मुद्दों को स्पष्ट करना चाहता हूं। वित्तीय ज्ञापन में प्रत्यक्ष करों हेतु 15 पीठों और अप्रत्यक्ष करों हेतु 10 पीठों का प्रावधान है।

वित्तीय ज्ञापन और वित्तीय व्यय में इसका उल्लेख है। अधिनियम के खंडों में विशेषकर खंडपीठ के संबंध में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक पीठ सामान्यतः दो व्यक्तियों की खंडपीठ होनी चाहिए। चूंकि मैं आयकर अपीलीय अधिकरण पर कार्य कर रहा हूं अतः मैं आपको पुनः यह याद दिलाना चाहता हूं कि आयकर अपील अधिकरण में भी पीठ दो सदस्यों से गठित है एक तकनीकी सदस्य और दूसरा न्यायिक सदस्य।

[श्री हंसराज भारद्वाज]

इसी प्रकार, खंड 5(4) में यह उपबंध किया गया है कि एक पीठ दो सदस्यों से गठित होगी। यहां भी यह भर्ती के दो स्रोतों से चुने हुए दो सदस्यों से गठित होगी। इससे पता चलता है कि भर्ती का स्रोत क्या है। इसमें कई सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आने की कोई संभावना नहीं है। जो व्यक्ति आयकर अपीलीय अधिकरण अथवा सीईजीएटी में कार्य कर रहे हैं उन्हें ही राष्ट्रीय कर अधिकरण में नियुक्त किया जाएगा। अतः अध्यक्ष के अलावा किसी और व्यक्ति की गुंजाइश नहीं है। अध्यक्ष ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो क्योंकि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है अतः आप उन्हें कम से कम तीन वर्ष दे सकते हैं। अन्यथा कोई नहीं आएगा। उच्च न्यायालय के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है अतः हम वहां से एक सदस्य अथवा अध्यक्ष को पांच वर्ष के लिए नियुक्त करेंगे और वह 68 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा। यह एक स्थिति है जहां उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आ सकता है। अन्यथा, सीधी भर्ती से लिए गए लोग भर्ती के दो स्रोतों से लिए जाएंगे। एक हैं ये दोनों अधिकरण। ये सदस्य तकनीकी और न्यायिक दोनों होते हैं जो आयकर अपील अधिकरण में जाते हैं। सभी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट तकनीकी सदस्य होते हैं। चार्टर्ड अकाउन्टेन्टों को कर प्रावधानों की पूरी जानकारी होती है। इसी प्रकार न्यायाधीश न्यायिक सदस्य होते हैं। अतः दोनों को राष्ट्रीय कर अधिकरण में नियुक्त किया जाएगा और सीधी भर्ती का अर्थ है कुछ वकील। मैं अपने कानूनी समुदाय को परेशान नहीं कर सकता। अन्यथा, वे कहेंगे कि आपने हमारी नियुक्ति पर रोक लगा दी है। संविधान के अन्तर्गत वे वकील जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव हो उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है और इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अतः उनके चयन की गुंजाइश रख रहा हूं। चयन एक सुस्पष्ट प्रणाली से किया जाता है जो अभी भी सभी अधिकरणों में उपलब्ध है और जो पूर्णतः स्वीकार्य है। आप जानते हैं कि सरकार सीधे नियुक्ति नहीं कर सकती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए हम भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करते हैं और यहां भी हम भारत के मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उसके नामित व्यक्तियों से परामर्श करते हैं। अतः यह तीन व्यक्तियों से गठित एक समिति होगी जिसमें विधि सचिव और एक निष्पक्ष व्यक्ति होगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस अधिकरण में अधिक स्वायत्तता और स्वतन्त्रता दे रहे हैं क्योंकि हम सरकार को अर्थात् वित्त मंत्रालय को संबद्ध नहीं कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय की दिलचस्पी राजस्व में है। उनके विचार निष्पक्ष हैं और वे इसमें दिलचस्पी लेने वाली पार्टी है। अतः यह अधिकरण केवल एक निष्पक्ष मंत्रालय अर्थात् विधि मंत्रालय के अन्तर्गत होगा और यह वादकारियों का आत्म-विश्वास बढ़ाएगा। अधिक से अधिक वसूली हेतु वित्त मंत्रालय का हमेशा दबाव बना रहता है परन्तु इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हम निष्पक्ष हैं, हम दोनों के लिए निष्पक्ष हैं। सरकार को राजस्व मिलना चाहिए और ग्राहक को निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। चाहे जो भी मजबूरियां हों परन्तु न्याय की गुणवत्ता को कम नहीं किया जाना चाहिए। अतः यह एक अति स्वतन्त्र अधिकरण है और इसमें एक खंडपीठ का प्रावधान किया गया है।

इसमें एक अन्य प्रावधान भी है कि ऐसे मामलों में जहां विचारों में मतभेद है तीसरा न्यायाधीश अथवा सभापति इसका निर्णय करेगा जैसा कि न्यायालय में होता है। ऐसा उच्च न्यायालय में भी होता है। यदि खंडपीठ में दो न्यायाधीश हों और यदि विचारों में मतभेद हों तो वह तीसरे न्यायाधीश को भेजा जाता है अथवा मुख्य न्यायमूर्ति स्वयं निर्णय करता है। अतः इसी प्रावधान को पूर्णतः उठाकर विधेयक में डाल दिया गया है।

इसी प्रकार विशेष पीठ हैं। मान लीजिए यदि कोई बड़ा मामला है और पीठ के समक्ष अत्यन्त जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां दो सदस्यों की बजाय पांच सदस्यों की पीठ होगी जैसा कि हम उच्च न्यायालयों के संवैधानिक पीठों में करते हैं। अतः न्यायालयों में होने वाली सभी संभाव्य घटनाओं का ध्यान रखा गया है और इस पीठ में उनका प्रावधान किया गया है।

अब मैं चयन की बात करना चाहता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी चयन प्रक्रिया सुस्पष्ट है। अब सभी अधिकरणों का चयन किया जा रहा है, चाहे वह कम्पनी कानून अधिकरण हो अथवा प्रतिस्पर्धा कानून अधिकरण हो। यह उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायमूर्ति दोनों की जानकारी से किया जाता है। यहां तक कि पिछली सरकार ने भी कम्पनी कानून और प्रतिस्पर्धा कानून लाने का प्रयास किया था परन्तु उच्चतम न्यायालय ने उन्हें रोक दिया। हम ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहते ताकि चयन शीघ्र हो और अच्छे लोगों का चुनाव हो। हमने न्यायिक परामर्श के घटक को भी काफी उच्च स्तर पर रखा है। अतः गुणवत्ता, खंडपीठ और विशेष पीठ के बारे में किसी के दिमाग में भी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

अब मैं अर्हता पर बात करूंगा। इस मुद्दे पर एक दलील दी गई थी। मैं आश्चर्यचकित हूं कि यह कैसे कहा जा सकता है कि

सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। आयकर अधिकरण और सीईजीएटी के वर्तमान सदस्य तभी पदोन्नत किए जाएंगे यदि उन्हें समिति उपयुक्त पाएगी। वे आवेदन पर आमंत्रित करेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि सिफारिश की गई थी। स्थाई समिति ने सिफारिश की थी, आप मुख्यायुक्तों पर विचार क्यों नहीं करते हैं। यह सर्वसम्मत राय है कि वे वित्त मंत्रालय के लगभग कार्यकारी सदस्य होते हैं। वे उन पर विचार नहीं करते हैं। उन्हें आयकर आयुक्त समझा जाता है। प्रथम दृष्टांत में उन्हें आयकर अपीलीय अधिकरण में नियुक्त किया जाता है। यदि उन्हें वहां चयन कर लिया जाता है तब हम उन्हें सर्वोच्च अधिकरण में पदोन्नत कर देंगे जो लगभग उच्च न्यायालय के समकक्ष है। इसलिए, यदि हम स्थाई समिति की सिफारिश से विमत हैं तो हमने ऐसा देश के हित में ही किया है। यह सिफारिश है जिस पर हम सहमत नहीं हैं।

तीसरा मुद्दा आयु के बारे में था। मैंने बताया था कि हम आयु को 68 वर्ष से कम नहीं कर सकते हैं चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आ पाएंगे। हम आयु को 65 वर्ष से कम भी नहीं कर सकते हैं चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आ पाएंगे। यहां तक कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आपको उन्हें तीन वर्ष देने होंगे। उन्हें 68 वर्ष की आयु तक पुनः नियुक्त किया जा सकता है। यह उचित उपबंध है। आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी अधिकरणों के लिए सेवानिवृत्ति एवं नियुक्ति की योजना बराबर है। इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है।

उच्च न्यायालयों में कुल लम्बन के बारे में प्रश्न पूछा गया था। मुझे सूचित किया गया है कि 1 अप्रैल की स्थितिनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगभग 41471 मामले लम्बित हैं। उन्हें इन अधिकरणों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों की इन आशंकाओं का भी निराकरण करना चाहता हूं कि जब इन 25 खंडपीठों का गठन हो जाएगा, इसका प्रावधान भी करना होगा कि मुख्य खंडपीठ दिल्ली में स्थित हो तथा कार्य की अवस्थिति के अनुसार उनका विस्तार हो। 41000 मामलों में से हम देखेंगे कि चैन्ने के कितने मामले हैं। इसलिए हमें चैन्ने, मुंबई तथा कोलकाता के लिए पृथक् प्रावधान करना होगा। मूल रूप से धन मुंबई तथा चैन्ने से आता है। हमें वहां एक या दो खंडपीठों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। कार्य भार का अध्ययन करने के पश्चात इसका वितरण किया जाएगा।

15 दिवसों से पूर्व एक सर्किट बेंच की भी व्यवस्था की जाएगी। मान लीजिए ऐसा कोई विशेष मामला है जिस किसी विशेष स्थान पर न ही चैन्ने, न ही आंध्र प्रदेश बल्कि मदुरई में कहीं चलाया जाना हो, तो उन्हें वहां मामले का निर्णय करने के लिए सर्किट न्यायालय की भांति भेजा जा सकता है। इसमें सभी समर्थकारी प्रावधान मौजूद हैं। जैसे अनुभव प्राप्त होगा इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह अधिकरण की शुरूआत है। यदि कार्य भार इस प्रकार का हो तो हम स्थाई खंडपीठों की संख्या बढ़ा सकते हैं परन्तु हमारी इच्छा यह है कि कर संबंधी मामलों को कर विशेषज्ञ ही देखें। आयकर विभाग से संबंधित अधिकारी आयकर अपीलीय अधिकरण में जाते हैं। केवल वही सदस्य जिनका कर अधिकरण में सात वर्ष का अनुभव है, को ही राष्ट्रीय कर न्यायालय में नियुक्त किया जाएगा।

उच्च न्यायालय में कार्य का बहुत अधिक बोझ है। अब आप दिन–प्रतिदिन देख सकते हैं कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियां हैं। जब मैंने वर्ष 2005 में मंत्री पद ग्रहण किया था, शुरूआत के वर्षों में, उच्च न्यायालयों में 300 से अधिक रिक्तियां थीं, जो इसकी कुल संख्या से आधी हैं। मैं इन रिक्तियों को भरने हेतु प्रयत्नरत हूं। मैं आधी से अधिक रिक्तियों को भरने में सक्षम नहीं हो पाया हूं।

सायं 6.00 बजे

ऐसा इसलिए चूंकि जैसे ही आप रिक्तियां भरते हैं, सेवानिवृत्ति के कारण अधिक रिक्तियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए हम उच्च न्यायालयों तथा अधिकरण के बीच कार्य भार का संवितरण करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। संविधान के अनुसार यह एक उचित विचार है। इसलिए मैं आपका समर्थन चाहता हूं। आप मुझे ऐसा करने की अनुमति दें तथा जैसे ही इसमें विस्तार होगा, यदि कोई कमियां होंगी, हम पुनः आपके पास वापिस आएंगे। मैंने सभी प्रश्न नोट कर लिए हैं।

एक बार पुनः मैं आपके समर्थन का अनुरोध करता हूं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया मुझे सहयोग दें। मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके दृष्टिकोण का काफी आदर करता हूं। सामान्य नियमों का हमेशा अपवाद होना चाहिए। आप इस सभा के बौद्धिक स्तर का अपवाद हैं तथा मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसलिए, कृपया इस पर सहमत हों तथा इसका समर्थन करें ताकि यह पारित हो जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमा शुल्क

[श्री हंसराज भारद्वाज]

और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, से 30 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची

पृष्ठ 11, पंक्ति 25,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 11, पंक्ति 30,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 12, पंक्ति 3,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 12, पंक्ति 25,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 13, पंक्ति 2,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 13, पंक्ति 34,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 14, पंक्ति 14,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 14, पंक्ति 22,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

पृष्ठ 14, पंक्ति 32,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (11)

पृष्ठ 15, पंक्ति 8,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

(श्री हंसराज भारद्वाज)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,—"2004" के स्थान पर "2005" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री हंसराज भारद्वाज)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—"पचपनवें" के स्थान पर "छप्पनवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री हंसराज भारद्वाज)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री हंस राज भारद्वाज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, पिछले सत्र के दौरान इस सभा ने बहस के बीच सरकार से हमारे देश में उच्च शिक्षा के संबंध में एक व्यापक विधान लाने का आग्रह किया था। यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में था। सभा ऐसे विधान की आवश्यकता के बारे में एकमत थी।

यह सच है कि उच्च शिक्षा के संबंध में शुल्क ढांचा और प्रवेश नीतियां राज्य से राज्य में ही अलग-अलग नहीं हैं बल्कि एक राज्य में ही संस्थान-संस्थान में भी अलग-अलग हैं। निचली अदालतों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में भी अनेकों विधिक लड़ाइयां हुई थीं। विद्यार्थियों, माता-पिता तथा अध्यापकों ने भी इस संबंध में एक विधान लाने की कई बार मांग की थी।

महोदय, शिक्षा समाज की सम्पत्ति होनी चाहिए और यह खरीद तथा बिक्री के लिए एक उत्पाद के रूप में नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में यह एक रिवाज सा बन गया है। इसलिए सरकार को हमारे संघीय ढांचे के अन्दर एक व्यापक विधान लाने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सत्र में ही इस संबंध में एक विधान लाए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। यह संस्थान पूरे उत्तर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, लेकिन जो मरीजों की जांच-परख के लिए शुल्क लिया जाता है, उसमें पिछले दिनों काफी वृद्धि कर दी गई है, जिसके कारण उस संस्थान में दाखिल होने वाले मरीजों की संख्या भी कम हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 29 सितम्बर, 2002 को गवर्निंग बॉडी के अन्दर यह निर्णय लिया गया कि वहां यह शुल्क न बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बावजूद, बिना गवर्निंग बॉडी के अन्दर उस विषय को ले जाए बगैर, शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस कारण आज स्थिति यह है कि एम्स, जो दिल्ली में स्थित है, उससे भी ज्यादा शुल्क वहां ओपीडी और जनरल वार्ड में जो गरीब लोग आते हैं, उनसे लिया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि इस कारण वहां मरीजों की संख्या कम हो रही है और उन्हें शुल्क के कारण बड़ी तकलीफ हो रही है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वहां भारत सरकार 200 करोड़ रुपये साल का खर्च कर रही है और दूसरी तरफ यह कोशिश हो रही है कि गरीब लोग उस संस्थान के दरवाजे तक न पहुंच पाएं, यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि हम मानवीय चेहरे लेकर काम करेंगे, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि किसी संवैधानिक संस्थान में ऐसे कुछ निर्णयों को, बिना गवर्निंग बॉडी की अनुमति लिए, वहां लागू कर दिया गया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इसमें इंटरवीन करें और वहां जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय दिलाने में पहल करें। उन शुल्कों को वापस लिया जाए।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : सभापति महोदय, कन्नड़ भाषा तथा कन्नड़ संस्कृति का 2000 वर्ष पुराना इतिहास है। महोदय, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कन्नड़ भाषा को देश में सबसे ज्यादा, सात ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। क्रांतिकारी धार्मिक नेताओं तथा महावीर जैन, बाहुबली, बसावेश्वर, अक्कामहादेवी, सर्वजन जैसे लेखकों तथा अन्य लोगों ने कन्नड़ भाषा के विकास में अपना योगदान किया है। इसी प्रकार इम्मादी पुलिकेशी, विजयनगर के कृष्णदेवराय, गंगा, कदम्बा अक्का-बुक्का और अन्य शासकों ने भी कन्नड़ भाषा के गौरव के विकास में अपना पूरा योगदान दिया है। इन सारी बातों के बावजूद भी कन्नड़ भाषा को वह गौरवशाली स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। यदि यही स्थिति बनी रही तो कन्नड़ भाषा विलुप्त होने वाली भाषाओं की सूची में आ जाएगी। संस्कृत भाषा की तरह कन्नड़ भाषा की भी लोग उपेक्षा करने लगेंगे।

इस समय पूरे कर्नाटक राज्य में राज्य तथा केन्द्र, दोनों द्वारा कन्नड़ भाषा की उपेक्षा के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। साढ़े छह करोड़ कन्नड़ भाषी लोग कन्नड़ भाषा के लिए एक "क्लासिकल भाषा" के दर्जे की मांग कर रहे हैं। पूर्व उपकुलपति लेखक और समाज सेवक श्री डी. जावरे गौडा, 86 वर्षीय अनुभवी वयोवृद्ध जनवरी, 2006 से भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 15.12.2005 तक कन्नड़ भाषा

---

*मूलतः कन्नड भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

को "क्लासिकल भाषा" का दर्जा नहीं दिया जाता है तो वे पद्म भूषण सम्मान को वापस कर देंगे। कर्नाटक के इस लोकप्रिय व्यक्ति का आरोप है कि हम, सदस्यों, ने यहां सभा में इस मुद्दे को नहीं उठाया। कर्नाटक के लोग भारत सरकार से कोई अच्छा समाचार सुनने के लिए उत्सुक हैं। वास्तव में, माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील ने हाल ही में अपने राज्य के दौरे के दौरान इस संबंध में कर्नाटक के लोगों को कुछ सकारात्मक आश्वासन दिया था।

इसलिए भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि वह कन्नड़ भाषा को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में ले तथा मानव जाति के प्रति इसकी सेवाओं तथा अविलम्ब कन्नड़ भाषा को "क्लासिकल भाषा" का दर्जा देने के संबंध में गंभीरता से विचार करे।

सभापति महोदय : श्री मल्लिकार्जुनैया आप श्री शिवन्ना के साथ स्वयं को सम्बद्ध कर सकते हैं।

***श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर) : सभापति महोदय, मेरे मित्र और सहयोगी श्री शिवन्ना ने अभी-अभी इस महान सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। श्री डी. गावरे गौडा, पूर्व उपकुलपति, एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हैं और वे आमरण भूख हड़ताल पर हैं। कन्नड़ के लोगों में उनके लिए बहुत अधिक सम्मान का भाव है। यदि उनको कुछ हो जाता है तो हम सभी की बदनामी होगी। इसलिए मैं श्री शिवन्ना के साथ अपने को सहयोजित करना चाहता हूं और केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह पूरी गंभीरता से इस मामले में सोचे। कन्नड़ भाषा, जिसका एक लम्बा इतिहास और धरोहर है, क्लासिकल भाषा का दर्जा पाने के योग्य है और वस्तुतः, यह कर्नाटक के लोगों का सपना है। भारत सरकार ने पिछले वर्ष तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा देने के संबंध में एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया था। एक बार पुनः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कन्नड़ भाषा को तत्काल एक क्लासिकल भाषा का दर्जा देने में अपनी राजनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन करे।

प्रो. के. एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर) : महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र वेल्लौर के बारे में एक महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वेल्लौर फोर्ट अपने निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह अकेला किला है जो इस देश में पत्थरों से बना हुआ है। यह किला अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जाना जाता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि इसमें 10 जुलाई, 1806 को प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम हुआ था। टीपू सुल्तान के वारिस और उनके परिवार के सदस्यों को इस किले में जेल में रखा गया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी का झंडा उठाया था। 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उन्होंने हमारे देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। यद्यपि, हम कहते हैं कि प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 1857 में हुआ था परन्तु वास्तव में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 1806 में वेल्लौर में हुआ था। इसलिए, आने वाले वर्ष यानी 10 जुलाई, 2006 को उस महान ऐतिहासिक घटना की दूसरी शती आने वाली है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उस दिन को प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की दूसरी शती के रूप में मनाया जाए।

महोदय, इस संबंध में वेल्लौर के किले का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। इसमें एक बहुत सुन्दर खाई भी है। यह पानी से भरी है। उस खाई तक जलमार्ग की गाद निकाली जानी चाहिए और कूड़ा-कचरा हटाया जाना चाहिए। किले के चारों ओर एक पार्क है। यह पार्क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पार्क को सुन्दर बनाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। यह किला जहां 1806 में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम हुआ था इस देश में सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष किलों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मंदिर है, जलगंदेश्वरर मंदिर, एक चर्च और एक मस्जिद है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश में कहीं भी आपको ऐसा किला नहीं मिलेगा। इसलिए इस धर्मनिरपेक्ष किले का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए और पार्क का भी सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की दूसरी शती भव्य तरीके से मनाई जानी चाहिए। यही मेरा भारत सरकार से अनुरोध है।

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान मुम्बई स्थित नौवहन कंपनी मैसर्स पेलिकन मेरीन्स बाम्बे लिमिटेड द्वारा लीज पर दिए गए बचाव पोत, जुपिटर 6 के गायब होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पोत अपनी नामीबिया से मारीशस की यात्रा पर 5 सितम्बर से गायब है। इसके चालक दल में दस भारतीय नागरिक थे। पोत का अभी तक कुछ अता-पता नहीं है। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि संबंधित प्राधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत जांच के लिए और तुरन्त जहाज और चालक दल का पता लगाने के लिए निर्देश देने की व्यवस्था की जाए।

[हिन्दी]

डा. करन सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति समाज के लिए गुर्दा, हृदय, जिगर, कैंसर और मस्तिष्क जैसे जोखिम भरे रोगों के उपचार हेतु अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत कुछ अस्पतालों की पहचान की गई है। इनके

*मूलतः कन्नड़ भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

लिए देश के दस बड़े अस्पतालों, जैसे ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज और पीजीआई चंड़ीगढ़ इत्यादि में इलाज उपलब्ध होगा। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के रोगियों को इलाज में 50 प्रतिशत का अनुदान इन संस्थानों से मिलता है।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में सवाई मान सिंह अस्पताल लगभग पिछले 50 वर्षों से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है। यह राजस्थान का दो सौ बिस्तरों वाला सुपर स्पैशिलिटी अस्पताल है, जहां न्यूरोसर्जरी, कार्डिक सर्जरी, कैन्सर, गुर्दा प्रत्यारोपण तथा जोखिम भरे सभी रोगों का उपचार किया जाता है। किसी कारण से इस अस्पताल को अम्बेडकर चिकित्सा योजना के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान में पहले 16 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की थी, अब यह बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत के आसपास हो गई है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोग काफी निर्धन और पिछड़े हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल को अम्बेडकर चिकित्सा योजना के अन्तर्गत पहचाने गए अस्पतालों की सूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : सभापति महोदय, थोड़े दिन पहले पेट्रोलियम मंत्रालय के अन्तर्गत आईओसी, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि घरेलू गैस कनैक्शन के सिलेण्डर जो कि बहुत सी एनजीओज, शैक्षणिक संस्थान, धर्मशालाओं और चैरिटेबल संस्थानों को मिलते हैं और वे उनका अपने यहां कुकिंग गैस के रूप में उपयोग करते हैं, उन्हें अब घरेलू की बजाय कमर्शियल कनैक्शन में गिनने की बात कही गई है। ये सभी सामाजिक संस्थाएं हैं। इससे इन पर काफी बोझ पड़ रहा है। ये सभी कुकिंग गैस का उपयोग छात्रालयों, अनाथालयों, गर्ल्स होस्टलों में करते हैं। पहले इन्हें घरेलू गैस कनैक्शन के रूप में कुकिंग गैस मिलती थी, लेकिन अब इन्हें कमर्शियल संस्थान के रूप में गैस सिलेण्डर मिल रहे हैं। उनका विरोध काफी मात्रा में पूरे देश में हो रहा है। दो–तीन साल पहले भी ऐसा ही एक सर्कुलर निकला था, लेकिन उस समय एनडीए की सरकार ने उसे वापिस करके सामाजिक संस्थाओं को न्याय प्रदान किया था। अभी फिर से यह सर्कुलर निकला है।

मैं आपके माध्यम से सरकार और पेट्रोलियम मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि ऐसी संस्थाएं, जो लोगों से डोनेशन लेकर सामाजिक कार्य करती हैं, उन पर इससे बोझ पड़ता है। उन पर यह बोझ न पड़े, इसलिए उस नोटीफिकेशन को विदड्रा कर लिया जाए ताकि उन्हें नार्मल रेट्स पर ही कुकिंग गैस मिल सके।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 30 नवम्बर, 2005/ 9 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री पी. करूणाकरन श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	82
2.	श्री कृष्णा मुरारी मोघे श्री ए. साई प्रताप	83
3.	श्री बालासाहिब विखे पाटील	84
4.	श्री भर्तृहरि महताब श्री स्वदेश चक्रवर्ती	85
5.	श्री राजेन गोहेन श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	86
6.	श्री सर्वे सत्यनारायण श्री बाडिगा रामकृष्णा	87
7.	श्री अजय चक्रवर्ती श्रीमती निवेदिता माने	88
8.	श्री हन्नान मोल्लाह श्री पी.सी. थामस	89
9.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री पंकज चौधरी	90
10.	श्री थावरचन्द गेहलोत श्री अशोक अर्गल	91

1	2	3
11.	श्री जुएल ओराम श्री मोहन रावले	92
12.	श्री एम. शिवन्ना श्री संतोष गंगवार	93
13.	श्री गुरूदास दासगुप्त श्री मोहन सिंह	94
14.	श्री अशोक कुमार रावत श्री प्रबोध पाण्डा	95
15.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री शिशुपाल पटले	96
16.	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन श्री दलपत सिंह परस्ते	97
17.	श्रीमती सी.एस. सुजाता श्री जोवाकिम बखला	98
18.	श्री निखिल कुमार श्री चन्द्रभूषण सिंह	99
19.	डा. अरूण कुमार शर्मा	100
20.	श्री एम.पा. वीरेन्द्र कुमार	101

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे. एम.	908, 1027
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1027
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	863, 988, 1036, 1060, 1074
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	956, 1027
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	877, 1023
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	889
7.	अर्गल, श्री अशोक	985
8.	आठवले, श्री रामदास	928, 1007, 1048, 1067
9.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	873, 950, 954, 971, 1027
10.	"बाबा", श्री के.सी. सिंह	886
11.	"बचदा", श्री बची सिंह रावत	923, 1035
12.	बंसल, श्री पवन कुमार	890, 997, 1041 1062, 1075
13.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	880, 965, 990, 1044, 1065
14.	बर्मन, श्री रनेन	894, 984, 1075
15.	बखला, श्री जोवाकिम	894
16.	भगोरा, श्री महावीर	895
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	935, 1009, 1050, 1057
18.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	910, 995, 1040, 1061
19.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	936, 971
20.	बरकटकी, श्री नाराण चन्द्र	872
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	873, 915
22.	चक्रवर्ती, श्री अजय	970, 1022
23.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	978
24.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	980, 1027
25.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	873, 904
26.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	947, 1027
27.	चिन्ता मोहन, डा.	903, 916
28.	चिन्तन, श्री एन.एस.वी.	1030
29.	चौधरी, श्री अधीर	868, 996, 1030

1	2	3
30.	चौधरी, श्री पंकज	999
31.	धनराजू, डा. के.	1027
32.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	942
33.	गढ़वी, श्री पी.एस.	948, 1016
34.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	974, 1002, 1025, 1027
35.	गांधी, श्रीमती मेनका	913, 971
36.	गणेशन, श्री एल.	901
37.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	975, 1027
38.	गोहेन, श्री राजेन	969, 1013
39.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	942
40.	जगन्नाथ, डा. एम.	898
41.	जटिया, डा. सत्यनारायण	894
42.	जयाप्रदा, श्रीमती	905, 940
43.	झा, श्री रघुनाथ	861, 900, 986, 1034
44.	जिन्दल, श्री नवीन	939
45.	जोगी, श्री अजीत	909, 994, 1039
46.	कस्वां, श्री राम सिंह	919
47.	खैरे, श्री चंद्रकांत	875, 955, 1027, 1047
48.	खां, श्री सुनील	862, 951
49.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1027
50.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	885, 962
51.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1076
52.	खारवेनथन, श्री एस.के.	857, 960, 1018, 1054, 1071

1	2	3
53.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	870, 953
54.	कृष्ण, श्री विजय	943
55.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	912, 979
56.	कुप्पुसामी, श्री सी.	1027
57.	कुरूप, श्री सुरेश	888, 1012
58.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	891, 898, 907, 927, 980
59.	लाहिरी, श्री समिक	878, 956
60.	"ललन", श्री राजीव रंजन सिंह	903
61.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	942
62.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1080
63.	महाजन, श्री वाई. जी.	927
64.	महतो, श्री बीर सिंह	876, 946
65.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	915
66.	महताब, श्री भर्तृहरि	968, 1021
67.	महतो, श्री टेक लाल	899
68.	माझी, श्री परसुराम	874
69.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	972
70.	मंडल, श्री सनत कुमार	856, 950, 1019, 1053, 1070
71.	माने, श्रीमती निवेदिता	974, 1025, 1055, 1072
72.	मसूद, श्री रशीद	871, 930, 1013, 1038
73.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	858, 984
74.	मेघवाल, श्री कैलाश	870, 933
75.	मेहता, श्री आलोक कुमार	867, 893

1	2	3
76.	मिश्रा, डा. राजेश	860, 998
77.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	966
78.	मोहन, श्री पी.	906, 1027
79.	मोहिते, श्री सुबोध	937, 1010
80.	मुन्शी राम, श्री	891, 907, 980
81.	मुर्मू, श्री हेमलाल	929, 969, 1013, 1035
82.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	923
83.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	1077
84.	नायक, श्री अनन्त	887, 924
85.	नायक, श्रीमती अर्चना	1027, 1076
86.	निखिल कुमार, श्री	963, 1030
87.	ओराम, श्री जुएल	976, 1026, 1056
88.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	904, 944, 1013, 1051, 1068
89.	पलनिसामी, श्री के.सी.	864, 961, 1020, 1030, 1078
90.	पाण्डा, श्री प्रबोध	906, 935, 1035
91.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	964, 1033
92.	पासवान, श्री वीरचन्द	883, 1014
93.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	896
94.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	904, 920, 941, 1002, 1004
95.	पाठक, श्री ब्रजेश	905, 908, 917, 946, 980
96.	पाटील, श्री बालासाहेब विखे	967
97.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1027
98.	पटले, श्री शिशुपाल	891, 898, 907, 980

1	2	3
99.	पिंगले, श्री देविदास	921, 1005
100.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	897
101.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1030
102.	राजेन्द्रन, श्री पी.	949
103.	रामदास, प्रो. एम.	898, 938, 1011
104.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	935, 983, 989, 1027
105.	राणा, श्री काशीराम	1027
106.	राव, श्री के.एस.	911
107.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	981, 1029, 1058, 1073
108.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1076
109.	रावले, श्री मोहन	959
110.	रावत, श्री अशोक कुमार	891, 907, 980, 1028
111.	रावत, श्री कमला प्रसाद	899
112.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	879, 957, 1072, 1075
113.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	905, 1027
114.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	973, 1024
115.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1022
116.	रेड्डी, श्री सुरबरम सुधाकर	980, 1027
117.	साई प्रताप, श्री ए.	1027, 1033
118.	सरदगी, श्री इकबाल अहमद	925, 1006
119.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	963, 1031, 1059
120.	सरोज, श्री तूफानी	902
121.	सत्पथी, श्री तथागत	898

1	2	3
122.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	918, 1003, 1045, 1066
123.	सेठी, श्री अर्जुन	914, 926
124.	शाहिद, मोहम्मद	898
125.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	884, 990, 1037, 1069, 1078
126.	शिवन्ना, श्री एम.	977, 1027
127.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	891, 898, 907, 980, 992
128.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	866, 952
129.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	924, 1036
130.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	882, 947
131.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1030
132.	सिंह, दुष्यंत	922
133.	सिंह, श्री गणेश	865, 987, 1035
134.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	893, 1035
135.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	974, 1002, 1025, 1027, 1033
136.	सिंह, श्री मोहन	990, 993, 1030
137.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	869, 1001, 1043, 1064
138.	सिंह, श्री सुग्रीव	904, 920, 941, 1002, 1004
139.	सिंह, श्री उदय	932
140.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	1035, 1055
141.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	892, 966, 1002
142.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	859, 1037
143.	सुगावनम, श्री ई.जी.	984, 1027, 1035, 1046, 1076
144.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	945, 1015
145.	सुमन, श्री रामजीलाल	916
146.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	982, 1027
147.	स्वाईं, श्री खारबेल	898, 1022
148.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	881, 958, 1017, 1052
149.	थामस, श्री पी.सी.	979
150.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1027
151.	त्रिपाठी, श्री चन्द मणि	972, 1077
152.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	914, 1008, 1027, 1049, 1079
153.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	934, 1008, 1042, 1063, 1076
154.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	984, 1032
155.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	871, 991, 1038
156.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	899, 988, 990, 1035, 1036
157.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	931
158.	यादव, श्री मित्रसेन	984
159.	यादव, श्री राम कृपाल	897
160.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	861, 1027

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	
वाणिज्य और उद्योग	89, 96
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास	
गृह	82, 83, 84, 85, 88, 93, 94, 97, 98
मानव संसाधन विकास	86, 87, 90, 95, 99
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	91, 92, 100
लघु उद्योग	
जनजातीय कार्य	101
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	884, 931, 952, 970, 971, 975, 1016, 1023, 1024
वाणिज्य और उद्योग		856, 860, 866, 873, 875, 876, 879, 888, 892, 896, 902, 914, 918, 922, 924, 933, 934, 935, 950, 954, 979, 981, 984, 989, 1003, 1021, 1046, 1047, 1057, 1058, 1067, 1072, 1073
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास		963, 1059
गृह		858, 859, 861, 862, 867, 868, 872, 880, 889, 900, 903, 904, 905, 907, 908, 920, 932, 937, 939, 940, 951, 955, 960, 961, 966, 972, 976, 980, 982, 986, 991, 996, 999, 1001, 1002, 1008, 1013, 1014, 1022, 1025, 1027, 1030, 1036, 1038, 1041, 1042, 1051, 1060, 1061, 1062, 1064, 1076, 1078, 1079
मानव संसाधन विकास		857, 869, 871, 874, 881, 886, 897, 898, 899, 911, 915, 916, 926, 941, 944, 946, 947, 957, 965, 967, 969, 973, 974, 977, 983, 988, 992, 1004, 1005, 1006, 1012, 1017, 1028, 1032, 1033, 1035, 1037, 1043, 1048, 1049, 1050, 1052, 1054, 1063, 1065, 1066, 1068, 1070, 1071, 1074, 1081
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग		863, 864, 870, 878, 882, 883, 885, 887, 901, 906, 910, 917, 921, 923, 925, 928, 929, 930, 936, 942, 943, 945, 948, 949, 953, 956, 958, 959, 962, 968, 978, 985, 987, 990, 993, 995, 998, 1007, 1009, 1010, 1015, 1018, 1020, 1029, 1031, 1034, 1040, 1045, 1056, 1077
लघु उद्योग		919, 927, 1044, 1069
जनजातीय कार्य		865, 877, 895, 909, 912, 913, 938, 964, 994, 1011, 1026, 1053
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन		890, 891, 893, 894, 997, 1000, 1019, 1039, 1055, 1075

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/14/05/ 2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।